पंचदश माला, खंड 29, अंक 6

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2012
9 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 17 June 2015

(खंड 29 में अंक 01 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

हंसराज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र 2012/1934 (शक)]

अंक 6, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2012/9 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 105	2-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 106 से 120	41-126
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	127-836
सभा पटल पर रखे गए पत्र	836-855
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	855-856
(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	856-857
कार्य मंत्रणा समिति	
42वां प्रतिवेदन	857
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में डेंगू ओर चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
श्री अर्जुन राम मेघवाल	857, 860-865

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

श्री गुलाम नबी आजाद 857-860

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार 865-868

श्री शैलेन्द्र कुमार 868-871

डॉ. रामचन्द्र डोम 871-873

श्री नामा नागेश्वर राव 874-876

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

श्री प्रबोध पांडा 883-884

शेख सैदुल हक 884-887

श्री अर्जुन राय 887-890

श्री भर्तृहरि महताब 890-895

श्री आर. थामराईसेलवन 895-897

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 897-898

श्री असादूद्दीन ओवेसी 898-902

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 902-903

श्री नामा नागेश्वर राव 904

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 904-906

श्री सुशील कुमार शिंदे 906-911

खंड 2 से 14 और 1 911-916

पारित करने के लिये प्रस्ताव 916

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के
लिए कार्य-योजना तैयार किया जाना

श्री अर्जुन राम मेघवाल 916-918

**पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्दर कुमार गुजराल के दुखद
निधन के बारे में घोषणा** 918-920

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	921-922
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	922-932
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	933-934
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	933-936

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2012/09 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल आरम्भ होता है।

प्रश्न संख्या 101, श्री के. सुगुमार – उपस्थित नहीं
श्री हमदुल्लाह सईद।

...*(व्यवधान)*

श्री थोल तिरूमावलावन (चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदया, कावेरी नदी का जल तमिलनाडु को छोड़े जाने के विषय में

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

इस समय, श्री थोल तिरूमावलावन आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी और शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया वापस चले जाएं। यह क्या है कि प्रतिदिन सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है? कृपया वापिस चले जाएं।

(व्यवधान)...*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप भी बैठ जाइए। आप हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? जी नहीं, कृपया हर बात पर प्रतिक्रिया न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह आप क्या कर रहे हैं? जाइए। आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय, श्री थोल तिरूमावलावन आपके स्थान पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दवाओं की बिक्री

***101. श्री हमदुल्लाह सईद :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में एंटिबायोटिक दवाओं के अकारण उपयोग की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कतिपय एंटिबायोटिक और क्षय रोग रोधी दवाओं की डॉक्टर की पर्ची के बिना (ओवर दी काउंटर) बिक्री पर प्रतिबंध लगाने सहित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में आवश्यक संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संशोधनों से रोगियों को किस प्रकार फायदा होगा और इन्हें संपूर्ण देश में किस प्रकार लागू किया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अयुक्तिसंगत (इरेशनल) इस्तेमाल जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का एक विषय है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने 73 एंटीबायोटिक दवाओं, 13 आदत व्युत्पन्न (हैविट फार्मिंग) औषधों और 4 क्षयरोग संबंधी औषधों सहित 91 औषधों से युक्त एक नई अनुसूची एच1 शामिल करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 को संशोधित करने हेतु दिनांक 20.03.2012 की राजपत्रित अधिसूचना सा.का.नि. 228(अ) के तहत नियमों का प्रारुप प्रकाशित किया है।

(ङ) उक्त नियमों में ऐसे संशोधन से है और अधिक ध्यानपूर्वक लागू करने में तथा एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग को सीमित करने में मदद मिलेगी। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूची एच-1 में शामिल औषधों पर लाल रंग के एक बॉर्डर वाले बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी का यह लेबल लगाया जाना अपेक्षित होगा:-

"चिकित्सीय परामर्श के बिना इस सम्पाक को खाना खतरनाक है। पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खों (प्रसक्रिप्शन) के बिना खुदरा रूप में नहीं बेचा जाएगा।"

श्री हमदुल्लाह सईद : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या दवा-परीक्षण के फलस्वरूप होने वाली मौतों में बढ़ोत्तरी हो रही है, क्या दवा परीक्षण के कारण मरने वालों के लिए मुआवज़े की रकम निर्धारित करने में आय को मानदंड आधार माना जाता है और यदि ऐसी स्थिति है, तो यह उन सभी के लिए, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा बच्चों अथवा परिवार के सदस्यों, जो कुछ अर्जन नहीं कर रहे हों, के लिए एक बाधा अथवा अड़चन नहीं होगी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य पूरी तरह से प्रश्न से भटक गये हैं। प्रश्न साफ तौर पर प्रतिजीवाणु के अनुचित प्रयोग के बारे में है, और माननीय सदस्य नैदानिक परीक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों प्रश्न एक-दूसरे से नितांत पृथक हैं।

श्री हमदुल्लाह सईद : महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतिजीवाणु संबंधी नीति बनाने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, यह सच है कि प्रतिजीवाणु के अनुचित प्रयोग का मुद्दा न केवल हमारे देश के लिए अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए स्वास्थ्य के प्रति चिन्ता का एक अहम मुद्दा है। इसके विभिन्न कारण हैं और मैं माननीय संसद सदस्यों पर छोड़ता हूं कि वे इस विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछें।

25 अगस्त, 2010 को भारत सरकार ने एंटीमाइक्रोबिअल प्रतिरोध क्षमता कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल की रिपोर्ट को सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2011 को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कार्यदल ने अनेक उपायों की सिफारिश की है। कार्यदल ने डीजीएचएस की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य किया और देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और चिकित्सक इसके सदस्य थे। कार्यदल के विचारार्थ विषयों में देश में प्रतिजीवाणु के निर्माण, उपयोग और दुरुपयोग के संबंध में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के सर्जन हेतु अभिकल्पना की सिफारिश करना और विनियामक संबंधी प्रावधानों को बेहतर बनाना व लागू करना अंतर्विष्ट थे।

जैसा कि मैंने कहा कि कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई थी। कार्यदल की सिफारिशों में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत एक पृथक अनुसूची का बनाया जाना, तीसरी पीढ़ी के प्रतिजीवाणु पदार्थों के लिए कलर कोडिंग का प्रावधान करना, निर्धारित खुराक सम्मिश्रण की उपलब्धता में कमी करना, मानक एंटीमाइक्रोबिअल परीक्षण प्रणाली का और आगे विकास करना तथा औषध-निर्देशन पैटर्न का प्रलेखन और अध्ययन करना शामिल था।

महोदया, इस पर आगे औषधि परामर्शदात्री समिति, जिसमें भारत के औषधि नियंत्रक और राज्यों के औषधि नियंत्रक शामिल थे, द्वारा अध्ययन किया गया। उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया और तत्पश्चात् उन्होंने यह सिफारिश की कि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में एक नयी अनुसूची यथा (एचएक्स) अंत:स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन इस नयी अनुसूची में (एचएक्स) बहुत ही कठोर कदमों का उल्लेख किया गया था। हमें देश भर में औषध व्यवसायियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए; व्यावसायियों के अतिरिक्त लगभग 57 माननीय संसद संदस्यों और काफी संख्या में मंत्रियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए — ये अभ्यावेदन सभी पार्टियों से आए थे जिनमें यह आग्रह किया गया था कि ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

इस पर और अधिक अध्ययन किया गया और एक नयी अनुसूची (एचएक्स) लाने की बजाय नयी अनुसूची (एच1) लायी गयी। यह इंटरनेट पर उपलब्ध है और हमें देश भर में इस नयी अनुसूची (एच1) के विषय में लोगों के विचार प्राप्त हो रहे हैं। अगले कुछ महीनों में, हो सकता है अगले 2-3 महीनों में ही हम एक दोषरहित नीति ला सकेंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या उनको जानकारी है कि इस देश में 70 प्रतिशत प्रतिजीवाणु पशुओं, विशेषत: मुर्गीपालन उद्योग के क्षेत्र में उपयोग में लाये जाते हैं। इन पशुओं का पालन पोषण व्यवसायिक दुग्धशालाओं में दूध प्राप्ति के प्रयोजन से बहुत बुरी तरह से होता है ताकि इन्हें हमेशा दवाओं को आवश्यकता पड़ती रहे। इसके परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य खतरे में है क्योंकि जब पशुओं को प्रतिजीवाणु दिये जाएंगे, तो मांस खाने या दूध पीने वाले मनुष्य जब स्वयं बीमार पड़ने की अवस्था में प्रतिजीवाणु लेंगे, तो उनका प्रभाव निष्फल रहेगा। क्या इस देश में मुर्गीपालन अथवा दुग्धशालाओं अथवा सुअर-पालन अथवा मांस और दूध संबंधी किसी अन्य फार्म में प्रतिजीवाणु के उपयोग के संबंध में कोई नीति है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हां, महोदया, हम इस तथ्य से अवगत हैं, और इसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध हेतु पर्यावरणीय हितैषी कारक के रूप में जाना जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध-एजेंटों का प्रयोग पशुधन और कुक्कुटपालन सहित कृषि में किया जाता है। इसलिए नीति तैयार करते समय, इसे ध्यान में रखा जाएगा और इसे ध्यान में रखा गया है।

श्री पी. करुणाकरन : माननीय मंत्री महोदय ने हमारे देश में एंटीबायोटिक्स के अविवेकपूर्ण प्रयोग को रोकने हेतु नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह सच है कि नियमों में बदलाव की जरूरत है। परन्तु इसके साथ-साथ, सरकार द्वारा अपनायी गई कुछ नीतियों से मरीजों और जनता को परेशानियां हो रही हैं।

सिर्फ एंटीबायोटिक्स के ही नहीं बल्कि सभी दवाओं के मूल्य, विशेषकर कैंसर, टीबी, एचआईवी आदि की दवाओं के मूल्य बिना किसी नियंत्रण के बढ़ते ही जा रहे हैं। यह सच है कि सरकार दवाओं के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर सहमत हो गई है। परिणामत:, अब बड़ी कंपनियां दवाओं के मूल्य निर्धारित करने लगी हैं और गरीब मरीज इन कम्पनियों के शिकार बन रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब सरकार ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू किया तो क्या उसने उस समय इस तथ्य को ध्यान में रखा? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने लिए गए निर्णयों के प्रभाव के संबंध में कोई आंकलन किया है? यदि हां, तो सरकार विशेषकर इस काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र को कुछ राहत देने हेतु कौन-से उपाय करने की इच्छा रखती है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं – एक भेषज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में है। यहां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100 प्रतिशत नहीं है। नीति के अनुसार, यह पुरानी (ब्राउन-फील्ड) भेषज कम्पनियों के लिए नहीं है; यह नीति सिर्फ नई कम्पनियों (ग्रीन-फील्ड) के लिए है न कि पुरानी (ब्राउन-फील्ड) कम्पनियों के लिए। इस प्रकार, वर्तमान में, ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से पहले से विद्यमान कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। मैंने सर्वप्रथम, इस संबंध में यह सोचा कि माननीय सदस्य की बातों को सही करना पड़ेगा।

हम इस बात को महसूस करते हैं कि जहां तक कैंसर और इस प्रकार की अन्य बीमारियों का संबंध है, अब तक उनकी दवाएं बहुत लागत प्रभावी नहीं हैं। जहां तक कैंसर और अन्य बीमारियों का संबंध है हमने इनकी एक सूची तैयार की है। आपने अवश्य सुना होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया था। हमने उस सूची को अंतिम रूप दे दिया है तथा इस सूची में शामिल दवाओं के मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम होंगे। ठीक इसी प्रकार, हम सार्वभौमिक स्तर पर नि:शुल्क दवाएं, निस्संदेह सिर्फ जेनेटिक दवाएं, मुहैया कराने की स्थिति कायम करने की बात भी सोच रहे हैं। मुझे शक है कि क्या हम कैंसर की दवाओं को नि:शुल्क मुहैया करा पाने में समर्थ हो पाएंगे परन्तु सरकारी संस्थाओं में जेनेरिक दवाएं नि:शुल्क मुहैया करायी जाएंगी और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा: मैडम, मंत्री जी ने अभी बताया कि एक नया शेड्यूल एच-1 लागू किया गया है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स के साथ-साथ और दवाइयां नोटिफिकेशन की हैं, गजट नोटिफिकेशन निकला हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि जो कारण उन्होंने बताया था कि हमारे यहां इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्यों होता है, उसका पहला कारण यह है कि हमारे यहां लगभग चार लाख कैमिस्ट की दुकाने हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ यह है कि दस बाई दस की एक दुकान, एक रेफ्रिजरेटर और एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, इनसे आप एक दुकान खोल सकते हैं। ऐसी मैं अकेली सांसद नहीं हूं, जिसने देखा होगा कि हॉस्पिटल के बाहर पूरी रो में दोनों तरफ की दुकानें कैमिस्ट की शाप्स होती हैं, जो कि अनहैल्दी कम्पिटिशन को बढ़ावा देती हैं। अगर एक दुकान कोई चीज नहीं देती है तो दूसरी दुकान ग्लैडली वह दवाई लेने के लिए राजी हो जाती है।

मंत्री जी ने बताया कि एच-1 में एक कंडीशन होगी कि डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको दवाई नहीं मिलेगी। जिस देश के अंदर यह मैनडेटरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नम्बर अपने लैटर हैड के ऊपर लिखें तो फिर यह कितना सार्थक होगा। मंत्री जी इसे एक फुलप्रूफ पॉलिसी बनाना चाहते हैं। यह एक इंटरनेशनल कंसर्न है कि

जहां पर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स देते हैं और अगर कोई न्यू डेरी सुपर बग टाइप की चीज आती है तो उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं। इस शेड्यूल एच-1 को नोटिफाई करके हम शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा बहुत पेसिफाई कर पायेंगे, लेकिन इसे इम्पलीमैंट करने के लिए जहां हमने 91 एंट्री के अंदर मंत्री जी ने यह लिख रखा है कि सारी एंटीबायोटिक्स शेड्यूल एच-1 के अंदर दी जाएंगी। क्या यह बेहतर नहीं होता कि जो टास्क फोर्स आपने बनाई थी, उसने अपनी रिकमंडेशन शेड्यूल एचएक्स को ध्यान में रखकर दी थीं, जहां पर डुप्लीकेट में आपको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना था, आपको उन दवाइयों का ऑडिट करना था, आप उसका पूरा ट्रैक रिकार्ड मेनटेन करके रखते, जिससे पता चलता कि ये दवाइयां कितनी बिक रही हैं और इनका यूज किस तरीके से हुआ। एच-1 को नोटिफाई करना अपने आप में बताता है कि यह शेड्यूल एच का फेल्योर है, इसीलिए एच-1 को नोटिफाई किया गया है। शेड्यूल एच-1 में सिर्फ उन एंटीबायोटिक्स को रखना, जो कि फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको रखना, उनकी प्रोपर मानिटरिंग और ऑडिटिंग करना क्या ज्यादा सार्थक नहीं होता, बजाय कि सारी एंटीबायोटिक्स को लेकर इसमें डम्प करना। क्योंकि इसका दूसरा साइड इफैक्ट होगा...

अध्यक्ष महोदया: अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ. ज्योति मिर्धा: मैडम, यह सारा प्रश्न ही है। दूसरी बात यह है कि अगर इसे आपने फुलप्रूफ तरीके से इप्लीमेंट कर दिया तो एंटीट्यूबरकुलर ड्रग जिसके अंदर है, देश के अंदर जो पूरा एंटीट्यूबरकुलर प्रोग्राम है, वह ठप हो जाएगा। अगर उसके ऊपर भी सेम चीज लागू हो जाती है तो उसे इससे अलग रखते हुए क्या मंत्री जी दोबारा रिवाइज करते हुए कोई गजट नोटिफिकेशन निकालेंगे, जिसके अंदर सिर्फ फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स को इनक्लूड किया जाए और उनकी प्रोपर मानीटरिंग की जाए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, यह सच है औरर यह देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में तकरीबन छह लाख के सेल्स आउटलेट्स हैं और मुल्क में तकरीबन दस हजार दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। मशेलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि तकरीबन दो सौ सेल्स आउटलेट्स पर एक इंस्पेक्टर होना चाहिए और पचास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर एक इंस्पैक्टर होना चाहिए। अगर मशेलकर कमेटी के अनुसार हम इंस्पेक्टर्स की गिनती करेंगे तो हमारे देश में 3,200 ड्रग इंस्पैक्टर्स की जरूरत है। जबकि उसके मुकाबले में हमारी स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज में सिर्फ 1030 जगहें भरी हुई हैं। उसका मतलब है कि 2170 इंस्पैक्टर्स की कमी है। चाहे हम एच शेड्यूल का कोई भी कानून या दूसरा शेड्यूल बनायें, जमीन पर इसे इम्पलीमैंट करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि पहले कमेटी ने जो एचएक्स रिकमेंड किया था, उसके अनुसार दो प्रिस्क्रिप्शंस देने थे, एक प्रिस्क्रिप्शन पेशेन्ट के पास रहेगा और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन कैमिस्ट के पास रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो यह बहुत मुश्किल है। एक तरफ हम जूझ रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी देहाती इलाके हैं, वहां कोई डॉक्टर नहीं है तो प्रिस्क्राइब कौन करेगा। इसीलिए कैमिस्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि कैमिस्ट्स ने इसलिए स्ट्राइक की थी क्योंकि शायद उनकी सेल कम हो गई थी। उन 57 मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट में सभी पार्टीज के लोग हैं और मैं अपने आपको भी सहमत करता हूं कि जब मैं रूरल एरियाज में जाता हूं, चाहे हमने नेशनल रूरल हैल्थ मिशन में कितने ही इंसैन्टिव्ज दिये, परंतु तब भी कोई डॉक्टर देहाती इलाकों के प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में जाने के लिए तैयार नहीं होता। एक तरफ अगर हम ऐसा कानून बनायें कि देश का दो-तिहाई भाग जो रूरल एरिया है, वह वंचित ही रहे और सख्त कानून बनायें, तब वह कैमिस्ट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि कानून सख्त है और न प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उसे दवाई मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। इसलिए हमें बीच में जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट भी देखनी है और प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है, क्या वास्तव में यह जमीन पर हो सकता है, वह क्या हो सकता है, उसी को देखना पड़ेगा और जो मैंने नोटिफिकेशन बताया, यह नोटिफिकेशन अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, इस नोटिफिकेशन में अभी भी हमें जांच-पड़ताल करनी होगी कि जमीन पर प्रैक्टिकल है और उसके साथ जो एंटीबायोटिक्स का इर्रेशनल यूज है, वह भी खत्म हो जाए, इस तरह से दोनों चीजों को नजर में रखा जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय निवेश बोर्ड

+

***102. श्री के.पी. धनपालनः**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान में कारोबार करने को आसान बनाने के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय निवेश बोर्ड की स्थापना करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) यह बोर्ड कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(घ) देश में निवेश और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) "डुइंग बिजनेस 2013 रिपोर्ट" में 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के आधार पर देशों के रैंक दिए जाते हैं जो विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए कुछ संकेतकों पर आधारित होते हैं। व्यवसाय को आसानी से करने के संदर्भ में भारत को 132वां स्थान दिया गया है। भारत, इस रिपोर्ट में वर्णित अनेक त्रुटियों और कमजोरियों को इंगित करते हुए सतत् रूप से इसका विरोध करता रहा है।

परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अनुमोदनों/स्वीकृतियों से संबंधित निर्णयों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के अनुसार मंत्रिमंडल समिति विभिन्न लाइसेंसों, अनुज्ञाओं तथा अनुमोदनों को त्वरित तथा समयबद्ध रूप से स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वियन की निगरानी व समीक्षा करेगी। यह मंत्रिमंडल समिति संबंधित मंत्रालय के परामर्श से उस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के अनुमोदनों और स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए भिन्न-भिन्न समय-सीमाएं भी विहित करेगी। संबंधित मंत्रालय/विभाग ने यह आशा की जाएगी कि वह आवेदन पर, सावधानीपूर्वक विहित समय अवधि के भीतर निर्णय लेंगे। यदि विहित समय अवधि के भीतर अनुमोदनों/स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्रवाई करके प्रमुख अड़चनों को दूर करने के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने को सुसाध्य बनाएगी। यह संभावना है कि सरकार मंत्रिमंडल समिति के गठन हेतु इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेगी।

देश मे निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:—

(i) **अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची:—** अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग ने अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची के संबंध में 27 मार्च, 2012 को एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की है। शिक्षा संस्थाओं (पूंजी स्टाक) को सुमेलित मास्टर सूची में शामिल किया गया है। विभिन्न विनियामकों को सलाह दी गई है कि वे एक समर्थकारी विनियामक ढांचे का सृजन करने के उद्देश्य से इसी सूची को अपनाएं। इससे अवसंरचना उप-क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा।

(ii) **अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) :** अवसंरचना परियोजनाओं को उनकी दीर्घ प्रतिफल प्रदान करने की अवधि के कारण सम्पोषणीय तथा लागत प्रभावी होने के उद्देश्य में दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। तथापि, बैंक जो इन परियोजनाओं के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत रहे हैं, उनकी आस्ति-देयता बेमेलता को देखते हुए, दीर्घावधि वित्तपोषण उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। क्रेडिट वर्धन के नवोन्मेष माध्यमों के जरिए आईडीएफ द्वारा बीमा और पेंशन निधियां, जिन्होंने अब तक अवसंरचना के वित्तपोषण में तुलनात्मक रूप से सीमित भूमिका निभाई है, जैसे बचतों के स्रोत का दोहन करके अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कम लागत वाले दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराए जाने की आशा है। विद्यमान परियोजनाओं के बैंक ऋणों का पुनः वित्तपोषण करके, आईडीएफ द्वारा विद्यमान बैंक ऋण की काफी अधिक राशि का अधिग्रहण कर लिए जाने की आशा है जिसे बैंक अवसंरचना परियोजनाओं को नए उधार हेतु समान राशि जारी करेंगे। आईडीएफ, बांडों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास के त्वरण में भी सहायक होंगे जिसका वर्तमान में पर्याप्त अभाव है।

(iii) **विदेशी वाणिज्यिक उधार/एफआईआई :** भारत की आर्थिक वृद्धि की कुंजी अवसंरचना में निवेश है। अवसंरचना विकास के लिए भारत की भारी निवेश आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अवसंरचना विकास के लिए विदेशी निधियों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन कुछ उपायों में शामिल हैं — ऋण प्रतिभूतियों की विभिन्न श्रेणियों में एफआईआई निवेश के लिए सीमा में क्रमिक रूप से वृद्धि; अर्हक विदेशी निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में पहुंच की अनुमति देना; ईसीबी को अवसंरचना क्षेत्र के लिए नए ईसीबी के 25% की सीमा तक रुपया ऋणों का वित्तपोषण करने की अनुमति देकर विदेशी वाणिज्यिक उधार का उदारीकरण तथा तर्कसंगतीकरण; निम्न लागत/वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए ईसीबी की अनुमति देना; विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों पर ब्याज अदायगी पर विदहोल्डिंग कर की दर मे कमी; एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी तक पहुंच हेतु एक पात्र उधारकर्त्ता के रूप में सिडबी को अनुमति देना; सड़कों एवं राजमार्गों के लिए टोल प्रणालियों

के अनुरक्षण तथा संचालनों पर पूंजी व्यय के लिए ईसीबी की अनुमति देना; एयरलाइन उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए ईसीबी की अनुमति देना तथा विनिर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र में कम्पनियों के लिए ईसीबी के एक नए माध्यम (विंडो) की शुरूआत करना।

श्री के.पी. धनपालन : महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण और वन विभाग ने राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के गठन के संबंध में इस आधार पर कोई आपत्ति उठायी है कि स्वीकृति प्रक्रियाओं को मिलाने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं तथा क्या प्रस्तावित बोर्ड में उन विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे जिन्हें परियोजना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां देनी होती हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, विभिन्न मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किए हैं। हां, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कतिपय आपत्तियां व्यक्त की हैं। इन्हें प्रारुप टिप्पण में शामिल किया गया है। इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम निर्णय किए जाने के बाद हम यह जान पाएंगे कि आखिर क्या निर्णय लिया गया है और इन आपत्तियों को कैसे दूर किया जा रहा है।

यह मामला कि मंत्रिमंडलीय समिति और राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के सदस्य कौन होंगे, भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्णीत किया जाना है।

श्री के.पी. धनपालन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक रूप से विकसित उन कुछ देशों द्वारा अपनाए गए मॉडल को अपनाकर राष्ट्रीय निवेश बोर्ड का गठन करना चाहती है जो बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने मं सफल साबित हुए हैं तथा ये देश निवेश और पर्यावरण दोनों को प्रतिकूलत: प्रभावित किए बगैर विभिन्न एजेंसियों को स्वीकृति कैसे देते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं उद्योगपतियों द्वारा प्रभावित किसी मॉडल से अवगत नहीं हूं। इस मामले पर विचार किया गया है तथा योजना आयोग, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद् (नेशनल मैनुफैक्चरिंग कम्पीटिटिवनेस काउंसिल) द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं। प्रस्ताव तैयार करते समय इन विचारों को ध्यान में रखा जाएग। अभी इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाना शेष है और इसलिए यह कहना काफी जल्दीबाजी होगी कि आखिर अंतिम निर्णय क्या लिया जाएगा।

डॉ. संजी गणेश नाईक : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि एनआईबी की स्थापना की बात विचाराधीन है परंतु ऐसे काफी सारे निवेशक हैं जो पीपीपी मोड, जिसे भारत सरकार ने सभी राज्यों में अवसर दिया था, में निवेश करना चाहते हैं। एक एयरपोर्ट मेरे संसदीय क्षेत्र नवी मुम्बई में स्थापित होना है, परंतु एक स्वीकृति के अभाव में, यह परियोजना पिछले सात वर्षों से लंबित है। मैं नहीं जानता कि यह कितना मददगार होगा क्योंकि योजना आयोग माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है और एनआईबी भी माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह सीधा प्रश्न है कि यह एनआईबी और योजना आयोग के रूप में किस प्रकार करेगा?

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का प्रश्न जहां एक ओर समस्या पर प्रकाश डालता है, वहीं दूसरी ओर वह समस्या के समाधान के तरीके की ओर भी इंगित करता है। हमारी समस्या परियोजना को संकल्पित करने की नहीं है। हमारी समस्या कई प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने से जुड़ी हैं, जिनमें से कई क्रमिक स्वरूप की है, उनमें से कई परियोजनाओं को प्रारंभ करने और उसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। वे देश, जो विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित कर पाने में सफल हुए हैं, ऐसे देश है जिन्होंने नियत समय में अवसंरचना परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता। हम उन्हें जानते हैं। उनमें से कई राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्र नहीं हैं, ऐसे एशियाई राष्ट्रों के नाम में जापान, कोरिया, थाईलैंड और यहां तक की इंडोनेशिया, मलेशिया भी शामिल हैं। इसलिए, एनआईबी वही काम करेगी जिसका कि मैंने प्रस्ताव किया था। मैं उसे दोहराता हूं इस समय यह एक प्रस्ताव भर है और ऐसी परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो, वहां परियोजना की निगरानी करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। इस समय भले ही उनकी सैंकड़ों या उससे भी अधिक परियोजनाएं चल रही हों, परंतु मैंने यही पाया है कि इनमें से प्रत्येक परियोजना देरी से चल रही हैं। इसलिए एनआईबी इन परियोजनाओं की निगरानी करेगा। जहां सलाह देना आवश्यक हो, वहां एनआईबी संबंधित मंत्रालयों का परामर्श देगी और यहां जरूरी हो, निर्णय लेने में एनआईबी संबंधित मंत्रालयों की सहायता करेगी। आखिरकार, सरकार तो एक ही है इसलिए यदि कोई देरी होती है तो यह सरकार के स्तर पर है और इसी प्रकार से यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो यह सरकार का ही निर्णय होगा? हम सरकार को धरकों के रूप में नहीं देख सकते। हालांकि सरकार मंत्रालयों और विभागों के रूप में कार्य करती हैं अत: अंतत: इस प्रकार के मामलों में जिम्मेदारी सरकार की ही है। मुझे पूरी उम्मीद

है कि पूरा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि सरकार को निर्णय लेने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी ही होगी।

[हिन्दी]

श्री संजय निरूपम : महोदया, एनआईबी का जो प्रस्ताव है, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। लेकिन हमारे देश में पहले से ही फॉरन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नामक एक संस्था है। बेसिकली जो फॉरन इंवेस्टमेंट होते हैं, एफआईपीबी उनको क्लियरेंस देती है, उसके बारे में कोई निर्णय लेती है।

मेरा सवाल यह है कि क्या एनआईबी एफआईपीबी को प्रतिस्थापित एजेंसी है या नहीं? दूसरा, एफआईपीबी के काम-काज के ऊपर बार-बार सवाल उठते रहे हैं मंत्री जी ने कहा भी है कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देर हो रही है। अगर मंत्री जी एफआईपीबी के परफार्मेंस के ऊपर कुछ बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, यह एफआईबी पर एक प्रश्न अलग से पूछा जाए तो मुझे एफआईपीबी पर बोलते हुए बहुत प्रसन्नता होगी।

महोदया, परन्तु इस समय आपकी अनुमति से मैं अपनी बात निवेश की प्रस्तावित मंत्रिमंडल समिति अथवा एनआईबी तक ही सीमित रखना चाहूंगा। एनआईबी एफआईपीबी का विकल्प नहीं है। दोनों के प्रकार्य नितांत अलग हैं। आज विदेशी निवेश दो प्रकार से किया जाता है। एक तरीका स्वचालित मार्ग का है और दूसरे के लिए अनुमोदन लेना होता है। स्वचालित मार्ग के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है और इसीलिए अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता जहां तक अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रश्न है ऐसे मामलों में अनुमोदन का प्राधिकार एफआईपीबी के पास है। इसमें सचिव, आर्थिक मामले की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी कार्य करते हैं। कुछ मामले सीसीईए को आरंभिक सीमा के आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसा चलता रहेगा। एफआईपीबी को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूसरी ओर एनआईबी आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति तथा राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्री मंडल समिति की ही तरह एक मंत्रिमंडल समिति है। निवेश संबंधी इस मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष होंगे। नई समिति का मुख्य प्रयोजन बड़ी परियोजनाओं, विशेषकर ऐसी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की निगरानी करना है, जहां निवेश एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। ये वे परियोजनाएं हैं, जिससे भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और हम सब यह बात जानते हैं कि दुर्भाग्य से आज वे सभी परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। उनमें से कुछ परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालयों की निगरानी करने और उन्हें परामर्श देने तथा शीघ्र क्रियान्वयन हेतु उनका मार्गदर्शन करने के लिए समिति का गठन आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं 103। श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण उपस्थित नहीं हैं। श्री कामेश्वर बैठा उपस्थित नहीं हैं। माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

***103. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :**
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु उनके मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार की प्रत्येक परियोजना/योजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई; और

(घ) बारहवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) से (ग) देश में बाकी आबादी की तरह ही अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना भारत सरकार के सभी लाइन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए कार्रवाई करता है

---

*चूंकि दोनों सदस्य उपस्थित नहीं थे माननीय अध्यक्ष ने मंत्री को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी।

ताकि अनुसूचित जनजाति की आबादी अलाभ की स्थिति में न रहे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

1. **जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) :** गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के आयसृजनकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 22 टीएसपी राज्यों की राज्य योजना को जनजातीय उप-योजना के लिए योगज।

   11वीं योजना आबंटन : 4673.72 करोड़ रु., निर्मुक्ति : 3849.44 करोड़ रु.।

2. **भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान:** महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए 26 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए।

   11वीं योजना आबंट : 4059.00 करोड़ रु., निर्मुक्ति : 3213.87 करोड़ रु.।

3. **अनुसूचि जातियों की शिक्षा के लिए योजनाएं:—**

   - **अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास:** छात्रावास के निर्माण/संशोधन के लिए।

     11वीं योजना आबंटन: 323.00 करोड़ रु., निर्मुक्ति: 322.00 करोड़ रु.

   - **जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना:** जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आवासीय विद्यालयों के लिए।

     11वीं योजना आबंटन: 241.00 करोड़ रु., निर्मुक्ति: 231.00 करोड़ रु.

   - **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** उत्तर प्रवेशिका-परीक्षा की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए।

     11वीं योजना आबंटन: 1953.72 करोड़ रु., निर्मुक्ति: 2318.44 करोड़ रु.

   अनुसूचित जनजातियो के लाभ के लिए अन्य शैक्षिक योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च

4. **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीटीजी):** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई सहकारिता-सह-विकास (सीसीडी) योजना के अनुसार पीटीजी के उत्तरजीविता, संरक्षण सह विकास के लिए निधियन प्रदान किया गया है।

   11वीं योजना आबंटन: 802.00 करोड़ रु. निर्मुक्ति: 797.26 करोड़ रु.

5. **अनुसूचि जनजातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान:** स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राज्य के प्रयासों को संपूरित करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सेवा में कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर भरने के लिए।

   11वीं योजना आबंटन: 243.00 करोड़ रु, निर्मुक्ति: 226.72 करोड़ रु.

   मंत्रालय की अन्य योजनाएं हैं: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को समर्थन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ को समर्थन, लघु वन उत्पाद परिचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान आदि।

(घ) 12वीं योजना में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की एक नई योजना प्रारंभ की है जो 1 जुलाई, 2012 से लागू है। पूर्ण-कालिक आधार पर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से ज्यादा नहीं है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनो के माध्यम से योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिनको इस प्रयोजन के लिए 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में योजना सुनिश्चित करने की घोषणा की कि अनुसूचति जनजाति वाले लोगों को उनके द्वारा एकत्र वन उत्पादों के लिए उचित मूल्य तथा पारिश्रमिक कीमत मिल सकती है। तद्नुसार 13 महत्वपूर्ण एमएफपी के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

(एमएसपी) की नई योजना परिकल्पित की गई है। यह 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में लघुवन उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्यवर्धन तथा विपणन के पहलुओं पर विचार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. टी. हक समिति की रिपोर्ट के आधार पर है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शैड्यूल ट्राइब्स हैं, खासकर मेरे स्टेट में गुर्जर और बकरवाल हैं, गद्दी हैं, ये सबसे पसमांदा और गरीब लोग हैं। ये लोग हर साल 500 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे।

महोदया, इनके बच्चों की हालत, इनकी अपनी हालत, इनकी औरतों की हालत बहुत खस्ता है। ये पूरी कौम जम्मू-कश्मीर में बहुत बुरी हालत में जी रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक इनके लिए कोई प्लान नहीं बन पाया है। क्या ये सारी जिन्दगी मोबाइल ही रहेंगे? इनके लिए एक जगह पक्के मकान बन जाने चाहिए, इनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक ही जगह प्रॉपर इंतजाम हो जाना चाहिए। इनके पास भैंसें हैं। ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये सिर्फ भैंस के लिए जीते हैं, ये भैंसे लेकर जाते हैं, भैंसे लेकर आते हैं, इनके शरीर से बदबू के सिवाय कुछ नहीं आता है।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका क्या कसूर है कि अभी तक आजादी को 60-65 वर्ष हो गये हैं, लेकिन इनकी हालत ज्यों की त्यों हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे जम्मू और कश्मीर के गुर्जर, बकरवाल, गद्दी लोगों के लिए सरकार क्या करेगी?

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है तो केन्द्र में चल रहे जनजातीय कार्य मंत्रालय की वास्तविक भूमिका स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी आज तक मौजूद इस जटिल खाई को पाटने के लिए निधियां आबंटित करने की है।

मूलतः हमें प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत हम राज्य सरकारों को धनराशि देते हैं। संविधान ने अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को कुछ विशेष अनुदान राशियां दी जाती हैं। जैसे ही हमें राज्यों से इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं हम उनपर कार्रवाई करके विभिन्न राज्यों को भेजे देते हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य विद्यालयों में शिक्षा की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमें जम्मू और कश्मीर राज्य से भी कोई अभ्यावेदन मिला है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई विशिष्ट उदहारण है जिसमें राज्य ने उचित माध्यम से अपनी सिफारिशें भेजी हैं और यदि ऐसा है और उनपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो मैं निश्चित रूप से इस मामले को देखूंगा। अन्यथा मेरा माननीय सदस्य से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि राज्य सरकारें हमें उपलब्ध और संगत स्कीमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो भी सरकार आती है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम तरीके के प्लान और विकास की बातें करती है। यही कारण है कि इस सदन से यह बात भी उठी थी कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आज देखा जाये तो शैड्यूल कास्ट्स कितने हैं, शैड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, यह मालूम नहीं हो पाया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो ट्राइबल्स और आदिवासी जातियां हैं, इनके लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर तमाम कार्यक्रम चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी में हैं। हम पूछना चाहते हैं कि तमाम ऐसी जो आदिवासी जातियां हैं जो अपने वर्ग को बदलना चाहती हैं, कैटागरी को बदलने चाहती हैं, कुछ तो शैड्यूल्ड ट्राइब्ज से शैड्यूल्ड कास्ट्स में आना चाहती हैं और कुछ शैड्यूल्ड कास्ट्स से शैड्यूल्ड ट्राइब्ज में आना चाहती हैं। ये तमाम राज्यों से प्रस्ताव बनकर केन्द्र सरकार में लंबित पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इनकी कैटागरी जो आप बदलना चाहते हैं, यह कब तक पूरा हो जाएगा? केन्द्र सरकार में ये मामले जो लंबित हैं, कब तक इनको अपने वर्ग के रूप में अपने स्थान मिल जाएंगे? जैसा अभी लाल सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा, और तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसे आदिवासी रहते हैं जिनकी स्थिति हम कमेटीज में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहुत बदतर पोजीशन है। उनकी अपनी अलग ही जिन्दगी है जो समाज से बिल्कुल अलग है। सरकार इस संबंध में क्या कर रही है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : महोदया, माननीय सदस्य ने वास्तव में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने संबंधी प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक अनुसूचित जनजाति सूची है और इस प्रक्रिया

के अंतर्गत सूची में दर्ज करने का कार्य किया जाता है। प्रथम, सिफारिश राज्य की ओर से आनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी एक सूची होती है और इस विषय में आर्थिक स्थिति, जातियों के वैज्ञानिक वर्णन संबंधी विशेषताएं और मानवविज्ञान संबंधी किए गए अध्ययनों को जानने के लिए उनका अपना एक ढांचा विद्यमान है। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि इस अध्यर्यन हेतु हम प्रत्येक राज्य और जिले में जायें। अत:, जब यह राज्य सरकार से हमारे पास आ जाता है, तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसे भारत के महापंजीयक के पास भेजना होता है। कतिपय मामलों में जहां भारत के महापंजीयक द्वारा इन्हें अस्वीकार किया गया है, तो मैंने इन्हें राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी सिफारिशों पर और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिये वापस भेजा है। इसके बाद, इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजा जाता है और वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इसे इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत करना मेरा दायित्व बन जाता है। अत:, ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है जिसका मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकूं क्योंकि ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं हैं। हो सकता है कि यह भारत के महापंजीयक के पास जाने के बाद वहां पर लंबित पड़ा रहे। बहुत से ऐसे मामले हैं जहां मुझे उनको स्मरण-पत्र भेजने पड़े। अध्यक्ष महोदया, बहुत बार हम इन्हें संबंधित राज्यों को भेजते हैं और राज्य कई महीनों तक अपनी प्रतिक्रिया वापस नहीं भेजते। अत: इसमें कतिपय बाह्य कारक भी शामिल हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं, कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, मेरा मंत्रालय किसी भी मामले या फाइल को लम्बित नहीं रखेगा। जैसे ही ये मामले मेरे सामने आते हैं, मैं इनको संबंधित प्राधिकारी को भेज दूंगा और जैसे ही ये स्वीकृत हो जाते हैं, मैं इन्हें निश्चित तौर पर सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्री प्रबोध पांडा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दो पहलुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और उनके बारे में जानना चाहूंगा। एक तो विशेषत: महानगरों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं के बारे में है। माननीय मंत्री महोदय ने सही कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी ही सूची होती है। लेकिन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग विभिन्न राज्यों के महानगरों में भी रह रहे हैं। समस्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का है और इन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों के लिये बनी सब तरह की योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इस समस्या का किस प्रकार निदान होगा? केन्द्र सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। यह समस्या किसी एक राज्य विशेष की नहीं है अपितु यह देश के सभी महानगरों की समस्या है।

दूसरी समस्या यह है कि विशेषत: जंगलमहल क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को चावल और खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा था जिसे अब बंद कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इसे क्यों बंद कर दिया गया और इस प्रक्रिया को फिर से कब आरंभ किया जाएगा।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : पहला प्रश्न जो उठाया गया है वह विश्वजनीन शहरों और महानगरों में प्रमाण-पत्रों के जारी किये जाने के संबंध में है। यह एक सच्चाई है कि देश के विभिन्न भागों के लोग विश्वजनीन शहरों और महानगरों में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रमाण-पत्र उस राज्य या स्थान द्वारा जारी किया जाना चाहिए जहां के वे निवासी हैं क्योंकि अनेक विश्वजनीन शहर और महानगर देश भर में अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें उन लोगों को प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है जोकि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अत:, जहां तक उस श्रेणी का संबंध है – जो लोग शहरों या महानगरों में रहते हैं – उनको अपने संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, यथास्थिति, से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

जहां तक जंगलमहल में चावल वितरण संबंधी दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मेरे पास इसके लिए कोई त्वरित उत्तर नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्रू विवरण उपलब्ध करवाएं कि स्पष्ट रूप से वे क्या जानकारी चाहते हैं तो मैं अवश्य जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन तीन जिलों में ट्राइबल जातियां बसती हैं, वे भदोही, श्रावस्ती और बहराइच हैं। क्या जो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सबमिट होते हैं, जब सेन्टर को जाते हैं तो क्या सेन्टर कभी उनको पूरा करने की कोशिश करता है? अगर नहीं करता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी सरकारें रही हों, कभी दोबारा पूछने की कोशिश करती हैं कि जहां-जहां ट्राइबल जातियां बसी हुई हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वे स्थायी रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ट्राइबल्स की जो जातियां बसी हुई हैं, उनको ट्राइबल सर्टिफिकेट इश्यू करने में क्या दिक्कतें हैं, क्या कभी इस पर विचार किया गया? खासकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में पूछना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* मैं जनजातीय सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल जनजातीय सर्टिफिकेट के बारे में है। मेरा सवाल है कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार या वहां पहले जो भी

सरकारें रही हों, उनके द्वारा उन जातियों को प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो भारत सरकार की तरफ से उस पर क्लैरिफाई करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कते हैं?

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : प्रमाण-पत्र जारी करना मूलत: राज्य का विषय है। तथापि, यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह अपना अभ्यावेदन मुझे भेज सकता है। मैं अपनी टिप्पणी के साथ इसे अवश्य राज्य सरकार को भेज सकता हूं। लेकिन यह उनके कार्यक्षेत्र में आता है। मुझे नहीं लगता कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि यह पूर्णत: उनके कार्यक्षेत्र में आता है।

दूसरा, जहां तक परियोजनाओं के लिए धन की बात है, हम उन पर निगरानी रखते हैं। वास्तव में, प्रारंभिक धन भेजने के पश्चात् हम उन परियोजनाओं के लिए बकाया निधियां तब तक नहीं भेजते जब तक हमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो जाता। हम प्रगति रिपोर्ट भी मांगते हैं। हम सतत् रूपसे उनकी निगरानी कर रहे हैं और वहां चल रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।

माननीय सदस्य ने बहराइच, उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाया है। वर्ष 2010-11 के दौरान हमने बहराइच में एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए धन दिया था। दुर्भाग्यवश, आज तक भी यह पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन हम इन पर नज़र रखे हैं और इस विषय के संबंध में उनको लिखते रहते हैं। हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। अत: ऐसा नहीं है कि हम धन दे कर शांत बैठ जाते हैं। जब तक हमें उचित प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम और निधियों का आवंटन नहीं करते।

प्रो. सौगत राय : माननीय मंत्री महोदय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई गयी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया है ताकि जनजातीय लोगों के विकास हेतु ध्यान में अभी कमियों को दूर किया जा सके। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में जनजातीय लोगों से बसे क्षेत्र ही वो क्षेत्र हैं जोकि अब वाम उग्रवाद या माओवाद से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अनेक परियोजनाएं चला रखी हैं।

जनजातियों द्वा माओवाद अपनाए जाने की मुख्य शिकायत और कारण यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की परियोजनाओं सहित बड़ी परियोजनाओं के लिए वनभूमि और जनजातीय भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। संसद द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम के बावजूद इस का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय कौन-से कदम उठा रहा है ताकि जनजातीय भूमि और वन भूमि का अन्यत्र उपयोग न हो और जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की जा रही तथा कथित बड़ी परियोजनाओं की वजह से जनजातीयों को अनेक पारंपरिक प्राकृतिक आवास से वंचित न होना पड़े।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मैं इस तथ्य के संबंध में उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि विभिन्न कारणों हेतु जमीन लिए जाने की वजह से इन क्षेत्रों में काफी असंतोष है। इसी की वजह से संप्रग सरकार वन अधिकार अधिनियम लायी। इस प्रकार, यह वर्ष 2006 में संसद में अधिनियमित हुआ और नियमों के बनाए जाने के बाद वर्ष 2008 में लागू किया गया। तीन या चार वर्षों के बाद, इसका कार्यान्वयन वस्तुत: काफी प्रभावी नहीं होने के कारण, मैंने सम्पूर्ण वन अधिकार अधिनियम और इसके नियमों की समीक्षा की। पिछले वर्ष, मैंने और मेरे मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के नए दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। हमने कतिपय नियमों में भी संशोधन किया है जिन्हें मौनसून सत्र के अंतिम दिन, 30 सितंबर को संसद के सभा पटल पर रखा गया था। इसके अनुसार, वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनों में रहने वाले लोगों और जनजातियों, के पूर्व-प्राप्त अधिकारों को जो सदियों से इन क्षेत्रों में रहते आ रहे हैं, वास्तविक रूप में मान्यता देगा और उन्हें वैध बनाएगा।

महोदया, दुर्भाग्यवश, वर्ष 1927 में जब औपनिवेशिक शासकों ने पहली बार भारतीय वन अधिनियम पारित किया तो इन जनजातियों और वनवासियों को एक विशिष्ट अर्थ में एक प्रकार का अपराधी घोषित कर दिया गया और उन्हें अतिक्रमणकारी बताया गया जबकि सच्चाई इसके विपरीत थी। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने हेतु यह अधिनियम बनाया गया। हमने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। हमने नियम बदले हैं। इसके अलावा, संविधान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूची पांच में दर्ज हैं। हमारे यहां उत्तर-पूर्व में छह में दर्ज क्षेत्र हैं। अनुसूची-पांच क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संविधान के अंतर्गत विशेष भूमि संरक्षण की गारंटी है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के पास अपने भूमि हस्तांतरण को विनियमित करने वाले अधिनियम हैं। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, मैं इस मामले को सभी राज्य सरकारों के साथ उठाता रहा हूं, ताकि वे इस संबंध में गति लाएं और यह सुनिश्चित करें कि वन अधिकार अधिनियम का प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वयन हो। मैं इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि नए दिशा-निर्देश और नियम बनाते समय क्या किया जाए। मैंने यह

भी कहा है कि अनेक मामलों को, जिन्हें बंद किया जा चुका है, पुन: खोला जाए क्योंकि कतिपय मुद्दों पर कतिपय स्पष्टीकरण की जरूरत है। इस प्रकार, यह भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मैंने अपने सभी साथियों को लिखा है और उनसे बात की है कि जब तक मूलभूत चीजों को पूरा न कर लिया जाए, भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों हेतु न किया जाए। यदि माननीय सदस्य द्वारा कोई मामला मेरी जानकारी में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर मैं इस मुद्दे को अपने साथियों अथवा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री हसन खान: मैडम स्पीकर, मैं आपकी परमीशन से ओनरैबल मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि पिछले सैशन में मेरे एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा था कि जे. एण्ड. के. स्टेट से जो दो रिकमण्डेशन्स एसटी में इनक्लूजन के लिए आए थे। *[अनुवाद]* एक इनक्लूजन पहाड़ियों के बारे में है और दूसरा अर्गून्ज़ के बारे में। *[हिन्द]* उस वक्त इन्होंने कहा था कि अर्गून्ज के बारे में रजिस्ट्रार जनरल ने उसको टैक्निकल ग्राउण्ड्स पर रिजैक्ट किया है। *[अनुवाद]* परन्तु वे इसे स्पष्टीकरण हेतु महापंजीयक के पास वापस भेज रहे हैं। *[हिन्दी]* पहाड़ीज के बारे में इन्होंने कहा था कि *[अनुवाद]* विषय अध्ययनाधीन है अथवा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। हम स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। *[हिन्दी]* उसके बाद से चार-पांच महीने गुजर चुके हैं। *[अनुवाद]* मैं मंत्री महोदय से इन दो मुद्दों पर हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : हां, महोदया, माननीय सदस्य के अनुसार एक मुद्दा भारत के महापंजीयक द्वारा पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है। मैं अस्वीकृति वाले भाग का अध्ययन करूंगा ताकि यह जान सकूं कि किन आधारों पर अस्वीकृत किया गया है, क्या यह प्रथम बार है द्वितीय बार या तृतीय बार। यदि आवश्यक होगा तो मैं आगे की टिप्पणियों और स्पटीकरण हेतु इसे राज्य सरकार को वापस भेजूगां।

जहां तक अन्य मामले का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को कुछ धैर्य रखने के लिए कहूंगा क्योंकि पांच महीने कोई लम्बी अवधि नहीं है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पिछले पांच अथवा दस अथवा पंद्रह वर्षों से अनुसूचीबद्ध नहीं किया गया है। जहां तक मेरा प्रश्न है, जैसे ही यह मामला मेरे पास आएगा जो भी अपेक्षित होगा उसे करने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों मेरी पार्लियामेंटरी कंस्टीटयुन्सी का एक डेलीगेशन इनसे मिला था और उससे पहले प्रधानमंत्री जी से भी मिला था। हमारा जो सिरमौर जिला है, वहां भाटी समुदाय के लोग अपने आपको ट्राइबल में घोषित करना चाहते हैं। उनकी यह डिमांड कई वर्षों से चल रही है। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने भी यह पारित किया कि वह क्षेत्र जो जौनसार-बावर का क्षेत्र है, वह उत्तर प्रदेश में चला गया था। उस वक्त वहां जो सिरमौर के राजा थे, उनका जो एरिया सिरमौर में चला गया था, उसे उन्होंने ट्राइबल घोषित कर दिया है, उनका यू.पी. का जो क्षेत्र था, वह ट्राइबल घोषित हो गया है, परन्तु हिमाचल में जो रह गया है, वह ट्राइबल घोषित नहीं हुआ है। इसलिए पिछले दिनों हमने आपसे एक डेलीगेशन को मिलवाया था। उसमें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस बारे में क्या कार्रवाई हुई है? अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उसे बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : महोदया, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, यह सिफारिश राज्य सरकार से आनी चाहिए। विधान सभा द्वारा मात्र संकल्प पारित किया जाना ही काफी नहीं है। इसे राज्य सरकार से हमारे पास आना चाहिए, एक बार यह हमारे पास सरकार के यहां से आ जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं हम लोगों द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया को दोहराना नहीं चाहता — मैं इस सम्माननीय सभा का समय नहीं लेना चाहता — परन्तु जैसे ही यह हमारे पास आएगा मैं अपनी ओर से बिना कोई विलम्ब किए अपेक्षित कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : अगला प्रश्न। श्री आर.के. सिंह पटेल — उपस्थित नहीं।

श्री आनंद प्रकाश परांजपे — उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस

***104. श्री आर.के. सिंह पटेल :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं तथा सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नए कनैक्शन जारी किए गए, रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की गईं और आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी एजेंसियां स्थापित की जाएंगी;

(ख) रसोई गैस सिलेंडरों पर उपभोक्ताओं को सीधे राजसहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विचार किए जा रहे तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक रसोई गैस कनैक्शन धारक को वार्षिक राजसहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से बैंक खाता रखने संबंधी नया प्रावधान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्रावधान लागू करने की समय-सीमा क्या है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) दिनांक 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के पास देश में 419.22 लाख ग्रामीण घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं जो देश के कुल ग्रामीण परिवारों के लगभग 25.2 प्रतिशत हैं।

सरकार ने खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2009 और 2015 के बीच 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके देश की एलपीजी आबादी कवरेज को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने के लिए एलपीजी क्षेत्र के लिए "विजन-2015" तैयार किया है। इस उद्देश्य हेतु छोटे आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियां स्थापित करने के लिए विशेष योजना नामत: "राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना" (आरजीजीएलवी) दिनांक 16.10.2009 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए ओएमसीज द्वारा 5261 स्थलों को शामिल करके विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनमें से 1591 वितरकों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। दिनांक 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने देश में इन आजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के जरिए 21.31 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहकों को पंजीकृत किया गया है। अगले तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा 3760 आरजीजीएलवीज स्थापित किए जाने की उम्मीद है। ओएमसीज द्वारा आजीजीएलवी के तहत स्थापित किए गए और अगले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आरजीजीएलवीज के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) नकद राजसहायता के लाभार्थी के खाते में सीधे अंतरण से मूल्य में अंतर के कारण राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलिंडर के गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए विपथन के प्रोत्साहन में कमी आती है।

तद्नुसार, एलपीजी सिलिंडरों की सुपुर्दगी के आधार पर एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में राजसहायता के सीधे अंतरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

इस संबंध में आधार कार्ड का उपयोग करके एलपीजी सिलिंडर पर नकद राजसहायता को ग्राहक के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना मैसूर में पहले ही शुरू कर दी गई है और नकद अंतरण व्यवस्था की जांच करने के लिए 10 ग्राहकों हेतु सांकेतिक अंतरण भी किया गया है।

अनुबंध

ओएमसीज द्वारा आरजीजीएलवी के तहत स्थापित किए गए और अगले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आरजीजीएलवीज के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	दिनांक 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज द्वारा स्थापित आरजीजीएलवीज की संख्या	अगले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आरजीजीएलवीज की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	161	170
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	14

1	2	3	4
3.	असम	6	113
4.	बिहार	180	334
5.	छत्तीसगढ़	38	27
6.	दिल्ली	0	0
7.	गोवा	0	0
8.	गुजरात	25	57
9.	हरियाणा	25	87
10.	हिमाचल प्रदेश	7	36
11.	जम्मू और कश्मीर	0	65
12.	झारखंड	66	205
13.	कर्नाटक	59	166
14.	केरल	12	87
15.	मध्य प्रदेश	84	240
16.	महाराष्ट्र	194	181
17.	मणिपुर	5	16
18.	मेघालय	0	12
19.	मिजोरम	8	11
20.	नागालैंड	0	13
21.	ओडिशा	78	168
22.	पंजाब	29	100
23.	राजस्थान	173	210
24.	सिक्किम	0	5
25.	तमिलनाडु	77	194
26.	त्रिपुरा	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	261	880
28.	उत्तराखंड	5	52
29.	पश्चिम बंगाल	94	301
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2
31.	चंडीगढ़	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0
33.	दमन और दीव	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	0	1
	योग	1591	3760

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहली बार इस देश में एलपीजी की राशनिंग हुई। सरकार ने निर्णय लिया है कि एक वर्ष में केवल छह सिलिण्डर सब्सिडी के रेट पर दिए जाएंगे। एक से ज्यादा दूसरा कनेक्शन किसी घर में नहीं दिया जाएगा और छह सिलिण्डरों के बाद जो आप सिलिण्डर खरीदेंगे वह 900 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे। आप एक महिला हैं। आप स्वयं बताइए कि क्या पांच जनों की रसोई एक वर्ष में छह सिलिण्डरों से चल सकती है? इतना घोर खराब निर्णय, अनुचित निर्णय इस सरकार ने किया कि पूरे देश में और हर रसोई में हाय-हाय मच रही है।...*(व्यवधान)* मैं तो कई बार कहती हूं कि इस सरकार ने तो कीमतों में आग लगा दी और जिन चीजों पर हम पकाते हैं, उनकी आग बुझा दी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि केवल रूरल हाउसहोल्ड में ही नहीं, ईवेन शहरी हाउसहोल्ड में भी एलपीजी के आपके निर्णय से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। क्या सदन की भावना देखते हुए आप इस निर्णय को वापस लेंगे और यह जो आपने राशनिंग की है, क्या इसे खत्म करेंगे?

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस पर चर्चा करायी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, हम महिलाओं को हो रही परेशानियों को मानते हैं। विपक्ष के माननीय नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न में भी इस बात का उल्लेख है। वस्तुत: हमेंसभी दलों के संसद सदस्यों से काफी अभ्यावेदन मिल रहे हैं। जनता कुछ मामले उठा रही है। वास्तव में, हम अपना दिमाग भी इस मुद्दे पर गंभीरता से लगा रहे हैं। परन्तु ऊपरी सीमा तय करने की मजबूरी भी काफी स्पष्ट है। जहां तक डीजल, किरोसिन और एलपीजी का संबंध है, 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राजसहायता दी जा रही है। कहां से? वास्तव में, इनमें से अनेक विपणन कम्पनियां घाटे में जा रही हैं। कुछ तो कच्चा माल खरीदने की स्थिति में भी नहीं हैं।

जहां तक एलपीजी का संबंध है, हमारे पास अतिरिक्त नहीं है। वस्तुत:, पूरे विश्व में खपत होने वाली एलपीजी की मात्रा का 75 प्रतिशत भारत में खपत होती है क्योंकि हमारे पास उनकी तरह के गैस कनेक्शन और बिजली की खपत नहीं है। कुछ विकसित देश अथवा विकासशील देश अधिकांशत: बिजली और गैस का भी उपयोग करते हैं। वास्तव में हमारा प्रयास उस स्थिति तक पहुंचने का होगा। वर्तमान में, यहां तक कि पूरे विश्व में खुले बाजार में भी एलपीजी उपलब्ध नहीं है। यहां तक सउदी अरब भी, जो हमें एलपीजी मुहैया कराता था रहा था, हमें इसकी आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

जहां तक अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रश्न है, उठाए गए मुद्दे के आलोक में हम इस मुद्दे पर निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.51 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रश्न पर मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्कीम सन् 2009 में आरजीजीएलवी, राजीव गांधी विद्युतीकरण वितरण योजना शुरू की गई थी, क्या मंत्री जी यह इरादा रखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाके हैं, जहां अभी तक न बिजली है और न ही गैस की कोई एजेंसियां हैं, वे लकड़ी और जंगल को भी तबाह एवं बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* हमारी एनवायरमेंट भी खत्म हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये उन पहाड़ी एवं दूरदराज के इलाकों में स्माल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने में तरज़ीह देंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) की शुरूआत 2009 में की गयी थी ओर विजन 2015 की भी घोषणा की गयी है...*(व्यवधान)* इसके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में गैस मुहैया कराने के लिए वितरण केन्द्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री सुदीप बंदोपध्याय

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीट पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.53 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न इस समय सदन की मनोस्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। हमारी लंबे समय से यह मांग चली आ रही है कि रियायती एलपीजी सिलेंडरों की अधिकतम सीमा बढ़ायी जानी चाहिए और केवल इसी वजह से हम सरकार से बाहर आ गए और हमारे सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जहां तक टीएमसी का प्रश्न है, हम सभा के बीचों बीच आकर भी यहां यह बात कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रियायती एलपीजी सिलेंडरों का कोटा बढ़ाकर दो सिलेंडर प्रति माह प्रति परिवार होना

चाहिए।...*(व्यवधान)* हम प्रति वर्ष हर परिवार के लिए रियायती एलपीजी सिलेंडरों का कोटा बढ़ाकर 24 करने की सकारात्मक मांग कर रहे हैं। परंतु सरकार बार-बार दोहराए जाने वाले इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह साफ-साफ जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रियायती एलपीजी सिलेंडरों का कोटा प्रति परिवार प्रतिवर्ष 24 करने करने वाली है या नहीं?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, 6 सिलेंडरों की अधिकतम सीमा पर ही प्रतिवर्ष 36,000 करोड़ रुपये की राजसहायता का बोझ पड़ता है। और वस्तुत:...*(व्यवधान)* हम इस बात से सहमत हैं कि इनकी संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है परंतु इस प्रश्न कि इनकी संख्या कितनी होगी, का उत्तर मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करके ही दे पाऊंगा...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.56 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : वस्तुत: जनता और संसद सदस्यों की मांग बढ़ती जा रही है। हम इसपर विचार कर रहे हैं और इस पर विचार करने के लिए हमें कुछ दिन चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उनको बोल लेने दीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो इन्होंने गैस सिलेण्डरों पर कैप लगाकर आम आदमी की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। जो ये बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उनकी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जब मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूं, आप किसी भी गैस एजेंसी के बाहर देख सकते हैं कि सांप की तरह लम्बी कतार लगी होती है, क्योंकि, गैस एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज इतनी कम हैं और लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं तो हर रोज सांप की तरह लम्बी लाइनें लगी होती हैं और घण्टे भर क्या, दिन भर लाइन में लगने के बाद ही उनको एक गैस का सिलेण्डर मिलता है और वह भी ब्लैक में कभी 500 रुपये का, कभी 700 रुपये का, कभी हजार रुपये का मिलता है। ब्लैक में उनको सिलेण्डर मिलता है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब कैप लग गया है तो अब...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.57 बजे

इस समय, श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : लोगों की जरूरतें और दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में और दिक्कतें आएंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए क्या सरकार को कैप लगाने से पहले कदम नहीं उठाने चाहिए थे। उसमें ये क्या कर रहे हैं? आम लोगों को कैप लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जो और दिक्कतें आएंगी, वे कैसे उसमें सुधार करेंगे और उनकी दिक्कतें घटाएंगे? मैं इसका जवाब चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.58 बजे

इस समय, श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, इसकी अधिकतम सीमा के संबंध में कई गतिरोध बने हुए हैं...*(व्यवधान)* अब 31 दिसम्बर, 2012 तक अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) आवेदन पत्र भरने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि पंक्ति में खड़े रहने की जरूरत न पड़े...*(व्यवधान)* ग्राहकों से उनके घर ही केवाईसी आवेदन पत्र भरवाने की संभावना का पता लगाने हेतु भी अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि वे आसानी से केवाईसी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकें।...*(व्यवधान)* हमने भी दोहरी प्रक्रिया को कम करके नए कनेक्शन जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं।...*(व्यवधान)* ये सभी अवरोध समाप्त कर दिए जाएंगे। हमने कम उठाएं हैं और इससे पंक्ति में खड़े होने की स्थिति समाप्त हो जाएगी...*(व्यवधान)* जहां तक नए सिलेंडरों की बात है, तो पहली बार हम उसे रियायती दरों पर जारी करने और उसके बाद पात्रता का पता लगाने पर विचार

कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* कई प्रकार की समस्याओं को समाप्त किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अगला प्रश्न। श्री अनंत कुमार

पूर्वाह्न 11.59 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास

+

***105. श्री अनंत कुमार :**
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उनकी पूरी क्षमता के उपयोग के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का योजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू और बड़े पैमाने पर उत्पादन दोनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) मंत्रालय द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उनकी क्षमता के उपयोग हेतु देशभर में कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वियन किया जाता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 9623 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 10,430 मेगावाट क्षमता का वर्धन किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 4125 मेगावाट के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 31.10.2012 तक 1353 मेगावाट क्षमता का वर्धन किया गय है। स्रोत-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न अनुबंध-II में दी गई हैं। अक्षय स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष (31.10.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जोड़ी गई अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) 12वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु कुल सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इरेडा, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक अक्षय ऊर्जा वित्त-पोषण संस्था है, द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त-पोषण को 11वीं योजना के 5294 करोड़ रु. से बढ़ाकर 12वीं योजना में 13,800 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थाओं, बैंकों द्वारा भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है।

(ङ) सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:—

- राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे – पूंजीगत/ब्याज आधारित सब्सिडी, त्वरित मूल्यहास, रियायती उत्पाद एवं सीमा-शुल्क;
- संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर;
- स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद हेतु एक न्यूनतम प्रतिशतता;
- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अधिमान्य शुल्क-दरों का निर्धारण करने के दिशा-निर्देश।
- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली के साथ-साथ सौर तापीय प्रणाली की संस्थापना में तेजी लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन।

अनुबंध-I

देश में कार्यान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. **ग्रिड-इंटरएक्टिव/ऑफ-ग्रिड अक्षय विद्युत:**

- **पवन विद्युत :** मेगावाट स्तर के पवन फार्म/एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियां
- **जैव विद्युत :** बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन
- **लघु पनबिजली :** 25 मेगावाट क्षमता तक के लघु पनबिजली संयंत्र : पनचक्कियां/माइक्रो हाइडल संयंत्र
- **सौर विद्युत :** ग्रिड-इंटरएक्टिव – सौर तापीय एवं एसपीवी विद्युत उत्पादन संयंत्र, तथा राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न अनुप्रयोग के लिए ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित प्रणालियां

2. **ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा:**

- **दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम :** अविद्युतीकृत दूरस्थ गांवों/बस्तियों में रोशनी/विद्युत का प्रावधान
- **ग्रामीण ऊर्जा/औद्योगिक ऊर्जा के लिए बायोमास गैसीफायर**
- **बायोगैस कार्यक्रम :** कुकिंग/रोशनी/खाद/लघु स्तरीय विद्युत उत्पादन के लिए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना
- **सौर तापीय प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विकेन्द्रित सौर तापीय प्रणालियां/युक्तियों की संस्थापना (मुख्यत: कुकिंग, कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए सौर कुकर/ड्रायर।

3. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा:**

- **बायोमास (गैर-खोई) सह-उत्पादन/शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा**
- **सौर जल तापन प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक/औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए।
- **सौर जल तापन/वाष्प उत्पादन प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत संस्थानों एवं औद्योगिक में सामुदायिक कुकिंग/अन्य अनुप्रयोग के लिए।
- **हरित भवन :** इसमें सक्रिय अक्षय ऊर्जा प्रणलियों तथा निष्क्रिय डिजाइनों को शामिल किया जाता है।
- **सौर शहर :** ऊर्जा संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा उपकरणों/प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से पारंपरिक ऊर्जा खपत को कम करने हेतु नियोजन।

4. **अनुसंधान, डिजाइन और विकास:**

- प्रमुख संस्थानों एवं उद्योगों में नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता।

अनुबंध-II

विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष (31.10.2012 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन के स्रोत-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	कार्यक्रम/प्रणाली	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पवन विद्युत	2500	1565.00	2000	2350.00	2400	3197.00	2500	922.15
2.	लघु पनबिजली	300	305.27	300	307.22	350	353.00	350	56.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बायो विद्युत	424	452.72	472	473.50	475	487.90	475	270.50
4.	सौर विद्युत	2	8.15	200	26.59	200	905.00	800	103.88
	कुल	3226	2331.14	2972	3157.31	3425	4942.90	4125	1352.71

अनुबंध-III

पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2012-13 में दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार जोड़ी गई अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	बायो विद्युत (मेगावाट)	सौर विद्युत (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	255.95	37	45	21.75	359.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	28.81	0	0	28.81
3.	असम	0	4	0	0	4
4.	बिहार	0	9.7	29.5	0	39.2
5.	छत्तीसगढ़	0	10.2	93.5	4	107.7
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1520.93	8.6	30	690	2249.53
8.	हरियाणा	0	7.4	39.3	7.8	54.5
9.	हिमाचल प्रदेश	0	274.74	0	0	274.74
10.	जम्मू और कश्मीर	0	18.7	0	0	18.7
11.	झारखंड	0	0	0	16	16
12.	कर्नाटक	761.15	369.45	182.5	14	1327.1
13.	केरल	8.1	24.55	0	0	32.65
14.	मध्य प्रदेश	163.6	15	16.2	7.25	202.05

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	994.25	70.7	513.42	20	1598.37
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	12	0	0	12
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	20	20	13	53
21.	पंजाब	0	30.6	90.5	9	130.1
22.	राजस्थान	1481.95	0	62	201	1744.95
23.	सिक्किम	0	5	0	0	5
24.	तमिलनाडु	2846.68	33	199	17	3095.68
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	309.9	12	321.9
27.	उत्तराखंड	0	42.4	10	5	57.4
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	26	2.12	28.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	16	2.52	18.52
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल	8032.61	1021.85	1682.82	1042.44	11779.72

श्री अनंत कुमार : महोदया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब नवीकरणीय ऊर्जा का घरेलू उत्पादन अधिक होगा, तो उन्हें ऊर्जा बैट्रियों में रक्षित करना होगा। यह बहुत खर्चीला है जबकि अन्य देशों में वे उस ऊर्जा को मेन ग्रिड में अंतरित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी देते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार अपने देश में भी इस प्रोत्साहन योजना को कब लाने जा रही है?

डॉ. फारूख अब्दुल्लाह : महोदया, जहां तक इस ऊर्जा के विकास का प्रश्न है, यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि मंत्रालय इसे देख रहा है। परंतु अब हम भी इस पर बहुत अच्छे अनुसंधान कर रहे हैं कि इस ऊर्जा को हाइड्रोजन तथा अन्य रूपों में किस प्रकार रक्षित किया जा सकता है। इसलिए चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। परंतु सदस्य ने जो बात बतायी है मैं उसके बारे में पता करूंगा कि क्या अन्य देशों में वे राजसहायता दे रहे हैं या नहीं? मेरा मंत्रालय इसकी जांच करेगा। यदि यह व्यवहार्य पाया गया तो हम इस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा योजना का पुनर्गठन

***106. डॉ. पी. वेणुगोपाल :**
श्री दानवे राव साहेब पाटील :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बच्चे, महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभान्वित हुई हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का पुनर्गठन और सार्वभौमीकरण करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले जिलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक आहार, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि में अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके संबंध में तथा समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन में सुधार हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) दिनांक 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती तथा धात्री माताएं) की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का सर्वव्यापीकरण 2008-09 में किया गया, इसके पहले वर्ष 2005-06, 2007-08 और 2008-09 में इसका विस्तार किया गया था; ताकि 7076 आईसीडीएस परियोजनाओं तथा 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के अनुमोदन के साथ पूरे देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों सहित सभी बस्तियों को इसमें शामिल किया जा सके। 7076 संस्वीकृत आईसीडीएस परियोजनाओं और 13.70 लाख संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की तुलना में दिनांक 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 7005 आईसीडीएस परियोजनाएं और 13.19 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रचालनरत है।

विभिन्न कार्यक्रमगत, प्रबंधकीय और संस्थागत कमियों को दूर करने तथा पिछले वर्षों के दौरान आईसीडीएस में आई प्रशासनिक एवं प्रचालनरत चुनौतियों से निपटने के लिए 12वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपये के समग्र बजटीय आबंटन के साथ आईसीडीएस स्कीम के सुदृढ़ीकरण को पुनर्गठन के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदित किया है।

पुनर्गठित और सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस तीन वर्षों में सभी जिलों में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार लागू किया जाएगा:—

(क) प्रथम वर्ष (2012-13) में 200 अधिक प्रभावित जिलों में;

(ख) द्वितीय वर्ष (2013-14) में (अर्थात् 1.4.2013 से) अतिरिक्त 200 जिलों में इसमें विशेष श्रेणी के राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिले भी शामिल हैं; और

(ग) तृतीय वर्ष (2014-15) में (अर्थात् 1.4.2014 से) **शेष सभी जिलों में।**

सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के द्वारा कमियों और चुनौतियों का समाधान करना शामिल है : (क) तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं पर विशेश ध्यान (ख) सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुनः पैकेजिंग जिसमें देखरेख और पोषण परामर्श सेवाएं तथा गंभीर रूप से अल्पवजनी बच्चों की देखरेख शामिल है। (ग) संपर्क कर्मियों पर प्रयोग करने, 5% क्रेच आंगनवाड़ी केंद्र के अलावा पूरे देश में चुनिंदा 200 अति प्रभावित जिलों में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देने और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए पारिवारिक संपर्क, देखरेख और पोषण परामर्श में सुधार लाने हेतु अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सह पोषण परामर्शदात्री का प्रावधान (घ) आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर विशेष ध्यान (ङ) विशेषकर जिला, ब्लॉक और ग्रामीण सतरों पर सुदृढ़ संस्थागत और कार्यक्रमगत संकेन्द्रण करना। (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तर पर लचीलापन प्रदान करने वाले मॉडल (छ) लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार (ज) आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण और सुधार हेतु प्रावधान (झ) मॉनीटरन और प्रबंधन तथा सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सहित अन्य घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटित करना (ञ) आईसीडीएस को मिशन मोड में बदलना आदि और (ट) वित्तीय मानंदडों में संशोधन।

(ग) और (घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरे देश में किया जाता है। पूरक पोषण प्रदान करना और उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम प्रदान करने में कमियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाती है। जो शिकायतें गंभीर प्रकृति की होती है, उन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से रिपोर्ट मांगी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एक पूरक पोषण कार्यक्रम में तथा अस्वच्छ परिस्थितियों से संबंधित शिकायतें उत्तर प्रदेश (25), राजस्थान (6), बिहार (3), महाराष्ट्र (3), छत्तीसगढ़ (2), दिल्ली (2), हरियाणा (2), झारखंड (2), मध्य प्रदेश (2), ओडिशा (2), असम (2), नागालैंड (1), कर्नाटक (1), उत्तराखंड (1) प्राप्त हुई। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम सहित सभी सेवाओं में सुधार लाने का अनुरोध किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मानीटरन और पर्यवेक्षण तंत्र भी शुरू किए हैं और पूरक पोषण कार्यक्रम सहित आईसीडीएस स्कीम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 31.3.2011 को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

जब कभी राज्यों के दौरों के समय कमियां पाई जाती हैं, तो कमियों को दूर करने और स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु पत्रों एवं समीक्षा बैठकों द्वारा समाधान किया जाता है।

पूरक पोषण की सेवा प्रदायगी प्रणाली में सुधार लाने हेतु आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन भी इस दिशा में एक कदम है।

विवरण-I

सितंबर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती एवं धात्री माताएं) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण के लाभार्थी					स्कूल पूर्व शिक्षा के लाभार्थी		
		बच्चे (6 माह-3 वर्ष)	बच्चे (3-6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह-6 वर्ष)	गर्भवती एवं धात्री माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती एवं शात्री माताएं)	लड़के (3-6 वर्ष)	लड़कियां (3-6 वर्ष)	कुल (3-6 वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2573056	1644735	4217791	1322074	5539865	810159	808905	1619064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	112583	107666	220249	28385	248634	56407	56785	113192
3.	असम	1015405	1195597	2211002	400115	2611117	612120	602280	1214400
4.	बिहार	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	1155061	932031	2087092	479010	2566102	463425	469716	933141
6.	गोवा	33787	16801	50588	15597	66185	8343	8455	16798
7.	गुजरात	1799438	1319703	3119141	788789	3907930	680595	641646	1322241
8.	हरियाणा	704584	399722	1104306	320311	1424617	209551	190171	399722
9.	हिमाचल प्रदेश	263125	164384	427509	102399	529908	70254	69388	139642
10.	जम्मू और कश्मीर	251810	190787	442597	126611	569208	138510	128648	267158
11.	झारखंड	840312	1156819	1997131	662987	2660118	600500	675468	1275968
12.	कर्नाटक	1986565	1669195	3655760	914590	4570350	838827	888035	1726862
13.	केरल	421540	464249	885789	195927	1081716	266363	224808	491171
14.	मध्य प्रदेश	3058929	2676930	5735859	1235102	6970961	1291936	1242483	2534419
15.	महाराष्ट्र	3084125	3162119	6246244	1222861	7469105	1626803	1498620	3125423
16.	मणिपुर	175636	179540	355176	75010	430186	90343	89179	179522
17.	मेघालय	166294	192452	358746	63722	422468	74044	73864	147908
18.	मिजोरम	70491	56148	126639	37125	163764	27515	27082	54597
19.	नागालैंड	118133	106567	224700	53922	278622	64741	63209	127950
20.	ओडिशा	1985374	1857845	3843219	816078	4659297	728038	712357	1440395
21.	पंजाब	599169	459103	1058272	301833	1360105	239246	219857	459103
22.	राजस्थान	1853456	1100961	2954417	914319	3868736	564991	572664	1137655
23.	सिक्किम	13325	12992	26317	4651	30968	6429	6563	12992
24.	तमिलनाडु	1123153	666847	1790000	665622	2455622	573847	549306	1123153
25.	त्रिपुरा	150198	151099	301297	82482	383779	84254	77889	162143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	10439976	8211678	18651654	4940615	23592269	4593438	4164135	8757573
27.	उत्तराखंड	79274	241643	320917	30277	351194	126168	126995	253163
28.	पश्चिम बंगाल	3414775	3266415	6681190	1337366	8018556	1649331	1611639	3260970
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9415	6019	15434	3550	18984	3034	2985	6019
30.	चंडीगढ़	22227	16287	38514	8689	47203	8141	8146.	16287
31.	दादरा और नगर हवेली	523829	373606	897435	170961	1068396	192297	181309	373606
32.	दमन और दीव	8453	6677	15130	2941	18071	3314	3363	6677
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	3258	2481	5739	1451	7190	1195	1274	2469
34.	लक्षद्वीप	2503	2362	4865	1812	6677	1178	1184	2362
35.	पुदुचेरी	26398	5512	31910	9760	41670	2788	2724	5512
	अखिल भारत	39871756	33738750	73610506	18047322	91657828	17689600	16957055	34646655

*राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई राज्य स्तरीय समेकित रिपोर्ट और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा टेम्पलेट में भेजी गई सूचना पर आधारित।

विवरण-II

19.11.2012 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्राप्त हुई आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) से संबंधित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें

क्र. सं	प्राप्त करने की तारीख	राज्य जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्त्ता	विषय
1	2	3	4	5
1.	6.9.2011	असम	कलब बिबङ्गयैर, डाकघर-थाना कतलि, चेरा, गांव रंगाबख, जिला हैलांडी, असम-788161	असम के जिला हैकांडी की कतलिचेरा आईसीडीएस परियोजना में पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत राशि का दुरुपयोग।

1	2	3	4	5
2.	1.8.2012	असम	श्री राजीव खोंड, कार्यकारी सदस्य - असम आरटीआई फॉर्म हाउस नं. 13 जनता नगर नाम घर के पास नूनमाटी, गोवाहटी	असम सरकार के समाज कल्याण विभाग में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूरक पोषण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को पोषण सामग्री की आपूर्ति का आदेश जारी करने में मानकों के उल्लंघन के बारे में शिकायत।
3.	18.05.2010	बिहार	राजनंदन सहायनी, श्रमिक कल्याण संघ	आंगनवाड़ी केन्द्र के संदर्भ में एसएनपी में चोरियों के मामले में अविशिष्ट शिकायतें।
4.	20.1.2011	बिहार	श्री कृष्ण कांत साही, सदस्य पंचायत समिति, जिला मुज्जफरपुर, बिहार	परियोजना अधिकारी द्वारा पारखंड ओरई में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए एनएनपी (आईसीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति में अनियमितताएं।
5.	24.10.2012	बिहार	श्री तारिक अनवर, संसद सदस्य	जिला बेगुसराय, बिहार में आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
6.	12.08.2012	छत्तीसगढ़	श्री अरविंद शुक्ला	एसएनपी के प्रापण में भ्रष्टाचार।
7.	2.7.2012	छत्तीसगढ़	श्री ठाकुर विजय बहादुर सिंह, माड़वाही मार्ग, पेन्डरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ने आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत खाने के लिए सुलभ खाद्य के वितरण के विरुद्ध शिकायत की है	जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आईसीएस स्कीम के तहत खाने के लिए सुलभ खाद्य के वितरण में भ्रष्टाचार।
8.	27.7.2011	दिल्ली	श्रीमती रूबी सिंह, एस-845, मंगोलपुरी, नई दिल्ली	मंगोलपुरी, नई दिल्ली-83 में आंगनवाड़ी केन्द्र में खाद्य की आपूर्ति में कुप्रबंध।
9.	16.7.2012	दिल्ली	श्री हुकम सिंह राठौर, अध्यक्ष सुल्तान पुरी विकास आवासीय कल्याण एसो. सुल्तानपुरी, नई दिल्ली	सुल्तानपुरी क्षेत्र में आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण के वितरण में अनियमितताएं।
10.	26.4.2011	हरियाणा	श्री शौकत अली, सदस्य, ब्लॉक समिति तथा मेवात क्षेत्र की पंचायतों के सदस्य	ब्लॉक नगीना, जिला मेवात में आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) तथा मध्याह्न भोजन के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
11.	22.8.2012	हरियाणा	निवासीगण, वार्ड संख्या 2 तथा 3 गांव, गुलालता, तहसील, पुनहाना, जिला मेवात, हरियाणा	केन्द्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों द्वारा गांव गुलालता में वार्ड संख्या 2 तथा 3 में एसएनपी वितरित न किया जाना।

1	2	3	4	5
12.	26.9.2011	झारखंड	अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री फेडरेशन	जामतारा में आंगनवाड़ी केन्द्र को एनएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
13.	22.6.2012	झारखंड	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहयिका तथा पर्यवेक्षक, महासंघ, पीएचईडी कालोनी, हिनू रांची, का कर्मचारी संघ	जिला गिरडीह, रांची में आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
14.	19.9.2011	कर्नाटक	श्री योगेश नायक, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय समिति तालुका पंचायत सिमोगा-577202, कर्नाटक	एमएसपीसी गजनूर, सोमोगा तालुका में मशीन न लगने के कारण न्यूट्री मसाला मिक्स का उत्पादन न होने के संबंध में शिकायत।
15.	28.4.2011	मध्य प्रदेश	श्री रघबीर सिंह, जिला शिवपुर	यह शिकायत गांव झण्डा, तहसील नारवार जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी मां कनकावती-स्वसहायता ग्रुप द्वारा गर्म पका हुआ खाना तैयार न किए जाने के संबंध में है।
16.	7.2.2012	मध्य प्रदेश	श्री महेनू पंजीबी गहरोट, सांसद	एसएनपी सामग्री खुले बाजार में बेचने के संबंध में शिकायत।
17.	11.6.2010	महाराष्ट्र	एसएचजी ग्रुप	आंगनवाड़ी केन्द्रों को एसएनपी के तहत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
18.	28.7.2012	महाराष्ट्र	श्री नागौर पुंडीक धनार विधान परिषद् सदस्य महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम (आईसीडीएस) के अंतर्गत खराब गुणवत्ता के कारण घर ले जाने वाले राशन के पैकेटों के वितरण को बंद करने की समीक्षा।
19.	12.9.2012	महाराष्ट्र	श्री नाना पोटले, महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य	महाराष्ट्र राज्य में आईसीडीएस के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार — घर ले जाने वाले राशन की आपूर्ति।
20.	28.10.2011	नागालैंड	श्री ए. जैड लोथा, सचिव, नागालैंड भ्रष्टाचार विरोधी मंच	नागालैंड में एसएनपी की आपूर्ति में तथाकथित घोटाला।
21.	9.3.2011	ओडिशा	श्री रामचंद खुंटिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)	ओडिशा में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति में भ्रष्टाचार।
22.	28.10.2011	राजस्थान	श्री चितरंजन त्रिपाठी	ओडिशा भडक जिले में ब्लॉक - तिहिडि में एसएनपी आपूर्ति का दुर्विनियोजन।

1	2	3	4	5
23.	3.2.2011	राजस्थान	श्रीमती प्रेमदेवी	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की न्युक्ति एवं पूरक पोषण कार्यक्रम के वितरण में अनियमितताएं।
24.	2.9.2011	राजस्थान	ओम प्रकाश सैनी विराट भ्रष्टाचार उन्मूलन मंच, विराटनगर, जयपुर	आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
25.	26.2.2011	राजस्थान	श्री अशोक कुमार जैन, अध्यक्ष बीजेपी विराट नगर, जयपुर	एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं तथा विराट नगर, जयपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्त्रियों तथा पर्यवेक्षकों की अनियमितताएं।
26.	26.2.2011	राजस्थान	श्री ओम प्रकाश साहनी, अध्यक्षा, विराट भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ	एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं तथा विराट नगर, जयपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्त्रियों तथा पर्यवेक्षकों की अनियमितताएं।
27.	06.08.2012	राजस्थान	श्री एम.के. ठकुरिया	एसएनपी की आपूर्ति के लिए समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय में भ्रष्टाचार तथा घोटाला।
28.	22.8.2012	राजस्थान	श्री एम.के. ठकुरिया	पूरक पोषण कार्यक्रम की आपूर्ति में राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय में भ्रष्टचार एवं घोटाला।
29.	1.4.2011	उत्तराखंड	युवा भारत परिषद्	परियोजना स्तर पर खाद्यान्नों की चोरी तथा सीडीपीओ/पर्यवेक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं।
30.	28.7.2010	उत्तर प्रदेश	श्री केशपाल सिंह, हमीरपुर	परियोजना स्तर पर खाद्यान्नों की चोरी तथा सीडीपीओ/पर्यवेक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं।
31.	24.01.2011	उत्तर प्रदेश	श्री कृष्ण कांत शाही	आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण तथा सीडीपीओ द्वारा एसएनपी के वितरण में अनियमितताएं।
32.	28.01.2011	उत्तर प्रदेश	श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान	आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण तथा सीडीपीओ द्वारा एसएनपी के वितरण में अनियमितताएं।
33.	1.4.2011	उत्तर प्रदेश	श्री वच्चन राजभर सदस्य, कांग्रेस पार्टी (भारत) जिला गाजीपुर	सीडीपीओ द्वारा एनएनपी के खाद्यान्नों का बेचा जाना
34.	1.4.2011	उत्तर प्रदेश	श्री दु:ख राम गौतम, जिला अमेठी	आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण तथा एसएनपी के वितरण में अनियमितताएं।

1	2	3	4	5
35.	1.4.2011	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ	आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण तथा सीडीपीओ, माहोती जनपद, सीतापुर द्वारा एनएनपी के वितरण में अनियमतताएं।
36.	13.4.2011	उत्तर प्रदेश	श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा जागरुक जनता मंच, फतेहपुर ब्लॉक जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश	आईसीडीएस पदाधिकारियों द्वारा टीएचआर के 5 बैग में से 4 बैग की बिक्री के संबंध में शिकायत।
37.	13.4.2011	उत्तर प्रदेश	जनसता समाचार पत्र की कतरन	आंगनवाड़ी केन्द्र, नौएडा को एनएनपी (आईसीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति में अनियमितताएं।
38.	13.4.2011	उत्तर प्रदेश	जनसता समाचार पत्र की कतरन	आंगनवाड़ी केन्द्र, उरई, कोएसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
39.	2.7.2012	उत्तर प्रदेश	ग्राम पंचाय कंथारी, ब्लॉक-अरानवा-डाक किरार-जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के फिरोजागाद में आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएनपी के वितरण में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं।
40.	8.7.2011	उत्तर प्रदेश	श्रीमती राधा रानी पांडेय उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, लखनऊ	एसएनपी के लिए उद्दीष्ट सामग्री की बाजार में बिक्री/बासी सामग्री का आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि में वितरण।
41.	21.7.2011	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण के क्रियान्वयन में अनियमितताएं।
42.	26.7.2011	उत्तर प्रदेश	श्री भूपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश	बदायू उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
43.	12.1.2012	उत्तर प्रदेश	डॉ. मोहिन्दर प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, सोनपद, उत्तर प्रदेश	सोनपद, उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
44.	17.1.2012	उत्तर प्रदेश	श्री राम लाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति में अनियमितताएं।
45.	21.3.2012	उत्तर प्रदेश	श्री मरंद दिवाकर, प्रधान ग्राम अंतवा, डाक-जगत नगर, तहसील साफीपुर, जिला उन्नाव	अंतवा केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती संतोष कुमारी द्वारा अंतवा, साफीपुर,

1	2	3	4	5
			उत्तर प्रदेश	जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र को एसएनपी (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य वितरित न किया जाना।
46.	9.4.2012	उत्तर प्रदेश	ग्राम प्रधान, ग्राम दिलौरा-ब्लॉक चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	श्री राजेन्द्र सीतापुर (मनोरगनी) उत्तर प्रदेश की पत्नी श्रीमती सुलेखा, कार्यकर्त्री द्वारा एनएनपीके खाद्यान्नों की बिक्री।
47.	18.4.2012	उत्तर प्रदेश	श्री अजय तिवारी से मऊ न्यूज	राम स्नेही घाट, बाराबंकी, विकास खंड बनीकोदार, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति में अनियमितताएं।
48.	27.4.2012	उत्तर प्रदेश	श्री संभु दयाल, प्रधान, गांव पंचायत, दरियापुर, ब्लॉक सरेनी, जिला रायबरेली	गांव दरियापुर, ब्लॉक सरेनी, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र में पूरक पोषण कार्यक्रम (आईसीडीएस) के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति में बाधाएं।
49.	4.5.2012	उत्तर प्रदेश	समस्त ग्राम निवासी मौहाली, उत्तर प्रदेश	महोली, डाकघर सासौल जीटी रोड, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश की श्रीमती सुधा सुखाला, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा बाजार में पोषण आहार की बिक्री।
50.	3.8.2012	उत्तर प्रदेश	श्री राजा राम बिंद, अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री यूनियन, जिला डींघ	श्रीमती नीलम दीक्षित, पर्यवेक्षक, डींघ, उत्तर प्रदेश द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम के खाद्यान्नों की बिक्री।
51.	10.10.2012	उत्तर प्रदेश	श्री भीष्ण सिंह, जनहित कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	सीडीपीओ द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम के खाद्यान्नों की बिक्री।
52.	26.10.2012	उत्तर प्रदेश	सीतापुर उत्तर प्रदेश	
53.	26.10.2012	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवार्ण समिति, इलाहाबाद	लखनऊ जिले के अंतर्गत महिलाबाद ब्लॉक के आंगनवाड़ी केन्द्र के पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति में अनियमितताएं।
54.	26.10.2012	उत्तर प्रदेश	श्री के.एस. कुरिल अखिल भारतीय दलित जनजागरण एवं चेतना परिषद्, सिविर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोषण के वितरण में अनियमितताएं।

स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच

*107. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कमियों, बीमारी और अपंगता का पता लगाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जांच की जाएंगी;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इसकी कार्यविधि क्या होगी;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत निजी स्कूलों के बच्चों को भी शामिल किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। और इसमें सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6-18 वर्ष के आयु के बच्चों में 3 डी- रोग (डिसीज), विकार (डेफिशियंसी) और अक्षमता (डिसेबिलिटि) के संबंध में जांच करनी अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में जांच किए गए बच्चों को यथापेक्षित द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को रेफर करना भी शामिल है। वर्ष 2012-13 के दौरान, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ब्लॉक स्तर परर समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के दल के अनुमोदन के लिए 16 राज्यों ने अनुरोध किया था। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दिल्ली के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में 2. 642 दल अनुमोदित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूल के 22.54 करोड़ बच्चों की कवरेज का लक्ष्य है। कवर किए जाने वाले बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, पीआईपी के अंतर्गत 399.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन निजी स्कूलों को कवर नहीं किया जाता है। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों ने बड़ी संख्या में बच्चों की एक वर्ष में दो बार कवरेज करने की योजना है और संसाधन सीमित है, अतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिलहाल सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का कवर करना है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 में कवर किए गए जाने वाले प्रस्तावित राज्य-वार विद्यार्थी

क्र. सं.	राज्य	कवर किए जाने वाले विद्यार्थी
1	2	3
क.	**उच्च फोकस वाले राज्य**	
1.	बिहार	4,80,00,000 0-19 वर्ष शामिल
2.	छत्तीसगढ़	30,00,000
3.	हिमाचल प्रदेश	10,97,733
4.	जम्मू और कश्मीर	21,20,400
5.	झारखंड	67,82,635
6.	मध्य प्रदेश	राज्य द्वारा ब्यौरा का साझा नहीं किया गया
7.	ओडिशा	64,46,786 विद्यार्थी

1	2	3
8.	राजस्थान	88,02,361
9.	उत्तर प्रदेश	3,00,00,000 (अनुमानित) 2-14 वर्ष
10.	उत्तर प्रदेश	2,63,151
	उप-योग	13,62,49,916
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**	
11.	अरुणाचल प्रदेश	14,523
12.	असम	42,86,413
13.	मणिपुर	263,580
14.	मेघालय	179,547
15.	मिजोरम	राज्य द्वारा ब्यौरा का साझा नहीं किया गया
16.	नागालैंड	184,905
17.	सिक्किम	167,780
18.	त्रिपुरा	709,716
	उप-योग	58,06,464
ग.	**गैर-उच्च फोकस राज्य**	
19.	आंध्र प्रदेश	35,86,486
20.	गोवा	2,30,000
21.	गुजरात	1,55,67,222
22.	हरियाणा	96,35,547
23.	कर्नाटक	89,91,400
24.	केरल	48,85,928
25.	महाराष्ट्र	1,32,77,924
26.	पंजाब	26,61,549
27.	तमिलनाडु	92,00,000
28.	पश्चिम बंगाल	1,80,11,552
	उप-योग	8,28,97,416
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	77,760
30.	चंडीगढ़	2,27,934
31	दादरा और नगर हवेली	67,685
32	दमन और दीव	15,800
33	दिल्ली	राज्य द्वारा ब्यौरा का साझा नहीं किया गया
34	लक्षद्वीप	15,465
35	पुदुचेरी	69,471
	उप-योग	4,74,115
	महायोग	22,54,27,911

विवरण-II

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय स्वीकृति, एफवाई, 2012-13

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय अनुमोदन (लाख रुपए)
1	2	3
क.	**उच्च फोकस वाले राज्य**	
1.	बिहार	3885.64

1	2	3
2.	छत्तीसगढ़	1527.78
3.	हिमाचल प्रदेश	419.53
4.	जम्मू और कश्मीर	273.21
5.	झारखंड	1372.082
6.	मध्य प्रदेश	(राज्यों ने वर्ष 2012-13 में एनआरएचएम के अंतर्गत निधि के लिए अनुरोध नहीं किया)
7.	ओडिशा	1569.61
8.	राजस्थान	423.66
9.	उत्तर प्रदेश	13723.57
10.	उत्तराखंड	641.02
	उप-योग	23,836.1
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**	
11.	अरुणाचल प्रदेश	106.22
12.	असम	1991.43
13.	मणिपुर	85.62
14.	मेघालय	126.624
15.	मिजोरम	27.85
16.	नागालैंड	313.831
17.	सिक्किम	38.89
18.	त्रिपुरा	18.87
	उप-योग	2,709.335
ग.	**गैर-उच्च फोकस राज्य**	
19.	आंध्र प्रदेश	2395.61
20.	गोवा	68.28
21.	गुजरात	1500
22.	हरियाणा	182.26
23.	कर्नाटक	737.98
24.	केरल	577.49
25.	महाराष्ट्र	2037.69
26.	पंजाब	1105.27
27.	तमिलनाडु	1186.69
28.	पश्चिम बंगाल	3488.15
	उप-योग	13,279.42
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	44.16
30.	चंडीगढ़	48.15
31.	दादरा और नगर हवेली	53.79
32.	दमन और दीव	11.56
33.	दिल्ली	5.9
34.	लक्षद्वीप	5.5
35.	पुदुचेरी	5.44
	उप-योग	174.49
	महा-योग	39,999.36

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

*108. श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती उषा वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन पर कठोर मौद्रिक नीति और उच्च ब्याज दरों जैसे मूल्य वृद्धि-रोधी उपायों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान घरेलू मांग और निर्यात मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति स्वरूप ने उधारों की वर्धित लागत तथा अपेक्षाकृत कम घरेलू निवेश के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। तथापि, जारी औद्योगिक मंदी, कमतर निवेश, वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप निर्यातों हेतु कम मांग, बढ़ती हुई आदान लागतों, अवसंरचना अड़चनों इत्यादि जैसे कारकों के मिश्रण के कारण बनी हुई है।

(ख) कुल अंतिम उपभोग व्यय, सकल पूंजी निर्माण, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में उनके हिस्से पर आधारित निर्यातों तथा आयातों को मिलाकर घरेलू मांग का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अवयव/घटक (प्रतिशत हिस्सा)

सकल घरेलू उत्पाद के घटक	2009-10	2010-11 त्व.अ.	2011-12 सं.अ.
1. कुल अंतिम उपभोग व्यय	69.4	68.4	67.7
1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय	57.4	56.5	56.0
1.2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	12.0	11.9	11.7
2. सकल पूंजी निर्माण	36.1	35.8	35.5
3. निर्यात	20.1	22.8	24.6
4. घटाएं-आयात	25.5	26.9	29.8
5. विसंगतियां	-0.2	-0.1	2.0
मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	100.0	100.0	100.0

स्रोत: सीएसओ; त्व.अ. = त्वरित अनुमान; सं.अ. = संशोधित अनुमान

(ग) देश में औद्योगिक माहौल को सुधारने के लिए, सरकार ने विश्वास बढ़ाने वाले कई उपाए किए हैं। सरकार ने, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाने तथा राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण अंचलों के सृजन के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अनुमोदित की है। किए गए अन्य उपायों में औद्योगिक निवेश का संवर्धन तथा उन्हें सुसाध्य बनाना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए वित्त की बेहतर पहुंच तथा बिजली, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला इत्यादि के क्षेत्रों में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग शामिल है। घरेलू निवेश को अनुपूरित करने के लिए, सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा, विमानन, बिजली तथा प्रसारण जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है। सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक उधारों के मापदंडों को भी उदार बनाया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

***109. श्री हरीश चौधरी :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत आबंटित धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जारी की गई और राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम रहे?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) और (ख) बीआरजीएफ के अंतर्गत निधियों के उपयोग को वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों, अंकेक्षण रिपोर्टों इत्यादि के माध्यम से मानीटर किया जाता है, जिसे राज्यों को आवधिक रूप से प्रस्तुत करना होता है। वास्तव में, किसी प्रकार की राशि तब तक जारी नहीं की जाती जब तक राज्य सरकारों द्वारा राशि जारी किए जाने के प्रस्ताव के साथ ये रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। बीआरजीएफ दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समीक्षा समिति तथा पंचायत स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण तथा सतर्कता के माध्यम से भी कार्यों के अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय क्षेत्रीय दौरे तथा रिपोर्टिंग के माध्यम से बीआरजीएफ योजना की मानीटरिंग हेतु राष्ट्रीय स्तर के मानीटरों को नियुक्त करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी निधियों तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय इस स्कीम के तहत हकदारियों की समय पर निर्मुक्ति को संभव बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों के साथ कार्य योजनाओं के शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकटता से अनुसरण करता है। राज्य सरकारों को राज्य समेकित निधि में निधियां जारी होने के 15 दिनों के भीतर पंचायतों को अनुमोदित निधियां हस्तांतरित करनी होती है, ऐसा न होने पर दंडात्मक ब्याज देय हो जाता है। समीक्षा बैठकें, वीडियो सम्मेलन तथा राज्यों में मंत्रालय के अधिकारियों के दौरे कुछ अन्य ऐसे उपाय हैं जो योजना के अंतर्गत निधियों क सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।

विवरण

पंचायती राज मंत्रालय की बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत गत तीन वित्त वर्षों (2009-10 से 2011-12 तक) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी निधियों एवं सूचित उपयोग का विवरण (दिनांक 19.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	बीआरजीएफ जिलों की संख्या		वार्षिक हकदारी				2009-10	
		2006-07 से 2011-12	2012-13	2006-07	2007-08 से 2010-11	2011-12	2012-13	जारी निधियां	सूचित उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	249.31	348.28	389.77	389.77	357.39	357.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	13.30	15.47	16.38	16.38	14.67	12.79
3	असम	11	13	145.44	168.19	177.75	205.76	56.03	54.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	36	38	522.48	638.99	688.05	722.70	518.99	491.85
5.	छत्तीसगढ़	13	15	197.50	248.48	269.80	284.75	216.06	216.06
6.	गुजरात	6	6	87.40	107.31	115.64	115.64	96.64	93.05
7.	हरियाणा	2	2	26.38	30.44	32.15	32.15	19.35	19.35
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	26.39	30.50	32.22	32.22	27.41	27.41
9.	जम्मू और कश्मीर	3	5	41.18	48.85	52.06	73.98	9.00	0.00
10.	झारखंड	21	23	289.39	343.56	366.31	388.16	209.18	209.18
11.	कर्नाटक	5	6	82.53	108.17	118..91	131.06	103.27	103.27
12.	केरल	2	2	28.41	34.33	36.83	36.83	24.21	23.84
13.	मध्य प्रदेश	24	30	361.49	452.40	490.50	586.88	315.65	315.65
14.	महाराष्ट्र	12	12	201.15	265.57	292.56	292.56	228.19	228.19
15.	मणिपुर	3	3	37.69	42.09	43.93	43.93	27.71	27.71
16.	मेघालय	3	3	36.63	40.01	41.44	41.44	23.50	23.50
17.	मिजोरम	2	2	23.54	24.98	25.58	25.58	21.28	21.28
18.	नागालैंड	3	5	36.64	40.05	41.48	63.53	43.04	43.04
19.	ओडिशा	19	20	273.35	324.67	339.96	360.03	223.67	211.56
20.	पंजाब	1	1	13.94	16.65	17.80	17.80	15.80	15.80
21.	राजस्थान	12	13	199.68	262.99	289.45	304.30	141.42	141.42
22.	सिक्किम	1	1	12.53	13.97	14.58	14.58	11.59	11.59
23.	तमिलनाडु	6	6	90.94	114.04	123.74	123.74	62.09	62.09
24.	त्रिपुरा	1	1	12.14	13.21	13.66	13.66	8.58	8.58
25.	उत्तर प्रदेश	34	35	510.28	636.09	689.05	702.17	579.87	579.87
26.	उत्तराखंड	3	3	39.11	44.85	47.24	47.24	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	11	11	191.16	255.90	283.14	283.14	181.10	181.10
	कुल	250	272	3749.98	4670.04	5049.98	5349.98	3534.96	3479.62

-जारी

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13 (19.11.2012)		कुल	
		जारी निधियां	सूचित उपयोग	जारी निधियां	सूचित उपयोग	जारी निधियां	सूचित उपयोग	जारी निधियां	सूचित उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	348.34	342.71	366.59	180.92	135.89	0.00	1208.21	881.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.70	9.46	10.70	0.00	0.00	0.00	38.07	22.25
3.	असम	139.12	60.84	59.39	5.49	29.51	0.00	284.05	121.10
4.	बिहार	740.25	632.59	408.58	121.81	203.88	0.83	1871.70	1247.08
5.	छत्तीसगढ़	280.90	276.98	259.94	166.14	146.82	0.00	903.72	659.18
6.	गुजरात	103.16	99.86	109.64	47.40	37.84	0.00	347.28	240.31
7.	हरियाणा	39.53	39.53	18.67	9.99	19.26	0.00	96.81	68.87
8.	हिमाचल प्रदेश	30.50	30.50	23.62	10.90	8.60	0.00	90.13	68.81
9.	जम्मू और कश्मीर	41.26	27.21	30.40	0.00	4.00	0.00	84.66	27.21
10.	झारखंड	331.02	216.61	183.60	9.84	44.90	0.00	768.70	435.63
11.	कर्नाटक	118.48	104.61	92.74	40.31	40.00	1.58	354.49	249.77
12.	केरल	31.59	20.81	34.66	0.00	0.67	0.00	91.13	44.65
13.	मध्य प्रदेश	535.80	507.10	403.37	94.99	122.18	0.00	1377.00	917.74
14.	महाराष्ट्र	290.95	290.95	255.09	175.66	189.79	3.77	964.02	698.57
15.	मणिपुर	54.32	48.54	32.16	8.72	12.91	0.00	127.10	84.97
16.	मेघालय	50.42	48.84	24.60	10.59	13.68	0.00	112.20	82.93
17.	मिजोरम	28.68	28.20	24.90	21.42	19.16	0.00	94.02	70.90
18.	नागालैंड	40.04	40.04	41.48	40.90	34.61	0.00	159.17	123.98
19.	ओडिशा	385.20	381.24	325.95	146.78	120.79	0.00	1055.61	739.58
20.	पंजाब	18.22	17.83	15.50	0.08	0.00	0.00	48.80	32.99
21.	राजस्थान	304.68	295.53	286.15	104.80	100.42	0.00	832.67	541.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	सिक्किम	15.92	15.92	14.21	2.54	0.53	0.00	42.25	30.05
23	तमिलनाडु	113.28	110.10	106.03	49.88	16.40	0.00	297.80	222.07
24	त्रिपुरा	13.21	13.21	13.66	13.05	11.58	0.00	47.03	34.84
25	उत्तर प्रदेश	668.09	594.45	540.81	172.92	67.06	0.00	1855.83	1347.24
26	उत्तराखंड	37.66	27.71	29.54	6.98	4.00	0.00	71.20	34.69
27	पश्चिम बंगाल	276.68	251.30	205.02	112.56	142.97	4.19	805.77	549.15
	कुल	5050.00	4532.67	3917.00	1554.67	1527.45	10.37	14029.41	9577.33

[अनुवाद]

पर्यटकों का आना

110. श्री रायय्या सिरिसिल्ला :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार भ्रमण करने वाले स्वदेशी पर्यटकों और देश-वार विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या है अथवा 2012-13 के दौरान उनकी अनुमानित संख्या क्या होगी तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें और वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या पर्यटन उद्योग ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर छूट और अवसंरचना विकास सहित विभिन्न रियायतें दिए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) देश में आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने तथा पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने हेतु अन्य क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है तथा इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) वर्ष 2011 के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्वदेशी पर्यटक भ्रमण (डीटीवी) तथा विदेशी पर्यटक भ्रमण (एफटीवी) की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्तमान वर्ष के लिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। एफटीवी के लिए राष्ट्र-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2011 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या, जोकि एफटीवी से भिन्न है, 63.1 लाख (6.31 मिलियन) थी। वर्ष 2011 के दौरान कुल संख्या के 0.01% से अधिक की हिस्सेदारी वाले स्रोत देशों से विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। वर्ष 2012-13 (अप्रैल से अक्तूबर तक) के दौरान भारत में अनुमानित तौर पर विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 32.3 लाख (3.23 मिलियन) (अनंतिम) है। वर्ष 2012-13 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन का राष्ट्र-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से अक्तूबर तक) के दौरान देश के लिए पर्यटन से सम्पूर्ण रूप से अनुमानित तौर पर 49,247 करोड़ रुपए (अनंतिम) की विदेशी मुद्रा आय (एफईई) हुई है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन से अर्जित राजस्व के राज्य-वार आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय के स्रोत का राष्ट्र-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

(ख) पर्यटन क्षेत्र द्वारा सृजित होने वाले रोजगार के ब्यौरे वार्षिक आधार पर नहीं रखे जाते हैं। भारत का पिछला पर्यटन सेटेलाइट एकाउंट वर्ष 2002-03 के लिए तैयार किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष दोनों) 3.86 करोड़ (38.6 मिलियन) थी। उक्त पर्यटन सैटेलाइट एकाउंट राज्य-वार आंकड़े प्रदान नहीं करता है।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देता है और इस प्रकार अवसंरचना के सृजन; विदेश एवं देश में संवर्धन; और रोजगार लायक कौशल प्रदान करने, उसे उन्नत करने एवं उसके प्रमाणन के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र रोजगार में वृद्धि करता है।

(ग) और (घ) पारस्परिक रूप से अवसंरचना विकास एवं कर प्रोत्साहन के संबंध में स्टेकहोल्डरों के साथ पर्यटन क्षेत्र से संबंधित बैठकों के दौरान उठाए गए विभिन्न मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) इनबाउंड टूर ऑपरेटरों के लिए आय हेतु मानित निर्यात दर्जा।

(ii) सेवा प्रदाताओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एडी के अंतर्गत आयकर लाभ का एक्सटेंशन।

(iii) हेरिटेज होटलों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एडी के अंतर्गत आयकर लाभ का एक्सटेंशन।

(iv) होटलों एवं वातानुकूलित रेस्तराओं पर लगने वाले सेवा कर को वापस लेना।

(v) ऐसी होटल परियोजनाएं जिसमें कम-से-कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त कमरे जोड़े गए हों, के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एडी के अंतर्गत आयकर लाभ का एक्सटेंशन।

आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है:—

(i) यूनेस्को द्वारा घोषित सभी विश्व विरासत स्थलों (दिल्ली तथा मुम्बई को छोड़कर) में स्थित 01.04.2008 से 31.03.2013 के बीच कार्यरत होने वाले 2, 3 एवं 4 सितारा श्रेणी के होटलों के लिए पांच वर्ष का कर अवकाश।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के अंतर्गत निवेश से जुड़ी कटौती को भारत में कहीं भी स्थित 2 सितारा श्रेणी या उससे ऊपर के नए होटलों के लिए विस्तारित किया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान भूमि, लाख और वित्तीय दस्तावेज (इन्स्टरूमेन्ट्स) को छोड़कर सम्पूर्ण अथवा किसी भी प्रकार के पूंजीगत प्रकृति के व्यय के वहन के संबंध में 100% कटौती की मंजूरी होगी।

(iii) 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 सितारा अथवा उससे उच्चतर श्रेणी वाले वर्गीकृत होटलों को अवसंरचना उपक्षेत्र की हारमोनाइज सूची में शामिल किया जाना।

(ङ) आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होटल प्रबंध संस्थानों एवं भोजन कला संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग के लिए जनशक्ति सृजित करने के लिए पेशेवर शिक्षा दी जाती है।

(ii) पर्यटन मंत्रालय के पास एक प्लान योजना है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए तथा भोजन कला संस्थान (एफसीआई) की स्थापना के लिए 4.75 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, आतिथ्य शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए निधियों की उपलब्धता, योजना दिशा-निर्देशों के नियमों व शर्तों के अनुपालन तथा उनकी पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निकों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए 2 करोड़ रुपए; और विद्यालयों के लिए 25 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की जा सकती है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय 'हुनर से रोजगार' और 'कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन' के नाम से दो विशेष कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहा है। 'हुनर से रोजगार' कार्यक्रम का लक्ष्य 28 वर्ष से कम आयु वाले 8वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के बीच रोजगार लायक कौशल का सृजन करना है। 'कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन' कार्यक्रम आतिथ्य क्षेत्र में पहले से ही रोजगार प्राप्त मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशल को प्रमाणित करता है।

विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकों हेतु सुविधाओं में सुधार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों में गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की मंत्रालय की प्लान योजना के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना तथा मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण/उन्नयन तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य के राजमार्गों और अन्य स्थानों से पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले सड़क संपर्क में सुधार करना शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न प्लान योजनाओं के लिए वार्षिक योजना 2012-13 में 1210 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण

(आंकड़े लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011 (अनंतिम)	
		स्वदेशी पर्यटक भ्रमण	विदेशी पर्यटक भ्रमण
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.02	0.16
2.	आंध्र प्रदेश	1531.20	2.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.33	0.05
4.	असम	43.39	0.16
5.	बिहार	183.97	9.72
6.	चंडीगढ़	9.10	0.37
7.	छत्तीसगढ़*	6.44	0.02
8.	दादरा और नगर हवेली	4.22	0.01
9.	दमन और दीव	8.33	0.04
10.	दिल्ली#	154.29	21.60
11.	गोवा	22.25	4.46
12.	गुजरात	210.17	1.66
13.	हरियाणा	59.88	1.30
14.	हिमाचल प्रदेश	146.05	4.85
15.	जम्मू और कश्मीर	130.72	0.72
16.	झारखंड	107.96	0.72
17.	कर्नाटक	841.07	5.74
18.	केरल	93.81	7.33
19.	लक्षद्वीप	0.09	0.01
20.	मध्य प्रदेश	441.20	2.70
21.	महाराष्ट्र	553.33	48.15
22.	मणिपुर	1.35	0.01
23.	मेघालय	6.68	0.05
24.	मिजोरम	0.62	0.01
25.	नागालैंड	0.25	0.02
26.	ओडिशा	82.71	0.61
27.	पुदुचेरी	8.98	0.52
28.	पंजाब	164.17	1.51
29.	राजस्थान	271.37	13.52
30.	सिक्किम	5.52	0.24
31.	तमिलनाडु	1375.13	33.74
32.	त्रिपुरा	3.60	0.06
33.	उत्तर प्रदेश	1554.30	18.87
34.	उत्तराखंड	259.46	1.25
35.	पश्चिम बंगाल	222.57	12.13
	कुल	8508.57	194.95

*अखिल भारतीय वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए अनुमानित।

#स्वदेशी पर्यटक भ्रमण का अनुमान अखिल भारतीय वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए लगाया गया है, विदेशी पर्यटक भ्रमण के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटक आगमन के अग्रिम अनुमानों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

नोट: अंकों को पूर्णांकित (राउंडिंग ऑफ) करने के कारण योग मेल नहीं खा सकता है।

विवरण-II

वर्ष 2011 के दौरान कुल संख्या में 0.01% से अधिक की हिस्सेदारी वाली स्रोत देशों से भारत में क्षेत्र एवं राष्ट्रीयता-वार विदेशी पर्यटक आगमन

राष्ट्रीयता वाला देश	आगमन की संख्या 2011
1	2
उत्तरी अमेरिका	
कनाडा	259017
यूएसए	980688
कुल	1239705
मध्य और दक्षिण अमेरिका	
अर्जेंटीना	9391
ब्राजील	17268
मेक्सिको	10876
अन्य	23453
कुल	60988
पश्चिमी यूरोप	
आस्ट्रिया	36483
बेल्जियम	40478
डेनमार्क	34683
फिनलैंड	23730
फ्रांस	231423
जर्मनी	240235
यूनान	7253
आयरलैंड	22089
इटली	100889
नीदरलैंड	75153
नार्वे	24578
पुर्तगाल	24061
स्पेन	71405
स्वीडन	48690
स्विटजरलैंड	46332
यू.के.	798249
अन्य	12964
कुल	1838695
पूर्वी यूरोप	
चेक गणराज्य	11256
हंगरी	6900
कजाकस्तान	9810
पोलैंड	28499
रूस	144312
यूक्रेन	23467
अन्य	50354
कुल	274598
अफ्रीका	
मिस्र	8791
कीनिया	30045

1	2
मॉरीशस	22091
नाइजीरिया	33537
दक्षिण अफ्रीका	58430
सूडान	2328
तंजानिया	19470
अन्य	57694
कुल	232386
पश्चिम एशिया	
बहरीन	9587
ईरान	43399
इराक	30808
इजरायल	48089
ओमान	40577
सऊदी अरब	26268
तुर्की	17359
यू.ए.ई.	66383
यमन अरब गणराज्य	14955
अन्य	24747
कुल	322172
दक्षिण एशिया	
अफगानिस्तान	89605
मालदीव	53999
नेपाल	119131

1	2
पाकिस्तान	48640
बांग्लादेश	463543
श्रीलंका	305853
भूटान	15489
कुल	1096260
दक्षिण पूर्व एशिया	
इंडोनेशिया	32530
मलेशिया	208196
म्यांमार	25043
फिलीपींस	31151
सिंगापुर	119022
थाईलैंड	92404
वियतनाम	9809
अन्य	3600
कुल	521755
पूर्वी एशिया	
चीन (मुख्य)	142218
चीन (ताइवान)	25916
जापान	193525
कोरिया गणराज्य	108680
अन्य	5612
कुल	475951

1	2
आस्ट्रेलेशिया	
आस्ट्रेलिया	192592
न्यूजीलैंड	36839
अन्य	3734
कुल	233165
अन्य	1144
राज्य रहित	12403
कुल योग	6309222

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो, भारत।

[अनुवाद]

विजय केलकर समिति

***111. श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री बिभू प्रसाद तराई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशके राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में विश्व में भारती की स्थिति क्या है;

(ख) राजकोषीय समेकन संबंधी विजय केलकर समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति ने हाल ही में कोई रिपोर्ट दी है/सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राजकोषीय घाटा कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश के राजकोषीय घाटे का ब्यौरा और कारण **निम्नानुसार हैं:—**

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राजकोषीय घाटा	418482	373591	509731	513590
2.	सघउ के % के रूप में	6.5%	4.9%	5.8%	5.1%

2009-10 में राजकोषीय घाटा अपेक्षाकृत अधिक गैर-योजना राजस्व व्यय, खास तौर से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा पेंशन के बकायों के भुगतान की वजह से बढ़ा है। 2010-11 में राजकोषीय घाटा, 3जी एवं ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) की नीलामी के जरिए वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अधिक करभिन्न प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष करों से हुई उच्च कर प्राप्तियों के कारण, 2009 के मुकाबले कम रहा। 2011-12 में राजकोषीय घाटे में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, जिसकी वजह से सब्सिडी में अधिक राशि व्यय हुई, और विश्व अर्थव्यवस्था में, खासतौर से यूरोजोन में, मंदी के कारण हुई।

भारत की राजकोषीय स्थिति की विश्व के अन्य देशों की राजकोष्जीय स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्य्य राजकोषीय मानदंड भिन्न-भिनन होते हैं।

(ख) इस समिति को, एफआरबीएम अधिनियम तथा संबद्ध लक्ष्योंके अनुसरण में, मध्यकालिक ढांचे में राजकोषीय समेकन हेतु रूपरेखा तैयार कर रिपोर्ट देने के लिए अधिदेशित किया गया था। समिति को वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में मध्यकालिक सुधारों को शुरू करने और 13वीं वित्त आयोग की शेष समयावधि के लिए इस आधार पर मध्यावधिक ढांचा तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया था।

(ग) समिति ने कराधान, विनिवेश तथा व्यय में कई सुधारपरक उपायों की अनुशंसा की है। कराधान पक्ष में, समिति ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के पारण तथा प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को संसद में पेश एवं पारित करने से पूर्व, इसको फिर से शीघ्र देखे जाने की पुरजोर वकालत की है। इसके अलावा, समिति ने कर संग्रह में सुधार हेतु प्रशासनिक उपायों की भी अनुशंसा की है। विनिवेश के संबंध में, समिति ने विनिवेश के लिए कई नए मॉडल सुझाए हैं और पहले निजीकरण की गई कुछ कंपनियों में अपनी शेष हिस्सेदारी का विनिवेश करने का भी सरकार से अनुरोध किया है। व्यय पक्ष

के संबंध में, समिति ने स्कीमों के यौक्तिकीकरण और व्यय का कड़ाई से नियंत्रण एवं निगरानी का सुझाव दिया है। ये सिफारिशें अपने आपमें पूर्ण हैं तथा इन्हें सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। राजस्व तथा व्यय विभाग ने समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। विनिवेश विभाग ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाल्को, सेल, आरआईएनएल, भेल, ओआईएल, एमएमटीसी एवं एनएमडीसी में विनिवेश हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

(घ) सरकार ने 12वीं योजनावधि अर्थात् 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजकोषीय समेकन की निम्नांकित योजना को अंगीकार करने का निर्णय भी लिया है:-

वर्ष	राजकोषीय घाटा (%)
2012-13	5.3
2013-14	4.8
2014-15	4.2
2015-16	3.6
2016-17	3.7

सरकार ने सरकारी व्यय के यौक्तिकीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) चालू वित्त वर्ष में, सरकार ने वृहत आर्थिक माहौल में सुधार के उद्देश्य से आर्थिक उपाय जैसे व्यय का यौक्तिकीकरण और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किए है। इन उपायों में शामिल हैं जैसे, चालू वित्त वर्ष में आयोजना-भिन्न व्यय पर 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती, पांच सितारा होटलों में बैठकों और सम्मेलनों के आयोजन पर रोक, आयोजना और आयोजना-भिन्न पदों के सृजन पर रोक, विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध, निधियों के पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंध, राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन का पालन, जेसे किसी संगठन को निधि उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाएगी। कोई भी निधि, ऐसे अंतरणों (समतुल्य निधिपोषण) आदि से संबद्ध शर्तों को शिथिल करके जारी नहीं की जाएगी;

(ii) सरकार ने मासिक व्यय आयोजना और नकद प्रबंधन प्रणाली के तहत (क) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों के 33 प्रतिशत और (ख) मार्च माह में बजट अनुमानों के 15 प्रतिशत तक का व्यय संबंधी प्रतिबंध भी लगाया है;

(iii) सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को अधिप्राप्त की जा रही वस्तुओं और सेवाओं हेतु अग्रिम भुगतानों के विरुद्ध सलाह दी है;

(iv) मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों को सलाह दी गई है कि वे इन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें और इन उपायों/दिशानिर्देशों पर की गई विभिन्न कार्रवाइयों के संबंध में तिमाही आधार पर प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्रालय को समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(v) सरकार ने व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारण के साथ "मध्यावधिक व्यय रूपरेखा विवरण" शुरू किया है ताकि प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए आबंटन हेतु नए सिरे से पहले की जाए तथा जो स्कीमें उपादेय नहीं हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। इससे व्यय प्रबंधन में कुशलता को बढ़ावा मिलेगा; और

(vi) सरकार केंद्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को सीमित करने का भी प्रयास करेगी।

आशा है कि ब्याज की अदायगी, ऋण की वापसी उपर्युक्त कदमों और उपायों से अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान जैसे अनिवार्य व्यय को छोड़कर व्यय की निर्दिष्ट मदों के तहत सरकारी व्यय में कमी/यौक्तिकीकरण आएगी। सरकार को यह भी उम्मीद है कि व्यय को काबू में रखा जाएगा और मितव्ययिता बरती जाएगी। वर्तमान में, सरकारी व्यय और प्राप्तियों की मध्यावधि समीक्षा का काम चल रहा है और ऐसी समीक्षा के परिणाम 2013-14 का बजट प्रस्तुत करते समय संशोधित अनुमान 2012-13 में दर्शाए जाएंगे।

इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1

*112. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 के नए मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला और कितने व्यक्ति उपचार से ठीक हो गए तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) उक्त इन्फ्लुएंजा से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रोगियों के समुचित निदान और उपचार हेतु राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा संबंधित दवाओं और टीकों की पर्याप्त मात्र में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हो/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 की विश्वमारी में गिरावट आई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह पश्च-विश्वमारी (पोस्ट पेन्डमिक) अवधि में पहुंच चुका है। विश्वमारी इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 विषाणु अब मौसमी इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 विषाणु के रूप में संरचण कर रहा है तथा पूरे देश से छिट-पुट प्रकोपों की सूचना मिली है। विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के संबंध में प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट मामलों और मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विश्वमारी के प्रभाव को कम करने हेतु कार्य योजना में बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा ग्राउंड क्रासिंग्स पर विश्वमारी इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 की निगरानी, प्रयोगशाला सहायता, बड़ी संख्या में जांच केन्द्री खोलकर अस्पताल प्रणाली अनुक्रिया का संवर्धन, पृथक्करण सुविधाएं (आइसोलेशन फैसिलिटी) तथा पूरे देश में गहन चिकित्सा सुविधाएं, ओसेल्टामिविर औषध का स्टॉक जमा करना, उच्च जोखिम समूहों का टीकाकरण, जनमानस में प्रिंट और विजुअल मीडिया के जरिए जागरुकता बढ़ाना, 24x7 काल सेंटरों के जरिए जनता के प्रश्नों का उत्तर देना तथा दिन-प्रति-दिन आधार पर स्थिति का मॉनीटरन करना शामिल था।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदत्त वित्तीय और तकनीकी सहायता इस प्रकार है:—

- डब्ल्यूएचओ से प्राप्त 2.4 करोड़ रुपए की धनराशि को इस्तेमाल किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्रुत अनुक्रिया दलों (रेपिट रेसपोन्स टीमों) और डॉक्टरों (फिजिशियन) को प्रशिक्षित किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

- सरकारी क्षेत्र में 26 प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। इन प्रयोगशालाओं का इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 के निदान के लिए सुदृढ़ीकरण किया गया था और इन्हें नैदानिक अभिकर्मक (रीजेन्ट्स) प्रदान किए गए थे। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

- सूचना, शिक्षा, संप्रेषण सामग्री तैयार की गई और इसका 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया तथा इसे सभी राज्यों को दिय गया। इसके अतिरिक्त जन-जागरुकता पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मीडिया अभियान शुरू किया गया था।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रोगी, प्रयोगशाला जांच तथा क्लीनिकल प्रबंधन के वर्गीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

- इसके अलावा, निम्नलिखित वस्तुगत सहायता भी प्रदान की गई:—

  - इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 का उपचार करने वाली औषध ओसेल्टामिविर की राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आपूर्ति की गई।

  - विश्वमारी एच1एन1 वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराकों का प्रापण किया गया तथा इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को प्रदान किया गया।

  - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय स्टॉकपाइल से उनकी आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कर, सार्जिकल मास्क और एन-95 मास्क प्रदान किए गए।

(ङ) इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 के उपचारार्थ ओसेल्टामिविर कैप्सूलों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। देश में इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 वैक्सीन के विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता उपलबध है।

विवरण-I

वर्ष 2009-2012 के दौरान इंफ्लुएंजा ए एच1एन1 के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य	मई, 2009 दिसम्बर, 2009		जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2010		जनवरी, 2011-दिसम्बर, 2011		जनवरी, 2012-नवम्बर, 2012	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	0	2	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	777	52	733	49	11	1	310	33
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	47	1	5	1	0	0	0	0
5.	बिहार	7	0	0	0	1	0	0	0
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	257	8	75	0	0	0	1	0
7.	छत्तीसगढ़	46	2	50	12	0	0	10	3
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	2	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	8439	72	2725	77	25	2	72	1
11.	गोवा	63	5	68	1	7	0	9	0
12.	गुजरात	697	125	1682	363	7	4	83	28
13.	हरियाणा	1888	34	216	16	6	4	14	5
14.	हिमाचल प्रदेश	14	7	10	3	14	3	2	2
15.	जम्मू और कश्मीर	93	2	20	2	13	1	0	0
16.	झारखंड	1	0	1	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	1872	138	2575	116	100	12	810	44
18.	केरल	1579	32	1533	89	210	10	619	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	20	8	395	110	9	4	150	26
21.	महाराष्ट्र	4594	270	6814	669	26	5	1493	125
22.	मणिपुर	1	0	1	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	8	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	4	1	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	26	3	92	29	0	0	2	0
27.	पुदुचेरी	87	6	50	6	1	0	60	2
28.	पंजाब	114	33	139	14	46	14	13	3
29.	राजस्थान	3032	150	1710	153	36	11	205	28
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	2062	7	1184	13	34	4	590	29
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तराखंड	129	10	25	7	0	0	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	1215	14	376	29	57	0	124	0
35.	पश्चिम बंगाल	135	0	121	4	0	0	0	0
	संचयी योग	27236	981	20604	1763	603	75	4568	344

विवरण-II

जिला स्तरीय द्रुत अनुक्रिया दलों तथा क्लीनिशियनों के लिए जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण कार्यशाला (ओं) की संखा	धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	821700
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	547800
3.	असम	3	821700
4.	बिहार	4	1095600
5.	छत्तीसगढ़	2	547800
6.	गोवा	1	273900

1	2	3	4
7.	गुजरात	6	564000
8.	हरियाणा	3	821700
9.	हिमाचल प्रदेश	2	547800
10.	जम्मू और कश्मीर	2	547800
11.	झारखंड	3	821700
12.	कर्नाटक	3	821700
13.	केरल	2	547800
14.	मध्य प्रदेश	6	1643400
15.	महाराष्ट्र	4	1095600
16.	मणिपुर	1	739200
17.	मेघालय	1	273900
18.	मिजोरम	1	273900
19.	नागालैंड	1	273900
20.	ओडिशा	4	1095600
21.	पंजाब	6	1467000
22.	राजस्थान	4	1095600
23.	सिक्किम	1	273900
24.	तमिलनाडु	6	1970700
25.	त्रिपुरा	6	1378800
26.	उत्तराखंड	2	547800
27.	उत्तर प्रदेश	8	2191200
28.	पश्चिम बंगाल	2	547800
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273900
30.	दिल्ली	1	273900
31.	लक्षद्वीप	1	273900
32.	पुदुचेरी	1	273900
	कुल		24279600

विवरण-III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 जांच हेतु प्रयोगशालाएं

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	निवारक चिकित्सा संस्थान, हैदराबाद नारायनगुडा, हैदराबाद-500029
		सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक, हैदराबाद, भवन 7, गुहाकालपा, 5-4-399/बी, नामपल्ली, हैदराबाद-500001
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर पोस्ट बैग सं. 13 पोर्ट ब्लेयर-744101
3.	असम	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रूगढ़-786001

1	2	3
4.	अरुणाचल प्रदेश	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रूगढ़-786001
5.	बिहार	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना-800007
6.	चंडीगढ़	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर-12, चंडीगढ़ पिन-160012
7.	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
8.	दादरा और नगर हवेली	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, असार्वा अहमदाबाद-380016
9.	दमन और दीव	हाफकिन संस्थान, मुंबई, आचार्य डोंडे मार्ग, परेल, मुंबई
10.	दिल्ली	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
		वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
		अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंसारी नगर नई दिल्ली-110016
11.	गोवा	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
12.	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, असार्वा, अहमदाबाद-380016 (गुजरात)
		न्यू सिविल अस्पताल, सूरत, गुजरात
13.	हरियाणा	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
		पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर-12, चंडीगढ़ पिन-160012
14.	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र अनुसंधान संस्थान, कसौली जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173204
		इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला-171001
15.	जम्मू और कश्मीर	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
16.	झारखंड	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010
17.	कर्नाटक	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), होसुर रोड, बंगलूरु-560029
18.	केरल	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, थाईकॉड पीओ, पूजापूरा, तिरुवनंतपुरम-695014
19.	लक्षद्वीप	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, थाईकॉड पीओ, पूजापूरा, तिरुवनंतपुरम-695014
20.	मध्य प्रदेश	रक्षा अनुसंधान विकास स्थापना झांसी रोड, ग्वालियर
		आरएमआरसी, जबलपुर, मध्य प्रदेश

1	2	3
21.	महाराष्ट्र	हाफकिन संस्थान, मुंबई आचार्य डोंडे मार्ग, परेल, मुंबई-400012 राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे, 20/ए, डॉ. अम्बेडकर रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 11, पुणे-411021 राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, माइक्रोबियल रोकथाम केन्द्र, एमसीसी 130/1 सुस रोड, पुणे, 20/ए, डॉ. अम्बेडकर रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 11, पुणे-411021
22.	मणिपुर	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010
23.	मेघालय	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रूगढ़-786001
24.	मिजोरम	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010
25.	नागालैंड	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रूगढ़-786001
26.	ओडिशा	रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, चन्द्रशेखरपुर, नंदनकानन रोड, भुवनेश्वर-751016
27.	पुदुचेरी	जेआईपीएमईआर, धनवंतरी नगर, गोरीमडु, पुदुचेरी-605006
28.	पंजाब	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर-12, चंडीगढ़ पिन-160012
29.	राजस्थान	उन्नत बेसिक विज्ञान एवं क्लीनिकल रिसर्च प्रयोगशाला, सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्युनोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, पालजी रोड, जोधपुर वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
30.	उत्तराखंड	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंसारी नगर, नई दिल्ली-110016
31.	सिक्किम	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010
32.	तमिलनाडु	किंग निवारक चिकित्सा संस्थान, गिंडी, चेन्नई-600032
33.	त्रिपुरा	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010
34.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), रायबरेली रोड, लखनऊ-226014, भारत
35.	पश्चिम बंगाल	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज, कोलकाता पी-33, सीआईटी रोड, योजना एक्सएम, बेलघाट, कोलकाता-700010

प्रतिबंधित दवाएं

*113. श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दर्द निवारक दवाओं सहित कतिपय दवाओं के दुष्प्रभावों के पता चले मामलों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में प्रतिबंधित/अमान्य दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में देश के भीतर/देश के बाहर प्रतिबंधित/अमान्य कतिपय दवाओं के विनिर्माण, विपणन और वितरण के मामले आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ निर्धारित औषधियों के प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

1. "12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमेसुलाईड फार्मूलेशन का मानवीय प्रयोग" के उत्पादन, वितरण एवं बिक्री पर औषध एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत दिनांक 10.02.2011 के राजपत्र अधिसूचना 82(ई) द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. राज्य औषध नियंत्रकों से अनुरोध किया गया है कि वे निमेसुलाईड फार्मूलेशन के उत्पादकों को यह निदेश जारी करें कि वे 12 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के मरीजों में इनका उपयोग करें तथा वे इसकी पैकिंग पर तथा निमेसुलाईड फार्मूलेशन के अन्य प्रोन्नति साहित्य व यह चेतावनी भी अंकित करें। "निमेसुलाईड का प्रयोग सामान्यत: 10 दिन तक ही सीमित होना चाहिए। यदि इसके अधिक समय तक इस्तेमाल करना आवश्यक हो तो यकृत की कार्य प्रणाली का नियमित अंतराल पर परीक्षण कराया जाए।"

3. राज्य औषध नियंत्रकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रति गोली अथवा कैप्सूल 325 मिग्रा. से अधिक मात्रा वाले पैरासिटामोल के मिश्रित उत्पादों के लिए नए लाइसेंसों अथवा उनके नवीनीकरण को स्वीकृति न दें। 325 मिग्रा. से अधिक मात्रा वाले पैरासिटामोल के मिश्रित उत्पादों की बिक्री करने वाले उत्पादकों की पैरासिटामोल अवयवों को 3 वर्ष के भीतर 325 मिग्रा. तक सीमित होनी चाहिए।

4. राज्य औषध नियंत्रकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उन उत्पादकों को, जो स्टैटिन समूह की कोलेस्टरॉल के स्तर में कमी लाने वाली औषधियों की बिक्री करते हैं, यह निर्देश जारी करें कि वे स्टैटिन उपयोग के संबंध में निर्धारित कोगनिटिव प्रभावों, हाईपरग्लाईसोमिया आदि के संबंध में सुरक्षा परिवर्तनों को लागू करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित औषधियों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है/निलम्बित कर दिया है।

1. रिमोनोबेंट

2. रोसिगर्लटोजोन

3. निमेसुलाईड फार्मूलेशन – 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों में।

4. सिसाप्राईड एवं इसके फार्मूलेशन – मानवीय प्रयोग के लिए।

5. फिनाईलप्रोपेजेनोलेमाईन एवं इसके फार्मूलेशन – मानवीय प्रयोग के लिए।

6. मानवीय प्लेसेन्टल एक्सट्रेक्ट एवं इसके फार्मूलेशन मानवीय प्रयोग के लिए इसके

   (i) टॉपिकल एप्लीकेशन घाव भरने के लिए एवं

   (ii) पैलविक इंफेलेमेटरी बिमारियों के लिए इंजेक्शन के अतिरिक्त।

7. सिब्यूट्रेमाईन एवं इसके फार्मूलेशन – मानवीय प्रयोग के लिए।

8. आर-सिब्यूट्रेमाईन एवं इसके फार्मूलेशन – मानवीय प्रयोग के लिए।

9. ग्लेटी फ्लोसासिन फार्मूलेशन – मानव में मुंह से तथा इंजेक्शन द्वारा किसी भी माध्यम से सिस्टमेटिक उपयोग के लिए।

10. टेगासेरोड एवं इसके फार्मूलेशन।

11. लेट्रोजोल एनोवूलेटरी इंफर्टिलिटी में ओवेलेशन इंडक्शन हेतु।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्लेटिफ्लोएसासिन, टेगासेरोड एवं रोसिग्लिराजोन, जिन्हें देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, की वापसी की समीक्षा करने के लिए दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों तथा मुम्बई में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा वर्ष 2011 में छापेमारी की गई थी। नई नियम खुराक मिश्रण, नई... इत्यादि सहित 23 मामलों, जिन्हें नई औषधियों के रूप में माना गया था, को राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों ने भारतीय औषधि महानियंत्रक के अनुमोदन के बिना लाइसेंस प्रदान कर दिए गए थे। ऐसे सभी मामलों में भारतीय औषध महानियंत्रक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई हेतु राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

इसके अलावा, औषध परामर्शदाता समिति की बैठकों में राज्य औषध नियंत्रकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि नई औषधियों एवं नियत खुराक मिश्रण को भारतीय औषध महानियंत्रक के अनुमोदन के बिना अनुमति न दी जाए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित औषधियों को तत्काल प्रभाव से बाजार से वापस लिया जाए। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वह बाजार में औषध के प्रवाह पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रवर्तन एवं सतर्कता तंत्र विकसित करे। औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित सरकारों के 1 अक्तूबर, 2012 को यह सांविधिक निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें उन्हें कहा गया है कि वे अपने संबंधित औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे "नई औषधि" की परिभाषा के तहत आने वाली औषधियों के लिए निर्धारित औषधि एवं प्रसाधन नियमों के तहत उत्पादन लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए बाध्य हों तथा उपर्युक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण अर्थात् ऐसी नई औषधियों के बिक्री हेतु भारतीय औषध महानियंत्रक की पूर्व अनुमति के बिना उत्पादन अथवा वितरण अथवा निर्यात के लिए कोई लाइसेंस स्वीकृत न करें।

कोल बेड मीथेन ब्लॉकों हेतु उत्पादन भागीदारी करार

***114. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :**
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल बेड मीथेन ब्लॉकों हेतु उत्पादन भागीदारी करार के अंतर्गत निश्चित समय-सीमा के भीतर ऑपरेटरों से प्राप्त मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देना सरकार के लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी ऑपरेटरों से अपने-अपने कोल बेड मीर्थन ब्लॉकों हेतु इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी मंजूरी की स्थिति क्या है;

(ग) क्या आबंटित कोल बेड मीथेन ब्लॉकों के विकास में विलम्ब हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कोल ब्रेड मीथेन गैस की उपलब्धता में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदा के अनुच्छेद 18.6 में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

"उस सूत्र अथवा आधार, जिस पर सीबीएम मूल्य अनुच्छेद 18.5.2(सी) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, को उपभोक्ताओं/क्रेताओं को सीबीएम की बिक्री से पहले जहां सरकार द्वारा कहा गया हो प्रस्ताव प्राप्त करने अथवा स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) कारोबारी दिनों के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा"। अत: सरकार द्वारा सीबीएम मूल्यों को अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

(ख) अभी तक सरकार ने ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लि. (जीईईसीएल) द्वारा प्रचालित पश्चिम बंगाल में रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक के लिए वाणिज्यिक रूप से उत्पादित सीबीएम – के बिक्री मूल्य को अनुमोदित कर दिया है जहां वाणिज्यिक गैस उत्पादन जुलाई, 2007 में शुरू हुआ है। तत्पश्चात् कोल बेड मिथेन (सीबीएम) गैस के वाणिज्यिक

उत्पादन में बिक्री मूल्य को अनुमोदित करने के लिए अन्य सीबीएम प्रचालकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो निम्नानुसार हैं:–

(i) मध्य प्रदेश में दो ब्लॉकों एसपी (डब्ल्यू) – सीबीएम – 2001/1 और एसपी (ई) – सीबीएम-2001/1 के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल)

(ii) पश्चिम बंगाल में ब्लॉक आरजी (ई) – सीबीएम – 2001/1 और एसपी (ई) – सीबीएम – 2001/1 के लिए एस्सार ऑयल लि. (ईओएल)।

वर्तमान में प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश

***115. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों के लिए वेतन और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा क्या दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान चूक करने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों के एिल सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण संकायों के समान वेतन और सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार निजी मेडिकल कालेजों में शिक्षण संकाय के लिए वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों के लिए एकसमान वेतन एवं सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास कम से कम राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले वेतन के समान निजी मेडिकल कॉलेजों में कार्य कर रहे शिक्षकों के वेतन के भुगतान के संबंध में शिक्षक योग्यता अर्हता विनियमों को संशोधित करने का एक प्रस्ताव है।

कुपोषण

***116. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री यशवीर सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण/शहरी/मलिनबस्ती/जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर का का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंधमें क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) देश में कुपोषण की अधिक दर वाले राज्यों के विशेष संदर्भ में कुपोषण की समस्या समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) वर्ष 2005-06 में किया गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 अंतिम सर्वेक्षण था, जो राष्ट्रीय स्तर पर पोषाहारीय संसूचकों पर आंकड़े प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 42.5% बच्चों का वज़न कम है और अल्पवज़नी की व्याप्तता शहरी क्षेत्रों में 32.7% ग्रामीण क्षेत्रों 45.6% और अनुसूची जनजाति में 54.5% है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार, 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की 35.6% महिलाएं ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी (निम्न बॉडी मास इनडैक्स द्वारा मापित) से ग्रस्त हैं, जबकि ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी शहरी क्षेत्रों में 25.0% ग्रामीण क्षेत्रों 40.6% तथा अनुसूचित जनजाति में 46.6% है। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण के स्तर का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) विशेषकर बच्चों और छोटी बालिकाओं के बीच कुपोषण की समस्या सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से बहुत सी स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात् सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहुक्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में कुपोषण की एक या अन्य पहलुओं का समाधान करने की क्षमता है।

पोषाहारीय स्थिति को प्रभावित करने वाली महिला और बाल विकास मंत्रालय की मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम शामिल है, जिसके अंतर्गत छह सेवाओं अर्थात् पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए आईसीडीएस स्कीम का सर्वव्यापीकरण किया गया है। कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 7075 है और आंगनवाड़ी केन्द्रों (लघु आंगनवाड़ी केंद्रों और मांग पर आंगनवाड़ी) की संख्या 14 लाख है। इसकी तुलना में 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार 7005 प्रचालनरत परियोजनाएं और 13,17,912 कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। वर्तमान में 916.58 लाख लाभार्थियों द्वारा ये सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं, जिनमें 736.11 लाख बच्चे (6 माह से 6 वर्ष) और 180.47 लाख गर्भवती और धात्री माताएं शामिल हैं।

इसके अलावा, दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं। उनमें से एक अर्थात् राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम या सबला के अंतर्गत सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रायोगिक आधार पर 205 जिलों में 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की (सभी स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों पर विशेष ध्यान देते हुए) किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण की सेवाएं शामिल हैं। इस स्कीम के दो मुख्य घटक हैं अर्थात् पोषण और गैर-पोषण घटक। इसके अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 40.39 लाख, 2011-12 के दौरान 100.02 लाख और 2012-13 के दौरान 75.79 लाख (सितम्बर, 2012 तक लाभार्थियों को शामिल किया गया।

दूसरी नई स्कीम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 2010 में शुरू की गई। यह गर्भवती और धात्री माताओं को उन्नत स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के लिए नकद प्रोत्साहन देने हुए बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गर्भवती तथा धात्री महिलाओं हेतु सशर्त नकद अंतरण की स्कीम है। आरंभ में इस स्कीम का क्रियान्वयन 53 चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (सितम्बर, 2012 तक) में शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 0.0025 लाख, 3.05 लाख और 1.26 लाख है। दोनों स्कीमों के लिए आईसीडीएस संरचना और प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षा गारंटी स्कीम, वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केन्द्रों तथा मदरसों और एसएसए के तहत मकताब समर्थित स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पकाया हुआ गर्म भोजन मध्याह्न भोजन में देने का प्रावधान है। मध्याह्न भोजन स्कीम में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 450 किलो. कैलोरी भोजन और 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 किलो. कैलोरी और 200 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूल में आहार देने का कार्यक्रम है और देश की 12.63 लाख संस्थाओं में 11 करोड़ से भी अधिक बच्चों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और इसके तत्वावधान में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में ग्रामीण जनसंख्या पर विशेष ध्यान देते हुए मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख की उपलब्धता और सुलभता सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाए गए कुछ मुख्य कदम — जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थाओं में प्रसव को प्रोत्साहन देना; बुनियादी और व्यापक प्रासविक देखरेख में स्वास्थ्य देखरेखकर्त्ताओं का क्षमता विकास; नाम आधारित गर्भवती महिलाओं की खोज; रक्ताल्पता के निवारण और उपचार हेतु गर्भवती और धात्री महिलाओं को लौह तत्व एवं फौलिक एसिड अनुपूरण सहित प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव पश्च देखरेख; जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (01 जून, 2011 को शुभारंभ किया गया) जो सार्वजिक स्वास्थ्य संस्थाओं

में प्रसव करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन सहित निःशुल्क और बिना खर्च प्रसव की सुविधा का हक देता है; मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्वसुलभ क्रियाकलापों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस; 24 घंटे बुनियादी और व्यापक प्रासविक देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों को प्रचालनरत करना आदि शामिल हैं।

(ङ) हाल ही में सरकार ने गर्भवती और धात्री माताओं तथा तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन का अनुमोदन किया है। पुनर्गठित और सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस तीन वर्षों में शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष के दौरान 200 कुपोषण से अधिक प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यानप केंद्रित किया जाएगा, दूसरे वर्ष में विशेष श्रेणी के राज्यों से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जिलों सहित 200 जिलों को शामिल किया जाए और तीसरे वर्ष में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्य कुपोषण की समस्याओं के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सरकार ने कुपोषण के विरुद्ध सूचना, शिक्षा और संप्रेक्षण अभियान शुरू किया है।

विवरण-I

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-08)

क्र. सं.	राज्य	अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)				
		शहरी	ग्रामीण	अनुसूचित जनजाति	मलिंग बस्ती	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	28.0	34.8	41.5	26 (हैदराबाद)	32.5
2.	असम	26.1	37.1	18.2		36.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	21.0	36.3	29.6		32.5
4.	बिहार	47.8	57.0	—		55.9
5.	छत्तीसगढ़	31.3	50.2	52.8		47.1
6.	दिल्ली	26.5	22.5	—	35.3	26.1
7.	गोवा	19.8	31.6	43.9		25.0
8.	गुजरात	39.2	47.9	64.5		44.6
9.	हरियाणा	34.6	41.3	—		39.6
10.	हिमाचल प्रदेश	23.6	37.8	25		36.5
11.	जम्मू और कश्मीर	15.8	27.9	35.7		25.6
12.	झारखंड	38.8	60.7	64.3		56.5

1	2	3	4	5	6	7
13.	कर्नाटक	30.7	41.1	41.9		37.6
14.	केरल	15.4	26.4	—		22.9
15.	मध्य प्रदेश	51.3	62.7	71.4	49.6 (इंदौर)	60.0
16.	महाराष्ट्र	30.7	41.6	53.2	36.1 (मुम्बई) &41.7 (नागपुर)	37.0
17.	मणिपुर	19.1	23.3	24.2		22.1
18.	मेघालय	39.6	50.3	48.5		48.8
19.	मिजोरम	15.1	24.1	..		19.9
20.	नागालैंड	19.3	26.6	23		25.2
21.	ओडिशा	29.7	42.3	54.4		40.7
22.	पंजाब	21.4	26.8	..		24.9
23.	राजस्थान	30.1	42.5	46.8		39.9
24.	सिक्किम	21.2	19.4	18		19.7
25.	तमिलनाडु	27.1	32.1	..	31.6 (चेन्नई)	29.8
26.	त्रिपुरा	32.2	40.8	36.5		39.6
27.	उत्तर प्रदेश	34.8	44.1	61.2	26.3 (मेरठ)	42.4
28.	उत्तराखंड	24.3	42.1	50.4		38.0
29.	पश्चिम बंगाल	24.7	42.2	59.7	26.8 (कोलकाता)	38.7
	अखिल भारत	32.7	45.6	54.5	—	42.5

विवरण-II

ऊर्जा की चिरकालीन कमी से पीड़ित महिलाओं का राज्य-वार प्रतिशत (15-49 वर्ष)
(सामान्य बीएमआई से कम) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06)

क्र. सं.	राज्य	अल्पवजनी महिलाओं का प्रतिशत (15 से 49 वर्ष की आयु की) (सामान्य बीएमआई से कम)			
		शहरी	ग्रामीण	अनुसूचित जनजाति	मलिंग बस्ती
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22.1	39.4	43.5	33.5
2.	असम	26.4	38.9	20	36.5
3.	अरुणाचल प्रदेश	19.8	15.0	12.7	16.4
4.	बिहार	32.0	47.6	—	45.1
5.	छत्तीसगढ़	28.4	48.0	50.3	43.4
6.	दिल्ली	14.4	19.8	34.6	14.8
7.	गोवा	23.8	33.1	41.2	27.9
8.	गुजरात	24.6	45.5	61.6	36.3
9.	हरियाणा	20.6	36.2	—	31.3
10.	हिमाचल प्रदेश	17.8	31.3	29.3	29.9
11.	जम्मू और कश्मीर	16.0	28.1	28.7	24.6
12.	झारखंड	29.8	48.0	47.2	43.0
13.	कर्नाटक	26.3	41.5	48.7	35.5
14.	केरल	15.2	19.4	42.6	18.0
15.	मध्य प्रदेश	32.5	45.4	49.8	41.7
16.	महाराष्ट्र	26.6	45.6	51.6	36.2
17.	मणिपुर	13.0	15.6	11.9	14.8

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	16.8	13.8	12.1	14.6
19.	मिजोरम	11.6	18.2	—	14.4
20.	नागालैंड	16.0	18.0	16	17.4
21.	ओडिशा	28.6	44.1	51.3	41.4
22.	पंजाब	17.2	19.9	—	18.9
23.	राजस्थान	30.9	39.1	49.3	36.7
24.	सिक्किम	9.7	11.6	9.6	11.2
25.	तमिलनाडु	22.8	33.7	60.2	28.4
26.	त्रिपुरा	28.1	38.8	23.7	36.9
27.	उत्तर प्रदेश	27.2	38.9	46.4	36.0
28.	उत्तराखंड	19.5	34.0	49.5	30.0
29.	पश्चिम बंगाल	23.3	46.2	55.6	39.1
	अखिल भारत	25.0	40.6	46.6	35.6

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोज कार्य

*117. **श्री पूर्णमासी राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा हाल ही में किए गए तेल और प्राकृतिक गैस के खोज कार्य के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बिहार में उक्त खोज कार्य बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम उक्त खोज कार्य फिर से शुरू करें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में और अपने विभिन्न प्रचलित रकबों में देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के अपतट क्षेत्रों में भी अन्वेषण कार्य कर रही है। 11वीं योजनावधि के दौरान, देश के विभिन्न भागों में किए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों की स्थिति निम्नानुसार है:—

राज्य	भूकंपीय		अन्वेषणात्मक कूप
	द्वि-आयामी (जीएलके/ एलकेएम)	त्रि-आयामी (एसकेएम)	
आंध्र प्रदेश		3396.74	47
असम	310.74	1530.30	78
बिहार	1923.50	947.47	
गुजरात	1547.36	4570.68	193
हिमाचल प्रदेश			2
मध्य प्रदेश	195.10		4
मिजोरम	108.70		1
नागालैंड	44.18	5.75	
राजस्थान	2615.91	1017.57	7
तमिलनाडु	1709.90	4235.88	48
त्रिपुरा	823.70	702.59	32
उत्तर प्रदेश	1311.24	210.83	1
पश्चिम बंगाल	4336.35	3177.11	2
जमीनी कार्य	14926.67	19794.92	415
प. अपतट	20567.33	26166.76	106.00
पू. अपतट	101502.84	51098.98	71.00
अपतटीय कार्य	122070.17	77265.74	177
योग ओएनजीसी	136996.84	97060.66	592

(ख) से (घ) ओएनजीसी ने बिहार राज्य में अन्वेषण कार्य का त्याग नहीं किया है। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि ओएनजीसी ने बिहार राज्य में द्वि आयामी के 1923.50 ग्राउंड लाइन किलोमीटर और त्रि आयामी भूकंपीय डेटा के 947.47 वर्ग किलोमीटर अर्जित किए हैं। अन्वेषणात्मक रकवे हैं। ओएनजीसी को एनईएलपी-IV दौर गंगा घाटी में जीवी-ओएनएन-2005/3) में प्रदत्त दो एनएलपी।

इस समय ओएनजीसी के पास एनईएलपी-VI दौर (पूर्णिया में पीए-ओएनएन-2004/1) और एनईएलपी-VII दौर के तहत ब्लाक पीए-ओएनएन-2004/1 प्रदान किया गया था जो अरेरिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में पड़ता है। ब्लाक में भूकंपीय डेटा अर्जन का प्रतिबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया गया है। वेधन योग्य संभावनाओं की पुष्टि के लिए, अर्जित भूकंपीय डेटा का भूवैज्ञानिक और भू-भौतिकी (जीएंडजी) अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है और दो स्थलों अर्थात रसूलगंज-1 और बहादुरगंज-1 अनुमोदित किए गए हैं। इस समय रसूलगंज-1 कूप का वेधन कार्य चल रहा है और इस कूप का वेधन 3243 मीटर की गहराई तक कर लिया गया है। स्थल बहादुरगंज-1 पर अन्य कूप की वेधन के लिए पहचान कर ली गई है। ब्लाक जीवी-ओएन-2005/3 ओएनेजीसी को एनईएलपी-VII दौर के तहत ओएनजीसी को प्रदान किया गया था और पश्चिमी चम्पारण जिले में पड़ता है। ब्लाक में भूकंपीय डेटा अर्जन का कार्य प्रतिबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया गया है। ब्लाक की संभाव्यता का मूल्यांकन करने और वेधन योग्य संभावनाएं उत्पन्न करने के लिए जीएंडजी अध्ययन किया जा रहा है।

खनिज नीति

*118. **श्री जगदानंद सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में किसानों/जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति में मौजूदा प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान खनन कंपनियों के विरुद्ध स्थानीय किसानों और जनजातियों के विरोध की कतिपय घटनाओं की ओर गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसानों/जनजातियों की ओर विशेष ध्यान देने हेतु कतिपय उपबंध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह प्रतिपादित किया गया है यदि खनन प्रचालनों में जनजातीय और कमजोर वर्गों सहित व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण शामिल होने के मामले में सामाजिक प्रभाव आकलन कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयुक्त राहत और पुनर्वास पैकेज शामिल किए गए हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि खनन क्षेत्र के लिए सतत् विकास ढांचा तैयार किया जाएगा और स्टेक होल्डर के रूप में स्थानीय आबादी की सहभागिता के लिए उपयुक्त माडल शामिल किया जाएगा। नीति में यह भी व्यवस्था है कि प्रभावित आबादी के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक प्रणाली तैयार की जाएगी और उनके लिए गरीबी रेखा से ऊपर की सतत् आय सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) और (ग) खनन कंपनियों के खिलाफ विरोध संबंधी कुछ मीडिया रिपोर्ट केंद्र सरकार की जानकारी में आए हैं। कानून एवं व्यवस्था चूंकि राज्य का विषय है इसलिए इस प्रकार के विरोधों का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार सरकार ने प्रारूप खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक 2011 अनुमोदित किया है। प्रारूप विधेयक को 12 दिसंबर, 2011 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है। प्रारूप विधेयक में व्यवस्था है किः—

(i) गवेषण वाले क्षेत्र पर व्यवसायगत अथवा भोगाधिकार अथवा पारंपरिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को सभी गवेषण कार्यकलापों के लिए उपयुक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी कंपनियों सहित सभी खनन पट्टाधारकों द्वारा जिला स्तर पर गठित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) में वार्षिक रूप से भुगतान किया जाएगा। डीएमएफ की राशि का उपयोग खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों को आवर्ती भुगतान करने और स्थानीय विकास कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

(iii) सभी खनन कंपनियां खनन द्वारा प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सममूल्य पर कम से कम एक शेयर आवंटित करेंगे ताकि उनमें उद्यम में स्वामित्व की भावना रहे।

(iv) सभी खनन कंपनियां रोजगार अथवा पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में यथानिर्धारित अन्य मुआवजा प्रदान करेंगे।

(v) खनन पट्टे में प्रगामी खान बंदी योजना और अंतिम खान बंदी योजना शामिल होगी जो पंचायतों के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। खनन पूर्ण हो जाने के पश्चात् खनन कंपनियों द्वारा खान बंदी और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रभावित व्यक्तियों को हुई क्षतियों, यदि कोई हों, के लिए भुगतान करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

आयातित दवाओं की गुणवत्ता

***119. श्री रतन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात की जा रही दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नकली और घटिया दवाओं के आयात के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(ग) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) देश में आयातित दवाओं के लिए परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में आयातित औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण प्रणाली, आयात लाइसेंस और निर्धारित बंदरगाहों पर उनके आयात के समय कंसाइनमेंट

की जांच के माध्यम से किया जाता है।

(ख) पिछले तीन और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए नकली एवं घटिया दवाइयों के आयात के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	नकली	घटिया
2009-10	7	35
2010-11	शून्य	35
2011-12	शून्य	34
चालू वर्ष	शून्य	14

(ग) नकली एवं घटिया पाई गई दवाओं को सीमा-शुल्क प्राधिकरणों द्वारा आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। वर्ष 2009-2010 में नकली दवाइयों के आयात के मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई थी और विधि के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन आरंभ किया गया था।

(घ) आयातित दवाओं के लिए कोई विशिष्ट जांच प्रयोगशालाएं नहीं हैं। नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय

*120. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू :**

श्री सी. आर. पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उनके द्वारा उपयोग की गई;

(ख) क्या विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय किए जाने वाला सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह और भारतीय चिकित्सा संघ ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/किए जाने पर विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन और जारी धनराशि को दर्शाने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2012 के अनुसार, वर्ष 2009 में कुछ चुनिंदा विकसित देशों जैसे जर्मनी (11.7 प्रतिशत), फ्रांस (11.9 प्रतिशत), कनाडा (11.4 प्रतिशत), युनाइटिड किंगडम (9.8 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमरीका (17.6 प्रतिशत) की तुलना में भारत का स्वास्थ्य पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.2 प्रतिशत है। वर्ष 2009 में भारत का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) व्यापक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने 12वीं योजना के अंत तक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके इसे सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5 और वर्ष 2022 तक 3 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के दौरान योजना आयोग द्वारा विचार किया गया है। भारतीय चिकित्सा संघ ने मांग रखी है कि पाए जाने वाले संसाधनों में से सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 3 प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर व्यय किया जाए।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यवार आवंटन और निमुक्ति दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

एनपीसीडीसीएस #

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2010-11 निमुर्क्ति	2011-12 निमुर्क्ति	2012-13 निमुर्क्ति
		आवंटन	निमुर्क्ति	आवंटन	निमुर्क्ति	आवंटन	निमुर्क्ति	आवंटन	निमुर्क्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.82	8.23	20.28	15.84	22.64	8.85	22.60	6.02	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	717.30	708.32	816.11	810.23	931.80	934.11	1088.44	387.08	2.69	13.06	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	51.14	57.32	66.67	73.76	56.02	75.82	74.01	41.99	0.00	0.00	0.00
4.	असम	906.72	813.93	894.01	736.45	851.35	877.39	1054.14	642.73	2.49	9.16	0.00
5.	बिहार	860.29	649.71	977.40	1035.18	1122.10	787.28	1421.32	854.67	2.15	9.25	0.00
6.	चंडीगढ़	9.86	7.59	11.20	6.91	11.72	8.69	14.59	2.53	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	292.01	261.65	345.76	327.24	392.54	421.53	473.71	309.64	1.53	4.64	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	4.27	3.27	4.77	6.30	5.92	4.81	7.54	3.04	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	3.51	2.33	3.92	3.06	4.98	2.57	5.97	1.44	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	121.25	83.03	136.74	108.48	145.27	102.36	169.95	47.61	0.00	0.00	0.00
11.	गोवा	12.90	12.43	16.68	17.21	20.47	19.88	23.96	15.67	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	गुजरात	464.90	500.55	528.69	556.79	600.61	620.98	715.69	464.59	2.84	9.25	0.00
13.	हरियाणा	179.72	206.17	203.94	219.69	233.52	297.34	289.15	164.51	1.11	6.54	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	97.07	115.41	110.68	113.22	123.89	197.20	141.97	95.40	1.37	4.64	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	134.94	130.34	153.87	173.80	175.54	252.48	209.75	105.32	2.22	7.35	0.00
16.	झारखंड	349.39	179.34	398.78	356.90	458.88	467.46	555.83	306.81	0.00	4.00	0.00
17.	कर्नाटक	505.17	436.86	551.80	586.38	612.69	672.66	721.48	503.23	2.85	7.35	0.00
18.	केरल	284.34	237.62	308.59	253.41	345.37	582.51	379.23	182.05	1.67	8.44	0.00
19.	लक्षद्वीप	2.09	1.09	2.28	2.54	3.99	1.62	3.52	0.85	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	705.88	604.79	766.66	784.40	870.83	959.47	1032.41	467.25	1.27	8.44	0.00
21.	महाराष्ट्र	860.39	959.72	981.28	903.36	1078.51	1309.24	1270.27	618.73	2.64	9.25	0.00
22.	मणिपुर	90.09	81.45	98.67	67.98	88.49	61.29	114.66	19.23	0.00	0.00	0.00
23.	मेघालय	85.75	79.78	88.95	52.50	94.25	62.31	125.45	75.19	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	50.72	49.87	62.15	70.49	63.46	67.13	75.84	49.23	0.00	0.00	0.00
25.	नागालैंड	78.30	73.87	82.47	66.40	83.31	88.00	95.78	62.82	0.00	0.00	0.00
26.	ओडिशा	457.67	470.18	494.09	549.44	568.53	693.89	653.52	400.66	1.21	8.44	0.00
27.	पुदुचेरी	11.32	12.04	13.94	16.32	15.17	15.83	15.89	11.10	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	209.58	359.53	246.77	252.81	276.56	336.45	318.91	194.01	1.47	4.64	0.00
29.	राजस्थान	633.19	748.96	743.41	863.97	824.17	1045.55	980.98	550.97	3.10	11.15	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	सिक्किम	26.73	25.80	35.54	32.94	34.01	27.07	54.12	21.57	1.01	3.14	0.00
31.	तमिलनाडु	568.68	639.10	659.92	702.09	765.42	774.89	867.98	534.00	1.32	8.44	0.00
32.	त्रिपुरा	125.20	111.98	116.91	85.47	117.46	68.39	133.44	60.14	0.00	0.00	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	1867.65	1965.82	2079.73	2191.36	2224.00	1863.69	2685.50	1810.42	0.00	0.00	24.31
34.	उत्तराखंड	117.75	130.85	129.18	147.39	169.95	208.45	206.67	124.23	1.22	2.74	0.00
35.	पश्चिम बंगाल	678.81	741.25	771.41	680.79	870.31	931.34	1026.41	677.17	1.57	4.64	0.00
	कुल	11581.30	11470.18	12923.25	12871.11	14263.72	14848.55	17030.69	9811.90	35.72	144.55	24.31
	अन्य (एनआरएचएम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं केंद्रीय घटक)						27.80	111.88	11.30	101.56		
	कुल योग	11581.30	11470.18	12923.25	12871.11	14291.52	14960.43	17041.99	9913.46	35.72	144.55	24.31

नोट: वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, और 2012-13 (30.09.2012 तक) के लिए एनआरएचएम के तहत व्यय अनंतिम हैं। वित्तीय वर्श 2012-13 के निमुक्ति के आंकड़े 20.10.2012 की स्थिति के अनुसार अद्यतन है। उपर्युक्त निमुक्तियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।

#राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम।

एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत निधियां राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के आधार पर जारी की जाती हैं जोकि आवश्यकताओं के पूरा होने पर निर्भर करती हैं।

एनपीसीडीसीएम कार्यक्रम वर्ष 2010 में आरंभ हुआ था।

[अनुवाद]

सिडबी को बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने की अनुमति

1151. श्री ए. साई प्रताप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों को आगे ऋण देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आवास क्षेत्र में भी प्रवेश करने हेतु ऐसे बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के उपयोग पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारणस हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सिडबी को कुछ शर्तों के अध्यधीन, एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार, सिडबी द्वारा ऐसे ईसीबी का उपयोग आवासीय क्षेत्र के लिए करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, परियोजना विकासक द्वारा वहनीय आवास परियोजनाओं और एनएचबी एवं आवास वित्त कंपनियों द्वारा कम लागत वाली वहनीय आवास इकाइयों के लिए ईसीबी का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

लघु वन उत्पाद

1152. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश में लघु वन उत्पादों को विनियमित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है या मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु वन उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में लघु वन उत्पादों को विनियमित करने और उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु वन उत्पाद (एमएफपी) परिचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमें (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निधि प्रदान की गई है। लघु वन उत्पादों के राज्य-वार ब्यौरे तथा प्रदान की गई एवं राज्यों द्वारा उपयोजित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) डॉ. टी. हक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर लघु वन उत्पादों के लिए न्यूतनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की एक योजना परिकल्पित की है जो जनजातियों तथा वन निवासियों की कोर आय बढ़ाने को 13 लघु वन उत्पादों के लिए लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वियन के लिए उचित उपायों का सुझाव दिया है।

विवरण-I

क्र. सं.	एमएफपी	अनुमानित कुल क्षमता (एमटी लाखों)	अनुमानित मूल्य (करोड़ रु.)	प्रमुख उत्पादक राज्य
1.	तेंदु	80.00 (एसटीबी)	1040.00	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश
2.	बांस	48.00	1200.00	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर राज्य
3.	इमली	2.00	240.00	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड
4.	महुआ के फूल	1.50	122.00	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा
5.	चिरंजी	0.10	230.00	झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
6.	साल के बीज	1.60	160.00	छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
7.	महुआ के बीज	1.00	100.00	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा
8.	करंज के बीज	0.40	40.00	मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़
9.	आंवला	1.30	78.00	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा
10.	साल की पत्तियां		100.00	झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश
11.	लाख	0.25	150.00	छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
12.	शहद (जंगली)	0.30	270.00	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पूर्वोत्तर राज्य
13.	गोंद कारिया	0.05	62.00	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड

एसटीबी : मानक बैग लाख संख्या में।

विवरण-II

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	अव्ययित शेष	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	अव्ययित शेष	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	अव्ययित शेष	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि
1.	आंध्र प्रदेश	158.0	158.00	शून्य	158.00	158.00	शून्य	194.00	शून्य	194.00	144.00	
2.	असम	65.00	शून्य	65.00	—	—	—	—	—	—	—	
3.	छत्तीसगढ़	87.00	87.00	शून्य	—	—	—	200.00	शून्य	200.00	189.00	
4.	गुजरात	146.00	146.00	शून्य	130.00	130.00	शून्य	150.00	150.00	शून्य	160.00	
5.	हिमाचल प्रदेश	5.00	5.00	शून्य	33.00	33.00	शून्य	10.00	7.00	3.00	7.00	
6.	केरल	7.00	7.00	शून्य	58.00	शून्य	58.00	14.00	शून्य	14.00	—	
7.	मध्य प्रदेश	—	—	—	312.00	शून्य	312.00	472.00	शून्य	472.00	—	
8.	महाराष्ट्र	168.00	168.00	शून्य	234.00	234.00	शून्य	330.72	245.00	85.72	245.00	
9.	मेघालय	39.00	39.00	शून्य	92.00	शून्य	92.00	77.00	शून्य	77.00	—	31.03.2014 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय है
10.	ओडिशा	219.00	219.00	शून्य	225.00	225.00	शून्य	315.00	116.00	199.00	233.00	
11.	त्रिपुरा	20.00	20.00	शून्य	71.00	71.00	शून्य	38.00	38.00	शून्य	28.00	
12.	पश्चिम बंगाल	86.00	86.00	शून्य	145.00	145.00	शून्य	170.00	शून्य	170.00	126.00	
13.	राजस्थान	—	—	—	42.00	42.00	शून्य	29.28	शून्य	29.28	—	
14.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.00	

[अनुवाद]

वेतनमानों का उन्नयन

1153. **श्री विष्णु पद राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग में सहायक वन-संरक्षकों (एसीएफ) और वन रेंजरों के वेतनमान (VI केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत) के उन्नयन से संबंधित कोई मामला लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब से लंबित है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) उक्त उन्नयन को किस तारीख से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग में सहायक वन-संरक्षक और वन रेंजर के वेतनमान (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत) के उन्नयन से संबंधित मामला 22 अक्तूबर, 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के परामर्श पर विभागीय विसंगति समिति का गठन किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय विभागीय विसंगति समिति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है। इस विषय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल की पैकेजिंग

1154. **श्री राम सुंदर दास :**
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए कुछ मानदंड/मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेलवानाइज्ड प्लेन शीटें, जिन्हें खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए हानिकारक माना गया है, का प्रयोग पैकेजिंग के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) खाद्य तेलों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए मानदंड खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन, 2011 के अध्याय 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ग) इस प्रयोजनार्थ गठित नोडल प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋण माफी योजना

1155. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार लाभार्थी किसानों की संख्या सहित माफ की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों से संबंधित कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संदर्भ में कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के क्रियान्वयन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत 3.73 करोड़ किसानों को कुल मिलाकर 52,259.86 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।

(ख) और (ग) एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 की कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की कई है।

विवरण-I

20 नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार डीडब्ल्यूडीआरएस 2008 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अवमुक्त ऋण माफी एवं ऋण राहत जीआर दावों का विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/बैंकों के नाम	ऋण में माफी		डीडब्ल्यूजीआरएम		ऋण में माफी		डीडब्ल्यूजीआरएम		कुल	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	समेकित स्थिति										
	एससीबी	11093965	1555283	107271	6399.07	1769262	265083.2	0	1465.23	12970498	1828230.3
	एसएलडीबी	1688577	337409.5	24238	5087.52	254730	41813.16	221	27.07	1967766	384337.2
	आरआरबी	3361766	603006.4	12470	2632.77	500884	91381.85	2340	345.32	3877460	697366.34
	कुल	16144308	2495699	143979	14119.36	2524876	398278.2	13645	1837.62	18826808	2909933.8
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**										
	एससीबी	715	80.38	0	0	0	0			715	80.38
	एसएलडीबी (कोई (एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई (आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप-योग	715	80.38	0	0	0	0	0	0	715	80.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	**आंध्र प्रदेश**										
	एससीबी	2487188	346050.3	228	82.08	261681	32081.44			2749097	378213.77
	एसएलडीबी (आंध्र (प्रदेश में कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	535066	100825.4	51	6.49	107532	19645.26			642649	120477.15
	उप-जोड़	3022254	446875.7	279	88.57	369213	51726.7	0	0	3391746	498690.92
3.	**अरुणाचल प्रदेश**										
	एससीबी	11320	237.05	0	0	29	5.34			11349	242.39
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	1013	235.12	37	1727	0	0			1050	252.39
	उप-जोड़	12333	472.17	37	17.27	29	5.34	0	0	12399	494.78
4.	**असम**										
	एससीबी	13576	867.86	0	0	19	5.36			13595	873.22
	एसएलडीबी	95	48.38	0	0	13	2.68			108	51.06
	आरआरबी	72253	8188.57	0	0	681	66.81			72934	8255.38
	उप-जोड़	85924	9104.81	0	0	713	74.85	0	0	86637	9179.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	**बिहार**										
	एससीबी	317028	33783.51	4673	624.48	0	0	0	0	321701	34407.99
	एसएलडीबी	15583	3458.8	0	0	324	202.13	0	0	15907	3660.93
	आरआरबी	449669	77650.95	5	80.61	14701	2344.2	2228	325.3	466603	80401.06
	उप-जोड़	782280	114893.3	4678	705.09	15025	2546.33	2228	325.3	804211	118469.98
6.	**दिल्ली**										
	एससीबी	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप-जोड़	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
7.	**गोवा**										
	एससीबी	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप-जोड़	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	गुजरात										
	एससीबी	314519	77986.41	0	20.7	128148	29872.08			442667	107879.18
	एसएलडीबी	9941	4680.91	0	0	0	3081.29			9941	7762.2
	आरआरबी	28709	4772.67	8	7.15	10425	2062.43			39142	6842.25
	उप-जोड़	353169	87439.99	8	27.85	138573	35015.8			491750	122483.63
9.	हरियाणा										
	एससीबी	261229	82961.04	164	43.63	91582	16180.97			352975	99185.64
	एसएलडीबी	49316	19502.66	19	102.69	10101	2056.3			59436	21661.65
	आरआरबी	18991	6875.07	28	17.05	7423	2402.53			26442	9294.65
	उप-जोड़	329536	109338.8	211	163.37	109106	20639.8			438853	130141.94
10.	हिमाचल प्रदेश										
	एससीबी (1195 पीएसी सहित)	113836	16689.9	64	20.64	567	123.98			114467	16834.52
	एसएलडीबी	10986	3897.64	0	0	1060	224.76			12046	4122.4
	आरआरबी	8294	1594.96	1	0.46	133	18.37			8428	1613.79
	उप-जोड़	133116	22182.5	65	21.1	1760	367.11			134941	22570.71
11.	जम्मू और कश्मीर										
	एससीबी	17929	2742.71	0	0	0	0			17929	2742.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एसएलडीबी	576	443.55	0	0	72	19.68			648	463.23
	आरआरबी	5414	1054.91	0	0	0	0			5414	1054.91
	उप-जोड़	23919	4241.17	0	0	72	19.68			23991	4260.85
12.	**झारखंड**										
	एससीबी	36736	4930.3	0	0	0	0			36736	4930.3
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	168733	14018.35	52	2.26	2680	215.03			171465	14235.64
	उप-जोड़	205469	18948.65	52	2.26	2680	215.03			208201	19165.94
13.	**कर्नाटक**										
	एससीबी	164964	30715.88	9998	3447.25	20005	2441.31			194967	36604.44
	एसएलडीबी	77456	9057.36	501	19.52	25780	3000.82			103737	12077.7
	आरआरबी	239423	67485.87	240	82.79	135125	24077.86			374788	91646.52
	उप-जोड़	481843	107259.1	10739	3549.66	180910	29519.99			673492	140328.66
14.	**केरल**										
	एससीबी	524753	91659.17	73576	448.5	2347	667.72			600676	92775.39
	एसएलडीबी	126723	18196.36	0	0	3640	594.16			130363	18790.52
	आरआरबी	126650	36136.69	17	10.86	1130	289.06			127797	36436.61
	उप-जोड़	778126	145992.2	73593	459.36	7117	1550.94			858836	148002.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मध्य प्रदेश										
	एससीबी	870103	100567	0	0	158037	18160.02			1028140	118727.06
	एसएलडीबी	115394	33233.21	1103	585.87	43311	6655.71			159808	40474.79
	आरआरबी	77188	16185.87	1517	383.23	41084	7652.06			119789	24221.16
	उप-जोड़	1062685	149986.1	2620	969.1	242432	32467.79			1307737	183423.01
16.	छत्तीसगढ़										
	एससीबी	270165	18244.78	1463	0	93812	8752.02	0	0	365440	26996.8
	एसएलडीबी	10226	1869.04	582	79.13	4869	924.62	221	27.07	15898	2899.86
	आरआरबी	52147	6843.52	2	0.43	9718	1667.98	2	0.54	61869	8512.47
	उप-जोड़	332538	26957.34	2047	79.56	108399	11344.62	223	27.61	443207	38409.13
17.	महाराष्ट्र										
	एससीबी	2197706	374926	1492	398.77	647072	109272.3			2846270	484597.02
	एसएलडीबी	98687	29230.36	0	9.3	37834	4403.66			136521	33643.32
	आरआरबी	72044	12010.33	455	78.36	38597	7218.14			111096	19306.83
	उप-जोड़	2368437	416166.7	1947	486.43	723503	120894.1			3093887	537547.17
18.	मणिपुर										
	एससीबी	41210	2019.53	0	0	105	4.12			41315	2023.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एसएलडीबी	30	21.2	23	15.17	2	0.58			55	36.95
	आरआरबी	16780	221.8	0	0	32	7.24			16812	229.04
	उप-जोड़	58020	2262.53	23	15.17	139	11.94			58182	2289.64
19.	मेघालय										
	एससीबी	4855	500.08	0	0	20	3.61			4875	503.69
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	5673	843.4	0	0	5	0.16			5678	843.56
	उप-जोड़	10528	1343.48	0	0	25	3.77			10553	1347.25
20.	मिजोरम										
	एससीबी	1552	439.44	0	0	0	0			1552	439.44
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	5510	1358.04	0	0	310	7.98			5820	1366.02
	उप-जोड़	7062	1797.48	0	0	310	7.98			7372	1805.46
21.	नागालैंड										
	एससीबी	10813	1072.94	0	0	0	0			10813	1072.94
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	1091	191.68	0	0	5	1.93			1096	193.61
	उप-जोड़	11904	1264.62	0	0	5	1.93			11909	1266.55
22.	**पुदुचेरी**										
	एससीबी	6713	1344.09	0	0	129	13.13			6842	1357.22
	एसएलडीबी	303	172.12	0	0	0	0			303	172.12
	आरआरबी	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप-जोड़	7016	1516.21	0	0	129	13.13			7145	1529.34
23.	**ओडिशा**										
	एससीबी	1035686	126079.5	186	125.99	14798	1728.74	11084	1465.23	1061754	129399 43
	एसएलडीबी	92130	13458.13	3583	711.98	1834	229.71			97547	14399.82
	आरआरबी	325836	40536.3	6544	815.41	14736	2308.37			347116	43660.08
	उप-जोड़	1453652	180073.9	10313	1653.38	31368	4266.82	11084	1465.23	1506417	187459.33
24.	**पंजाब**										
	एससीबी	89934	24117.83	1	0.56	12932	2007.01			102867	26125.4
	एसएलडीबी	26313	12498.19	0	0	25249	4497.05			51562	16995.24
	आरआरबी	6	2260.06	5	5.82	2564	728.85			2575	2994.73
	उप-जोड़	116253	38876.08	6	6.38	40745	7232.91			157004	46115.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	राजस्थान										
	एससीबी	378957	57040.73	1182	205.62	284565	37973.32	0	0	664704	95219.67
	एसएलडीबी	109768	29056.18	1429	434.71	54413	9809.18	0	0	165610	39300.07
	आरआरबी	113816	24465.79	109	39.75	39930	7918.71	1	0.2	153856	32424.45
	उप-जोड़	602541	110562.7	2720	680.08	378908	55701.21	1	0.2	984170	166944.19
26.	तमिलनाडु										
	एससीबी	90264	12538.1	3	0.79	13442	1806.07			103709	14344.96
	एसएलडीबी	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	41991	6345.39	6	0.64	5641	916.11			47638	7262.14
	उप-जोड़	132255	18883.49	9	1.43	19083	2722.18			151347	21607.1
27.	सिक्किम										
	एससीबी	529	82.69	0	0	7	1.5			536	84.19
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप-जोड़	529	82.69	0	0	7	1.5			536	84.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	त्रिपुरा										
	एससीबी	18553	3199.21	0	25.12	0	0			18553	3224.33
	एसएलडीबी	987	250.4	0	0	5	0.58			992	250.98
	आरआरबी	7280	638.66	0	0	24	2.34			7304	641
	उप-जोड़	26820	4088.27	0	25.12	29	2.92			26849	4116.31
29.	उत्तर प्रदेश										
	एससीबी	1067922	79423.3	1793	137.51	37684	3622.92	0	0	1107399	83183.73
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	894908	149208	16996	3128.48	46079	6090.92	0	0	957983	158427.39
	आरआरबी	844366	157524	3364	1079.13	67165	11632.19	109	19.28	915004	170254.61
	उप-जोड़	2807196	386155.3	22153	4345.12	150928	21346.03	109	19.28	2980386	411865.73
30.	उत्तराखंड										
	एससीबी	72048	693204	37	6.22	1661	198.98			73746	7137.24
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	9790	127371	0	0	725	96.93			10515	1370.64
	उप-जोड़	81838	8205.75	37	6.22	2386	295.91			84261	8507.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	पश्चिम बंगाल										
	एससीबी	669802	57318.18	12410	811.07	389	95.42			682601	58224.67
	एसएलडीबी	49155	9126.97	2	0.67	144	19.33			49301	9146.97
	आरआरबी	134033	13469.3	29	5.06	518	101.31			134580	13575.67
	उप-जोड़	852990	79914.45	12441	816.8	1051	216.06			866482	80947.31
	कुल जोड़	16144308	2495699	143979	14119.36	2524876	398278.2	13645	1837.62	18826808	2909933.8

अनंतिम आंकड़े बैंकों से प्राप्त धन वापसी और संवितरण के कारण संशोधन के अध्यधीन।

डीडब्ल्यूजीआरएम – शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत ऋण माफी

डीआरजीआरएम – शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत ऋण राहत

विवरण-II

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति

[खातों की संख्या (हजार में) और धनराशि वास्तविक रुपए में]

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र बैंक	कुल खाते	प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए	कुल खाते	प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए	कुल रिफंड + प्रदत्त डीआर	शुद्ध प्रदत्त डीडब्ल्यू
1	2	3	4	5	6	7	8
बैंक-वार आंकड़े एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008							
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2429.25	53,29,44,10,382.05	714.70	14,76,86,52,783.05	0.00	68,06,30,63,165.10
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1986.66	4,16,30,93,370.25	109.50	2,61,42,56,324.50	0.00	6,77,73,49,694.75
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	293.82	5,44,29,78,988.00	84.67	1,69,25,86,220.00	0.00	7,13,55,65,208.00
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	307.93	1,61,47,16,193.9	52.64	1,16,66,45,754.82	0.00	2,78,13,61,948.77
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	750.90	2,43,54,88,153.00	27.06	76,12,16,165.00	0.00	3,19,67,04,318.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	38.29	1,43,43,54,715.70	34.04	65,86,90,164.85	0.00	2,09,30,44,880.55
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	118.76	3,27,91,88,533.00	6.21	15,18,19,223.00	0.00	3,43,10,07,756.00
8.	इलाहाबाद बैंक	428.50	10,44,26,60,746.95	89.44	1,92,78,55,766.10	0.00	12,37,05,16,513.05
9.	आंध्रा बैंक	397.84	7,47,00,13,355.00	78.45	1,51,81,20,961.75	0.00	8,98,81,34,316.75
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	554.03	5,06,03,67,844.00	64.84	1,33,38,75,904.00	9,22,699.00	6,39,33,21,049.00
11.	बैंक ऑफ इंडिया	339.92	6,39,21,85,943.78	71.71	1,62,51,03,267.00	0.00	8,01,72,89,210.78
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.58	2,19,28,06,730.75	39.32	82,00,85,639.00	0.00	3,01,28,92,369.75
13.	केनरा बैंक	1148.58	12,63,06,60,238.25	69.79	1,75,22,31,280.48	0.00	14,38,28,91,518.73

1	2	3	4	5	6	7	8
14	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	449.98	9,83,39,08,201.00	87.21	2,01,94,75,756.00	0.00	11,85,33,83,957.00
15	कॉर्पोरेशन बैंक	42.76	1,14,58,67,302.00	13.95	34,88,53,971.00	0.00	1,49,47,21,273.00
16	देना बैंक	54.55	77,17,48,896.00	18.31	46,54,24,050.00	27,77,376.00	1,23,43,95,570.00
17	आईडीबीआई बैंक लि.	11.27	27,32,13,581.00	4.11	8,22,43,008.20	3,06,050.00	35,51,50,539.20
18	इंडियन बैंक	582.87	4,60,28,70,616.00	30.42	64,31,71,482.00	0.00	5,24,60,42,098.00
19	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	2265.00	5,83,29,73,187.00	50.17	92,08,39,088.00	0.00	6,75,38,12,275.00
20	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	98.30	3,70,22,40,045.00	64.65	94,31,33,363.65	0.00	4,64,53,73,408.65
21	पंजाब नैशनल बैंक	339.40	11,47,27,84,863.00	98.04	2,79,57,82,863.70	2,67,29,431.27	14,24,18,38,295.43
22	पंजाब एंड सिंध बैंक	15.38	47,73,77,955.00	5.71	16,46,43,567.00	0.00	64,20,21,522.00
23	सिंडीकेट बैंक	293.25	7,37,05,39,664.15	84.66	1,82,32,28,324.75	0.00	9,19,37,67,988.90
24	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	275.94	7,38,86,44,112.25	57.89	1,44,04,54,659.85	0.00	8,82,90,98,772.10
25	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	144.94	2,11,19,44,545.00	1857.17	3,15,92,592.00	0.00	2,14,35,37,137.00
26	यूको बैंक	252.35	5,37,71,02,680.00	24.24	53,96,56,042.69	0.00	5,91,67,58,722.69
27	विजया बैंक	47.96	1,47,96,40,196.25	15.24	40,39,17,320.00	50,43,443.21	1,87,85,14,073.04
	कुल	13755.01	1,77,69,37,81,038.33	3854.11	43,41,35,55,542.39	3,57,78,999.48	2,21,07,15,57,581.24
	निजी क्षेत्र के बैंक						
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17.10	5,31,20,868.00	0.69	1,26,32,315.00	93521.00	6,56,59,662.00
2	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	1.55	2,59,64,879.99	45.00	19,85,325.00	0.00	2,79,50,204.99

1	2	3	4	5	6	7	8
3	सिटी यूनियन बैंक लि.	5.61	9,75,82,109.65	0.69	1,46,01,177.50	0.00	11,21,83,287.15
4	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.15	4,35,54,034.28	0.06	17,29,584.83	0.00	4,52,83,619.11
5	फेडरल बैंक लि.	18.77	1,05,71,41,431.00	2.56	20,35,24,215.00	0.00	1,26,06,65,646.00
6	एचडीएफसी बैंक लि.	0.43	2,91,73,542.00	0.89	4,11,33,578.00	0.00	7,03,07,120.00
7	आईसीआईसीआई बैंक लि.	672.03	2,54,95,61,028.45	16.20	21,35,93,478.90	20000.00	2,76,31,34,507.35
8	कर्नाटक बैंक लि.	9.03	23,21,27,161.15	3.81	10,78,26,606.88	0.00	33,99,53,768.03
9	करुर वैश्या बैंक लि.	16.60	34,74,91,744.89	2.47	2,41,87,515.85	10952985.65	36,07,26,275.09
10	कोटेक महिन्द्रा बैंक लि.	0.18	50,53,294.99	0.06	8,92,168.00	0.00	59,45,462.99
11	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.48	17,58,99,020.00	2.38	3,70,59,058.00	0.00	21,29,58,078.00
12	नैनीताल बैंक लि.	0.99	2,62,51,110.00	0.69	70,30,092.00	246647.00	3,30,34,555.00
13	रत्नाकर बैंक लि.	1.10	2,99,62,591.00	0.00	1,07,15,931.00	0.00	4,06,78,522.00
14	साउथ इंडियन बैंक लि.	4.90	9,52,48,747.99	0.39	1,11,51,282.00	0.00	10,64,00,029.99
15	तमिलनाडु मर्क बैंक लि.	4.18	6,86,30,891.00	2.09	2,97,39,481.00	706908.99	9,76,63,463.01
16	एक्सिस बैंक लि.	6.75	48,12,39,173.35	7.05	21,03,39,142.05	302035.92	69,12,76,279.48
17	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14.74	38,73,35,658.00	6.29	14,79,68,762.45	24422.00	53,52,79,998.45
18	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	8.25	20,59.60,974.00	0.44	1,48,08,204.80	0.00	22,07,69,178.80
	कुल	793.85	5,91,12,98,259.74	91.75	1,09,09,17,918.26	12346520.56	6,98,98,69,657.44

1	2	3	4	5	6	7	8
	स्थानीय क्षेत्र के बैकों का नाम						
1.	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	0.04	10.73,666.00	0.01	4,62,368.00	154963.00	13,81,071.00
2.	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	0.11	17,37,035.77	0.01	1,90,433.00	0	19,27,468.77
3.	कृष्णा भीम समृद्धि बैंक लि.	2.08	93,30,193.77	0.03	2,98.597.00	0	96,28,790.77
4.	कैपिटल लॉकल एरिया बैंक लि.	0.00	0.00	0.05	52,49,942.00	0.00	52,49,942.00
	कुल	2.23	1,21,40,895.54	0.11	62,01,340.00	1,54,963.00	1,81,87,272.54
	शहरी सहकारी बैंक	लागू नहीं	3,52,24,54,853.33	लागू नहीं	185749591.50	18,25,59,931.44	3,52,56,44,513.39
	कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		1,87,13,96,75,046.94		44,69,64,24,392.15	23,08,40,414.48	2,31,60,52,59,024.61

[अनुवाद]

धन का गैर-कानूनी अंतर्प्रवाह

1156. **श्री रामसिंह राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विदेशों से गैर-कानूनी धन के अंतर्प्रवाह को रोकने के लिए विद्यमान तंत्र क्या है और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के पश्चात् सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास गैर-कानूनी रूप से धन के हस्तांतरण में संलिप्त दोषियों के साथ कड़ाई से निपटने/कठोर दंड देने संबंधी कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार के साथ समन्वय से विदेशों से गैर-कानूनी धन के अंतर्प्रवाह के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांचों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत भारत में अप्राधिकृत माध्यमों से धन के गैर-कानूनी अंतरण के संबंध में 220 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।

(ग) फेमा के विद्यमान प्रावधान अर्थदंड/सजा अवधि के लिहाज से पर्याप्त तथा उपर्युक्त माने जाते हैं।

[हिन्दी]

बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को शामिल किया जाना

1157. **श्री घनश्याम अनुरागी : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत चिह्नित जिलों की राज्य-वार सूची का और उनको चिह्नित करने के लिए अपनाए गए मापदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और नए जिलों को चिह्नित/शामिल करने हेतु और इस संबंध में सर्वेक्षण करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा और दिशा-निर्देश क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले सहित और अधिक जिले शामिल करने हेतु कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक नए जिले चिह्नित/शामिल करने के बारे में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बीआरजीएफ) के अंतर्गत चिह्नित 272 जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 272 जिलों में से वर्ष 2006-07 के दौरान 250 जिलों को तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 22 जिलों को चिह्नित किया गया। इन्हें विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक मापदंडों के आधार पर चिह्नित किया गया।

(ख) और (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष 4 वर्षों (2013-14 से 2016-17 तक) में बीआरजीएफ की संरचना पर निर्णय 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के अनुसार लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) बीआरजीएफ के अंतर्गत जिलों को सम्मिलित किए जाने के लिए राज्यों से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोधों का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) योजना आयोग ने वर्ष 2012-13 के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत 22 अन्य जिलों को सम्मिलित किया है। सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

272 बीआरजीएफ जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	जिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अदिलाबाद
		2.	अनंतपुर
		3.	चित्तूर

1	2	3	4
		4.	कुडप्पा
		5.	करीमनगर
		6.	खम्माम
		7.	महबूबनगर
		8.	मेडक
		9.	नालगोंडा
		10.	निजामाबाद
		11.	रंगारेड्डी
		12.	विजयानगरम
		13.	वारंगल
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.	अपर सुबानसारी
3.	असम	15.	बक्सा
		16.	बारपेटा
		17.	बोंगईगांव
		18.	कच्चर
		19.	चिरांग
		20.	धेमाजी
		21.	गोलपाड़ा
		22.	हैलाकांडी
		23.	करबी अंगलोंग
		24.	कोकराझाड़
		25.	मोरेगांव
		26.	नार्थ कच्चर हिल्स
		27.	नार्थ लखीमपुर
4.	बिहार	28.	अररिया
		29.	अरवल
		30.	औरंगाबाद
		31.	बांका
		32.	बेगुसराय
		33.	भागलपुर
		34.	भोजपुर
		35.	बक्सर
		36.	दरभंगा
		37.	गया
		38.	गोपालगंज
		39.	जमुई
		40.	जहानाबाद
		41.	कैमूर
		42.	कटिहार
		43.	खगड़िया
		44.	किशनगंज
		45.	लखीसराय
		46.	मधेपुरा
		47.	मधुबनी
		48.	मुंगेर
		49.	मुज्जफ्फपुर
		50.	नालंदा
		51.	नवादा

1	2	3	4
		52.	पश्चिम चंपारण
		53.	पटना
		54.	पूर्वी चंपारण
		55.	पुर्णिया
		56.	रोहतास
		57.	सहरसा
		58.	समस्तीपुर
		59.	सारण
		60.	शेखपुरा
		61.	शिवहर
		62.	सीतामढ़ी
		63.	सिवान
		64.	सुपौल
		65.	वैशाली
5.	छत्तीसगढ़	66.	बस्तर
		67.	बीजापुर
		68.	बिलासपुर
		69.	दांतेवाड़ा
		70.	धमतारी
		71.	जशपुर
		72	कबीरधाम
		73.	कांकेर
		74.	कोरबा
		75.	कोरिया
		76.	महासमंद
		77.	नारायणपुर
		78.	रायगढ़
		79.	राजनंदगांव
		80.	सरगुजा
6.	गुजरात	81.	बनास कंठा
		82.	दहोद
		83.	डांग
		84.	नर्मदा
		85.	पंचमहल
		86.	सबर कंथा
7.	हरियाणा	87.	महेंद्रगढ़
		88.	सिरसा
8.	हिमाचल प्रदेश	89.	चमौली
		90.	सिरमौर
9.	जम्मू और कश्मीर	91.	डोडा
		92.	किश्तवार
		93.	कुपवाड़ा
		94.	पूंछ
		95.	रामवन
10.	झारखंड	96.	बोकारो
		97.	चतरा
		98.	देवघर
		99.	धनबाद

1	2	3	4
		100.	दुमका
		101.	गढ़वा
		102.	गिरिडीह
		103.	गोड्डा
		104.	गुमला
		105.	हजारीबाग
		106.	जामताड़ा
		107.	कोडरमा
		108.	खूंटी
		109.	लातेहार
		110.	लोहरदग्गा
		111.	पाकुड़
		112.	पलामू
		113.	रामगढ़
		114.	रांची
		115.	साहेबगंज
		116.	सरायकेला खरसावन
		117.	सिमडेगा
		118.	पश्चिमी सिंहभूम
11.	कर्नाटक	119.	बीदर
		120.	चित्रदुर्ग
		121.	दावनगेरे
		122.	गुलबर्गा
		123.	रायचूर
		124.	यादगीर
12.	केरल	125.	पाक्कड़
		126.	वायानाड
13.	मध्य प्रदेश	127.	अलीराजपुर
		128.	अनुपपुर
		129.	अशोकनगर
		130.	बालाघाट
		131.	बरवानी
		132.	बेतूल
		133.	बुरहानपुर
		134.	छत्तरपुर
		135.	छिंदवाड़ा
		136.	दामोह
		137.	धार
		138.	दिनदोरी
		139.	गुना
		140.	झाबुआ
		141.	कटनी
		142.	खंडवा
		143.	खारगांव
		144.	मंडला
		145.	पन्ना
		146.	राजगढ़
		147.	रीवा
		148.	सतना

1	2	3	4
		149.	सियोनी
		150.	शहडोल
		151.	श्योपुर
		152.	शिवपुरी
		153.	सिद्धी
		154.	सिंगरौली
		155.	टिकमगढ़
		156.	उमरिया
14.	महाराष्ट्र	157.	अहमदनगर
		158.	अमरावती
		159.	औरंगाबाद
		160.	भंडारा
		161.	चंद्रपुर
		162.	धुले
		163.	गढ़चिरोली
		164.	गोंडिया
		165.	हिंगोली
		166.	नांदेड़
		167.	नंदुरबार
		168.	यावतमल
15.	मणिपुर	169.	चंदेल
		170.	चुडाचांदपुर
		171.	तमेंगलोंग
16.	मेघालय	172.	रि-भोई
		173.	साउथ गारो हिल्स
		174.	वेस्ट गारो हिल्स
17.	मिजोरम	175.	लवंगतलई
		176.	शैहा
18.	नागालैंड	177.	किफरी
		178.	लोंगलेंग
		179.	मोन
		180.	त्वेंगसांग
		181.	वोखा
19.	ओडिशा	182.	बारगढ़
		183.	बोलंगिर
		184.	बौद्ध
		185.	दियोगढ़
		186.	धेनकनाल
		187.	गजपति
		188.	गंजम
		189.	झारसुगड़ा
		190.	कालाहांडी
		191.	कंधमाल (फुलबनी)
		192.	क्योंझार
		193.	कोरापुट
		194.	मलकानगिरी
		195.	म्यूरभंज

1	2	3	4
		196.	नवरंगपुर
		197.	नौपाड़ा
		198.	रायगढ़
		199.	संबलपुर
		200.	सोनेपुर (सुवर्णपुर)
		201.	सुंदरगढ़
20.	पंजाब	202.	होशियारपुरा
21.	राजस्थान	203.	बासवाड़ा
		204.	बाड़मेर
		205.	चित्तौड़गढ़
		206.	डुंगरपुर
		207.	जैसलमेर
		208.	जालोर
		209.	झालावार
		210.	करौली
		211.	प्रतापगढ़
		212.	सवाई माधोपुर
		213.	सिरोही
		214.	टौंक
		215.	उदयपुर
22.	सिक्किम	216.	नार्थ जिला
23.	तमिलनाडु	217.	कुडल्लोर
		218.	डिंडीगुल
		219.	नागपट्टनम
		220.	शिवगंगा
		221.	तिरुवनमलई
		222.	विल्लूपूरम
24.	त्रिपुरा	223.	धलैई
25.	उत्तर प्रदेश	224.	अम्बेदकर नगर
		225.	आजमगढ़
		226.	बदायूं
		227.	बहराइच
		228.	बलरामपुर
		229.	बांदा
		230.	बाराबंकी
		231.	बस्ती
		232.	चंदौली
		233.	चित्रकुट
		234.	एटा
		235.	फरूखाबाद
		236.	फतेहपुर
		237.	गोंडा
		238.	गोरखपुर
		239.	हमीरपुर
		240.	हरदोई
		241.	जालौन
		242.	जौनपुर
		243.	कांशीराम नगर

1	2	3	4
		244.	कौशांबी
		245.	कुशीनगर
		246.	लखीमपुरखिरी
		247.	ललितपुर
		248.	महाराजगंज
		249.	महोबा
		250.	मिर्जापुर
		251.	प्रतापगढ़
		252.	रायबरेली
		253.	संत कबीर नगर
		254.	श्रावस्ती
		255.	सिद्धार्थ नगर
		256.	सीतापुर
		257.	सोनभद्र
		258.	उन्नाव
26.	उत्तराखंड	259.	चमोली
		260.	चंपावत
		261.	टिहरी गढ़वाल
27.	पश्चिम बंगाल	262.	24 दक्षिण परगना
		263.	बांकुरा
		264.	बीरभूम
		265.	दिनाजपुर दक्षिण
		266.	दिनाजपुर उत्तर
		267.	जलपाईगुड़ी
		268.	मालदा
		269.	मेदनीपुर पूर्व
		270.	मेदनीपुर पश्चिम
		271.	मुर्शिदाबाद
		272.	पुरूलिया

विवरण-II

बीआरजीएफ के अंतर्गत अतिरिक्त जिलों को सम्मिलित किए जाने के लिए राज्यों से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोध

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	हरियाणा	मेवात
2.	मध्य प्रदेश	दतिया, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, सिहोर और सागर
3.	असम	चिरांग, बराका, उदलगिरि
4.	तमिलनाडु	धर्मपुरी, कृष्णागिरी, वेल्लोर एवं धरमपुरी
5.	पश्चिम बंगाल	कुच्च बिहार
6.	असम	संपूर्ण असम राज्य
7.	महाराष्ट्र	शोलापुर का अक्कालकोट तालुका तथा नागपुर को छोड़कर विदर्भ तथा मराठवाड़ा के सभी जिलें
8.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर तथा नवांशहर
9.	नागालैंड	पेरेन
10.	राजस्थान	प्रतापगढ़
11.	मिजोरम	ममीत
12.	जम्मू और कश्मीर	रामबन तथा किश्तवार
13.	मणिपुर	सेनापति

विवरण-III

22 नए जिलों की सूची

राज्य		जिले का नाम
असम	1.	चिरांग
	2.	बक्सा
बिहार	3.	अरवल
	4.	सोवान
छत्तीसगढ़	5.	नारायणपुर
	6.	बीजापुर
जम्मू और कश्मीर	7.	रामबन
	8.	किश्तवाड़
झारखंड	9.	खूंटी
	10.	रामगढ़
कर्नाटक	11.	यादगिरी
	12.	अशोक नगर
	13.	बुरहानपुर
	14.	अनुपपूर
	15.	छिंदवाड़ा
	16.	अलीराजपुर
	17.	सिंगरौली
नागालैंड	18.	लौंगलेंग
	19.	किफरी
ओडिशा	20.	बारगढ़
राजस्थान	21.	प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश	22.	कांशीराम नगर

[अनुवाद]

पूंजी ऋण संबद्ध राजसहायता योजना

1158. **श्री उदय सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक विभिन्न बैंकों के पास ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत एसएमई क्षेत्र के लंबित दावों की धनराशि और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) बैंकों के माध्यम से संवितरित होने वाली सरकारी निधियों को रोक रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीण) : (क) ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता (सब्सिडी) योजनाओं (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में एसएमई क्षेत्र की राशि सहित लंबित दावों का ब्यौरा निम्नवत है:—

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंकों में लंबित दावे	
		राशि (लाख रुपए)	यूनिटों की संख्या
1.	सिडीबी, लखनऊ	683.58	115
2.	बैंक आफ इंडिया, मुम्बई	68.48	16
3.	नाबार्ड, मुम्बई	28.97	3
4.	भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई	427.79	68
5.	केनरा बैंक, बंगलूरु	27.58	7
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई	52.92	11
7.	टीआईआईसीएल, चेन्नै	184	37
8.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जयपुर	63.22	13

(ख) और (ग) सिडबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा मंजूर निधियों का सीएलसीएस योजना के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी के संवितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरपूर उपयोग किया गया है।

सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के सदस्य

1159. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त बाजारों का सदस्य बनने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र दिनांकित 5 नवम्बर, 2012 द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में मालिकाना लेन-देन करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को अनुमति दी है। एससीबी को स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा तथा स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनते समय सेबी तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा बनाये गये नियामक मानकों का भी पालनकरना पड़ेगा। विगत में, भारतीय रिजर्व बैंक, परिपत्र दिनांकित 06 अगस्त, 2008 के द्वारा, 'प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक' को अपने स्वयं के खाते पर और अपने ग्राहकों की ओर से कतिपय न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की मुद्रा वायदा बाजार का कारोबारी और समाशोधन सदस्य बनने की स्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त एससीबी ब्याज दर जोखिम में बचाव तथा कारोबार के लिए मालिकाना लेनदेनों को शुरू करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंजों के वायदा तथा विकल्प खंड की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मानव मल से बिजली

1160. **श्री भूपेन्द्र सिंह :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव मल से विद्युत उत्पादन करने हेतु देश में एक समाज सेवी संगठन द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स सुलभ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य अकादमी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत मानव मल के माध्यम से बायोगैस और विद्युत का उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास किया है। मैसर्स सुलभ अंतर्राष्ट्रीय द्वारा मानव मल का प्रयोग कर शिरडी में 20 किवाए का एक और प्रत्येक 10 किवाए की दो और सुलभ इंटरनेशनल कार्यालय कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में 5.5 किवाए का एक संयंत्र सहित चार बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मानव उत्सर्ग सहित जैविक अवशिष्टों से बायोगैस और विद्युत के उत्पादन पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

बौद्ध पर्यटन

1161. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बौद्ध पर्यटन के विकास हेतु कतिपय बौद्ध सर्किट चिह्नित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सर्किटों के विकास हेतु रेल/सड़क सपर्क एवं अन्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में आबंटित निधियों और इस हेतु स्वीकृत धनराशि सहित चिह्नित सर्किटों के विकास एवं इन्हें बढ़ावा देने हेतु की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 12वीं योजना अवधि के दौरान एकीकृत विकास के लिए बौद्ध परिपथों सहित आध्यात्मिक पर्यटन परिपथों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट (एनएलसी) की नियुक्ति की है।

पर्यटन संभाव्यता के आधार पर राज्यों और स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श से एनएलसी द्वारा पहचान किए गए बौद्ध परिपथों की सूची नीचे दी गई है:–

(i) धर्मयात्रा परिपथ: बोध गया (बिहार)-सारनाथ (उत्तर प्रदेश)-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)-पिपरवाह (उत्तर प्रदेश)।

(ii) विस्तारित धर्मयात्रा परिपथ: बोध गया (बिहार)-नालंदा (बिहार)-राजगीर (बिहार)-पटना (बिहार)-वैशाली (बिहार)-विक्रमशिला (बिहार)-सारनाथ (उत्तर प्रदेश)-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)-कपिलवस्तु (उत्तर प्रदेश)-संकिसा (उत्तर प्रदेश)-पिपरवाह (उत्तर प्रदेश)।

निर्धारित परिपथों की पहचान करते समय अवसंरचना अंतरों अर्थात रेल/सड़क संपर्क को पूरा करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।

(घ) और (ङ) पहचान किए गए परिपथों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु अब तक कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए संबंधित राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) की स्थापना की है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति की रिपोर्टें पर्यटन मंत्रालय को आवधिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

बैंकों में ठेके पर रोजगार

1162. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) धीरे-धीरे ठेके पर रोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ठेके पर प्रदान किए गए रोजगार का प्रतिशत कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, संवर्ग-वार, बैंक-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रिक्तियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्मिकों की भर्ती मुख्यत: नियमित भर्ती के जरिए की जा रही है। तथापि, कुछेक बैंकों में संविदा आधारित कुछ रोजगार दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में संविदा आधारित रोजगार के जरिए कार्मिकों की भर्ती की प्रतिशतता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न संवर्ग में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में संविदा आधारित रोजगार के जरिए की गई कार्मिक की भर्ती की प्रतिशतता

क्र. सं.	बैंक का नाम	संविदा आधारित रोजगार की प्रतिशतता
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	शून्य
2.	आंध्रा बैंक	5%
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	शून्य
4.	बैंक ऑफ इंडिया	शून्य
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	शून्य
6.	केनरा बैंक	0.49%
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.28%

1	2	3
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	0.15%
9.	देना बैंक	शून्य
10.	इंडियन बैंक	शून्य
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1% से कम
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	शून्य
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	शून्य
14.	पंजाब नैशनल बैंक	शून्य
15.	सिंडिकेट बैंक	शून्य
16.	यूको बैंक	शून्य
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.35%
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	शून्य
19.	विजया बैंक	शून्य
20.	भारतीय स्टेट बैंक	0.25%
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.13%
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.68%
23.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.04%
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.35%
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.05%

विवरण-II

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	बैंक का नाम	अधिकारी	लिपिक	सब-स्टॉक
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1431	1100	0
2	आंध्रा बैंक	98	152	135
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	0	0	0
4	बैंक ऑफ इंडिया	2802	2267	1953
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	445	277	76
6	केनरा बैंक	0	0	0
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2854	3615	386
8	कॉर्पोरेशन बैंक	157	116	0
9	देना बैंक	232	141	330
10	इंडियन बैंक	1197	82	102
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0	0
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1551	372	583
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	2500	1119	1171
14	पंजाब नैशनल बैंक	779	1497	2166
15	सिंडिकेट बैंक	0	0	0
16	यूको बैंक	3747	0	0
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1260	1251	555
19	विजया बैंक	1732	706	209
20	भारतीय स्टेट बैंक	0	9500	0
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1027	363	156
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	159	1880	35
23	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	738	800	229
24	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	453	1160	350
25	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	416	670	600

[अनुवाद]

कलावती सरन अस्पताल में बच्चों की मौतें

1163. श्री सी.आर. पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में 10,081 बच्चों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में कोई शिकायत दर्ज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 (31 जुलाई तक) के दौरान बच्चों के दाखिले, मृत्यु, समग्र मृत्यु दर और शुद्ध मृत्यु दर के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	दाखिले	मौतें	समग्र मृत्यु	शुद्ध मृत्यु दर (ठहरने के 48 घंटे में मौतें)
2008	29985	2713	9.0	3.8
2009	27951	2499	8.9	4.0
2010	28840	2144	7.4	3.2
2011	27123	1782	6.5	2.6
2012	23179	943	4.7	2.8

उपर्युक्त मौतों के सामान्य कारण में समय से पूर्व जन्म देना व प्रसवकालीन अवधि में अन्य कु-परिभाषित स्थिति; ब्रोंकोनिमोनिया व अन्य श्वसनीय संक्रमण; नवजात पुतिता व अन्य पुतिता, मैनिनजाइटिस व मैंनिनगोकोक्कोल संक्रमण; आंतड़ी संबंधी संक्रमण व अन्य रोग; से 50 प्रतिशत से अधिक मौतें दाखिले के पहले 48 घंटों के भीतर यह इंगित करते हुए होती है कि इन रोगियों को देर से और नाजुक स्थिति में लाया गया था; दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों द्वारा भेजे जाने वाले गंभीर रूप से बीमार शिशुओं को दाखिले के लिए प्राप्त करना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक दल ने हाल ही में कलावती सरण बाल अस्पताल का दौरा किया। संशोधित कारणों अर्थात् संक्रमणों से बढ़ाए गए संक्रमणों एंटीबॉडिज का प्रयोग किया जा रहा है और वॉरमस, वेंटिलेटरों, मॉनीटरों इत्यादि जैसे उपकरणों का उपयोग करके उत्तम परिचर्या प्रदान की जा रही है। रोगियों की बढ़ी हुई संख्या की मांग को पूरा करने के लिए ऐसे और अधिक उपकरणों को खरीदे जाने का प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की क्षमता निर्माण और व्यापक प्रसूति परिचर्या; प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या को सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नाम आधारित खोज; नई पहल अर्थात् जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इत्यादि को शुरू करना जो महिलाओं और शिशुओं को उनके घरों के पास समय पर उपचार प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ता है, के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है और शुरू में ही बीमार बच्चों को अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए भेजने से उनकी मृत्यु दर भी कम हो सकती है।

[हिन्दी]

अनुमोदित सरकारी/निजी बीमा कंपनियां

1164. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत निजी और विदेशी जीवन बीमा कंपनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार किन कंपनियों को अनुमोदन प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार को कुछ निजी बीमा कंपनियों के विरुद्ध पालिसीधारकों से अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि भारत में विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों का ही गठन कर सकती हैं। भारत में काम कर रही अनुमोदित गैर-सरकारी जीवन बीमा कंपनियों की सूची और उनके संयुक्त उद्यम साझेदारों के

पंजीकृत कार्यालय का कंपनी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए गैर-सरकारी जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त पालिसीधारकों की शिकायतों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इरडा ने यह भी सूचित किया है कि उनके यहां केंद्रीकृत प्रणाली—एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस)—है जो सभी बीमा कंपनियों के विरुद्ध पालिसीधारकों की शिकायतों के केंद्रीय निक्षेपागार का निर्माण करता है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, वहां कार्रवाई की जाती है, जिनमें दंड और चेतावनी दिया जाना शामिल है।

विवरण-I

गैर-सरकारी जीवन बीमा कंपनियों की सूची

क्र. सं.	बीमाकर्त्ता	विदेशी साझेदार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	परिचालन का वर्ष	पंजीकृत कार्यालय किस शहर/राज्य में अवस्थित है
1	2	3	4	5	6	7
1.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	स्टेंडर्ड लाइफ (मारीशस होल्डिंग्स), 2006 लि.	101	23.10.2000	2000-01	मुंबई (महाराष्ट्र)
2.	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लि. जापान	104	15.11.2000	2000-01	मुंबई (महाराष्ट्र)
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रूडिंशियल कार्पोरेशन होल्डिंग्स लि., यूके	105	24.11.2000	2000-01	मुंबई (महाराष्ट्र)
4.	ओम कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	ओल्ड म्युचुअल पीएलसी, साउथ अफ्रीका	107	10.01.2001	2001-02	मुंबई (महाराष्ट्र)
5.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कंपनी लि.	सन लाइफ फाइनेंशियल (इंडिया) इंश्योरेंस इंवेस्टमेंट आईएनसी, कनाडा	109	31.01.2001	2000-01	मुंबई (महाराष्ट्र)
6.	टाटा-एआईजी लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	अमेरिकन इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी (बेरमुडा लि.)	110	12.02.2001	2000-01	मुंबई (महाराष्ट्र)

1	2	3	4	5	6	7
7.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीएनपी पारीबास कारडिफ, फ्रांस	111	29.03.2001	2001-02	मुंबई (महाराष्ट्र)
8.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईएनजी इंश्योरेंस इंटरनेशनल बी.वी. नीदरलैंड	114	02.08.2001	2001-02	बंगलूरु (कर्नाटक)
9.	बजाज एलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एलाइंज, जीई जर्मनी	116	03.08.2001	2001-02	पुणे (महाराष्ट्र)
10.	मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स आईएनसी, यूएसए	117	06.08.2001	2001-02	बंगलूरु (कर्नाटक)
11.	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., जापान	121	03.01.2002	2001-02	मुंबई (महाराष्ट्र)
12.	अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., यूके	122	14.05.2002	2002-03	गुड़गांव (हरियाणा)
13.	सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	—	127	06.02.2004	2004-05	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
14.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि.	—	128	17.11.2005	2005-06	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
15.	भारती एक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एक्स इंडिया होल्डिंग्स, फ्रांस	130	14.07.2006	2006-07	मुंबई (महाराष्ट्र)
16.	फ्यूचर जनरेली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	पार्टीसिपेटी माट्सचापिज ग्राफ्सचाप होलैंड एनवी, नीदरलैंड ('जनरेली')	133	04.09.2007	2007-08	मुम्बई (महाराष्ट्र)
17.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एजीज इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी नीदरलैंड	135	19.12.2007	2007-08	मुंबई (महाराष्ट्र)
18.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पेसिफिक) होल्डिंग्स लि.	136	08.05.2008	2008-09	गुड़गांव (हरियाणा)

1	2	3	4	5	6	7
19.	एगॉन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एगॉन इंडिया होल्डिंग्स बीवी, नीदरलैंड	138	27.06.2008	2008-09	मुंबई (महाराष्ट्र)
20.	डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रूडेंशियल इंटरनेशनल इंश्योरेंस होल्डिंग्स लि., यूएसए	140	27.06.2008	2008-09	गुड़गांव (हरियाणा)
21.	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	दाई-ईची लाइफ इंशेरेंस कंपनी लि., जापान	142	26.12.2008	2008-09	मुंबई (महाराष्ट्र)
22.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लीगल एंड जनरल मिडिल ईस्ट लि.	143	05.11.2009	2009-10	मुंबई (महाराष्ट्र)
23.	एडलवेस टोक्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	टोक्यो मैरीन एंड निचिडो फायर इंश्योरेंस कंपनी लि., जापान	147	10.05.2011	2011-12	मुंबई (महाराष्ट्र)

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए गैर-सरकारी जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पालिसीधारकों की शिकायतें और शिकायतों का संचलन

क्र. सं.	बीमाकर्त्ता का नाम	मृत्यु दावा	पालिसी सर्विसिंग	प्रस्ताव की प्रोसेसिंग	उत्तरजीविता दावे	यूलिप संबंधी	अनुचित करोबारी परिपाटी	अन्य	कुल	2011-12 में शिकायतों का संचलन	
										वर्ष के दौरान यथा सूचित	वर्ष के दौरान कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	एगॉन रेलीगेयर	18	365	107	25	26	2878	21	3440	3440	2774
2.	अव्रीवा	38	4201	1113	870	1392	4203	1703	13520	13520	13467
3.	बजाज एलाइंज	2936	3043	1901	6562	2748	4762	438	22390	22390	22388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	भारती एक्स	44	551	873	184	429	5199	30	7310	7310	7285
5.	बिरला सनलाइफ	66	1827	710	990	474	7685	159	11911	11911	11632
6.	केनरा एचएसबीसी	28	877	2819	11	126	1324	73	5258	5258	5256
7.	डीएलएफ प्रेमेरिका	3	51	67	0	5	490	5	621	621	619
8.	एडलवेस टोक्यो	0	1	3	0	0	2	0	6	6	6
9.	फ्यूचर जनरेली	50	94	14451	10	11	1035	16	15667	15667	15640
10.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	461	5781	5934	2634	1301	17910	1197	35218	35218	35205
11.	आईसीआई सीआई प्रूडेंशियल	154	2336	1973	755	1170	15499	129	22016	22016	22016
12.	आईडीबीआई फेडरल	29	23	20	9	14	397	10	502	502	500
13.	इंडिया फर्स्ट	4	84	255	0	29	360	6	738	738	738
14.	आईएनजी वैश्य	21	2719	1349	3512	338	1509	1050	10498	10498	10497
15.	कोटक महिन्द्रा	22	275	194	109	139	5921	2190	8850	8850	8844
16.	मैक्स न्यूयार्क	149	3806	3674	333	72	2224	104	10362	10362	10360
17.	मेटलाइफ	99	221	219	143	179	2032	47	2940	2940	2940
18.	रिलायंस	258	5251	33847	721	515	9956	259	50807	50807	50802
19.	सहारा	12	5	4	3	2	2	1	29	29	29
20.	एसबीआई लाइफ	115	955	9378	622	252	6791	377	18490	18490	18482
21.	श्री राम	5	21	17	11	10	69	16	149	149	142
22.	स्टार यूनियन दाईची	2	23	40	1	12	193	13	284	284	283
23.	टाटा एआईजी	395	4264	1111	875	918	8657	87	16307	16307	16291
	गैर-सरकारी कुल	4909	36774	80059	18380	10162	99098	7931	257313	257313	256196

चिकित्सा/दंत-चिकित्सा कॉलेजों को मान्यता

1165. श्री रमेश बैस :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त चिकित्सा और दंत-चिकित्सा कॉलेजों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में इन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) और भारतीय दंत्य परिषद् (डीसीआई) द्वारा कतिपय चिकित्सा और दंत-चिकित्सा कॉलेजों को अनुमोदन/मान्यता देने में तथाकथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी सरकार ने जांच की है; और

(ङ) उक्त आधार पर सरकार द्वारा कितने चिकित्सा और दंत चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) मान्यता प्राप्त और स्वीकृत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कॉलेजों को क्रमशः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 तथा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमनों का कड़ाई से पालन किया जाता है। किसी चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज की मान्यता पर तब विचार किया जाता है जब एमबीबीएस/बीडीएस का पहला बैच विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा में बैठता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) अथवा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डीसीआई) अपने संबद्ध विनियमों में विहित मानक अपेक्षा के अनुसार कॉलेज में उपलब्ध परीक्षा और सुविधाओं के मानक का मूल्यांकन करने हेतु कॉलेजों का निरीक्षण करता है। एमसीआई/डीसीआई की सिफारिशों पर केंद्र सरकार आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत चिकित्सा अर्हताओं तथा दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10(2) के अंतर्गत दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करती है और अधिसूचित करती है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार को वर्ष 2009 से आज तक की तारीख के बीच चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों को अनुमोदन/मान्यता प्रदान करने में अनियमितताओं तथा भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में चिकित्सा कॉलेजों के खिलाफ 50 शिकायतें तथा दंत चिकित्सा कॉलेजों के खिलाफ 24 शिकायतें मिली हैं। केंद्र सरकार शिकायतों की प्रकृति के आधार पर इस मंत्रालय अथवा एमसीआई/डीसीआई/राज्य सरकार की सतर्कता डिवीजन को शिकायतें अग्रेषित करती हैं और यदि आवश्यक हो तो मानकों के अनुसार मौजूदा सुविधाओं का सत्यापन करने के लिए कॉलेज का निरीक्षण किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एक दंत चिकित्सा कॉलेज अर्थात जमनालाल गोयनका डेंटल कॉलेज अंकोला, महाराष्ट्र की दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16(4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता रद्द की गई है।

विवरण-I

मान्यता प्राप्त/स्वीकृत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा कॉलेज			दंत चिकित्सा कॉलेज		
		मान्यता प्राप्त	स्वीकृत	कुल	मान्यता प्राप्त	स्वीकृत	कुल
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	**आंध्र प्रदेश**	31	9	40	19	2	21

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	3	2	5	1	0	1
3.	बिहार	8	3	11	5	2	7
4.	चंडीगढ़	1	0	1	1	0	1
5.	छत्तीसगढ़	3	0	3	5	1	6
6.	दिल्ली	4	2	6	1	2	3
7.	गोवा	1	0	1	1	0	1
8.	गुजरात	12	10	22	9	4	13
9.	हरियाणा	3	3	6	10	1	11
10.	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	5	0	5
11.	जम्मू और कश्मीर	4	0	4	2	1	3
12.	झारखंड	3	0	3	2	1	3
13.	कर्नाटक	37	6	43	43	2	45
14.	केरल	18	5	23	17	6	23
15.	मध्य प्रदेश	10	2	12	12	3	15
16.	महाराष्ट्र	40	3	43	31	4	35
17.	मणिपुर	1	1	2	0	1	1
18.	मेघालय	1	0	1	0	0	0
19.	ओडिशा	4	3	7	4	1	5
20.	पुदुचेरी	8	1	9	2	1	3
21.	पंजाब	8	2	10	12	4	6
22.	राजस्थान	8	2	10	11	3	14
23.	सिक्किम	1	0	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	25	17	42	24	5	29
25.	त्रिपुरा	2	0	2	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	16	11	27	26	2	28
27.	उत्तराखंड	3	1	4	2	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	9	6	15	4	1	5
29.	एम्स	1	6	7	0	0	0
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	1
	कुल	267	95	362	249	48	297

विवरण-II

देश में चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों के खिलाफ 2009 से आज तक की तारीख तक प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कॉलेजों में शिकायतों की संख्या	दंत चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता के संबंध में शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	—
2.	राजस्थान	3	3
3.	पंजाब	3	—
4.	मध्य प्रदेश	5	2
5.	पुदुचेरी	3	—
6.	उत्तर प्रदेश	7	5
7.	तमिलनाडु	4	—
8.	हरियाणा	—	4
9.	कर्नाटक	4	1
10.	महाराष्ट्र	2	2
11.	गुजरात	4	1
12.	केरल	2	—
13.	त्रिपुरा	1	—
14.	ओडिशा	2	—
15.	उत्तराखंड	1	—
16.	झारखंड	1	—
17.	बिहार	1	5
18.	हिमाचल प्रदेश	—	1
	कुल	50	24

ब्याज-रहित चक्रीय निधि

1166. **श्री बद्रीराम जाखड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहकारी बैंकों को अनुदान प्राप्त कुल ब्याज राशि का 75 प्रतिशत अपने पास ब्याज-रहित चक्रीय निधि के रूप में रखने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) नाबार्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री उमेश सारंगी की अध्यक्षता में ऋण संबद्ध मुद्दों पर गठित कार्यदल ने सिफारिश की है कि वर्ष की शुरूआत में अनुमानित ब्याज सहायता राशि का एक हिस्सा बैंकों के पास रखा जाए और इसका समायोजन वर्ष की समाप्ति पर बैंकों के प्रोत्साहन के तौर पर किया जाए।

एक वर्ष की अवधि वाले 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्परतापूर्वक ऋण चुकाने वाले किसानों अर्थात जो अपना ऋण समय पर चुकाते हैं, को अतिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1 प्रतिशत और 2010-11 में 2 प्रतिशत तथा 2011-12 में 3 प्रतिशत थी। इसके अलावा, मजबूरन की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए वर्ष 2011-12 में किसान क्रेडिट कार्डधारक लघु एवं सीमांत किसानों को फसल उत्पादन के पश्चात 6 माह की अतिरिक्त अवधि के लिए अपने उत्पाद मालगोदाम में रखने पर प्राप्त परक्राम्य मालगोदाम रसीदों पर फसल ऋण के समान दर पर प्राप्त ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना को उपलब्ध कराए गए लाभ वर्ष 2012-13 के दौरान भी जारी रहेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संबंध में यह योजना नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के जरिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी ब्याज सहायता का विवरण निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	ब्याज सहायता योजना 2009-10	ब्याज सहायता योजना 2010-11	ब्याज सहायता योजना* 2011-12
सहकारी बैंक	475.25	702.82	59.10*
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	269.58	321.56	107.79
कुल	744.83	1,024.38	166.89

*जारी योजना।

[अनुवाद]

कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त निधियां

1167. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नासिक में कुंभ मेला-2015 के लिए महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नासिक में कुंभ मेला 2015 के लिए धनराशि के आबंटन का कोई अनुरोध नहीं किया है और इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकार से एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मानकों के अनुसार, नासिक में कुंभ मेला 2015 के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न कार्य किए जाने के लिए अपनी सहमति भेजने का अनुरोध किया गया है।

यूनाइटेड किंगडम की सहायता

1168. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम सरकार से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है;

(ख) क्या यूके सरकार का विचार 2015 तक भारत को प्रदान की जाने वाली सहायता को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूके की सहायता न मिलने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) भारत को वित्तीय सहायता न मिलने की स्थिति में अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारत-यू.के. के विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से 2011-12 तथा 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्रक कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है:-

(करोड़ रुपए)

2011-12	2012-13 (अक्तूर, 2012 तक)
1689.45	204.45

(ख) और (ग) यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 09 नवम्बर, 2012 को घोषित किया है कि भारत को तत्काल प्रभाव से कोई नया वित्तीय सहायता अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तथापि, पहले से ही प्रक्रिया में कार्यक्रमों को अयोजितानुसार 2015 तक सम्पन्न किया जाएगा। देश के आठ कम आय वाले राज्यों (नामशः मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) में निर्धन-अनुकूल निजी क्षेत्र विकास उपाय (पीएसडीआई) तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम जारी रहेंगे।

(घ) और (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद में भारत को यू.के. की वित्तीय सहायता के अंशदान की प्रतिशतता लगभग 0.036 प्रतिशत रही है। इसलिए इसको बंद किए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही प्रक्रियाधीन परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा निर्धन-अनुकूल निजी क्षेत्र विकास उपायों को यू.के. से सहायता प्राप्त होना जारी रहेगा।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम

1169. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित विकेन्द्रित ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को विद्युत मंत्रालय की विकेन्द्रिकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) योजना और नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (आरवीईपी) दोनों के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या समस्त विकेन्द्रित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को पृथकत: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संपादित करने के लिए सरकार का इन दोनों योजनाओं के परस्पर विलय का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडीजी और आरवीईपी, दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। तथापि, दो स्कीमों के प्रावधान अलग हैं। मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अवद्युितीकृत जनगणना गांवों तथा विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार व्यवहार्य न पाए जाने के कारण उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके रोशनी/आधारिक विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अनुमोदित किया गया था।

विकेन्द्रित वितरण उत्पादन (डीडीजी) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं उन गांवों, जहां ग्रिड-कनैक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, के लिए पारंपरिक अथवा बायोमास, बायो-ईंधन, बायोगैस मिनी हाइड्रो, सौर आदि जैसे अक्षय स्रोतों से हो सकती है। उन गांवों/बस्तियों, जहां दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं, को भी डीडीजी स्कीम के तहत लिया जा सकता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरा आरवीई कार्यक्रम के तहत अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से स्वीकृत गांवों/बस्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडीजी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत गांवों/बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत गावों और बस्तियों की संख्या
1	2	3
1.	2007-08	1992

1	2	3
2.	2008-09	636
3.	2009-10	1431
4.	2010-11	1454
5.	2011-12	520

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडीजी कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत गावों और बस्तियों की संख्या
1.	2007-08	0
2.	2008-09	0
3.	2009-10	0
4.	2010-11	61
5.	2011-12	543

[हिन्दी]

महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं

1170. श्री मधु कोड़ा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल जनसंख्या के 48 प्रतिशत भाग महिलाओं को सुरक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषज्ञ दल की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार महिलाओं हेतु विकासोन्मुखी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का समुदाय-वार मूल्यांकन करना चाहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) महिलाओं को सुरक्षा रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उनके समग्र विकास हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है:—

I. कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम में 12000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा प्रदान की जाती है। बच्चों हेतु सुरक्षित स्थान होने के अलावा शिशु गृह, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे सुविधाएं प्रदान करते हैं।

II. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड : केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही महिला कल्याण संबंधी प्रमुख स्कीमें एवं कार्यक्रम परिवार परामर्श केंद्र, जागरूकता विकास कार्यक्रम एवं महिलाओं हेतु शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम हैं।

III. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। यह अप्रैल 2011 में संस्वीकृत एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और अंतर क्षेत्रीय संकेंद्रण को सुदृढ़ करने के अधिदेश के साथ एक व्यापक मिशन के रूप में कार्य करती है।

IV. जनवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं हेतु सुरक्षोपाय करने तथा उनके हितों की रक्षा करने का मुख्य अधिदेश प्राप्त है।

V. कामकाजी महिला हॉस्टल स्कीम में कामकाजी महिलाओं, एकल कामकाजी महिलाओं अपने गृह नगर से दूर स्थलों पर कार्य कर रही महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं कम शुल्क पर हॉस्टल आवास प्रदान करने का प्रावधान है।

VI. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम वर्ष 1986-87 के दौरान एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वरोजगार एवं नौकरी हेतु कौशलों का उन्नयन कर महिलाओं पर महत्वपूर्ण

प्रभाव डालना है। लक्ष्य समूह में वंचित परिसंपत्तिविहीन ग्रामीण महिलाएं एवं गरीब शहरी महिलाएं शामिल हैं।

VII. राष्ट्रीय महिला कोष 100 करोड़ रूपये की कोरपस राशि के साथ निर्धन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन करने के लिए सूक्ष्म ऋण सेवाएं प्रदान करता है।

VIII. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अक्तूबर, 2010 में शुरू की गई गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु सशर्त नकद अंतरण की स्कीम है।

IX. स्वाधार स्कीम : महिला एवं बाल विकास मंत्रायल वर्ष 2001 से ही गठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं हेतु स्वाधार स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पारिवारिक विवाद, अपरोध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हुई महिलाओं एवं लड़कियों को अस्थाई आवास, रख-रखाव एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे ही उद्देश्यों/लक्षित समूह वाली अल्पावास गृह नामक एक अन्य स्कीम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

X. उज्जवला स्कीम अवैध व्यापार के निवारण और व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने, उनका पुनर्वास करने एवं उन्हें समाज से पुन: जोड़ने की एक व्यापक स्कीम है।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शेल गैस परिसम्पत्तियों में निवेश

1171. **श्री जोस के. मणि :**
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की शेल गैस परिसम्पत्तियों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से शेल गैस का निर्यात भारत जैसे गैर-मुक्त व्यापार समझौते (नॉन-एफटीए) वाले देशों के लिए प्रतिबंधित और निषिद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो एक विदेशी परिसम्पत्ति में निवेश का क्या औचित्य है जिसे वापस भारत नहीं लाया जा सकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में ज्यादा तरलता वाले तेल/कंडेन्सेट परिसम्पत्ति में निवेश किया है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से भारत जैसे नान-फ्री ट्रेड एग्रीमेंन्ट्स (एफटीए) देशों को शेल गैस का निर्यात सीमित एवं प्रतिबंधित है। यूएसए में उक्त शेल तेल/केडेन्सेट परिसम्पत्ति में निवेश का औचित्य नीचे दिया गया है:—

(i) नायोब्रारा शेल तेल के उत्पादन में पैठ बनाना।

(ii) यूएस की अपरंपरागत शेल परिसंपत्ति तक पहुंच।

(iii) प्रचालक के रूप में यूएस की प्रतिष्ठित अपरांपरागत कंपनी अर्थात् कैरीजो (नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटीज डीलर्स आटोमेटेड कोटेशन्स (एनएएसडीएक्यू) (सूचीबद्ध कंपनी) के साथ काम करने का अवसर।

(iv) यूएसए और भारत में और अधिक शेल तेल/गैस उद्यमों में कैरीजों के साथ मिलकर भागीदारी/बोली की संभावना।

(v) सेंकेंडमेंट के जरिए आईओसीएल की अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) जनशक्ति को काम करने का अवसर और अनुभव।

(vi) इसके अलावा, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति से अत्यधिक कच्चे तेल/कंडेन्सेट का उत्पादन करना है।

[हिन्दी]

कंपनियों में घोटाले

1172. श्री अशोक कुमार रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक देश की बचत और निवेश कंपनियों में सार्वजनिक निक्षेपों के दुर्विनियोग के मामलों का ब्यौरा राज्य-वार और कंपनी-वार क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए और इनके मामले-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अधिकारियों के विरुद्ध सेवा कर मामले

1173. श्री जगदीश ठाकोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 2011-12 में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध लंबित सेवा कर से संबंधित मामलों का क्षेत्र-वार/आयुक्तालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक जांच की गई है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) वर्ष 2011-12 में सेवाकर के संबंध में लखनऊ जोन के केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इलाहाबाद के एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत का एक मामला विचाराधीन है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में संदर्भित मामले में जांच की गई है और इस मामले को प्रथम चरण की सलाह के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज दिया गया है।

(ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम चरण की सलाह अभी विचाराधीन है और इस मामले पर आगे की कार्रवाई केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रथम चरण की सलाह मिल जाने के पश्चात की जाएगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेटिंग कम करना

1174. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने उनके द्वारा अत्यधिक उधारियों के कारण 'रेटिंग' कम करने के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि भारी अल्प-वसूली और इसके परिणामस्वरूप नकदी की स्थिति पर दबाव के कारण रेटिंग एजेंसियां आईओसीएल की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। आईओसीएल के लम्बी अवधि के घरेलू उधारी कार्यक्रम पर दी गई 'एएए' रेटिंग पर आईसीआरए ने नकारात्मक आउटलुक दिया है। जबकि क्राइसिल (सीआरआईसीआईएल) ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को नकारात्मक आउटलुक दिया है, फिच (एफआईटीसीएच) ने आईओसीएल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को नकारात्मक आउटलुक दिया है। दिनांक 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी-वार उधारी निम्नवत् हैं:—

ओएमसी	करोड़ रुपए
आईओसीएल	90,601
बीपीसीएल	25,606
[illegible]ीसीएल	37,348
कुल	1,53,555

स्रोत: पीएसयूज तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) और पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा संकलित।

[हिन्दी]

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिए अनुसंधान

1175. श्री सुदर्शन भारत :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा केंद्र (सौलर एनर्जी सैंटर), जो उनके मंत्रालय का एक अनुसंधान और विकास संस्थान है और दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय (डेल्ही टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी) ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी अनुसंधान चलाने के लिए कोई कार्ययोजना भी तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस कार्य योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) सौर ऊर्जा केंद्र (सैक) और दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय (डीटीयू) के बीच दिनांक 22 मई, 2012 को हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन में एम.टेक तथा पीएचडी शोध प्रबंधों (थीसिस) के संयुक्त पर्यवेक्षण के माध्यम से सहभागी अनुसंधान, सौर ऊर्जा केंद्र में डीटीयू के छात्रों के लिए सौर ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावहारिक पाठ्यक्रमों, उद्योग के लिए संयुक्त पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और नवीनतम अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करने का प्रावधान है। अभी तक सौर ऊर्जा केंद्र द्वारा डीटीयू के साथ जून, 2012 में संकेंद्रित सौर विद्युत पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने में भागीदारी की गई है। डीटीयू का एक छात्र सैक के सहयोग से सौर कुलिंग पर पीएचडी भी कर रहा है।

(ग) मंत्रालय के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए सतत् अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के परिणामस्वरूप मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 9466 गांवों और बस्तियों को बिजली उपलब्ध कराई गई है, 45.45 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 16.25 मेगावाट की कुल क्षमता के बायोमास गैसीफायर लगाए गए हैं और ऑफ-ग्रिड प्रणाली में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए 103.81 मेगावाट की समग्र क्षमता की प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां संस्थापित की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना

1176. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) आश्रम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है। जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के सभी आश्रम विद्यालयों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा नक्सल प्रभावित जिलों के अलावा लड़कों के आश्रम विद्यालयों के लिए कुल अनुमानित लागत की केवल 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मंत्रालय द्वारा की जाती है। योजना के तहत केवल निर्माण लागत पूर्ण रूप से या मंत्रालय द्वारा हिस्सेदारी के रूप में प्रदान की जाती है। अध्यापकों की रिक्तियों को भरने सहित इन आश्रम विद्यालयों के संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है।

आंगनवाड़ी कर्मकारों को प्रशिक्षण

1177. श्री इज्यराज सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आंगनवाड़ी कर्मकार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष कितने कर्मकारों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह एक बार प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण है या सतत् अंतराल पर पुनश्चर्या/उन्नयन पाठ्यक्रम है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधियां स्वीकृत, जारी और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खोले जाते हैं। यह प्रशिक्षण के लिए शेष तथा नए भर्ती की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं के संबंध में उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 496 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। जहां तक नए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का संबंध है, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र अनुमोदित किए जाते हैं।

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या का प्रस्ताव राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने वार्षिक राज्य प्रशिक्षण परियोजनाओं में किया जाता है। इस वित्त वर्ष के दौरान मौजूदा आंगनवाड़ी प्रशिक्षणक केन्द्रों के माध्यम से 301014 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 280753 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को विभिन्न प्रकार के नियमित प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

(घ) 26 कार्य दिवस की अवधि वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आरंभिक नियुक्ति पर दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण निर्धारित किया जाता है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 8 दिवसीय अभिमुखीकरण व्यावसायिक प्रशिक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) दिनांक 30.9.2012 तक विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपये)

वर्ष	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि
2009-10	8453.41	7641.32
2010-11	9320.25	9455.36
2011-12	6521.09	8856.82
2012-13	5322.00	1369.75 (30.09.2012 की स्थिति के अनुसार)

विवरण

30.09.2012 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रचालनरत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	63
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	27
4.	बिहार	59
5.	छत्तीसगढ़	15
6.	गोवा	1

1	2	3
7.	गुजरात	18
8.	हरियाणा	10
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	जम्मू और कश्मीर	9
11.	झारखंड	19
12.	कर्नाटक	21
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	26
15.	महाराष्ट्र	33
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	ओडिशा	26
21.	पंजाब	9
22.	राजस्थान	21
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	*
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	66
27.	उत्तराखंड	7
28.	पश्चिम बंगाल	22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	5
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
	अखिल भारत	496

*तमिलनाडु में कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है क्योंकि सीडीपीओ/पर्यवेक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाता है।

टिप्पणी: जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कोई आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है वे पड़ोसी राज्यों की सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

शोधन प्रक्रिया का आउटसोर्सिंग

1178. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शोधन प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शोधन प्रक्रिया में जिन कार्यों को 'आउटसोर्स' किया जाना है उनके चयन के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप तेलशोधकों के कार्यकरण में किए हद तक सुधार हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

चाइल्ड केयर केन्द्र

1179. श्री मेनका गांधी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत 'चाइल्ड केयर' केन्द्रों और संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में चल रहे अपंजीकृत 'चाइल्ड फेयर' केन्द्रों और संस्थाओं की संख्या पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) 'चाइल्ड केयर' संस्थाएं (सीसीआई) निम्नलिखित तीन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं:— नामतः स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956, अथवा अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 जैसा कि राज्य संघ राज्य प्रशासन में लागू है और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जे.जे. अधिनियम) इन विधानों के अंतर्गत राज्य सरकार संघ राज्य प्रशासनों द्वारा अनुज्ञापन मान्यता पंजीकरण किया जाता है।

सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय (किशोर न्याय) जे.जे. अधिनियम को लागू कर रहा है और समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों को कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सीसीआई स्थापित करने और उनके रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय केवल आईसीपीएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त सीसीआई के आंकड़े ही रखता है। अब तक आईसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त विभिन्न प्रकार के सीसीआई की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय सशक्त रूप से राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों के साथ जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत सभी सीसीआई को पंजीकृत करने के लिए प्रबल रूप से कार्य कर रही है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे जिला स्तर पर सर्वेक्षण करके उन संस्थानों की पहचान करें जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं और उन संगठनों से कहा जाए कि वे तुरंत जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवा लें। ऐसा न करने पर किसी भी विधान के अंतर्गत किया गया पंजीकरण मान्यता अनुज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा तथा बच्चों को जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सीसीआई में भेज दिया जाएगा।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत अब तक सहायता प्राप्त विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं का राज्यसंघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	गृह	मुक्त आश्रम	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	105	10	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	1
3.	असम	7	3	4
4.	बिहार	14	—	2
5.	चंडीगढ़	13	—	—
6.	गुजरात	52	—	14
7.	हरियाणा	12	—	2
8.	हिमाचल प्रदेश	22	2	1
9.	झारखंड	16	—	3
10.	कर्नाटक	69	23	22
11.	केरल	28	3	14
12.	मध्य प्रदेश	44	4	24
13.	महाराष्ट्र	86	2	17
14.	मणिपुर	13	1	1
15.	मेघालय	21	1	1

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	7	—	4
17.	नागालैंड	19	2	2
18.	ओडिशा	12	9	12
19.	पंजाब	15	—	5
20.	राजस्थान	74	20	24
21.	सिक्किम	5	—	1
22.	तमिलनाडु	243	14	15
23.	त्रिपुरा	11	3	9
24.	उत्तर प्रदेश	64	22	5
25.	पश्चिम बंगाल	53	22	14
26.	चंडीगढ़	—	—	—
27.	दिल्ली	25	14	2
28.	पुदुचेरी	6	2	—
	कुल	1037	157	222

[हिन्दी]

वेतन में विसंगति

1180. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री रामकिशुन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र/राज्य सरकारों और बैंकों में कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनों में विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ग) आज तक इससे कितनी सफलता मिली?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते स्वतंत्र रूप से निर्धारित किएं जाते हैं। यद्यपि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के मामले में ये प्रबंधन और संगठनों/यूनियनों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों का मामला विशिष्ट रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिए इन तीन विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के मामले में पारस्परिक विसंगति का कोई प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

एनसीपीसीआर को दिशा-निर्देश

1181. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, (एनसीपीसीआर) को बाल कल्याण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीपीसीआर देश में स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों सहित छात्रों द्वारा आत्महत्या की जांच कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यकरण की विधि निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के कथित आत्महत्या से संबंधित 36 शिकायतों का निपटान किया है। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्कूलों कॉलेजों में छात्रों द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने संबंधी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निपटाई गई शिकायतें

क्र.सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	
2.	बिहार	1
3.	दिल्ली	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	महाराष्ट्र	1
6.	मणिपुर	1
7.	तमिलनाडु	21
8.	उत्तर प्रदेश	3
9.	उत्तराखंड	1
10.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	36

[हिन्दी]

त्रुटिपूर्ण एटीएम

1182. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एटीएम में बार-बार खराबी आने से उपभोक्ताओं/खाताधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खराब एटीएमे को सही करने के लिए तकनीकी स्टॉफ की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा एटीएम का सुगम कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) एटीएम लेनदेनों में यदा-कदा उत्पन्न अड़चनों के कारण बैंकिंग सेवाओं के ग्राहक और खाताधारक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये कठिनाइयां मुख्यतया एटीएम से नकदी की कम निकासी अथवा निकासी न होने से संबंधित होती है और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ग्राहकों के खातों से पूरी राशि कट जाती हे। एटीएम में अड़चन के कारकों में आमतौर पर नेटवर्क लिंक का डाउन होना, पावर फेल्योर, प्रिंटर फेल्योर, नकदी वितरण आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। अन्य अड़चनें आहरण प्राप्ति संबंधी गलती, अन्य प्राप्ति संबंधी गलतियां, नकदी जमा गलती, कैसेट ब्लाक, कम नकदी और प्रशासनिक कमियों आदि से संबंधित होती हैं।

बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायतों क आधार एटीएम से संबंधित शिकायतें होती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा देखी गई एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2009-10	18,533
2010-11	16,871
2011-12	14,237

(ग) एटीएम/कैश डिस्पेंसरों को लगाने और इनका रख-रखाव वेण्डरों के साथ निष्पादित वार्षिक रख-रखाव संविदाओं (एएमसी) के अंतर्गत बाह्य स्रोत उपयोग मॉडल के आधार पर वेंडरों के जरिए प्रबंधित/कार्यान्वित किया जाता है। वेंडरों से यह अपेक्षा है कि वे एटीएम अड़चन/कमी को शहरी इलाकों में 2 घंटे के भीतर तथा शहर से बाहर के इलाकों में 5 घंटे के भीतर दूर करें और यह डाउन टाइम शिकायत की सूचना देने के 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एटीएम निर्धारित समय से ज्यादा समय के लिए डाउन रहता है तो वेंडरों पर समुचित दंड अधिरोपित किया जाता है। चूंकि एटीएम में दोषों/कमियों को सेवा प्रदाताओं के तकनीकी स्टाफ द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ठीक किया जाता है, अतः दोषयुक्त एटीएम को ठीक करने के लिए वेंडरों के पास स्टाफ की कमी के बारे में कोई शिकायत/सूचना नहीं दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम के सुचारु कार्यकरण तथा ग्राहक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। एटीएम प्रणाली द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में अब पर्याप्त सुधार हो रहा है। बारम्बार होने वाली खराबी को रोका जा रहा है और बाह्य स्रोत वेंडरों द्वारा 24/7 निगरानी की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एटीएम का परिचालन समय 98.5 प्रतिशत से अधिक पाया गया है और खराब एटीएम का प्रतिशत बहुत कम रहा है। एटीएम निष्पादन की निगरानी आमतौर पर नकदी-रहित स्थिति; कैश हैण्डलर खराबी; रिजेक्ट बिन का फुल होना; आपूर्ति बाधित स्थिति; बिजली; संचार और हार्डवेयर संबंधी मुद्दों जैसे कारकों के आधार पर की जाती है।

आशा संबंधी अनुसंधान

1183. **श्री महाबली सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य पद्धति संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) ने वर्ष 2009-11 के बीच आशा के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अनुसंधान पर दिए गए कुल व्यय तथा इस अनुसंधान हेतु अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हों जिन्होंने इस अनुसंधान को अधिकारिक रूप से मार्गदर्शन तथा समन्वित किया तथा इस कवायद में कितने शोधार्थियों को शामिल किया गया था; और

(ङ) आशा के साथ भेंट के दौरान किन स्थानीय सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया तथा इस अनुसंधान को कतिपय अन्य अनुसंधान संस्थान के माध्यम से न करवाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) आठ राज्यों—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, केरल, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया था। यह अध्ययन वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूरा किया गया था। मूल्यांकन के परिणाम दर्शाते हैं कि राज्यों ने आशा निदशानिर्देशों को अनुकूल बनाया ताकि वे उनकी आशा (एएसएचए) की भूमिकाओं के विवेचना के अनुकूल बन सके तथा इससे आशाओं को प्रदत्त सहायता और प्रशिक्षण की प्रकृति पर असर पड़ा। मूल्यांकन यह दर्शाते हैं कि बड़ी संस्था में आशाएं कार्यात्मक हैं, चाहे वे संदर्भगत हैं अथवा नहीं, हालांकि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में व्यापक विविधता है। कार्यात्मकता और प्रभावकारिता को आशा की इन तीन भूमिकाओं से संबद्ध के रूप में देखा जाता है जो सुविधा प्रदायक, सामाजिक जुटाव और सामुदायिक स्तरीय परिचर्या प्रदायक है। इस अध्ययन में यह परिणाम निकला कि किसी आशा को प्रभावी होने के लिए ये तीनों भूमिकाएं महत्वपूर्ण और एक-दूसरी की पूरक है। आशाओं की कार्यात्मकता एक ऐसी भूमिका है जो स्पष्टता अन्य दो भूमिकाओं के बेहतर परिणाम के साथ जुड़ी हुई है। इस अध्ययन ने यह सिफारिश की कि नकद प्रोत्साहन के प्रावधान के परे सक्षमता आधारित प्रशिक्षण, मानव अधिकारों के आयामों, दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति और आशाओं की मेंटरिंग एवं प्रोत्साहन संबंधी प्रावधानों को अधिकाधिक सहायता देनी चाहिए।

(ग) इस अनुसंधान पर किया गया कुल व्यय 5554149 लाख रुपए हैं। इस मूल्यांकन में प्रक्रियाओं और आउटपुटों का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक (गहन साक्षात्कार शामिल) तथा परिमाणात्मक (आशाओं, एएनएम, छह माह तक के नवजात शिशु वाली माताओं तथा 2 वर्ष की आयु तक के रुग्ण बच्चों वाली माताओं के क्रॉस सेक्शनल नमूना सर्वेक्षण शामिल) दोनों पद्धतियों का मिश्रण इस्तेमाल किया गया था।

(घ) इस मूल्यांकन का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आशा मेंटरिंग समूह के सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन किया गया था। जिन अनुसंधान संस्थानों/संगठनों ने अध्ययन कराया है उनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्रोत केंद्र (एनईआरआरसी), सामाजिक चिकित्सा साझेदारी (एसएमपी), ओयासिस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली स्रोत केंद्र (एनएचएसआरसी), जन विज्ञान वेदिका (जेवीवी), चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई), सीईएचएडी, ईकेजेयूटी, चेतना, आईसीआईसीआई सेंटर फॉर चाइल्ड हैल्थ एंड न्यूट्रिशन (आईसीसीएचएन), राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एसएचआरसी), छत्तीसगढ़, जन स्वास्थ्य स्रोत नेटवर्क (पीएचआरएन) और फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन कम्युनिटी हैल्थ (एफआरसीएच) हैं। इस अध्ययन में 18 वरिष्ठ अनुसंधानकर्त्ता और 179 अन्वेषक शामिल थे।

(ङ) गहन साक्षात्कारों और संकेंद्रित सामूहिक चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) के जरिए गुणात्मक चरण में स्थानीय पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित संस्थाएं इच्छुक, उपलब्ध थी और राष्ट्रीय आशा मेंटरिंग समूह द्वारा अनुशंसित थी।

[अनुवाद]

निवेश बोर्ड

1184. श्री हरिभाऊ जावले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पूंजी निवेशक विश्व बाजार में अपनी पूंजी निवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित), न्यासों, पंजीकृत भागीदारी फर्मों तथा मालिकाना कम्पनियों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान में (27 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार) किए गए कुल विदेशी निवेश, जिनमें इक्विटी, ऋण तथा प्रतिसंहरित गारंटी शामिल है, निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	वर्ष	कुल (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1.	2009-10	13667.84
2.	210-11	16900.77
3.	2011-12	11268.75
4.	2012-13 (27 नवम्बर, 2012 तक)	6138.40

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में (27 नवम्बर, 2012 तक) निवेश के मुख्य क्षेत्रों में ये शामिल हैं:— (i) वित्त, बीमा व्यवसाय सेवा इत्यादि (16419, मिलियन अमेरिकी डॉलर); (ii) विनिर्माण (15377.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (iii) थोक, खुदरा व्यापार, रेस्तरां तथा होटल (4643.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (iv) परिवहन, भंडारण तथा संचार सेवाएं (4222.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर); तथा (v) कृषि शिकार, वानिकी तथा मात्स्यिकी (2884.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

सूचित किए गए मुख्य गंतव्य स्थलों में ये शामिल हैं:— (i) सिंगापुर (11656.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (ii) मॉरीशस (10983.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (iii) दि नीदर लैंड्स (5026.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका (3944.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर); तथा (v) संयुक्त अरब अमीरात (2293.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

सकल घरूल उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा

1185. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में वर्ष-वार और क्षेत्र-वार विनिर्माण क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में औद्योगिक वातावरण को सहारा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकार द्वारा विश्वास बहाल करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) वर्ष 2009-10 से 2012-13 (अप्रैल-सितंबर) के मध्य (आधार: 2004-05=100) विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने देश में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की घोषणा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत कदम है। इस राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य मध्यावधि में 12-14 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने के लिए विनिर्माण क्षेत्रक नीति में गुणात्मक और प्रमाणात्मक बदलाव लाना है। औद्योगिक विकास की बहाली के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: विनिर्माण क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु बेहतर पहुंच, बड़े निवेश वाली परियोजनाओं का शीघ्रता से निष्पादन, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और सरकारी निजी भागीदारी का जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, आदि। अधिक विकास करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल

हैं: विदेशी निवेश को आकर्षिक करने के लिए मल्टीब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति का उदारीकरण, राजकोषीय समेकन करने के लिए कार्ययोजना की घोषणा, डीजल पर सब्सिडी कम करना आदि।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन करने पर विचार किया गया है।

विवरण

दो अंकिय स्तर पर आईआईपी आधारित औद्योगिक विकास (आधार: 2004-05=100) (प्रतिशत वृद्धि)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)
	1	2	3	4
खाद्य उत्पाद और पये पदार्थ	-1.4	7.0	15.4	0.2
तम्बाकू उत्पाद	-0.6	2.0	5.4	-9.7
वस्त्र	6.1	6.7	-1.3	6.8
पोशाक	1.9	3.7	-8.5	-0.7
चमड़ा उत्पाद	1.3	8.1	3.7	4.1
लकड़ी एवं उत्पाद	3.1	-2.2	1.8	-2.8
कागज और कागज उत्पाद	2.6	8.6	5.0	0.6
प्रकाशन, मुद्रण	-6.0	11.2	29.6	15.1
कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	-1.3	-0.2	3.5	4.4
रसायन एवं रसायन उत्पाद	5.0	2.0	-0.4	2.3
रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	17.4	10.6	-0.3	2.4
अन्य धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	7.8	4.1	4.8	3.8
बुनियादी धातु	2.1	8.8	8.7	0.9
निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी को छोड़कर	10.2	15.3	11.2	0.8
मशीनरी एवं उपस्कर	15.8	29.4	-5.8	0.7
कार्यालय, लेखाकरण एवं संगणक मशीनरी	3.8	-5.3	1.6	-11.4
विद्युतीय मशीनरी एवं उपकरण	-13.5	2.8	-22.2	-30.0

	1	2	3	4
रेडियो, टीवी और सामान्य उपस्कर एवं उपकरण	11.3	12.7	4.3	10.3
चिकित्सा, सूक्ष्म एवं दृष्टि उपकरण आदि	-15.8	6.8	10.9	11.4
मोटरवाहन ट्रेलर एवं सेमी ट्रेलर	29.8	30.2	10.8	-2.7
अन्य यातायात उपस्कर	27.7	23.2	11.9	-2.1
फर्नीचर, विनिर्माण एनईसी	7.1	-7.5	-1.8	-8.5
विनिर्माण	4.8	9.0	3.0	-0.4

[हिन्दी]

आरआईडीएफ को निधि आवंटन

1186. श्री बलीराम जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आईआईडीएफ) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरआईडीएफ के अंतर्गत निधियों के संवितरण में निरंतर कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आरआईडीएफ के अंतर्गत निधियों के संवितरण की दर बढ़ाने और इसके इष्टतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या आरआईडीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है;

(च) यदि नहीं, तो आज की तिथि के अनुसार लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष (31 अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत मंजूर और संवितरित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकार और नाबार्ड संवितरण की दर को बढ़ाने के लिए विभागों को अतिरिक्त बजटीय आबंटन, राज्य स्तरीय पुनरीक्षण के बाद विभागीय पुनरीक्षण, आदि जैसे कदम उठा रही है। नाबार्ड परियोजनाओं के पुनरीक्षण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठकों के आयोजन को सुकर बनाती है।

(ङ) से (छ) कुछ परियोजनाओं में देरी सांविधिक मंजूरियों, जैसे वन, पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण, के कारण हुई। यदि परियोजना अनुमोदित चरणावधि में पूरी नहीं होती है तो राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किए जाने पर कार्यान्वयन की अवधि को युक्तिसंगत रूप से बढ़ाया जाता है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रशासनिक अनुमोदन को तुरंत जारी करने, तकनीकी मंजूरी, तीव्र निविदाकरण, त्वरित मंजूरियां देने जैसे कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकार और नाबार्ड द्वारा नियमित आधार पर परियोजनाओं की निगरानी की जाती है जिससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हुई हैं।

विवरण

आरआईडीएफ–पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में 31.10.2012 तक राज्य-वार संस्वीकृतियां एवं संवितरण जिनमें राज्य सरकारों के लिए मालगोदाम वित्त भी शामिल हैं।

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1185	1018	1237	895	1353	1028	423	672
2.	अरुणाचल प्रदेश	79	78	0	52	22	106	0	0
3.	असम	553	200	284	184	205	129	25	41
4.	बिहार	75	542	1090	640	929	607	545	251
5.	छत्तीसगढ़	4	112	129	69	179	125	801	127
6.	गोवा	149	85	57	97	64	79	71	1
7.	गुजरात	972	991	1163	886	1482	772	1464	603
8.	हरियाणा	454	270	486	204	479	257	317	77
9.	हिमाचल प्रदेश	654	300	405	300	422	300	360	228
10.	जम्मू और कश्मीर	567	428	790	455	157	445	276	221
11.	झारखंड	187	355	623	458	801	633	236	90
12.	कर्नाटक	56	611	861	750	704	729	265	117
13.	केरल	300	383	532	392	972	426	331	74
14.	मध्य प्रदेश	135	603	1200	370	1443	1229	318	198
15.	महाराष्ट्र	521	802	1123	.693	1407	908	311	189
16.	मणिपुर	981	9	272	30	0	50	0	0
17.	मेघालय	177	60	143	60	13	79	7	13
18.	मिजोरम	850	30	146	40	26	57	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	नागालैंड	1362	56	79	37	3	45	0	0
20.	ओडिशा	760	603	898	714	1288	812	820	264
21.	पुदुचेरी	86	23	86	55	140	55	0	0
22.	पंजाब	656	450	106	448	642	448	464	77
23.	राजस्थान	380	850	602	1000	1793	1026	1574	429
24.	सिक्किम	925	39	1300	40	2	30	0	48
25.	तमिलनाडु	813	1015	78	713	1343	966	1128	338
26.	त्रिपुरा	452	77	1034	100	62	100	90	0
27.	उत्तर प्रदेश	1176	1629	1565	1444	1626	1263	1504	498
28.	उत्तराखंड	913	201	741	314	481	350	30	154
29.	पश्चिम बंगाल	142	570	1164	621	984	766	363	132
	आरआईडीएफ कुल	15561	12388	18193	12060	19020	13819	11722	4849
	वेयर हाउसिंग राज्य सरकार	0	0	0	0	1494	347	260	0
	भारत निर्माण	6500	6500	0	0	0	0	0	0
	सकल योग	22061	18888	18193	12060	20514	14166	11982	4849

[अनुवाद]

एफएसएसएआई के अंतर्गत नमक

1187. **श्री अब्दुल रहमान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण (एफएसएसएआई) जांच के अंतर्गत नमक को रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयोडीन अपर्याप्तता विकार आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसऑर्डर (आईडीडी), की घटनाओं की निगरानी के क्रम में प्रत्येक राज्य में एक आईडीडी प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक स्थापित आईडीडी प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खा योज्य) विनियमन, 2011 के विनियम 2.3.30(1)(2)(3) में आयोडीनीकृत नमक, आयरन फार्टिफॉइड

कॉमन साल्ट और आयरन फेर्टिफॉइड आयोडीनीकृत नमक (डब फॉर्टिफाइड नमक) सहित खाद्य सामान्य नमक के लिए मानदंड विहित हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के विनियमन 2.3.12 में प्रत्यक्ष मानव सेवन के लिए सामान्य नमक की बिक्री प्रतिबंधित है जब तक कि यह आयोडीनीकृत न हो।

(ग) और (घ) जी, हां। आयोडेटिड नमक की गुणवत्ता और मूत्र के नमूने में आयोडीन के अवयवों की प्रभावीरूप से मॉनीटरिंग की दृष्टि से, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के अंतर्गत आयोडीन अल्पता विकार मॉनीटरन प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को तकनीकी स्टाफ अर्थात् प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण के लिए एक आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अब तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में यथा उपबंधित आईडीडी मॉनीटरन प्रयोगशाला स्थापित की है।

विवरण

आईडीडी प्रयोगशाला की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईडीडी प्रयोगशाला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हां
2.	बिहार	हां
3.	छत्तीसगढ़	नहीं
4.	गोवा	हां
5.	गुजरात	हां
6.	हरियाणा	हां
7.	हिमाचल प्रदेश	हां
8.	जम्मू और कश्मीर	हां
9.	झारखंड	हां
10.	कर्नाटक	हां
11.	केरल	हां
12.	मध्य प्रदेश	नहीं
13.	महाराष्ट्र	हां
14.	ओडिशा	हां
15.	पंजाब	हां
16.	राजस्थान	हां
17.	तमिलनाडु	हां
18.	उत्तर प्रदेश	हां
19.	उत्तराखंड	हां
20.	पश्चिम बंगाल	हां
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	हां
22.	पुदुचेरी	नहीं
23.	अरुणाचल प्रदेश	हां
24.	असम	हां
25.	मणिपुर	हां
26.	मेघालय	हां
27.	मिजोरम	हां
28.	नागालैंड	हां
29.	सिक्किम	हां
30.	त्रिपुरा	हां
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नहीं

1	2	3
32.	चंडीगढ़	हां
33.	दमन और दीव	हां
34.	दादरा और नगर हवेली	हां
35.	लक्षद्वीप	नहीं

[हिन्दी]

कृषि ऋण

1188. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि ऋणों के वितरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित कुल ऋणों में कृषि ऋणों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कृषि ऋणों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उक्त बैंक पीछे चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो बिहार सहित बैंक-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी किसानों को बैंक ऋण का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) जी, हां। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण तुल्य राशि के 18 प्रतिशत का उपलक्ष्य, जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है। 18 प्रतिशत के इस उपलक्ष्य के भीतर एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण तुल्य राशि का 13.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए संवितरणों का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है। वर्ष 2011-12 के लिए यह लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपए था जिसकी तुलना में उपलब्धि 5,09,532 करोड़ रुपये थी। सरकार ने 2012-13 में 5,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है और सितम्बर 2012 तक उपलब्धि 2,39,628.93 करोड़ रुपए रही है।

(ङ) भारत सरकार ने आमतौर पर किसानों और विशेषरूप से लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण की उपलब्धता के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(i) एक वर्ष की अवधि वाले 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्परतापूर्वक ऋण चुकाने वाले किसानों अर्थात जो अपना ऋण समय पर चुकाते हैं, को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1: और 2010-11 में 2: तथा 2011-12 में 3: थी। इसके अलावा, मजबूरन की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए वर्ष 2011-12 में किसान क्रेडिट कार्डधारक लघु एवं सीमांत किसानों को फसल उत्पादन के पश्चात 6 माह की अतिरिक्त अवधि के लिए अपने उत्पाद मालगोदाम में रखने पर प्राप्त परक्राम्य मालगोदाम रसीदों पर फसल ऋण के समान दर पर प्राप्त ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना को उपलब्ध कराए गए लाभ वर्ष 2012-13 के दौरान भी जारी रहेंगे। वर्ष 2011-12 की ब्याज सहायता योजना 2012-13 में भी जारी रखी गई है।

(ii) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडी आरएस), 2008 ने किसानों पर ऋणभार के कारण अवरुद्ध ऋण मार्ग को खोल दिया है। इस योजना के अंतर्गत 3.45 करोड़ किसानों को 52,275.55 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है।

(iii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों और उन्हीं जैसे व्यक्तियों से 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए 'अदेयता' प्रमाण-पत्र की अपेक्षाएं

समाप्त कर दें और इसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त करें।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं को माफ करने की सलाह दी है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के लिए एसएसीपी के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रुपए करोड़		
	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
1	2	3	4
दक्षिण क्षेत्र	80641.95	106223.65	119599.66
कर्नाटक	13802.16	17728.93	16224.11
आंध्र प्रदेश	27550.44	35114.32	40016.98
तमिलनाडु	27497.64	35459.91	44985.50
केरल	11413.55	17530.58	17924.79
पुदुचेरी	377.22	388.45	443.80
लक्षद्वीप	0.94	1.46	4.48
उत्तर क्षेत्र	58203.90	59989.74	66918.56
राजस्थान	9625.71	12179.27	16756.52
पंजाब	15565.42	18453.68	23971.03
हिमाचल प्रदेश	1225.45	1097.76	1377.41
हरियाणा	11835.65	14668.51	14553.60
जम्मू और कश्मीर	170.76	262.62	367.71
दिल्ली	11350.96	6660.13	4518.77
चंडीगढ़	8429.95	6667.77	5373.52
मध्य क्षेत्र	29517.68	34334.13	40180.40
उत्तर प्रदेश	15792.30	19051.43	23855.79
उत्तराखंड	1363.62	1768.07	2570.02
मध्य प्रदेश	8615.03	10148.51	10217.49
छत्तीसगढ़	3746.73	3366.12	3537.10
पश्चिम क्षेत्र	22001.73	28419.77	27152.61
महाराष्ट्र	14030.58	17815.67	16662.15
गुजरात	7771.87	10363.49	10154.08
गोवा	194.50	227.43	292.91
दादरा और नगर हवेली	1.68	8.25	2.10
दमन और दीव	3.10	4.93	41.37
पूर्व क्षेत्र	15541.04	20706.55	18014.03
बिहार	3195.27	5418.63	4944.36
झारखंड	983.30	1753.78	875.18
ओडिशा	3997.66	4653.13	4185.28
पचिश्म बंगाल	7351.43	8853.61	7631.70
सिक्किम	8.55	13.21	17.87
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.83	14.19	359.64
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1298.94	1724.49	2188.60
असम	934.53	1209.98	1297.50
नागालैंड	36.51	53.13	196.18

1	2	3	4
मणिपुर	36.32	60.28	35.25
त्रिपुरा	185.70	187.95	161.56
मिजोरम	24.59	58.48	140.55
मेघालय	45.85	82.09	238.85
अरुणाचल प्रदेश	35.44	72.58	118.71
अविनिर्दिष्ट राज्य	142.09	0	
आरआईडीएफ	0.00	0	
बाण्ड	0.00	0	
कुल	207347.33	251398.33	274053.86*

*अनंतिम

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को संवितरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	रुपए करोड़		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	34178.84	41208.00	53214.36
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5240.80	4636.20	6824.51
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3429.43	5264.40	4609.00
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2354.73	0.00	0.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3497.00	2675.20	1924.74
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5129.90	5857.69	7495.11
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3082.44	5716.20	96.39
9.	इलाहाबाद बैंक	3615.38	4989.45	5977.52
10.	आंध्रा बैंक	5515.49	6622.96	8767.15
11.	बैंक आफ बड़ौदा	7832.69	9178.50	11635.49
12.	बैंक आफ इंडिया	6392.40	16629.00	10408.93

1	2	3	4	5
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3747.62	2874.28	3575.53
14.	केनरा बैंक	18125.27	22374.39	27326.81
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	7541.79	7870.73	7093.36
16.	कार्पोरेशन बैंक	4616.68	6056.02	0.00
17.	देना बैंक	1511.95	2034.68	2768.41
18.	आईडीबीआई बैंक	8802.79	9737.76	4454.15
19.	इंडियन बैंक	6580.11	8227.54	12738.26
20.	इंडियन ओवरसीज बैंक	13326.89	18547.43	22271.72
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4937.07	6947.06	9174.00
22.	पंजाब नैशनल बैंक	21806.78	27733.19	35509.19
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	8355.35	5212.93	4783.30
24.	सिंडिकेट बैंक	8013.73	10044.09	10751.19
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6490.82	8033.78	10253.83
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3090.89	3300.00	3406.92
27.	यूको बैंक	6019.27	5666.67	3919.24
28.	विजया बैंक	4111.22	3960.38	5144.92
	कुल	207347.33	251398.33	274124.03

*अनंतिम

उत्पाद-शुल्क मामलों में एक पक्षीय निर्णय

1189. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत कुल कितने मामलों में न्याय-निर्णयन प्राधिकारी ने एक पक्षीय निर्णय सुनाया है;

(ख) कितने मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई संबंधी सूचना अपीलकर्ता तक नहीं पहुंची;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिस पर विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) सरकार ने उन असंतुष्ट अपीलकर्ता निर्यातकों जिन्हें व्यक्ति सुनवाई के संबंध में सूचना नहीं मिली की सहायता के लिए क्या कार्रवाई की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोग

1190. श्री कामेश्वर बैठा :
श्री सी राजेन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सहित देश के सभी भागों में वायु-प्रदूषण के कारण श्वास और अन्य रोगों की उच्च व्यापकता पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदूषित वायु के प्रभावन के कारण रोगों से ग्रस्त लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है और इससे कितने लोगों की मौत हुई;

(घ) वायु प्रदूषण के कारण रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए आवंटित और व्यय की गई निधियां कितनी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ग) जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि वायु प्रदूषण के कारण श्वसनात्मक और अन्य बीमारियों की उच्च व्याप्तता के बारे में उनके पास कोई परिणामी सूचना उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान ब्यूरो द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार देश में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों की संख्या संबंधी जानकारी के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वायु मॉनीटरिंग कार्यक्रम नामक समेकित परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वायु गुणवत्ता को मॉनीटर किया जाता है। इस नेटवर्क को सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा देशभर में कार्य निष्पादन 222 शहरों को कवर करते हुए सीपीसीबी और संबंधित राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संयुक्त रूप से तथा 537 मॉनीटरिंग स्टेशनों में स्थित अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में पांच प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार विभिन्न बीमारियों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित कर रही है। इस मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्वास्थ्य अवसंरचना की बेहतरी तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में अपनी जरूरतों को समाहित करती हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए निर्दिष्ट धनराशि का आबंटन एनआरएचएम के तहत नहीं होता।

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटन

1191. श्री तथागत सत्पथी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा पर्यटन समझौता के अंतर्गत भागीदारी हेतु स्वीकृत डॉक्टरों और अस्पतालों के संबंध में नीतियों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सा पर्यटन से किन राज्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ है;

(घ) क्या आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे राज्यों तक इसका विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) देश में चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2009 में अपने क्षेत्राधिकार में चिकित्सा पर्यटन सहित मार्केट विकास सहायता (एडीए) योजना का विस्तार किया है। इस योजना के अंतर्गत, अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं अर्थात् ज्वायंट कमीशन फॉर इंटरनेशनल एक्रीडिटेड हॉस्पीटल्स (जेसीआई) तथा नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) के प्रतिनिधियों और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (ट्रैवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों) को निधियों की उपलब्धता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की

शर्त पर वित्तीय सहायता दी जाती है। मार्केट विकास सहायता की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय ने चिकित्सा पर्यटन पर किसी संगठन/निकाय के साथ कोई करार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ संभावित मार्किटों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रमों और रोड शो का आयोजन करने सहित चिकित्सा और निरोगता पर्यटन का विशेष संवर्धन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अतुल्य भारत अभियान के माध्यम से भी संवर्धन किया जाता है।

खाद्य/पेय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन

1192. **श्री नरहरि महतो :**
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय खाद्य और पेय उत्पादों, विशेषकर दुग्ध-पूरक को विनिर्माताओं द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आक्रामक और भ्रामक प्रचार के माध्यम से लोकप्रिय बनाए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कंपनियों के खाद्य और पेय उत्पादों के संबंध में उनके दावों की जांच करने के लिए विद्यमान तंत्र क्या हो;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सत्यापित किए गए ऐसे दावों की संख्या कितनी है और विनिर्माताओं/कंपनियों, जिनके दावों को भ्रामक पाया गया है, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य और पेय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण/प्रतिबंध लगाने के लिए अधिक सशक्त तंत्र बनाने का प्रस्ताव या है जैसा कि कतिपय देशों में किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण विभिन्न खाद्य सामग्रियों के लेबलों और विभिन्न कंपनियों द्वारा उन पर मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापित दावों की समीक्षा करता है। पणधारियों से प्राप्त जांच परिणामों और शिकायतों का विश्लेषण एफएसएसएआई में किया जाता है और निर्माताओं को कारण बताओ नोअिस जारी किए जाते हैं। उनके उत्तरों की समीक्षा एफएसएसएआई में इस उद्देश्य से गठित तीन सदस्यों वाली समिति करती हैं। इस समिति की सिफारिश पर नामित अधिकारीगण अपने क्षेत्रीय स्तरों पर अभियोग सहित कार्रवाई आरंभ करते हैं।

(ग) अभी तक, भ्रामक दावों वाली 38 खाद्य सामग्रियों का पता लगाया जा चुका है। इन सामग्रियों के निर्माताओं को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इनसे प्राप्त उत्तरों की जांच एफएसएसएआई में तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति की सिफारिश पर नामित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तरों पर 19 मामलों में अभियोजन शुरू किए गए।

(घ) और (ङ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम पहली अगस्त, 2011 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बने विनियमों का कार्यान्वियन पहले ही प्रगति पर है। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 खाद्य सामग्रियों पर लेबलिंग और पैकेजिंग नियमों का उल्लेख करता है। छपाई तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक लेबल घोषणाओं तथा भ्रामक दावों पर कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 और 53 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 क प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं।

वर्तमान में इन विनियमों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैस परिवहन का ट्रांजिट प्वाइंट

1193. **श्री आधि शंकरः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने आयातित गैस को बॉम्बे हाई से भटिंडा परिवहन करने के लिए ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में भारत का प्रयोग करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयातित गैस का बाम्बे हाई से भटिंडा परिवहन करने के लिए ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में भारत का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

होटल उद्योग का नवीकरण

1194. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का होटल उद्योग का नवीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) होटलों का विकास एवं निर्माण मुख्यतः एक निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। तथापि, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण हेतु पर्यटन मंत्रालय की एक स्वैच्छिक योजना है। उद्योग से संबंधित दिशा-निर्देशों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

नाबार्ड ऋण

1195. **श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को दिए जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) को पुनर्वित्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट प्रावधान में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा की गई कटौती के कारण किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुनर्वित ऋणों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) निवेश ऋण के तहत नाबार्ड को पुनर्वित्त इसके स्वयं के संसाधनों/उधार से प्रदान की जा रही है। ऋण वसूली प्रतिशतता, वास्तविक उधार कार्यक्रम, निवल और सकल अनुपयोज्य आस्तियों (बैंक का जोखिम मूल्यांकन), बैंक को अनुदेशित लेखा परीक्षण श्रेणी और राज्य सरकार से गारंटी की उपलब्धता इत्यादि जैसी पुनर्वित्त नीति के अनुसार अलग-अलग बैंकों द्वारा विभिन्न मानदंडों की अनुपालना किए जाने के अध्यधीन उपलब्ध संसाधनों से ही एससीएआरडीबी की पुनर्वित्त आवश्यकता को नाबार्ड पूरा कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा एसीसीएआरडीबी को प्रदान किए पुनर्वित्त का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के लिए राज्यवार पुनर्वित्त संवितरण

(लाख रुपए)

एससीएआरडीबी

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
हरियाणा	35879	39999	37034
हिमाचल प्रदेश	—	5800	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—
पंजाब	39525	30847	38997
राजस्थान	20310	20310	19360
असम	—	—	—
मणिपुर	—	—	—
त्रिपुरा	918	933	648
बिहार	—	—	—

1	2	3	4
ओडिशा	–	–	–
पश्चिम बंगाल	17473	18000	14290
मध्य प्रदेश	4984	1017	1429
छत्तीसगढ़	1347	1279	–
उत्तर प्रदेश	59993	59982	49998
उत्तराखंड	–	–	–
गुजरात	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–
कर्नाटक	16423	15602	15600
केरल	25278	41418	67137
पुदुचेरी	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–
कुल	222130	235185	244493

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा प्रेषण

1196. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्ति की स्थिति क्या है;

(ख) इन प्रेषणों के लिए सरकार और बैंकों द्वारा कौन से प्रोत्साहन दिए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में प्राप्त विप्रेषित विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	भारत में प्राप्त निवल विप्रेषण (निजी अंतरण) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2009-10	51,791
2010-11	53,124
2011-12	63,469

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

(ख) विप्रेषण आकर्षित करने हेतु रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

- रुपया आहरण प्रणाली के अंतर्गत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से यथावांछित संबद्ध समझौते तथा यथावांछित आहरण शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि इसमें सुरक्षित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां विद्यमान हों तथा वॉस्ट्रो खातों में छुपे हुए ओवरड्राफ्टों से बचने के क्रम में निधियों की स्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित रहे।
- बैंकों को सलाह दी गई है कि अप्रवासी भारतीयों को विप्रेषणों की लागत को कम करने हेतु उपलब्ध विकल्पों से अवगत कराने हेतु "जागरुकता कार्यक्रम" चलाए तथा उसे और अधिक पारदर्शी बनाएं।
- दक्षता और बेहतर ग्राहक सेवा हेतु बड़े बैंकों को केन्द्रीकृत विप्रेषण प्राप्ति केन्द्रों की स्थापना की संभाव्यता की जांच की सलाह दी गई है।
- प्रवासी भारतीय दिवस इत्यादि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

बौद्ध मार्ग का विकास

1197. श्री सोमेन मित्रा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध मार्ग विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में नए पर्यटन सर्किल विकसित करने को संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में विभिन्न पर्यटन सर्किल विकसित करने हेतु अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 'बौद्ध मार्ग' विकसित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श एवं परस्पर संवाद से पहचान की गई पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के किए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विभिन्न पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के विकास हेतु 11वीं योजना अवधि के दौरान 149.54 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2012-13 के दौरान (30 सितम्बर, 2012 तक) 46.68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बायोमास से विद्युत उत्पादन

1198. कुमारी मौसम नूर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) बायोमास से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी बायोमास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) देश में अब तक 3462 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं जिनमें पश्चिम बंगाल में 86 मेगावाट क्षमता शामिल है। बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकीय साधनों, जैसे – दहन, गैसीकरण और सह-उत्पादन के माध्यम से बायोमास से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की संस्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए कई राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे – पूंजीगत सब्सिडी तथा मशीनरी एवं घटकों के आयात पर रियायती सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, प्रमुख घटकों पर त्वरित मूल्यह्रास और करों से छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बायोमास विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की बिक्री के लिए अधिमान्य शुल्क-दर प्रदान की जा रही है।

(ग) पश्चिम बंगाल में 1.60 मेगावाट की कुल क्षमता की पांच बायोमास विद्युत परियोजनाएं कमीशन किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

देश में बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	381.00
2.	बिहार	30.00
3.	छत्तीसगढ़	250.00
4.	गुजरात	31.00
5.	हरियाणा	46.00
6.	कर्नाटक	477.00
7.	मध्य प्रदेश	16.00
8.	महाराष्ट्र	690.00

1	2	3
9.	ओडिशा	20.00
10.	पंजाब	118.00
11.	राजस्थान	93.00
12.	तमिलनाडु	532.00
13.	उत्तराखंड	10.00
14.	उत्तर प्रदेश	682.00
15.	पश्चिम बंगाल	86.00
	कुल	3462.00

[हिन्दी]

सेवा कर के मामले

1199. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के व्यावसायिक एवं औद्योगिक निर्माण सेवा क्षेत्र में पंजीकृत कर निर्धारितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथ चालू वर्ष में आज तक सेवाकर विभाग द्वारा दर्ज किए गए सेवाकर के मामलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा विभाग के खिलाफ क्या निर्णय लिया गया;

(ग) इस पर सेवाकर विभाग द्वारा की गई अपीलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक ऐसे मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों की संख्या में तेजी से कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा कर-वंचन

1200. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर में छूट पाने वाली कतिपय कंपनियां गैर-पात्र इकाइयों के लाभ को छूट वाली श्रेणियों में स्थानांतरित करके कथित रूप से कर-वंचन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी चूककर्त्ता कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ऐसी सभी कंपनियों की नजदीकी जांच के लिए तथा कर-वंचन की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) गैर-पात्र इकाइयों के लाभ को छूट पाने वाली इकाइयों को अंतरित करने सहित कर-वंचन की विभिन्न विधियों के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय रूप से मामला दर मामला के आधार पर जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

(ग) जब भी कर-वंचन का कोइ मामला आयकर विभाग की जानकारी में आता है तब उस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) (i) ऊपर प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कंपनियों, यदि कोई हैं, सहित निर्धारितियों द्वारा कर-वंचन की संभावना को रोकने के लिए जांच हेतु मामलों का चयन एक महत्वपूर्ण साधन है।

(ii) जांच हेतु मामलों के चयन के मानदंडों में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-III के अंतर्गत छूट लेने वाले तथा अध्याय-VIक के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले मामलों के चयन हेतु मानदंड भी शामिल हैं।

(iii) कर-वंचन को रोकने के अन्य साधनों में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तलाशी एवं सर्वेक्षण की कार्रवाईयां शामिल हैं।

उर्वरकों एककों से अतिरिक्त राज्य लेवी

1201. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक मंत्रालय के परामर्श से उर्वरक एककों से अतिरिक्त राज्य लेवी के बकाया मामले के निपटान के वैकल्पिक

विकल्प पर विचार नहीं किया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय परामर्श परिषद् से कोई सूचना प्राप्त की है तथा यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस मामले को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) सरकार भावी बिक्री से यूरिया उत्पादकों के पिछले घाटे की भरपाई के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती क्योंकि इसका अभिप्राय यह होगा कि इस स्कीम के लागू होने के बाद किसी किसान द्वारा यूरिया की किसी खरीद पर 'नॉन रिकॉनाइज्ड इनपुट टैक्सेशन के कारण अतिरिक्त लागत' (एसीएनटी) आएगी और साथ ही उसे 01 अक्तूबर, 2006 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि में उत्पादक को हुए घाटे के लिए अतिरिक्त एसीएनटी देनी होगी। इसका अर्थ यह होगा कि अब यूरिया खरीदने वाला किसान किसी और के द्वारा पहले खरीदे गए यूरिया के लिए आंशिक रूप से भुगतान करेगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कुछेक उर्वरक कंपनियों के पिछले घाटे के संबंध में पूर्व संसद सदस्य श्री जीवाभाई ए पटेल का एक पत्र अग्रेषित किया था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी अपितु संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के बारे में सूचना मात्र ही मांगी थी।

सिंचाई क्षेत्र को नाबार्ड के ऋण

1202. श्री निलेश नारायण राणे :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्यों को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं हेतु कोई ऋण प्रदान किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं हेतु राज्यों को और धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 (31 अक्तूबर, 2012 तक) में महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्य-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या, कुल स्वीकृत और संवितरित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सिंचाई परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत विशेष रूप से काई आबंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान आरआईडीएफ-XVIII के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। राज्य सरकारें पात्र कार्यकलापों के लिए किए गए आबंटन के लिए ऋण ले सकते हैं, जिनमें सिंचाई भी शामिल हैं।

विवरण

आरआईडीएफ: गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं तथा संवितरित राशि

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत	संवितरण	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73	569	298	34	350	345

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1
3.	असम	0	0	6	2	7	1
4.	बिहार	922	139	83	2	2	28
5.	छत्तीसगढ़	11	86	112	12	129	69
6.	गोवा	1	64	67	1	57	65
7.	गुजरात	200	208	192	5302	274	205
8.	हरियाणा	512	333	131	8	162	80
9.	हिमाचल प्रदेश	53	44	73	148	85	86
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	27	6	37	15
11.	झारखंड	15	10	16	0	0	5
12.	कर्नाटक	397	158	185	274	144	178
13.	केरल	35	24	45	213	261	123
14.	मध्य प्रदेश	2	830	413	3	508	191
15.	महाराष्ट्र	29	303	305	21	337	278
16.	मणिपुर	0	0	0	87	19	7
17.	मेघालय	8	13	6	6	10	6
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	12566	186	205	1189	236	301
21.	पुदुचेरी	0	0	1	7	20	2
22.	पंजाब	281	173	54	27	224	62
23.	राजस्थान	0	0	58	0	0	96
24.	सिक्किम	0	0	0	5	2	0
25.	तमिलनाडु	8	82	104	14	102	77

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	10
27.	उत्तर प्रदेश	103	785	834	8110	423	902
28.	उत्तराखंड	128	40	69	199	138	71
29.	पश्चिम बंगाल	1286	80	92	3215	143	89
	कुल	16630	4127	3374	18885	3669	3294

क्र.सं.	राज्य	2011-12			2012-13 (31.10.12 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत	संवितरण	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत	संवितरण
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	39	669	363	14	72	246
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	3	0	0	0
4.	बिहार	167	188	96	181	19	40
5.	छत्तीसगढ़	6	50	125	2	8	9
6.	गोवा	1	64	58	1	71	0
7.	गुजरात	3	636	426	4	861	325
8.	हरियाणा	156	212	103	0	0	21
9.	हिमाचल प्रदेश	39	70	136	31	46	39
10.	जम्मू और कश्मीर	23	41	8	0	0	2
11.	झारखंड	0	0	10	0	0	0
12.	कर्नाटक	354	114	134	82	82	28
13.	केरल	77	147	44	17	2	6
14.	मध्य प्रदेश	7	1142	855	2	142	63

1	2	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	50	325	334	0	0	93
16.	मणिपुर	0	0	5	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	6	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	794	536	262	25334	385	41
21.	पुदुचेरी	1	33	5	0	0	0
22.	पंजाब	788	114	61	4	429	0
23.	राजस्थान	7	309	104	0	0	5
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	16	109	112	6	92	58
26.	त्रिपुरा	0	0	7	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	5	422	465	134	1350	242
28.	उत्तराखंड	177	211	86	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	5	292	110	3	23	9
	कुल	2715	5685	3919	25815	3581	1225

*स्वीकृत संबंधी ब्यौरा संबंधित वर्ष के लिए है परंतु संवितरण ब्यौरे में पूर्व के वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए भी संवितरित राशि शामिल हैं।

दवाओं की खरीद तथा वितरण

1203. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा संचालित चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों को वितरित करने के लिए दवाओं और उपस्कर की खरीद करने वाले बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाली कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों/दवाओं की खरीद तथा राज्यों को उनके वितरण की विद्यमान प्रणाली पारदर्शी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो कंपनी स्थापित करने से राज्यों को औषधियों के वितरण में सुधार लाने, लीकेज रोकने तथा अफसरशाही पर लगाम लगाने में किस सीमा तक सहायता मिल सकेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 22 मार्च को केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस)

के नाम में एक सोसाइटी स्थापित की है। इस सोसाइटी का उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपेक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र की उच्च कोटि की वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण हेतु पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से एक स्वतंत्र, व्यावसायिक और स्वायत्तशासी एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा आपूर्ति शृंखला मुद्दों पर कारगर रूप से ध्यान देकर प्रयोक्ताओं के लाभार्थ सहज स्थानों पर सामान/वस्तुएं उपलब्ध करवाना है।

(ग) स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों/वस्तुओं की मौजूदा प्रापण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां अभिज्ञात की गई हैं:—

(i) आईटी अनुकूल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का अभाव।

(ii) अपर्याप्त आपूर्ति शृंखला अवसंरचना।

(iii) डाटा का मैनुअल संग्रह करना तथा उपर्युक्त स्टॉकिंग और सामान-सूची प्रबंधन के लिए विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)।

(iv) मात्राओं के अनुमान में तथा विलंबित आपूर्तियों में सहायता निविदाओं के निपटान में विलंब।

(घ) सीएमएसएस से औषधों के वितरण में सुधार होगा तथा इससे निम्नलिखित की शुरूआत करके कमियां और लाल-फीताशाही दूर होगी:—

(i) प्रापण के लिए आईटी अनुकूल पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ताकि सामान का प्रापण प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर किया जा सके।

(ii) कमियां दूर करने के लिए कारगर आपूर्ति शृंखला।

(iii) स्टॉक खत्म होने तथा जरूरत से ज्यादा समान होने से रोकने तथा बर्बादी को रोकने के लिए एमआईएस।

(iv) सोसाइटी एक स्वतंत्र, व्यावसायिक और स्वायत्तशासी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास

1204. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 20 बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई लेकिन अप्रयुक्त राशि अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 20 लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 1740 लाख रुपये की संपूर्ण राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य

1205. **श्री रवनीत सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन तथा डी-ऑयल्ड केक्स सोयामील का कुपोषित बच्चों के लिए पैक खाद्य पदार्थ हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इससे अवगत है कि खाद्य पदार्थ के रूप में कच्चे तथा आंशिक रूप से प्रसंस्कृत सोयाबीन तथा डी-ऑयल्ड केक्स सोयामील का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पोषण सुधार अकादमी, नागपुर ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) सोयाबीन और तेल निकाले हुए सोया का उपयोग प्रोटीन के स्रोत के रूप में पूरक पोषण हेतु कुछ खुराकों में किया जाता है। ये प्रासंस्कृत उत्पाद हैं, जिनमें पोषक विरोधी तत्वों को निष्क्रिय

किया गया है और इस प्रकार के भोजन को खाने से स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है।

(ख) और (ग) कच्चे सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, फिटोहैमोग्लूटिन और फिटोएस्टोजैंट जैसे कतिपय पोषण विरोधी तत्व होते हैं। तथापि, सोयाबीन को प्रसंस्कृत करने के बाद पोषण विरोधी तत्व बहुत अधिक नष्ट हो जाते हैं और इनसे कुप्रभाव नहीं देखा गया है। एक खुराक के रूप में सोयाबीन युक्त पूरक भोजन को खाने के कुप्रभाव दर्शाने वाले कोई वास्तविक और वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) से (च) पोषण सुधार अकादमी से पत्र प्राप्त हुए हैं और पोषण विशेषज्ञ के व्यापक दृष्टिकोण अनुमोदित उत्तर (क), (ख) और (ग) में दिए गए हैं।

उधार लेने वालों को पॉलिसी दरों का लाभ

1206. **श्री पी. कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक उधार लेने वालों को पॉलिसी दरों में कमी का लाभ नहीं प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों को उधार देने की दरें कैश रिजर्व अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात में कमी के साथ कम नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। जनवरी--मार्च, 2012 के दौरान आरक्षित नकदी-निधि अनुपात (सीआरआर) 125 आधार अंक ओर पुनः खरीद दर 50 आधार अंक कम करने (जिससे पुनः खरीद दर दिनांक 17.4.12 से 8 प्रतिशत हो गई) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए उपायों के अनुसरण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने संबंधित आधार दरों को मार्च, 2012 की समाप्ति की स्थिति के 7.38-11.85 प्रतिशत के रेंज से घटाकर अक्तूबर, 2012 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार 7.25-11.75 प्रतिशत कर दिया। उसी अवधि के दौरान बैंकों की औसत आधार दरों में 25 आधार अंकों का ह्रास होने से ये 10.50 प्रतिशत हो गईं जो इस बात का द्योतक है कि बैंक पॉलिसी दर संकेत का मौटे तौर पर अनुपालन कर रहे हैं।

दिनांक 22.09.12 से प्रभावी सीआरआर में 25 आधार अंकों की कमी के उपरांत कुछेक बैंकों, जिनमें अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, ने बाद में अक्तूबर, 2012 में अपनी आधार दरों में कमी की है।

प्रबंधन ढांचा तथा प्रथाओं की समीक्षा

1207. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रबंधन ढांचे तथा प्रथाओं की समीक्षा पर विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अस्पताल तथा संस्थाओं के चिकित्सीय तथा गैर-चिकित्सीय कार्मिकों हेतु, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। तथापि जहां तक दिल्ली के तीन केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे सफदरजंग, अस्पताल, डॉ. आरएमएल अस्पताल और एचएचएमसी और सहयोगी अस्पतालों का संबंध है, वर्तमान में अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधकीय ढांचे और व्यवहारों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रिड कनेक्टिविटी हेतु वित्तीय सहायता

1208. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली से ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन में अनुभव की जा रही प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) वर्तमान में ग्रिड-संबद्ध अक्षय विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को संबंधित राज्यों जहां ये परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं, में विद्यमान ग्रिड प्रणाली के माध्यम से निष्क्रमित किया जाता है। इस समय राज्यों को अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं की ग्रिड-कनैक्टिविटी के लिए अलग से वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:—

- अक्षय ऊर्जा स्रोतों की सहज विरामी प्रकृति जिसके फलस्वरूप कम क्षमता का उपयोग हो पाता है और भंडारण की आवश्यकता पड़ती है।
- आपूर्ति की विरामी प्रकृति के कारण ग्रिड के परस्पर तालमेल संबंधी सीमाएं।
- पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च पूंजी निवेश।
- निवेश को वाणिज्यिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए अधिमान्य शुल्क-दरों की आवश्यकता।
- दूरस्थ क्षेत्रों जहां अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं/प्रणालियां संस्थापित की जाती हैं, में सर्विसिंग तथा देख-रेख संबंधी सामान्य कठिनाईयां।

(घ) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे—पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क;
- अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर;
- वितरण कंपनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद हेतु एक न्यूनतम प्रतिशतता;
- सीईआरसी द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को अधिमान्य शुल्क-दरों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश;
- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली के साथ-साथ सौर तापीय प्रणाली की संस्थापना में तेजी लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन।

[अनुवाद]

करेक्शन फ्लूइड्स तथा नेल पेंट रिमूवर का दुरुपयोग

1209. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिक्विड पेपर करेक्शन फ्लूइड्स तथा रेल पेंट रिमूवर्स का देश के बेघर बच्चों तथा युवाओं द्वारा नशीले पदार्थों के रूप में बढ़ते दुरुपयोग की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित तथ्य क्या हो;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इनके विपणन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किन अन्य सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजद) : (क) से (ङ) बच्चों/बेघर बच्चों तथा युवाओं द्वारा करेक्शन फ्लूइड्स/थिनरों जो रासायनिक पदार्थ हैं, का सामान्यतया कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है और अन्य इसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिनको नशीले पदार्थ/नशीली दवा के रूप में उनके द्वारा सांस से अंदर लेकर उनके दुरुपयोग के मुद्दे तथा नशीली दवाओं जैसे उत्तेजित प्रभाव

प्राप्त करने के बारे में 2010 की सिविल रिटयाचिका सं. 1332 व्यक्ति विकास केंद्र बनाम भारत संघ व अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, के निर्देशों के अनुपालन में सरकार ने इन रासायनिक पदार्थों के निर्माण/व्यापार को विनियमित करने के लिए दिनांक 17.7.2012 को एक अधिसूचना जारी की। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से उनको उत्पादित करने वाले उद्योगों और उनको संवितरित करने/बेचने वाले व्यापारियों/दुकानों को सुग्राहित करके इस अधिसूचना में रखे गए उपायों को लागू करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। लागू की जाने वाली उकत अधिसूचना में उल्लिखित उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है:—

(i) खुदरा बिक्री के लिए नेल पॉलिश रिमूवर्स और इसी प्रकार के प्रयोजनों के रूप में स्याही को मिटाने के प्रयोजनों और उनके प्रयोग दोनों के लिए किसी रासायनिक संरचना के बोतलबंद करेक्शन फ्लूइड्स और बोतलबंद थिनरों के उत्पादन पर रोक।

(ii) स्याही को मिटाने के प्रयोजनों और नेल पॉलिश रिमूवर्स दोनों और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के रूप में प्रयोग के लिए किसी रासायनिक संरचना के बोतलबंद करेक्शन फ्लूइड्स और बोतलबंद थिनरों की बिक्री पर रोक।

(iii) दोनों अथवा इसी प्रकार की युक्तियों, के रूप में स्याही मिटान के प्रयोजनों और नेल पॉलिश रिमूवर्स दोनों के रूप में प्रयोग करने और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए किसी रासायनिक संरचना के करेक्शन फ्लूइडो और थिनरों की बिक्री को अनुमति देना, जिनको प्रयोग करने पर उनसे सीमित मात्राओं में रसायन निकलते हैं।

(ii) वेपर को सांस से अन्दर लेने/उनमें युक्त रसायनों के उपयोग पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में करेक्टिंग फ्लूइडों/थिनरों की प्रयोग की युक्तियों (पेन अथवा अन्यथा) पर अनिवार्य चेतावनी दी जानी चाहिए।

अस्पतालों में शीतल पेय की बिक्री

1210. **श्री समीर भुजबल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में मीठा शीतल पेय तथा कोला के लिए स्वचालित वैंडिंग मशीन लगाने की अनुमति देने हेतु अनुदेश जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पतालों में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के शीतल पेय की बिक्री को अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सभी अस्पताल परिसरों में मीठा कोला तथा शीतल पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या प्रस्तावित कदम हैं?

स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: इस संबंध में निर्णय लेने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आरएमएल अस्पताल और एलएचएमसी एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

डीजल कारों एवं एसयूवी पर उपकर

1211. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीजल कारों तथा एसयूवी की बिक्री पर लगाए गए शुल्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसे वाहनों पर उपकर लगाने/बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि इनकी बिक्री नियंत्रित की जा सके तथा डीजल पर राजसहायता के बढ़ते भार को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) डीजल से चलने वाले मोटर-वाहनों, जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक नहीं होती है और जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक नहीं होती है, पर 12% की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। ऐसे मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक होती है लेकिन इंजन की क्षमता 1500 सीसी से कम होती है, पर 24% की दर से यह शुल्क लगाया जाता है। 1500 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाले मोटर-वाहनों पर यह शुल्क 27% की दर से लगाया जाता **है। उपर्युक्त वर्ग के मोटर वाहनों पर 2%, 1% और 1% की दर से क्रमश:**

शिक्षा उपकर, द्वितीयक, एवं उच्च शिक्षा उपस्कर और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क भी लगाया जाता है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रभाव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का स्थापित किया जाना

1212. **श्री विजय बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को खोलने के बारे में दिनांक 26.8.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4062 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को स्थापित करने का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां निर्माण चल रहा है;

(ख) क्या सरकार से दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निर्माण के संबंध में दिल्ली नगर निगम को प्रस्तुत की गई भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए संबद्ध एजेंसी से भवन योजना पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली/एमसीआर में सीजीएचएस औषधालयों के निर्माण की स्थिति – स्थान-वार

क्र.सं.	प्लॉट का स्थान	मौजूदा स्थिति
1	2	3
1.	अशोक विहार	सीजीएचएस वेलनैस केंद्र हट गया है और वह नवनिर्मित भवन में चल रहा है।
2.	सेक्टर-9, 11 और 23, द्वारका	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यथापेक्षित सेक्टर 9 और 23 के संशोधित भवन के नक्शा को जमा किया जाना है। सेक्टर-II की भवन योजना तैयार हो रही है। चारदीवारी बन कर तैयार है।
3.	पश्चिम विहार	अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के पास भवन की योजना प्रस्तुत कर दी गई है। एमसीडी ने क्षेत्र की लेआउट योजना मांगी है। डीडीए से अपेक्षित लेआउट प्लान लिया गया है और उसे एमसीडी को जमा कर दिया गया है। चारदीवारी बनायी जा चुकी है।
4.	पीतमपुरा	अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एमसीडी के पास भवन दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है। चारदीवारी तैयार हो चुकी है।
5.	शकूरबस्ती	अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम

1	2	3
		से एमसीडी के पास भवन की योजना प्रस्तुत कर दी गई है। दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। चारदीवारी बन कर तैयार है।
6.	सेक्टर-16, रोहिणी	केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार भवन की योजना एमसीडी के पास अनुमोदन के लिये जमा कर दी गई है। चारदीवारी तैयार है।
7.	सेक्टर-3, रोहिणी	भवन योजना निर्माणधीन है। चारदीवारी वन कर तैयार है।
8.	विकास पुरी	सीडीबी द्वारा तैयार भवन की योजना एमसीडी के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई है। एमसीडी ने क्षेत्र की अन्य सामुदायिक सुविधाओं के बारे में डीडीए से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच समिति से अपेक्षित स्वीकृति के लिए डीडीए के संपर्क साधा गया है। चारदीवारी का निर्माण पहले ही चुका है।
9.	प्रसाद नगर	भवन योजना अनुमोदनार्थ एनसीडी और दिल्ली फायर सर्विस को प्रस्तुत की जा चुकी है। चारदीवारी निर्माणधीन है।
10.	यमुना विहार	सीपीडब्ल्यूडी ने विनिर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
11.	मयूर विहार-I	सीपीडब्ल्यूडी ने विनिर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
12.	पटपड़गंज	भवन योजना अनुमोदनार्थ एमसीडी को प्रस्तुत कर दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस से एनओसी पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। दिल्ली शहरी कला आयोग से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत एनसीडी द्वारा बिल्डिंग योजना का अंतिम अनुमोदन जारी किया जाएगा।
13.	गुडगांव	औषधालय भवन का विनिर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। विनिर्माण अवधि के समय विस्तार के लिए हुडा से अनुरोध किया जा रहा है जो हुडा से पानी और सीवर कनेक्शन लेने में सुविधा प्रदान करेगा।
14.	सेष सराय	डीडीए द्वारा बिल्डिंग योजना का अनुमोदन अंतिम चरण में है। चारदीवारी का विनिर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।
15.	नॅरोजी नगर	एनडीएमसी के सुझाव पर आशोधित भवन योजना पुन: प्रस्तुत किया गया है। चारदीवारी का विनिर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।
16.	सेक्टर-7 एमबी रोड	सीजीएचएस कल्याण केन्द्र के लिए भवन योजना सीडीबी तैयार कर रहा है। चारदीवारी का विनिर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।
17.	वसंत विहार	एमसीडी को भवन योजना प्रस्तुत की गई है। दिल्ली फायर सर्विस से एनओसी मिल गई है।

1	2	3
18.	मिंटो रोड़	सीडीबी ने भवन योजना तैयार की है परंतु इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि भूखंड पर झुग्गी वालों ने कुछ अतिक्रमण किया है तथा दिल्ली शहरी मलिनबस्ती आयोग में झुग्गी वालों को अन्य स्थानों पर पुनर्वास द्वारा किराया माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।
19.	सेक्टर-4, आर.के. पुरम	भवन योजना तैयार की जा रही है। चारदीवारी निर्माणधीन है।
20.	वसंत कुंज	सीडीबी सीजीएचएस कल्याण केन्द्र के लिए भवन योजना तैयार कर रहा है। चारदीवारी निर्माणधीन है।

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र

1213. श्री पी.के. बिजू : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समेकित बाल विकास सेवाओं के भाग के रूप में परिचालित नई परियोजनाओं तथा नए आंगनवाड़ी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं एवं आंगनवाड़ी केन्द्र केरल में परिचालित की गईं; और

(ग) देश में समग्र रूप से तथा केरल में विशेष रूप से इन नई परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के परिणामस्वरूप क्या प्रतिक्रिया तथा लाभ में वृद्धि हुई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) देश में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत 30.9.2012 तक 7076 स्वीकृत परियोजनाओं और 13.71 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 7005 परियोजनाएं और 13.19 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) लघु आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) 30.9.2012 तक केरल में 258 स्वीकृत परियोजनाओं और 33115 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 258 परियोजनाएं और 33110 आंगनवाड़ी केन्द्र लघु आंगनवाड़ी केन्द्र परिचालित हैं।

(ग) 30.9.2012 की रिपोर्ट के अनुसार 916.58 लाख बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं (पीएण्डएलएम) जिसमें 10.82 लाख केरल में शामिल हैं ने पूरक पोषण प्राप्त किया तथा इसी प्रकार 346.47 लाख बच्चे (3-6 वर्ष) जिसमें 4.91 लाख बच्चे (3-6 वर्ष) स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपस्थित हुए।

[हिन्दी]

स्वयंसिद्धा योजना

1214. श्रीमती रमा देवी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वयंसिद्धा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इनके कितने लाभार्थी हुए?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) स्वयंसिद्धा स्कीम वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी और दो विस्तारों के बाद 31.3.2008 को समाप्त हो गई। उस समय से आज तक कोई स्वयंसिद्धा स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों के विदेश दौरे

1215. श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक पद से चेयरमैन स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों का उपर्युक्त द्वारा दौरान किया गया तथा इन दौरों के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इन दौरों पर कितना व्यय किया गया तथा इन दौरों से इन कंपनियों को कितना लाभ प्राप्त हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत:, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) के निदेशक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा क्रमश: 26, 37 और 50 विदेशी दौरे किए गए।

(ख) और (ग) निदेशक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा यूके, यूएसए, फ्रांस, युगांडा, कुवैत, वैनेजुएला, कनाडा, मारिशस, मैक्सिको, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, श्रीलंका, हांगकांग, लंदन, सऊदी अरब, ईरान, जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रेलिया, इटली, ओमान, कतर और जापान आदि का दौरा किया।

इन दौरों पर हुआ कुल खर्च 3,41,21,151 रुपए हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया दौरा, यदि कोई हो, उनके निजी खाते से किया गया है और ऐसे दौरों पर किए गए व्यय को कार्पोरेशन द्वारा वहन नहीं किया जाता है। इन दौरों का उद्देश्य वैश्विक कारोबारी अवसर तलाश करना और कारोबारी विकास को प्रोत्साहित करना, रोड शोज और बोर्ड की बैठकों आदि में भाग लेना है।

जनजातीय परामर्शदात्री परिषद्

1216. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें स्थापित की गई हैं तथा उन्हें कार्य दिया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अब तक अपने राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें स्थापित नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ग) जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् के संबंध में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(1) में यह परिकल्पना की गई है कि "अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा, अनुसूचित जनजातियों वाले किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र न होने पर भी इसे स्थापित किया जाएगा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश देते हैं।" पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 की धारा (2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य को लिखने पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के संबंध में ऐसे मामलों के बारे में सलाह देना जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् का कर्त्तव्य होगा।

अनुसूचित क्षेत्र राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान तथा तमिलनाडु और पश्चिम गाल के गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्यों में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों का गठन किया गया है। राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार को माननीय राष्ट्रपति के निदेशों से अवगत करा दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी-6 गैस का मूल्य निर्धारण

1217. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी (केजी) डी-6 बेसिन के प्राकृतिक गैस के वितरण तथा मूल्य निर्धारण के संबंध में न्यायालय के आदेश के परिणामों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार की भविष्य गैस उपयोग नीति पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार विवाद को जल्द सुलझाने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) मुंबई उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने दिनांक 15.06.2009 के अपने निर्णय द्वारा पक्षकारों अर्थात् रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा रिलायन्स नेचुरल रिर्सोसिज लिमिटेड (आरएनएआरएल) को इस निदेश के साथ अपीलों का निपटान किया है, कि निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर मात्रा, अवधि और मूल्य के आधार पर जैसाकि एमओयू के तहत पक्षकारों के बीच यथा विनिर्दिष्ट और सम्मत है "उपयुक्त व्यवस्था" करें।

सरकार ने कुल मिलाकर सरकार और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए आरएनआरएल और आरआईएल के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2010 की सिविल अपील संख्या 4273 (रिलायन्स नेचुरल रिर्सोसिज लिमिटेड (आरएनआरएल) बनाम रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा 2010 की सिविल अपील संख्या 4277 (भारत की संघ सरकार बनाम आरआईएल) के मामले में 07 मई, 2010 को एक निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति पी. साथाशिवम द्वारा अपनी ओर से तथा मुख्य न्यायमूर्ति तथा न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की ओर से दो पृथक किन्तु व्यापक रूप से सहमत राय दी गई थी। जबकि दो न्यायधीशों के बीच कुछ मतभेद थे, जहां तक भारत की संघ सरकार का संबंध है, प्राकृतिक गैस के विनियमन और आपूर्ति से संबंधित सभी निष्कर्षों में पूरी तरह से सर्वसम्मति थी। इन निष्कर्षों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:—

(i) अनुच्छेद 297 के नाते सभी प्राकृतिक गैस भारत के संघ में निहित है, और पीएससी के अनुच्छेद 27.1 के अनुसार शीर्ष सुपुर्दगी स्थल पर निहित हैं।

(ii) चूंकि प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और आपूर्ति से संबंधित संघ के कुछ कृत्यों का निजीकरण कर दिया गया है, ऐसे निजी पक्षकार भी अन्य सांविधिक बाध्यताओं से बंधे हुए हैं, जो भारत की संघ पर लागू होंगे, यदि ऐसे कृत्यों का निजीकरण नहीं किया गया होता।

(iii) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और उत्पादन नियमित करने के लिए भारत के संघ की शक्ति, संविधान, संगत क़ानूनों और स्वयं पीएससी के तहत सर्वोपरि है और निजी व्यवस्था इसका स्थान नहीं ले सकती।

(iv) ईजीओएम द्वारा किए गए प्राकृतिक गैस का बंटवारा संविदाकार द्वारा निजी व्यवस्था के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता।

(v) संविदाकर, अर्थात् आरआईएल प्राकृतिक गैस के मूल्य, मात्रा और आपूर्ति की अवधि के संबंध में ईजीओएम के निर्णयों से बंधी हुई है।

(vi) प्राकृतिक गैस की आपूर्तियां केवल सरकार की नीतियों के तद्नुरूप ही की जाएंगी।

इसके अलावा, वेल्सपन मैक्सस्टील लिमिटेड तथा एस्सार स्टील लिमिटेड ने ईजीओएम द्वारा केजी डी6 से उन्हें गैस की आपूर्ति में कटौती किए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए मुंबई और दिल्ली उच्च न्यायालयों में क्रमशः रिट याचिका संख्या 3748/2011 तथा रिट याचिका संख्या 3106/2011 दायर की थी। दोनों याचिकाओं को क्रमशः 8.7.2011 तथा 29.09.2011 को निपटा दिया गया था। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को बरकरार रखा गया था, क्योंकि ये ईजीओएम द्वारा निर्धारित गैस उपयोगिता नीति के अनुरूप थी।

[हिन्दी]

स्वच्छ भारत अभियान

1218. **श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के महत्व पर लोगों को संवेदनशील बनाने हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभियान के अंतर्गत किन-किन स्मारकों/स्थलों की पहचान की गई;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या मानदंड अपनाए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार अभियान को जारी रखने तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष

रूप से स्मारकों एवं पर्यटक गंतव्यों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के महत्व के प्रति समाज के सभी वर्गों को संवेदनशील बनाने के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरूआत की है। यह अभियान हमारे समाज के सभी वर्गों को अनुनय करने, शिक्षा देने, प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन करने तथा संवेदनशील बनाने के कार्यों का मिश्रण है। इसका उद्देश्य पर्यटक गंतव्यों में स्वच्छता और स्वास्थ्यप्रद उपायों का स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित करना है, जिसे स्वामित्व और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों की भागीदारी से कायम रखा जाएगा, जोकि उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) का भाग है।

मंत्रालय ने इस अभियान के अधीन लगभग 120 स्मारकों/गंतव्यों की पहचान की है, जिसमें भारत में विश्व विरासत सील, एएसआई के स्मारक व अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य शामिल हैं। पहचान किए गए स्मारकों/गंतव्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस अभियान के घटकों में से एक घटक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा उनकी कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबीलिटी के भाग के रूप में स्मारकों/गंतव्यों के रख-रखाव एवं स्वच्छता के लिए उनको अपनाना है। यह एक स्वैच्छिक योजना है और इस अभियान के लिए सरकार द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस अभियान को जारी रखने का विचार है। तथापि, इस अभियान के लिए सरकार द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए गए स्मारकों/गंतव्यों की सूची

क्र.सं.	स्मारकों/गंतव्यों का नाम	स्थान
1	2	3
— भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल		
1	आगरा फोर्ट	आगरा (उत्तर प्रदेश)
2	ताज महल	आगरा (उत्तर प्रदेश)
3	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली
4	कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली	दिल्ली
5	जंतर मंतर, जयपुर	जयपुर (राजस्थान)
6	फतेहपुर सीकरी	आगरा (उत्तर प्रदेश)
7	लाल किला कांप्लेक्स	दिल्ली
8	नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क	उत्तराखंड
9	अजंता गुफाएं	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
10	एलोरा गुफाएं	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
11	गोवा के चर्च और कान्वेंट	गोवा

1	2	3
12	खजुराहो ग्रुप के स्मारक	खजुराहो (मध्य प्रदेश)
13	एलिफेंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
14	सांची में बौद्ध स्मारक	मध्य प्रदेश
15	महाबलिपुरम स्मारकों के ग्रुप	महाबलिपुरम (तमिलनाडु)
16	हम्पी में स्मारकों के ग्रुप	कर्नाटक
17	ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 12	तमिलनाडु
18	पट्टाडकल में स्मारकों के ग्रुप	कर्नाटक
19	माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया	दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
20	सूर्य मंदिर, कोर्णाक	ओडिशा
21	भीमबेटेका के रॉक शेल्टर्स	मध्य प्रदेश
22	चंपानेर-पावागढ़ आरकीओलॉजिकल पार्क	गुजरात
23	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस)	मुंबई (महाराष्ट्र)
24	महाबोधि मंदिर	गया (बिहार)
– स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए गए अन्य स्मारक/गंतव्य		
25	गोलकोंडा फोर्ट	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
26	सि' केथेड्रल और सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च कांप्लेक्स	ओल्ड गोवा
27	ग्वालियर फोर्ट	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
28	बौद्ध गुफाएं	कन्हेरी (महाराष्ट्र)
29	जाराक्म और सिंडाई के बीच उम-न्याकानेथ पर मेगालिथिक ब्रिज	उप-न्याकानेथ, मेघालय
30	जंतर मंतर	दिल्ली
31	इंडिया गेट	दिल्ली
32	पुराना किला	दिल्ली
33	सफदरजंग मकबरा	दिल्ली
34	राजघाट	दिल्ली

1	2	3
35	अक्षरधाम	दिल्ली
36	लोधी का मकबरा	दिल्ली
37	चांदनी चौक	दिल्ली
38	कनॉट प्लेस	दिल्ली
39	लोटस टेम्पल	दिल्ली
40	तुगलकाबाद	दिल्ली
41	दौलताबाद फोर्ट	दौलताबाद/औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
42	फिरोजशाह पैलेस और तहखाना	हिसार (हरियाणा)
43	ग्रुप ऑफ टेम्पल्स	चंबा (हिमाचल प्रदेश)
44	चित्तौड़गढ़ में स्मारकों के ग्रुप	बदोली/चितौड़गढ़ (राजस्थान)
45	जगेश्वर में मंदिरों के ग्रुप	फुलाई गुंथ/अल्मोड़ा (उत्तराखंड)
46	राजा सुचेत सिंह को समर्पित पुराने महल	रामनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
47	बिशमाकनगर में अवशेष	मिश्मी/दिबांग (अरूणाचल प्रदेश)
48	विष्णुडोल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)
49	देवीडोल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)
50	सिवाडोल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)
51	विष्णु का मंदिर	बिशनपुर (मणिपुर)
52	किले का अवशेष (दीमापुर के खंडहर)	दीमापुर/कोहिमा (नागालैंड)
53	दुब्दी मठ	खिओछेड/फाल्वी (सिक्किम)
54	उनाकुटी तीर्थ के मूर्ति शिल्प एवं रॉक-कट रिलीफ	उनाकुटी रेंज (त्रिपुरा)
55	(i) सभी पुरानी इमारतें एवं अन्य स्मारक (ii) सभी पुरानी इमारतें एवं अन्य पुराने अवशेष जो कि कथित दो पुराने शहरों, जो पुराने और नए राजगृह के रूप में जाने जाते हैं, से आधे मील की दूरी पर स्थित हैं	राजगीर, नालंदा (बिहार)

1	2	3
56	सिरपुर गांव और गांव के पूर्व में स्थित टीले के आस-पास का क्षेत्र	सिरपुर/राजपुर (छत्तीसगढ़)
57	बेनीसागर कांप्लेक्स	बेनीसागर/सिंहभूम (झारखंड)
58	पर्यटक परिपथ, रांची	रांची (झारखंड)
59	विष्णुपुर ग्रुप ऑफ अेम्पल्स	विष्णुपर/बंकुरा (पश्चिम बंगाल)
60	चर्च ऑफ होली जीसस, फोर्ट ए रिया, दमन	दमन
61	फोर्ट, दीव	दीव
62	फोर्ट, दमन	दमन
63	शनिवार वाड़ा, पुण	पुणे (महाराष्ट्र)
64	रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़	रायगढ़ (महाराष्ट्र)
65	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
66	बासीलिका ऑफ बॉम जीसस, ओल्ड गोवा	गोवा
67	बीचेस ऑफ कालनगुट, बागा, कोल्वा इत्यादि	गोवा
68	सोमनाथ मंदिर	गुजरात
69	द्वारकाधीश ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, द्वारका	गुजरात
70	जामी मस्जिद, चंपानेर, गुजरात	गुजरात
71	बाघ गुफाएं	बाघ (मध्य प्रदेश)
72	मांडु के स्मारक	मांडु (मध्य प्रदेश)
	(i) होशांग शाह का मकबरा	
	(ii) रानी रूपमती पेवेलियन	
	(iii) रायल कांप्लेक्स	
73	रामनाथस्वमी टेम्पल, रामेश्वरम	रामेश्वरम (तमिलनाडु)
74	बिग टेम्पल, तंजावूर (वृहदेश्वरा टेम्पल)	तंजावूर (तमिलनाडु)

1	2	3
75	विवेकानंद मेमोरियल, कन्याकुमारी	कन्याकुमारी (तमिलनाडु)
76	बेलुर-हालेबिड-श्रावणबेलागोला	बेलूर (कर्नाटक)
77	मैसूर-सोमनाथपुर-श्रीरंगापटनम-बांदीपुर-नागरहोल-काबिनी	मैसूर (कर्नाटक)
78	मैसूर पैलेस	मैसूर (कर्नाटक)
79	फोर्ट कोच्चि, कोच्चि	कोच्चि (केरल)
80	अलप्पुझा-बैकवाटर्स	अलप्पुझा (केरल)
81	कुमाराकोम-बैकवाटर्स	कुमाराकोम (केरल)
82	वरकला-बीच	वरकला (केरल)
83	मुन्नार बस स्टैंड टर्मिनल	मुन्नार (केरल)
84	कोवालम-बीच	कोवालम (केरल)
85	चारमीनार	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
86	हुसैन सागर लेक	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
87	विशाखापटनम-बीच और अराकू वैली	विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
88	अमरावती-बौद्ध स्थल	आंध्र प्रदेश
89	कामाख्या मंदिर	गुवाहाटी (असम)
90	ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूज साइट, मेजर बैंक एंड घाट	ब्रह्मपुत्र (असम)
91	लोकतक लेक में सांद्रा द्वीपसमूह, मणिपुर	मणिपुर (अरूणाचल प्रदेश)
92	बाग-ए-बहू, जम्मू	जम्मू
93	पहलगाम	जम्मू एवं कश्मीर
94	गुलमर्ग	जम्मू एवं कश्मीर
95	सोनमर्ग	जम्मू एवं कश्मीर
96	खिलानमर्ग	जम्मू एवं कश्मीर
97	शालीमार	जम्मू एवं कश्मीर

1	2	3
98	हजरत बाग	जम्मू एवं कश्मीर
99	निशात बाग	जम्मू एवं कश्मीर
100	डल झील	जम्मू एवं कश्मीर
101	जलियांवाला बाग	अमृतसर (पंजाब)
102	अमृतसर टेम्पल (मंदिर तक पहुंच)	अमृतसर (पंजाब)
103	शिमला माल रोड	शिमला (हिमाचल प्रदेश)
104	डलहोजी, खजियार	डलहौजी (हिमाचल प्रदेश)
105	आमेर फोर्ट, आमेर	जयपुर (राजस्थान)
106	हवा महल	जयपुर (राजस्थान)
107	सिटी पैलेस	जयपुर (राजस्थान)
108	सिसौदिया रानी गार्डन	जयपुर (राजस्थान)
109	घाट की रानी	राजस्थान
110	सिकंदरा	आगरा (उत्तर प्रदेश)
111	दश अश्वमेध घाट	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
112	हर की पौड़ी	हरिद्वार (उत्तराखंड)
113	राम झूला	ऋषिकेश (उत्तराखंड)
114	बौद्ध कांपलेक्स ललितगिरी	कटक (ओडिशा)
115	पुरी टेम्पल	पुरी (ओडिशा)
116	रत्नागिरी और उदयगिरी बौद्ध कांप्लेक्स	जाजपुर (ओडिशा)
117	शेर शाह सूरी का मकबरा	सासाराम (बिहार)
118	साइट ऑफ मौर्य पैलेस	पटना (बिहार)
119	वैशाली के प्राचीन अवशेष	वैशाली (बिहार)
120	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

जीडीएस के लिए बोनस बीमा

1219. श्री वी.वाई. राघवेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को डाक विभाग से डाक विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) कर्मचारियों के बीच बोनस की सीमा जीडीएस के लिए रु. 2500/- और विभाग के कर्मचारियों के लिए रु. 3500/- को स्वीकृत करने में व्याप्त असंगति को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) डाक विभाग से ग्रामीण डाक सेवकों को देय अनुग्रह बोनस की गणना के लिए सीमा को वर्तमान 2500/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 3500/- रुपए प्रतिमाह करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) डाक विभाग को समग्र परिदृश्य में मामले पर विचार किए जाने के लिए कतिपय सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर इस मामले पर उचित निर्णय के लिए कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में विदेशी सहायता

1220. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु किस प्रकार/किस तरह की सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) उसके अंतर्गत परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ग) परियोजनाएं कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार संवितरण राशि का ब्यौरा कालम 6, विवरण-I में संलग्न हैं।

(घ) ब्यौरा कालम 7, विवरण-I में संलग्न है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गुजरात में विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा।

(राशि : मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	करार की तारीख	प्राधिकृत ऋण की कुल राशि	31.10.2012 तक संवितरित कुल राशि	समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
क राज्य क्षेत्र परियोजना :						
1	2778 आईएनडी गुजरात सौर विद्युत पारेषण परियोजना	एडीबी	27.2.2012	100.00	शून्य	31.3.2015

1	2	3	4	5	6	7
ख : केंद्रीय क्षेत्र परियोजना						
1	4765 आइएन समेकित तटीय अंचल प्रबंधन (गुजरात सहित 3 राज्यों को कवर करता है।)	एडीबी	22.7.2010	221.96	23.99	31.12.2015
2	4765 आईएन राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका परियोजना (गुजरात सहित 12 राज्यों को कवर करती है)	एडीबी	18.7.2011	1000.00	11.52	31.12.2016
3	5074 आई राष्ट्रीय डेरी सहायता परियोजना (गुजरात सहित 14 राज्यों को कवर करती है)	एडीबी	13.4.2012	352.00	शून्य	31.12.2017

विवरण-II

विदेशी ऋण की निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	देश/ संस्था	रियायत की अवधि (वर्षों में)	परिपक्वता (वर्षों में)	ब्याज-दर (%)	प्रतिबद्धता प्रभार (%)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	एडीबी	0 से 5	12 से 20	लिबोर+स्प्रेड	0.15	(क) स्प्रेड 30.9.2007 तक 0.40 प्रतिशत, 1.10.2007 से 30.6.2010 तक 0.20 प्रतिशत, 1.7.2010 से 30.6.2011 तक 0.30 प्रतिशत तथा 1.7.2011 के बाद 0.40 तक प्रतिशत था। (ख) वचनबद्धता प्रभार : (i) 31.12.2006 तक वार्ता किए गए ऋणों के संदर्भ में प्रगामी आधार पर 0.75 प्रतिशत। (ii) असंवितरित परियोजना ऋणों पर 0.35 प्रतिशत तथा 1.1.2007 से 30.9.2007 तक वार्ता किए गए कार्यक्रम ऋणों पर 0.75 प्रतिशत। (iii) 01.10.2007 को या उससे पहले वार्ता किए गए ऋणों के संदर्भ में असंवितरित धनराशि पर 0.15 प्रतिशत।

1	2	3	4	5	6	7
2.	आईडीए	10	35	0.75	0.50	(क) ब्याज कालम के अंतर्गत दर्शाया गया 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में संदर्भित है। (ख) आईडीए-16 के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत के सेवा प्रभार के अतिरिक्त निम्न ब्याज दर भी प्रयोज्य है। सम्मिलित/कठोर शर्तें 5 वर्ष की छूट अवधि और 25 वर्ष की परिपक्वता के साथ 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष। (ग) कठोर आईडीए शर्तों के अंतर्गत-प्रयोज्य ब्याज दर आईबीआरडी ब्याज दरों में से 200 बीपीएस कम करके 5 वर्ष की छूटी अवधि और 25 वर्ष की परिपक्वता के साथ 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सेवा प्रभारों के अतिरिक्त है। (घ) पूर्ण माफी के पश्चात् 4 वर्षों के लिए (2008-12) अनाहरित ऋण राशि पर देय प्रतिबद्धता प्रभार (विश्व बैंक वित्त वर्ष जुलाई से जून)

(संकेताक्षर : एडीबी : एशियाई विकास बैंक, आईडीए : अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ)

फेमा में संशोधन

1221. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत नियमों में संशोधन न किए जाने के कारण कठिनाई आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2012 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 4 (2012 शृंखला) के तहत एकल-ब्रांड उत्पाद खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी विद्यमान नीति को तथा अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 5(2012 शृंखला) दिनांक 20 सितम्बर, 2012 के तहत एफआईपीबी मार्ग के अधीन बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कतिपय शर्तों पर निबंधनों के अधीन अनुमत किया। सरकार के इस नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए फेमा विनियमों में परिणामी संशोधन किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा की धारा 10(4) तथा 11(1) के अधीन 21 सितम्बर, 2012 की एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 32 जारी किया। तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के संगत विनियमों में संशोधन उक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए किया जिसे दिनांक 30 अक्तूबर, 2012 के सा.का.नि. संख्या 795(अ) के तहत सरकारी राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आरक्षण

1222. **श्री उदय प्रताप सिंह :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक/कामगार/हेल्पर/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित हैं;

(ख) क्या रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था आंगनवाड़ी केन्द्रों में इन कर्मचारियों की भर्ती में भी लागू है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पर्यवेक्षकों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पर्यवेक्षक का एक नियमित पद है और यह राज्य काडर का पद है। आरक्षण की नीति, यदि कोई हो, तो वह राज्य सरकारों की नीति के अनुसार उनकी भर्ती पर लागू होती है।

जहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं का संबंध है, आईसीडीएस स्कीम में उन्हें स्थानीय समुदाय की "अवैतनिक कार्यकत्री" माना गया है जो बाल देखरेख एवं बाल विकास के क्षेत्र में अंशकलिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं। दिशा-निर्देशों में भी यह अपेक्षित है कि उनके चयन में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा समाज के यह अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों की आंगनवाड़ी केन्द्रों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति स्थानीय समुदाय से संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है चूंकि, उनकी नियुक्ति में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और न ही उन्हें कोई सिविल पद दिया जाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि ऋण पर ब्याज दर

1223. **श्री खगेन दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों के लिए वार्षिक ऋण पर ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं। किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज – दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार 2006-07 से ब्याज सहायता-योजना कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार 2009-10 के तुरंत आदाता किसानों, अर्थात् समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता योजना उपलब्ध करवा रही है। यह अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1%, 2010-11 में 2% और 2011-12 में 3% थी। आगे, मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए, जिन लघु और सीमांत किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें वर्ष 2011-12 में अपने उत्पादों को वेयरहाउसों रसीदों के बदले फसल ऋणों पर मिलने वाली दरों पर ही फसलोत्पादन के पश्चात् अगली छह महीनों की अवधि तक के लिए ब्याज सहायता योजना का लाभ प्रदान किया गया था। वर्ष 2011-12 की इस ब्याज सहायता योजना को 2012-13 में भी जारी रखा गया है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा अधिकारियों की घोटाले में संलिप्तता

1224. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जाली मृत्यु प्रमाण-पत्रों के माध्यम से बीमित राशियों के दुर्विनियोग संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो बीमा कंपनी-वार, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों/लाभकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में सार्वजनिक धन को सुरक्षित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण पर संपार्श्विक

1225. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए ऋणों पर संपार्श्विक के संबंध में बैंकों के विरुद्ध कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसएनई ने इस क्षेत्र के लिए सरल ऋण मानदंडों के कड़ाई के कार्यान्वयन हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली) (पसीपीजीआरएएमएस) में एमएसएमई को दिए गए जमानती ऋण के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित आंकड़ा एकत्र करने के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, इस संबंध में सरकारी बैंकों, सिडबी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) एमएसएमई लक्ष्यों से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य बल की भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।

(ii) एसएमईआरए (भारतीय एसएमई रेटिंग एजेंसी) को जोखिम का आकलन करने के लिए सितम्बर, 2012 में मान्यता प्रदान की गई थी, मौजूदा पांच घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसी के अलावा पूंजी पर्याप्तता के लिए बैंक दावे करता है।

(iii) एमएसई इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में बैंकों को समपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।

(iv) अग्रणी बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत एमएसई शाखा संचालित करने की सलाह दी गई है।

(v) बैंकों को 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए आईबीए अनुमोदित सामान्य आवेदन फार्म अपनाने का अनुदेश दिया गया है।

(vi) एमएसएमई क्षेत्र को ईक्विटी सहायता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत सरकार की 2000 करोड़ रुपये की सहायता से अगस्त, 2012 में इंडिया ओपर्टयूनिटी वेंचर फंड (आईओवीएफ) का गठन किया गया है।

(vii) एमएसएमई परिस्थितिकीय प्रणाली में वित्तीय और गैर-वित्तीय अंतरालों को पाटने के लिए सिडबी की कार्यनीति का पुनरभिमुखीकरण किया गया है।

(viii) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने हेतु ईसीबी प्राप्त करने के लिए सिडबी को पात्र उधारकर्त्ता के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता को बढ़ाने तथा एमएसई में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सिडबी को 5000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) हेतु निधियां

1226. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित निधियों का गत तीन वित्त वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 2005 में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के निरुपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल राज्य योजना परिव्यय में से टीएसपी के लिए निधियों का आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचति जनजाति की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के तहत वर्ष-वार आबंटन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

योजना आयोग ने टीएसपी के प्रयोजन हेतु 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए योजना निधियों का खास निर्धारण किया है जो वर्ष 2011-12 से शुरू है। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष्ज्ञ 2010-11 तथा 2012-13 के लिए निर्धारित निधियों को दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

2009-10 से 2012-13 के दौरान टीएसपी आबंटन दर्शाने वाला विवरण*

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11	आबंटन 2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2370.86	2529.20	2973.13
2.	असम	49.85	53.53	77.46
3.	बिहार	163.38	222.49	300.21
4.	छत्तीसगढ़	3663.10	4207.14	5561.44
5.	गोवा	136.99	153.10	235.91
6.	गुजरात	3616.02	4146.45	5103.03
7.	हिमाचल प्रदेश	243.00	270.00	297.00
8.	जम्मू और कश्मीर	559.97	673.75	743.45
9.	झारखंड	4160.46	4657.72	6027.37
10.	कर्नाटक	1947.00	1517.94	1866.95
11.	केरल	180.86	200.50	284.19
12.	मध्य प्रदेश	3740.26	4244.10	4964.90
13.	महाराष्ट्र	2053.25	3147.89	3693.50
14.	मणिपुर	741.14	1017.50	1071.85
15.	ओडिशा	2171.48	2463.08	3603.43
16.	राजस्थान	2115.35	2857.41	3568.18
17.	सिक्किम	58.39	92.74	40.90
18.	तमिलनाडु	175.04	208.88	253.92
19.	त्रिपुरा	575.91	630.27	607.47
20.	उत्तर प्रदेश	28.45	31.00	31.85
21.	उत्तराखंड	194.85	204.00	234.00
22.	पश्चिम बंगाल	963.55	1127.28	1470.29
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68.95	80.73	173.92
24.	दमन और दीव	13.66	14.99	28.79
	कुल	29991.77	34751.69	43213.14

**स्रोत:* योजना आयोग।

विवरण-II

2011-12 और 2012-13 के दौरान टीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को दर्शाने वाला विवरण*

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2011-12	2012-13
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	740.96	882.59
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	100.80	116.00
3.	कोयला मंत्रालय	27.00	31.00
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
4.	दूरसंचार विभाग	8.57	12.00
5.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	201.00	201.00
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
6.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1.40	4.06
7.	संस्कृति मंत्रालय	15.70	17.28
8.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	15.00	16.00
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1932.00	2224.41
10.	आयुर्वेद, योग तथा निसर्गोपचार पद्धति, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी विभाग (आयुष)	18.00	19.80
11.	एड्स नियंत्रण विभाग	139.40	139.40
12.	आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय	26.40	27.72
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
13.	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	4168.40	4918.68
14.	उच्चतर शिक्षा विभाग	982.73	1159.35
15.	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	106.60	202.54

1	2	3	4
16.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय	135.30	139.48
17.	खान मंत्रालय	8.12	8.72
18.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	375.00	500.00
19.	पंचायती राज मंत्रालय	7.36	17.44
	ग्रामीण विकास विभाग		
20.	ग्रामीण विकास विभाग	3081.94	3460.37
21.	भू-संसाधन विभाग	269.92	320.05
22.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	1100.00	1400.00
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
23.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	58.75	61.93
24.	वस्त्र मंत्रालय	60.00	84.00
25.	पर्यटन मंत्रालय	27.50	30.25
26.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	3723.01	4090.00
27.	जल संसाधन मंत्रालय	11.60	19.50
28.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1037.30	1517.00
29.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	82.60	85.60
	सभी मंत्रालय/विभाग-कुल	18462.36	21706.17

**स्रोत:* योजना आयोग।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण

1227. श्री वैजयंत पांडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋणों का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का ऋण सूचना ब्यूरो लि. (सिविल) के माध्यम से ऋण रेटिंग अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) देश में एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) एमएसई को दिए गए ऋण को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए अगस्त, 2000 में सीजीटीएमएसई का गठन यिका गया है।

(ii) एसएमईआरए (भारतीय एसएमई रेटिंग एजेंसी) को जोखिम का आकलन करने के लिए सितम्बर, 2012 में मान्यता प्रदान की गई थी, मौजूदा पांच घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसी के अलावा पूंजी पर्याप्तता के लिए बैंक दावे करता है।

(iii) एमएसएमई लक्ष्यों से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य बल की भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।

(iv) एमएसई इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में बैंकों को समपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।

(v) अग्रणी बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत एमएसई शाखा संचालित करने की सलाह दी गई है।

(vi) बैंकों को 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए आईबीए अनुमोदित सामान्य आवेदन फार्म अपनाने का अनुदेश दिया गया है।

(vii) एमएसएमई क्षेत्र को ईक्विटी सहायता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत सरकार की 2000 करोड़ रुपये की सहायता से अगस्त, 2012 में इंडिया ओपर्ट्यूनिटी वेंचर फंड (आईओवीएफ) का गठन किया गया है।

(viii) एमएसएमई परिस्थितिकीय प्रणाली में वित्तीय और गैर-वित्तीय अंतरालों को पाटने के लिए सिडबी की कार्यनीति का पुनरभिमुखीकरण किया गया है।

(ix) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने हेतु ईसीबी प्राप्त करने के लिए सिडबी को पात्र उधारकर्त्ता के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

(x) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता को बढ़ाने तथा एमएसई में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सिडबी को 5000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) सीआईबीआईएल कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी के आयात पर शुल्क

1228. **डॉ. भोला सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान चीनी के आयात पर लगाए गए सीमा-शुल्क का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीनी की आयात शुल्क नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) 5 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक की अवधि के दौरान, कच्ची/सफेद/रिफाइंड चीनी पर लगाया जाने वाला आधारभूत सीमा शुल्क शून्य था। हालांकि, 95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) और 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) का भुगतान किया जाना होता था। 1 जुलाई, 2012 से 12 जुलाई, 2012 तक की अवधि के दौरान कच्ची/सफेद/रिफाइंड चीनी पर 60 प्रतिशत की दर से आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाता था। 13 जुलाई, 2012 से कच्ची/सफेद/रिफाइंड चीनी पर 10 प्रतिशत की दर से आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जा रहा है। 1 जुलाई, 2012 से आज तक सीवीडी और एसएडी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार चीनी से संबंधित आयात शुल्क/नीति की समीक्षा समय-समय पर करती रहती है और सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए यथोचित कार्रवाई भी करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1229. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 264 ऐसे जिलों की पहचान की है जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार नाम क्या हो; और

(ग) देश के प्रत्येक जिले में एनआरएचएम के कार्यान्वयन की उचित निगरानी हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी हां।

(ख) जिलों के राज्य-वार नाम विवरण में संलग्न है।

(ग) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को वार्षिक राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना जिसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन और अनुमोदित किया जाता है, के माध्यम से सहायता दी जाती है। यद्यपि इसके कार्यान्वयन और नियमित रूप से गहन मॉनीटरिंग करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्यों की होती है, तथापि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) : इस मिशन को हर वर्ष 12-15 राज्यों में शुरू किया जाता है। सीआरएम दलों में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विकास भागीदार, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि होते हैं। ये दल राज्यों में सी आर एम क्रिया के भाग के रूप में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का दौरा करते हैं।

2. संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संघटक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संघटक की समीक्षा करने के लिए हर वर्ष संयुक्त समीक्षा मिशन चलाए जाते हैं। इन मिशन दलों में सिविल सोसाइटी, विकास भागीदार और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

3. स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) एक समेकित वेब आधारित प्रणाली है जो वेब आधारित इंटरफेस का उपयोग करते हुए प्रमुख पैरामीटरों पर जिला-वार/सुविधा-केंद्र वार प्रगति का ब्यौरा संकलित करती है।

4. सामुदायिक मॉनीटरिंग : सामुदायिक मॉनीटरिंग प्रक्रिया जिसमें रोगी कल्याण सोसाइटियां (आर के एस), वीएचएसएनसीज और ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, के माध्यम से इस मिशन के कार्य-निष्पादन को भी मॉनीटर किया जाता है।

5. माता व बाल खोज प्रणाली (एमसीटीएस) सभी गर्भवती माताओं और बच्चों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने तथा गर्भवती महिलाओं व बच्चों को रोग प्रतिरक्षण की सेवाओं की पूरी प्रदानगी को मॉनीटर करने के लिए स्थापित की गई है।

6. समेकित मॉनीटरिंग दौरे : मंत्रालय और विकास भागीदारों के अधिकारियों से बने दलों द्वारा उच्च ध्यान केंद्रित किए जाने वाले जिलों में समेकित मॉनीटरिंग दौरे किए जाते हैं।

7. वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) : प्रमुख स्वास्थ्य सूचकों की हर वर्ष जिलावार प्रगति को मॉनीटर करने तथा कम-कार्य-निष्पादन वाले जिलों में समुचित उपचारी कार्रवाई करने के लिए अधिकार-प्राप्त कार्यदल वाले 8 राज्यों (बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान) व असम, समेत 9 राज्यों के 284 जिलों (2001 की जनगणना के अनुसार) में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

8. वित्तीय मॉनीटरिंग : वित्तीय मॉनीटरिंग एफएमआर्स के विश्लेषण और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की धन की स्थिति के मासिक विवरण, समवर्ती अंकेक्षण, वार्षिक सांविधिक अंकेक्षण, वित्तीय समीक्षा दौरे के माध्यम से की जाती है।

9. इस विभाग के अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्ष 2011-12 से वार्षिक अंकेक्षण संचालन शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं।

विवरण

उच्च ध्यान केंद्रित किए जाने वाले 264 जिलों की सूची

उत्तर प्रदेश (46)	शरावस्ती, बलरामपुर, बुदौन, बहराइच, शाहजहांपुर, गोंडा, हरदोई, सिद्धार्थ नगर, खीरी, फर्रुखाबाद, बांदा, एटा, कन्नौज, सीतापुर, फतेहपुर, चित्रकूट, बरेली, उन्नाव, कौशाम्बी, हाथरस, औरैया, इटावा, बाराबंकी, पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, महाराजगंज, आगरा, सोनभद्र, ललितपुर, फिरोजाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, मथुरा, चंदौली, मैनपुरी, संत रविदास नगर, अलीगढ़, बस्ती, महोबा, जालौन, कानपुर, देहात, खीरी, लखीमपुर।
बिहार (36)	शिवहर, पूर्णिया, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, नवादा, अररिया, बांका, पश्चिम चंपारण, गया, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, कैमूर, लखीसराय, पूरब चंपारण, जहानाबाद, रोहतास, बक्सर, बेगूसराय, औरंगाबाद,खगरिया, मधुबनी, भोजपुर, शेखपुरा, गोपाल, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, भागलपुर, सारण, सिवान, अलवर
मध्य प्रदेश (34)	श्योपुर, झाबुआ, सीधी, शिवपुरी, पन्ना, उमरिया, मंडला, मुरैना, टीकमगढ़, सतना, दमोह, रायसेन, राजगढ़, गुना, रीवा, छतरपुर, धार, भिण्ड, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, शहडोल, मंडला, बड़वानी, हरदा, छिंदवाड़ा, रतलाम, कटनी, देवास, सीहोर, होशंगाबाद, अनूपपुर, सिंगरौली, पूर्वी नेमर,
राजस्थान (19)	बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमेर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, सिरोही, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, पाली, चुरू, जोधपुर,
झारखंड (19)	गोड्डा, गिरिडीह पाकौ, चितरा, साहिबगंज, कोडरमा, जामताड़ा, देवघर, पलामू,

	गढ़वा, दुमका, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम,
ओडिशा (18)	बलांगीर, बरगढ़, कालाहांडी, नुआपाड़ा, झारसुगुडा, देवगढ़, संबलपुर, केनौझर, गजपति, सुंदरगढ़, कोरापुट, कंधमाल, नवरंगापुर, रायगड़ा, मलकानगिरी, बौध, अनुगुल, नयागढ़
छत्तीसगढ़ (16)	सरगुजा, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बस्तर, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कवर्धा, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, बीजापुर, नारायणपुर
जम्मू व कश्मीर (6)	डोडा, कारगिल, लेह, राजौरी, पुंछ, उधमपुर
उत्तराखंड (4)	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर
हिमाचल प्रदेश (3)	किन्नौर, लाहौल और स्पीति, चंबा
असम (14)	धुबरी, करीमगंज, उत्तरी कछार हिल्स, कार्बी आंगलोंग, धेमाजी, कोकराझार, बोंगईगांव, नलबाड़ी, दारांग, कचेर, गोलपाड़ा, नगांव, जोरहाट, हलाकांडी
मेघालय (5)	पश्चिम खासी हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स
मणिपुर (4)	तामेंगलांग, छुरछंदपुर, उखरूल, चंदेल
त्रिपुरा (2)	धलाई, दक्षिण त्रिपुरा
अरूणाचल प्रदेश (3)	ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी कामेंग, करंग कुमेय
कर्नाटक (7)	रायचूर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, चमराज नगर, कोलार, बीदर, दावनगेरे,
आंध्र प्रदेश (6)	आदिलाबाद, खम्मम, वारंगल, नेल्लोर, अनंतपुर,महबूबनगर
पश्चिम बंगाल (6)	कोच बिहार, जल पाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर, बांकुड़ा, पुरलिया, बीरभूम,
गुजरात (6)	डांग, बनास कांथा, नर्मदा, दाहोद, वलसाड, नवसारी
पंजाब (4)	नवांशहर, मुक्तसर, जालंधर, फरीदकोट
महाराष्ट्र (3)	गढ़चिरौली, नंदुरबार, गेनडिया
हरियाणा (1)	मेवात
लक्षद्वीप (1)	लक्षद्वीप
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (1)	कार निकोबार

[अनुवाद]

मानसिक बीमारी

1230. श्री मानिक टैगोर :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वे/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और देश में मानसिक रूप से बीमार रोगियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए क्या कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियों आवंटित और खर्च की गई हैं;

(घ) क्या देश में बढ़ते हुए मानसिक बीमारी के मामलों में निपटने हेतु मनोचिकित्सकों और मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मनोचिकित्सकों और मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं की वर्तमान संख्या कितनी है और देश में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ङ) देश में मानसिक विकारों से ग्रस्त रोगियों की संख्या और मनश्चिकित्सक, मनश्चिकित्सीय, नर्सों व सामाजिक कार्यकत्ताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मानसिक अस्पतालों तथा पलंगों की आनुपातिक उपलब्धता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

मई व जुलाई, 2002 के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार मनश्चिकित्सकों की अभीष्ट अपेक्षित संख्या प्रति, 1,00,000 जनसंख्या पर 1.0 है। तद्नुसार वर्तमान जनसंख्या के अनुसार देश में लगभग 12,500 मनचिकित्सकों की आवश्यकता है जिनमें से लगभग 3800 मनश्चिकित्सक उपलब्ध हैं।

भारत सरकार मानसिक विकारों के भारी बोझ को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अर्हता-प्राप्त व्यवसायियों की तीव्र कमी को दूर करने के लिए वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की निम्नलिखित संघटकों को शामिल करने के लिए पुन: संरचना की गई है:—

I. जनशक्ति विकास योजना;

    (i) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना (योजना-क)

    (ii) मानसिक स्वास्थ्य में जनशक्ति विकास हेतु योजना (योजना-ख)

II. जीवन कौशलों की शिक्षा व स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श, अत्मा-हत्या रोकथाम सेवाओं इत्यादि के जोड़े गए संघटकों वाला जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम;

III. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सीय खंडों का उन्नयन;

IV. सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण।

इसके अतिरिक्त देश-भर में मानसिक बीमारी से पीड़ित रोगियों का उपचार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर चलाए जाने वाली सुविधासम्पन्न 3 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, राज्य द्वारा चलाए जाने वाले 40 अस्पताल और विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में मनश्चिकित्सा के 335 विभाग (सरकार में 154 व निजी 181) हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मानसिक विकारों से ग्रस्त रोगी

क्र. सं.	राज्य (1)	जनसंख्या (2)	सघनता (वर्ग किमी.) (3)	अनुमानित रोगी भार (4)		विद्यमान सुविधाएं अस्पताल पलंग (5)		मनश्चिकित्सक	
				प्रमुख मानसिक विकार	लघु मानसिक विकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	उपलब्ध	अपेक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356265	43	3562	18810	10	—	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	75727541	275	757275	3766375	1020	210	180	757
3.	अरुणाचल प्रदेश	1091117	13	10911	54555	10	—	1	10
4.	असम	26638407	340	266384	1331720	500	—	29	266
5.	बिहार	82878796	880	828787	4143935	—	—	28	828
6.	चंडीगढ़	900914	7903	9009	45045	57	—	31	9
7.	छत्तीसगढ़	20795956	154	207959	1049795	10	3	15	207
8.	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	158059, 220451	1411,	449	3785	18925	10	1	4
9.	दिल्ली	13782976	9294	137829	689145	329	113	155	137
10.	गोवा	1343998	363	13439	77195	210	—	26	14
11.	गुजरात	50596992	258	505969	2529845	853	326	97	505
12.	हरियाणा	21082989	477	210829	1054145	89	98	39	210
13.	हिमाचल प्रदेश	6077248	109	60772	303860	14	3	8	61
14.	झारखंड	26909428	338	269094	1345470	1173	145	50	270
15.	जम्मू और कश्मीर	10069917	99	100699	503495	120	—	4	100
16.	कर्नाटक	52733958	275	527339	2636695	1341	1113	198	527
17.	केरल	31838619	819	318386	1591930	1937	1539	238	318

जनशक्ति संसाधन (6)

	नैदानिक मनोविज्ञानी			मनश्चिकित्सीय कार्यकर्त्ता			मनश्चिकित्सीय नर्सें		
कमी	उपलब्ध	अपेक्षित	कमी	उपलब्ध	अपेक्षित	कमी	उपलब्ध	अपेक्षित	कमी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	—	6	6	—	8	8	—	3	3
577	8	865	857	3	114	1151	शून्य	123	123
9	—	15	15	—	20	20	—	1	1
237	5	450	445	1	564	563	1	50	49
800	13	1214	1201	एन.ए.	1656	**	एन.ए.	**	**
+22	14	14	—	10	18	8	1	6	5
192	1	304	303	2	414	412	—	2	2
3	—	6	6	1	8	7	4	1	3
+18	43	207	164	13	274	261	172**	32	+140
+12	2	21	19	3	28	25	2	21	19
408	12	753	741	12	1010	998	—	118	118
171	2	315	313	—	420	420	1	19	18
53	2	90	88	—	122	122	—	6	6
220	15	405	390	10	540	530	एन.ए.	135	**
96	1	150	149	1	200	199	—	12	12
329	69	762	693	56	1052	996	175	245	70
80	42	477	435	40	636	596	14	348	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	कर्नाटक	60595	1894	605	3025	—	—	—	1
19.	मध्य प्रदेश	60388118	196	603881	3019405	592	एन.ए.	12	603
20.	महाराष्ट्र	96752247	314	967522	4837610	6073	652	486	967
21.	मणिपुर	2388634	107	23886	119430	10	—	6	24
22.	मेघालय	2306069	103	23060	115300	70	—	5	23
23.	मिजोरम	891058	93	8910	44550	14	—	4	9
24.	नागालैंड	1988636	120	19886	99430	25	—	5	20
25.	ओडिशा	36706920	236	367069	1835345	118	—	19	367
26.	पुदुचेरी	973829	2029	9738	48690	44	20	15	10
27.	पंजाब	24289296	482	242892	1114460	580	267	89	242
28.	राजस्थान	56473122	165	564731	2823655	627	110	75	565
29.	सिक्किम	540493	78	5404	27020	20	12	2	5
30.	तमिलनाडु	62110839	478	621108	3105540	1800	एन.ए.	262	621
31.	त्रिपुरा	3191168	304	31911	159555	16	—	9	31
32.	उत्तराखंड	8479562	159	84795	423975	—	—	6	84
33.	उत्तर प्रदेश	166052859	689	1660528	8302640	1750	275	115	1660
34.	पश्चिम बंगाल	80221171	904	802211	4011055	1471	210	83	802
	कुल योग			10270165	51251625	20893	5096	2219	9696

टिप्पणी:

*अविश्वनीय आंकड़े: कुछ मनश्चिकित्सीय प्रशिक्षण वाली नर्सें लेकिन मनश्चिकित्सीय उपचर्या (डीपीएन) में डिप्लोमा रहित नर्सें शामिल की गई प्रतीत होती हैं।

**अविश्वनीय आंकड़े।

कॉलम-2 जनसंख्या आंकड़ों को भारत की जनगणना-2011 में लिए गए हैं जैसा कि अनंतिम जनसंख्या योग में प्रकाशित किया गया है। (भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त)

कॉलम-3 भौगोलिक क्षेत्र के साथ प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या सघनता मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के नियोजन परिनियोजन में एक लाभदायक निवेश है।

कॉलम-4 प्रमुख मानसिक विकारों के संबंध में रोगी-भार की गणना 1% जनसंख्या की दर और लघु मानसिक विकारों में रोगी-भार की गणना 5% जनसंख्या की दर में की गई है।

स्रोत: मई व जुलाई, 2002 के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया मानसिक स्वास्थ्य संगठन का राष्ट्रीय सर्वेक्षण।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	—	2	2	—	4	4	—	1	1
591	—	905	905	—	1206	1206	1	60	59
481	133	484	451	44	1934	1890	117	672	555
—	1	36	35	2	48	46	—	1	1
18	—	35	35	—	46	46	2	7	5
5	1	13	12	1	18	17	2	2	—
15	—	30	30	—	40	40	1	3	2
348	5	550	545	1	734	733	—	11	11
+5	1	5	14	13	20	7	20	7	-(+13)
153	18	363	345	21	484	463	10	85	75
490	12	798	786	4	1130	1126	—	74	74
3	—	7	7	—	10	10	—	3	3
359	7	910	903	21	1242	1221	—	180	180
22	—	45	45	—	62	62	—	2	2
78	—	126	126	—	168	168	—	—	
1545	20	2490	2470	35	3320	3285	—	202	202
719	28	1204	1176	—	1604	1604	4400*	1604	+4258
7477	343	13259	12926	290	19064	17118	**(6527)	4036	**

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई राशि का विवरण

2009-10

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1	2	3	4
1.	हरियाणा	गुड़गांव	रु. 17,27,945/-
2.		हिसार	रु. 15,05,749/
3.	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	रु. 17,40,804/-
4.		थोबल	रु. 18,32,251/-
2.	**सरकारी मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों के मनश्चिकित्सीय खंडों का उन्नयन**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, पासीघाट	रु. 50,00,000/
2.	दादरा और नगर हवेली	श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा, दादरा और और नगर हवेली	रु. 50,00,000/-
3.	ओडिशा	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुर्ला	रु. 50,00,000/-
3.	**जनशक्ति विकास योजनाएं**		
		योजना-ए : उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश	रु. 5,28,00,000/-
2.	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद, गुजरात	रु. 5,28,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडित भगवत, दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	रु. 5,28,00,000/-
4.	पश्चिम बंगाल	मनश्चिकित्सा संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रु. 5,28,00,000/-
5.	आंध्र प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	रु. 5,28.00,000/-
6.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोगों का अस्पताल, भारत सरकार, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर	रु. 5,28,00,000/-
7.	चंडीगढ़	मनश्चिकित्सा विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 20,50,000/-

1	2	3	4
		योजना-बी : मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों हेतु सहायता	
7.	गुजरात	पीडीयू मेडिकल कॉलेज, राजकोट, गुजरात	रु. 32,78,000/-
8.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत, गुजरात	रु. 47,12,000/-
9.	उत्तर प्रदेश	सीएसएम चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	रु. 1,73,66,000/-
10.	झारखंड	रांची मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, रांची	रु. 1,21,00,000/-
11.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली	रु. 35,16,000/-
12.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान	रु. 58,60,000/-
13.		आरएनटी कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान	रु. 58,60,000/-
14.	तमिलनाडु	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई	रु. 90,38,000/-
15.	असम	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर	रु. 1,73,66,000/-
		2010-11	
1.	**जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम**		
1.	आंध्र प्रदेश	कडापाह	रु. 21,80,000/-
2.	दादरा और नगर हवेली	सिल्वासा	रु. 17,42,400/-
3.	केरल	कुन्नूर	रु. 21,80,000/-
4.		वायनाड	रु. 21,80,000/-
5.	कर्नाटक	शिमोगा	रु. 21,08,200/-
6.		गुलबर्ग	रु. 19,59,400/-
7.		कारवार	रु. 18,19,200/-
8.		चामराजनगर	रु. 13,44,800/-
9.	पश्चिम बंगाल	24-परगना	रु. 21,80,000/-
10.		जलपाईगुड़ी	रु. 15,81,648/-

1	2	3	4
2.	**जनशक्ति विकास योजनाएं**		
		योजना-एः उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मनश्चिकित्सीय रोग अस्पताल, भारत सरकार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रु. 10,54,08,352/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रु. 5,28,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान पं. वी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	रु. 15,56,00.000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा	रु. 15,56,00,000/-
6.	केरल	आईएमएचएएनएस, कोझीकोड	रु. 20,84,00,000/-
7.	चंडीगढ़	मनश्चिकित्सा विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 5,07,50,000/-
8.	दिल्ली	आईएचबीएएस, शाहदरा	रु. 5,28,00,000/-
		योजना-बी : पीजी विभागों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में सहायता	
7.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	रु. 1,73,66,000/-
		2011-12	
1.	**जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम**		
1.	गुजरात	गोधरा	रु. 20,70,000/-
2.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	रु. 21,80,000/-
3.		जयंतिया हिल्स	रु. 21,80,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	रु. 20,70,000/-
5.		रायबरेली	रु. 20,47,000/-
6.	मणिपुर	चूडाचंदपुर	रु. 21,57,000/-
7.		चंदेल	रु. 21,80,000/-
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	रु. 20,98,564/-
9.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	रु. 12,35,000/-

1	2	3	4
10	तमिलनाडु	मदुरै	रु. 49,41,500/-
11		रनामनाथपुरम	रु. 49,41,500/-
12		धर्मपुरी	रु. 77,90,000/-
13		नागपट्टिनम	रु. 75,43,000/-
14		थेनी	रु. 76,56,000/-
15		कन्याकुमारी	रु. 74,78,000/-
16		थिरूवारूर	रु. 46,37,000/-
17		नमक्कल	रु. 46,37,000/-
18		पेरम्बलुर	रु. 46,37,000/-
19		विरुधुनगर	रु. 46,37,000/-
20		कुड्डालोर	रु. 46,37,000/-
21		थिरूवल्लूर	रु. 46,37,000/-
2.	**जनशक्ति विकास योजनाएं**		
		योजना-ए : उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1	जम्मू और कश्मीर	मनश्चिकित्सीय रोग अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रु. 13,01,91,648/-
2	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रु. 22,50,00,000/-
3	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पं. वी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	रु. 5,52,38,788/-
4	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, महाराष्ट्र	रु. 30,00,00,000/-
5	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा	रु. 7,97,00,000/-
		योजना-बी : पीजी विभागों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में सहायता	
6	कर्नाटक	निम्हांस, बंगलूरु	रु. 87,12,000/-
7	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	रु. 1,30,00,000/-

3. **राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता**

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	धनराशि
1	2	3
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	रु. 9,00,000/-
2.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रु. 9,00,000/-
4.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रु. 9,00,000/-
5.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रु. 9,00,000/-
6.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	रु. 9,00,000/-
7.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली	रु. 9,00,000/-
8.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दमन और दीव	रु. 9,00,000/-
9.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली	रु. 9,00,000/-
10.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गोवा	रु. 9,00,000/-
11.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गुजरात	रु. 9,00,000/-
12.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हरियाणा	रु. 9,00,000/-
13.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-
14.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, झारखंड	रु. 9,00,000/-
15.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक	रु. 9,00,000/-
16.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केरल	रु. 9,00,000/-
17.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मध्य प्रदेश	रु. 9,00,000/-
18.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र	रु. 9,00,000/-
19.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मणिपुर	रु. 9,00,000/-
20.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेघालय	रु. 9,00,000/-
21.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मिजोरम	रु. 9,00,000/-
22.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नागालैंड	रु. 9,00,000/-

1	2	3
23.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, ओडिशा	रु. 9,00,000/-
24.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुदुचेरी	रु. 9,00,000/-
25.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राजस्थान	रु. 9,00,000/-
26.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रु. 9,00,000/-
27.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, तमिलनाडु	रु. 9,00,000/-
28.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, त्रिपुरा	रु. 9,00,000/-
29.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	रु. 9,00.000/-
30.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड	रु. 9,00,000/-
31.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल	रु. 9,00,000/-

2012-13

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	धनराशि
1	पंजाब	संगरुर	रु. 34,47,197/-
2	केरल	कन्नूर	रु. 46,37,000/
3		इडुक्की	रु. 45,41,660/-
4		वायनाड	रु. 41,29,248/-
5	मणिपुर	चंदेल	रु. 46,37,000/-
6		चूडाचंदपुर	रु. 37,71,554/-
7	पश्चिम बंगाल	24 परगना दक्षिण	रु. 46,37,000/-
8		जलपाईगुड़ी	रु. 42,89,625/-
9	उत्तर प्रदेश	कानपुर	रु. 43,16,456/-
10		फैज़ाबाद	रु. 41,80,490/-
11		रायबरेली	रु. 45,06,267/-
12		सीतापुर	रु. 38,52,468/-

2. जनशक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	जिला	धनराशि
1	चंडीगढ़	मनश्चिकित्सा विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 13,31,00,000/-
2	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद	रु. 13,31,00,000/-
3	पश्चिम बंगाल	मनश्चिकित्सा संस्थान, कोलकाता	रु. 13,31,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	धनराशि
1	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रु. 9,00,000/-

कम-वसूली का आकलन

1231. श्री के. सुधाकरण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज-सहायता की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाली तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा कम वसूली की प्रकृति और मात्रा का आकलन करने हेतु एक पारदर्शी तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण अर्थात् आयत की लागत, शोधन ओवरहेड और डीलरों को कमीशन की विस्तृत प्रक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) डॉ. रंगराजन समिति द्वारा 2006 में की गई सिफारिश के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों से डीजल की खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य और पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य देती हैं। आईपीपी/टीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचालित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आईपीपी/टीपीपी के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

- आयात समता मूल्य (आईपीपी) — आईपीपी उस मूल्य का परिचायक है जो संबंधित भारतीय बंदरगाहों पर उत्पाद के वास्तविक आयात के मामले में आयातक अदा करते हैं और इसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं:—

  [एफओबी मूल्य + समुद्री भाड़ा + बीमा + सीमा शुल्क + बंदरगाह शुल्क-आदि]

- निर्यात समता मूल्य (ईपीपी) — ईपीपी उस मूल्य का परिचायक है जो पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर तेल कम्पनियां वसूल करती हैं।

  [एफओबी मूल्य + अग्रिम लाइसेंस लाभ (परिशोधित उत्पादों के अनुसरण में कच्चे तेल के शुल्क मुक्त आयात के लिए)]

- व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) — टीपीपी में 80% आयात समता मूल्य और 20% निर्यात समता मूल्य सम्मिलित होते हैं।

डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) की गणना करते समय निम्नलिखित तत्वों को हिसाब में लिया जाएगा:—

- रिफाइनरी को दिया गया मूल्य
- बाजार तक अंतर्देशीय भाड़ा
- विपणन मार्जिन
- एलपीजी भरण प्रभार
- डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन
- उत्पाद शुल्क
- मूल्य वर्धित कर और स्थानीय उद्ग्रहण

तथापि, तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में होने वाली वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से, सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू राजसहायता प्राप्त एलपीजी के आरएसपीज को आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा करती रहती है और उनके मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम होते हैं जिससे इन उत्पादों की बिक्री पर ओएमसीज पर अल्प वसूली का भार पड़ता है।

दिल्ली में डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू राजसहायता प्राप्त एलपीजी की विस्तृत मूल्य संरचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य संरचना

ब्यौरे	16.11.2012 से लागू डीजल (रु./लीटर)
रिफाइनरी को दिया गया मूल्य (आरजीपी)	**43.84**
जोड़िए : अंतर्देशीय भाड़ा और डिलिवरी प्रभार	0.85
जोड़िए : विपणन लागत और मार्जिन	1.38
कुल वांछित मूल्य – उत्पाद शुल्क, वैट और डीलर कमीशन से पहले	**46.07**
घटाएं – ओएमसीज को हुई अल्प वसूली	-9.06
डीलर से वसूल किया गया मूल्य (डिपो मूल्य) – उत्पाद शुल्क और वैट के बिना	**37.01**
जोड़िए : उत्पाद शुल्क (शिक्षा उपकर सहित)	3.56
जोड़िए : डीलर कमीशन	1.09
जोड़िए – वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित)*	5.49
दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (पूर्वांकित)	**47.15**

ब्यौरे	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू राजसहायता प्राप्त एलपीजी
	01.11.2012 से लागू	
	रु./लीटर	रु./14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर
1	2	3
रिफाइनरी को दिया गया मूल्य (आरजीपी)	**43.56**	**778.12**
जोड़िए : अंतर्देशीय भाड़ा और डिलिवरी प्रभार	0.76	38.31

1	2	3
जोड़िए : विपणन लागत और मार्जिन	0.74	19.33
जोड़िए : एलपीजी भरण प्रभार	लागू नहीं	38.68
कुल वांछित मूल्य – उत्पाद शुल्क, वैट और डीलर कमीशन से पहले	**45.06**	**874.44**
घटाइए – अधिसूचित योजना, 2002 के तहत राजसहायता^	-0.82	.22.58
घटाइए – ओएमसीज को हुई अल्प वसूली	-31.30	-478.45
डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से वसूल किया गया मूल्य (डिपो/भरण संयंत्र मूल्य) उत्पाद – शुल्क और वैट रहित	**12.96**	**373.41**
जोड़िए : उत्पाद शुल्क (शिक्षा उपकर सहित)	शून्य	शून्य
जोड़िए : डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन	1.13	37.25
जोड़िए – वैट (डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पर वैट सहित)*	0.70	शून्य
दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (पूर्णांकित)	**14.79**	**410.50**

*वैट दिल्ली में लागू अनुसार।

^पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002।

एनए – लागू नहीं।

स्वास्थ्य देख-रेख में व्यय

1232. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :**
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लोगों द्वारा अपनी स्वास्थ्य देख-रेख पर अपना धन सबसे अधिक खर्च किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लोगों के इस प्रकार के व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) भारत में चुनिंदा देशों की तुलना में स्वास्थ्य परिचर्या पर अपने अतिरिक्त व्ययों (आउट ऑफ पॉकेट) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत में अपने अत्यधिक अतिरिक्त व्ययों का करण, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय है क्योंकि अन्य विकसित देशों की तुलना में स्वास्थ्य पर कुल व्यय की प्रतिशतता कम है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ देश में स्वास्थ्य परिचर्या पर अपने अतिरिक्त व्ययों को कम करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:–

- विशेषतौर से निर्धनों और आबादी के असुरक्षित वर्गों को उनकी पहुँच में, वहनीय, जवाबदेह, कारगर और गुणवत्तायुक्त, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पहलें। हालांकि यह मिशन

सम्पूर्ण देश को कवर करता है, तथापि, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर सूचकों और स्वास्थ्य संबंधी कमजोर बुनियादी ढांचे वाले 18 राज्यों का विशेष ध्यान देने के लिए पता लगाया गया है।

संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी को मुख्यधारा में लाना।
- सार्वजनिक अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण करके विशिष्टीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करना।
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बढ़ा हुआ सार्वजनिक आबंटन।

विवरण

भारत में पड़ोसी और चुनिंदा देशों की तुलना में स्वास्थ्य परिचर्या पर अपने अतिरिक्त व्ययों (ओओपी) का ब्यौरा

2009

क्र. सं.	देश	स्वास्थ्य पर निजीव्ययों के रूप में किए गए आऊट ऑफ पॉकेट व्यय
1	2	3
1.	यूएसए	23.4
2.	जर्मनी	56.6
3.	फ्रांस	33.1
4.	कनाडा	49.6
5.	यूके	62.0
6.	ब्राजील	57.2
7.	मैक्सिको	92.3
8.	चीन	78.9
9.	मलेशिया	76.8
10.	इंडोनेशिया	75.2
11.	थाईलैंड	59.6
12.	पाकिस्तान	81.9
13.	श्रीलंका	82.5
14.	बांग्लादेश	96.5
15.	नेपाल	72.4
16.	भारत	86.4

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य आंकड़े-2012 – विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित।

शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण

1233. श्री जोसेफ टोप्पो : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में जनजातीय महिलाओं के लिए शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विशेषकर असम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने शैक्षिक केन्द्रों को मान्यता दी गई और कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई सीमा तय की है जिसके द्वारा सभी लंबित प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में जनजातीय महिलाओं के एिल शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय शैक्षिक केन्द्रों की मान्यता को नहीं देखता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रुपए)

क्र. सं.	एनजीओ/वीओ के पते सहित नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तक)
	अरुणाचल प्रदेश				
1.	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलिपरा, गुवाहाटी, असम परियोजना (एच. क्यूआर) और पक्के कस्सांग, जिला पूर्वी कामेंग, अरुणाचल प्रदेश	2204200	0	3976457	—
2.	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनालि, ईटानगर-791111, अरुणाचल प्रदेश (सेईजोसा परियोजना, जिला पूर्वी कामेंग, अरुणाचल प्रदेश) छात्रावास परियोजना	0	750000	0	—
3.	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनालि, ईटानगर-791111, अरुणाचल प्रदेश (ताडु डोबी परियोजना, पीओ जाइरो, जिला लोअर सुबान सिरी), अरुणाचल प्रदेश, छात्रावास परियोजना	0	472500	0	—

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों/सरकारी संगठनों की सूची (केवल अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए)

(राशि रुपए)

क्र. सं.	एनजीओ/वीओ का विवरण	परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तक)
1	2	3	4	5	6	7
	अरुणाचल प्रदेश					
1.	रामकृष्ण शारदा मिशन, एटी/पीओ: खोनसा, जिला-तिराप, पिन-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	9396510	4584510	4584510	2292255
	मणिपुर					
2.	आदिमजाति शिक्षा आश्रम, चिंगमेईरोंग खोंगनांग अनि कराक, डी.एम. रोड, जिला पश्चिम इम्फाल, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर	छात्रावास	0	972198	0	1918535

1	2	3	4	5	6	7
	बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली – 110055 (इम्फाल, मणिपुर शखा की एक इकाई)					
	त्रिपुरा					
3.	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, पीओ – बिश्नुपुर, मणि बंकुट, सबरूम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	2589750	3164940	1582470	–

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची (जिन परियोजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए)

(राशि रुपए)

क्र. सं.	एनजीओ/वीओ का पते सहित विवरण	परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तक)
1	2	3	4	5	6	7
	अरुणाचल प्रदेश					
1.	अरुणाचल पाली विद्यापीठ, चंगखाम, जिला-लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3122460	3196260	3122460	–
2.	बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सोसायटी, ऊपरी गम्पा, पीओ/पीएस बामडिला, जिला – पश्चिम कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	4525342	2248228	3206943	–
3.	बौद्ध सांस्कृतिक स्ट्डीज़, ग्राम/पीओ के लिए केन्द्रः तवांग जिला तवांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3375630	1687815	1687815	–
4.	आदिमजाति भारतीय सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) रूपा में परियोजना	छात्रावास	1660899	0	0	1178550
5.	ओजु वेल्फेयर एसोसिएशन, नहारलगुन पुलिस स्टेशन के पास, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	3452940	3491865	4188015	–
	असम					
6.	पठारी वोकेशनल संस्थान में शीर्ष मंजिल, बार लिबरोग, जिला नागांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	613800	945900	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	साधू असम ग्रामया पुथिभराल संथा, तेल्लिपाट्टी, चन्मसाई रोड, जिला नागांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	1076100	1095750	-
8.	दयानंद सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकाजन, कारबी, आंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, पई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) परियोजना में बोकाजन दो इकाइयों, ापारजंन और डिफू	छात्रावास (4 एकक)	2998731	3097170	3129479	-
	मणिपुर					
9.	चिल चिल एशियाई मिशन सोसायटी कंगलातांबी, मणिपुर	छात्रावास	1178550	1762830	0	1748580
10.	ईसाई ग्रामर स्कूल (बाल विकास केन्द्र), ग्रीन हिल्स, तामेंगलांग, मुख्यालय, पिन-795141 मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1145340	3017250	0	3542940
11.	एकीकृत शैक्षिक सामाजिक विकास संगठन (आईईएसडीओ) इम्फाल पूर्व, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2417580	0	-
12.	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन (आईआरडीईओ) वंगबाल, पीओ थोउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 एकक)	0	7438544	2436863	1620270
13.	ग्रामीण शैक्षिक और सामाजिक – आर्थिक विकास संगठन, (आईएसईडीओ): थांगा तोंगब्राम लैकाइ, बीपीओ थांगा, जिला बिशुनुपर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2380905	.885010	-
14.	सिमसिनपावयपी (पाइते छात्र वेलफेयर एसोसिएशन) एसएसएसपी परिसर, बुंगनोल, पीओ बॉक्स नं. 99, जिला-लम्का, पिन-795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	12283530	6218685	6235470	-
15.	मुद्रलेखन संस्थान एवं ग्रामीण विकास सेवा, थोउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	3389040	0	-
16.	संयुक्त ग्रामीण विकास सेवा (यूआरडीएस), एचहो: हेईराक हेईतुप्पोकपी, जिला थोउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	3304890	1881055	-
17.	फंड भारत में राहत और पुनर्वास सेवा समिति (टीएफआईसीओआरआरएस), चिम्तुंग, दोरकास रोड, नई लम्का जिला – चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	5018307	1620270	-

1	2	3	4	5	6	7
	मेघालय					
18.	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय	सचल औषधालय (2) और आवासीय विद्यालय	773851	0	0	–
	मिजोरम					
19.	मिजोरम हमेईथाई एसोसिएशन, ऊपरी गणतंत्र, रोड, आइजोल, मिजोरम	संचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	1684590	1733670	1775790	–
20.	थुतक नुनपुईतु टीम, मोन्ना वेंघ आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	0	4656660	–
	सिक्किम					
21.	मानव विकास फाउंडेशन, एटी चोगने रात, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	6901380	2602665	2559900	–
22.	मुयाल लिआंग ट्रस्ट, थोंगडा हिल, डीपीसीए, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	4381966	3261488	3187133	–
	त्रिपुरा					
23.	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, पीओ – बिश्नुपुर, मणि बंककुत, सबरूम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	2589750	3164940	1582470	–

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों की सूची (परियोजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियां भी लाभान्वित होती हैं)

(राशि रुपए)

क्र. सं.	संगठन का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तक)
1	2	3	4	5	6
	असम				
1.	डॉ. अम्बेडकर मिशन, कामरूप, असम	3000000	0	0	4920000

1	2	3	4	5	6
2.	ग्राम विकास परिषद्, पो. – मुमारमुर, जिला नागांव, असम	0	3120000	5620000	–
3.	पठारी वोकेशनल संस्थान, बार लाइब्रेरी, नागांव, असम	2400000	0	6240000	–
	मेघालय				
4.	नॉन्गक्रेम युवा विकास एसोसएिशन, पो – नॉन्गक्रेम माध्यम से मदामरिटिंग, शिलांग-793021	3288000	0	0	4896000

सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त मात्रा में औषधियां

1234. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में रोगी बाजार से औषधियां खरीदने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अस्पतालों को पर्याप्त मात्र में औषधियों की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कर्नाटक सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट है;

(ग) देश में अस्पतालों को पर्याप्त मात्र में औषधि की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) कया सरकार ने ऐसे स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय हे, इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ आरएमएल अस्पताल और एलएचएमसी व सहयोगी अस्पतालों का संबंध है, भर्ती रोगियों को दवाइयां नि:शुल्क की जाती हैं। बहि:रोगी विभाग में रोगियों को अस्पताल की फारमुलरी के अनुसार दवाइयां की जाती हैं। यदि कोई दवा अस्पताल भंडार में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसको निर्धारित केमिस्टों के जरिए स्थानीय क्रय द्वारा मुहैया कराया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन

1235. **श्री सुशील कुमार सिंह :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री महाबली सिंह :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री रवनीत सिंह :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) बिहार सहित देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत वाणिज्यिक ऊर्जा तक पहुंच के बगैर जनसंख्या की सेवा के लिए ग्रिड/ऑफ-ग्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु चालू परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में इस प्रयोजन हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन के तहत प्राप्त लक्ष्य और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए नियत लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में विद्यमान सौर ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा तथा लक्षद्वीप में विभिन्न द्वीपसमूहों में सौर ऊर्जा संयंत्र के आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-II में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) रूफटॉप प्रकाशवोल्टीय औरा लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, जो ग्रिड-संबद्ध एसपीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले 100 मेगावाट की एक स्कीम थी, के अंतर्गत मंत्रालय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय बिहार सहित सामान्य श्रेणी के राज्यों में बैटरी भंडारण प्रणाली के साथ 100 किवापी की अधिकतम क्षमता तक के एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 60-66 रु. प्रति वाट पीक तक सीमित परियोजना लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा राज्य अक्षय विकास एजेंसी के माध्यम से विद्युत संयंत्रों के लिए अधिकतम 180-198 रु. प्रति वाट पीक के अध्यधीन बैंचमार्क लागत के 90% तक सीमित सब्सिडी है।

(ख) मंत्रालय द्वारा ऑफ-ग्रिड एसपीवी प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। दिनांक 31.10.2012 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न एसपीवी प्रणालियों तथा एसपीवी विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य-वार निधियों की रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जेएनएनएसएम के प्रथम चरण में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए 100 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर पीवी अनुप्रयोग के लक्ष्य की तुलना में, मंत्रालय ने देश में कुल 118.07 मेगावाट की सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाएं मंजूर की। इस अवधि के दौरान कुल 30.99 मेगावाट पी क्षमता की परियोजनाएं कमीशन की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 900 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) दिनांक 25 नवंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार लक्षद्वीप में 11 विभिन्न द्वीपसमूहों पर 2150 किवापी की कुल क्षमता के 11 एसपीवी विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं। बित्रा (50 किवापी), कडमट (100 किवापी), कल्पेनी (100 किवापी), और किल्टन (100 किवापी) में एसपीवी विद्युत संयंत्रों का नवीकरण आरंभ किया गया है।

(ङ) दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से मार्च, 2017 में जेएनएनएसएम के चरण-II के दौरान 900 मेगावाट पी के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग और 9000 मेगावाट की अतिरिक्त ग्रिड सौर विद्युत क्षमता संस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों पर निर्भर करेगा।

विवरण

दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 तक वर्ष 2012-13 के दौरान एसपीवी प्रणालियों हेतु ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार रिलीज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	65.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	463.00
3.	असम	71.00
4.	बिहार	48.32
5.	छत्तीसगढ़	2692.02
6.	हिमाचल प्रदेश	191.40
7.	जम्मू और कश्मीर	2878.12
8.	झारखंड	242.17
9.	कर्नाटक	95.71
10.	केरल	354.68
11.	मध्य प्रदेश	212.97
12.	महाराष्ट्र	27.57
13.	मणिपुर	1391.60
14.	मिजोरम	173.05
15.	नागालैंड	523.81
16.	ओडिशा	25.00
17.	पंजाब	7.15

1	2	3
18.	राजस्थान	2756.56
19.	सिक्किम	192.93
20.	तमिलनाडु	160.36
21.	उत्तर प्रदेश	760.87
22.	पश्चिम बंगाल	12.76
23.	अन्य	2464.45
	कुल	15811.09

बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखरेख

1236. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री सुरेश कलमाड़ी :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री प्रेमदास :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बुजुर्गों में बड़े पैमाने पर विभिन्न बीमारियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किए गए कार्यों और सृजित किए गए/किए जा रहे बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखरेख हेतु आवंटित, निर्गत और प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) (क) और (ख) जी, हां। सरकार को देश में वृद्धों में रोगों की उच्च व्याप्तता दर की जानकारी है। वर्ष 1986-87, 1995-96 और 2004 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने वृद्धावस्था में रुग्णता-दर का अधिक बोझ दर्शाया है। 2004 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (60वां दौर) वृद्धों को व्यापक स्थिति प्रदान करता है। इसके अनुसार वृद्धों में रोगों, की व्याप्तता दर और घटना दर और अस्पताल में दाखिल होने की दरें कुल जनसंख्या की अपेक्षा काफी अधिक है। इस सर्वेक्षण ने यह भी सूचित किया कि लगभग 8% वृद्ध भारतीय अपने घर में बंद अथवा पलंग पर ही थे। 80 वर्ष की आयु के पश्चात् दो-दो अचल अथवा घर में बंद लोगों का अनुपात आयु के साथ 27% तक बढ़ गया। गावों और शहरों — दोनों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बार-बार अधिक प्रभावित होती थीं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने भी भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 10 स्थानों पर चलाए गए 60 वर्षों की आयु वाली वृद्धजन संख्या के एक क्रास संक्शनल बहु-केन्द्रिक समुदाय आधारित अध्ययन संचालित किया। इस अध्ययन से प्रकट हुआ है कि वृद्ध रोगियों में उच्च रक्तदाब, मधुमेह, इस्चेमिक ह्यदय रोग, कमजोर दृष्टि, सुनने में कठिनाई, रक्ताल्पता, संधिशोध, गिरना/हड्डी टूटने, अंतड़ियों की शिकायतें, संधिशोध, गिरना/हड्डी टूटने, अंतड़ियों की शिकायतें, मूत्रीय शिकायतें, अवसाद्, वजन में कमी, दमा, चिरकारी अवरुद्धात्मक पल्मनरी रोग, क्षय रोग आम रोग हैं।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 में वृद्धों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए 'राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम' शुरू किया है। इस कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य पहुंचबाह्य सेवाओं समेत राज्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को पृथक और विशिष्टीकृत व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है।

(घ) इस कार्यक्रम को 21 राज्यों के पता लगाए गए जिलों और 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के संघटकों में (i) 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं में जरा-चिकित्सा के 30 बिस्तरों वाले विभाग की स्थापना करना, (ii) पता लगाए गए 100 जिलों के अस्पतालों में 10 बिस्तरों वाले जरा-चिकित्सावार्ड का विकास करना, (iii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुर्नवास एकक का विकास और द्विसाप्ताहिक जरा-चिकित्सा क्लीनिक की व्यवस्था करना, (iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में साप्ताहिक जरा-चिकित्सा की व्यवस्था करना, (v) उपकेन्द्रों में वर्किंग स्टिकें, कैलिपर्स इत्यादि जैसे सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना शामिल हैं।

(ङ) अब तक राज्यों और क्षेत्रीय संस्थाओं को जारी किए गए सहायतानुदान के केन्द्रीय हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए धन का ब्यौरा

राज्यों को जारी किया गया धन

(2010-11)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	अनावर्ती	आवर्ती	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	186.24	177.17	363.41
2.	असम	124.96	101.33	226.29
3.	बिहार	139.52	112.05	251.57
4.	छत्तीसगढ़	89.68	91.54	181.22
5.	गुजरात	124.88	109.89	234.77
6.	हरियाणा	48.24	30.10	78.34
7.	हिमाचल प्रदेश	64.08	56.98	121.06
8.	जम्मू और कश्मीर	95.04	61.33	156.37
9.	कर्नाटक	158.16	158.05	316.21
10.	केरल	70.08	69.86	139.94
11.	मध्य प्रदेश	58.24	45.86	104.10
12.	महाराष्ट्र	119.60	99.01	218.61
13.	सिक्किम	43.36	21.86	65.22
14.	ओडिशा	50.88	35.94	86.82
15.	पंजाब	56.16	47.62	103.78
16.	राजस्थान	146.56	141.49	288.05
17.	उत्तराखंड	54.40	39.62	94.02
18.	तमिलनाडु	58.48	47.06	105.54
19.	पश्चिम बंगाल	65.44	60.10	125ए54
	योग	1754.00	1506.86	3260.86

संस्थानों को जारी किया गया धन

(2010-11)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	अनावर्ती	आवर्ती	योग
(i)	चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	140.00	73.65	213.65
(ii)	सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल	140.00	73.65	213.65
(iii)	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम	140.00	73.65	213.65
(iv)	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान	140.00	73.65	213.65
	कुल योग	560.00	294.60	854.60

वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए धन का ब्यौरा

राज्यों को जारी किया गया धन

(2011-12)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	अनावर्ती	आवर्ती	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	208.80	52.80	261.6
2.	असम	351.68	90.30	441.98
3.	बिहार	111.36	112.68	224.04
4.	छत्तीसगढ़	55.68	70.06	125.74
5.	गुजरात	278.40	140.00	418.4
6.	हरियाणा	279.76	64.78	344.54
7.	हिमाचल प्रदेश	161.52	37.44	198.96
8.	जम्मू और कश्मीर	272.00	63.16	335.16
9.	झारखंड	341.20	65.24	406.44
10.	कर्नाटक	469.20	116.82	586.02
11.	केरल	111.36	157.46	268.82
12.	मध्य प्रदेश	111.36	121.36	232.72
13.	महाराष्ट्र	111.36	126.44	237.8
14.	ओडिशा	111.36	112.52	223.88
15.	पंजाब	55.68	63.54	119.22
16.	राजस्थान	139.20	70.40	209.6
17.	सिक्किम	113.92	23.89	137.81
18.	तमिलनाडु	208.80	70.40	279.2
19.	उत्तराखंड	27.84	22.48	50.32
20.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.0
21.	पश्चिम बंगाल	55.68	64.84	120.52
	कुल व्यय	3576.16	1646.61	5222.77

संस्थानों को जारी किया गया धन

(2011-12)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	अनावर्ती	आवर्ती	योग
1	2	3	4	5
1.	एमएमसी, चेन्नई	300.00	66.876	366.876
2	अनुदान मेडिकल कॉलेज	300.00	66.876	366.876
3.	शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट	300.00	66.876	366.876
4.	एम्स, नई दिल्ली	300.00	66.876	366.876
5.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	160.00	0.00	160.00

1	2	3	4	5
6.	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम	160.00	0.00	160.00
7.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	160.00	0.00	160.00
8.	बनास हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	1680.00	267.504	1947.504

वर्ष 2012-13 के दौरान जारी धन

राज्यों को जारी धन

(2012-13)

क्र. सं.	राज्य	अनावर्ती	आवर्ती	कुल (लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	871.52		871.52
2.	बिहार	446.72		446.72
3.	छत्तीसगढ़	229.20		229.20
4.	गुजरात	225.44		225.44
5.	केरल	470.72		470.12
6.	मध्य प्रदेश	391.84		391.84
7.	महाराष्ट्र	426.96		426.96
8.	ओडिशा	374.56		374.56
9.	पंजाब	196.24		196.24
10.	राजस्थान	711.20		711.20
11.	तमिलनाडु	344.16		344.16
12.	उत्तराखंड	81.04		81.04
13.	उत्तर प्रदेश	1178.48	676.56	1855.04
14.	पश्चिम बंगाल	231.20		231.20
	योग	6179.280	676.56	6855.840

पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां/मुद्दे

1237. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यअन उद्योग के समक्ष विभिन्न चुनौतियों/मुद्दों/समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति ने ऐसे मुद्दों का समाधान करने में कितनी प्रगति की और कितनी सफलता हासिल की; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग से संबंधित मुद्दों के समाधान में सहायता करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (घ) विभिन्न प्रकार के पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके साथ चर्चा के आधार पर प्रति वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं हेतु निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

तथापि, देश में पर्यटन के विकास में शामिल अंतर-मंत्रालयीय मामलों के निपटारे को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समन्वय समिति गठित की गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय का पर्यटन सेक्टर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से लगभग 2.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) रिपोर्ट

1238. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने वित्तीय क्षेत्र में कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान हेतु सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग ने इस संबंध में विभिन्न भागीदारों की टिप्पणियां प्राप्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयोग द्वारा इन टिप्पणियों को एप्रोच पेपर में कितना शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) सरकार ने क्षेत्र की समकालीन आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए वित्तीय क्षेत्रक विधान नियमों तथा विनियमों का पुनर्लेखन करने तथा उन्हें सुमेल बनाने की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का गठन यिका है।

आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) बी.एन. श्री कृष्णा हैं तथा इसमें वित्त, अर्थशास्त्र, विधि के क्षेत्र तथा अन्य संगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले दस सदस्य हैं। आयोग वित्तीय क्षेत्र विधानों की जांच करेगा जिनमें अधीनस्थ विधान शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा कुछ पणधारियों के साथ बातचीत के आधार पर इस ने सभी पणधारियों से सुझाव मांगते हुए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, जिसे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा। एफएसएलआरसी का दृष्टिकोण पत्र *http://www.fslrc.org-in/files/fslrc_approach_ paper.pdf.* पर उपलब्ध है। वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के ब्यौरे भाग 6.1 में उपभोक्ता संरक्षण शीर्षक के अंतर्गत पैरा 54 से 63 में सम्मिलित किए गए हैं।

[हिन्दी]

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1239. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू नहीं करता; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) केंद्र सरकार संबंधी रिपोर्टों के मामले में लागू वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संसदीय समितियों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल सभी मामलों के संबंध में ‘की गई कार्रवाई टिप्पणी’ निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रेषित करनी होती है। 'की गई कार्रवाई टिप्पणी' संसदीय समितियों को प्रस्तुत करने से पहले तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता, उपचारात्मक उपायों की पर्याप्तता और कम निष्पादन हेतु स्पष्टीकरण की महालेखाकारों द्वारा विधीक्षा की जाती है। महालेखाकार की टिप्पणियों के पश्चात् मंत्रालयों और विभागों द्वारा 'की गई कार्रवाई टिप्पणियां' प्रस्तुत की जा रही हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सभा पटल पर रखी गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सूची विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 2009 के दौरान संसद में प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा रिपोर्टों की श्रेणी
1	2
1.	2008-09 का पी ए 24

1	2
	केंद्र सरकार : अप्रत्यक्ष कर (सी ई, एसटी तथा सी)
2	2008-09 का पी ए 25 केंद्र सरकार : प्रत्यक्ष कर
3	2008-09 का पी ए 26 केंद्र सरकार : रेलवे निष्पादन लेखापरीक्षा
4	2008-09 का पी ए 29 कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
5	2008-09 का पी ए 30 नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स
6	2009-10 का पी ए 6 भूमि तथा विकास कार्यालय
7	2009-10 का पी ए 8 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
8	2007-08 13 केंद्र सरकार (सिविल) : केंद्र सरकार के लेखे
9	2009-10 का 14 केंद्र सरकार अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन : सिविल तथा पोस्टल
10	2008-09 का 15 अनुपालन लेखापरीक्षा केंद्र सरकार : स्वायत्त निकाय
11	2008-09 का 16 अनुपालन लेखापरीक्षा केंद्र सरकार : वैज्ञानिक विभाग
12	2008-09 का सी ए 17 केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना तथा आयुध कारखाने
13	2008-09 का सी ए 18 केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना और जल सेना

1	2
14	2008-09 का सी ए 19 संघ सरकार : रेलवे अनुपालन लेखापरीक्षा
15	2009-10 का सी ए 20 अनुपालन लेखापरीक्षा : केंद्र सरकार : अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क)
16	2008-09 का सी ए 21 केंद्र सरकार : प्रत्यक्ष कर
17	2008 का 19 दाविल भारी जल रिएक्टरों के लिए ईधन प्रबंधन (नाभिकीय ईंधन साईकिल का अग्र सिरा)
18	2009-10 का सी ए 22 पी एस यू वाणिज्यिक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग
19	2009-10 का सी ए 23 केंद्रीय पी एस यू पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग
20	2009-10 का सी ए 24 अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन (दूरसंचार क्षेत्र से अन्यथा)
21	2009-10 का सी ए 25 अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन (दूरसंचार क्षेत्र)
22	2009-10 का सी ए 27 पी एस यू की चयनित गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा

2010 के दौरान संसद के पटल पर रखी गई लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

1	2008-09 का 1-केंद्र सरकार (लेखा)
2	2009-10 का 3-केंद्र सरकार (सिविल) (स्वायत्त निकाय) निष्पादन लेखापरीक्षौं

1	2
3	2009-10 का 4-केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष कर)
4	2009-10 का 7- केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष कर)
5	2009-10 का 11-केंद्र सरकार (रेलवे)
6	2009-10 का 12-केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद)
7	2009-10 का 13-केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)
8	2009-10 का 14-केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)
9	2009-10 का 23-केंद्र सरकार (स्वायत्त निकाय)
10	2010-11 का 4-केंद्र सरकार (सिविल)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के निष्पादन की लेखापरीक्षा
11	2010-11 को 5-केंद्र सरकार (सिविल)-गैर व्यपगम योग्य केंद्रीय समूह संसाधन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा
12	2010-11 का 3-केंद्र सरकार (सिविल) राष्ट्रीय पुस्तकालय, पेंशनरों को चिकित्सीय दावों की प्रतिपूर्ति, प रिवहन आर्थिक सहायता स्कीम के तहत दावों का भुगतान
13	2010-11 का 6-केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं)-भारतीय सेना में राशनों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की निष्पादन-लेखापरीक्षा
14	2010-11 का 7- केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं)-वायु-सेना और जल-सेना-अनुपालन लेखापरीक्षा
15	2010-11 का 8-केंद्र सरकार (रेलवे)
16	2010-11 का 9-केंद्र सरकार (सिविल)-अनुपालन लेखापरीक्षा-अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियां
17	2010-11 का 12-केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं)-सेना और आयुध निर्माणियां

1	2
18	2010-11 का 13-केंद्र सरकार (वैज्ञानिक विभाग)-परमाणु ऊर्जा विभाग में भंडारों का प्रापण और वस्तु सूची का प्रबंधन
19	2010-11 का 14-केंद्र सरकार-(रक्षा सेवाएं) कैंटीन भंडारों का विभाग
20	2010-11 का 15-केंद्र सरकार-(रक्षा सेवाएं)-आयुध निर्माणी में भंडार और मशीनरी का प्रापण
21	2010-11 का 16-(रक्षा सेवाएं)-वायु-सेना और जल-सेना
22	2010-11 का 11-केंद्र सरकार-(अप्रत्यक्ष-कर-केंद्रीय उत्पाद) (निष्पादन लेखापरीक्षा)
23	2009-10 का 15-केंद्र सरकार-(अप्रत्यक्ष सीमाशुल्क कर-अपील प्रक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षा)
24	2009-10 का 20-केंद्र सरकार-प्रत्यक्ष कर-अपील प्रक्रिया
25	2010-11 का 19-केंद्र सरकार-अनुज्ञप्तियों का निर्गम 2 जी स्पैक्ट्रम का आवंटन
26	2010-11 का 17-केंद्र सरकार-पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट
27	2009-10 का 2-सीपीएसयू (2008-09) द्वारा वित्त की रिपोर्ट करना वाणिज्यिक
28	2009-10 का 9-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2008-09) वाणिज्यिक
29	2010-11 का 10-निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2008-09) वाणिज्यिक
30	2010-11 का 2-सीपीएसयू (2009-10) द्वारा वित्त की रिपोर्ट करना वाणिज्यिक
31	2010-11 का 22-एनटीपीसी के निष्फदन की लेखापरीक्षा की समीक्षा-वाणिज्यिक
32	2010-11 का 20-केंद्र सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय (निष्पादन लेखा परीक्षा)

वर्ष 2011 के दौरान संसद में रखी गई लेखापरीक्षा रिपोर्टें

क्रम सं.	लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या	लेखापरीक्षा रिपोर्टें
1	2	3
1	2010-11 की 1	केंद्र सरकार के लेखे
2	2010-11 की 21	राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र हैदराबाद के कार्यकलाप (वैज्ञानिक विभाग)
3	2010-11 की 23	केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क) सीए
4	2010-11 की 24	केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) सीए
5	2010-11 की 25	केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) पीए
6	2010-11 की 26	केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष कर) अनुपालन लेखा परीक्षा
7	2010-11 की 27	केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) कारपोरेट सामाजिक दायित्व-सेल एवं आरआरएनएल
8	2010-11 की 28	केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) संयुक्त उपक्रम प्रचालन ओएनजीसी-विदेश लि.
9	2010-11 की 29	केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) सीए
10	2010-11 की 30	केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क-सेवा कर) पीए
11	2010-11 की 31	केंद्र सरकार (सिविल) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर पीए
12	2010-11 की 32	केंद्र सरकार (रक्षा सेवाए-एएफएन)-जल सेना वारशिप के स्वदेशी निर्माण पर पीए
13	2010-11 की 33	केंद्र सरकार-रेलवे-रेलवे वित्त
14	2010-11 की 34	केंद्र सरकार-रेलवे-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
15	2010-11 की 35	केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं)-रक्षा संपदा प्रबंधन पर पीए
16	2010-11 की 36	केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष कर)-फिल्म और टेलीविजन उद्योग में लगे मूल्यांकितियों का कराधान (पीए)
17	2010-11 की 38	केंद्र सरकार-सिविल-स्वायत्तशासी निकाय-अनुपालन लेखापरीक्षा
18	2011-12 की 3	केंद्र सरकार-वाणिज्यिक-अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
19	2011-12 की 4	केंद्र सरकार-वाणिज्यिक-बीईएल की अधिप्राप्ति प्रणाली संबंधी निष्पादान लेखापरीक्षा

1	2	3
20	2011-12 की 5	केंद्र सरकार-सिविल-वाणिज्यिक-एससीआई द्वारा पोतों की प्रबंधन संबंधी निष्पादान लेखापरीक्षा
21	2011-12 की 6	केंद्र सरकार-सिविल-19वें राष्ट्रमंडल खेलों संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा
22	2011-12 की 7	केंद्र सरकार-रक्षा सेवाएं-भारतीय तटरक्षक के कार्यकरण की भूकि की निष्पादन लेखापरीक्षा
23	2011-12 की 8	केंद्र सरकार-सिविल-उर्वक सब्सिडी की निष्पादान लेखापरीक्षा
24	2011-12 की 9	केंद्र सरकार-वाणिज्यिक-कोल इंडिया लि. द्वारा लिए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्यकलापों संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा
25	2011-12 की 10	केंद्र सरकार-वैज्ञानिक विभाग-भारत में चाय के विकास में चायबोर्ड की भूमिका की निष्पादन लेखापरीक्षा
26	2011-12 की 11	केंद्र सरकार-रक्षा सेवाएं-आदर्श कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
27	2011-12 की 12	केंद्र सरकार-प्रत्यक्ष कर-सिविल निर्माण का व्यवसाय
28	2011-12 की 13	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक-केंद्र सरकार (सिविल) (2011-12 की सं. 13)-राष्ट्रीस प्रौद्योगिकी संस्थानों की निष्पादन लेखापरीक्षा-उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव सांधन विकास मंत्रालय, मार्च, 2010 में समाप्त वर्ष के लिए
29	2011-12 की 14	केंद्र सरकार-रेलवे-निष्पादन लेखापरीक्षा
30	2011-12 की 15	अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर और सीमा शुल्क-निष्पादन लेखापरीक्षा-बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर और डयूटी ड्राबैक स्कीम
31	2011-12 की 16	केंद्र सरकार-सिविल अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
32	2011-12 की 17	केंद्र सरकार-सिविल-स्वायत्तशासी निकाय-निष्पादन लेखापरीक्षा
33	2011-12 की 18	केंद्र सरकार-सिविल-भारत में नागर विमानन की निष्पादन लेखापरीक्षा
34	2011-12 की 19	केंद्र सरकार-सिविल-हाइड्रो कार्बन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
35	2011-12 की 20	केंद्र सरकार-रक्षा सेवाएं-वायु सेना और जल सेना

1	2	3
36	2011-12 की 21	केंद्र सरकार-वैज्ञानिक विभाग-मार्च, 2011 में समाप्त वर्ष के लिए भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा
37	2011-12 की 22	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार-(अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत योजना संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा
38	2011-12 की 23	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष कर) मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिए कर मांग के बकाया की वसूली
39	2011-12 की 24	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार-मार्च 2010 में समाप्त वर्ष के लिए सेना और आयुद्ध फैक्ट्रियां
40	2011-12 की 25	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (अप्रत्यक्ष-कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) (निष्पादन लेखापरीक्षा)-मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिए समाहर्तालयों, मंडलों और रेंजों का कार्यक्रम
41	2011-12 की 26	भारत के नियंत्रक और महलोखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (सिविल)-आयातित दालों की बिक्री और वितरण की निष्पादन लेखापरीक्षा
42	2011-12 की 27	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (राजस्व-प्रत्यक्ष कर)-अनुपालन लेखापरीक्षा
43	2011-12 की 28	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (राजस्व-अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)-अनुपालन लेखापरीक्षा
44	2011-12 की 29	भारत के नियंत्रक और महालेक्षापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (राजस्वी-अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)-अनुपालन लेखापरीक्षा
45	2011-12 की 30	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (वाणिज्यिक)-रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुज्जीवन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा
46	2011-12 की 31	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (राजस्व-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)-अनुपालन लेखापरीक्षा
47	2011-12 की 32	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (रेलवे)-अनुपालन लेखापरीक्षा
48	2011-12 की 33	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-केंद्र सरकार (सिविल)-स्वायत्तशासी निकाय-अनुपालन लेखापरीक्षा

वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त बैंक सुविधाएं

1240. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं मध्य प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पेंशनरों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें अपनी मासिक पेंशन निकालने के लिए आम जनता के साथ पंक्ति में खड़ा होने पर मजबूर किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे पंक्तियों में प्रतीक्षा किए बगैर त्वरित एवं बाधा रहित सेवाएं, जमाराशि पर अधिक ब्याज दर, जीरो बैंलेस बचत खाते, फिक्स्ड डिपाजिट पर पेनाल्टी के बगैर समय-पूर्व भुगतान, बैंकों की किसी भी शखा में जीवन प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना, पेयजल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, द्वार पर सेवा (डोर स्टेप सर्विस), शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति में वरिष्ठ नागरिक को शामिल करना आदि प्रदान की जाती है।

बैंकों के लिए यह भी उपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्रों के कामगाज को सुचारु करें और दुरुस्त बनाएं ताकि पेंशन का यथासमय संवितरण, फेमिली पेंशन की समय पर शुरूआत और पेंशन का त्रुटिरहित परिकलन सुनिश्चित हो सके।

(ख) और (ग) ये सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुगम तरीके से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू हैं।

(घ) और (ङ) पेंशनभोगियों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भीड़भाड़ वाली शाखाओं में आम जनता के साथ पंक्ति में खड़े होने की समस्याएं भी शामिल हैं, पर कभी-कभार शिकायतें प्राप्त होती हैं। जब कभी भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुगम तरीके से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। ऐसे अनुदेशों के विवरण आरबीआई की वेबसाइट, http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के अपने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के दौरान बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की देखरेख करता है और वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में जहां कहीं भी खामियों का पता लगता है वहां उन्हें अनुपालन के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है। इसके अलावा, आरबीआई कर्मचारियों द्वारा बैंकों की शाखाओं की गोपनीय यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं की जांच की जाती है और जहां कहीं भी खामियों का पता लगता है,उनहें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन

1241. **श्री बदरूद्दीन अजमल :**
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों से मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने और उनके उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रस्ताव-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई और उनके लिए कितनी निधियां जारी की गई;

(घ) क्या इनमें से अनेक प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) (क) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में कुल 15 प्रस्ताव प्राप्त किए इनमें से वर्ष 2009-10 में तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो श्रीकृष्ण सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार), कोझिकोड चिकित्सा विज्ञान संस्थान, (केरल) तथा विजयनगर स्वास्थ्य संस्थान, बेल्लारी (कर्नाटक) का उन्नयन करने के लिए थे और जिनको पीएमएसएसवाई के तीसरे चरण में हाथ में लेने पर विचार किया गया।

राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें सुदृढ़ और उनका उन्नयन करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अब तक कुल 93 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त योजना के तहत प्राप्त राज्यवार प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पीएमएसएसवाई के प्रथम और द्वितीय चरणों में वर्ष 2009-10 से पूर्व प्राप्त 19 चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन का कार्य भी केन्द्र सरकार ने शुरू किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और समुन्नत करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत, पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 72 पात्र चिकित्सा महाविद्यालयों को 653.75 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। प्रदत्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएमएसएसवाई				राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण व समुन्नयन ताकि नया स्नातकोत्तर विषय आरंभ हो सके और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ सकें
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	7
2.	बिहार	1	–	–	–	6
3.	ओडिशा	–	–	–	2	3
4.	असम	–	–	–	–	3
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–	1
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	2
7.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	5
8.	पंजाब	–	1	–	–	2
9.	राजस्थान	–	–	–	–	6

1	2	3	4	5	6	7
10	उत्तराखंड	—	—	—	—	1
11.	केरल	1	—	1	—	2
12.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	9
13.	गोवा	—	—	—	—	1
14.	गुजरात	—	—	—	—	1
15.	त्रिपुरा	—	—	—	1	1
16	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	2
17	महाराष्ट्र	—	7	—	—	13
18.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	10
19.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	2
20	झारखंड	—	—	—	—	3
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	1
22.	हरियाणा	—	—	—	—	1
23.	दिल्ली	—	—	—	—	1
24.	कर्नाटक	1	—	—	—	10
	कुल	3	8	1	3	93

विवरण-II

पीएमएसएसवाई के चरण-I और II के तहत सम्मुन्नयन परियोजनाओं के लिए प्रदत्त धनराशि

क्र. सं.	राज्य	संस्था का नाम	प्रदत्त धनराशि (करोड़ रुपए				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण							
1.	आंध्र प्रदेश	निजाम इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	36.00	8.09			44.09

1	2	3	4	5	6	7	8
		श्री वेंकटेश्वर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति	13.51	0.20	1.91		15.62
2.	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	11.46	18.25	5.82		35.53
3.	जम्मू और कश्मीर	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	35.56	25.27	13.69	8.6	83.12
		सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	28.65	5.65	18.83	21.50	74.63
4.	झारखंड	राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची	38.08	12.20	14.92		65.20
5.	कर्नाटक	सरकारी मेडिकल कॉलेज, बंगलूरु	42.08	4.96	3.64		50.68
6.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम	14.43	0.11	2.23		16.77
7.	तमिलनाडु	सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सेलम	39.84	4.27	5.61		49.72
8.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ	19.96				19.96
		चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.27	12.30	25.85		70.42
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	16.64	12.42			29.06
10.	महाराष्ट्र	ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज, मुम्बई	21.76	13.95	1.91		37.62
द्वितीय चरण							0.00
1.	महाराष्ट्र	सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर	40.00				40.00
2.	पंजाब	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर		42.83	2.72	8.50	54.05
3.	हिमाचल प्रदेश	आरपी सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा			21.96		21.96
4.	उत्तर प्रदेश	जेएनएमसी, अलीगढ़			6.80	15.00	21.80
5.	हरियाणा	पीजीआईएमएस, रोहतक			17.75		17.75
		वर्ष-वार कुल	390.24	160.50	143.64	53.60	747.98

विवरण-III

राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण व सम्मुन्नयन

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों और प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	धनराशि प्रदत्त महाविद्यालयों की संख्या	पहली/दूसरी किस्त के रूप में प्रदत्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	07	38.53
2.	बिहार	06	29.06
3.	ओडिशा	03	5.54
4.	असम	03	17.71
5.	चंडीगढ़	01	17.09
6.	हिमाचल प्रदेश	01	5.44
7.	मध्य प्रदेश	04	26.91
8.	पंजाब	02	13.08
9.	राजस्थान	06	103.54
10.	उत्तराखंड	01	2.65
11.	केरल	02	21.455
12.	पश्चिम बंगाल	08	97.35
13.	गोवा	01	3.83
14.	गुजरात	01	22.22
15.	त्रिपुरा	01	7.29
16.	छत्तीसगढ़	01	12.275
17.	महाराष्ट्र	11	129.57
18.	मध्य प्रदेश	10	69.64
19.	जम्मू और कश्मीर	01	14.08
20.	झारखंड	02	16.49
21.	तमिलाडु	00	00
22.	हरियाणा	00	00
23.	दिल्ली	00	00
24.	कर्नाटक	00	00
	योग	72	653.75

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में भ्रष्टाचार

1242. योगी आदित्यनाथ :

श्री हर्ष वर्धन :

श्रीमती सीमा उपाध्याय :

श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में उचित लेखे न रखे जाने के कारण वित्तीय कुप्रबंधन की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) में पंचायती राज संस्थाओं

के माध्यम से अनियमितताओं/वित्तीय कुप्रबंधन के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई/कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ राज्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित कार्यक्रमों की नियमित लेखापरीक्षा नहीं करा रहे है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार ने इस संबंध में और पंचायती राज संस्थाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाए किए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) और (च) चूंकि, ''पंचायत'' राज्य विषय है, अत: पंचायतों में निधियों के उपयोग में भ्रष्टाचार, अथवा किसी प्रकार के वित्तीय कुप्रबंधन इत्यादि संधी शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित की जाती हैं। ऐसे मामलों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) बीआरजीएफ दिशा-निर्देशों के पैरा 4.8 में यह प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत कि गए कार्यों की नियमित वास्तविक एवं वित्तीय अंकेक्षण प्रत्येक जिले में, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में कराया जाना आवश्यक है। अंकेक्षण स्थानीय कोष अंकेक्षक अथवा राज्य सरकार के पैनल में सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) अथवा राज्य के महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई सहित अंकेक्षण रिपोर्ट को निधियों की दूसरी किश्त जारी करने के प्रस्ताव सहित पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

विवरण

पंचायतों में निधियों के उपयोग में भ्रष्टाचार अथवा वित्तीय कुप्रबंधन के मामले
(दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	नाम तथा पत्र की तिथि	शिकायत विषय/राज्य/जिला	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री कमल किशोर सांसद (लोकसभा) दिनांक 23-6-2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ निधियों का दुर्विनियोजन	माननीय सांसद को दिनांक 27/11/09 को उत्तर भेज दिया था।
2.	श्री शैलेंद्र कुमार सांसद (लोकसभा) दिनांक 14-7-2009	प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 14/10/2009 के पत्र सं. एन-11012/49/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उ.प्र. सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
3.	श्री बृजभूषण शरण सिंह, (सांसद) लोकसभा और कुछ अन्य संसद सदस्य दिनांक 26-7-2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18-12-09 के पत्र सं. एन 11012/55/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।

1	2	3	4
4.	श्री राणा दिनेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख, बस्ती, उ.प्र. दिनांक 30.11.2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18-12-2009 के पत्र सं. एन 11012/61/09-वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
5.	श्री कृष्णानंद सिंह पटेल, सदस्य, जिला योजना समिति, ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. दिनांक : 19-2-2010	ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 15/3/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
6.	श्री अनूप कुमार गुप्ता, एमएलए, उत्तर प्रदेश दिनांक 21-9-2010	सीतापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियिमतताएं	दिनांक 13/6/2011 को उत्तर श्री अनूप कुमार गुप्ता को भेज दिया गया था।
7.	श्री सियाराम सुपुत्र रामहैत, गांव अधावल, ब्लॉक परसेंदी, जिला सीतापुर, उ.प्र. दिनांक : 06-10-2010	सीतापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनिमितताएं	दिनांक 2/11/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
8.	श्री दीप चंद्र जैन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, घंटाघर, जिला मिर्जापुर, उ.प्र. दिनांक : 27-11-2011	मिर्जापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	श्री दीप चंद्र जैन को दिनांक 14/3/2011 को उत्तर भेज दिया गया।
9.	श्री मोहम्मद इसरार खान, नगर पालिका परिषद, जायास, जिला रायबरेली, उ.प्र. दिनांक : 03-12-2010	छत्रपति साहूजी महाराज नगर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 6/01/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
10.	श्री रईश अहमद खान, सचिव, उ. कांग्रेस कमेटी दिनांक : 18-02-2011	बांदा, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनाक 21/02/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।

1	2	3	4
11.	श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा दिनांक : 29-6-2011	बी आर जी एफ के अधीन वर्ष 2009-10 के लिए आवंटित बजट के दुर्विनियोजन का आरोप	दिनांक 29/07/2011 के पत्र सं. एन 11012/112/वी आई पी/2011-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।
12.	श्री मोती सिंह, पूर्व मंत्री, विधायक, पट्टी, लखनऊ दिनांक : 31.3.2011	उत्तर प्रदेश में बी आर जी एफ निधि का दुरुपयोग	दिनांक 17/03/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/2010-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
13.	श्री परवेज हाशमी, सांसद, लखनऊ दिनांक : 26-6-2010	ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में अनियमितताएं/कदाचार	दिनांक 26/08/2010 के पत्र सं. एन 11012/86/2010-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए
14.	श्री प्रसन्न कुमार साहू, आईआरसी ग्राम नयापल्ली, बीबीएसआर, ओडिशा दिनांक 15/02/2010	ओडिशा राज्य में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में बीआरजीएफ निधि के उपयोग में अनियमितताएं	दिनांक 25/3/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा ओडिशा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
15.	श्री हरखू झा, एमएलए एवं उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिनांक 10/03/2010	मधुबनी, बिहार में पंचायती कार्यकलापों में अनियमितताएं	दिनांक 24/5/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई। और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
16.	अखिल भारतीय पंचायत परिषद, मयूर विहार, दिल्ली दिनांक 22/4/2010	चंपारन, बिहार में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 21/6/2011 के पत्र सं. एन 11019/367/2010-बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।
17.	श्री सुधांशु दास, एडवोकेट, सुवर्णपुर, दिनांक 21/6/2011	जिला के बी के ओडिशा में बी आर जी एफ और अन्य योजनाओं के धन का दुरुपयोग किए जाने संबंधी आरोप	दिनांक 20/07/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/2010-बीआरजीएफ द्वारा ओडिशा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।

1	2	3	4
18.	श्री राज बहादुर सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश दिनांक 4.06.2011	चित्रकूट उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	शिकायत दिनांक 30/08/2011 के पत्र संख्या एन-11019/748/2010-बीआरजीएफ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दी गई।
19.	श्री सुनील कुमार पांडे, पूर्व उप संपादक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश दिनांक 27.8.2011	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	शिकायत दिनांक 3/11/2011 के पत्र संख्या एन-11019/748/2010-बीआरजीएफ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दी गई।
20.	श्री दिनेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद, रायबरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 1/11/2011	रायबरेली, उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	उत्तर दिनांक 14/12/2011 के पत्र संख्या एन-11019/748/2010-बीआरजीएफ के माध्यम से शिकायकर्ता को भेज दी गई।
21.	मो. नजीम खान, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति दिनांक 11/10/2011	संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	शिकायतकर्ता को उत्तर दिनांक 15/02/2012 के पत्र संख्या एन-11019/748/2010-बीआरजीएफ के माध्यम से भेज दिया गया।
22.	श्री एन अवांगबो, विधान सभा सदस्य, इम्फाल, मणिपुर दिनांक 15/12/2011	बी आर जी एफ निधि वर्ष 2011-12 के दुर्विनियोजन का आरोप	शिकायत पत्र संख्या एन-11019/748/2010 बीआरजीएफ के माध्यम से अग्रेषित कर दी गई।
23.	भारतीय किसान मजदूर यूनियन, गुड़गांव, हरियाणा दिनांक 30/01/2012	केंद्रीय अनुदानों का दुरुपयोग/पंचायती राज संस्थाओं में ऑडिट नहीं किया जाना।	पंचायती राज मंत्रालय ने शिकायत की जांच हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का मॉनिटर तैनात किया। उनके रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत न्यायोचित नहीं थी। दिनांक 16.03.2012 को उत्तर भेज दिया गया।
24.	श्री नव किशोर दास, विधान सभा सदस्य, झारसुगुडा, ओडिशा एवं संजय भाई, संसद सदस्य (लोक सभा) दिनांक 8/11/2011	केंद्रीय अनुदानों का दुरुपयोग	शिकायत पत्र संख्या एन-11012/124/2012-बीआरजीएफ के माध्यम से उड़ीया सरकार को अग्रेषित कर दी गई।
25.	श्री कमल किशोर, सांसद	बहराईच, उत्तर प्रदेश में निधियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु	शिकायत पत्र संख्या एन-11012/148/2012-बीआरजीएफ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दी गई।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मानदेय

1243. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में समेकित बाल विकास योजनाओं (आईसीडीएस) के अंतर्गत कार्यरत अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को विगत अनेक महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा हरी एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान सहित आईसीडीएस संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायतनुदान के रूप में राशि निर्मुक्त की जाती है।

आईसीडीएस (सामान्य) हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त राशि, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान सहित, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विगत समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान न करने की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 2012-13 में (दूसरी तिमाही तक) आईसीडीएस (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि

क्र. सं.	राज्य	कुल निर्मुक्ति राशि (लाख रुपए)
1	2	3
	एमएच-3601	
1.	आंध्र प्रदेश	42848.12
2.	बिहार	30711.81
3.	छत्तीसगढ़	17762.32
4.	गोवा	560.82
5.	गुजरात	22868.57
6.	हरियाणा	11016.19
7.	हिमाचल प्रदेश	7824.06
8.	जम्मू और कश्मीर	11814.43
9.	झारखंड	15265.88
10.	कर्नाटक	24867.17
11.	केरल	13454.74
12.	मध्य प्रदेश	50390.48
13.	महाराष्ट्र	54552.16
14.	ओडिशा	25741.87
15.	पंजाब	13185.16
16.	राजस्थान	26695.01
17.	तमिलनाडु	23071.94
18.	उत्तराखंड	5802.75
19.	उत्तर प्रदेश	97416.87
20.	पश्चिम बंगाल	45015.96
21.	दिल्ली	6044.98
22.	पुदुचेरी	362.01
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	309ए40

1	2	3
24.	चंडीगढ़	430.77
25.	दादरा और नगर हवेली	92.01
26.	दमन और दीव	49.28
27.	लक्षद्वीप	101.91
28.	अरुणाचल प्रदेश	3666.78
29.	असम	22157.64
30.	मणिपुर	4499.70
31.	मेघालय	2247.53
32.	मिजोरम	1835.36
33.	नागालैंड	2431.85
34.	सिक्किम	501.40
35.	त्रिपुरा	4010.53
	सकल कुल	589607.46

सोना गिरवी रखना

1244. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 1991 की स्थिति, जब विदेशों में सोना गिरवी रखना पड़ा था, जैसे चिंताजनक स्तर पर पहुंच गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(घ) क्या सकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और सुचारू बनाने के कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1991 से तेजी से विकास की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के हिस्से के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में मूलभूत रूप से बदलाव आया है। कृषि और उद्योग के मुकाबले सेवा क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में अपेक्षाकृत कम अस्थिरता है। भारतीय वित्तीय बाजार पूरी तरह विनियमित है और अब से अधिक परिपक्व, विधि तथा सघन हो गए हैं और ये झटकों को सहने की समुत्थानशीलता रखते हैं। इस समय मोटे तौर पर मुद्रा विनिमय दर बाजार निर्धारित है और झटकों को सहने में समर्थ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अधिक है और विदेशी क्षेत्र भेद्यता संकेतक सुरक्षित स्तर पर है और 1991 के स्तरों के मुकाबले अधिक संतोषजनक स्तर पर है।

(ग) 2011-12 में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में कमी, मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट होने तथा कृषि क्षेत्र में दर्ज अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण हुई है। संवृद्धि दर में इस गिरावट के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों कारक उत्तरदायी हैं। वैश्विक कारकों में, विशेष रूप से, यूरो क्षेत्रों में आर्थिक संकट और यूरोप में व्याप्त प्रायः मंदी के हालात; अनेक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवृद्धि आदि शामिल हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने के परिणामस्वरूप, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, निवेश तथा संवृद्धि में गिरावट आई है।

(घ) और (ङ) अर्थव्यवस्था के विकास की बहाली के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं – विनिर्माण क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर की अस्थिरता में कमी लाना आदि और खाद्य मुद्रास्फीति कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग करना है। उच्च विकास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं– सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देने और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करना, वित्तीय क्षेत्र के अधिक विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरूआत आदि। राजकोषीय समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए भी उपय किए जा रहे हैं। हाल ही में रेखांकित किए गए उपायों

में शामिल हैं– डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की घोषणा, निवेश के माहौल (मल्टी-ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण) को मजबूत बनाने के उपाय। इन से बाजार में फिर से विश्वास बनाने तथा विकास गति के बहाल होने की आशा है।

विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण

1245. श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री रमाशंकर राजभर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच/परीक्षण तथा विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारी जारी दिशानिर्देशों/निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिन बच्चों का परीक्षण किया गया, उनकी अनुमानित संख्या और छात्रें में व्याप्त रोगों को बताते हुए इन बच्चों के लिए आयोजित स्वास्थ्य जांच/परीक्षणों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्राप्त संबंधित प्रस्तावों की संख्या और राज्य सरकारों को आवंटित निधियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू अशीम खां चौधरी) : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में सरकारी ओर सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 3 डी-रोग, विकार और अक्षमता के बलए सरकारी स्कूलों में नामांकित स्कूल के बच्चों की द्विवार्षिकी स्वास्थ्य जांच करने तथा जांच किए गए बच्चों को यथापेक्षित द्वितीयक और तृतीयक सुविधा केन्द्रों को रेफर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम छात्रों को पोषण, शारीरिक गतिविधियों और काउंसलिंग के संबंध में सूचना प्रदान करता है। द्वितीयक और तृतीयक परिचर्या की जरूरत पड़ने पर छात्रों को एनआरएचएम अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा राज्य स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) राज्यों द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है और केन्द्र स्तर रोगवार डाटा नहीं रखा जाता है।

कवर किए गए/कवर किए जाने के लिए नियोजित स्कूलों तथा छात्रों की संख्या के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वित्तीय वर्ष	2010-11 (कवर किए गए)	2011-12 (कवर किए गए)	2012-13 (वित्तीय वर्ष में कवर किया जाना)
स्कूल	4,93,371	11,00,098	10,09,972
छात्र	7,05,90,121	14,63,71,459	22,54,27,911

वर्ष 2011-12 के संबंध में कुछ राज्यों से उपलब्ध सीमित रुग्णता दर के अनुसार पूरे राज्यों में जांच किए गए 13.60 प्रतिशत बच्चों का संक्रामक रोगों के संबंध में निदान किया गया था। इनमें से 4 प्रतिशत बच्चों को श्वसनी पथ संक्रमण, 7.37 प्रतिशत को कर्ण संक्रमण, 29 प्रतिशत दंत संक्रमण, 9 प्रतिशत को चर्म संक्रमण था और 39.99 प्रतिशत कृमि उत्पीड़न से ग्रस्त थे।

(ङ) राज्य स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत धनराशि के लिए अनुरोध करते हैं, जिसे उनकी वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में दर्शाया जाता है।

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के संबंध में वित्तीय आबंटन नीचे दिया गया है:–

वित्तीय वर्ष	2009-10	2010-11	2011.12	2012.13
वित्तीय आबंटन (लाख रुपए)	6,122.97	14,902.44	13,743.83	39,999.36

धनराशि आबंटन का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य		विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में राज्यों को निधि आबंटन (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1		2	3	4	5
क.	**उच्च फोकस वाले राज्य**				
1.	बिहार	1,531.85	1,200.00	1,500.00	3,885.64
2.	छत्तीसगढ़	0.00	86.50	18.50	1,527.78
3.	हिमाचल प्रदेश	260.54	452.35	275.84	419.53
4.	जम्मू और कश्मीर	0.00	15.00	0.00	273.21
5.	झारखंड	115.50	505.38	215.42	1,372.08
6.	मध्य प्रदेश	0.00	50.00	50.00	मांग नहीं की
7.	ओडिशा	686.84	783.77	788.69	1,569.61
8.	राजस्थान	140.00	202.00	240.60	423.66
9.	उत्तर प्रदेश	571.17	680.32	729.36	13,723.57
10.	उत्तराखंड	177.16	282.59	518.70	641.02
	उप-योग	3,483.06	4,257.91	4,337.11	23,836.10
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**				
11.	अरुणाचल प्रदेश	10.08	31.20	8.83	106.22
12.	असम	0.00	1,337.54	236.94	1,991.43
13.	मणिपुर	40.00	18.00	3.00	85.62
14.	मेघालय	39.16	28.89	21.79	126.62
15.	मिजोरम	8.70	5.00	63.28	27.85
16.	नागालैंड	15.00	50.44	41.87	313.83
17.	सिक्किम	39.82	11.79	8.85	38.89
18.	त्रिपुरा	27.32	101.80	128.77	18.87
	उप-योग	180.08	1,584.66	513.33	2,709.34

1	2	3	4	5
ग. गैर-उच्च फोकस वाले राज्य				
19. आंध्र प्रदेश	0.00	1,083.85	1,014.36	2,395.61
20. गोवा	0.50	28.40	8.20	68.28
21. गुजरात	500.00	800.00	800.00	1,500.00
22. हरियाणा	128.46	141.00	148.14	182.26
23. कर्नाटक	0.00	1,100.00	820.70	737.98
24. केरल	285.84	342.00	550.00	577.49
25. महाराष्ट्र	0.00	3,941.83	3,277.29	2,037.69
26. पंजाब	200.00	690.00	630.00	1,105.27
27. तमिलनाडु	0.00	206.03	1,194.17	1,186.69
28. पश्चिम बंगाल	1,113.01	1,610.00	182.34	3,488.15
उप-योग	2,444.12	9,943.11	8,625.20	13,279.42
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	4.00	52.85	44.16
30. चंडीगढ़	0.60	110.26	129.64	48.15
31. दादरा और नगर हवेली	0.00	4.50	62.66	53.79
32. दमन	1.25	0.50	4.66	11.56
33. दिल्ली	0.00	536.66	0.00	5.90
34. लक्षद्वीप	4.86	20.00	13.18	5.50
35. पुदुचेरी	9.00	25.50	5.20	5.44
उप-योग	15.71	701.42	268.19	174.49
महा-योग	6,122.97	14,902.44	13,743.83	39,999.36

[हिन्दी]

सौर-उपकरण

1246. श्री गणेश सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सौर-लैम्प सहित सौर-उपकरणों पर राजसहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सौर-ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा उपकरणों सहित अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इनमें (प) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सौर प्रणालियों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता शिविरों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, (पप) इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट माध्यमों में विज्ञापन देना; और (पपप) सौर ऊर्जा पर विशेष अंकों सहित अक्षय ऊर्जा पर पत्रिकाओं का प्रकाशन करना शामिल है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान देश के विभिन्न भागों में सौर लाइटों के लए 852 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

[अनुवाद]

सभी के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य-परीक्षण

1247. श्री प्रेमदास राय :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री अजय कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान सभी नागरिकों का अनिवार्य स्वास्थ्य-परीक्षण करने के किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे अंतिम रूप कब तक दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रावधान के अनुसार अब देश के प्रत्येक जिले में समर्पित मोबाइल चिकित्सा इकाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन ढांचे में किए गए मानकों के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक चल चिकित्सा इकाई (एमएमयू) रह सकती है। हाल में इन मानकों को संशोधित कर दिया गया है और चल चिकित्सा इकाइयों को राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैनात कर सकता है:—

जिले की जनसंख्या	चल चिकित्सा इकाइयों की संख्या
10 लाख तक	1
20 लाख तक	2
30 लाख तक	3
40 लाख तक	4
50 लाख तक	5

तथापि, एनआरएचएम के तहत चल चिकित्सा इकाइयों की स्वीकृत राज्यों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर होती है। अभी तक 2013 चल चिकित्सा इकाइयां पूरे

देश में कार्यरत हैं जो 464 जिलों को कवर करती हैं। शेष जिलों में कोई चल चिकित्सा इकाई नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपने पीआईपी में इसके बारे में प्रस्ताव नहीं दिया है।

[हिन्दी]

निराश्रित बालकों की पृथक पहचान

1248. श्री वीरेंद्र कुमार :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा जन्म और मृत्यु पंजीयक को देशभर में अनाथ और निराश्रित बच्चों के हित में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए निराश्रित बच्चों की पहचान करने और उन्हें एक प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त निदेश को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (वर्ष 2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 8889) के मामले में अपने दिनांक 18.07.2012 के निर्णय में न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे बच्चों के संबंध में उभर कर आ रही एक समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की है क्योंकि उनके पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। न्यायालय ने यह माना कि किशोर न्याय प्रणाली में आयु निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और इस समस्या से तभी निपटा जा सकता है जब प्रत्येक मामले में बच्चों के जन्म का पंजीकरण किया जाए।

उपरोक्त मामले में 10.10.2012 के निर्णय में एनसीपीसीआर को किशोर न्याय प्रणाली के तहत बच्चों के जन्म के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया विकसित करने के लिए महापंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) के कार्यालय और बाल अधिकार संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू करने और तीन माह के भीतर न्यायालय के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ख) और (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में एनसीपीसीआर ने ऐसे बच्चों के जन्म में पंजीकरण हेतु प्रणाली विकसित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है और यह परामर्श प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में व्यय की गई निधियां

1249. श्री जयंत चौधरी : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निकासी एवं पारेषण अवसंरचना के अनुसंधान व विकास के लिए आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों और नई प्रौद्योगिकियों के विकास का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रक में अनुसंधान और विकासगत आवश्यकताओं के निर्धारण व आकलन के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकता-चिन्हांकन संबंधी अथवा ऐसा कोई अन्य अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नवीकरणीय ऊर्जा – आधारित विकेन्द्रीकृत वितरण ग्रिडों (डीडीजी) हेतु कोई पृथक निधि रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा – आधारित उक्त ग्रिडों के लिए जारी की गई निधियों की राज्य-वार सूची क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से कितने घरों को लाभ पहुंचा है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निष्क्रमण और ट्रांसमिशन

अवसंरचना के अनुसंधान और विकास हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। ग्रिड से जुड़ी अक्षय विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को इस समय संबंधित राज्यों में, जहां ये परियोजनाएं स्थापित हैं, विद्यमान प्रणाली के माध्यम से निष्क्रमित किया जाता है। राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा विद्युत के निष्क्रमण हेतु आवश्यक ग्रिड प्रणाली को सुदृढ़/सृजित करते हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रौद्योगिकीय विकास और प्रदर्शन हेतु अनुसंधान और विकास की सहायता कर रहा है जिससे वाणिज्यिकरण होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, उद्योगों आदि को 525 करोड़ रु. बजट के साथ सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा और हाइड्रोजन तथा ईंधन सैलों के क्षेत्र में कुल 169 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान कुल 239.56 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई।

(ग) सरकार द्वारा नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, विकास, प्रदर्शन और विनिर्माण हेतु एक व्यापक नीति तथा दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इसमें स्वायत्त निकायों तथा उद्योग सहित विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन हेतु अनुसंधान और किास की सहायता करने का प्रावधान है। इसमें अन्य संस्थाओं को शामिल करके उन्नत अनुसंधान आरंभ करने के लिए मुख्य आरएंडडी समूहों/केन्द्रों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है। उद्योग/सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ भागीदारी में शामिल परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता सामान्यतया परियोजना लागत के 50% तक सीमित है। तथापि, शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी/लाभ न कमाने वाले अनुसंधान संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए मंत्रालय 100% तक धनराशि उपलब्ध करा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अक्षय ऊर्जा आधारित विकेन्द्रित वितरण ग्रिड हेतु कोई समर्पित निधियन नहीं है। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रणाली आधारित परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। अब तक स्थानीय वितरण ग्रिड के माध्यम से बिहार के लगभग 250 गांवों/बस्तियों को शामिल करके 70 बायोमास गैसीफायर प्रणालियां स्थापित की गई हैं। झारखंड में 120 किवापी की 2 मिनी ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल-पंपों के आबंटन में आरक्षण

1250. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल-पंपों और गैस-एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों-स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन श्रेणियों से संबंधित लोगों की राज्य-वार और कंपनी-वार कितने पेट्रोल-पंप और कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या आंबटितियों द्वारा आरक्षित कोटे के पेट्रोल-पंपों को अन्य लोगों को किराए पर दे दिया गया है और किसी निगरानी एजेंसी द्वारा इस संबंध में भौतिक सत्यापन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ऐसे कितने मामलों में कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज रियायत प्रदान करना

1251. **कुमारी सरोज पांडेय :**
श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खानों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की गई खनिज रियायतों का राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र-वार व खनिज-वार ब्यौरा क्या है, और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश पर अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्तावधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी खानों में खनन कार्य आरंभ हुआ और इसके जरिए कितनी मात्रा में खनिज का निष्कर्षण किया गया;

(घ) राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े खनिज रियायतों संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि से लंबित हैं तथा लंबन के क्या कारण हैं और उनकी स्वीकृति के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कुछ खनन कंपनियां अथवा पट्टा धारक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में सूचित खानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारें खनिजों की स्वामी हैं और खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में शामिल खनिजों के लिए खनिज रियायत देने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। खनिज रियायत मामलों जिनमें केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन संसूचित किया गया है, का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) खनिज रियायत देने के लिए राज्य सरकार के पास कुल 47933 आवेदन लंबित हैं। भारत सरकार खान मंत्रालय के पास लंबित 229 प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :

- 0-12 माह-94
- 12-24 माह-64
- 24 माह से अधिक-71

केंद्र सरकार ने केंद्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त समिति गठित की है ताकि मंजूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन में सहायता मिले।

(ङ) और (च) ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 में देश में सूचित खानों की संख्या

राज्य	खानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	442
असम	3
बिहार	6
छत्तीसगढ़	126
गोवा	73
गुजरात	373
हिमाचल प्रदेश	24
जम्मू व कश्मीर	3
झारखंड	117
कर्नाटक	185
केरल	39
मध्य प्रदेश	296
महाराष्ट्र	97
मेघालय	13
ओडिशा	147
राजस्थान	373
तमिलनाडु	275
उत्तर प्रदेश	19
उत्तराखंड	35
पश्चिम बंगाल	17
कुल	2663

विवरण-II

खान मंत्रालय द्वारा 1.4.2009 से 27.11.2012 की अवधि के दौरान खनिज रियायत प्रस्तावों हेतु संसूचित पूर्व अनुमोदन

राज्य	खनन पट्टा	पूर्वेक्षण लाइसेंस	टोही लाइसेंस	कुल
आंध्र प्रदेश	23	12	04	39
असम	00	01	00	01
छत्तीसगढ़	07	14	10	31
गोवा	01	00	00	01
गुजरात	03	00	00	03
झारखंड	04	02	00	06
कर्नाटक	10	03	16	29
केरल	04	00	00	04
मध्य प्रदेश	43	95	44	182
महाराष्ट्र	12	27	00	39
मणिपुर	00	06	00	06
ओडिशा	02	02	02	06
राजस्थान	19	06	18	43
तमिलनाडु	07	00	00	07
उत्तर प्रदेश	00	00	05	05
कुल	135	168	99	402

विवरण-III

खोली गई खानें और कुल उत्पादन

राज्य	खोली गई खानों की संख्या	कुल उत्पादन (टन में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	131	408499
छत्तीसगढ़	8	53375
गुजरात	17	427033
झारखंड	6	258430
कर्नाटक	12	463262
मध्य प्रदेश	9	1780813

1	2	3
मेघालय	4	1346697
ओडिशा	2	10340
राजस्थान	44	1874570
तमिलनाडु	45	3848965
उत्तराखंड	17	51776
पश्चिम बंगाल	2	70333

विवरण-IV

उल्लंघन के मामलों की संख्या

वर्ष	निरीक्षित खानों की संख्या	खानों की संख्या जहां उल्लंघन का पता चला	सुधारे गए उल्लंघनों की संख्या	उल्लंघन नोटिस जारी किए जाने के बाद उल्लंघनों को ठीक नहीं करने पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की संख्या	कारण बताओ नोटिस के बाद उल्लंघनों को ठीक किया गया	आईबीएम द्वारा दर्ज किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा कमपाउंडेड अभियोजन मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय आईबीएम के पक्ष में दिए जाने वाले अभियोजन मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जहां खनन प्रचालन लंबित किए गए
2009-10	2371	797	790	404	276	42	17	17	74
2010-11	2177	685	356	168	219	18	20	15	89
2011-12	2563	1722	1273	856	651	23	9	5	402
2012-13 (अक्तूबर तक)	1344	648	621	308	274	4	3	1	549

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स रोगियों के साथ भेदभाव

1252. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एचआईवी/एड्स से संक्रमित लोगों की देखभाल, सहायता, उपचार और अधिकारसंपन्नता से संबंधित कतिपय दिशा-निर्देश तैयार किए और निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एचआईवी/एड्स-संक्रमित रोगियों के साथ भेदभाव, उन्हें लांछित किए जाने और उनके उपचार से इंकार किए जाने की समस्याओं का उपर्युक्त दिशा-निर्देशों और निदेशों से किस प्रकार समाधान हो सकेगा;

(ग) क्या उपर्युक्त दिशा-निर्देश/निदेशों का उल्लंघन करते हुए एचआईवी/एड्स रोगियों के साथ भेदभाव करने और उन्हें अस्पताल में दाखिला देने/चिकित्सा उपचार से इंकार करने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एचआईवी/एड्स संक्रमित रोगियों द्वारा आत्महत्या करने के कितने मामले प्रकाश में आए और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) एड्स नियंत्रण विभाग ने एचआईवी ग्रस्त लोगों को परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करने के लिए एंटी-रिट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) एवं सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों (सीसीसी) के लिए तकनीकी और प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। एआरटी सेवा (जुलाई 12 संस्करण, भाग 3.5 गोपनीयता और भेदभाव संबंधी मुद्दे) संबंधी प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में स्पष्टतया यह उल्लेख है कि "किसी भी व्यक्ति की एचआईवी अवस्था पर ध्यान किए बगैर सभी रोगी किसी भी अस्पताल में सामान्य और विशेषज्ञता बहिरंग एवं अंतरंग सेवाओं हेतु पात्र हैं। सभी स्तरों पर स्वीकृत चिकित्सा नीति शास्त्र और विधि के अनुसार गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए चाहे एचआईवी अवस्था कोई भी हो। गोपनीयता बनाए रखने से अस्पताल में रोगी के उपचार के दौरान एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों (पीएलएचआईवी) के प्रति भेदभाव कम करने में सहायता मिलनी चाहिए।"

(ग) और (घ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार एचआईवी/एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव के मामलों की समय-समय पर सूचना मिलती है। विगत तीन वर्षों में दौरान ऐसे कुल 21 मामलों की सूचना मिली थी: कर्नाटक से नौ, दिल्ली से 4, मध्य प्रदेश से तीन, बिहार से दो और महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं ओडिशा प्रत्येक से एक-एक। संबद्ध राज्यों द्वारा इस मामले में अनिवार्य कार्रवाई की गई है।

राज्यों ने राज्य शिकायत निवारण समिति का गठन किया है जिसके प्रमुख संबद्ध राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव है ताकि कलंक, भेदभाव और इंकार करने सहित परिचर्या, सहायता एवं उपचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। वर्ष 2011-12 के दौरान, संबद्ध राज्यों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त रोगियों से प्राप्त किन्हीं भी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए राज्य शिकायत निवारण समिति की 45वीं बैठक हुई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित राज्यों की राज्य शिकायत निवारण समिति की बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान एचआईवी/एड्स रोगियों द्वारा आत्महत्या के 11 मामलों की सूचना है। कर्नाटक में 6 मामलों, गुजरात में 3, दिल्ली एवं तमिलनाडु प्रत्येक से एक मामले की सूचना मिली है। इस मामलों में संबद्ध राज्यों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एड्स नियंत्रण विभाग ने एचआईवी/एड्स और इससे संबद्ध सेवाओं पर सूचना और जनजागरुकता पैदा करने के लिए सफललापूर्वक संप्रेषण कार्य नीतियां तैयार और कार्यन्वित की हैं। इसने मुख्य धारा में लाने संबंधी प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं जिसमें कलंक के मुद्दे को कवर किया जाता है तथा इसमें कार्य, सिविल सोसाइटी संगठनों, धार्मिक संगठनों, मीडिया, महिला संघों तथा एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों में एचआईवी/एड्स कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों, निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया गया है ताकि एचआईवी/एड्स से संबद्ध कलंक एवं सामाजिक आर्थिक विवक्षाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके।

विवरण

देश में आयोजित एसजीआरसी बैठक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	आयोजित एसजीआरसी बैठक			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	2	0
3.	असम	1	1	1	1
4.	बिहार	1	4	3	0
5.	चंडीगढ़	0	3	4	1
6.	छत्तीसगढ़	2	1	0	0
7.	दिल्ली	2	1	1	0
8.	गोवा	0	5	3	0
9.	गुजरात	0	2	1	1
10.	हरियाणा	1	2	1	0
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
13.	झारखंड	1	1	2	0
14.	कर्नाटक	2	2	2	1
15.	केरल	1	3	2	0
16.	मध्य प्रदेश	1	1	0	0
17.	महाराष्ट्र	2	0	1	0
18.	मणिपुर	0	0	0	1
19.	मेघालय	0	0	1	2

1	2	3	4	5	6
20.	मिजोरम	2	0	2	0
21.	नागालैंड	0	1	2	2
22.	ओडिशा	1	1	1	1
23.	पुदुचेरी	0	0	1	0
24.	पंजाब	1	1	3	2
25.	राजस्थान	0	2	3	0
26.	सिक्किम	0	1	1	0
27.	तमिलनाडु	1	1	1	0
28.	त्रिपुरा	1	2	1	0
29.	उत्तर प्रदेश	1	1	3	1
30.	उत्तराखंड	2	2	2	0
31.	पश्चिम बंगाल	0	2	0	1
	योग	25	43	45	15

*सितम्बर, 2012 तक।

तपेदिक-रोधी टीका

1253. श्री पी. करुणाकरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्वभर में सर्वाधिक तपेदिक रोगी हैं और यहां प्रति वर्ष लगभग तीन लाख लोगों की इससे मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में बच्चों, किशोरों और वयस्कों को तपेदिक से बचाने के लिए उपलब्ध टीकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीसीजी या बैसिले कैलमेटी ग्यूरिन टीका वयस्कों की तपेदिक से रक्षा में प्रभावी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में वैकल्पिक रूप से किस तपेदिक रोधी टीके का विकास किया जा रहा है/उसे जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

डब्ल्यूएचओ वैश्विक रिपोर्ट, 2010 के अनुसार, वर्ष 2009 में क्षयरोगियों के अनुमानित 2.0 मिलियन नए मामले थे जिनमें से 2.8 लाख मौतें क्षयरोग के कारण हुई।

(ग) से (ङ) देश में बैसिली केल्मेटी-ग्यूरिन (बीसीजी) **वैक्सीन** उपलब्ध है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, बीसीजी वैक्सीन बाल्यावस्था

में होने वाले गंभीर प्रकार के क्षयरोग होने के प्रति संरक्षात्मक है।

आज की तारीख के अनुसार, देश में कोई भी वैकल्पिक क्षयरोग वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तथापि कुछ वैक्सीन तैयार की जा रही हैं जो शुरुआती चरण में हैं।

निर्धारितियों से संबंधित सूचना

1254. श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन निर्धारितियों का पता नहीं लग रहा और जिन्होंने अपर्याप्त सूचना दी है उनके मामले में मानकीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद से विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और बैंक-वार कितने बैंक खातों का पता लगाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, हां। "कर निर्धारित जिनका पता नहीं लगाया जा सकता" और "कर निर्धारिती जिनके पास वसूली के लिए कोई परिसम्पत्ति/पर्याप्त परिसम्पत्ति नहीं है" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत बकाया मांग को क्षेत्राधिकारीय आयकर आयुक्तों (सीआईटी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है। आयकर आयुक्त हर 6 महीने में नए सिरे से पूछताछ संचालित करते हैं तथा कर निर्धारितियों/परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए विद्यमसान सूचनाओं को सम्पूरित करने के लिए इंटरनेट पर तथा सर्वाधिकार क्षेत्र में, कम्पनी रजिस्ट्रार, सीबीडीटी के प्रणाली निदेशालय एवं जांच निदेशालय के डाटा बेसों में उपलब्ध सूचना का भी प्रयोग करते हैं। सीबीडीटी के वसूली निदेशालय के पास उपलब्ध डाटाबेस से मिलान के लिए उक्त श्रेणी के मामलों के संबंध में डाटा को एफआईयू-इंड के पास अग्रेषित करने के लिए इस निदेशालय में एक विशेष प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है तथा ऐसे मिलान के परिणाम संबंधित आयुक्तों द्वारा प्रयोग के लिए वापस भेजे जाते हैं।

(ग) जुलाई, 2011 में उक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद पता लगाए गए बैंक खातों की संख्या नीचे दी गई है:—

वित्त वर्ष	पता लगाए गए बैंक खातों की संख्या	अभ्युक्तियां
2011-12	334	बैंक-वार डाटा नहीं रखा जाता है और इसलिए नहीं
2012-13 (दूसरी तिमाही तक)	344	दिया जा सकता।

घरेलू हिंसा

1255. श्री अजय कुमार : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर देश में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में क्रमशः 7803, 11718 एवं 9431 मामले दर्ज किए गए जो मिश्रित प्रवृति दर्शाते हैं। गत तीन वर्षों की राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 को 26 अक्तूबर, 2006 से लागू किया गया। सरकार अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन हेतु संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करने तथा चिकित्सा सुविधाओं को अधिसूचित करने आदि के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहती रहती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के परामर्श से सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के संरक्षण को कठोरता से लागू करने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति तंत्र को संवेदनशील बनाने की सलाह भी दी गई है।

विवरण

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोषि सिद्ध मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित किए गए व्यक्ति	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2710	608	97	0	103	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	8	3	12	8	3
3.	असम	1	1	0	5	5	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	22	23	0	18	18	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	67	67	0	234	234	0
8.	हरियाणा	32	10	0	13	13	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक	18	6	8	1	4	
13.	केरल	53	46	0	61	72	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	1395		121			
16.	मणिपुर	25	0	0	28	0	0
17.	मेघालय	23	28	0	76	45	0
18.	मिजोरम	4	4	1	4	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	6	6	3	6	6	3
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	38	34	1	76	77	0
22.	राजस्थान	45	29	1	37	37	1
23.	सिक्किम	6	6	0	8	8	0
24.	तमिलनाडु	2376	729	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	923	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7761	1608	235	583	638	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	29	1	53	53	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	4	0	5	4	0
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य	42	33	1	58	57	1
	कुल अखिल भारत	7803	1641	236	641	695	9

टिप्पणी: *अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2010 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्र दाखिल किए गए मामले	दोषि सिद्ध मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित किए गए व्यक्ति	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2683	141	1	1	141	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	8	1	11	8	1
3.	असम	1	1	0	2	2	0
4.	बिहार*						
5.	चंडीगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	25					
8.	हरियाणा	39	7	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	0	3	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	44	35	1	41	48	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	3505	2127	408	--	--	--
16.	मणिपुर*						
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	3	3	1	3	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	6	6	1	6	6	1
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	19	11	0	38	30	0
22.	राजस्थान	45	20	0	25	25	0
23.	सिक्किम	3	2	0	3	2	0
24.	तमिलनाडु	4136	1198	2	0	0	0
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	3	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1164	744	0	1	1	0
	कुल राज्य	11690	4307	415	143	284	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28	23	0	39	39	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव*						
33	दिल्ली*						
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	28	23	0	39	39	0
	कुल अखिल भारत	11718	4330	415	182	323	5

टिप्पणी: *अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2011 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्र दाखिल किए गए मामले	दोषि सिद्ध मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित किए गए व्यक्ति	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	8	0	16	8	0
3.	असम[illegible]	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	3266	2340	15	2	85	1
8.	हरियाणा	314	165	0	500	480	0
9.	हिमाचल प्रदेश	14	8	0	0	8	0
10.	जम्मू और कश्मीर		केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं।				
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	96	74	1	96	93	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र*						
16.	मणिपुर	18	0	0	18	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम*						

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड*						
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब*						
22.	राजस्थान	39	18	0	23	22	0
23.	सिक्किम	3	3	1	3	3	1
24.	तमिलनाडु	3983	1252	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1661	618	0	11	0	0
	कुल राज्य	9412	4486	17	669	699	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	13	0	26	14	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली*						
32.	दमन और दीव*						
33	दिल्ली*						
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी*						
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	19	13	0	26	14	0
	कुल अखिल भारत	9431	4499	17	695	713	3

टिप्पणी: *अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

नई चैक-बुक

1256. **डॉ. बलीराम :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को जनवरी 2013 से चैक कर्तन प्रणाली (सीटीएस) 2010 लागू करने का अभिदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परिवर्तन उत्तर-दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चैकों पर भी लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 03.09.2012 के अपने परिपत्र के जरिए, सभी बैंकों को चैक कर्तन प्रणाली (सीटीएस-2010) लागू करने का अधिदेश दिया है। आरबीआई के इस परिपत्र की एक प्रति आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अलाभकारी खानों को बंद करना

1257. **श्री एस. सेम्मलई :**
श्री दत्ता मेघे :
श्री जी. एम. सिद्देश्वर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विभिन्न कारणों से बंद पड़ी अलाभकारी खानों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बंद पड़ी/अस्थायी रूप से बंद खानों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है तथा इस कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या बंद पड़ी खानों के पुनरुद्धार और श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई नीति अथवा निधि है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या पुनर्वासोपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय खानों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बंद खानों की बहाली और कामगारों के पुनर्वास के लिए खान मंत्रालय में कोई नीति/निधि नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.4.2011 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय खानों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	निष्क्रिय खानों की संख्या
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	8
2.	जम्मू और कश्मीर	18
3.	उत्तराखंड	6
4.	हरियाणा	2
5.	तमिलनाडु	345
6.	सिक्किम	2
7.	झारखंड	240
8.	पश्चिम बंगाल	28
9.	असम	0
10.	मेघालय	3

1	2	3
11.	मणिपुर	0
12.	राजस्थान	1399
13.	ओडिशा	373
14.	गुजरात	333
15.	केरल	41
16.	उत्तर प्रदेश	61
17.	मध्य प्रदेश	523
18.	आंध्र प्रदेश	359
19.	बिहार	66
20.	महाराष्ट्र	122
21.	गोवा	223
22.	कर्नाटक	179
23.	छत्तीसगढ़	161
	कुल	4492

[हिन्दी]

लौह अयस्क का अवैध निर्यात

1258. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा न केवल अवैध खनन, बल्कि 35 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात भी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त निर्यात किया और उक्त निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ग) क्या लौह अयस्क के निर्यात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दोषी कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का देश में लौह अयस्क की भावी आवश्यकता को देखते हुए इसके निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार के वन विभाग ने बेल्लीकेरे पोर्ट से बिना वैध परमिट वाला लगभग 8.06 लाख मीट्रिक टन अयसक जब्त किया था। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार 01.01.2009 से 31.05.2010 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक के वन क्षेत्रों से लगभग 50.79 लाख टन लौह अयस्क का निष्कर्षण गैर-कानूनी रूप से हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायायल ने दिनांक 07.09.2012 के अपने आदेश के तहत इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निदेश दिया है।

लौह अयस्क समित खनिजों का निर्यात, आयात-निर्यात नीति के अनुसार किया जाता है। नीति के अनुसार देश के 64 प्रतिशत एफई श्रेणी तक की लौह अयस्क श्रेणियों, गोआन अयसक (चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताईवान को निर्यात किए जाने वाले तथा रेडी क्षेत्र से प्राप्त अयस्क का निर्यात फ्री होता है चाहे इसकी लौह मात्रा कोई भी हो और इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यता नहीं होती। 64 प्रतिशत से अधिक लौह मात्रा वाले लौह अयस्क तथा कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए लोह अयस्क सांद्र और पेलेट्स का निर्यात स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

(च) और (छ) वर्तमान में, लौह अयस्क का निर्यात वित्तीय उपायों से विनियमित किया जाता है और सभी लौह अयस्क निर्यातों पर यथा मूल्य अनुसार 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया जाता है। अब तक खान मंत्रालय के पास लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति

1259. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु विचार-विमर्श करने तथा रणनीति बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है/बुलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सफलता हासिल हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त बैठक कब तक बुलाई जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) गरीब तथा कमजोर वर्ग को कीमतों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखने से संबंधित उपायों पर विचार करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 06.02.2010 को मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कुछ मुख्य मंत्रियों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों के एक कोर ग्रुप की माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 08.04.2010 को बैठक हुई तथा जिसने अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता मामलों पर एक कार्यदल (जिसके सदस्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री होंगे तथा जिसकी अध्यक्षता गुजरात के मुख्य मंत्री करेंगे) के गठन की सिफारिश की। इस कोर ग्रुप ने इन पर तीन कार्य समूहों के गठन का निर्णय लिया (i) कृषि उत्पाद (ii) कृषि उपभोक्ता मामले (iii) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण। तदंतर इन कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं तथा कार्य समूहों की सिफारिशों से प्राप्त व सहमत बिन्दुओं पर संबंधित विभागों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सहमत बिन्दुओं में अन्य के साथ-साथ (i) कृषि सुधार हेतु सूक्ष्म योजना दृष्टिकोण अपनाना; एपीएमसी कानूनों में सुधार लाना; (iii) कृषि अनुसंधान का ढांचा बनाना; (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय खर्च का अनुमान लगाना; तथा (v) बाजारों पर जानकारी एकत्र, विकीर्णन तथा विश्लेषण करने हेतु एक समर्पित केंद्रीय निकाय की स्थापना हेतु सिफारिशों की जांच करना (vi) विशिष्ट पहचान से पूर्णतया एकीकृत करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू से अंत तक कम्प्यूटरीकृत करना आदि शामिल हैं।

विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने से इंकार किया जाना

1260. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिंवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को उनके खराब शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षा ऋण देने से इंकार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया है कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किया जाएगा जिनका विद्यालय-स्तर पर शैक्षिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 2011-12 के दौरान, ऋण देने से मना करने सहित, शिक्षा ऋण के संबंध में 5199 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5190 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया था और शेष 9 शिकायतें लंबित थीं। जब कभी भी संबंधित बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती है, इन पर निदानात्मक कार्रवाई की जाती हैं। बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय बैंक संघ का आदर्श शिक्षा ऋण स्कीम, देश में या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर लक्षित है। इस स्कीम का मुख्य जोर मेधावी छात्रों आदि निर्धन भी हैं तो भी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहनीय निबंधनों एवं शर्तों पर बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त शिकायतों का बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंकों के नाम	आवेदनों की संख्या		
		प्राप्ति	निस्तारित्त	लंबित
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	22	22	0
2.	आंध्रा बैंक	11	11	0
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	33	33	0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	30	30	0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8	8	0
6.	केनरा बैंक	117	108	9
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	174	174	0
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	27	27	0
9.	देना बैंक	6	6	0
10.	इंडियन बैंक	217	217	0
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	39	39	0
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	19	19	0
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2	2	0
14.	पंजाब नैशनल बैंक	148	148	0
15.	सिंडिकेट बैंक	63	63	0
16.	यूको बैंक	24	24	0
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	23	23	0
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4	4	0
19.	विजया बैंक	4	4	0
20.	भारतीय स्टेट बैंक	4076	4076	0

1	2	3	4	5
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	27	27	0
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0	0
23.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0	0	0
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12	12	0
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	106	106	0
26.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	7	7	0
	कुल	5199	5190	9

स्रोत: पीएसबी

[हिन्दी]

वस्त्रों के निर्यात में धोखाधड़ी

1261. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वस्त्रों के धोखाधड़ीपूर्ण निर्यात के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने किसी तीसरे देश के माध्यम से पारगमन करके दूसरे देश में धोखाधड़ीपूर्ण निर्यात करने के संबंध में जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसमें प्रथम दृष्ट्या किन-किन निर्यातकों और बैंकों को संलिप्त पाया गया है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चालू खातों में बैंक प्रभार

1262. **श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री बलीराम जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक चालू खातों में नकदी जमा करने पर कथित रूप से अधिक प्रभाव वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच करने और उक्त प्रभारित राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) :

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को व्यापक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में बैंकों को बैंकिंग लेनदेनों से संबंधित सभी मामलों में परिचालनात्मक स्वतंत्रता दी गई है। सितम्बर, 1999 से बैंकों को अपने द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि सेवा प्रभार निर्धारित करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार युक्तिसंगत हों तथा ये सेवाएं प्रदान किए जाने की औसत लागत सीमा से अधिक न हो।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02.02.2007 को एक परिपत्र भी जारी किया था जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यदल द्वारा बताए गए व्यापक पैरामीटरों के आधार पर मूल सेवाओं और मूल बैंकिंग सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने और संचारित करने में युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले/अनुपालनार्थ सिद्धांतों की पहचान करने की सलाह दी गई है।

(ङ) और (च) एक दूरदर्शी विनियामक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे मुद्दों पर, यदि आवश्यक समझता है, तो अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करता है, और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

पेट्रोल पंपों पर डिजिटल मीटर

1263. **श्री संजय सिंह चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में स्थित पेट्रोल पंपों पर डिजिटल मीटर रीडिंग मशीनें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन पेट्रोल पंपों को चिह्नित किया गया है जहां नए डिजिटल मीटर नहीं लगाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यबल बनाया है; और

(ङ) देश के सभी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल मीटर रीडिंग मशीनें स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) वर्तमान में अपने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) में डिजिटल मीटरों के साथ वितरण इकाइयों का संस्थापन कर रही हैं। जबकि बीपीसीएल के सभी आरओज डिजिटल हैं, एचपीसीएल का केवल आरओ यांत्रिक है। आईओसी ने लगभग 3000 यांत्रिक वितरण इकाइयों की सूचना दी है जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

[अनुवाद]

आरबीडी पामोलीन के आयात की प्रशुल्क दर

1264. **श्री एंटो एंटोनी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नारियल तेल सहित अन्य घरेलू खाद्य तेलों की हितरक्षा के लिए शोधित, विरंजित और शुष्कीकृत (आरबीडी) पामोलीन के आयात प्रशुल्क की दर में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(2) के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर आरबीडी पामोलीन के टैरिफ मूल्य को अपनी अधिसूचना सं. 66/2012-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 जुलाई, 2012 के द्वारा संशोधित कर दिया है। इसके बाद से हर पखवाड़े आरबीडी के टैरिफ मूल्य को अधिसूचित किया जा रहा है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(2) के अंतर्गत नारियल का कोई टैरिफ मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। आरबीडी पामोलीन की सीमा शुल्क दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डी टी पी टीके की कमी

1265. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन-रक्षक डी टी पी टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन-रक्षक डी टी पी टीके की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, देश में डीटीपी वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार वैक्सिन की अधिप्राप्ति करती है और राज्यों को समस्त रोग प्रतिरक्षण स्थानों पर आगे वितरित करने के लिए इनकी आपूर्ति करती है। अप्रैल 2012 से अक्तूबर 2012 के मध्य डीटीपी वैक्सिन की 702.98 लाख खुराक अपेक्षित मात्रा की जगह 708.18 लाख डीटीपी खुराकें राज्यों को प्रदान की गईं।

(ग) वैक्सिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ-साथ देश की निजी क्षेत्र की इकाइयों से अधिप्राप्ति प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं बहुत पहले से आरंभ कर दी जाती हैं ताकि वैक्सिन की कोई कमी नहीं रहे।

[अनुवाद]

विषाणु विज्ञान संस्थान/प्रयोगशालाएं

1266. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विषाणु विज्ञान संस्थानों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में नये विषाणु विज्ञान संस्थानों की स्थापना करने और विद्यमान कतिपय संस्थानों/प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस हेतु चिन्हित स्थानों/प्रयोगशालाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ गुजरात सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि उद्दिष्ट/आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की है/करने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि देश में वायरल रोगों पर दो शीर्षस्थ प्रयोगशालाएं कार्य कर रही है:–

1. पुणे स्थित राष्ट्रीय वायोरोलोजी संस्थान और
2. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र।

इसके अतिरिक्त, आईसीएमआर के तहत वायरल रोगों पर कार्य करने वाले अन्य संस्थान निम्नलिखित हैं:–

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र), वाइरस यूनिट कोलकाता (पश्चिम बंगाल), एंट्रोवावइरस अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई (महाराष्ट्र), चिकित्सा एंटोमोलॉजी अनुसंधान केन्द्र, मदुरै (तमिलनाडु), राष्ट्रीय हैजा व एंटरिक रोग संस्थान, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (तमिलनाडु), क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (आरएमआरसी), जबलपुर (मध्य प्रदेश), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह), भुवनेश्वर (ओडिशा) और डेजर्ट चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जोधपुर (राजस्थान)।

(ख) और (ग) वायरोलॉजी प्रयोगशालाओं को स्थापित/सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:–

(i) आठ ग्रेड-I प्रयोगशालाएं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल (कर्नाटक) और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) और भुवनेश्वर (ओडिशा), एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजस्थान), अल्लापूजा में एनआईवी केन्द्र (केरल), राजीव गांधी बायोटेक्नालॉजी केंद्र (केरल) और किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेन्टिव मेडिसिन, चेन्नई (तमिलनाडु) स्थापित की गईं।

(ii) जबलपुर (मध्य प्रदेश), राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज पटना (बिहार), आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापट्नम, (आंध्र प्रदेश) और राजेन्द्र

आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (झारखंड) में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र में चार ग्रेड-II प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(iii) पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज, रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक ग्रेड-III प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

(iv) मौजूदा वित्तीय वर्ष (2012-13) में नौ और प्रयोगशालाएं निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तावित हैं:—

1. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ, असम
2. सरकारी चिकित्सा कॉलेज, अगरतला, त्रिपुरा
3. बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात
4. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
5. इंदिरा गांधी चिकित्सा कॉलेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश
6. जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
7. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
8. आईसीएमआर वायरस यूनिट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
9. सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू और कश्मीर।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य के एक प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तपेदिक का निदान

1267. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तपेदिक (टीबी) के निदान के लिए निजी क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे विभिन्न नैदानिक उपकरण विश्वसनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का टीबी का पता लगाने के लिए एक प्रोत्साहनबद्ध योजना कार्यान्वित करने और निजी संस्थाओं में इलाज कराने वाले रोगियों को संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तपेदिक के समयबद्ध और सटीक निदान तथा उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां) : (क) और (ख) क्षयरोग के निदान के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) द्वारा अनुमोदित परीक्षणों में थूक सूक्ष्मदर्शी, वक्ष का एक्सरे करना, ठोस व तरल कल्चर मेथड्स और द्रुत आण्विक परीक्षक शामिल हैं। उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि उपर्युक्त परीक्षणों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र क्षयरोग के निदान के लिए अत्यधिक सीरोविज्ञानीय परीक्षणों पर निर्भर करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार इस समय उपलब्ध वाणिज्यिक सीरोविज्ञानीय परीक्षण संवेदनशीलता व विशिष्टता के असंगत और अस्पष्ट अनुमान प्रदान करते हैं और इन परीक्षणों का पल्मनरी व अतिरिक्त पल्मनरी क्षयरोग के निदान के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने भारत सरकार की दिनांक 7 जून, 2012 की राजपत्रित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432(अ) और सा.का.नि. 433(अ) के अनुसार भारत में क्षयरोग के लिए सीरोविज्ञानीय नैदानिक परीक्षणों के निर्माण, बिक्री, आवंटन, प्रयोग और आयात पर रोक लगाई है।

(ग) और (घ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए पहले ही क्षयरोग का पता लगाने और निजी क्षेत्र में उपचार प्राप्त कर रहे रोगियों को कवर करने के लिए नामित सूक्ष्मदर्शी केन्द्र योजना; उपचार पालन योजना; परामर्शी, सम्प्रेषण व सामाजिक जुटाव योजना (एसीएसएम) इत्यादि जैसी गैर-सरकारी संगठन/निजी चिकित्सक योजनाएं चल रही हैं।

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश में पहले ही क्षयरोग का समय पर और सही निदान करने के लिए नए द्रुत आण्विक निदान परीक्षण अनुमोदित किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, क्षयरोग के निदान के लिए क्षयरोग के संदिग्ध रोगियों को शुरू में ही रेफरल सुविधा प्रदान करने के लिए सामुदायिक सहभागिता व समर्थन, सम्प्रेषण व सामाजिक जुटाव संबंधी कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

पर्यटक स्थलों की पहचान

1268. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटक स्थलों पर अपनी फिल्मों का फिल्मांकन करने के लिए विदेशी फिल्मकारों को आकर्षित करने हेतु देश में कुछ पर्यटक स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्थलों के विकास तथा संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने "फिल्म पर्यटन" की निश पर्यटन उत्पाद के रूप में पहचान की है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से फिल्म पर्यटन की क्षमता की पहचान करने और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फिल्म निर्माण को सुगम बनाने के लिए विशेष निकायों/कक्षों का गठन करने का अनुरोध किया है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए देश में किसी ऐसे विशेष स्थल की पहचान नहीं की गई है जहां पर वे अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनन पर प्रतिबंध

1269. डॉ. रत्ना डे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कुछ भागों, विशेषकर वन क्षेत्रों, में खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) केन्द्र सरकार ने देश के कुछ क्षेत्रों विशेष कर वन क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकरों को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खनन कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उधार में वृद्धि

1270. श्री दिनेश चंद्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री पी. आर. नटराजन :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित ऋण राशि का ब्यौरा वास्तविक उधार कितना है तथा अतिशय ऋण के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2004-05 से सितम्बर, 2012-13 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी ऋण की राशि कितनी रही है और उक्त ऋण राशि में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या लक्ष्य निर्धाथ्त किया गया है और चालू वर्ष 2012-13 कें यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बजट अनुमान 2012-13 के अनुसार केंद्र सरकार की अनुमानित आंतरिक तथ्यों विदेशी उधार निम्नानंसार हैं :

करोड़ रुपए)

	सकल	पुर्नअदाएगी	निवल
आंतरिक बाजार उधार	569616	90616	479000
विदेशी सहायता	26048	15990	10148

उच्च उधार आवश्यकता उच्च राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने और विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण को पूरा करने के कारण है।

(ख) विगत वर्षों में विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण और वैश्विक आर्थिक संकट में सरकार द्वारा अपनाई गई विस्तारीय काउंटर चक्रीय राजकोषीय नीति के कारण आंतरिक एवं विदेशी उधार में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। 2004-05 से 2011-12 तक वर्षवार और 2012-13 (ब.अ.) और सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान आंतरिक और विदेशी स्रोतों से सरकारी उधार (निवल) की रकम नीचे दी गई है:

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (ब.अं.)	सितं, 12 तक
आंतरिक बाजार उधार	46031	95374	110446	131768	233630	398424	325414	436214	479000	284383
विदेशी सहायता	14753	7472	8472	9315	11015	11038	25356	12449	10148	-757

(ग) उधार की प्रमात्रा मुख्यतया राजकोषीय घाटे पर आधारित हैं। संसद के समक्ष रखे गए मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, बजट 2012-13 के साथ, राजकोषीय घाटा, संशोधित अनुमान 2011-12 में सघउ के 5.9 प्रतिशत से घटकर बजट अनुमान 2012-13 में सघउ के 5.1 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ, राजकोषीय सुधार नीति के माध्यम से लोक ऋण में वृद्धि कम करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक कार्यनीति अपनाई है जिसमें उधार की कीमत कम करने, ऋण के सक्रिय समेकन के चरणबद्ध रूप से लागू करने, रियायती दरों पर और दीर्घ परिपक्वता वाली कम व्यय स्रोतों से फंड जुटाने पर बल प्रदान करने, मध्यावधि ऋण की मॉनीटरिंग करने और गैर-ऋण सृजन करने वालू पूंजलीगत प्रवाहों को बढ़ाना शामिल है। केंद्र सरकार ने मध्य कार्यालय की भी स्थापना की है ताकि सरकारी ऋण के अधिक न्यायसंगत प्रबंध की व्यवस्था कर सके।

[अनुवाद]

सामूहिक निवेश योजनाओं हेतु विनियामक

1271. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (आईएबी) ने देश में विभिन्न अविनियमित समूहिक निवेश और धन परिचालन योजनाओं हेतु स्वतंत्र और पृथक विनियामक की आवश्यकता पर बल दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड ने बाजार मध्यस्थों के पूंजी पर्याप्तता मानकों की समीक्षा करने की आवश्यकता को भी उजागर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (आईएबी) की द्वितीय बैठक का आयोजन 3-4 नवंबर, 2012 को मुंबई में किया गया था। आईएगी ने अन्य बातों के अलावा विभिन्न अविनियमित सामूहिक निवेश योजनाओं तथा पर्याप्तता मानदंडों के संबंध में विनियामक कमियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों पर आयोजित चर्चाओ के संबंध में ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन सेबी ने किया है तथा आईएबी की सिफारिशों उन पर सेबी द्वारा की गई कार्रवाई सहित सेबी बोर्ड को सूचित की जाती हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे रिजर्व बैंक, सेबी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध स्कंध से प्रतिनिधियों को शामिल करें ताकि लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से जनता से धनराशियां उगाहने वाली कंपनियों तथा अविनियमित गतिविधियों

के संबंध में संबंधित अभिकरणों की जानकारी की साझेदारी को बढ़ाया जा सके।

मुंबई में 3-4 नवंबर, 2012 को आयोजित सेबी के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक के दौरान सामूहिक निवेश योजनाओं के विनियमन तथा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के मुद्दों पर चर्चाओं के बारे में ब्यौरे

सामूहिक निवेश योजनाओं का विनियमन

आईएबी ने भारत में विभिन्न धन परिचालन योजनाओं तथा अविनियमित सामूहिक निवेश योजनाओं के संबंध में विनियामक कमी से जुड़े मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। आईएबी के सदस्यों ने अन्य क्षेत्राधिकारों से अपने अनुभव बताकर इस मुद्दे के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी उजागर किया।

यह बताया गया कि ऐसी योजनाओं का विनियमन प्रतिभूति बाजार विनियामक का प्रमुख उद्देश्य नहीं है तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन अपेक्षित होंगे। यह भी रेखांकित किया गया कि ऐसी योजनाएं अकसर स्थानिक होती हैं तथा ऐसी योजनाओं के विनियमन के साथ एक आपराधिक प्रवर्तन पक्ष जुड़ा रहता है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि इसके लिए किसी भी विनियामक ढांचे की सफलता के लिए राज्य सरकार की प्रतिभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त संसाधनों वाले एक स्वतंत्र तथा पृथक विनियामक की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

पूंजी पर्याप्तता मानदंड

मध्यवर्तियों द्वारा सामना किए जा रहे अज्ञात तथा बाजार-भिन्न जोखिमों के निवारण हेतु बाजार मध्यवर्तियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की समीक्षा करने की आवश्यकता को अभिस्वीकृत किया गया। यह जोर दिया गया कि मध्यवर्तियों के लिए पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं उनके द्वारा सामना किए जा रहे एक्सपोजर या उनके द्वारा शोधित ग्राहकों की संख्या या कारोबार की मात्रा, अल्गों के प्रयोग इत्यादि के अर्थ में जोखिमों के साथ संबद्ध होनी चाहिए। आगे यह कहा गया कि किसी कारोबारी सदस्य द्वारा किए गए मालिकाना कारोबार की सीमा के साथ पूंजी पर्याप्ता आवश्यकता को संबद्ध करने के लिए पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तथा विनियामक लागत को युक्तिसंगत सीमाओं के बीच रखने की आवश्यकता के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाना है। एक संबद्ध मुद्दे पर, यह सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय प्रतिपक्ष में जोखिम प्रबंधन में इसके मानदंडों तथा निक्षेपों के स्तर को समायोजित करते समय कारोबारी सदस्यों की पद्धतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

बैंकों में वेतन

1272. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री रामकिशुन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बैंक के कर्मचारियों को समुचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन में पाई जाने वाली अनियमितता, यदि कोई हो, को दूर करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बैंककर्मियों का वेतन कम होने के कारण बैंकों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष में प्रबंधन और संघों/यूनियनों के बीच हुए समझौते के आधार पर किया जाता है। वेतन के अलावा बैंकों के कर्मचारी कई अन्य प्रकार के भत्तों एवं हितलाभों के हकदार भी होते हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया जाता है और इन वेतनमानों की सामान्य तौर पर दस वर्षों के बाद समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और ये संबंधित सेवा शर्तों के

अनुसार विनियमित की जाती है। इसलिए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों के वेतन संरचना के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

किसानों को कर्ज में राहत

1273. **श्री राजू शेट्टी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कसान समन्वय समिति (केसीसी) की ओर से पांच एकड़ से ज्यादा भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को फसल-ऋण माफ करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) पांच एकड़ से ज्यादा भूमि के स्वामित्व वाले किसानों के फसल ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

1274. **डॉ. एम. तम्बिदुरई** :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दोरान एनसीपीसीआर द्वारा कितने अपराध दर्ज किए गए तथा कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या सरकार एनसीपीसीआर के कार्यनिष्पादान से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इसके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम संलग्न विवरण में दर्शाए गए है। आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा आयोग की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को अपराध दर्ज करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार, कुल मिलाकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है।

(ङ) सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्रियाकलापों की पुनरीक्षा करती है तथा कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी करती है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

2009-10

i. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिल्ली में बाल-मजदूरी को समाप्त करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार की तथा प्रस्तुत की।

ii. राज्य सरकारों को स्कूलों में शारीरिक सज़ा पर अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की सिफारिश की।

iii. बालक अधिकारी की सामान्य रूप में तथा विशेष रूप से राज्य/क्षेत्रीय दौरों तथा जिला प्रशासन/राज्य सरकार के साथ बैठकों के माध्यम से मेघालय के जयनतिया हिल्स जिले से कर्नाटक तक बच्चों की अन्तर राज्यीय पलायन संबंधी सिेति की पुनरीक्षा की।

iv. क्षेत्रीय दौरो, जन सुनवाई तथा जिला प्रशासन/राज्य सरकार के साथ बैइकों के माध्यम से मेघालय राज्य में जयनतिया हिल्स की कोयला खानों में बाल मजदूर की स्थिति की पुनरीक्षा की।

v. आंध्र प्रदेश (जिला खम्मम), छत्तीसगढ़ (जिला दंतेवाडा), ओडिशा (जिला कंधामाल), असम (उत्तर कछार-हिल्स), त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में नागरिक असंतोष/विस्थान से प्रभावित बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

vi. 'नागरिक असंतोष के खेत्रों में बच्चों के संरक्षण के लिए बाल बंधु स्कीम (बीबीएस) आरंभ किए जाने हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अनुमोदन 'सिद्धांत रूप में'' प्राप्त किया।

vii. तमिलनाडु (चेन्नई), कर्नाटक (बैंगलोर), महाराष्ट्र (मुंबइ), आंध्र प्रदेश (हैदराबाद), मणिपुर (इम्फाल) तथा दिल्ली आदि राज्यों में एचआईवी/एड्स से प्रभावित/संक्रमित बच्चों से संबंधित मुद्दों पर छः जन सुनवाई आयोजित की। संबद्ध राज्य सरकारों के संबंधित वि..ग प्राधिकरणों को उपचारी कदम उठाने के लिए सिफारिशें कर दी गई थी।

viii. बालक अधिकारों के संरक्षण में पंचायतों की भूमिका पर ग्राम पंचायतों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ix. चयनित बाल गृहों में निरीक्षण किए तथा इस प्रकार के निर्देशों के अनुसरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को सिफारिशें प्रस्तुत की।

x. बालक अधिकारों के तथाकथित उल्लंघन की शिकायतों के संदर्भ में, एनडीटीवी इमेजिन पर दिखाए गए 'पति-पत्नी और वो' रियलिटी शो की जांच की।

xi. रेलवे प्लेटफार्मों पर बच्चों की दुर्दशा की जांच की तथा इस संबंध में रेल मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत की।

xii. बालक अधिकार के तथाकथित उल्लंघन के 764 मामलों पर कार्रवाई की।

2011-11

i. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में प्रवासी बच्चों की दुर्दशा की पुनरीक्षा की तथा उपचारी उपायों हेतु संबंधित राज्य सरकारो को सिफारिशें की।

ii. पांच राज्यों में नागरिक असंतोष के क्षेत्रों में बालक अधिकारों के संरक्षण हेतु 'बाल बंधु स्कीम' आरंभ की।

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, मणिपुर तथा असम से बच्चों के बड़ी संख्या में पलायन की जांच की।

iv. भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को 'नागरिक असंतोष के क्षेत्रों में बालक अधिकार' संबंधी नीति दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत किया।

v. लैंगिक अपराधों के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण संबंधी प्रारूप-विधेयक के लिए आंकड़े (इनपुट) उपलब्ध कराए।

vi. मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान आदि राज्यों में दौरों/जन सुनवाइ के माध्यम से, बाल कुपोषण स्थिति की पुनरीक्षा की।

vii. तथाकथित बालक अधिकार उल्लंघन के 1877 मामलों पर कार्रवाई की।

2011-12

i. निःशुल्क तथा अनिवाय्र शिक्षा के लिए बालक अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के उपंधों को संगत बनाने के लिए बाल श्रम निषेध तथा नियमन) अधिनियम, 1986 में किए गए संशोधनों के संबंध में सरकार तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) को सिफारिशों प्रस्तुत की।

ii. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के पुनर्गठन के लिए संबंधित मंत्रालयों को दस्तावेज प्रस्तुत किए।

iii. 'स्कूल में शारीरिक दंड के विलोपन' पर दिशा निर्देश जारी किए

iv. उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा गुजरात की राज्य सरकारों को बाल मजदूरी के निष्कासन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें की।

v. अहमदाबाद, उदयपुर, तिरुअनंतपुरम, गाडिचिरोल्ली स्थित चयनित बाल गृहों का निरीक्षण किया तथा ऐसी फर्मों की स्थितियों में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सिफारिशें की।

vi. जापानी मस्तिष्क ज्वर(जेई) तथा ए.ई. के कारण हुई बच्चों की मृत्यु की समीक्षा की तथा उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुनवाइ के तलब किया तथा बालक मृत्यु को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने के लिए सिफारिश की।

vii. क्षेत्रीय दौरों तथा बैठकों/बातचीत के माध्यम से कर्नाटक के रायपुर जिसमें बालक कुपोषण की स्थिति की समीक्षा की।

2012-13

i. पांच राज्यों के 9 जिलों में बालक अधिकार संरक्षण के लिए बाल बंधु स्कीम के क्रियान्वियन को जारी रखा।

ii. बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में प्रायोगिक परियोजना आरंभ की।

iii. जेलों में बच्चों को बंदी बनाए जाने को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के संबंधित प्राधिकारियों (दिल्ली नुलिस, तिहाड़ जेल प्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग) मजिस्ट्रेटों किशोर-न्याय बोर्डों (जजेबी) दिल्ली राज्य विधासी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की भूमिकाओं और उत्तरदायितवों की रूप रेखा निर्धारित करते हुए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को विस्तृत दिशा निर्देश प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

iv. उन संवासियों की पहचान करने जो किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (ऑन इट्स ओन मोशन बनाम रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपाल में) के लाभान्वित हो सकते हैं

v. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को बच्चों की मीडीया संबंधी रिपोर्टिंग पर दिशा निर्देश प्रस्तुत किए।

vi. 'नागरिक असंतोष के क्षेत्रों में बच्चों के लिए आपात राहत के रूप में शिक्षा शीर्षक से एक कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप दिया।

vii. सशस्त्र पुलिस बल के संदर्भ में नागरिक असंतोष के क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए मानक प्रचालन क्रिया (एनओपी) का प्रारूप तैयार किया।

viii. हरियाणा में बच्चों के तथाकथित शारीरिक/मानसिक/यौन दुर्व्यवहार की तत्काल दौरा करके जांच की तथा उपचारी उपायों के लिए राज्य सरकार को अनेक सिफारिशें की। बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक पीआईएल बालक दुर्व्यवहार को रोकने के लिए (कार्यात्मक बाल कल्याण समितियों के स्थान पर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग तथा बाल न्यायालय (एनसीपीपीआर) स्थापित करने की प्रणाली को आरंभ करने के लिए हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ प्रशासन को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है।

ix. शिक्षा तथा अन्य बालक अधिकारों के मुद्दों पर बच्चों के अधिकारों से संबंधित आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम तथा तमिलनाडु (चेन्नई) में जन सुनवाई आयोजित की।

[हिन्दी]

अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की खोज

1275. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री एम. के. राघवन :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और केरल सहित अन्य राज्यों के ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सरकार का बड़े पैमाने पर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की खोज करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किया जाएगा;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ चिन्हित संभावित स्थानों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(च) इन नए प्रयासों से कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) देश में अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 26,267 मेगावाट है राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। 12वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा से 30,000 मेगावाट क्षमता संयोजन का लक्ष्य रखा गया है। देश के कुल विद्युत मिश्रण में अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन का अंशदान 6 से 8 प्रतिशत के लगभग होने का अनुमान है और विद्युत उत्पादन का अधिकांश भाग थर्मल और हाइड्रो पावर से प्राप्त करना जारी रहेगा।

(ग) और (घ) देश में विद्युत उत्पादन और अन्य अनुप्रयोगों हेतु सौर ऊर्जा के दोहन/उपयोग का संवर्धन करने के लिए सरकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का कार्यान्वियन कर रही है। मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च) सौर परियोजनाएं/प्रणालियां देशभर में कहीं भी संस्थापित की जा सकती हैं। प्रत्यक्ष रूप से उच्चतर और आतपन प्राप्त करने वाले क्षेत्र सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु उपयुक्त

हैं। 12वीं योजना के दौरान सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु 10,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में अब तक 1045 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। राज्य-वार विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31.10.2012 के अनुसार ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली	पवन विद्युत	बायो विद्युत		सौर विद्युत	कुल
				बायोमास विद्युत/ सह-उत्पादनल	अपशिष्ट से ऊर्जा		
		(मेवा.)	(मेवा.)	(मेवा.)	(मेवा.)	(मेवा.पी)	(मेवा.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	217.83	378.45	380.75	43.16	21.75	1041.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	94.51				0.03	94.54
3.	असम	31.11					31.11
4.	बिहार	66.30		29.50			95.80
5.	छत्तीसगढ़	27.25		249.90		4.00	281.15
6.	गोवा	0.05					0.05
7.	गुजरात	15.06	3087.43	30.50		690.00	3823.53
8.	हरियाणा	70.10		45.30		7.80	123.20
9.	हिमाचल प्रदेश	531.91					531.91
10.	जम्मू और कश्मीर	130.53					130.53
11.	झारखंड	4.05				16.00	20.05
12.	कर्नाटक	890.65	2088.55	476.68	1.00	14.00	3470.88
13.	केरल	158.42	35.10			0.03	193.55
14.	मध्य प्रदेश	86.16	376.40	16.00	3.90	7.35	489.81
15.	महाराष्ट्र	292.05	2933.15	692.20	9.72	20.00	3947.12
16.	मणिपुर	5.45					5.45
17.	मेघालय	31.03					31.03
18.	मिजोरम	36.47					36.47

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	28.67					28.67
20.	ओडिशा	64.30		20.00		13.00	97.30
21.	पंजाब	154.50		118.50	9.25	9.33	291.58
22.	राजस्थान	23.85	2220.25	91.30		201.55	2536.55
23.	सिक्किम	52.11					52.11
24.	तमिलनाडु	123.05	7151.18	532.70	5.65	17.05	7829.63
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10		682.50	5.00	12.38	724.98
27.	उत्तराखंड	170.82		10.00		5.05	185.87
28.	पचिश्म बंगाल	98.40		26.00		2.05	126.45
29.	अंडमान और निकोबार	5.25				0.10	5.35
30.	चंडीगढ़						
31.	दादरा एवं नगर हवेली						
32.	दमन एवं दीव						
33.	दिल्ली				16.00	2.53	
34.	लक्षद्वीप					0.75	
35.	पुडुचेरी					0.03	
36.	अन्य		4.30			0.81	
	कुल (मेवा.)	3451152	18274.81	3401.83	93.68	1045.17	26267.01

रसोई गैस कनेक्शन हेतु संसद सदस्यों की सिफारिश

1276. **श्री महाबल मिश्रा :**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के संबंध में विभिन्न तेल-विपणन कंपनियों को संसद-सदस्यों की ओर से प्राप्त अनुरोधों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और तेल विपणन कंपनी-वार कितने रसोई

गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) देश में रसोई गैस कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा-सूची की तेल विपणन कंपनी-वार स्थिति क्या है और इस प्रतीक्षा-सूची का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में नए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए क्या लक्ष्य नियत किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत:, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष में नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए माननीय सांसद से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

ओएमसी	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तूबर, 2012
आईओसी	271	1868	9135	9234
बीपीसीएल	565	7290	7607	917
एचपीसीएल	3726	7991	29195	38960

प्रचलित नीति के अनुसार नए कनेक्शन जारी करने के लिए सभी अनुरोधों को राज्यों के संबंधित कार्यालयों को भेज दिया गया है।

माननीय सांसदों की सिफारिश के अनुसार ओएमसीज के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भावी ग्राहकों को नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्राथमिकता-पत्र जारी किए जा रहे हैं। भावी ग्राहकों को नीति के अनुसार नए कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक दस्तावेज संबंधी कार्रवाई पूरी करने के लिए संबंधित वितरक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

समय-समय पर अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वितरक भावी ग्राहकों को नए एलपीजी कनेक्शन जारी करता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख में)

ओएमसी	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तूबर, 2012
आईओसी	41.63	46.80	57.55	31.77
बीपीसीएल	19.29	28.40	31.54	14.64
एचपीसीएल	25.29	28.97	33.64	16.74

(ग) और (घ) दिनांक 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार नए एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार है :

आईओसी	2,01,643
बीपीसीएल	51,522
एचपीसीएल	98,454

प्रचलित नीति के अनुसार नए एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में कार्रवाई की जाती है और मांग के अनुसार उन्हें जारी किया जाता है।

सरकार के विजन-2015 के अनुसार वर्ष 2015 तक एलपीजी आबादी कवरेज 50 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

'आयुष' संस्थानों का स्तरोन्नयन

1277. श्री शिवकुमार उदासी :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों की ओर से 'आयुष' संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के स्तरोन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन पर राज्य-वार/संघ राजय क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों के सिलसिले में कोइ धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान का राज्य-वारसंघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और 'आयुष' संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों को संस्वीकृत शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार को 'आयुष अस्पताल और औषधालय विकास' तथा 'आयुष संस्था विकास' केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयुष अस्पतालों/औषधालयों और संस्थाओं/कॉलेजों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन हेतु पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों और उन्हें निर्मुक्त राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है। आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के स्वीकृत प्रस्तावों और निर्मुक्त राशि का राज्य/संघ राजय क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V, VI, VII और VIII में दिया गया है।

(ङ) 'आयुष अस्पताल और औषधालय विकास' तथा 'आयुष संसीा विकास' केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 के दौरान छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के आयुष अस्पतालों/औषधालों तथा संस्थाओं/कॉलेजों को निधियां निर्मुकत नहीं की जा सकीं, क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2010-11 तक निर्मुक्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अस्पतालों/औषधालयों को नए सहायतानुदान की स्वीकृत इस स्कीम के अंतर्गत पहले निर्मुक्त अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों की बेबाकी पर निर्भर करती है।

विवरण-I

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2009-10 हेतु आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	मांगी गई (लाख रुपए में)	कॉ. 2 में अनुमोदित कांश	निर्मुक्त अनुदान (लाख रुपए में)
1	हिमाचल प्रदेश	28 आयुष अस्पतालों (आयु.) अस्पतालों का उन्नयन	1,774.08	12.00	646.27
2	जम्मू और कश्मीर	8 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	506.88	2.00	107.71
3	कर्नाटक	65 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	4,181.76	9.00	484.70
4	केरल	72 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3,922.46	22.00	1,184.83
5	मध्य प्रदेश	23 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1,457.28	12.00	646.27
6	ओडिशा	8 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	506.88	8.00	430.85
7	पंजाब	6 आयुष अस्पतालों (आयुर्वेद)	380.00	5.00	269.28
8	राजस्थान	50 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3,168.00	23.00	1,238.69
	कुल		15,897.34		5,008.61

विवरण-II

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2011-11 हेतु आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)	कॉ. 2 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (लाख रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आयुष अस्पतालों का उन्नयन	706.00	3.00	155.84	
		1039 आयुष औषधालयों का उन्नयन	11,823.00	120.00	1,030.20	
2.	बिहार	27 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1,710.72	27.00	1.454.11	
3.	छत्तीसगढ़	100 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	1,010.00	100.00	8.50	प्रसांगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
4.	गुजरात	24 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1,074.64	24.00	405.35	
		739 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5,433.90	95.00	815.58	
5.	हिमाचल प्रदेश	16 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	1,013.76	16.00	861.69	
		600 आयुष अस्पतालों का उन्नयन उन्नयन	14,616.00	150.00	1,287.75	
6.	जम्मू और कश्मीर	2 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	126.72	2.00	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण निधियां निमुक्त नहीं की जा सकीं।

1	2	3	4	5	6	7
		387 आयुष औषधालयों का उन्नयन	3,910.80	387.00	32.90	प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
		56 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3,548.16	56.00	3,015.93	
		268 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2,948.00	268.00	22.78	प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
7.	कर्नाटक	40 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	400.00	-	-	
8.	केरल	91 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	5,765.80	91.00	3,158.40	प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
		232 (70 होम्योपैथी, 162 आयुर्वेदिक) औषधालयों का उन्नयन	2,343.20	232.00	19.72	
9.	मध्य प्रदेश	11 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	696.96	11.00	592.41	
10.	ओडिशा	1166 आयुष औषधालयों का उन्नयन	8,086.60	1,166.00	99.11	प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
11.	राजस्थान	1000 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10,100 00	1,000.00	85.00	प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनावर्ती निधियों को अनुमोदित नहीं किया गया।
12.	त्रिपुरा	3 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	190.08	3.00	171.06	
13.	उत्तराखंड	114 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	7,152.00	8.00	171.07	
		203 आयुर्वेद औषधालयों का उन्नयन	2.740.50	50.00	429.25	
	कुल		85,396.84		13,816.65	

विवरण-III

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2011-12 हेतु आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)	कॉ. 2 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (लाख रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	919 आयुष औषधालयों का उन्नयन	9,281.90			
		16 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1,013.76	18.00	2.13	
2.	बिहार	128 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1,292.80			वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त राशियों के संबंध में लंबित उपयोग पत्रों के कारण वर्ष
3.	छत्तीसगढ़	3 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	198.08	3.00	5.35	2011-12 के दौरान अधिकार राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
4.	गुजरात	739 आयुष (523-आयुर्वेद, 216-होम्योपैथी) औषधालयों का उन्नयन	5,504.60			
5.	हरियाणा	62 आयुष औषधालयों का उन्नयन	532.20			
6.	हिमाचल प्रदेश	150 आयुर्वेद औषधालयों (आवर्ती) और 150 आयुर्वेद औषधालयों (आवर्ती और अनावर्ती) का उन्नयन	2,980.95			

1	2	3	4	5	6	7
		28 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	374.08	28 00	5.45	
7.	जम्मू और कश्मीर	आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	10.42			
8.	कर्नाटक	43 आयुष औषधालयों का उन्नयन	430.00			
		9 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	570.24			
		70 होम्यो. अस्पतालों का उन्नयन	700.00			
9.	केरल	30 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	135.62	30.00	8.50	
		68 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	908.00	68.00	86.70	
		51 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती और अनावर्ती)	3,231.36			
		585 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5,908.50			
		162 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,620.00			
10.	मध्य प्रदेश	125 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,250.00			
11.	मिजोरम	आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.10			
		आयुष अस्पतालों का उन्नयन	500.00			
12.	ओडिशा	70 आयुष औषधालयों का उन्नयन	700.00			

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	200 आयुष औषधालयों का उन्नयन (अनावर्ती)	2,020.00			
14.	पंजाब	83 होम्योपैथी औषधालयों का उन्नयन	215.80			
15.	राजस्थान	1500 आयुष औषधालयों का उन्नयन	4,447.50			
16.	उत्तराखंड	17 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	339.00	8.00	6.80	
		148 आयुर्वेद औषधालयों का उन्नयन	1,494.80			
17	दिल्ली	70 आयुष औषधालयों का उन्नयन	76.65			
18	पश्चिम बंगाल	6 आयुष औषधालयों/अस्पतालों का उन्नयन	303.00			
		25 आयुष औषधालयों/अस्पतालों का उन्नयन	250 00			
		कुल	46,049.36		114.93	

विवरण-IV

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2012-13 हेतु आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)	कॉ. 2 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (लाख रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1 आयुष अस्पताल का उन्नयन	6.18	1.00	1.60	
2	आंध्र प्रदेश	81 आयुष औषधालयों का उन्नयन	818.10			
		13 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	448.00			वर्ष 2010-11 तक निर्मुक्त राशियों के संबंध में लंबित उपयोग पत्रों के कारण वर्ष
3	बिहार	69 आयुर्वेदिक, 30-यूनानी, 29-होम्योपैथी औषधालयों का उन्नयन	1,292.80			2012-13 के दौरान अधिकांश राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
4	दिल्ली	81 आयुष औषधालयों का उन्नयन	145.32			
5	हिमाचल प्रदेश	29 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	490.88			
		300 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2,980.45			
6	झारखंड	1 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.10			
7	जम्मू और कश्मीर	2 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	30.08			

1	2	3	4	5	6	7
8	केरल	162 आयुर्वेद औषधालयों का उन्नयन	1,620.00			
		585 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5,908 50			
9	कर्नाटक	101 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,010.00			
10	मध्य प्रदेश	169 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,690.00			
11	मणिपुर	2 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	151.72			
12	नागालैंड	10 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.10			
13	ओडिशा	आयुष औषधालयों का उन्नयन	750.00			
14	पुदुचेरी	7 आयुष औषधालयों का उन्नयन	7.70			
15	त्रिपुरा	आयुष अस्पताल का उन्नयन	40.08			
		65 होम्यो, 31 आयुर्वेदिक आयुष औषधालयों का उन्नयन	969.60			
16	पश्चिम बंगाल	28 आयुष औषधालयों का उन्नयन	282.88			
		कुल	18,662.49	1.00	1.60	

विवरण-V

आयुष संस्था विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु 2009-10 के दौरान निर्मुक्त अनुदान

क्र. सं.	कॉलेज/संस्था का नाम	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1.	ए.एल. राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, वारंग	आंध्र प्रदेश	69.00
2.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पटना	बिहार	201.62
3.	श्री डीजीएम आयुर्वेद कॉलेज, गडग	कर्नाटक	66.79
4.	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर आयुर्वेद कॉलेज, उत्तर प्रदेश	कर्नाटक	163.49
5.	एन.एस.एस. होम्यो मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम	केरल	170.00
6.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज	केरल	38.10
7.	डी.एम.एम., आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमल	महाराष्ट्र	170.00
8.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	350.00
9.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	90.00
10.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	महाराष्ट्र	240.00
11.	सेठ चंदनमल मुथ आर्यंगल वैद्यक महाविद्यालय, सतारा	महाराष्ट्र	90.00
12.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल का आयुर्वेद कॉलेज, सियोन, मुंबई	महाराष्ट्र	63.00
13.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	170.00
14.	गुरुकुल कांगड़ी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार	उत्तराखंड	118.00
		कुल	2.000.00

विवरण-VI

आयुष संस्था विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

क्र. सं.	कॉलेज/संस्था का नाम	राज्य का नाम	राशि [प्रथम किस्त] (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, तिरुवन्तपुरम	केरल	150.00

1	2	3	4
2.	आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्ताल, माहे	पुदुच्चेरी	600.00
3.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पटना	बिहार	93.77
4.	भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	130.00
5.	त्रिपुरा सुंदरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, त्रिपुरा साउथ	त्रिपुरा	800.00
6.	आयुर्वेदिक भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर	गुजरात	80.74
7.	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	98.01
8.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जूनागढ़, गुजरात	गुजरात	150.00
9.	केएटीएस आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, अंकुश पुर, गंजम, ओडिशा	ओडिशा	70.39
10.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	223.54
11.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जम्मू, व कश्मीर स्वास्थ्य सोसाइटी, जम्मू	जम्मू	800.00
12.	यूनानी मेडिकल कॉलेज, गंदरबल, कश्मीर जम्मू व कश्मीर स्वास्थ्य सोसाइटी, जम्मू	कश्मीर	800.00
13.	जी.एस. गुणे आयुर्वेद कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	140.00
14.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	98.00
15.	बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, कर्नाटक	कर्नाटक	102.95
16.	राजकीय ललित हरि आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	80.00
	कुल		4,417.40

विवरण-V

आयुष संस्था विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु 2011-12 के दौरान निर्मुक्त अनुदान

क्र. सं.	कॉलेज/संस्था का नाम	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	कुल राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा, महाविद्यालय चाईबासा	झारखंड	50- 50	525.90

1	2	3	4	5
2.	एनपीए राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर	छत्तीसगढ़	डवकमस	75.00
3.	राजकीय नेचर क्योर एवं योग कॉलेज अस्पताल एवं छात्रावास भवन, मैसूर	कर्नाटक	50-50	300.00
4.	राजस्थान, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	राजस्थान	50-50	350.00
5.	न्यू आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड	उत्तराखंड	50-50	300.00
6.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	मॉडल	100.00
7.	राजकीय जेबी राय राज्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	मॉडल	148.00
8.	गुरु रविदास आयुर्वेद, विश्वविद्यालय, होशियारपुर, पंजाब	पंजाब	50-50	301.00
		कुल		2,099.90

विवरण-VII

आयुष संस्था विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु 2012-13 के दौरान निर्मुक्त अनुदान

क्र. सं.	कॉलेज/संस्था का नाम	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	कुल राशि (लाख रुपए में)
				वर्ष 2010-11 तक निर्मुक्त राशि के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण वर्ष 2012 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

के.जी. डी-6 गैस का विक्रय मूल्य

1278. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी (के.जी.) डी-6 बेसिन से उत्पादित गैस के लिए सरकार ने क्या विक्रय-मूल्य नियत किया है;

(ख) क्या प्रचालनकर्ता द्वारा उक्त गैस को सरकार द्वारा नियत विक्रय-मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक विक्रय-मूल्य कितना है; और

(घ) प्रचालनकर्ता द्वारा अधिक मूल्य प्रभारित किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) द्वारा प्रचालित केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लाक से उत्पादित वर्तमान एनईएलपी गैस 4.2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) बैठता है।

(ख) से (घ) आरआईएल, ईजीओएम द्वारा अनुमोदित गैस मूल्य के अतिरिक्त 0.135 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू का विपणन मार्जिन प्रभार वसूल करता है। अंत्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन के निर्धारण का मुद्दा पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11 (च) के तहत पीएनजीआरबी को भेज दिया गया था। पीएनजीआरबी की रिपोर्ट इस मंत्रालय में दिनांक 22.11.2012 को प्राप्त हो गई है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. योजना का सबलीकरण

1279. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहयोग से समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) योजना के तहत सहायता पा रहीं पोषाहार परियोजनाओं को सबलीकृत करने तथा उनमें सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के तहत प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त परियोजना को लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना के तहत विभिन्न एजेंसियों के मध्य राज्य-वार वित्तपोषण में संभावित हिस्सेदारी कितनी-कितनी होगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) से सहायता प्राप्त "आईसीडीएस प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना" का हाल ही में अनुमोदन किया है।

(ख) परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा, पहले चरण की अवधि तीन वर्ष की और दूसरे चरण की अवधि चार वर्ष की होगी। परियोजना के पहले चरण के चार घटक - घटक 1 : आईसीडीएस संस्थागत और प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण; घटक 2 : सामुदायिक अभिप्रेरण और व्यवहार परिवर्तन संचार; घटक 3 : संकेन्द्रित पोषण कार्यों का प्रयोग करना और घटक 4 : परियोजना प्रबंधन, तकनीकी सहायता, मानीटरन और मूल्यांकन।

(ग) परियोजना का क्रियान्वयन 8 राज्यों में अधिक कुपोषित बच्चों वाले 162 जिलों में किया जाएगा। ये राज्य हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और इसके आस-पास शहरी प्रयोग तथा दो अन्य राज्य अर्थात् ओडिशा और उत्तराखंड में कुछ चुनिंदा जिलों में संकेन्द्रित पोषण कार्य प्रयोग किए जाएंगे।

(घ) परियोजना का कुल आबंटन 2893.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 70% अर्थात् 2025 करोड़ रुपए का निधि पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, 600 करोड़ रुपए (लगभग 20%) भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 268.0 करोड़ रुपए (लगभग 10%) का वहन 7 वर्षों की अवधि में 8 भागीदार राज्यों द्वारा किया जाएगा।

लघु संक्रमणों पर होने वाला व्यय

1280. श्री रुद्र माधव राय :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष ज्वर आदि जैसे लघु संक्रमणों के उपचार पर करोड़ो रुपए खर्च करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का विशेषकर पिछड़े और जनजातीय राज्यों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वर मामलों की मलेरिया के संबंध में जांच की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मुख्तया पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों को ज्वर निगरानी, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों के निदान एवं उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा किए गए कुल व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल सहायता (नकद+वस्तुगत)
2009-10	311.16
2010-11	380.51
2011-12	482.51

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित विशेषकर गरीब एवं जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए मामूली संक्रमण जैसे ज्वर इत्यादि सहित के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के पुनरूद्धार और सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता देने हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया गया।

अतिशय खनन

1281. **श्री धनंजय सिंह :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम) के अनुसार अवैध खनन की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या यदि संबंधित कंपनी द्वारा खनन-कार्य के एवज में में रॉयल्टी का भुगतान किया जाए तो उसे अतिशय खनन (आरंभिक खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक) की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक खनिज के संबंध में, किसी वर्ष विशेष के दौरान कितने प्रतिशत अतिशय खनन की अनुमति दी गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा अत्यधिक खनन के लिए कोई जुर्माना लगाया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध हाल में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एमसीआर) के नियम 2 (iiक) में अवैध खनन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> "अवैध खनन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा, किसी क्षेत्र में, यथास्थिति सर्वेक्षण परमिट अथवा किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा, खनन पट्टा प्राप्त किए बिना, कोई सर्वेक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करना।
>
> स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए-

(क) खनन पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर अधिनियम की धारा 23 ग के अधीन बनाए गए नियमों से भिन्न, किसी नियम का उल्लंघन अवैध खनन में सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) और (ग) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) इस शर्त के साथ कि विलचन का संचयी प्रभाव अति-भार/अपशिष्ट अनुपात के प्रति अनुमोदित अयस्क को न बदले और न विकास कार्य में बड़ी कमी आए, अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम में दर्शाए गए अनुमानित वार्षिक उत्पादन के 20% तक के विचलन के लिए अनुमति देता रहा है।

(घ) और (ङ) खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) के उल्लंघन के मामले में आईबीएम पट्टाधारी के खनन प्रचालनों में सुधार के लिए एमसीडीआर के नियम 13 (1) तथा नियम 45 के प्रावधानों के अनुसार एक उल्लंघन नोटिस जारी करता है। यदि पट्टाधारी उल्लंघन नोटिस के अनुसार खनन प्रचालनों में सुधार नहीं कर पाता है तो आईबीएम न्यायालयों में अभियोग दायर करता है। खनिक द्वारा अनुमोदित खनन योजना से विचलन के लिए आईबीएम को खनन प्रचालनों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। एमसीडीआर के उल्लंघन तथा आईबीएम द्वारा ऐसी खानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एम.सी.डी.आर का उल्लंघन और आई.बी.एम द्वारा ऐसी खानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

वर्ष	निक्षित खानों की संख्या	खानों की संख्या जहां उल्लंघन का पता चला	सुधारें गए उल्लंघनों की संख्या	उल्लंघन नोटिस जारी किए जाने के बाद उल्लंघनों को ठीक नहीं करने पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की संख्या	कारण बताओ के बाद उल्लंघनों को ठीक किया गया	आईबीएम द्वारा किए किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा कमापाउंडेड अभियोजन मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय आईबीएम के पक्ष में दिए जाने वाले अभियोजन मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जहां खनन प्रचालन लंबित किए गए
2009-10	2371	797	790	404	276	42	17	17	74
2010-11	2177	685	356	168	219	18	20	15	89
2011-12	2563	1722	1273	856	651	23	9	5	402
2012-13 (अक्तूबर तक)	1344	648	621	308	274	4	3	1	549

महिला प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम

1282. **चौधरी लाल सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं के कार्य कौशल को अद्यतन करने और उनकी सहायता के लिए उन्हें नयी तकनीकें सिखाने हेतु सरकार ने महिला प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम (एस.टी.ई.पी) के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और उपलब्धियों का लक्ष्य इस प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2009-2010	30,000	21,963
2010-2011	35,000	36,500
2011-2012	30,000	29,650
2012-2013	30,000	15,797 (अक्तूबर, 2012 तक)

वित्तधारी कंपनी

1283. **श्री सी. शिवासामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक वित्तधारी कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (घ) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2012-13 में घोषणा की थी कि सरकार वित्तधारी कंपनी की स्थापना की संभावना की जांच करेगी जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाएगी। उपर्युक्त घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति और विकास

1284. **श्री भूदेव चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए उच्च मुद्रास्फीति अथवा मंद विकास में से क्या अधिक हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश की विकास दर में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस गिरावट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मूल्य स्थिति और आर्थिक विकास पर बराबर नजर बनाए रखते हैं और वे नीतियां अपनाते हैं जो मूल्य स्थिरता और उच्च वृद्धि दरों को हासिल करने का प्रयास करती हैं।

(ग) 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर 2004-05 की सतत कीमतों पर उपादान लागत पर क्रमशः 8.4 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष (2012-13) की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान हे। संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि के पूर्वानुमान अभी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किए जाने हैं।

(घ) अर्थव्यवस्था के विकास की बहाली के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं—विनिर्माण क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर की अस्थिरता में कमी लाना आदि और खाद्य मुद्रास्फीति कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग करना। उच्च विकास

प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करना, वित्तीय क्षेत्र के अधिक विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरूआत आदि। राजकोषीय समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में रेखांकित किए गए उपायों में शामिल हैं—डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की घोषणा, निवेश के माहौल (मल्टी-ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण) को मजबूत बनाने के उपाय। इन से बाजार में फिर से विश्वास बनाने तथा विकास गति के बहाल होने की आशा है।

[अनुवाद]

भारत में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था

1285. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को देश में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था की अनुमति देने के लिहाज से कानूनों का पुनर्गठन करने या उनमें संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में इस्लामिक बैंकिंग के गठन का कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। आरबीआई का मत है कि एक उपयुक्त कानूनी, विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को अपनाने के पश्चात ही देश में शरिया सम्मत बैंकिंग सेवाएं आरंभ की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्

1286. श्री दुष्यंत सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर) समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस) योजना का नियमित मूल्यांकन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान सहित देश में उक्त योजना का प्रभाव और बढ़ाने तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) वर्ष 2009 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 2009 के दौरान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा का मूल्यांकन कराया गया। उक्त मूल्यांकन के ड्राफ्ट रिपोर्ट का अगस्त 2010 में योजना आयोग द्वारा प्रचार किया गया जिसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए इस पर विस्तृत टिप्पणी की। ड्राफ्ट रिपोर्ट में निहित कुछ उपलब्धियों में तथ्यात्मक विसंगतियों पाई जाने के कारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं था। ड्राफ्ट रिपोर्ट में पाए गए मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है—

i. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के वितरण रजिस्टर में रिकार्ड किए गए कुल बच्चों में से लगभग दो तिहाई (64%) बच्चों को पूरक पोषण (पूरे 300 दिन के लिए नहीं) प्राप्त हुआ। एक महीने मे 25 दिनों में मानक के स्थान पर औसतन, महीने मे 16 दिन उनको भोजन प्राप्त हुआ।

ii. कुल चुने हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 42.5% के पास उनका भवन है, 17.4% किराए के भवन में है, 17.3% प्राइमरी स्कूल में स्थित हैं और अन्य 22.9% आंगनवाड़ी, कार्यकर्ताओं के घरों, पंचायतों और सामुदायिक भवनों से चलाई जा रही हैं।

iii. देश भर में कुल लगभग 87% आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने का पानी उपलब्ध पाया गया।

iv. चुने गए आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 69% केन्द्रों के पास बच्चे का वजन लेने वाला स्केल क्रियाशील पाया गया।

v. चुने गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से लगभग 94% स्कूल पूर्व शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पाए गए।

vi. लगभग 40% आंगनवाड़ी केन्द्रों को पंचायत से कुछ सहायता प्रापत करते हुए पाया गया जिसमें लगभग 36% मानीटरिंग में और 34% अवसंरचना प्रदान करने में सहायता प्राप्त कर रहे थे। लगभग 70% सामुदायिक नेताओं ने महसूस किया कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम समुदाय के लिए बहुत ही उपयोगी थी।

vii. अनुसंधान टीम द्वारा किए गए तीन आकस्मिक दौरों के आधार पर 3-6 वर्ष के बच्चों की औसत उपसिीति 14 पाई गई।

viii. केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में विभिन्न तीव्रता के अभीष्ट व्यवहारिक परिवर्तन पाए गए। सामान्यत: जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान की प्रक्रिया समेकित बाल विकास सेवा लाभार्थियों के मध्य अधिक व्यापक पाई गई।

ix. समेकित बाल विकास सेवा ने लाभार्थियों में औपचारिक स्कूल नामांकन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और शुरूआत में ही स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति में कमी की है।

x. राष्ट्रीय स्तर पर, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम ने विशेष रूप के खसरा टीकाकरण सहित अन्य प्रतिरक्षणों को शामिल किया है।

स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्कीम के सर्वव्यापीकरण के कारण यह बहुत लोगों तक पहुंच रही है जिसके कारण प्रचलनात्मक, कार्यक्रम संबंधी और अन्य सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। रिपोर्ट की उपलब्धियों के बावजूद भारत सरकार ने राजस्थान सहित देश में बेहतर कार्यक्रम निष्पादन एवं प्रभाव को ध्यान में रखते ही उपरोक्त क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्रों में कुछ मुख्य कमियों तथा चुनौतियों को दूर करने के लिए आईसीडीसएस के पुर्नगठित एवं सुदृढ़ीकरण में व्यापक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है क्योंकि आईसीडीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

कृषि ऋण की माफी

1287. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की किसानों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को माफ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऋण माफी योजना के तहत, आज की तारीख तक, राज्य-वार और बैंक-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम (एडीब्ल्यूडीआरएस), 2008 क्रियान्वित की है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 01 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 के बीच किसानों को संवितरित सभी प्रकार के ऐसे कृषि ऋण स्कीम के अंतर्गत ऋण माफी/ऋण राहत के लिए पात्र थे जो 31 दिसंबर 2007 की स्थिति के अनुसार बाकी थे और 28 फरवरी 2008 तक अदत्त थे। स्कीम का ऋण माफी भाग 30.6.2008 को समाप्त हो गया। स्कीम को ऋण राहत भाग 30.6.2010 को समाप्त हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संदर्भ में स्कीम के क्रियान्वयन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत 3.73 करोड़ किसानों को कुल मिलाकर 52,259.86 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।

विवरण-I

20 नवंबर 2012 की स्थिति के अनुसार

एडीब्ल्यूडीआरएस 2008 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को अवमुक्त ऋण राहत जीआर दावों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/बैंकों के नाम	ऋण में माफी		डीडब्ल्यू जीआरएम		ऋण में राहत		डीआर जीआरएम		कुल	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	समेकित स्थिति										
	एससीबी	11093965	1555283	107271	6399.07	1769262	265083.2	0	1465.23	12970498	1828230.3
	एलएलडीबी	1688577	337409.5	24238	5087.52	254730	41813.16	221	27.07	1967766	384337.2
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	3361766	603006.4	12470	2632.77	500884	91381.85	2340	345.32	3877460	697366.34
	कुल	16144308	2495699	143979	14119.36	2524876	398278.2	13645	1837.62	18826808	2909933.8
1.	**अंडमान और निकोबार**										
	एससीबी	715	80.38	0	0	0	0			715	80.38
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप योग	715	80.38	0	0	0	0	0	0	715	80.38
2.	**आंध्र प्रदेश**										
	एससीबी	2487188	346050.3	228	82.08	261681	32081.44			2749097	378213.77

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	एसएलडीबी (आंध्र प्रदेश में कोई एलड़ीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	535066	100825.4	51	6.49	107532	19645.26			642649	120477.15
	उप जोड़	3022254	446875.7	279	88.57	369213	51726.7	0	0	3391746	498690.92
3.	**अरुणाचल प्रदेश**										
	एससीबी	11320	237.05	0	0	29	5.34			11349	242.39
	एसएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	1013	235.12	37	17.27	0	0			1050	252.39
	उप जोड़	12333	472.17	37	17.27	29	5.34	0	0	12399	494.78
4.	**असम**										
	एससीबी	13576	867.86	0	0	19	5.36			13595	873.22
	एलएलडीबी	95	48.38	0	0	13	2.68			108	51.06
	आरआरबी	72253	8188.57	0	0	681	66.81			72934	8255.38
	उप जोड़	85924	9104.81	0	0	713	74.85	0	0	86637	9179.66
5.	**बिहार**										
	एससीबी	317028	33783.51	4673	624.48	0	0	0	0	321701	34407.99
	एलएलडीबी	15583	3458.8	0	0	324	202.13	0	0	15907	3660.93
	आरआरबी	449669	77650.95	5	80.61	14701	2344.2	2228	325.3	466603	80401.06
	उप जोड़	782280	114893.3	4678	705.09	15025	2546.33	2228	325.3	804211	118469.98
6.	**दिल्ली**										
	एससीबी	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप जोड़	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
7	गोवा										
	एससीबी	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप जोड़	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
8	गुजरात										
	एससीबी	314519	77986.41	0	20.7	128148	29872.08			442667	10787918
	एलएलडीबी	9941	4680.91	0	0	0	3081.29			9941	7762.2
	आरआरबी	28709	4772.67	8	7.15	10425	2062.43			39142	6842.25
	उप जोड़	353169	87439.99	8	27.85	138573	35015.8			491750	122483.63
9	हरियाणा										
	एससीबी	261229	82961.04	164	43.63	91582	16180.97			352975	99185.64
	एलएलडीबी	49316	19502.66	19	102.69	10101	2056.3			59436	21661.65
	आरआरबी	18991	6875.07	28	17.05	7423	2402.53			26442	9294.65
	उप जोड़	329536	109338.8	211	163.37	109106	20639.8			438853	130141.94

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
10	हिमाचल प्रदेश										
	एससीबी (1195 पीएससी सहित)	113836	16689.9	64	20.64	567	123.98			114467	16834.52
	एलएलडीबी	10986	3897.64	0	0	1060	224.76			12046	4122.4
	आरआरबी	8294	1594.96	1	0.46	133	18.37			8428	1613.79
	उप जोड़	133116	22182.5	65	21.1	1760	367.11			134941	22570.71
11.	जम्मू और कश्मीर										
	एससीबी	17929	2742.71	0	0	0	0			17929	2742.71
	एलएलडीबी	576	443.55	0	0	72	19.68			648	463.23
	आरआरबी	5414	1054.91	0	0	0	0			5414	1054.91
	उप जोड़	23919	4241.17	0	0	72	19.68			23991	4260.85
12.	झारखंड										
	एससीबी	36736	4930.3	0	0	0	0			36736	4930.3
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	168733	14018.35	52	2.26	2680	215.03			171465	14235.64
	उप जोड़	205469	18948.65	52	2.26	2680	215.03			208201	19165.94
13.	कर्नाटक										
	एससीबी	164964	30715.88	9998	3447.25	20005	2441.31			194967	36604.44
	एलएलडीबी	77456	9057.36	501	19.52	25780	3000.82			103737	12077.7
	आरआरबी	239423	67485.87	240	82.79	135125	24077.86			374788	91646.52
	उप जोड़	481843	107259.1	10739	3549.66	180910	29519.99			673492	140328.66

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
14	केरल										
	एससीबी	524753	91659.17	73576	448.5	2347	667.72			600676	92775.39
	एलएलडीबी	126723	18196.36	0	0	3640	594.16			130363	18790.52
	आरआरबी	126650	36136.69	17	10.86	1130	289.06			127797	36436.61
	उप जोड़	778126	145992.2	73593	459.36	7117	1550.94			858836	148002.51
15.	मध्य प्रदेश										
	एससीबी	870103	100567	0	0	158037	18160.02			1028140	118727.06
	एलएलडीबी	115394	33233.21	1103	585.87	43311	6655.71			159808	40474.79
	आरआरबी	77188	16185.87	1517	383.23	41084	7652.06			119789	24221.16
	उप जोड़	1062685	149986.1	2620	969.1	242432	32467.79			1307737	183423.01
16.	छत्तीसगढ़										
	एससीबी	270165	18244.78	1463	0	93812	8752.02	0	0	365440	26996.8
	एलएलडीबी	10226	1869.04	582	79.13	4869	924.62	221	27.07	15898	2899.86
	आरआरबी	52147	6843.52	2	0.43	9718	1667.98	2	0.54	61869	8512.47
	उप जोड़	332538	26957.34	2047	79.56	108399	11344.62	223	27.61	443207	38409.13
17.	महाराष्ट्र										
	एससीबी	2197706	374926	1492	398.77	647072	109272.3			2846270	484597,02
	एलएलडीबी	98687	29230.36	0	9.3	37834	4403.66			136521	33643.32
	आरआरबी	72044	12010.33	455	78.36	38597	7218.14			111096	19306.83
	उप जोड़	2368437	416166.7	1947	486.43	723503	120894.1			3093887	537547.17
18.	मणिपुर										
	एससीबी	41210	2019.53	0	0	105	4.12			41315	2023.65
	एलएलडीबी	30	21.2	23	15.17	2	0.58			55	36.95

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	आरआरबी	16780	221.8	0	0	32	7.24			16812	229.04
	उप जोड़	58020	2262.53	23	15.17	139	11.94			58182	2289.64
19. मेघालय											
	एससीबी	4855	500.08	0	0	20	3.61			4875	503.69
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	5673	843.4	0	0	5	0.16			5678	843.56
	उप जोड़	10528	1343.48	0	0	25	3.77			10553	1347.25
20. मिजोरम											
	एससीबी	1552	439.44	0	0	0	0			1552	439.44
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	5510	1358.04	0	0	310	7.98			5820	1366.02
	उप जोड़	7062	1797.48	0	0	310	7.98			7372	1805.46
21. नागालैंड											
	एससीबी	10813	1072.94	0	0	0	0			10813	1072.94
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	1091	191.68	0	0	5	1.93			1096	193.61
	उप जोड़	11904	1264.62	0	0	5	1.93			11909	1266.55
22. पुदुचेरी											
	एससीबी	6713	1344.09	0	0	129	13.13			6842	1357.22
	एलएलडीबी	303	172.12	0	0	0	0			303	172.12

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	आरआरबी	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप जोड़	7016	1516.21	0	0	129	13.13			7145	1529.34
23.	ओडिशा										
	एससीबी	1035686	126079.5	186	125.99	14798	1728.74	11084	1465.23	1061754	129399.43
	एलएलडीबी	92130	13458.13	3583	711.98	1834	229.71			97547	14399.82
	आरआरबी	325836	40536.3	6544	815.41	14736	2308.37			347116	43660.08
	उप जोड़	1453652	180073.9	10313	1653.38	31368	4266.82	11084	1465.23	1506417	187459.33
24.	पंजाब										
	एससीबी	89934	24117.83	1	0.56	12932	2007.01			102867	26125.4
	एलएलडीबी	26313	12498.19	0	0	25249	4497.05			51562	16995.24
	आरआरबी	6	2260.06	5	5.82	2564	728.85			2575	2994.73
	उप जोड़	116253	38876.08	6	6.38	40745	7232.91			157004	46115.37
25.	राजस्थान										
	एससीबी	378957	57040.73	1182	205.62	284565	37973.32	0	0	664704	95219.67
	एलएलडीबी	109768	29056.18	1429	434.71	54413	9809.18	0	0	165610	39300.07
	आरआरबी	113816	24465.79	109	39.75	39930	7918.71	1	0.2	153856	32424.45
	उप जोड़	602541	110562.7	2720	680.08	378908	55701.21	1	0.2	984170	166944.19
26.	तमिलनाडु										
	एससीबी	90264	12538.1	3	0.79	13442	1806.07			103709	14344.96
	एलएलडीबी	0	0	0	0	0	0			0	0
	बारआरबी	41991	6345.39	6	0.64	5641	916.11			47638	7262.14
	उप जोड़	132255	18883.49	9	1.43	19083	2722.18			151347	21607.1
27.	सिक्किम										
	एससीबी	529	82.69	0	0	7	1.5			536	84.19
	एलएलडीबी (कोई एलडीबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट	ठ
	आरआरबी (कोई आरआरबी नहीं)	0	0	0	0	0	0			0	0
	उप जोड़	529	82.69	0	0	7	1.5			536	84.19
28. त्रिपुरा											
	एससीबी	18553	3199.21	0	25.12	0	0			18553	3224.33
	एलएलडीबी	987	250.4	0	0	5	0.58			992	250.98
	आरआरबी	7280	638.66	0	0	24	2.34			7304	641
	उप जोड़	26820	4088.27	0	25.12	29	2.92			26849	4116.31
29. उत्तर प्रदेश											
	एससीबी	1067922	79423.3	1793	137.51	37684	3622.92	0	0	1107399	83183.73
	एलएलडीबी	894908	149208	16996	3128.48	46079	6090.92	0	0	957983	158427.39
	आरआरबी	844366	157524	3364	1079.13	67165	11632.19	109	19.28	915004	170254.61
	उप जोड़	2807196	386155.3	22153	4345.12	150928	21346.03	109	19.28	2980386	411865.73
30. उत्तराखंड											
	एससीबी	72048	6932.04	37	6.22	1661	198.98			73746	7137.24
	एलएलडीबी	0	0	0	0	0	0			0	0
	आरआरबी	9790	1273.71	0	0	725	96.93			10515	1370.64
	उप जोड़	81838	8205.75	37	6.22	2386	295.91			84261	8507.68
31. पश्चिम बंगाल											
	एससीबी	669802	57318.18	12410	811.07	389	95.42			682601	58224.67
	एलएलडीबी	49155	9126.97	2	0.67	144	19.33			49301	9146.97
	आरआरबी	134033	13469.3	29	5.06	518	101.31			134580	13575.67
	उप जोड़	852990	79914.45	12441	816.8	1051	216.06			866482	80947.31
	तंदक कुल	16144308	2495699	143979	14119.36	2524876	398278.2	13645	1837.62	18826808	2909933.8

अनंतिम आंकड़े बैंकों से प्राप्त धन वापसी और संवितरण के कारण संशोधन के अध्यधीन

डीब्ल्यू जीआरएम-शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत ऋण माफी

डीआरजीआरएम-शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत ऋण राहत

विवरण-II

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति

(खातों की संख्या हजार में) और धनराशि वास्तविक रुपए में

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	कुल खाते	प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए	कुल खाते	प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए	कुल रिफंड	शुद्ध प्रदत्त डीडब्ल्यू+ प्रदत्त डीआर
1	2	3	4	5	6	7	8
	बैंकवार आंकड़े एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008						
1.	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़	2429.25	53,29,44,10,382.05	714.70	14,76,86,52,783.05	0.00	68,06,30,63,165.10
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1986.66	4,16,30,93,370.25	109.50	2,61,42,56,324.50	0.00	6,77,73,49,694.75
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	293.82	5,44,29,78,988.00	84.67	1,69,25,86,220.00	0.00	7,13,55,65,208.00
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	307.93	1,61,47,16,193.9	52.64	1,16,66,45,754.82	0.00	2,78,13,61,948.77
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	750.90	2,43,54,88,153.00	27.06	76,12,16,165.00	0.00	3,19,67,04,318.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	38.29	1,43,43,54,715.70	34.04	65,86,90,164.85	0.00	2,09,30,44,880.55
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर	118.76	3,27,91,88,533.00	6.21	15,18,19,223.00	0.00	3,43,10,07,756.00
8.	इलाहाबाद बैंक	428.50	10,44,26,60,746.95	89.44	1,92,78,55,766.10	0.00	12,37,05,16,513.05
9.	आंध्रा बैंक	397.84	7,47,00,13,355.00	78.45	1,51,81,20,961.75	0.00	8,98,81,34,316.75
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	554.03	5,06,03,67,844.00	64.84	1,33,38,75,904.00	9,22,699.00	6,39,33,21,049.00
11.	बैंक ऑफ इंडिया	339.92	6,39,21,85,943.78	71.71	1,62,51,03,267.00	0.00	8,01,72,89,210.78

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.58	2,19,28,06,730.75	39.32	82,00,85,639.00	0.00	3,01,28,92,369.75
13.	केरना बैंक	1148.58	12,63,06,60,238.25	69.79	1,75,22,31,280.48	0.00	14,38,28,91,518.73
14.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	449.98	9,83,39,08,201.00	87.21	2,01,94,75,756.00	0.00	11,85,33,83,957.00
15.	कार्पोरेशन बैंक	42.76	1,14,58,67,302.00	13.95	34,88,53,971.00	0.00	1,49,47,21,273.00
16.	देना बैंक	54.55	77,17,48,896.00	18.31	46,54,24,050.00	27,77,376.00	1,23,43,95,570.00
17.	आईडीबीआई बैंक लिः	11.27	27,32,13,581.00	4.11	8,22,43,008.20	3,06,050.00	35,51,50,539.20
18.	इंडियन बैंक	582.87	4,60,28,70,616.00	30.42	64,31,71,482.00	0.00	5,24,60,42,098.00
19.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	2265.00	5,83,29,73,187.00	50.17	92,08,39,088.00	0.00	6,75,38,12,275.00
20.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	98.30	3,70,22,40,045.00	64.65	94,31,33,363.65	0.00	4,64,53,73,408.65
21.	पंजाब नैशनल बैंक	339.40	11,47,27,84,863.00	98.04	2,79,57,82,863.70	2,67,29,431.27	14,24,18,38,295.43
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	15.38	47,73,77,955.00	5.71	16,46,43,567.00	0.00	64,20,21,522.00
23.	सिंडीकेट बैंक	293.25	7,37,05,39,664.15	84.66	1,82,32,28,324.75	0.00	9,19,37,67,988.90
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	275.94	7,38,86,44,112.25	57.89	1,44,04,54,659.85	0.00	8,82,90,98,772.10
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	144.94	2,11,19,44,545.00	1857.17	3,15,92,592.00	0.00	2,14,35,37,137.00
26.	यूको बैंक	252.35	5,37,71,02,680.00	24.24	53,96,56,042.69	0.00	5,91,67,58,722.69
27.	विजया बैंक	47.96	1,47,96,40,196.25	15.24	40,39,17,320.00	50,43,443.21	1,87,85,14,073.04
	कुल	13755.01	1,77,69,37,81,038.33	3854.11	43,41,35,55,542.39	3,57,78,999.48	2,21,07,15,57,581.24

1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक						
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17.10	5,31,20,868.00	0.69	1,26,32,315.00	93521.00	6,56,59,662.00
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	1.55	2,59,64,879.99	45.00	19,85,325.00	0.00	2,79,50,204.99
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	5.61	9,75,82,109.65	0.69	1,46,01,177.50	0.00	11,21,83,287.15
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.15	4,35,54,034.28	0.06	17,29,584.83	0.00	4,52,83,619.11
5.	फेडरल बैंक लि.	18.77	1,05,71,41,431.00	2.56	20,35,24,215.00	0.00	1,26,06,65,646.00
6.	एचडीएफसी बैंक लि.	0.43	2,91,73,542.00	0.89	4,11,33,578.00	0.00	7,03,07,120.00
7.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	672.03	2,54,95,61,028.45	16.20	21,35,93,478.90	20000.00	2,76,31,34,507.35
8.	कर्नाटक बैंक लि.	9.03	23,21,27,161.15	3.81	10,78,26,606.88	0.00	33,99,53,768.03
9.	करुर वैश्या बैंक लि.	16.60	34,74,91,744.89	2.47	2,41,87,515.85	10952985.65	36,07,26,275.09
10.	कोटेक महिन्द्र बैंक लि.	0.18	50,53,294.99	0.06	8,92,168.00	0.00	59,45,462.99
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.48	17,58,99,020.00	2.38	3,70,59,058.00	0.00	21,29,58,078.00
12.	नैनीताल बैंक लि.	0.99	2,62,51,110.00	0.69	70,30,092.00	246647.00	3,30,34,555.00
13.	रत्नाकर बैंक लि.	1.10	2,99,62,591.00	0.00	1,07,15,931.00	0.00	4,06,78,522.00
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	4.90	9,52,48,747.99	0.39	1,11,51,282.00	0.00	10,64,00,029.99
15.	तमिलनाडु मर्क बैंक लि.	4.18	6,86,30,891.00	2.09	2,97,39,481.00	706908.99	9,76,63,463.01
16.	एक्सिस बैंक लि.	6.75	48,12,39,173.35	7.05	21,03,39,142.05	302035.92	69,12,76,279.48

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14.74	38,73,35,658.00	6.29	14,79,68,762.45	24422.00	53,52,79,998.45
18.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	8.25	20,59.60,974.00	0.44	1,48,08,204.80	0.00	22,07,69,178.80
	कुल	793.85	5,91,12,98,259.74	91.75	1,09,09,17,918.26	12346520.56	6,98,98,69,657.44
	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का नाम	खातों की संख्या	प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए	खातों की संख्या	प्रदत्त कुल ऋण राहत रुपए	कुल रिफंड	शुद्ध प्रदत्त डीडब्ल्यू+ प्रदत्त डीआर
1.	सुभद्रा लोक एरिया बैंक लि.	0.04	10.73,666.00	0.01	4,62,368.00	154963.00	13,81,071.00
2.	कोस्टल लोकल बैंक लि.	0.11	17,37,035.77	0.01	1,90,433.00	0	19,27,468.77
3.	कृष्णा भीम समृद्धि बैंक लि.	2.08	93,30,193.77	0.03	2,98.597.00	0	96,28,790.77
4.	कैपिटल लॉकल एरिया बैंक लि.	0.00	0.00	0.05	52,49,942.00	0.00	52,49,942.00
	कुल	2.23	1,21,40,895.54	0.11	62,01,340.00	1,54,963.00	1,81,87,272.54
	शहरी सहकारी बैंक	लागू नहीं	3,52,24,54,853.33	लागू नहीं	185749591.50	18,25,59,931.44	3,52,56,44,513.39
	कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		प्रदत्त कुल ऋण माफी रुपए		प्रदत्त कुल ऋण राहत रुपए	कुल रिफंड	शुद्ध प्रदत्त डीडब्ल्यू+ प्रदत्त डीआर
			1,87,13,96,75,046.94		44,69,64,24,392.15	23,08,40,414.48	2,31,60,52,59,024.61

राष्ट्रीय जनजातीय शिक्षा विकास आयोग

1288. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातियों को उनकी आंचलिक भाषा में तकनीकी तथा आयुर्विज्ञान एवं प्रबंधन से जुड़े विषयों की शिक्षा देने के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिहाज से राष्ट्रीय जनजातीय शिक्षा विकास आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में व्यय की गई निधियां

1289. श्री संजय निरुपम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक मंत्रालय ओर इसके विभिन्न संगठनों द्वारा महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई के लिए आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये निधियां किस प्रयोजन हेतु आबंटित/व्यय की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निधियों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित मांग सं. 35 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में मुंबई सहित महाराष्ट्र को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि दर्शाने वाला एक तालिका संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक महाराष्ट्र को अल्पकालिक कॉ-ओपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर पुनरूद्धार पैकेज के अंतर्गत पुनः पूंजीकरण के रूप में 594.97 करोड़ रुपए और अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण के अंतर्गत 189.31 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) समग्र और अंतर राज्यीय विकास प्राथमिकताओं और राज्यों की अवशोषी क्षमता के जारी मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अंतर्गत पारस्परिक योजना प्राथमिकताओं को उचित महत्व देते हुए राज्यों के विकास प्रयासों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

विवरण

वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 35 के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान महाराष्ट्र को आबंटित/जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपए)

		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	26.11.2012 की स्थिति के अनुसार जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	**योजना सहायता**								
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	577.85	529.70	642.70	589.16	687.78	630.46	773.24	515.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए एसीए	1700.00	1429.44	2200.00	2069.06	1941.17	1301.91	2400.00	178.84
3.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एसीए	161.27	109.68	57.03	66.47	57.03	24.99	57.03	1.88
4.	अन्य परियोजनाओं के लिए एसीए/एक बारगी एसीए***	82.50	329.40	82.50	82.50	90.00	164.66	90.00	0.00
5.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए एसीए	407.58	415.40	444.33	285.73	417.20	205.06	683.47	438.66
6.	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए एससीए	35.60	35.60	39.56	35.60	39.32	39.32	39.46	29.59
7.	जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के लिए एसीए****	2512.00	1367.67	2700.00	1044.54	2889.00	1507.18	1907.11	454.97
8.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के लिए एसीए	12.83	0.00	16.44	13.12	9.57	0.00	8.15	0.00
9.	बृहन मुंबई बाढ़ जल निकासी परियोजना के लिए एसीए	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	एकीकृत कार्य योजना के लिए एसीए	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	40.00
	जोड़ (अ) : योजना सहायता	5489.63	4716.89	6182.56	4186.18	6191.07	3923.58	6018.46	1659.43
ब	**वित्त आयोग के अंतरण**								
1.	स्थानीय निकाय अनुदान	554.80	792.10	805.96	805.95	1368.67	1402.38	1862.18	462.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/आकस्मिक राहत कोष	203.21	488.90	332.02	366.01	348.62	140.32	366.05	174.30
3.	क्षमता निर्माण	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
4.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष:	0.00	182.10	0.00	310.48	0.00	0.00	0.00	574.71
5.	सड़कों और पुलों का अनुरक्षण	297.42	297.42	0.00	0.00	470.00	470.00	504.00	504.00
6.	वन अनुरक्षण	14.00	14.00	38.70	38.70	38.70	38.70	77.40	0.00
7.	जल क्षेत्र प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00
8.	राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं	75.00	105.00	0.00	0.00	308.75	283.97	308.75	0.00
9.	शिक्षा क्षेत्र/प्राथमिक शिक्षा	0.00	0.00	131.00	131.00	140.00	140.00	149.00	0.00
10.	निम्नलिखित के परिणाम में सुधार:–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(क) न्याय प्रणाली में सुधार	0.00	0.00	108.53	108.53	108.53	54.27	108.53	0.00
	(ख) विशेष पहचान पत्र जारी किए जाने के लिए प्रोत्साहन	0.00	0.00	63.48	31.74	63.48	0.00	63.48	0.00
	(ग) जिला नवाचार कोष	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
	(घ) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7ए00	7.00	0.00
	(ङ) कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	सार्वजनिक भवनों का अनुरक्षण	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	विरासत संरक्षण	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़ (ब) : वित्त आयोग के अंतरण	1212.84	1904.52	1494.19	1799.91	2968.25	2633.64	3560.89	1715.57
	कुल जोड़ (अ+ब)	6702.47	6621.41	7676.75	5986.09	9159.32	6557.22	9579.35	3375.00

*:एसीए- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

:विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए ऋण अंश को छोड़कर

**:एसीसीए- विशेष केन्द्रीय सहायता

:राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते क्योंकि धनराशि का जारी किया जाना आपदा/परियोजना की प्रगति से जुड़ा है।

***गत तीन वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में मुंबई/बृहन मुंबई के लिए एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत जारी की गई परियोजना से जुड़ी 311.10 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

****गत तीन वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में मुंबई/बृहन मुंबई के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत जारी की गई परियोजना से जुड़ी 872.07 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता

1290. **डा. संजय जायसवाल : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लेह, लद्दाख और लाहौल स्पीति क्षेत्र वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु श्रेष्ठ सौर आतपन प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने के लिए कोई वास्तविक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रचालनात्मक स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। लेह, लद्दाख और लाहौल स्पीति क्षेत्र देश के सर्वाधिक सौर आतपन प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। देश के अधिकांश भाग जहां औसतन 3-5 किलोवाट घंटा/वर्गमीटर/दिन आतपन प्राप्त करते हैं वहीं लेह क्षेत्र औसतन 5 किलोवाट घंटा/वर्गमीटर/दिन से अधिक सोर आतपन प्राप्त करता है।

(ग) और (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लद्दाख क्षेत्र में डीजल पर निर्भरता को कम से कम करने और स्थानीय अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'लद्दाख अक्षय ऊर्जा पहल' नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत, लघु/माइक्रो हाइडल तथा सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं/प्रणालियों के माध्यम से विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जल तापन/स्थल तापन/कुकिंग संबंधी जरूरतों के लिए सौर तापीय प्रणालियों का उपयोग करने का प्रयास है। इस परियोजना में इस क्षेत्र के 70 गांवों और 120 संस्थानों में सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना और वितरण करनने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कुल 23.8 मेगावाट क्षमता की 30 लघु/मिनी हाइडल परियोजनाओं की संस्थापना करना भी है। यह परियोजना 1 जून, 2010 से कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा योजना

1291. **श्री विश्व मोहन कुमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार सहित विभिन्न राज्यों में नई स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित/सम्मिलित किए जाने वाले राज्यों की संख्या सहित इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

शिशुओं हेतु विशेष देखभाल केन्द्र

1292. **श्री रमाशंकर राजभर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जिला अस्पतालों में शिशुओं हेतु विशेष देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने नवजात शिशुओं के जीवन को बचाया गया है;

(घ) क्या इन विशेष देखभाल केंद्रों के कार्यकरण में कमियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी हां।, एनआरएचएम के तहत जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में विशिष्ट नवजात परिचर्या इकाइयां (एसएनसीयू) स्थापित हैं वर्तमान समय में पूरे देश में 399 एसएनसीयू क्रियाशील हैं। एसएनसीयू का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) वर्ष 2011 से एसएनसीयू से रिपोर्टिंग आरंभ हुई। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान भर्ती और मृत नवजातों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्रम सं.	भर्ती मामले	मृत
2011	3,08,999	34,641
2012 (जून, 2012 तक)	1,37,740	16,335

(घ) मंत्रालय को राज्यों से कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, केंद्रीय दल द्वारा किए गए दौरों के दौरान पाई गई कमियां निम्नलिखित रूप में हैं—

- इन विशिष्ट नवजात परिचर्या इकाइयों को संचालित करने में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की अनुपलब्धता राज्यों के लिए एक बड़ी समस्या है।
- उपस्करों की प्राप्ति और उनका रखरखाव भी कुछ राज्यों के लिए एक समस्या है।
- स्टैंडर्ड उपचार का पालन करने में विफलता और संक्रमण नियंत्रण नयाचार।
- राज्य स्तर पर निगरानी और मानीटरिंग कार्रवाई का अभाव।
- परिचर्या के विविध स्तरों पर न्यूनतम रेफरल लिंकेजेज की स्थिति।

(ङ) एसएनसीयू में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) एसएनसीयू के लिए प्रचालनीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और सभी राज्यों को वितरित किए गए हैं।

(2) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण किया जाता है।

(3) एसएनसीयू से प्राप्त आंकड़ों की मासिक समीक्षा की जाती है।

(4) केंद्रीय दल द्वारा नियमित मानीटरिंग और क्षेत्र के दौरे होते हैं।

5) अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा जन शक्ति को भाड़े पर लेने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की जाती है।

6) सभी नवजातों को नि:शुल्क नैदानिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए जेएसएसके योजना कार्यान्वित हो रही है।

विवरण

राज्यवार नवजात परिचर्या सुविधाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	एसएनसीयू की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	11
2.	छत्तीसगढ़	2
3.	हिमाचल प्रदेश	4
4.	जम्मू व कश्मीर	9
5.	झारखंड	2
6.	मध्य प्रदेश	39
7.	ओडिशा	21
8.	राजस्थान	36
9.	उत्तर प्रदेश	7
10.	उत्तराखंड	2
11.	अरुणाचल प्रदेश	2
12.	असम	16
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	1
15.	मिजोरम	1
16.	नागालैंड	1
17.	सिक्किम	2
18.	त्रिपुरा	2
19.	आंध्र प्रदेश	19
20.	गोवा	3
21.	गुजरात	33
22.	हरियाणा	13
23.	कर्नाटक	33
24.	केरल	17
25.	महाराष्ट्र	34
26.	पंजाब	0
27.	तमिलनाडु	47
28.	पश्चिम बंगाल	21
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	3
31.	दादरा एवं नगर हवेली	1
32.	दमन एवं दीव	1
33.	दिल्ली	11
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	4
	भारत	399

[अनुवाद]

राज्यों का ऋण भार

1293. **श्री पी.टी. थॉमस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के ऋण भार की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण की अदायगी हेतु राजस्व घाटा झेल रहे राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) तेरहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में वार्षिक ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें उसकी अधिनिर्णय अवधि 2015-15 में जारी रखा जाना है। राज्यों को, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सीधी राज्यों द्वारा अधिनियमित/संशोधित अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायितव एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों के तहत अपनी देयताएं मॉनीटर करनी हैं। जैसा कि वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों के बजट अनुमानों से पता चलता है, वर्ष 2012-13 के अंत में सभी राज्यों के अनुमानित बकाया ऋण और अन्य देयताएं, वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित ऋण/जीएसडीपी अनुपात और निर्धारित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

तेरहवें वित्त आयोग ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2007-08 में सामान्य श्रेणी के तीन राज्यों को राजस्व घाटा हुआ था। तदनुसार, तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए और सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों जिन्हें वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त करना है और वर्ष 2011-12 तक 3% का राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी अनुपात प्राप्त करना है, की तुलना में वर्ष 2013-14 तक राजकोषीय घाटे/जीएसडीपी अनुपात को 3% तक लाने के लिए इन तीनों राज्यों हेतु राजकोषीय सुधार का मार्ग निर्धारित किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार ऋण राहत उपाय किए जाते हैं। बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत राज्यों द्वारा अनुबंधित वित्त मंत्रालय के 122348 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋणों को 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि के लिए समेकित किया गया और 2005-06 से 2009-10 तक पात्र राज्यों के 19726 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अधिनिर्णय अवधि (2010-15) के लिए की गई सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय से इतर मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को दिए गए और वर्ष 2009-10 के अंत में बकाया, 2050 करोड़ रुपए के ऋण भी 31.03.2012 तक माफ किए जा चुके हैं।

तेरहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि वर्ष 2006-07 तक अनुबंधित और राज्यों के एफआरबीएमए के अधिनियमन/संशोधन के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में बकाया, राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋणों पर ब्याज दरों को 9 प्रतिशत की समान दर पर पुनर्निर्धारित किया जाए। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, राज्यों को इस ऋण पर वर्ष 2010-15 के दौरान 13,517 करोड़ रुपए की ब्याज राहत मिलने की संभावना है। तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि से आगे जारी रहने पर यह लाभ, इसके दायरे में आने वाले अंतिम ऋण की परिपक्वता तक 28,360 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के लिए राज्य-वार अनुमानित बकाया ऋण और अन्य देयताएं

क्र.सं.	राज्य	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (%)	वर्ष 2012-13 के अंत में अनुमानित ऋण और अन्य देयताएं	
			राशि (करोड़ रुपए में)	ऋण/जीएसडीपी अनुपात (%)
1	2	3	4	5
सामान्य श्रेणी के राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	28.9	173155	23.4

1	2	3	4	5
2	बिहार	44.4	76718	29.1
3	छत्तीसगढ़	23.0	24116	14.7
4	गोवा	30.8	10451	23.1
5	गुजरात	28.1	169731	25.2
6	हरियाणा	22.7	59373	17.6
7	झारखंड	27.8	35088	25.2
8	कर्नाटक	25.7	114744	22.0
9	केरल	31.7	104677	29.0
10	मध्य प्रदेश	36.8	96051	28.6
11	महाराष्ट्र	25.8	273403	20.4
12	ओडिशा	30.2	46254	19.6
13	पंजाब	41	93807	34.4
14	राजस्थान	38.3	116082	30.8
15	तमिलनाडु	24.8	146409	21.2
16	उत्तर प्रदेश	45.1	272199	37.4
17	पश्चिम बंगाल	37.7	226556	37.7
	जोड़ (सामान्य श्रेणी)	31.2	2038815	26.0
विशेष श्रेणी के राज्य				
1	अरुणाचल प्रदेश	55.2	4046	39.7
2	असम	28.4	36161	27.9
3	हिमाचल प्रदेश	44.4	30081	44.7
4	जम्मू और कश्मीर	53.6	37857	63.9
5	मणिपुर	60.1	6011	53.0

1	2	3	4	5
6	मेघालय	32.3	5226	28.7
7	मिजोरम	82.9	5131	69.8
8	नागालैंड	54.9	6448	49.2
9	सिक्किम	62.1	2863	41.0
10	त्रिपुरा	44.6	7271	35.8
11	उत्तराखंड	40.0	27169	27.7
	जोड़ (विशेष श्रेणी)	40.7	168265	38.1
	जोड़ (सभी राज्य-जीएसडीपी)	31.7	2207079	26.7
	सभी राज्य-जीडीपी	25.5	–	21.7

जाली मुद्रा

1294. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री ताराचन्द्र भगोरा :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार देश में जाली नोट अप्रत्याशित दर से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2010-11 और 2011-12 की अवधि में पाए गए ऐसे नोटों की संख्या पूर्व दो वर्षों की तुलना में कितनी है और इस पर आरबीआई/सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार जाली नोटों का पता लगाने में सक्षम नोट छंटाई मशीनों में सुधार और इन्हें आधुनिक करने की भी योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों का पता लगाने में वृद्धि हुई है। पिछले चार वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा जाली नोटों का पता लगाने संबंधी आंकड़े निमनलिखित हैं:–

(पता लगाए गए नगों की संख्या)

रुपए में मूल्यवर्ग	अप्रैल, 2008 से मार्च 2009 तक	अप्रैल, 2009 से मार्च 2010 तक	अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 तक	अप्रैल, 2011 से मार्च 2012 तक
1	2	3	4	5
10	68	159	139	126

1	2	3	4	5
20	341	175	126	216
50	12,792	13,579	10,962	12,457
100	1,33,314	1,42,781	1,24,219	1,23,398
500	2,19,739	2,09,094	2,46,049	3,01,678
1000	31,857	35,688	54,112	83,280
कुल नगों में	3,98,111	4,01,476	4,35,607	5,21,155

(ग) व्यक्तियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक में संस्थापित नोट छांटने की मशीनें संदिग्ध जाली नोटों का पता लगाने में सक्षम है।

विवरण

व्यक्तियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

बैंक नोटों की जालसाजी का खतरा रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक उपाय शुरू किए हैं। इसमें आम जनता और नकदी संभालने वालों के लिए शिक्षा अभियान चलाने शामिल हैं ताकि जाली नोटों का पता लगाना सुसाध्य बनाया जा सके। इस बारे में किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. जालसाजों से आगे बने रहने के लिए बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/नई डिजाइन सन्निहित करना। सभी मूल्यवर्गों में बैंक नोटों पर नई सुरक्षा विशेषताएं 2005-06 के दौरान जोड़ी गई थी।

2. बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि अपने काउंटरों/एटीएम के माध्यम से सिर्फ छटे हुए और असली नोट संवितरित करें।

3. भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और भारी नकदी संभालने वाले अन्य संगठनों के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु जाली नोटों का पता लगाने के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में आम जनता को जानकारी प्रदान करती है। अपने बैंक नोटों को जानिए के संबंध में इश्तहार बैंक शाखाओं में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। असली नोट की सुरक्षा विशेषताएं दर्शाने वाली एक फिल्म फिल्म्स प्रभाग द्वारा बनाई गई है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रदर्शनियों, बस अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त सभागारों में जारी किया गया है।

4. इस बैंक ने आरंभ में 15 अगस्त, 2010 से दूरदर्शन के चैनलों के जरिए मल्टीमिडिया, बहुभाषी जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। यह 60 सेकेंड की फिल्म "पैसा बोलता है" शीर्षक से है और इसे हिन्दी व अन्य ग्यारह भाषाओं में दिखाया जा रहा है। आम आदमी के लिए इस फिल्म का संदेश है कि बैंक नोटों की जांच करने की आदत बनाएं। यह विषय सूची www.paisaboltahai.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

शिक्षा ऋणों हेतु वहनीय ईएमआई

1295. **श्री नितयानंद प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा ऋणों हेतु बैंकों द्वारा वहनीय ईएमआई प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जनता और विद्यार्थियों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपने मॉडल शिक्षा ऋण योजना को सितंबर, 2012 में संशोधित किया है और ऋण की राशि के आधार पर पुनर्भुगतान की अवधि को 15 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है।

स्वर्ण आभूषण पर शुल्क

1296. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रांड रहित स्वर्ण आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क के कारण प्रत्याशित राजस्व की कुल राशि कितनी है;

(ख) आभूषणकारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण सीमा शुल्क, वैट और आयकर संबंधी कुल अनुमानित राजस्व हानि कितनी हुई है;

(ग) क्या आभूषणकारों द्वारा विरोध के कारण उत्पाद शुल्क को वापस लेने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्पाद शुल्क नियमों के अंतर्गत छोटे शिल्पकारों द्वारा कागजी कार्यवाही संबंधी किन परेशानियों का सामना किया जा रहा है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण के आयात पर सीमा शुल्क को कितनी बार संशोधित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) गैर ब्रांडेड स्वर्ण आभूषणों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(ख) घरेलू विनिर्मित आभूषणों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। वैट राजस्व में होने वाली हानि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वैट को लगाना और इसको वसूल करना राज्य का विषय है। स्वर्णकारों की हड़ताल के कारण आयकर में होने वाली कमी का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छोटे-छोटे शिल्पकार उत्पाद शुल्क नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ङ) चालू वर्ष में सोने के आयात के सीमा शुल्क में दो बार, 17/01/2012 को और बजट 2012-13 के दौरान, संशोधित किया गया है।

गर्भाशय निकालना

1297. **शेख सैदुल हक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार के संज्ञान में अवैध रूप से गर्भाशय निकालने के माले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल अस्पताल कौन से हैं;

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्यवाही क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए या प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों से गर्भाशय को अनावश्यक रूप से हटाने की रिपोर्टें आई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) श्रम व रोजगार मंत्रालय ने अगस्त में इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय दल भेजा था। इस उच्च स्तरीय दल की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा न होने देने के लिए राष्ट्रीय स्वस्थ बीमा योजना के अंतर्गत सभी राज्य नोडल अभिकरणों को एक परामर्श जारी किया गया है कि 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर किए जाने वाले गर्भाशय उच्छेदन के सभी ऑपरेशनों के लिए बीमा कंपनी

का पूर्व-प्राधिकार लेना आवश्यक है और नैदानिक परीक्षणों की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

छत्तीसगढ़ में सीएमएचओ, रायपुर द्वारा की गई जांच के आधार पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद ने संबंधित डॉक्टरों के पंजीकरण को आस्थगित कर दिया था। बाद में डॉक्टरों के निलंबन को इस शर्त के साथ रद्द कर दिया गया है कि वे अन्तिम निर्णय लिए जाने तक गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्सा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि गर्भाशय उच्छेदन शल्य चिकित्सा से पहले अनिवार्यतः उपयुक्त जांचें की जानी चाहिए और रोगियों के शल्य चिकित्सीय रिकार्डों को रखे जाने की जरूरत है।

आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि यदि रोगी सर्विकल इन्ट्रा-इपिथेलियल नियोप्लासिया (सीआईएन III) से पीड़ित हों और महिलाएं 40 वर्ष से अधिक आयु की हों तथा नैदानिक निष्कर्षों अथवा गर्भाशय ग्रीवा दुर्दमता से ग्रस्त हों तो गर्भाशय उच्छेदन के ऑपरेशनों की अनुमति दी जाएगी।

विवरण

गर्भाश्य को अनावश्यक रूप से निकालने संबंधी ब्यौरा

1. **बिहार:**

बिहार सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल से अनावश्यक गर्भाशय उच्छेदन की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। राज्य के जिलों में पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय स्वस्थ बीमा योजना के अंतर्गत कुल 16,765 गर्भाशय उच्छेदन की शल्य चिकित्साएं की गई हैं। ये सभी गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्साएं निजी क्षेत्र में की गई है।

राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में की गई गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्साओं की संख्या सबसे अधिक है। अतः राज्य सरकार ने इन जिलों में दो विशेष दल भेजे। इन दलों ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वस्थ बीमा योजना के कार्यान्वयन में कोई बड़ी अनियमितता नहीं थी। इन दलों ने सूचित किया है कि साक्षात्कार किए गए 42 लाभार्थियों में 32 लाभार्थी शल्य-चिकित्सा के पश्चात पूरी तरह से संतुष्ट थे जबकि 10 लाभार्थी असंतुष्ट थे। 10 असंतुष्ट लाभार्थियों में से 5 लाभार्थियों ने एक विशेष अस्पताल में शल्य-चिकित्सा करवाई थी। राष्ट्रीय स्वस्थ बीमा योजना को कार्यान्वित करने वाला राज्य श्रम विभाग ने सूचित किया है कि उन अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं जहां पर असंतुष्टि की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जिलाधीशों को इन अस्पतालों की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा है जहां पर किसी सुविधा केन्द्र में गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्साओं की दर 25% से अधिक शल्य-चिकित्साएं हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय राष्ट्रीय की शल्य चिकित्साएं हैं।स्वस्थ बीमा योजना के अंतर्गत औसतन 15% शल्य-चिकित्साएं गर्भाशय उच्छेदन की शल्य चिकित्साएं हैं।

2. **छत्तीसगढ़:**

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में अधिक संख्या में गर्भाशय उच्छेदन की शल्य चिकित्साओं की कतिपय रिपोर्टों के संबंध में सूचित किया था कि मीडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि रायपुर जिले के दो गांवों में अनावश्यक गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्साएं की जा रही थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर द्वारा अधिकृत चिकित्सीय डॉक्टरों के एक दल ने रायपुर में किए गए गर्भाशय उच्छेदन के ऑपरेशनों के 34 मामलों की जांच की थी जिनमें से 22 मामलों को प्राथमिक तौर उपयुक्त परीक्षणों के बिना ऑपरेट किए हुए पाया था। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा परिषद ने उन 9 डॉक्टरों के पंजीकरण को आस्थगित कर दिया जिनको प्राथमिक तौर पर गर्भाशय उच्छेदन के ऑपरेशन के उपर्युक्त मामलों में शामिल पाया गया थां राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि राज्य चिकित्सा परिषद ने एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति बनाई है जो उपर्युक्त मामलों की अधिक विस्तार से जांच और विश्लेषण करेगी तथा एक रिपोर्ट देगी। राज्य चिकित्सा परिषद ने अब सभी व डॉक्टरों के पंजीकरण के आस्थगन को इस शर्त के साथ रद्द कर दिया है कि संबंधित डॉक्टर तब तक गर्भाशय उच्छेदन के ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गर्भाशय उच्छेदन हेतु शल्य-चिकित्सा से पहले अनिवार्यतः उपयुक्त जांचें की जानी चाहिए तथा रोगियों के उद्यतन चिकित्सीय व शल्य-चिकित्सीय रिकार्डों को रखे जाने की जरूरत होगी।

3. आंध्र प्रदेशः

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आरोग्य श्री सामदायिक स्वस्थ बीमा योजना के अंतर्गत पैनल में रखे गए कुछ अस्पतालों अर्थात सभी गुन्टूर जिले में स्थित डॉ. अजीत रेड्डी मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल, पिडुगुरल्ला, बीएमआर अस्पताल और नन्दना मल्टी केयर अस्पताल में गर्भाशय को अनावश्यक रूप से हटाने के कतिपय मामले देखने में आए थे। इसके बाद डॉ. अंजी रेड्डी मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल को सूची से हटा दिया गया है जबकि बीएमआर अस्पताल और नन्दना मल्टी केयर अस्पताल को बीमा योजना के अंतर्गत प्रसूति व स्त्री रोग विज्ञान विशिष्टता क्रियाविधियों के लिए पैनल से हटा दिया गया है।

4. राजस्थान

राजस्थान में जिलाधीश डौसा को डौसा जिले में बांदीकुई के निजी अस्पतालों में अत्यधिक संख्या में गर्भाशय को हटाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात जिलाधीश ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की। इसके पश्चात इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए एसएमएस मेटिकल कॉलेज, जयपुर के तीन विशेषज्ञों की एक अन्य विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। रिकार्डों के अनुसार 837 गर्भाशय उच्छेदन की शल्य चिकित्साएं की गईं जिनमें से 185 ऑपरेशन 25-35 वर्षों के आयु वर्ग में बांदीकुई के 5 निजी अस्पतालों में किए गए। इन समितियों ने निष्कर्ष निकाला है कि गर्भाशय उच्छेदन की शल्य-चिकित्साएं निर्देशों के अनुसार की गईं थीं।

संदिग्ध लेनदेन

1298. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय अधिकारियों ने देश के मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में स्थित कुछ कंपनियों द्वारा संदिग्ध व्यापार लेनदेनों का ब्यौरा खोजा है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और मंत्रालय द्वारा इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या काले धन को तितर-बितर करने में अनेक जालसाज आयातक और निर्यातक पाए गए/सम्मिलित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने इनकी उपस्थिति का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो तथा राजस्व आसूचना निदेशालय अधिकारियों ने संदेहात्मक व्यापार लेनदेनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले नहीं पाये हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए "शून्य"।

(ग) जी, नहीं। उपरोक्त एजेन्सियों ने काले धन को तितर-बितर करने में जालसाज निर्यातक तथा आयातक के सम्मिलित होने के किसी मामले की जांच नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी अघोषित राशि पर कर लगाने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करती है।

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) को देखते हुए "शून्य"।

बाल गृह

1299. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में बच्चों की दयनीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)

अधिनियम, 2000 के अंतर्गत केन्द्रीय मॉडल नियमावली में अभिकल्पित देखरेख के मानकों को बनाए रखने के लिए अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना, उन्नयन और रखरखाव करने हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। नियमावली में अन्य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर, पोषण और आहार तथा शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास के उपायों हेतु मानक, विनिर्दिष्ट किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के लिए नियमित निरीक्षण तथा मानीटरन द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संस्थाएं अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार चलाई जाती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

1300. श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन संबंधी सफलताएं इस योजना के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 30,000 मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन पांच वर्षों के दौरान विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए 30,000 मेगावाट का आवंटन/ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर कितना व्यय किया जाएगा?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 29800 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता वर्धन करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें पवन से 15,000 मेगावाट, सौर से 10,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 2,100 मेगावाट, बायोमास से 2,000 मेगावाट और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से 700 मेगावाट क्षमता शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 19,972 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

11वीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा।

(मेगावाट में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	पवन विद्युत	10,000	10,260
2.	लघु पनबिजली	1,400	1419
3.	बायो-विद्युत	2100	2041
4.	सौर विद्युत*	416	940
	कुल	13,500	14,661

*योजना के दौरान सौर विद्युत हेतु लक्ष्य का प्रस्ताव बाद में किया गया।

[हिन्दी]

जब्त हथियारों का निपटान

1301. श्री तूफानी सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमा शुल्क विभाग के इस प्रस्ताव से अवगत है कि जब्त हथियारों को अपने अधिकारियों को सस्ती दरों पर बेचा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विभाग के स्ट्रांग रूम में आज की तिथि के अनुसार कितने हथियार जमा कराए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए "शून्य"।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क विभाग की तिजोरी (स्ट्रांग रूम) में जमा कराए गए जब्त किए गए कुल हथियार (बंदूक, राइफल, पिस्टल और रिवाल्वर) 1006 हैं।

बच्चों में आई क्यू स्तर

1302. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन से पांच वर्ष तक की आयु के मध्य के 4000 बच्चों पर किए गए एक हाल ही के अनुसंधान ने प्रकट किया है कि फास्ट फूड खाने वो बच्चों का बौद्धिक स्तर (आई क्यू) नियमित रूप से ताजा भोजन करने वालों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जंक फूड और फास्ट फूट से बच्चों और युवाओं को बचाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फास्ट फूड को प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत में परिषद द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :

(i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार प्रत्येक प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थ के लेबल पर घटते क्रम में इसके तत्वों की सूची और पोषण सूचना, किलो कैलोरी में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्राम/100 ग्राम या मिली ग्राम/100 मिली ग्राम में वसा संबंधी सूचना अंकित करने अपेक्षा की जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति वसा या बेकरी शार्टनिंग का प्रयोग किया जाता है, के लेबल पर हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति वसा या बेकरी शार्टनिंग प्रयुक्त ट्रांसफैट घोषित करने की अपेक्षा की है।

(ii) प्रमुख खाद्य ब्रांडों के खाद्य पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच के लिए एकत्र किए जाते हैं।

(iii) खुराक संबंधी गैर-संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पर 100 जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को सब्जियां, फल, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ और कम सुगर, नमक एवं वसा वाले स्वस्थ खाद्य पदार्थों के उपभोग में वृद्धि करने की शिक्षित भी शिक्षा दी जाती है।

[अनुवाद]

बाह्य ऋण

1303. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश का बाह्य ऋण कितना है और यह किस स्तर तक प्रबंधनीय है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश/संस्थान-वार और वर्ष-वार उन बाह्य ऋणदाताओं का ब्यौरा क्या है जिनसे केन्द्रीय सरकार ने धन उधार लिया है;

(ग) बाह्य ऋण में अनुपात से अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेशी ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

भारत का विदेशी ऋण स्टॉक (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	मार्चान्त पर		
	2010	2011 आं.सं.	2012 आं.सं.
विदेशी ऋण	260,935	305,931	345,661

आं.सं.: आंशिक संशोधित

विदेशी ऋण प्रबंधनीय स्तर पर है जैसाकि मार्चान्त 2012 में 20.0 प्रतिशत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा 2011-12 की वर्तमान प्राप्तियों के 6.0 प्रतिशत के ऋण चुकौती अनुपात से इंगित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते में भारतीय सरकारी विदेशी ऋण का ऋणदाता-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

भारत का सरकारी विदेशी ऋण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र.सं.	संस्था/देश	मार्चान्त पर		
		2010	2011 आं.सं.	2012 आं.सं.
क	**बहुपक्षीय (1 से 5)**	**37,825**	**42,579**	**43,686**
	1. आईडीए	25,380	26,637	26,853
	2. आईबीआरडी	6,397	8,774	8,897
	3. एडीबी	5,717	6,813	7,568
	4. आईएफएडी	288	313	326
	5. अन्य	43	42	42
ख	**द्विपक्षीय (6 से 11)**	**17,410**	**19,715**	**19,688**
	6. जापान	12,444	14,744	14,995
	7. जर्मनी	2,458	2,662	2,702
	8. अमरीका	380	333	298
	9. फ्रांस	421	392	325
	10. रुसी परिसंघ	1,702	1,579	1,365
	11. अन्य खाते	5	5	3
ग.	**विदेशी सहायता के अंतर्गत सरकारी लेखा पर विदेशी ऋण (क+ख)**	**55,235**	**62,294**	**63,374**

(ग) मार्चान्त 2012 में भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 345,661 मिलियिन अमरीकी डॉलर पर था यह मार्चान्त 2011 में 305931 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 39730 मिलयन अमरीकी डॉलर (13.0 प्रतिशत) अधिक है। बढ़ोत्तरी मुख्यतया

वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि, अल्पावधि ऋण तथा अप्रवासी भारतीय जमाराशियों के कारण थी।

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही विदेशी ऋण प्रबंधन नीति दीर्घ तथा अल्प अवधि ऋण की मॉनीटरिंग, दीर्घावधिक परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर सरकारी ऋण जुटाने, अंत-उपयोग तथा समग्र लागत सीमाओं द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के विनियमन तथा अप्रवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों के यौक्तिकीकरण पर बल देती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

1304. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री अब्दुल रहमान :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री सज्जन वर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध/दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों में मिलावट के मामलों, विशेषकर देश में त्यौहारों के मौसम में, लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के संज्ञान में आए ऐसे मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या खाद्य उत्पादों में मिलावट के कारण देश में दिन-प्रतिदिन चमड़ी एलर्जी, कैंसर, रेशेज़, अल्सर जैसे रोगों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा खाद्य उत्पादों में मिलावट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, त्यौहारों के मोसम के दौरान अधिक निगरानी रखी जाती है और कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 2009, 2010 और 2011-12 के दौरान दुग्ध/दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए पंजीकृत, चालान काटे गए तथा दोषी पाए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए स्थापित नोडल प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य/संघ सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत नियमित निगरानी, मानीटरिंग की जाती है और खाद्य उत्पादों के नमूने लिए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2009, 2010 और 2011-12 के दौरान पंजीकृत, चालान काटे गए और दोषी पाए गए मामलों की संख्या के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण।

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	2009		2010		2011-2012	
		पंजीकृत चालान काटे गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सजा दी गई	पंजीकृत चालान काटे गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सजा दी गई	पंजीकृत चालान काटे गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सजा दी गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	415	32	382	37	342	56

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	1	16	7	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	असम	105	11	103	10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	बिहार	237	0	293	0	251	0
6.	चंडीगढ़	153	7	121	118	64 (पीएफए)	124 (पीएफए)
7.	छत्तीसगढ़	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	39	15
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	4	0
10.	दिल्ली	225	99	180	106	70	0
11.	गोवा	9	0	2	0	13	अनुपलब्ध
12.	गुजरात	619	44	683	99	92 (पीएफए) 0 (एफएसएसए)	13 (पीएफए) 0 (एफएसएसए)
13.	हरियाणा	496	71	छ. ।	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	हिमाचल प्रदेश	143	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	जम्मू और कश्मीर	2861	1230	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	126	12
16.	झारखंड	0	0	26	0	53	01
17.	कर्नाटक	56	0	91	2	35	3
18.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	533	23	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	महाराष्ट्र	445	68	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	677	74

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मणिपुर	छ।.	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	मेघालय	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	3	2	3	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26.	ओडिशा	82	3	29	6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पंजाब	310	34	516	30	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
29.	राजस्थान	1022	3	806	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30.	सिक्किम	3	1	3	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31.	तमिलनाडु	0	0	127	110	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	3492	287	3789	540	4477	519
34.	उत्तराखंड	17	8	52	25	53	14
35.	पश्चिम बंगाल	22	0	22	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल:	11061	1942	7244	1112	6296	831

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-पीएफए।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-एफएसएस अधिनियम।

[हिन्दी]

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

1305. **श्री मंगनी लाल मंडल :**

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम छह माहों के दौरान भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन की दर क्या है और उक्त अवधि के दौरान माह-वार यूएस डॉलर की तुलना में इसका मूल्य कितना रहा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए/जा रहे हैं और इसके परिणामत: क्या सफलता प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) वर्ष 2012-13 के अंतिम छह महीनों के दौरान

प्रति अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तथा माहवार उसका अधिमूल्यन/अवमूल्यन नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका : प्रति अमरीकी डॉलर रुपये की कीमत तथा उसका अधिमूल्यन/अवमूल्यन

माह	रुपये प्रति अमरीकी डॉलर	पिछले माह की तुलना में पर रुपये का अधिमूल्यन (+)/अवमूल्यन (-) (प्रतिशत में)
मई 2012	54.47	(-) 4.9
जून 2012	56.03	(-) 2.8
जुलाई 2012	55.49	(+) 1.0
अगस्त 2012	55.56	(-) 0.1
सितम्बर, 2012	54.61	(+) 1.7
अक्टूबर 2012	53.02	(+) 3.0

•भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर का मासिक औसत, स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

हाल ही के महीनों में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति-मांग में असंतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डॉलर की विनिमय दर में अस्थिरता के कारण है।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी अंतर्वाह को आसान बनाने, रुपये के विनिमय दर मूल्य में गिरावट को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में उठाए गए इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ ऋण प्रतिभूतियों (कॉरपोरेट और सरकारी, दोनों प्रतिभूतियों) में एफआईआई में बढ़ोत्तरी, 3-5 वर्ष की परिपक्वता के बीच विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के लिए ऑल-इन-कॉस्ट सीमा को बढ़ाना; विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों के लिए अधिक ब्याज दर सीमा नियत करना; रुपया अंकित अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियमन और मुद्रा अटकलबाजियों को रोकने हेतु प्रशासनिक उपाय शामिल हैं। सरकार ने एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मल्टी-ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करना शामिल है। विदेशी व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक पूरक 2012-13 के अंतर्गत, सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए पहलों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान 2.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत के अमरीकी डॉलरों की निवल बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में भी हस्तक्षेप किया हैं

रुपया जो 27 जून, 2012 को कम होकर 57.22 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर (आरबीआई के संदर्भ दर) तक आ गया। इसके पश्चात् रुपये में सुधार हुआ और 05 अक्टूबर, 2012 को यह 51.62 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। 26 नवंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार, रुपये की विनिमय दर 55.69 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर रही।

सेवा कर जमा न करना

1306. श्री हर्ष वर्धन :
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त को सेवा कर के संग्रहण के संबंध में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न नगर निगमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केजी बेसिन में तेल कुंओं का अधिग्रहण

1307. **श्री संजय भोई :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्ककरराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन में तेल कुंओं का अधिग्रहण किया जाए और इन्हें राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं का चित्रण

1308. **श्री भास्ककरराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अश्लील मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज (एमएमएसएस) में महिलाओं के अशोभनीय चित्रण के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संशोधित अधिनियम को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को अशिष्ट रूप से दर्शाने वाले अश्लील मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज (एमएमएस) की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) से (घ) स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में श्रव्य दृश्य मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक रूप में सामग्री को शामिल करने तथा सज़ा के प्रावधानों को कठोर करने के लिए कानून का दायरा बढ़ाने सहित कतिपय संशोधनों को संसद में संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है।

नैदानिक परीक्षण भागीदार

1309. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री पी.आर. नटराजन :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री एस. अलागिरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री संजय भोई :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्रीमती मेनका गांधी :

श्री उदय सिंह :

श्री गोरखनाथ पांडेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधियों के नैदानिक परीक्षण और परीक्षण भागीदारों के अधिकारों/सुरक्षा के संबंध में औषधि और प्रसाधन नियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त उपबंध नैदानिक भागीदारों के हितों को ग्लोबल नैदानिक परीक्षणों में बलि के बकरे बनने से बचाने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां पाई गई हैं;

(घ) क्या औषधि और प्रसाधन नियमों में संशोधन के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) नई औषधियों के प्रयोगशाला परीक्षण औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित होते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए अपेक्षाएं एवं दिशानिर्देश औषध एवं प्रसाधन नियमावली की अनुसूची 'वाई' में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अनुसूची 'वाई' में यह भी स्पष्ट है कि प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास दिशानिर्देश के अनुसार किए जाते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन एवं संबंधित आचार नीति समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही किए जाते हैं। सभी परीक्षणों में, अध्ययन में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से दी गई लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। यदि वह व्यक्ति बेहोश अथवा नाबालिग अथवा विभिन्न मानसिक रोगों अथवा विकलांगता से पीड़ित होने के कारण अपनी पूर्व स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं है तो इसे उस व्यक्ति के कानूनी तौर पर स्वीकृति प्रतिनिधि से सहमति प्राप्त की जा सकती है। अतः परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों, सुरक्षा एवं कुशलता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूची 'वाई' एवं अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास दिशानिर्देशों में विस्तृत उपायों/सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर प्रयोगशाला परीक्षणों से संबंधित औषध एवं प्रसाधन नियमावली के उपबंधों में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं:—

1. जीसआर 821(ई) 18.11.2011

   i. परीक्षण से संबंधित चोट अथवा मृत्यु के मामले में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति को चिकित्सा उपचार एवं आर्थिक मुआवजा।

   ii. आर्थिक मुआवजा के भुगतान हेतु प्रक्रिया।

   iii. आचार नीति समिति प्रायोजक एवं अन्वेषक की जिम्मेदारियों में वृद्धि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस व्यक्ति को परीक्षण से संबंधित चोट लगी हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसे आर्थिक मुआवजा के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, आचार नीति समिति, प्रायोजक एवं अन्वेषक की जिम्मेदारियों में वृद्धि की गईं है तथा यह जानकारी औषध नियंत्रक जनरल (भारत) में दी गई है।

   iv. परीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों से लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनके वास्तविक पते, व्यवसाय, वार्षिक आय के विवरण संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रपत्र में संशोधन ताकि परीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

2. जीएसआर 572 (ई) दिनांक 17.7.2012 केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा प्रयोगशाला परीक्षणों के निरीक्षणों एवं गैर अनुपालन के मामले में

अन्वेषकों/प्रयोजकों/सीआरओ पर भविष्य में प्रयोगशाला परीक्षण करने पर प्रतिबंध जैसी प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्राधिकार उपलब्ध कराना।

3. जीएसआर 573 (ई) दिनांक 17.7.2012 आधार नीति समिति के पंजीकरण हेतु अपेक्षाएं एवं दिशा-निर्देश।

औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्तावों की भी सिफारिश की है:—

- प्रयोगशाला परीक्षण उन्हीं स्थानों पर किए जाने चाहिए जिनकी अपनी निजी आचार नीति समिति है को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुसूची वाई में संशोधन करना। तथापि, देश में और अथवा अन्यत्र नई औषधों के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए अनुमोदित औषध की जैविक उपलब्धता एवं जैविक समानता अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र की, जहां वह जगह स्थित है, स्वतंत्र आचार नीति समिति से आचार नीति अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
- इसे अनिवार्य बनाने के लिए कि व्यक्तियों के प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया की श्रव्य एवं दृश्य रिकार्डिंग लिखित सूचित स्वीकृति प्रपत्र का लेखा जोखा अन्वेषक द्वारा रखा जाएगा।
- व्यक्तियों के प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया की श्रव्य एवं दृश्य रिकार्डिंग के साथ-साथ लिखित सूचित स्वीकृति प्रपत्र का लेखा जोखा अन्वेषक द्वारा रखे जाने को अनिवार्य बनाना।

[हिन्दी]

पीएनजी कनेक्शन

1310. **श्री कादिर राणा :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री महाबली सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन शहरों और नगरों में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न शहरों और नगरों में पीएनजी वितरण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक परिवार में पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश में जिन शहरों और कस्बों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है उनके नाम विवरण-I में दिए गए हैं। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में कोई पीएनजी आपूर्ति नहीं की जा रही।

(ख) से (घ) पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई है, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा पीएनजीआरबी में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या उनका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना) विनियम, 2008 के अनुसार नगर और स्थानीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। पीएनजी स्थानीय अथवा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का हिस्सा है। पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता/उपलब्धता पर बोर्ड को प्रस्तुत रुचि की अभिव्यक्तियों (ईओआईज) और स्वत: स्फूर्त आधार पर या उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर सहित देश में 300 से अधिक शहरों/कस्बों को शामिल करते हुए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क की एक चरणबद्ध रोल-आऊट योजना की

परिकल्पना की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहले से ही पीएनजी कनेक्टीविटी उपलब्ध है। सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रस्तावित जीएज के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

मौजूदा सीजीडी नेटवर्क में पीएनजी नेटवर्क वाले भौगोलिक क्षेत्र

क्रम सं.	भौगोलिक क्षेत्र	राज्य
1	2	3
1	सोनीपत	हरियाणा
2	फरीदाबाद	
3	गुड़गांव	
4	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
5	विजयवाड़ा	
6	हैदराबाद	
7	तिनसुखिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, गोलाघाट, झोरहाट	असम
8	गांधीनगर, मेहसाना, साबरकांठा	
9	गांधीनगर, नाडीयाड, हालोल, हजारी, राजकोट, खम्बात, परहेज, वालसाड, नवसारी, सुरेंद्रनगर	गुजरात
10	अहमदाबाद	
11	वडोदरा	
12	सूरत	
13	भरूच	
14	आणंद	
15	देवास	मध्य प्रदेश
16	ग्वालियर	
17	उज्जैन सहित इंदौर	
18	पिंपरी छिछ्वाड सहित पुणे शहर तथा हिंजेवाडी, चक्कन तथा तेलेगान के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित	महाराष्ट्र
19	मुंबई तथा ग्रेटर मुंबई	
20	थाणे शहर और मीरा भयान्द्र, नवी मुंबई, अम्बरनाथ, भिवाडी, कल्याण, डोंबीविल्ली, बदलापुर, उल्लहासनगर, वणवेल, खारघर तथा तलोजा सहित निकटवर्ती क्षेत्र	
21	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
22	कोटा	राजस्थान
23	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा)	उत्तर प्रदेश
24	मेरठ	
25	मथुरा	
26	आगरा	
27	कानपुर	
28	बरेली	
29	लखनऊ	
30	मुरादाबाद	
31	आगरा, फिरोजाबाद	
32	गाजियाबाद	
33	अगरतला	त्रिपुरा

विवरण-II

सी.जी.डी. नेटवर्क के लिए प्रस्तावित जीएज के ब्यौरे

क्रम सं.	मार्गस्थ नगर	राज्य
1	2	3
1	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
2	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
3	यनम	आंध्र प्रदेश
4	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश
5	खमाम	आंध्र प्रदेश
6	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
7	येलुरू	आंध्र प्रदेश
8	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश
9	गुंटुर	आंध्र प्रदेश
10	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश
11	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
12	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश
13	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
14	भीमूपटनम	आंध्र प्रदेश
15	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
16	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
17	सिकंदराबाद•	आंध्र प्रदेश
18	सांगारेड्डी	आंध्र प्रदेश
19	जाहिराबाद	आंध्र प्रदेश
20	सौंध	आंध्र प्रदेश
21	माल्लावरम	आंध्र प्रदेश
22	वारंगल	आंध्र प्रदेश
23	करीमनगर	आंध्र प्रदेश
24	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश
25	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
26	कोटागड्डम	आंध्र प्रदेश
27	दुलियाजान	असम
28	डिब्रूगढ़	असम
29	शिवसागर	असम
30	मोरन	असम
31	जोरहट	असम
32	सिलचर	असम
33	नवादा	बिहार
34	दियोगढ़	बिहार
35	गया	बिहार
36	सासाराम	बिहार
37	पटना	बिहार
38	आरा	बिहार
39	बक्सर	बिहार
40	जहानाबाद	बिहार
41	अरहा	बिहार
42	चंडीगढ़	चंडीगढ़
43	रायपुर	छत्तीसगढ़
44	दुर्ग	छत्तीसगढ़

1	2	3
45	भिलाई	छत्तीसगढ़
46	दमन'	दमन व सिलवासा
47	सिलवासा'	दमन व सिलवासा
48	दिल्ली	दिल्ली
49	गोवा	गोवा
50	हजीरा	गुजरात
51	सूरत	गुजरात
52	अंकलेश्वर'	गुजरात
53	भरूच'	गुजरात
54	बड़ोदरा	गुजरात
55	दाहोद	गुजरात
56	वलसाड	गुजरात
57	नवसारी	गुजरात
58	बिल्लीमोरा•	गुजरात
59	गनदेवी•	गुजरात
60	खम्भात	गुजरात
61	बल्लभ विद्यानगर	गुजरात
62	हलोल-कलोल	गुजरात
63	खेडा	गुजरात
64	अहमदाबाद	गुजरात
65	गांधीनगर	गुजरात
66	मेहसाना	गुजरात
67	साबरकांठा	गुजरात
68	सुरेंद्रनगर	गुजरात

1	2	3
69	राजकोट	गुजरात
70	जामनगर	गुजरात
71	भुज	गुजरात
72	कांडला	गुजरात
73	भावनगर	गुजरात
74	बांसकाठा	गुजरात
75	उमबेरगांव'	गुजरात
76	यमुनानगर	हरियाणा
77	जगादरी'	हरियाणा
78	डबवाली	हरियाणा
79	फरीदाबाद	हरियाणा
80	गुड़गांव	हरियाणा
81	रिवाड़ी	हरियाणा
82	रोहतक	हरियाणा
83	हिसार	हरियाणा
84	जिंद	हरियाणा
85	सोनीपत	हरियाणा
86	पानीपत	हरियाणा
87	करनाल'	हरियाणा
88	कुरूक्षेत्र	हरियाणा
89	अम्बाला	हरियाणा
90	जम्मू	ज. एवं क.
91	कटरा	ज. एवं क.
92	उधमपुर	ज. एवं क.

1	2	3
93	छोटानागपुर'	झारखंड
94	धनबाद	झारखंड
95	गिरिडीह	झारखंड
96	कोडरमा	झारखंड
97	हजारीबाग	झारखंड
98	बोकारो	झारखंड
99	चमरंजमनगर	कर्नाटक
100	कोल्लेगल	कर्नाटक
101	मैसूर	कर्नाटक
102	रामानगरम	कर्नाटक
103	बेंगलुरू	कर्नाटक
104	कोलर	कर्नाटक
105	कोलर गोल्ड फील्डर'	कर्नाटक
106	मुलबगल	कर्नाटक
107	बांगरपेट	कर्नाटक
108	कनकपुरा	कर्नाटक
109	रामानगरम	कर्नाटक
110	कुनीगल	कर्नाटक
111	श्री रंगापटनम	कर्नाटक
112	मण्डया	कर्नाटक
113	हसन	कर्नाटक
114	साकलशपुर	कर्नाटक
115	चिकमंगलूर	कर्नाटक
116	मादीकेरी	कर्नाटक

1	2	3
117	मंगलौर	कर्नाटक
118	सूरतकल	कर्नाटक
119	उद्‌पी	कर्नाटक
120	कासरकोद	कर्नाटक
121	तुमकुर	कर्नाटक
122	कोपल	कर्नाटक
123	हाम्पी	कर्नाटक
124	चितराडग	कर्नाटक
125	देवनगेरे	कर्नाटक
126	गदग	कर्नाटक
127	बेल्लारी	कर्नाटक
128	शिमोगा	कर्नाटक
129	हुबली-धारवाड़	कर्नाटक
130	चारवाडमारगा	कर्नाटक
131	होमनाबाड	कर्नाटक
132	बिदार	कर्नाटक
133	कारकल	केरल
134	कासरगोड	केरल
135	माडिकेरी	केरल
136	कन्नूर	केरल
137	माहे	केरल
138	कालपेट्टा	केरल
139	खोजिखोड	केरल
140	मल्लापुरम	केरल

1	2	3
141	पालकड (पालघाट)	केरल
142	थ्रिस्सूर	केरल
143	एरनालायूलम	केरल
144	कोच्चि	केरल
145	कोटयाम	केरल
146	आलपूझा	केरल
147	पेरियार	केरल
148	कोल्लम	केरल
149	थिरूवंतपुरम	केरल
150	झाबुआ	मध्य प्रदेश
151	धार	मध्य प्रदेश
152	रतलाम	मध्य प्रदेश
153	शाहजापुर	मध्य प्रदेश
154	उज्जैन'	मध्य प्रदेश
155	इंदौर	मध्य प्रदेश
156	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
157	विजयपुर	मध्य प्रदेश
158	गुना'	मध्य प्रदेश
159	राघोगढ़'	मध्य प्रदेश
160	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
161	दतिया	मध्य प्रदेश
162	देवास	मध्य प्रदेश
163	मंदसौर	मध्य प्रदेश
164	होशांगाबाद	मध्य प्रदेश

1	2	3
165	भोपाल	मध्य प्रदेश
166	सेहोर	मध्य प्रदेश
167	रायसेन	मध्य प्रदेश
168	विदिशा	मध्य प्रदेश
169	शाहदोल	मध्य प्रदेश
170	बेतुल	मध्य प्रदेश
171	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
172	सूरत	गुजरात
173	अंकलेश्वर	गुजरात
174	नागपुर	महाराष्ट्र
175	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
176	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
177	सतारा	महाराष्ट्र
178	अलीबाग	महाराष्ट्र
179	मुंबई	महाराष्ट्र
180	चंद्रापुर	महाराष्ट्र
181	गडचिरोली	महाराष्ट्र
182	यवतमाल	महाराष्ट्र
183	वर्धा	महाराष्ट्र
184	सोलापुर	महाराष्ट्र
185	ओसामानाबाद	महाराष्ट्र
186	करमला	महाराष्ट्र
187	लातूर	महाराष्ट्र
188	अहमदनगर	महाराष्ट्र

1	2	3
189	शिरडी	महाराष्ट्र
190	नासिक	महाराष्ट्र
191	पुणे	महाराष्ट्र
192	लोनवाला	महाराष्ट्र
193	खोपोली'	महाराष्ट्र
194	माथेरन	महाराष्ट्र
195	वडगांव	महाराष्ट्र
196	पनवेल	महाराष्ट्र
197	कल्याण	महाराष्ट्र
198	थाणे	महाराष्ट्र
199	शाहपुर	महाराष्ट्र
200	मुरबाद	महाराष्ट्र
201	तारापुर	महाराष्ट्र
202	अमरावती	महाराष्ट्र
203	परलखेमुंदी	ओडिशा
204	राउरकेला	ओडिशा
205	छत्तरपुर	ओडिशा
206	खोरधा	ओडिशा
207	भुवनेश्वर	ओडिशा
208	जाजपुर	ओडिशा
209	भदरक	ओडिशा
210	अन्नापुर	ओडिशा
211	कामख्यानगर	ओडिशा
212	बालेश्वर	ओडिशा

1	2	3
213	बारीपाडा	ओडिशा
214	पांडिचेरी	पुदुच्चेरी
215	राजपुरा	पंजाब
216	नांगल	पंजाब
217	पटियाला	पंजाब
218	मंडी गोबिन्दगढ़	पंजाब
219	संगरूर	पंजाब
220	लुधियाना	पंजाब
221	जालंधर	पंजाब
222	अमृतसर	पंजाब
223	भठिण्डा	पंजाब
224	पठानकोट	पंजाब
225	होशियारपुर	पंजाब
226	कोटा	राजस्थान
227	बांसवाड़ी	राजस्थान
228	डुंगरपुर	राजस्थान
229	उदयपुर	राजस्थान
230	चित्तौडगढ़	राजस्थान
231	भीलवाड़ा	राजस्थान
232	जयपुर	राजस्थान
233	जोधपुर	राजस्थान
234	झुंझून्नू	राजस्थान
235	बीकानेर	राजस्थान
236	श्रीगंगानगर	राजस्थान

1	2	3
237	अजमेर	राजस्थान
238	बाडमेर	राजस्थान
239	जैसलमेर	राजस्थान
240	भिवाड़ी	राजस्थान
241	होसुर	तमिलनाडु
242	कृष्णागिरी	तमिलनाडु
243	खिचपुरम	तमिलनाडु
244	चेन्नई	तमिलनाडु
245	कांचिपुरम	तमिलनाडु
246	तिरूवन्नमलाई	तमिलनाडु
247	कलकुरिचिचि	तमिलनाडु
248	धर्मपुरी	तमिलनाडु
249	कुडालोर	तमिलनाडु
250	सेलम	तमिलनाडु
251	परमबालूर	तमिलनाडु
252	लालगुडी	तमिलनाडु
253	नामकल्ल	तमिलनाडु
254	कारूर	तमिलनाडु
255	एरोड	तमिलनाडु
256	तिरूचरापल्ली	तमिलनाडु
257	थांजावूर	तमिलनाडु
258	डिंडीगुल	तमिलनाडु
259	पाडुकोटाय	तमिलनाडु
260	मदुरई	तमिलनाडु
261	वीरूडूंनगर	तमिलनाडु
262	आरूपुकोटाई	तमिलनाडु
263	कोविलपट्टी	तमिलनाडु
264	तिरूबलवेलि	तमिलनाडु
265	तूतीकोरन	तमिलनाडु
266	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
267	उधागम्मउदलम	तमिलनाडु
268	तिरूट्टानी	तमिलनाडु
269	अगरतला	त्रिपुरा
270	झांसी	उ.प्र.
271	लखनऊ	उ.प्र.
272	औरिया	उ.प्र.
273	दिबियापुर'	उ.प्र.
274	फाफूंद'	उ.प्र.
275	बाबरपुर'	उ.प्र.
276	मेनपुरी	उ.प्र.
277	इटावा	उ.प्र.
278	जगदीशपुर	उ.प्र.
279	बदायूं	उ.प्र.
280	शाहजहांपुर	उ.प्र.
281	बरेली	उ.प्र.
282	उन्नाव'	उ.प्र.
283	कानपुर	उ.प्र.
284	अलीगढ़	उ.प्र.

1	2	3
285	हाथरस	उ.प्र.
286	फिरोजाबाद	उ.प्र.
287	खुर्जा	उ.प्र.
288	बुलंदशहर'	उ.प्र.
289	दादरी	उ.प्र.
290	मेरठ	उ.प्र.
291	मोदीनगर	उ.प्र.
292	मुजफ्फरनगर	उ.प्र.
293	सहारनपुर	उ.प्र.
294	नोएडा	उ.प्र.
295	ग्रेटर नोएडा'	उ.प्र.
296	गाजियाबाद	उ.प्र.
297	हापुड़	उ.प्र.
298	गढ़मुक्तेश्वर	उ.प्र.
299	मुरादाबाद	उ.प्र.
300	रामपुर	उ.प्र.
301	आगरा	उ.प्र.
302	मथुरा	उ.प्र.
303	इलाहाबाद	उ.प्र.
304	गाजीपुर	उ.प्र.
305	बलिया	उ.प्र.
306	मिर्जापुर	उ.प्र.
307	भदौही	उ.प्र.
308	मऊ	उ.प्र.
309	जौनपुर	उ.प्र.
310	सुल्तानपुर	उ.प्र.
311	फैजाबाद	उ.प्र.
312	काशीपुर	उत्तराखंड
313	रामनगर'	उत्तराखंड
314	रूड़की	उत्तराखंड
315	हरिद्वार	उत्तराखंड
316	रूद्रपुर	उत्तराखंड
317	हल्द्वानी	उत्तराखंड
318	काठगोदाम'	उत्तराखंड
319	देहरादून	उत्तराखंड
320	ऋषिकेश	उत्तराखंड
321	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
322	मेदीनपुर	पश्चिम बंगाल
323	तमलक	पश्चिम बंगाल
324	कौरा	पश्चिम बंगाल
325	अलीपुर	पश्चिम बंगाल
326	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
327	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
328	बंकुरा	पश्चिम बंगाल
329	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
330	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास हेतु योजनाएं

1311. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
डॉ. बलीराम :
डॉ. ंजय जायसवाल :
श्री रामसिंह कस्वां :
श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बालिकाओं सहित महलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना और वर्ष-वार इन योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु निर्धारित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में इन योजनाओं के कार्यान्वियन के ढंग का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्यों में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बालिकाओं सहित महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। विभिन्न स्कीमों के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्यों/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियम तथा निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे मंत्रालय की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। ये रिपोर्ट लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ये ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.wcd.@nic.in पर भी उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य वार बजट अनुमान (बी.ई) तथा निर्मुक्त की गई निधियां संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों को क्रियान्वित करने का मूल्यांकन तथा मानीटरन अंतनिर्मित प्रणाली है। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमियों पर कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करती रहती है और जब कभी राज्यों के दौरों के दौरान किसी प्रकार की कोई कमी ध्यान में आती है तो उन कमियों को दूर करने और स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं तथा पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रमागत, प्रबंधकीय तथा संस्थागत सुधारों पर कार्रवाई करने और प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में आईसीडीएस को सुदृढ़ करने और पुनर्गठित करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में, प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को अब जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा सामुदायिक स्तर पर आईसीडीएस के तहत मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण स्थापित किया गया है और सामुदायिक स्तर का प्रयोग राजीव गांधी किशोरी शक्तिरकण स्कीम (आरजीएसईएजी)- सबला और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) की अन्य प्रमुख स्कीमों के लिए किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही स्कीमों की पुनरीक्षा आवधिक रिपोर्टों, पुनरीक्षा बैठकों तथा अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरा द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुदानों की दूसरी तथा तीसरी किस्त राज्य सरकारों से प्राप्त हुई निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों परीक्षित लेखा विवरण और उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

मंत्रालय समय-समय पर अपनी विभिन्न स्कीमों के लिए अध्ययनों का प्रयोजन भी करता है। सुझावों/सिफारिशों के आधार पर स्कीमों की पुनरीक्षा की जाती है तथा कारगर क्रियान्वियन हेतु अनिवार्य सुझाव भी दिए जाते हैं। स्कीमों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए राज्य सचिवों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12 और 2012-13 (23.11.2012 तक) के दौरान बजट प्राक्कलन तथा व्यय

(करोड़ो रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना, 2011-12			
		बजट प्राक्कलन		संशोधित प्राक्कलन	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6
क	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें**				
(क)	**बाल विकास**				
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	85.00	73.84	110.00	68.60
2.	निपसिड	11.00	8.00	12.00	4.65
3.	राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग	11.90	10.11	12.00	6.58
4.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों का कल्याण स्कीम	10.00	9.65	10.00	4.90
5.	कारा	7.00	6.29	9.00	4.57
6.	बालिकाओं हेतु बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तंतरण स्कीम (धनलक्षमी)	10.00	0.00	5.00	0.00
	जोड़ क(क)	134.90	107.89	158.00	89.30
(ख)	**महिला विकास**				
7.	कामकाजी महिला होस्टल	10.00	0.50	10.00	1.20
8.	स्टेप	20.00	833	20.00	0.31
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग	9.00	9.00	11.00	6.23
10.	राष्ट्रीय महिला कोष	100.00	0.00	100.00	0.00

1	2	3	4	5	6
11.	स्वाधार	30.00	24.59	100.00	23.67
12.	महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु व्यापक स्कीम (उज्जवल)	10.00	9.97	12.00	2.99
13.	जेंडर बजट आयोजना और महिलाओं एवं पुरुषों संबंधी पृथक आंकड़े	1.00	0.28	1.00	0.28
14.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायतानुदान	90.00	77.93	60.00	27.91
15.	प्रियदर्शिनी स्कीम	26.10	0.16	15.00	9.35
	जोड़ क(ख)	296.10	130.76	329.00	71.94
(ग)	अन्य स्कीमें				
16.	अनुसंधान, प्रकाशन और मानीटरन हेतु सहायतानुदान	2.00	1.03	2.00	1.02
17.	अभिनव कार्यों हेतु सहायतानुदान	2.00	0.38	3.00	0.11
18.	सूचना, जन प्रचार और प्रकाशन	50.00	17.68	50.00	1.03
19.	सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	0.33	2.00	0.10
20.	पोषण शिक्षा स्कीम (खा.पो.बो.)	10.00	10.07	10.00	1.52
	जोड़ क(ग)	66.00	29.49	67.00	3.78
	जोड़ क (क+ख+ग)	497.00	268.14	554.00	165.02
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**				
(क)	**बाल विकास**				
21.	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम	10000.00	14266.65	15850.00	9346.40
22.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	330.00	0.00	102.80	0.00
23.	राष्ट्रीय पोषण मिशन	100.00	000	250.00	0.44
24.	समेकित बाल संरक्षण (आई.सी.पी.एस.) स्कीम	270.00	177.58	400.00	86.71
	जोड़ ख (क)	10700.00	14444.23	16602.80	9433.55

1	2	3	4	5	6
(ख)	**महिला विकास**				
25.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण - सबला स्कीम	750.00	593.99	750.00	262.01
26.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना - सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम	520.00	290.12	520.00	11.71
27.	राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	40.00	7.96	25.00	3.76
28.	बलात्कार पीड़ितों हेतु राहत एवं पुनर्वास	140.00	0.00	20.00	0.00
29.	स्वयंसिद्धा	3.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़ ख (ख)	1453.00	892.07	1315.00	277.48
	जोड़ (क+ख)	12153.00	15336.30	17917.80	9711.03
ग	**वर्ष 2012-13 में शामिल की गई नई स्कीमें**				
30.	किशोरों के व्यापक विकास की स्कीम (स्कीम)			0.10	0.00
31.	बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना			1.00	0.00
32.	महिला हैल्प लाइन			2.00	0.00
33.	महिला अधिकार संबंधी दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम का विकास			0.10	0.00
34.	घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण का क्रियान्वयन			20.00	0.00
35.	वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर		5.00	0.00	
	कुल ग	0.00	0.00	28.20	0.00
	कुल जोड़ (क+ख)	12650.00	15604.44	18500.00	9876.05

मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड

1312. श्रीमती ज्योति धुर्वे :
डॉ. भोला सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव माताओं एवं शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा प्रदान करने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्कीम को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन कार्डों के माध्यम से किन वर्गों के लोगों को लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त प्रयास के माध्यम से आरंभ किया गया है।

(ख) एमसीपी कार्ड मातृ एवं बाल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर माता एवं परिवार को सूचना देने और शिक्षित करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मातृ एवं बाल परिचर्या को एक सतत परिचर्या से जोड़ने वाला उपकरण है।

इस कार्ड में लाभार्थी को सेवाओं की न्यूनतम पैकेज प्रदानगी सुनिश्चित करते हुए प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या के दौरान माता एवं शिशु को दी गई कुछ मुख्य सेवाएं भी शामिल हैं।

एमसीपी कार्ड वर्ष 2010-11 में पहले से ही राज्यों को कार्य के लिए परिचालित कर दिया गया है।

(ग) एमसीपी कार्ड से गर्भावस्था, शिशु जन्म और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान समय से जटिलताओं की पहचान, रेफरल और प्रबंधन करने में सहयोग मिलता है। यह कार्ड शिशु एवं बच्चों को सम्पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करने, जल्द एवं केवल स्तनपान, अनुपूरक आहार देने ओर उनके विकास पर निगरानी रखने वाले उपकरण के रूप में भी कार्य करता है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण

1313. **श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्री मानिक टैगोर :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की अपेक्षा चीन में निर्मित इन उपकरणों को सस्ती दर पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सस्ती दरों पर देश में निर्मित सौर ऊर्जा से चलने वलो उपकरणों के उत्पादन व बिक्री के लिए इन पर और अधिक सब्सिडी/सहायता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में सस्त दरों पर सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपकरकणों/पैनलों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सौर उपकरणों के मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चीन में निर्मित उपकरण देश में निर्मित उपकरण की अपेक्षा हमेशा सस्ता होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) भारत सरकार द्वारा सौर विद्युत विनिर्माताओं को सौर विद्युत से चलने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक निर्माण (इनपुट) सामग्री के आयात पर सीमा/उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष श्रेणी के राज्यों/अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के लिए 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की पूंजीगत सब्सिडी और सामान्य श्रेणी के राज्यों में सरकारी परियोजनाओं के लिए 30 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है।

[अनुवाद]

कैंसर के मामलों में वृद्धि

1314. **श्री बाल कुमार पटेल :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री पुलीन बिहारी बासके :
शेख सैदुल हक :
श्री उदय सिंह :

श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पंजाब सहित कतिपय राज्यों में कैंसर के बढ़ते मामलों को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कैंसर रोगियों की अनुमानित संख्या और इससे हुई मौतों के दर्ज मामले सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए आवंटित निधि और खर्च की गई राशि सहित कैंसर को नियंत्रित करने और रोगियों को वहनीय इलाज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का व्यापक कैंसर नियंत्रण तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि कैंसर मामले और मौतों की अनुमानित संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। विगत तीन वर्षों के कैंसर मामलों और मौतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

कैंसर मामलों की संख्या में वृद्धि बढ़ती हुई जनसंख्या, अस्वस्थ जीवन शैली, तम्बाकू का उपयोग तथा तम्बाकू उत्पाद आदि के कारण हो सकती है।

(ग) से (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जांच, उपचार और कैंसर मामलों के प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 2010 में 21 राज्यों के 100 जिलों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है।

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अनंतिम) के दौरान एनपीसीडीसी एक के तहत जारी निधियों और उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

कार्यक्रम के तहत देश भर के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल तृतीयक कैंसर केन्द्र घटक के तहत व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए 6.00 करोड़ (केन्द्रीय सरकार से 4.80 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रुपए) तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। कार्यक्रम के इस घटक के तहत जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

*राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिहाज से नए कैंसर के मामलों की संख्या का अनुमान *(2009-2011)*

क्र.सं.	राज्य	कैंसर के मामलों		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	322	324	327
2.	आंध्र प्रदेश	71737	72553	73330
3.	अरुणाचल प्रदेश	1144	1170	1188

1	2	3	4	5
4.	असम	24084	24460	24716
5.	बिहार	85978	87924	89030
6.	चंडीगढ़	873	889	909
7.	छत्तीसगढ़	21307	21752	22053
8.	दादरा और नगर हवेली	266	282	298
9.	दमन और दीव	182	195	210
10.	दिल्ली	12930	13201	13495
11.	गोवा	1236	1248	1267
12.	गुजरात	50388	51301	52092
13.	हरियाणा	21071	21473	21809
14.	हिमाचल प्रदेश	5798	5868	5905
15.	जम्मू और कश्मीर	10390	10615	10775
16.	झारखंड	27451	28013	28381
17.	कर्नाटक	49688	50436	51070
18.	केरल	28309	28682	29381
19.	लक्षद्वीप	53	54	56
20.	मध्य प्रदेश	51521	52485	53132
21.	महाराष्ट्र	94283	95706	96890
22.	मणिपुर	1422	1455	1480
23.	मेघालय	2457	2516	2551
24.	मिजोरम	1137	1160	1179
25.	नागालैंड	1695	1701	1717
26.	ओडिशा	35407	35878	36171

1	2	3	4	5
27.	पुदुचेरी	1033	1060	1083
28.	पंजाब	23268	23577	23826
29.	राजस्थान	57146	58271	59004
30.	सिक्किम	349	357	364
31.	तमिलनाडु	76279	77418	78446
32.	त्रिपुरा	3081	3132	3178
33.	उत्तर प्रदेश	166327	169419	171369
34.	उत्तराखंड	8463	8616	8740
35.	पश्चिम बंगाल	76935	77975	78820
	योग	1014010	1031166	1044242

*कैंसर घटना (2006-08) डेटा और वास्तविक विकास दर (2001-2011) भारत में मनाया के आधार पर

विवरण-II

*राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिहाज से भारत में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या का अनुमान (2009-2011)**

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों	अनुमानित कैंसर से होने वाली मौतों		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	36145	36641	37144
2.	अरुणाचल प्रदेश	592	611	632
3.	असम	12379	12598	12822
4.	बिहार	41735	42787	43864
5.	छत्तीसगढ़	10341	10541	10745
6.	गोवा	658	499	493

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	25497	26037	26588
8.	हरियाणा	11104	11401	11708
9.	हिमाचल प्रदेश	2947	2996	3045
10.	जम्मू और कश्मीर	4952	5042	5134
11.	झारखंड	13902	14237	14579
12.	कर्नाटक	24688	25105	25531
13.	केरल	14540	14672	14805
14.	मध्य प्रदेश	26088	26645	27214
15.	महाराष्ट्र	48859	49911	50989
16.	मणिपुर	667	679	690
17.	मेघालय	1228	1260	1295
18.	मिजोरम	595	610	626
19.	नागालैंड	1277	1341	1410
20.	ओडिशा	17696	17970	18249
21.	पंजाब	12090	12330	12575
22.	राजस्थान	29463	30209	30976
23.	सिक्किम	204	209	216
24.	तमिलनाडु	37806	38452	39127
25.	त्रिपुरा	1536	1560	1583
26.	उत्तर प्रदेश	85202	87189	89224
27.	उत्तराखंड	4257	4345	4435
28.	पश्चिम बंगाल	38903	39545	40199
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	186	192	197

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	505	523	540
31.	दादरा और नगर हवेली	164	179	195
32.	दमन और दीव	102	109	114
33.	दिल्ली	7649	7962	8289
34.	लक्षद्वीप	30	32	32
35.	पुदुचेरी	483	492	502
	योग	514470	524911	535767

मुंबई डेटा एम मैं/अनुपात (2006-08) के आधार पर

स्रोत: एनसीआरपी : राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर)

विवरण-III

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)

विवरण दिखा रिलीज और धन का उपयोग

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख)					
		2010-11		2011-12		2012-13	
		भारत सरकार द्वारा जारी जीआईए	व्यय राज्य द्वारा रिपोर्टेड	भारत सरकार द्वारा जारी जीआईए	व्यय राज्य द्वारा रिपोर्टेड	भारत सरकार द्वारा जारी जीआईए	व्यय राज्य द्वारा रिपोर्टेड (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	268.57	शून्य	1305.65	शून्य	शून्य	0
2.	असम	249.08	शून्य	915.62	140.00	शून्य	152.31
3.	बिहार	215.16	शून्य	925.1	0	शून्य	0
4.	छत्तीसगढ़	153.49	शून्य	463.8	0	शून्य	3.32
5.	गुजरात	284.04	शून्य	925.1	7.9166	शून्य	73.114
6.	हरियाणा	111.08	शून्य	654.07	31.865	शून्य	50.79

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हिमाचल प्रदेश	136.8	शून्य	463.8	0	शून्य	0
8.	झारखंड	0	शून्य	399.72	0	शून्य	0
9.	जम्मू और कश्मीर	221.97	शून्य	734.82	34.16	शून्य	110.81
10.	कर्नाटक	285.13	शून्य	734.83	24.25	शून्य	36.60
11.	केरल	167.31	शून्य	844.35	4.746	शून्य	0
12.	मध्य प्रदेश	126.69	शून्य	844.35	3.305	शून्य	0
13.	महाराष्ट्र	263.72	शून्य	925.1	54.02	शून्य	64.17
14.	ओडिशा	121.18	शून्य	844.35	16.705	शून्य	0
15.	पंजाब	146.54	शून्य	463.8	0	शून्य	0
16.	राजस्थान	309.51	शून्य	1115.38	0	शून्य	0
17.	सिक्किम	100.78	शून्य	313.88	70.87	शून्य	163.94
18.	तमिलनाडु	131.73	शून्य	844.35	0	शून्य	0
19.	उत्तराखंड	121.51	शून्य	273.53	2.636	शून्य	21.60
20.	उत्तर प्रदेश	0	शून्य	0	0	2431.25	0
21.	पश्चिम बंगाल	157.3	शून्य	463.8	1.12	शून्य	0
	कुल योग	3571.59	शून्य	14455.4	391.59	2431.25	676.65

विवरण-IV

राज्यवार फंड एनपीसीडीसीएस की टीसीसी घटक के तहत जारी की

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	2011-12 लाख रुपए में	2012-13 लाख रुपए में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	480.00	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	480.00
3.	हिमाचल प्रदेश	480.00	शून्य
4.	केरल	960.00	960.00
5.	महाराष्ट्र	शून्य	480.00
6.	मिजोरम	480.00	शून्य

1	2	3	4
7.	पंजाब	480.00	शून्य
8.	सिक्किम	शून्य	480.00
9.	तमिलनाडु	480.00	शून्य

- कोई धन नहीं टीसीसी घटक के तहत 2010-11 में जारी किए गए।
- कोई उपयोग प्रमाणपत्र एनपीसीडीसीएस तृतीयक कैंसर सेंटर घटक के तहत धन के उपयोग के बारे में राज्यों/संस्थानों से प्राप्त किया गया है।

जापानी बुखार की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान

1315. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री कमलेश पासवान :
श्री नीरज शेटकर :
श्री जयंत चौधरी :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री यशवीर सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री सौगत राय :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में जापानी बुखार से प्रभावित जिलों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उपर्युक्त जिलों में जापानी बुखार कीक रोकथाम के लिए बच्चों में टीकाकरण का कोई अभियान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान टीकाकृत बच्चों की संख्या और इसके परिणामस्वरूप जापानी बुखार के मामलों में आयी कमी को दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में जापानी बुखार के मामलों में हाल की वृद्धि के मद्देनजर जापानी बुखार की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में जापानी बुखार से प्रभावित अधिकाधिक जिलों को उक्त अभियान में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जेई के कारण कुल 19 राज्य और 171 जिले प्रभावित हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। अभियान मोड् में जेई टीकाकरण को 2006 से शुरू किया गया था। अभी तक 113 जिलों और कुल 7.78 करोड् बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। टीकाकरण दिए जाने वाले जिलों में जेई मामलों की वर्षवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

19 राज्यों में 171 जेई संक्रामक जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	16
4.	बिहार	24
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	2
7.	हरियाणा	6
8.	झारखंड	8
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	2

1	2	3
11.	मेघालय	4
12.	महाराष्ट्र	9
13.	मणिपुर	8
14.	नागालैंड	7
15.	पंजाब	2
16.	उत्तर प्रदेश	34
17.	उत्तराखंड	1
18.	तमिलनाडु	13
19.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	171

विवरण-II

वर्ष 2006 से 2010 के दौरान जेई टीकाकरण कवरेज

क्र.सं.	राज्य	कुल जिलों की संख्या	कुल टीकाकृत बच्चे
1	2	3	5
1.	असम	11	4718923
2.	आंध्र प्रदेश	10	7820575
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	44793
4.	बिहार	6	5350792
5.	गोवा	2	162572
6.	हरियाणा	6	1959441
7.	कर्नाटक	8	3456656
8.	केरल	2	647440
9.	महाराष्ट्र	8	2807787
10.	मणिपुर	5	410008
11.	नागालैंड	2	159497
12.	तमिलनाडु	10	4345907
13.	उत्तर प्रदेश	36	41599867
14.	उत्तराखंड	1	422762
15.	पश्चिम बंगाल	5	3933622
	कुल	113	77840642

विवरण-III

वर्ष 2009-10 (26.11.2012 तक) जिन राज्यों/जिलों में जेई टीकाकरण किया गया था, उन जेई मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल जिलों की संख्या	जेई मामले			
			2009	2010	2011	2012 (पी) 26.11.2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	11	0	113	408	390

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	10	0	5	3	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	0
4.	बिहार	6	0	0	45	0
5.	गोवा	2	1	10	1	8
6.	हरियाणा	6	2	1	1	1
7.	कर्नाटक	8	7	3	15	0
8.	केरल	2	6	2	3	0
9.	महाराष्ट्र	8	0	0	6	3
10.	मणिपुर	5	44	10	8	2
11.	नागालैंड	2	0	0	19	0
12.	तमिलनाडु	10	0	3	7	7
13.	उत्तर प्रदेश	36	302	325	224	134
14.	उत्तराखंड	1	0	0	0	0
15.	पश्चिम बंगाल	5	0	1	24	7
	कुल	113	362	474	754	552

[हिन्दी]

सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां

1316. **श्री ए.टी. नाना पाटील :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री सी शिवासामी :
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री उदय सिंह :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री पी सी गद्दीगौदर :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी पटेल :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों/सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने निःशुल्क दवा वितरण हेतु इनकी खरीद के कारण राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि संवितरित की जानी है;

(घ) क्या सरकार के पास दवा के निःशुल्क संवितरण की निगरानी करने और निधि/दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से एनआरएचएम के कार्यान्वयन को युक्तिसंगत बनाने के लिए नीति संबंधी तथ्य कागजात अनिवार्य औषधि सूची मानक चिकित्सा नयाचार और प्रापण प्रणाली तैयार करने के लिए कहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग से आज की तारीख में 1083 शहरी स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण केंद्र और 871 शहरी स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) धनराशि का राज्य/संघ प्रदेशवार आबंटन विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। प्रत्येक राज्य में औषधियों के निःशुल्क वितरण सहित अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के तहत अनुमोदित कार्यों को लागू करने पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र होता है। राज्यों को मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण के लिए भी एनआरएचएम के तहत सहायता दी जाती है। इसके अलावा अत्यावश्यक औषधियों के निःशुल्क वितरण समेत मिशन के तहत विभिन्न कार्यकलापों का आकलन करने के लिए वार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन और एकीकृत मानीटरिंग दौरे पर किए जाते हैं। साथ ही, राज्यों को लक्ष्यों और व्यय की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी पड़ती है।

(च) और (छ) जैसा कि उपर्युक्त (घ) और (ङ) में उल्लेख किया गया है, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य द्वारा अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रस्तावित अपेक्षाओं के आधार पर औषधियों की आपूर्ति समेत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। राज्यों को अत्यावश्यक औषधि सूची तैयार करने समेत अत्यावश्यक औषधियों के निःशुल्क वितरण, जनस्वास्थ्य सुविधाओं में मानक उपचार प्रोटोकाल, अत्यावश्यक औषधियों के निःशुल्क वितरण के लिए सुदृढ़ अधिप्रापण प्रणाली बनाने हेतु नीति तैयार करने और प्रणालियां स्थापित करने के लिए उनके कुल परिव्यय की 5 प्रतिशत तक राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।

विवरण-I

कार्य कर रहे उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार		
		उप केंद्र	पीएचसी	सीएचसी
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	12522	1624	281

1	2	3	4	5
2	अरूणाचल प्रदेश	286	97	48
3	असम	4604	938	108
4	बिहार	9696	1863	70
5	छत्तीसगढ़	5076	741	148
6	गोवा	175	19	5
7	गुजरात	7274	1123	305
8	हरियाणा	2508	444	107
9	हिमाचल प्रदेश	2067	453	76
10	जम्मू व कश्मीर	1907	397	83
11	झारखंड	3958	330	188
12	कर्नाटक	8870	2310	180
13	केरल	4575	809	224
14	मध्य प्रदेश	8869	1156	333
15	महाराष्ट्र	10580	1809	365
16	मणिपुर	420	80	16
17	मेघालय	405	109	29
18	मिजोरम	370	57	9
19	नागालैंड	396	126	21
20	ओडिशा	6688	1228	377
21	पंजाब	2950	446	129
22	राजस्थान	11487	1517	376
23	सिक्किम	146	24	2
24	तमिलनाडु	8706	1204	385
25	त्रिपुरा	632	79	11

1	2	3	4	5
26	उत्तराखंड	1765	239	55
27	उत्तर प्रदेश	20521	3692	515
28	पश्चिम बंगाल	10356	909	348
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	114	19	4
30	चंडीगढ़	17	0	2
31	दादरा और नगर हवेली	50	6	1
32	दमण व दीव	26	3	2
33	दिल्ली	41	8	0
34	लक्षद्वीप	14	4	3
35	पुदुचेरी	53	24	3
	ऑल इंडिया	148124	23887	4809

टिप्पणी :

1. 117 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 29 क्षेत्र अस्पतालों को परिवर्तित करके कुल 146 नए सीएचसी सृजित किए गए हैं।
2. 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। भारत सरकार के मानदंडों के भीतर लाने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अद्यतन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति ब्लाक के साथ 385 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किए गए।
3. 146 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को तालुक स्तरीय अस्पतालों के रूप में दर्शाया गया है।

विवरण-II

प्रशासनिक अनुमोदन में दवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2012-13 के लिए धन का आवंटन

लाख रु. में

क्रम सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	स्वीकृत कुल
1	2	3
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	187.01
2	आंध्र प्रदेश	3657.68
3	अरूणाचल प्रदेश	415.49
4	असम	11617.99
5	बिहार	8408.9
6	चंडीगढ़	109.4
7	छत्तीसगढ़	893.02

1	2	3
8	दादरा और नगर हवेली	66.56
9	दमन और दीव	14.9
10	दिल्ली	1737.46
11	गोवा	196.56
12	गुजरात	2317.08
13	हरियाणा	2264.57
14	हिमाचल प्रदेश	489.1
15	जम्मू व कश्मीर	968.46
16	झारखंड	3548.12
17	कर्नाटक	5656.91
18	केरल	3121.92
19	लक्षद्वीप	2.6
20	मध्य प्रदेश	8039.77
21	महाराष्ट्र	19241.1
22	मणिपुर	409.41
23	मेघालय	826.07
24	मिजोरम	522.66
25	नागालैंड	805.82
26	ओडिशा	5482.31
27	पुदुचेरी	251.82
28	पंजाब	4787.87
29	राजस्थान	5067.03
30	सिक्किम	224.79
31	तमिलनाडु	7504.2
32	त्रिपुरा	633.35
33	उत्तर प्रदेश	14148.2
34	उत्तराखंड	664.88
35	पश्चिम बंगाल	15888.04
	योग	130158.05

निवेश का पता लगाने वाली प्रणाली

1317. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री अधलराव पाटील श्विवाजी :
डॉ. संजय सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित निवेश का पता लगाने वाली प्रणाली ने कब से कार्य शुरू कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप शुरूआत से अर्हक लाभ हेतु प्राप्त अद्यतन सूचना का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रवर्तकों/उनके प्राधिकारियों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, यदि कोई हो, के परियोजना-वार कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) व्यापार एवं उद्योग के संबंध में प्रधानमंत्री परिषद द्वारा दिसंबर, 2011 को आयोजित की गई बैठक में लिए निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने 1000 करोड़ रु. और इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए मई, 2012 में निवेश ट्रैकिंग सिस्टम का गठन किया है।

निजी क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण विभिन्न स्तरों पर विलंबित मंजूरी, ईंधन/कच्चे माल की उपलब्धता, अपेक्षित करारों पर हस्ताक्षर किया जाना, बैंकों द्वारा वित्तीय संवरण आदि हैं ।

बड़ी परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए अलग-अलग और प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विलंबित परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

नर्सिंग संस्थाएं

1318. **श्री दत्ता मेघे :**
योगी आदित्यनाथ :
कुमारी मौसम नूर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में प्रशिक्षित नर्सों और प्रसाविकाओं की कमी को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में नर्स-रोगी के वर्तमान अनुपात को दर्शाते हुए तत्संबंधी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नर्सिंग डिप्लोमा विद्यालयों, नर्सिंग डिग्री विद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालयों का राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनमें सीटें कितनी हैं;

(घ) देशभर में नर्सिंग प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी और शैक्षिक संस्थाओं को खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने को प्रस्तावित स्थान-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नर्सिंग संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया है, की संख्या तथा अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग की राष्ट्रीय कार्यबल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 तक 9.55 लाख नर्सों की कमी होगी जिसमें से 2 से 3 लाख की कमी सरकारी सुविधा केंद्रों में ही होगी। नर्स-रोगी अनुपात राज्य-दर-राज्य, जिला-दर-जिला और संस्थान-दर-संस्थान भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न यूनिटों और शिफ्टों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिचर्या, आकार और स्थान की आवश्यकता के अनुसार यह अनुपात भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नर्सिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न राज्यों में सहायक नर्सधात्री/जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थान खोलने के लिए निधियां जारी की हैं, ऐसे संस्थानों/जिलों की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। उक्त योजना के अंतर्गत संस्थान खोलना योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

नर्सिंग स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	31 अक्टूबर, 2012 तक डिप्लोमा संस्थान		31 अक्टूबर 2012 तक डिग्री संस्थान	
	स्कूलों/संस्थान की सं.	सीटों की संख्या	स्कूलों/संस्थान की सं.	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	20	0	0
आंध्र प्रदेश	252	10984	223	11611

1	2	3	4	5
अरूणाचल प्रदेश	2	40	0	0
असम	25	648	8	420
बिहार	15	676	3	120
चंडीगढ़	0	0	1	60
छत्तीसगढ़	36	1315	54	2520
दादरा और नगर हवेली	1	20	0	0
दिल्ली	15	625	11	555
गोवा	2	70	3	130
गुजरात	92	3695	42	1945
हरियाणा	59	2410	25	1125
हिमाचल प्रदेश	33	1250	13	580
जम्मू व कश्मीर	12	745	6	180
झारखंड	21	495	4	270
कर्नाटक	548	25431	341	18453
केरल	219	6835	126	6870
मध्य प्रदेश	246	9870	112	5420
महाराष्ट्र	152	4719	89	4005
मणिपुर	8	230	6	240
मेघालय	7	195	2	90
मिजोरम	5	130	2	65
नागालैंड	2	50	0	0
ओडिशा	55	2240	14	710
पुदुचेरी	5	160	14	955

1	2	3	4	5
पंजाब	199	9728	88	4260
राजस्थान	183	8680	142	6226
सिक्किम	1	60	2	160
तमिलनाडु	206	6030	166	9410
त्रिपुरा	5	230	3	150
उत्तर प्रदेश	193	9000	54	2540
उत्तराखंड	14	460	7	320
पश्चिम बंगाल	56	2183	17	855
कुल योग	2670	109224	1578	80245

विवरण-II

संस्थानों/जिलों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य	एएनएम/जीएनएम स्कूल खोलने के लिए जिले/स्थान के लिए जारी फंड
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. तिरुपति तिरूपति
		2. नरसापुरम
		3. एलुरु
		4. विजयवाड़ा
		5. ओंगोले
		6. काकीनाडा
		7. करीमनगर
2.	अरूणाचल प्रदेश	1. लोहित
		2. तवांग
		3. उत्तरी सियांग
		4. पश्चिम सियांग
3.	बिहार	1. औरंगाबाद
		2. बांका
		3. बक्सर
		4. जमुई
		5. जहानाबाद
		6. कैमूर (भबुआ)
		7. खगरिया
		8. लखीसराय
		9. नवादा

1	2	3
		10. सरन
		11. शेखपुरा
		12. शिवहर
		13. सीवान
		14. सुपौल
		15. वैशाली
		16. किशनगंज
		17. पूर्णिया (किशनगंज)
		18. सासाराम, रोहतास
		19. मधेपुरा
		20. पश्चिमी चंपारण
		21. कटिहार
		22. दरभंगा
		23. सहरसा
4.	छत्तीसगढ़	1. बीजापुर
		2. दंतेवाडा
		3. जांजगीर-चंपा
		4. कांकेर
		5. कवर्धा
		6. कोरबा
		7. कोरिया
		8. महासमुंद
		9. नारायण

1	2	3
5.	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. आनंद
		3. भावनगर
		4. जामनगर
		5. खेड़ा
		6. पाटन
		7. पोरबंदर
		8. वलसाड
6.	हरियाणा	1. पलवल
		2. मेवात
		3. कुरुक्षेत्र
7.	जम्मू व कश्मीर	1. बांदीपुरा
		2. बदगम
		3. कारगिल
		4. किश्तवाड़
		5. कुलगाम
		6. पुलवामा
		7. रामबन
		8. रियासी
		9. साम्बा
		10. शोपियां
		11. ऊधमपुर
8.	झारखंड	1. चतरा

1	2	3
		2. गोड्डा
		3. गुमला
		4. खूंटी
		5. लातेहार
		6. रामगढ़
		7. सरायकेला
		8. हजारीबाग
		9. पलामू
		10. जामताड़ा
9.	मध्य प्रदेश	1. अनुपपुर
		2. अलीराजपुर
		3. अशोकनगर
		4. बुरहानपुर
		5. डिण्डोरी
		6. हरदा
		7. नीमच
		8. रेवा
		9. शाजापुर
		10. श्योपुर
		11. सिंगरौली
		12. उमरिया
		13. मंदसौर
		14. देवास

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	1. गढ़चिरौली-छिमूर
		2. पुसाड यवतमाल
		3. वाशिम
		4. नंदुरबार
		5. रत्नागिरी
		6. सिंधुदुर्ग
		7. भंडारा
		8. अमरावती
11.	मेघालय	1. पूर्वी गारो हिल्स
		2. री भोई
		3. दक्षिण गारो हिल्स
		4. पश्चिम खासी हिल्स
12.	मणिपुर	1. बिष्णुपुर
		2. चंदेल
		3. सेनापति
		4. तामेंगलांग
		5. थोबल
		6. ऊखरई
13.	मिजोरम	1. छाहपाई
		2. कोलसीब
		3. लावंगथई
		4. सैहा
		5. सरछीप

1	2	3
14.	नागालैंड	1. सोम
		2. फेक
15.	ओडिशा	1. बौद्ध
		2. नाबरंगपुर
		3. सुब्रानपुर
		4. कालाहांडी
		5. सुंदरगढ़
		6. खानदमल
		7. ढेंकनाल
16.	पुदुचेरी	1. माहे
		2. यानम
		3. कराईकल
17.	पंजाब	1. रूपनगर
		2. भटिंडा
		3. गुरदासपुर
		4. संगरुर
		5. पटियाला
18.	राजस्थान	1. बारां
		2. प्रतापगढ़
19.	सिक्किम	1. पूर्वी सिक्किम
		2. पश्चिम सिक्किम
20.	तमिलनाडु	1. नमक्कल
		2. शिवगंगा
		3. थेनी
21.	उत्तराखंड	1. बागेश्वर
		2. चमोली
		3. चम्पावत
		4. हरिद्वार
		5. नैनीताल
		6. पिथौरागढ़
		7. रुद्रप्रयाग
		8. टिहरी गढ़वाल
		9. उत्तरकाशी
		10. पौड़ी गढ़वाल
		11. अल्मोड़ा
22.	पश्चिम बंगाल	1. घाताल
		2. बारासात
		3. माल्दा
		4. एन जंगीपुर
		5. डब्ल्यू मेंदनीपोर
		6. हावड़ा
		7. कोलकाता एन
		8. बासीराहत

[अनुवाद]

चिकित्सकों और पराचिकित्सा कर्मियों की कमी

1319. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री धनंजय सिंह :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु बेहतर वेतन और आकर्षक लाभों के प्रावधानों के बावजूद इन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं पराचिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों और परामेडिकल स्टॉफ की कमी के राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण I-IX पर दिए गए हैं।

कमी के लिए उत्तरदायी कारणों में डाक्टरों और परामेडीक्स में अपेक्षित संख्या की गैर उपलब्धता, कुछेक राज्यों में मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने के लिए डाक्टरों की अनिच्छा शामिल है।

(ग) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। संविदा आधार पर डाक्टरों और परामेडिक्स की नियुक्ति समेत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए डाक्टरों की बहु-कुशलता, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहनों को प्रावधान, आयुष को मुख्य धारा में लाना, आवास व्यवस्था में सुधार आदि के लिए एनआरएचएम के तहत आगे भी सहायता प्रदान की जा रही है। कमी वाले राज्यों में अधि डाक्टरों और परमेडिक्स लाने के लिए अधिक मेडिकल कॉलेजों, जीएनएम स्कूल तथा एएनएम स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। भूमि की आवश्यकता, संकाय, बेड स्ट्रेन्थ/बेड ओक्यूपेन्सी और अन्य अवसंरचना के रूप में मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए मानदंडों में छूट की गई है। भूमि के दो हिस्सों में मेडिकल कॉलेजों की पांच वर्षों की अवधि के लिए 8 पिछडे राज्यों में स्थापित करने की अनुमति दी गई है। विगत 4 वर्षों के दौरान, 66 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

विवरण-I

स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला/उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		आवश्यक आर	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली .एस.पी.	कमी (आरपी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14146	24523	21647	2876	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	383	लागू नहीं	395	लागू नहीं	*
3.	असम	5542	लागू नहीं	8723	लागू नहीं	*

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	11559	लागू नहीं	16943	लागू नहीं	*
5.	छत्तीसगढ़	5817	6394	5430	964	387
6.	गोवा	194	260	240	20	*
7.	गुजरात	8397	7248	6431	817	1966
8.	हरियाणा	2952	5420	5034	386	*
9.	हिमाचल प्रदेश	2520	2213	1685	528	835
10.	जम्मू और कश्मीर	2304	2282	3777	*	*
11.	झारखंड	4288	4288	6372	*	*
12.	कर्नाटक	11180	11180	11433	*	*
13.	केरल	5384	4232	4173	59	1211
14.	मध्य प्रदेश	10025	11904	12516	*	*
15.	महाराष्ट्र	12389	21122	21726	*	*
16.	मणिपुर	500	984	661	323	*
17.	मेघालय	514	667	787	*	*
18.	मिजोरम	427	388	619	*	*
19.	नागालैंड	522	लागू नहीं	907	लागू नहीं	*
20.	ओडिशा	7916	7442	7934	*	*
21.	पंजाब	3396	4044	4096	*	*
22.	राजस्थान	13004	14348	17638	*	*
23.	सिक्किम	170	219	292	*	*
24.	तमिलनाडु	9910	9910	9774	136	136
25.	त्रिपुरा	711	लागू नहीं	440	लागू नहीं	271
26.	उत्तराखंड	2004	2077	2192	*	*
27.	उत्तर प्रदेश	24213	25190	22464	2726	1749

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	11265	10356	12966	*	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	133	214	214	0	*
30.	चंडीगढ़	17	17	29	*	*
31.	दादरा और नगर हवेली	56	40	81	*	*
32.	दमन और दीव	29	26	40	*	*
33.	दिल्ली	49	43	54	*	*
34.	लक्षद्वीप	18	लागू नहीं	31	लागू नहीं	'
35.	पुदुचेरी	77	72	124	*	*
	अखिल भारत	172011	177103	207868	8835	6555

टिप्पणियां:

2010 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग किया

अधिशेष रिक्त और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

[1]रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता है

विवरण-II

स्वास्थ्य सहायकों [महिला]/पीएचसी में एलएचवी

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली एस.पी.	कमी (आरपी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1624	1390	1149	241	475
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	असम	938	लागू नहीं	452	लागू नहीं	486

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	1863	850	358	492	1505
5.	छत्तीसगढ़	741	1034	749	285	*
6.	गोवा	19	20	18	2	1
7.	गुजरात	1123	1084	875	209	248
8.	हरियाणा	444	484	398	86	46
9.	हिमाचल प्रदेश	453	350	245	105	208
10.	जम्मू और कश्मीर	397	375	88	287	309
11.	झारखंड	330	लागू नहीं	85	लागू नहीं	245
12.	कर्नाटक	2310	3813	1036	2777	1274
13.	केरल	809	809	795	14	14
14.	मध्य प्रदेश	1156	726	546	180	610
15.	महाराष्ट्र	1809	3814	2955	859	*
16.	मणिपुर	80	73	72	1	8
17.	मेघालय	109	85	79	6	30
18.	मिजोरम	57	57	12	45	45
19.	नागालैंड	126	15	16	*	110
20.	ओडिशा	1228	1162	920	242	308
21.	पंजाब	446	441	387	54	59
22.	राजस्थान	1517	1369	1420	*	97
23.	सिक्किम	24	24	18	6	6
24.	तमिलनाडु	1204	1204	1022	182	182
25.	त्रिपुरा	79	लागू नहीं	7	लागू नहीं	72
26.	उत्तराखंड	239	141	137	4	102
27.	उत्तर प्रदेश	3692	3811	2040	1771	1652

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	909	0	0	0	909
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	19	10	9	9
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	7	1	6	5
32.	दमन और दीव	3	0	0	0	3
33.	दिल्ली	8	12	8	4	0
34.	लक्षद्वीप	4	1	1	0	3
35.	पुदुचेरी	24	12	9	3	15
	अखिल भारत	23887	23182	15908	7870	9036

टिप्पणियां:

\# 2010 के लिए दोहराया

\## 2010 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग किया

NA: उपलब्ध नहीं है

* अधिशेष रिक्त और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

[1] प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रति

[2] रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता

विवरण-III

स्वास्थ्य सहायक पीएचसी

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली -एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1624	2162	1920	242	*

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	लागू नहीं	78	लागू नहीं	19
3.	असम	938	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	बिहार	1863	649	556	93	1307
5.	छत्तीसगढ़	741	746	153	593	588
6.	गोवा	19	0	0	0	19
7.	गुजरात	1123	1084	758	326	365
8.	हरियाणा	444	171	130	41	314
9.	हिमाचल प्रदेश	453	413	269	144	184
10.	जम्मू और कश्मीर	397	लागू नहीं	90	लागू नहीं	307
11.	झारखंड	330	लागू नहीं	570	लागू नहीं	*
12.	कर्नाटक	2310	2310	823	1487	1487
13.	केरल	809	809	633	176	176
14.	मध्य प्रदेश	1156	305	140	165	1016
15.	महाराष्ट्र	1809	4600	2360	2240	*
16.	मणिपुर	80	73	73	0	7
17.	मेघालय	109	102	69	33	40
18.	मिजोरम	57	57	9	48	48
19.	नागालैंड	126	15	15	0	111
20.	ओडिशा	1228	लागू नहीं	0	लागू नहीं	1228
21.	पंजाब	446	441	236	205	210
22.	राजस्थान	1517	252	201	51	1316
23.	सिक्किम	24	30	13	17	11
24.	तमिलनाडु	1204	2804	1899	905	*
25.	त्रिपुरा	79	लागू नहीं	18	लागू नहीं	61

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	239	165	84	81	155
27.	उत्तर प्रदेश	3692	5757	4518	1239	*
28.	पश्चिम बंगाल	909	0	0	0	909
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	0	0	0	19
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	0	0	0	6
32.	दमन और दीव	3	2	2	0	1
33.	दिल्ली	8	4	0	4	8
34.	लक्षद्वीप	4	0	0	0	4
35.	पुदुचेरी	24	13	5	8	19
	अखिल भारत	23887	22964	15622	8098	9935

टिप्पणियां:

\# 2010 के लिए दोहराया

*: अधिशेष रिक्त और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

² रिक्ति और कमी के समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता

विवरण-IV

** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर्स*

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1624	2424	2348	76	*

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	लागू नहीं	92	लागू नहीं	5
3.	असम	938	लागू नहीं	1557	लागू नहीं	*
4.	बिहार	1863	2078	3532	*	*
5.	छत्तीसगढ़	741	1482	424	1058	317
6.	गोवा	19	46	41	5	*
7.	गुजरात	1123	1123	778	345	345
8.	हरियाणा	444	651	530	121	*
9.	हिमाचल प्रदेश	453	582	451	131	2
10.	जम्मू और कश्मीर	397	750	881	*	*
11.	झारखंड	330	330	392	*	*
12.	कर्नाटक	2310	2310	2089	221	221
13.	केरल	809	1204	1122	82	*
14.	मध्य प्रदेश	1156	1238	814	424	342
15.	महाराष्ट्र	1809	3618	2292	1326	*
16.	मणिपुर	80	240	192	48	*
17.	मेघालय	109	127	104	23	5
18.	मिजोरम	57	57	37	20	20
19.	नागालैंड	126	लागू नहीं	101	लागू नहीं	25
20.	ओडिशा	1228	725	525	200	703
21.	पंजाब	446	487	487	0	*
22	राजस्थान	1517	1478	1472	6	45
23.	सिक्किम	24	48	39	9	*
24.	तमिलनाडु	1204	2326	1704	622	*
25.	त्रिपुरा	79	लागू नहीं	119	लागू नहीं	*

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	239	299	234	65	5
27.	उत्तर प्रदेश	3692	4509	2861	1648	831
28.	पश्चिम बंगाल	909	1807	1006	801	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	40	28	12	*
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन और दीव	3	3	5	*	*
33.	दिल्ली	8	22	19	3	*
34.	लक्षद्वीप	4	4	10	*	*
35.	पुदुचेरी	24	37	37	0	*
	अखिल भारत	23887	30051	26329	7246	2866

टिप्पणियां:

2010 के लिए दोहराया

NA: उपलब्ध नहीं है

+: एलोपैथिक डॉक्टर

*: अधिशेषरिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

1

2 रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता

विवरण-V

सीएचसी में कुल विशेषज्ञों

कुल विशेषज्ञ सर्जनों आबी, और जीवाई, चिकित्सकों, और बाल रोग]

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली .एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1124	578	408	170	716

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	192	लागू नहीं	1	लागू नहीं	191
3.	असम	432	लागू नहीं	216	लागू नहीं	216
4.	बिहार	280	280	151	129	129
5.	छत्तीसगढ़	592	592	82	510	510
6.	गोवा	20	16	10	6	10
7.	गुजरात	1220	346	76	270	1144
8.	हरियाणा	428	257	45	212	383
9.	हिमाचल प्रदेश	304	लागू नहीं	9	लागू नहीं	295
10.	जम्मू और कश्मीर	332	315	170	145	162
11.	झारखंड	752	124	66	58	686
12.	कर्नाटक	720	लागू नहीं	584	लागू नहीं	136
13.	केरल	896	640	774	*	122
14.	मध्य प्रदेश	1332	778	227	551	1105
15.	महाराष्ट्र	1460	649	600	49	860
16.	मणिपुर	64	64	4	60	60
17.	मेघालय	116	8	9	*	107
18.	मिजोरम	36	लागू नहीं	2	लागू नहीं	34
19.	नागालैंड	84	लागू नहीं	34	लागू नहीं	50
20.	ओडिशा	1508	812	438	374	1070
21.	पंजाब	516	460	300	160	216
22.	राजस्थान	1504	1068	569	499	935
23.	सिक्किम	8	लागू नहीं	0	लागू नहीं	8
24.	तमिलनाडु	1540	0	0	0	1540
25.	त्रिपुरा	44	लागू नहीं	0	लागू नहीं	44

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	220	210	78	132	142
27.	उत्तर प्रदेश	2060	2060	1894	166	166
28.	पश्चिम बंगाल	1392	542	175	367	1217
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	16	0	16	16
30.	चंडीगढ़	8	11	7	4	1
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	0	0	4
32.	दमन और दीव	8	2	0	2	8
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	12	0	1	*	11
35.	पुदुचेरी	12	3	5	*	7
	अखिल भारत	19236	9831	6935	3880	12301

टिप्पणियां:

\# 2010 के लिए डेटा दोहराया

NA: उपलब्ध नहीं है

[1] राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

[2] रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्धन नहीं है, बाहर रखा जा सकता

[2] विशेषज्ञ आधार को काम पर रखने पर सीएचसी में भाग ले रहे हैं

विवरण-VI

सीएचसी में रेडियोग्राफर

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली .एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	281	255	117	138	164

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	लागू नहीं	9	लागू नहीं	39
3.	असम	108	लागू नहीं	61	लागू नहीं	47
4.	बिहार	70	89	13	76	57
5.	छत्तीसगढ़	148	148	70	78	78
6.	गोवा	5	8	7	1	*
7.	गुजरात	305	273	122	151	183
8.	हरियाणा	107	91	73	18	34
9.	हिमाचल प्रदेश	76	71	63	8	13
10.	जम्मू और कश्मीर	83	77	81	*	2
11.	झारखंड	188	लागू नहीं	58	लागू नहीं	130
12.	कर्नाटक	180	लागू नहीं	172	लागू नहीं	8
13.	केरल	224	13	10	3	214
14.	मध्य प्रदेश	333	287	191	96	142
15.	महाराष्ट्र	365	153	130	23	235
16.	मणिपुर	16	13	13	0	3
17.	मेघालय	29	21	22	*	7
18.	मिजोरम	9	9	6	3	3
19.	नागालैंड	21	लागू नहीं	1	लागू नहीं	20
20.	ओडिशा	377	61	42	19	335
21.	पंजाब	129	114	117	*	12
22.	राजस्थान	376	208	260	*	116
23.	सिक्किम	2	लागू नहीं	1	लागू नहीं	1
24.	तमिलनाडु	385	207	139	68	246
25.	त्रिपुरा	11	लागू नहीं	7	लागू नहीं	4

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	55	55	13	42	42
27.	उत्तर प्रदेश	515	269	181	88	334
28.	पश्चिम बंगाल	348	366	226	140	122
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	2	2	2
30.	चंडीगढ़	2	5	2	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	लागू नहीं	1	लागू नहीं	0
32.	दमन और दीव	2	3	3	0	*
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	3	3	5	*	*
35.	पुदुचेरी	3	3	3	0	0
	अखिल भारत	4809	2806	2221	957	2593

टिप्पणियां:

2010 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग किया

NA: उपलब्ध नहीं है

[1] प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रति

*: अधिशेषरिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

[2] रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता

विवरण-VII

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर फार्मासिस्ट

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1905	2154	1817	337	88

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	लागू नहीं	56	लागू नहीं	89
3.	असम	1046	लागू नहीं	1262	लागू नहीं	*
4.	बिहार	1933	989	439	550	1494
5.	छत्तीसगढ़	889	1037	548	489	341
6.	गोवा	24	26	25	1	*
7.	गुजरात	1428	1433	904	529	524
8.	हरियाणा	551	435	406	29	145
9.	हिमाचल प्रदेश	529	614	353	261	176
10.	जम्मू और कश्मीर	480	231	680	*	*
11.	झारखंड	518	501	344	157	174
12.	कर्नाटक	2490	लागू नहीं	2417	लागू नहीं	73
13.	केरल	1033	1033	1013	20	20
14.	मध्य प्रदेश	1489	642	331	311	1158
15.	महाराष्ट्र	2174	2071	2322	*	*
16.	मणिपुर	96	135	135	0	*
17.	मेघालय	138	149	142	7	*
18.	मिजोरम	66	69	33	36	33
19.	नागालैंड	147	लागू नहीं	112	लागू नहीं	35
20.	ओडिशा	1605	1720	1265	455	340
21.	पंजाब	575	844	939	*	*
22.	राजस्थान	1893	362	551	*	1342
23.	सिक्किम	26	लागू नहीं	10	लागू नहीं	16
24.	तमिलनाडु	1589	1619	1465	154	124
25.	त्रिपुरा	90	लागू नहीं	116	लागू नहीं	*

1	2	3	4	5	6	-
26.	उत्तराखंड	294	331	267	64	27
27.	उत्तर प्रदेश	4207	6472	5582	890	*
28.	पश्चिम बंगाल	1257	1501	1018	483	239
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	27	39	*	*
30.	चंडीगढ़	2	16	16	0	*
31.	दादरा और नगर हवेली	7	लागू नहीं	8	लागू नहीं	*
32.	दमन और दीव	5	5	4	1	1
33.	दिल्ली	8	3	3	0	5
34.	लक्षद्वीप	7	11	20	*	*
35.	पुदुचेरी	27	30	29	1	*
	अखिल भारत	28696	24460	24671	4775	6444

टिप्पणियां:

2010 के लिए डेटा

2010 के लिए स्वीकृत डेटा दोहराया

NA: उपलब्ध नहीं है

1 प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रति

*: अधिशेषरिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं

विवरण-VIII

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला तकनीशियन

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		[1]आवश्यक (आर)	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली - एस.पी.	कमी [आरपी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1905	1793	1476	317	429

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	लागू नहीं	88	लागू नहीं	57
3.	असम	1046	लागू नहीं	1211	लागू नहीं	*
4.	बिहार	1933	683	498	185	1435
5.	छत्तीसगढ़	889	889	277	612	612
6.	गोवा	24	24	22	2	2
7.	गुजरात	1428	1426	975	451	453
8.	हरियाणा	551	446	316	130	235
9.	हिमाचल प्रदेश	529	387	320	67	209
10.	जम्मू और कश्मीर	480	529	630	*	*
11.	झारखंड	518	518	371	147	147
12.	कर्नाटक	2490	लागू नहीं	1058	लागू नहीं	1432
13.	केरल	1033	238	268	*	765
14.	मध्य प्रदेश	1489	816	606	210	883
15.	महाराष्ट्र	2174	1492	1501	*	673
16.	मणिपुर	96	133	132	1	*
17.	मेघालय	138	146	134	12	4
18.	मिजोरम	66	40	71	*	*
19.	नागालैंड	147	लागू नहीं	104	लागू नहीं	43
20.	ओडिशा	1605	476	330	146	1275
21.	पंजाब	575	648	497	151	78
22.	राजस्थान	1893	1818	2639	*	*
23.	सिक्किम	26	लागू नहीं	32	लागू नहीं	*
24.	तमिलनाडु	1589	1406	896	510	693
25.	त्रिपुरा	90	लागू नहीं	63	लागू नहीं	27

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	294	89	87	2	207
27.	उत्तर प्रदेश	4207	1116	995	121	3212
28.	पश्चिम बंगाल	1257	984	525	459	732
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	23	22	1	1
30.	चंडीगढ़	2	8	8	0	*
31.	दादरा और नगर हवेली	7	लागू नहीं	9	लागू नहीं	*
32.	दमन और दीव	5	4	4	0	1
33.	दिल्ली	8	3	2	1	6
34.	लक्षद्वीप	7	8	12	*	*
35.	पुदुचेरी	27	10	29	*	*
	अखिल भारत	28696	16153	16208	3525	13611

टिप्पणियां:

2010 के लिए दोहराया।

2010 के लिए स्वीकृत डेटा दोहराया।

NA: उपलब्ध नहीं है।

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रति अधिशेषरिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े।

*: राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं।

रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता।

विवरण-IX

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	(जैसा कि मार्च, 2011 को)				
		आवश्यक आर1	स्वीकृत एस	स्थिति में पै.	खाली -एस.पी.	कमी आरपी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3591	5364	4177	1187	*

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	433	लागू नहीं	293	लागू नहीं	140
3.	असम	1694	लागू नहीं	2844	लागू नहीं	*
4.	बिहार	2353	1662	1736	*	617
5.	छत्तीसगढ़	1777	1085	497	588	1280
6.	गोवा	54	133	132	1	*
7.	गुजरात	3258	4058	2705	1353	553
8.	हरियाणा	1193	2478	2003	475	*
9.	हिमाचल प्रदेश	985	546	491	55	494
10.	जम्मू और कश्मीर	978	991	841	150	137
11.	झारखंड	1646	1458	872	586	774
12.	कर्नाटक	3570	लागू नहीं	4722	लागू नहीं	*
13.	केरल	2377	2099	2014	85	363
14.	मध्य प्रदेश	3487	3723	2467	1256	1020
15.	महाराष्ट्र	4364	10151	8154	1997	*
16.	मणिपुर	192	586	574	12	*
17.	मेघालय	312	441	414	27	*
18.	मिजोरम	120	लागू नहीं	262	लागू नहीं	*
19.	नागालैंड	273	334	302	32	*
20.	ओडिशा	3867	1230	1046	184	2821
21.	पंजाब	1349	1715	1952	*	*
22.	राजस्थान	4149	5628	11926	*	*
23.	सिक्किम	38	लागू नहीं	32	लागू नहीं	6
24.	तमिलनाडु	3899	7646	6653	993	*
25.	त्रिपुरा	156	लागू नहीं	393	लागू नहीं	*

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तराखंड	624	240	248	*	376
27.	उत्तर प्रदेश	7297	4548	2627	1921	4670
28.	पश्चिम बंगाल	3345	6853	4544	2309	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47	141	152	*	*
30.	चंडीगढ़	14	47	46	1	*
31.	दादरा और नगर हवेली	13	लागू नहीं	30	लागू नहीं	*
32.	दमन और दीव	17	14	11	3	6
33.	दिल्ली	8	5	3	2	5
34.	लक्षद्वीप	25	28	49	*	*
35.	पुदुचेरी	45	121	132	*	*
	अखिल भारत	57550	63325	65344	13217	13262

टिप्पणियां:

2010 के लिए दोहराया

2010 के लिए स्वीकृत डेटा दोहराया

NA: उपलब्ध नहीं है

*: प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रति अधिशेषरिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्ति और कमी की अनदेखी अधिशेष के कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योग कर रहे हैं रिक्ति और कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनशक्ति स्थिति उपलब्ध नहीं हैं, बाहर रखा जा सकता

रसोई गैस और सीएनजी पर सब्सिडी

1320. **श्री मनोहर तिरकी :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रसोई गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पर सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्तमान में रसोई गैस पर राजसहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। इसके अलावा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पर कोई राजसहायता नहीं है। घरेलू राजसहायता प्रापत सिलिडरों पर वार्षिक सीमा के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

1321. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
श्री हरिन पाठक :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री सी. शिवासामी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इसे देशभर में एक साथ अथवा प्रायोगिक आधार पर देश के कुछ भागों में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) से (ङ) शहरी गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एकत्र छत्रछाया के तहत एक योजना को 12वीं योजना मसौदा दस्तावेज में प्रस्तावित किया गया है। योजना के ब्यौरे और समयसीमा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

एमडीआर-टीबी और एक्सडीआर-टीबी के मामले

1322. **श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की हाल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में वर्ष 2010 में दर्ज एमडीआर-टीबी के अनुमानित 63,000 मामले थे, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट (एमडीआर)-टीबी और एक्सटेन्सिवली ड्रग रेसिस्टेंट (एक्सडीआर)-टीबी के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में एमडीआर-टीबी और एक्सडीआर-टीबी के मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई व्यापक योजना शुरू की है अथवा प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, देश में आयोजित ड्रग रेसिस्टेंट सर्विलेंस अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि नए मामलों में एमडीआर-टीबी की व्याप्तता 2-3 प्रतिशत और पुनः उपचार के मामले में 12-17 प्रतिशत है। इन दरों के आधार पर आरएनटीपीसी के तहत लगभग 64000 एमडीआर-टीबी अधिसूचित रोगियों के बीच मामला होने के अनुमान है। सरकार को समस्या की जानकारी है इसलिए संशोधित राष्ट्रीय टयूबरक्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उसके समाधान के उपायों को शामिल किए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित और एनटीसीपी के अंतर्गत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट (एमडीआर) टीबी और एक्सटेन्सिवली ड्रग रेसिस्टेंट (एक्स.डी.आर) टीबी के मामलों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां, आरएनटीसीपी के तहत एमडीआर-टीबी के मामलें का निदान और उपचार करने के लिए देश में 2007 से प्रोग्रमेटिक मेनेजमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेन्ट टीबी सर्विसिज कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश के इस रूप में 540 जिलों में पीएनडीटी सेवाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन्हें निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है।

देश में एमडीआर-टीबी रोगियों हेतु नैदानिक सुविधाओं और उपचार प्रावधान के लिए अब तक 45 कल्चर एंड ड्रग सेंसिटीविटी टेस्टिंग लेब्स और 74 ड्रग रेसिस्टेंट-टीबी सेन्टर्स की स्थापना की गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आरएनटीसीपी के अंतर्गत उपचार के लिए पंजीकृत ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रोगियों की संख्या के राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरे

राज्य	2009	2010	2011	2012*	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	154	246	435	834	1669
दिल्ली	292	392	555	1302	2541
गुजरात	252	558	696	1296	2802
हरियाणा	42	54	82	92	270
झारखंड	–	3	20	84	107
केरल	134	127	128	245	634
महाराष्ट्र	102	203	534	2321	3160
ओडिशा	3	29	47	100	179
राजस्थान	102	215	274	1486	2077
तमिलनाडु	54	125	181	359	719
पश्चिम बंगाल	39	232	216	488	975
हिमाचल प्रदेश	–	–	51	59	110
उत्तर प्रदेश	–	–	45	49	94
पुदुचेरी	–	–	6	20	26
मध्य प्रदेश	–	–	35	216	251
कर्नाटक	–	–	43	60	103
उत्तराखंड	–	–	16	41	57
जम्मू और कश्मीर	–	–	0	32	32

1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	0	5	5
मिजोरम	–	–	2	25	27
नागालैंड	–	–	0	16	16
मणिपुर	–	–	0	27	27
अरुणाचल प्रदेश	–	–	0	79	79
पंजाब	–	–	0	167	167
चंडीगढ़	–	–	0	47	47
छत्तीसगढ़	–	–	1	26	27
असम	–	–	0	76	76
मेघालय	–	–	0	52	52
त्रिपुरा	–	–	2	12	14
सिक्किम	–	–	0	74	74
गोवा	–	–	5	16	21
बिहार	–	–		73	73
कुल योग	1174	2184	3374	9779	16511

*अस्थायी आंकड़े।

[हिन्दी]

नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए अनुमति

1323. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भातरीय नर्सिंग परिषद (आई एन सी) विभिन्न महाविद्यालयों में कराए जाने वाले नर्सिंग पाठ्यक्रमों को इन महाविद्यालयों में भेजे गए जांच दल की रिपोर्अ के आधार पर अनुमति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई ऐसी जांच की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों को दी गई अथवा वापस ली गई मान्यता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कुछ उदाहरणों को नोट किया है जिनमें उक्त जांच ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई थी जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो एक लंबे समय से आईएनसी में विभिन्न पदों पर आसीन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2012 के दौरान निरीक्षण किए गए बीएससी (उपचर्या) संस्थानों की संख्या :

वर्ष	निरीक्षण किए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति दिए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति न दिए गए संस्थानों की संख्या
01/04/2009 से 31/03/2010	473	321	152
01/04/2010 से 31/03/2011	593	488	105
01/04/2011 से 31/03/2012	654	476	178

दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2012 के दौरान निरीक्षण किए गए पोस्ट बेसिक बीएससी (उपचर्या) संस्थानों की संख्या

वर्ष	निरीक्षण किए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति दिए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति न दिए गए संस्थानों की संख्या
01/04/2009 से 31/03/2010	278	201	77
01/04/2010 से 31/03/2011	341	247	94
01/04/2011 से 31/03/2012	410	257	153

दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2012 के दौरान निरीक्षण किए गए एमएससी (उपचर्या) संस्थानों की संख्या

वर्ष	निरीक्षण किए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति दिए गए संस्थानों की संख्या	अनुमति न दिए गए संस्थानों की संख्या
01/04/2009 से 31/03/2010	264	213	51
01/04/2010 से 31/03/2011	224	176	48
01/04/2011 से 31/03/2012	228	179	49

(ग) ऐसे संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनकी मान्यता वापिस ले ली गई है।

(घ) भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे निरीक्षकों को तदर्थ निरीक्षक के पैनल से वंचित कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संस्था की संख्या जहां मान्यता पिछले तीन वर्षों में वापस ले ली गयी है

		कार्यक्रम	
क्र.सं.	राज्य	बीएससी (एन)	पीबीबीएससी (एन)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	0	1
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	दिल्ली	0	0
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	1	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0
11	झारखंड	0	0
12	जम्मू व कश्मीर	0	0
13	कर्नाटक	3	0
14	केरल	0	0
15	मध्य प्रदेश	1	0
16	महाराष्ट्र	0	0
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	0	0
22	पांडिचेरी	0	0
23	पंजाब	1	0
24	राजस्थान	3	1
25	सिक्किम	0	0
26	तमिलनाडु	0	0
27	त्रिपुरा	0	0
28	उत्तर प्रदेश	0	0
29	उत्तराखंड	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल योग	9	2

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को कर में रियायत

1324. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद,

बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि में छूट प्रदान करने की कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य नीति यह है कि किसी विशेष राज्य के किसी विशेष क्षेत्रों/जिलों को कर में कोई छूट नहीं दी जाती है। फिर भी किसी वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ रुपए तक के क्लियरेंस के लिए लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। इसी प्रकार किसी वित्तीय वर्ष में छोटे सेवा प्रदाताओं को 10 लाख रुपए मूल्य तक की कर योग्य सेवाओं के मामले में सेवा कर से छूट प्रदान की जाती है। यह छूट सभी पात्र एककों के लिए उपलब्ध है।

खेल बोर्डों के लिए कर में रियायत

1325. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेल बोर्डों को सरकार द्वारा दी गई कर रियायत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय करों के माध्यम से सरकार द्वारा जुटायी गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न खेल बोर्डों को दी गई प्रत्यक्ष कर रियायत के ब्यौरों के संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई) को दिनांक 09.02.2011 की अधिसूचना सं. 07/11-सीमा शुल्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप-2011 का आयोजन करने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट खेल उपकरणों, मेडिकल उपकरणों, फोटोग्राफी, प्रसारण तथा कार्यालय उपस्करों के अस्थायी आयात हेतु मूल (बेसिक) सीमा-शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट दी गई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों के संबंध में खेल बोर्डों को कोई अन्य सामान्य छूट प्रदान नहीं की गई थी।

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान खेल बोर्डों से संग्रहित केन्द्रीय करों के ब्यौरे अलग से नहीं रखे गए हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहित केन्द्रीय करों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2009-10	378063	245367
2010-11	446935	345127
2011-12	494799	392273

*अनंतिम।

टूथ पेस्ट में निकोटिन और फ्लोराइड

1326. श्री जी.एम सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेचे जा रहे टूथ पेस्ट में निकोटिन और फ्लोराइड की अनुमेय मात्र कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बेचे जा रहे टूथ पेस्ट के विािन्न ब्रांडों में निकोटिन और फ्लोराइड की अनुमेय मात्र से अधिक मात्र के होने को नोट किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टूथ पेस्ट में निकोटिन और फ्लोराइड की उच्च मात्र के दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में निर्धारित मानक के अनुसार बेचे जा रहे टूथ पेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने को प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत टूथ पेस्टों से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इन नियमों में यह व्यवस्था है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड संघटक प्रति मिलियन 1000 पार्ट्स से अधिक नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.4.1992 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 444 (ई) के माध्यम से टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में तम्बाकू का उपयोग करने प्रतिबंध है। इस संबंध में दिल्ली फार्मास्यूटीकल विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ने देश में प्रयोग किए जाने वाले टूथपेस्टों के कुछ ब्रांडों में फ्लोराइड और निकोटिन की व्याप्तता पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। चूंकि प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विनियामक नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए रिपोर्ट के अपेक्षित अंश विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिए गए हैं। कुछ राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा जांचे गए टूथपेस्टों के नमूनों में निकोटिन की व्याप्तता नहीं दर्शाई गई है।

सीमा शुल्क अवसंरचना

1327. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-सीमा पर उपलब्ध विद्यमान सीमा शुल्क अवसंरचना का ब्यौरा क्या है और इसमें किस हद तक कमियां है; और

(ख) इस संबंध में कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कर लेखा मानक

1328. **श्री ए.साई प्रताप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सीमा शुल्क लेखा मानकों के बदले कर लेखा मानक को लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 (2) के अंतर्गत लेखा मानक का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिसंबर, 2010 में एक समिति का गठन किया। समिति ने अगस्त, 2012 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 (2) के अंतर्गत कर लेखा के 14 मानकों की अधिसूचना की सिफारिश की है।

(ग) समिति की अंतिम रिपोर्ट को हितधारकों एवं आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रिक करने के लिए 26 अक्तूबर, 2012 को सर्वाधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया है।

आई.आर.डी.ए. का केन्द्रीकृत तंत्र

1329. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य बीमा आंकड़ा जुटाने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए) में केन्द्रीकृत तंत्र का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि वह सभी जीवन एवं गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं से स्वास्थ्य बीमा सहित सभी बीमा पॉलिसियों के संबंध में वर्ष

2009 से आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण स्तर के आंकड़ों के लिए नोडल यूनिट के रूप में बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) का गठन कर चुका है। बीमा उद्योग में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रयोग के लिए आईआईबी आंकड़ों का विश्लेषण करता हे और सूचना का प्रसार करता है। आईआईबी स्वास्थ्य बीमा पर आवधिक और तदर्थ दोनों तरह की रिपोर्टें बनाता है।

अमेरिका-भारत ऊर्जा वार्ता

1330. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका-भारत ऊर्जा वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वार्ता के तहत नवीकरणीय और कम कार्बन संसाधनों से ऊर्जा के सृजन में बढ़ोतरी करने के लिए हाल ही में कार्य समूह की वाँशिंगटन में बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए सहयोग और साझेदारी के और अधिक क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 31 मई, 2005 को भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता शुरू की गई थी।

(ख) नवीन प्रौद्योगिकियों और अक्षय ऊर्जा पर कार्य समूह की बैठक 26 सितंबर, 2012 को वाशिंगटन डी.सी में हुई थी।

(ग) कार्य समूह की बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा अक्षय स्रोत एवं कम कार्बन संसाधनों से ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि लाने, अक्षय स्रोत के ग्रिड के साथ एकीकरण में बड़े पैमाने पर सहयोग की संभावनाओं, भंडारण प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वित्त-पोषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक स्कीमें

1331. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में अ.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और मेरिट उन्नयन के लिए स्कीम चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) बुक बैंकिंग तथा प्रतिभा उन्नयन सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाएं अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के लिए लागू हैं। इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। अब तक लक्षद्वीप संघ राज्य प्रशासन ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, अत:, इन योजनाओं के तहत इसे कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक गैस की समान दर

1332. श्री के.पी. धनपालन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिक गैस की समान दर को लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों की तुलना में देश में औद्योगिक गैस के बड़े उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्राकृतिक गैस की बिक्री सामान्य मूल्य पर करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गेल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर विश्व के कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत में प्राकृतिक गैस के मुख्य उपभोक्ताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

*गैस के प्रयोक्ता देश (प्रतिशतता में)**

क्षेत्र	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूनाइटेड किंगडम	इटली	ब्राजील	भारत
औद्योगिक	27	30	23	37	25
विद्युत	30	34	38	29	40
उर्वरक	—	—	—	10	25
रिफाइनरियां	—	—	—	19	6.5
आवासीय	20	36	39	—	—
वाणिज्यिक	13	—	—	—	—
अन्य	10	—	—	5	3.5

*गैल द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार।

ग्रामीण खातों में लेन-देन

1333. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय समावेशन अभियान के तहत खोले गए ग्रामीण खातों में लेन-देन की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे वित्तीय समावेशन पहलों की प्रगति की सतत समीक्षा करें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए वित्तीय समावेशन खातों की संख्या मार्च, 2011 के 90.42 लाख से बढ़कर मार्च, 2012 तक 3.16 करोड़ हो गई है। कवर किए गए गावों और खोल गए खातों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों की राज्य-वार वित्तीय समावेशन प्रगति

क्र. सं.	राज्य का नाम	कवर गांवों की संख्यां	खोले गए वित्तीय खातों कुल की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	720
2.	आंध्र प्रदेश	6639	2985903
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	45686
4.	असम	2319	428695

1	2	3	4
5.	बिहार	9177	2944040
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1050	241613
8.	दादरा और नगर हवेली	30	30615
9.	दमन और दीव	6	5486
10.	दिल्ली	107	35810
11.	गोवा	41	6817
12.	गुजरात	3502	998903
13.	हरियाणा	1838	737641
14.	हिमाचल प्रदेश	48	36184
15.	जम्मू और कश्मीर	726	254749
16.	झारखंड	1541	1554596
17.	कर्नाटक	3395	1704723
18.	केरल	120	162421
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2736	1355462
21.	महाराष्ट्र	4292	2212227
22.	मणिपुर	186	48968
23.	मेघालय	39	62381
24.	मिजोरम	14	4886
25.	नागालैंड	196	181782
26.	ओडिशा	1875	614090
27.	पुदुचेरी	42	33428
28.	पंजाब	1576	561948
29.	राजस्थान	3879	1078613
30.	सिक्किम	43	18327
31.	तमिलनाडु	4445	1888419
32.	त्रिपुरा	419	442872
33.	उत्तर प्रदेश	16269	7849863
34.	उत्तराखंड	226	63161
35.	पश्चिम बंगाल	7398	3046524
	कुल योग	74194	31637553

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक

भारत में पूंजी लाभ संबंधी कानूनों को मजबूत किया जाना

1334. श्री पी.आर. नटराजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत में पूंजी लाभ पर कर देने से बचने वाले विदेशी निवेशकों को रोकने के लिए भारत के कर कानूनों को मजबूत करने हेतु कोई नियम और विनियम निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से एकत्रित अनुमानित कर राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए:

(i) कर आयोजना की आक्रामक व्यवस्थाओं से निपटने के लिए आयकर अधिनियम में सामान्य परिहार-रोधी

नियमावली (गार) के प्रावधान पुरस्थापित किए गए हैं; और

(ii) भारत में स्थित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण से उत्पन्न पूंजी अनुलाभ पर कर के परिहार से निपटने के लिए कराधान के स्रोत नियम से निपटने वाले आयकर अधिनियम की धारा 2, 9 और 195 में भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्टकारी संशोधन किए गए हैं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर वस्तुत: आयकर अधिनियम के तहत कोई कर देयता आकृष्ट नहीं होती है। उद्यमों, जिनके माध्यम से एफडीआई प्रवाहित होता है, को उद्भूत या उत्पन्न अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझी जाने वाली आय पर कानून के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जाता है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य-निर्धारण महानिदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में संग्रहीत कुल राजस्व का ब्यौरा नीच दिया गया है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	निवल संग्रहण (करोड़ रुपए में)
1.	2009-10	16197.82
2.	2010-11	22484.99
3.	2011-12	27442.52
4.	1.4.12 से 31.10.12 तक	13712.00

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में खानें

1335. श्री रतन सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्र विशेषकर राजस्थान के कुछ जिलों को वन संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है जबकि पहले इन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां की जा रही थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खानों को वन संरक्षित क्षेत्र में शामिल करने के कारण इन खानों में उत्पादन रोकने की वजह से इन क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न हुई एवं विकास कार्यों में ठहराव आ गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या खान मंत्रालय ने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य सरकार ने भरतपुर जिले के कमन एवं डीग तहसील में 5242.76 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। बाद में, राज्य सरकार ने 277.85 हेक्टेयर क्षेत्र में सात खनन पट्टों को समय पूर्व समाप्त करने का आदेश दिया है। यह अनुमान है कि खनन पट्टों को समय पूर्व समाप्ति के कारण 66 कामगार बेरोजगार हुए हैं।

(घ) राज्य सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत निर्णय लिया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तपेदिक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

1336. श्री के. सुगुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पांचवें संयुक्त निगरानी मिशन (जेएमएम) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) में वर्ष 2012-17 के लिए तपेदिक नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तपेदिक (टीबी) नियंत्रण के लिए उक्त एनएसपी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या जेएमएम ने सावधान किया है कि एनएसपी के सफल क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकीकरण, विकास, वित्तयन एवं नवोन्मेषी गतिविधियां करने में तत्काल एवं जोरदार विस्तार की जरूरत है ताकि सरकारी या निजी क्षेत्रों में सावधानी के बावजूद तेजी से तपेदिक के मामलों की पहचान तथा सही इलाज किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग

नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) को भारत में जिसका लक्ष्य वर्ष 1997 से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। एक बड़ी जन मृत्यु, रुग्णता और संक्रमण के संचरण में कमी लाना जब तक कि क्षयरोग के मामले प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या न रह जाए।

11वीं पंचवर्षीय के दौरान इस कार्यक्रम ने न्यू स्पूटम पॉजिटिव रोगियों में कम से कम 85 प्रतिशत की उपचार दर और समुदाय में अनुमानित न्यू स्पूटम पॉजिटिव रोगियों के कम से कम 70 प्रतिशत तक रोगी पहचान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2012-17 हेतु संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की राष्ट्रीय कार्यनीति योजना के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समुदाय में क्षय रोग के सभी रोगियों के उपचार के लिए क्षय रोग के गुणवत्तायुक्त निदान की व्यापक सुविधा उपलब्ध कराना है।

पांचवा संयुक्त मानीटरिंग मिशन (जेएमएम) का आयोजन 21 से 30 अगस्त, 2012 तक किया गया था। मिशन के विचार जानने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना उपलब्ध कराई गई थी।

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना

1337. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सीधे धनराशि मंजूर करने और प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा पूरे देश में किया जाता है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीडीएस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सहायतानुदान के रूप निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार निर्मुक्त निधियों की राशि और राज्यों द्वारा सूचित उनके अंश सहित उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि (राज्यों के अंश सहित) का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	34974.13	38787.19	34784.04	35544.83	43824.92	60028.47

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	28965.41	31936.06	24380.95	28786.51	45764.14	43433.18
3.	छत्तीसगढ़	14068.71	14051.59	11717.917	15796.62	23488.81	28256.4
4.	गोवा	816.47	827.87	802.74	802.05	837.32	740.15
5.	गुजरात	15631.96	20852.35	18542.23	21697.18	44001.56	44576.06
6.	हरियाणा	7940.7	10813.28	10534.062	11372.95	16230.64	16810.31
7.	हिमाचल प्रदेश	7002.53	8175.08	8669.69	8587.34	11838.88	13074.42
8.	जम्मू और कश्मीर	8282.34	8383.48	14470.74	10596.73	15008.35	12957.54
9.	झारखंड	12697.56	14210.21	17629.62	14923.35	20320.74	14522.87
10.	कर्नाटक	20579.49	22455.76	19039.59	25934.32	44673.4	38834.39
11.	केरल	14037.04	13939.26	12595.35	16270.48	29313.72	25983.09
12.	मध्य प्रदेश	19973.34	33876.48	30430.04	37521.99	40262.82	62222.28
13.	महाराष्ट्र	31780.8	46795.76	41719.66	47085.43	75825.56	95343.66
14.	ओडिशा	22026.29	20363.01	21230.41	24121.61	35730.75	31837.62
15.	पंजाब	8779.45	10508.3	11704.9	12443.24	17257.36	20259.25
16.	राजस्थान	22254.95	20252.76	16803.64	24170.97	32154.17	39111.64
17.	तमिलनाडु	17653.51	23576.79	25965.27	22009.45	36930.24	22874.17
18.	उत्तराखंड	3596.44	5171.4	3762.59	5081.57	10422.24	8997.79
19.	उत्तर प्रदेश	50853.63	55257.16	48102	62027.87	89363.81	66505.61
20.	पश्चिम बंगाल	36739.78	36741.91	30419.35	40324.76	78956.15	66432.0741
21.	दिल्ली	3137.32	2952.4	3584.5	3461.85	4888.66	7292
22.	पुदुचेरी	222.47	303.84	355.54	350.62	712.39918	302.73827
23.	अंडमान और निकोबार	288.66	292.06	322.89	326.59	599.93	589.87
24.	चंडीगढ़	252.29	252.29	240.87	240.87	434.96	434.96
25.	दादरा और नगर हवेली	129.84	126.57	137.53	129.94	145.33	134.82

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दमन और दीव	56.55	56.65	58.18	58.16	82.47	82.46842
27.	लक्षद्वीप	121.03	75.87	27.49	96.87	169.83	171.87
28.	अरुणाचल प्रदेश	3122.59	3507.97	6321.278	4650.78	6964.29	7610.92
29.	असम	23551.88	18713.1	35901.57	29126.66	38346.18	46035.63
30.	मणिपुर	3307.42	2464.68	3581.11	3720.66	5868.06	5337.12
31.	मेघालय	2047.16	2505.69	2443.06	2400.38	3496.31	3662.53
32.	मिजोरम	2081.27	1681.91	2293.956	2117.39	2700.24	2553.05
33.	नागालैंड	4994.32	2499.13	2225.38	4539.71	5908.53	4532.94
34.	सिक्किम	660.21	627.69	480.8	710.38	753.7	1037.74
35.	त्रिपुरा	7362.805	3290.2	8099.635	4266	6458.26	5940.62
	कुल	429990.35	476325.75	469378.58	521296.11	789734.73	798520.25

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि (राज्यों के अंश सहित) का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31285.7	52316.99	16003.74	69979.08	48307.39	87975.62
2.	बिहार	40695.19	92263.92	48335.94	57052.77	35452.88	47508.85
3.	छत्तीसगढ़	7461.68	21324.67	14211.95	25938.16	14714.72	30150.63

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	375.94	918.75	418.23	778.84	410.97	775.22
5.	गुजरात	8696.39	24690.5	11985.65	42046.64	36389.64	36682
6.	हरियाणा	6884.01	14571	5211.6	11006.76	6391.63	12275.3
7.	हिमाचल प्रदेश	2939.36	5939.35	2466.48	4977.92	2819.49	5638.74
8.	जम्मू और कश्मीर	1671.09	0	1949.78	—	1949.76	9187.94
9.	झारखंड	16893.64	53308	23438.78	35997.11	12136.86	31917.69
10.	कर्नाटक	26325.26	56641.93	23585.19	54587.07	31664.85	58234.82
11.	केरल	7545.81	15826.29	8071.33	14734.74	7459.55	6807.06
12.	मध्य प्रदेश	22339.36	51990.71	38917.63	89736.4	52322.73	89365.76
13.	महाराष्ट्र	20350.12	48660	20350.12	73509.16	66743.56	109818.25
14.	ओडिशा	13968.2	32185.78	19490.01	47782.7	32289.69	54602.92
15.	पंजाब	1748.03	8825.7	4402.84	7090.7	9001.16	10353.44
16.	राजस्थान	11014.23	30464.83	20449.06	45138.71	26747.43	50048.53
17.	तमिलनाडु	13268	26558	12395.76	38109	17072.64	24892.23
18.	उत्तराखंड	86778.09	178809.82	138267.06	271960.07	131600.18	268028.07
19.	उत्तर प्रदेश	740.47	1488.21	1303.6	2960.61	1313.2	3976.34
20.	पश्चिम बंगाल	13577.01	55101.17	35274	67097.58	36926.45	66031.39
21.	दिल्ली	144.8	511.84	106.95	428.98	120.8	497.16
22.	पुदुचेरी	193.78	216.31	129.88	279.89	189.23	425.55
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91.58	55.3	62.9	84.35	53.1	0
24.	चंडीगढ़	50.37	179.63	33.58	66.63	32.38	181.14
25.	दादरा और नगर हवेली	42.87		29.69	78.69	29.69	0
26.	दमन और दीव	4171.53	6878.7	4004.05	8960.11	2017.3	9140
27.	लक्षद्वीप	139.91	462.19	395.95	643.34	1016.39	484.81

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	अरुणाचल प्रदेश	856.32	956.32	3047.89	3847.26	2760.74	1904.1
29.	असम	17660.74	17590.73	21579.99	19135.31	30082.76	37635.4
30.	मणिपुर	1477.61	2422.45	4449.6	5249.6	2248.3	2248.3
31.	मेघालय	5301	6972.28	5650.42	6408.03	5953.12	6585.16
32.	मिजोरम	2020.79	2496.63	2241.65	2726.65	1867.08	2502.08
33.	नागालैंड	2658.79	3304.66	4782.37	5282.37	4855.6	4150.19
34.	सिक्किम	794.39	622.59	362.44	838.23	563.44	907.42
35.	त्रिपुरा	2851.68	3617.54	3464.4	4089.09	6746.08	7167.66
	कुल	373013.74	818172.79	496870.51	1018602.55	630250.79	1078099.77

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आईसीडीएस स्कीम (प्रशिक्षण) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि (राज्यों के अंश सहित) का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1332.63	1219.94	1855.21	1307.6	763.06	1205.58
2.	बिहार	799.07	774.04	804.25	863.89	692.09	742.93
3.	छत्तीसगढ़	325.2	329.56	346.73	436.4	298.72	270.55
4.	गोवा	22.54	0	0	0	9.2	9.1
5.	गुजरात	355.39	229.45	390.3	552.51	274.48	468.1
6.	हरियाणा	235.86	205.6	283.78	300.93	130.29	237.15

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हिमाचल प्रदेश	85.98	161.78	57.42	114.85	65.07	137.31
8.	जम्मू और कश्मीर	46.74	0	280.88	0	0	186.92
9.	झारखंड	194.26	150	288.38	381.5	180.91	318.68
10.	कर्नाटक	456.99	385.32	349.1	475.91	428.74	448.25
11.	केरल	250	249.95	156.41	311.42	302.04	286.52
12.	मध्य प्रदेश	545.04	470.08	742.65	689.44	291.74	877.87
13.	महाराष्ट्र	457.58	637.11	783.7	573.92	400.23	591.09
14.	ओडिशा	477.81	428.78	447.27	519.05	308.22	427.42
15.	पंजाब	481.51	74.69	127.48	159.53	0	119.43
16.	राजस्थान	295.08	214.11	210.71	329.36	352.16	346
17.	तमिलनाडु	313.56	157.68	354.57	173.75	280.44	223.44
18.	उत्तराखंड	121.29	109.92	95.2	160.5	79.85	168.88
19.	उत्तर प्रदेश	689.3	692.88	529.35	772.9	800.69	702.96
20.	पश्चिम बंगाल	276.71	620.41	297.68	574.72	279.44	597.45
21.	दिल्ली	72.49	62.43	59.96	64.25	29.98	64.48
22.	पुदुचेरी	26.53	0	0	0	0	0
23.	अंडमान और निकोबार	2.97	0	2.41	2.4	0	0
24.	चंडीगढ़	2.21	0	3.58	3.58	3.31	3.31
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
27.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
28.	अरुणाचल प्रदेश	56.13	13.18	70.25	70.13	51.67	132.9
29.	असम	297.71	297.71	500.86	398.34	316.84	102.48
30.	मणिपुर	80.08	0	126.6	63.3	56	56

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	मेघालय	54.99	54.82	39.83	47.63	40.42	31.62
32.	मिजोरम	7.96	11.66	22	14.31	14.18	14.18
33.	नागालैंड	31.09	31.09	38.63	38.63	21.73	22.17
34.	सिक्किम	23.32	19.91	22.49	14.24	18.57	23.59
35.	त्रिपुरा	35.39	39.22	32.57	40.4	31.02	40.46
	कुल	8453.41	7641.32	9320.25	9455.39	6521.09	8856.82

बीमा पॉलिसी की पहुंच

1338. **श्री एस.एस. रामासुब्बू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जन समुदाय तक बीमा पॉलिसी की पहुंच विश्व में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीमा एवं म्युचुअल फंड्स में निवेश के लिए ज्यादा कर प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीमा पॉलिसियों में निवेश के माध्यम से संभावित अनुमानित राजस्व कितना है; और

(ङ) पूर्वोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी नहीं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि वर्ष 2010 और 2011 के लिए भारत में बीमा (जीवन और गैर-जीवन दोनों) की पहुंच क्रमश: 5.10 और 4.10 थी। वर्ष 2010 में भारत में जीवन बीमा की पहुंच विश्व के औसत से कहीं अधिक थी और संयुक्त औसत ब्राजील और रुस तथा बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका सहित एशिया के अधिकांश देशों से कहीं अधिक है।

(ग) से (ङ) सरकार को बीमा को म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, कर प्रोत्साहन देने के लिए भी समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और ऐसे प्रस्तावों की जांच किया जाना अनवरत प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

आरआरबी को हुए लाभ एवं हानि

1339. **श्री अब्दुल रहमान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश आरआरबी घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आरआरबी द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों की वसूली संतोषप्रद है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऋणें की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार केवल 3 आरआरबी को हानि हुई है। हानि दर्ज करने वाले आरआरबी की संख्या 2010-11 में 7 थी जो 2011-12 में घटकर 3 हो गई।

(घ) और (ङ) आरआरबी की समग्र वसूली स्थिति 30 जून, 2010 के 80.16 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून, 2011 को 81.60 प्रतिशत हो गई।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान लाभ/हानि का आरआरबी-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	आरआरबी का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल लाभ	हानि की राशि	कुल लाभ	हानि की राशि	कुल लाभ	हानि की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	10284.07	0.00	10812.92	0.00	12010.30	0.00
2.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	10668.79	0.00	13012.89	0.00	15043.64	0.00
3.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	681.89	0.00	866.38	0.00	1031.98	0.00
4.	डेक्कन ग्रामीण बैंक	3621.10	0.00	4510.54	0.00	3624.10	0.00
5.	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	1804.57	0.00	2652.72	0.00	3812.13	0.00
6.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	22.78	0.00	0.00	211.57	58.72	0.00
7.	असम ग्रामीण विकास बैंक	2588.04	0.00	3537.62	0.00	5401.15	0.00
8.	लेंग्पई देहांगी ग्रामीण बैंक	459.49	0.00	545.16	0.00	663.51	0.00
9.	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2261.46	0.00	1582.35	0.00	1790.89	0.00
10.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	4203.34	0.00	5109.47	0.00	4173.86	0.00
11.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1118.36	0.00	476.36	0.00	569.87	0.00
12.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	18025.81	0.00	13048.36	0.00	12559.02	0.00
13.	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	886.05	0.00	1060.91	0.00	1423.15	0.00
14.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1976.71	0.00	1665.23	0.00	1680.82	0.00
15.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	4831.49	0.00	3711.17	0.00	3535.51	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	1354.95	0.00	855.30	0.00	402.84	0.00
17.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	1587.90	0.00	1259.62	0.00	1313.47	0.00
18.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	930.90	0.00	537.68	0.00	1490.00	0.00
19.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	7337.02	0.00	7426.76	0.00	7786.84	0.00
20.	हरियाणा ग्रामीण बैंक	4210.50	0.00	5271.62	0.00	6000.29	0.00
21.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	126.12	0.00	470.58	0.00	498.40	0.00
22.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा	235.57	0.00	190.49	0.00	272.25	0.00
23.	इलाकाई देहाती बैंक	23.41	0.00	0.00	647.21	215.58	0.00
24.	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक	663.96	0.00	622.06	0.00	1016.61	0.00
25.	झारखंड ग्रामीण बैंक	2208.38	0.00	1642.71	0.00	2098.37	0.00
26.	वनाचंल ग्रामीण बैंक	1604.39	0.00	170.18	0.00	1621.42	0.00
27.	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	1585.86	0.00	1918.10	0.00	2007.75	0.00
28.	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	74.52	0.00	60.51	0.00	145.78	0.00
29.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	6322.73	0.00	9517.38	0.00	12764.08	0.00
30.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	1788.09	0.00	2188.33	0.00	1214.85	0.00
31.	प्रगति ग्रामीण बैंक	5495.49	0.00	5286.84	0.00	1260.78	0.00
32.	विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक	335.48	0.00	270.72	0.00	327.49	0.00
33.	नॉर्थ मालावार ग्रामीण बैंक	1140.53	0.00	1473.84	0.00	1914.26	0.00
34.	साउथ मालावार ग्रामीण बैंक	1477.07	0.00	1232.58	0.00	870.99	0.00
35.	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1306.12	0.00	227.87	0.00	671.32	0.00
36.	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	2561.10	0.00	191.32	0.00	949.27	0.00
37.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.00	244.50	0.00	49.58	0.00	539.59
38.	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	3258.46	0.00	3911.84	0.00	2659.42	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	रेवा सिधी ग्रामीण बैंक	624.75	0.00	405.63	0.00	463.94	0.00
40.	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3210.92	0.00	0.00	1352.25	337.46	0.00
41.	शारदा ग्रामीण बैंक	736.72	0.00	901.55	0.00	976.85	0.00
42.	विदिशा भोपाल केजीबी	240.97	0.00	359.15	0.00	421.61	0.00
43.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2035.98	0.00	1220.90	0.00	1693.15	0.00
44.	विदर्भ ग्रामीण बैंक	418.74	0.00	99.09	0.00	138.72	0.00
45.	वैंगांगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	382.69	0.00	80.97	0.00	760.04	0.00
46.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	0.00	298.20	0.00	542.20	0.00	411.72
47.	मेघालय ग्रामीण बैंक	733.87	0.00	789.17	0.00	938.40	0.00
48.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	562.93	0.00	334.93	0.00	539.47	0.00
49.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	5.02	0.00	0.00	91.81	11.77	0.00
50.	बैतरनी ग्राम्य बैंक	309.30	0.00	29.03	0.00	222.30	0.00
51.	कलिंग ग्राम्य बैंक	204.00	0.00	671.00	0.00	1120.00	0.00
52.	नीलांचल ग्राम्य बैंक	852.26	0.00	2634.04	0.00	2043.70	0.00
53.	रशिकुलिया ग्राम्य बैंक	188.51	0.00	364.67	0.00	401.11	0.00
54.	उत्कल ग्राम्य बैंक	1344.42	0.00	959.90	0.00	3667.12	0.00
55.	पुदुवई भर्थियार ग्राम्य बैंक	0.00	22.08	74.75	0.00	206.18	0.00
56.	मालवा ग्रामीण बैंक	886.00	0.00	935.35	0.00	983.20	0.00
57.	पंजाब ग्रामीण बैंक	3878.66	0.00	4180.60	0.00	2118.91	0.00
58.	सतलज ग्रामीण बैंक	163.56	0.00	167.56	0.00	262.02	0.00
59.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	210.03	0.00	108.98	0.00	202.78	0.00
60.	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	2378.53	0.00	2813.80	0.00	2936.70	0.00
61.	हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	718.47	0.00	303.43	0.00	681.96	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	769.38	0.00	1436.06	0.00	75.79	0.00
63.	एमजीबी जीबी	1638.36	0.00	2442.08	0.00	2785.73	0.00
64.	राजस्थान ग्रामीण बैंक	2197.13	0.00	2728.07	0.00	3537.45	0.00
65.	पल्लवन ग्राम्य बैंक	994.42	0.00	1207.43	0.00	1490.58	0.00
66.	पांडयन ग्राम्य बैंक	2554.12	0.00	4507.00	0.00	3640.44	0.00
67.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	3535.16	0.00	1742.86	0.00	5009.99	0.00
68.	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	7047.41	0.00	7019.81	0.00	4366.30	0.00
69.	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	8137.74	0.00	8482.25	0.00	3278.62	0.00
70.	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक	392.27	0.00	129.32	0.00	1153.38	0.00
71.	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	6142.96	0.00	7285.60	0.00	7263.39	0.00
72.	काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक	4009.53	0.00	1136.10	0.00	674.02	0.00
73.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी	192.11	0.00	452.34	0.00	61.65	0.00
74.	प्रथमा ग्रामीण बैंक	5050.79	0.00	4460.19	0.00	7801.58	0.00
75.	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	5083.12	0.00	2528.66	0.00	3859.04	0.00
76.	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	2647.41	0.00	2389.28	0.00	1727.95	0.00
77.	श्रेयस ग्रामीण बैंक	3828.20	0.00	2801.56	0.00	1435.35	0.00
78.	नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	709.89	0.00	471.35	0.00	731.34	0.00
79.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	969.02	0.00	560.59	0.00	675.13	0.00
80.	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	2061.42	0.00	1833.73	0.00	1991.82	0.00
81.	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	243.85	0.00	0.00	4237.42	0.00	1935.34
82.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1604.86	0.00	219.37	0.00	1047.82	0.00
	समग्र भारत	188957.98	564.78	178586.56	7132.04	188615.46	2886.65

पका-पकाया भोजन

1340. श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उससे जुड़े व्यय का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गर्म पके खाने की गुणवत्ता के आकलन के लिए पायलट परियोजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोषण के प्रावधान लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों के लिए खाने के मानक निर्धारित करते हैं। 0-6 माह के आयु वर्ग के बच्चों के लिए केवल मां के दूध की ही सिफारिश की गई है। 6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए सूक्षम पोषण फोरटीफाइड आहार के रूप में घर ले जाने वाले राशन और अथवा ऊर्जा घनत्व आहार जिस पर 'आईसीडीएस आहार पूरक' लिखा है, का प्रावधान किया गया है। 3-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए प्रातःकालीन नाश्ता के रूप में दूध के लामौसममी फलसूक्ष्म पोषक फोरटीफाइड आहार इत्यादि और गर्म पका खाना देने का प्रावधान है।

6 माह से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए एस. एन.पी. के लागत मानक 4-रु. प्रति लाभार्थी प्रतिदिन और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए मानक 5-रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन है।

सुदृढ़ और पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए संशोधित मानक क्रमशः 6.00 रुपए और 7.00 रुपए है। संशोधित दरें तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित होंगी सुदृढ़ और पुनर्गठित आईसीडीएस पर मौजूदा लागत का केन्द्र और राज्यों में भागीदारी अनुपात 50:50 होगा परंतु एनईआर (पूर्वोत्तर राज्यों) को छोड़कर जहां यह 90:10 के आधार पर जारी रहेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बफर क्षेत्र

1341. श्री आधि शंकर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में जनजातीय समुदायों के शोषण पर कैद सहित कठोर दंड देने के प्रावधान वाले विधान को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कानून में बफर क्षेत्र में अवैध प्रवेश, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, शिकार, अल्कोहल का प्रयोग, ज्वलनशील पदार्थ या पर्यटकों को आकर्षित कराने के लिए सामग्री को रोकने के लिए कठोर दंडात्मक उपबंध शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) जी, हां।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) अधिनियम, 1956 (पीएटी), "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) संशोधिन अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित तथा 02.07.2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और अंडमान और निकोबार राजपत्र में दिनांक 09.07.2012 को अधिसूचित किया गया था," अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में जनजातीय समुदायों के शोषण के लिए कारावास सहित कठोर दंडात्मक उपबंध रखे गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रमुख अधिनियम की धारा 8 के तहत, उल्लंघन के लिए कठोर दंडात्मक उपबंधों में ये शामिल हैं:- (1) आदिवासी

जनजातियों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण, शिकार तथा अवैध शिकार, आदिवासी जनजातियों पर विज्ञापन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना, बफर जोन में वाणिज्यिक/पर्यटन की स्थापना करने पर 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, (2) आदिवासी जनजातियों को शराब/नशा के किसी भी रूप और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थों का परिचय देने के लिए 7 वर्ष का करावास एवं जुर्माना।

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स संबंधी अनुसंधान

1342. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस (एचआईवी) का उद्भव विगत दशक से ही देश में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है तथा इस खतरे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान एचआईवी/एड्स संबंधी कार्यरत अनुसंधान परियोजनाओं तथा संबंधित संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई) ने कुछेक राज्यों में एड्स टीके का विकास एवं क्लिनिकल परीक्षण किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या है तथा उक्त टीके के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त टीके के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए कब तक तैयार होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन) : (क) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निश्चित सबूत उपलब्ध नहीं है कि देश में एक दशक से एचआईवी वायरस पनप रहा है। लेकिन जनरल ऑफ बॉयलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित हाल ही के लेख में यह जानकारी मिली है कि प्रमोटर क्षेत्र में अतिरिक्त एनएफकेबी स्थलों के साथ एचआईवी स्ट्रेन में बढ़ोत्तरी हुई है। (स्रोत : बाचू एट एल, मल्टीपल एनएफ-केबी साइट्स इन एचआईवी-1 सबटाइप सी एलटीआर कनफर सुपीरियर मेगनीट्यूट ऑफ ट्रांसक्रिपशन एंड देअरबाई द इनहॉन्सड वायरल प्रीडोमिनेन्स प्वॉइट जे वाइलॉजी. कैमिस्ट्री जेबीसीएम 112.397158. फर्स्ट पब्लिस्ड ऑन नवम्बर 6, 2012. इन प्रेस)।

(ख) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय कोई ऐसा सबूत नहीं है कि देश के भीतर एचआईवी स्ट्रेन्स के बढ़ने से कोई अतिरिक्त खतरा उत्पन्न होगा।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कार्यक्रम के तहत अनुसंधान कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने पर बहुत बल दिया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रणनीतिक सूचना प्रबंधन इकाई अनुसंधान का महत्वपूर्णघटक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से एचआईवी/एड्स में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अनुसंधान सूचनाओं को कार्यक्रम की कार्य और नीति निर्माण में अनुसंधान आउटपुट को परिवर्तित करने पर बल देता है।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि तथा उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपए में)
2009-10	2,00,76,137 रुपये
2010-11	86,67,193 रुपये
2011-12	79,42,024 रुपये
2012-13 आज तक	1,54,62,124 रुपये
संपूर्ण	5,21,47,478 रुपये

अलग-अलग संस्थानों से संबंधित राज्य तथा संघ प्रदेश-वार यही सूचना विवरण-I में दी गई है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि और प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपये में)
2009-10	3,75,85,000 रुपये
2010-11	4,72,34,200 रुपये
2011-12	46,44,94,600 रुपये
2012-13 आज तक	13,82,15,200 रुपये
कुल	68,75,29,000 रुपये

अलग-अलग संस्थानों से संबंधित राज्य तथा संघ प्रदेश-वार यही सूचना विवरण-II में दी गई है।

वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपए में)
2009-10	7,43,89,389 रुपये
2010-11	8,62,28,019 रुपये
2011-12	1,28,932,243 रुपये
2012-13 आज तक	8,58,88,685 रुपये
कुल	37,54,38,336 रुपये

स्वास्थ्य अनुसंधानविभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि और प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

अलग-अलग संस्थानों से संबंधित राज्य तथा संघ प्रदेश-वार यही सूचना विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार; हां, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई) ने पुणे में 2 एचआईवी टीकों के परीक्षण किए हैं।

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और इंटरनेशनल एड्स वेक्सिन इनसिएटिव के बीच संपन्न त्रिपक्षीय करार के तहत ये परीक्षण किए गए थे। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान को कुल 6,60,81,568 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था।

इन टीका परीक्षणों के ब्यौरे और परिणाम :

1. **एएवी आधारित वेक्सीन**

   इस परीक्षण में ऐसे 24 स्वयंसेवक शामिल थे जिन्हें वेक्सीन तथा 6 प्लेसिबो दी गई थी। यह वेक्सीन सुरक्षित पाई गई और वेक्सीन का काकई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया। तथापि, इस वेक्सीन में इमिनोजेनेसिटी कम थी और तथा इम्योन रिसपॉन्स का स्तर बहुत कम था। वेक्सीन को आग नहीं बढ़ाया गया।

2. **प्राइमिंग तथा एमएवी बूस्ट के लिए डीएनए वेक्सीनयुक्त प्राइम एंड बूस्ट ट्रायल (पी 001)**

   इस परीक्षण के दो हिस्से थे—एक को प्राइमिंग के लिए डीएनए वेक्सीन तथा बूस्ट के लिए दूसरे हिस्से की तुलना में जहां प्राइम और बुस्ट दोनों के लिए स्वयं सेवकों को एमबीए दिया गया था। यह वेक्सीन सुरक्षित पाई गई और इसका कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। इस वेक्सीन से अच्छा एंटीबॉयोटिक रिसपॉस और साइटो टोक्सिक टी सेल रिसपॉस प्राप्त हुआ। एमएबी हिस्से की तुलना में डीएनए-एमबीए हिस्से में बेहतर रिसपॉस प्राप्त हुआ। इस वेक्सीन को आगे बढ़ाने तक विचार करने से पहले एमबीए वेक्सीन की स्थिरता संबंधित मुद्दे का समाधान करना आवश्यक होगा।

(च) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अनुसार इस स्तर पर यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि यह टीका जन उपयोग के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा।

विवरण-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर खर्च की गई राशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ प्रदेश-वार मुहैया कराई गई वित्तीय सहायत

राज्य/संघ शासित राज्य	2009-10 (रुपए में)	2010-11 (रुपए में)	2011-12 (रुपए में)	2012-13 आज तक (रुपए में)	कुल (रुपए में)
आंध्र प्रदेश	6,14,000	5,24,000	0	4,74,125	16,12,125
चंडीगढ़	26,58,665	0	0	0	26,58,665
दिल्ली	79,11,602	31,27,080	68,81,235	1,13,87,331,	2,93,07,248
गुजरात	4,20,000	3,00,000	0	1,98,232	9,18,232
कर्नाटक	5,24,000	5,24,000	0	3,18,161	13,66,161
महाराष्ट्र	48,74,970	26,88,113	10,60,789	15,82,084	1,02,05,956
मणिपुर	3,00,000	3,00,000	0	4,64,000	10,64,000
तमिलनाडु	6,04,000	6,04,000	0	0	12,08000
उत्तर प्रदेश	3,30,000	3,00,000	0	6,12,500	12,42,500
पश्चिम बंगाल	18,38,900	3,00,000	0	4,25,691	25,64,591
कुल	2,00,76,137	86,67,193	79,42,024	1,54,62,124	5,21,47,478

विवरण-II

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर खर्च की गई राशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ प्रदेश-वार मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता :

राज्य/संघ शासित राज्य	2009-10 (रुपए में)	2010-11 (रुपए में)	2011-12 (रुपए में)	2012-13 आज तक (रुपए में)	कुल (रुपए में)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	0	0	0	1,44,58,000	144,58,000
चंडीगढ़	0	0	0	1,43,03,000	1,43,03,000

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	1,42,53,000	08,00049,	1,18,57,300	87,47,0002,	97,65,3005,
हरियाणा	0	0	07,80,00040	0	07,80,00040,
कर्नाटक	0,	1,19,90,000	0	3,66,06,000	85,96,0004,
महाराष्ट्र	90,79,000	1,34,38,200	18,57,3005	1,55,33,400	8,99,07,900
पंजाब	0	0	0	1,54,61,000	1,54,61,000
तमिलनाडु	0	1,19,90,000	0	09,80080,	199,99,800
उत्तर प्रदेश	0	08,00049	0	0	08,00049
पश्चिम बंगाल	1,42,53,000	0	0	97,000,50	1,93,50,000
कुल	3,75,85,000	4,72,34,200	46,44,94,600	13,82,15,200	68,75,29,000

विवरण-III

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर खर्च की गई राशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ प्रदेश-वार मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता :

राज्य/संघ शासित राज्य	2009-10 (रुपए में)	2010-11 (रुपए में)	2011-12 (रुपए में)	2012-13 अक्तूबर (रुपए में)	कुल (रुपए में)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	11,50,277	14,34,763	28,61,828	2,36,517	56,83,385
चंडीगढ़	5,59,797	39,19,106	1,48,41,769	24,10,594	2,17,31,266
दिल्ली	30,15,139	43,67,014	57,88,537	57,37,706	1,89,08,396
हरियाणा	0	0	5,44,268	5,44,268	10,88,536
कर्नाटक	0	21,92,101	1,67,42,386	47,37,959	2,36,72,446
महाराष्ट्र	5,71,95,309	5,98,32,120	7,01,56,654	6,11,05,192	24,82,89,275
मणिपुर	0	11,65,592	11,65,591	12,71,723	36,02,906
तमिलनाडु	1,03,10,967	77,77,082	1,14,36,653	53,39,887	3,48,64,589

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	18,31,200	10,11.391	10,68,179	14,10,400	53,21,170
उत्तराखंड	0	10,84,300	3,74,300	5,90,976	20,49,576
पश्चिम बंगाल	3,26,700	34,44,550	39,52,078	25,03,463	1,02,26,791
कुल	7,43,89,389	8,62,28,019	12,89,32,243	8,58,88,685	37,54,38,336

[अनुवाद]

तेल कंपनियों की आय का स्रोत

1343. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से अर्जित लाभ के अलावा किन्हीं अन्य स्रोतों से आय होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितनी औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई; और

(ग) सितम्बर, 2012 तक प्रत्येक तेल कंपनी के पास पड़ी ऐसी अतिरिक्त पूंजी कितनी है जिसे व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं किया गया और बैंकों आदि में जमा नहीं किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की छः तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः, आूयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और गेस अथॉरिटी इंडिया लि. (गेल) ने सूचित किया है कि उनकी मुख्य कारोबार के अलावा अन्य स्रोतों से आय मुख्यतः लाभांश और ब्याज तथा अन्य विविध स्रोतों से भी है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	आय का स्रोत	धनराशि (करोड़ रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
ओएनजीसी	लाभांश	326	553	527
	ब्याज	1826	1968	3111
	विविध	2034	3380	1573
ओआईएल	लाभांश और ब्याज	681.21	802.47	1360.27
	विविध (परिवहन)	156.99	243.51	460.38
आईओसीएल	लाभांश और ब्याज	2602	2614	2648

1	2	3	4	5
एचपीसीएल	लाभांश	46.25	82.07	95.87
	ब्याज	807.42	683.95	712.23
	विविध	792.49	577.52	414.08
बीपीसीएल	लाभांश	108.27	120.04	135.59
	ब्याज	1156.23	852.56	718.82
	विविध	490.47	648.76	847.37
गेल	गैर-पेट्रोलियम उत्पादों से आय (कर-पूर्व लाभ)	1123	1153	1344

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

किशोरियों का सशक्तीकरण

1344. कुमारी मौसम नूर :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला योजना के अंतर्गत प्राप्त, मंजूर एवं लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मंजूर, जारी तथा उपयोग की गयी धनराशि स्कीम-वार कितनी है;

(ग) क्या जारी राशि उक्त स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए पर्यापत है;

(घ) यदि नहीं, तो उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद भी शेष राशि को जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) किशोरी शक्ति योजना और राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला दोनों केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत निधियां चार किस्तों में निर्मुक्त की जाती हैं। इसके लिए निधियों की मांग, प्राप्ति और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपयोग पर विचार किया जाता है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से 2012-13 में कोई प्रस्ताव महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(ख) किशोरी शक्ति योजना और सबला के अंतर्गत विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II पर है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2012-13 में दोनों स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। जब और जैसे व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित पड़ी राशि का आवश्यक समायोजन करने के पश्चात राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

विवरण-I

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त/ प्रयुक्त निधियों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	206.8	206.8	148.5	206.8	*	सूचित नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.5	43.45	30.25	30.25	30.25	सूचित नहीं
3.	असम	120.5	सूचित नहीं	84.15	सूचित नही	*	सूचित नहीं
4.	बिहार	295.9	सूचित नहीं	143	सूचित नही	*	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	86.9	84.82	50.6	100.47	94.63	0
6.	गोवा	6.1	5.82	सभी परियोजनाओं के सबला के अंतर्गत शामिल किए जाने के कारण किशोरी शक्ति योजना का प्रचलन बंद हो गया।			
7.	गुजरात	143.0	222.2	305.25	222.2	114.95	55.55
8.	हरियाणा	70.40	57.28	47.85	47.82	*	सूचित नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	41.8	6.33	108	42.6	*	14.46
10.	जम्मू और कश्मीर	77.0	61.18	49.5	सूचित नहीं	*	सूचित नहीं
11.	झारखंड	112.2	67.37	67.65	सूचित नहीं	*	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	101.8	104.14	78.38	96.61	70.94	27.62
13.	केरल	89.65	0	162.17	191.4	0	0
14.	मध्य प्रदेश	201.9	468.24	569.74	314.96	392.37	93.02
15.	महाराष्ट्र	228.8	247.83	136.4	172.69	147.23	0
16.	मणिपुर	18.7	18.7	24.2	12.1	*	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	21.5	42.34	20.81	20.79	10.43	सूचित नहीं
18.	मिजोरम	12.7	12.65	13.15	13.15	6.6	सूचित नहीं
19.	नागालैंड	30.8	30.8	22	22	*	सूचित नहीं
20.	ओडिशा	179.3	0	109.45	72.72	*	सूचित नहीं
21.	पंजाब	81.4	16.64	55	10.86	*	*
22.	राजस्थान	150.7	0.35	104.5	143.84	*	सूचित नहीं
23.	सिक्किम	6.05	0	2.75	8.36	*	सूचित नहीं
24.	तमिलनाडु	238.7	265	162.25	सूचित नहीं	264.97	सूचित नहीं
25.	त्रिपुरा	28.1	27.5	15.4	15.4	*	सूचित नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	459.3	449.84	553.27	330.69	*	सूचित नहीं
27.	उत्तराखंड	54.5	77	50.6	50.6	45.54	सूचित नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	228.8	सूचित नहीं	227.7	सूचित नहीं	*	सूचित नहीं
29.	अंडमान और निकोबार	2.8	2.18	0.55	0.34	*	सूचित नहीं
30.	चंडीगढ़	1.7	सूचित नहीं	सभी परियोजनाओं के सबला के अंतर्गत शामिल किए जाने के कारण किशोरी शक्ति योजना का प्रचलन बंद हो गया।			
31.	दमन और दीव	18.7	19.439	10.45	18.58	*	सूचित नहीं
32.	दादरा और नगर हवेली	1.1	0.6	सभी परियोजनाओं के सबला के अंतर्गत शामिल किए जाने के कारण किशोरी शक्ति योजना का प्रचलन बंद हो गया।			
33.	दिल्ली	11	1.1				
34.	लक्षद्वीप	0.6	सूचित नहीं				
35.	पुदुचेरी	2.8	0	2.2	सूचित नहीं	*	सूचित नहीं
	कुल	3365.6	2539.6	3355.72	2145.23	1177.91	191.65

*बचतों सूचित न किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं।

विवरण-II

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में सबला के अंतर्गत निर्मुक्त प्रयुक्त निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त निधि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1963.3	—	3259.7	908.9	*	सूचित नही
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.58	13.18	79.56	106.4	28.86	सूचित नही
3.	असम	1018.79	0	1592.98	2611.56	1592.77	0
4.	बिहार	2773.77	0	5081.73	2953.48	1442.76	1209.73
5.	छत्तीसगढ़	938.71	0	1472.72	298.05	*	68.97
6.	गोवा	79.81	0	207.98	221.5	50.39	40.1
7.	गुजरात	1357.68		2647.22	2595.84	*	सूचित नही
8.	हरियाणा	405.22	3.99	701.44	534.29	114.32	234.16
9.	हिमाचल प्रदेश	307.18	168.78	550.34	436.27	181.18	291.47
10.	जम्मू और कश्मीर	290.55	—	453.64	467.65	17.99	0.95
11.	झारखंड	754.27	—	1493.32	1230.71	1244.03	0
12.	कर्नाटक	711.68	33.89	3053.55	3578.42	1509.46	586.75
13.	केरल	881.73	512.55	1284.66	1348.16	*	0
14.	मध्य प्रदेश	2470.64	497.72	4069.18	5560.8	3608.3	2574.24
15.	महाराष्ट्र	2568.49	—	3957.22	1549.28	*	सूचित नही
16.	मणिपुर	116.29	—	152.76	142.88	26.6	सूचित नही
17.	मेघालय	142.48	113.04	306.76	247.88	135	सूचित नही
18.	मिजोरम	73.32	73.32	78.24	75.92	63.3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	87.05	87.05	147.49	147.49	110.36	73.23
20.	ओडिशा	1553.44	—	2382.98	2521.68	*	0
21.	पंजाब	591.3	190	874.8	456.77	240.28	85
22.	राजस्थान	1777.37	982.78	3369.05	4283.85	3322.07	736.2
23.	सिक्किम	41.8	1.12	66.05	68.58	19.99	सूचित नही
24.	तमिलनाडु	1271.8	371.8	2686.32	3236.78	608.94	सूचित नही
25.	त्रिपुरा	240.35	—	455.06	688.23	447.88	0
26.	उत्तर प्रदेश	4689.86	1347.04	11749.87	14212.19	7375.83	5722.79
27.	उत्तराखंड	355.49	—	511.48	192.94	*	0
28.	पश्चिम बंगाल	1647.06	—	2758.74	4057.93	2277.85	363.55
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपमूसह	31.76	26.32	51.99	40	24.06	0
30.	चंडीगढ़	32.94	6.12	48.78	22.92	*	2.36
31.	दमन और दीव	12.66	—	16.44	10.14	*	0
32.	दादरा और नगर हवेली	18.19	0	24.98	सूचित नही	*	सूचित नही
33.	दिल्ली	333.68	—	496.36	561.73	579.77	8.17
34.	लक्षद्वीप	6.61	—	8.94	सूचित नही	*	सूचित नही
35.	पुदुचेरी	8.56	0	19.02	27.14	20.88	9.48
	कुल	29673.41	4428.7	56111.35	55396.36	25042.87	12007.15

*बचतों सूचित न किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं।

[हिन्दी]

ग्रामीण पर्यटन

1345. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लागू की जा रही ग्रामीण पर्यटन स्कीम का ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या है तथा इसके अंतर्गत ग्रामीण स्थलों के विकास के लिए केंद्रीय वित्त सहायता (सीएफए) प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के

दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा इनमें से मंजूर की गई ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं तथा इसके लिए मंजूर राशि तथा जारी की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूर परियोजनाओं के पूर्ण होने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतर्गत कितनी राशि का राज्य/राज्यक्षेत्र-वार उपयोग हुआ;

(घ) देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास तथा प्रोत्साहन में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय एवं सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण पर्यटक स्थलों के विकास/सौंदर्यकरण तथा उन तक संपर्क करने के लिए तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) पर्यटन मंत्रालय, गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत जो कि कला और शिल्प, हथकरघा, टेक्सटाइल्स, प्राकृतिक पर्यावरण आदि में पूर्ण दक्षता रखते हैं, को प्रदर्शित करने के मुख्य उद्देश्य से अपनी ग्रामीण पर्यटन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, अवसंरचना विकास के लिए 50.00 लाख रुपए और प्रत्येक पहचान किए गए स्थल के स्थानीय ग्रामीणों की क्षमता निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपए तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2002 में स्कीम के आरंभ होने से 186 ग्रामों में स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं में से अभी तक राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा 87 ग्रामों में परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। पूर्ण परियोजनाओं और उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन के विकास और संवर्धन के साथ-साथ पर्यटन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों/मार्ट जैसे कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट (डब्ल्यूटीएम), लंदन, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल बोअर्स (आईटीबी) बर्लिन, पेसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पाटा) मार्ट, आदि में ग्रामीण पर्यटन का संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण पर्यटन स्थलों से शिल्पकारों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन समारोहों में उनकी प्रतिभागिता को भी सुगम बनाता है ताकि शिल्पकार अपने शिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें। पंचयत सीमाओं में भू-दृश्यांकन एवं सड़कों का सुधार ग्रामीण पर्यटन योजना के कुछ घटकों में से है जिनके लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (30.09.12 तक) में स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और जारी की गई राशि

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (30.9.12 तक)	
		स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	220.37	165.92	109.8	87.84	62.54	50.40	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	64.66	51.73	17.0	13.60	85.88	68.71	20.00	16.00
3.	जम्मू और कश्मीर	374.82	236.8	136.74	109.39	266.19	212.95	51.00	40.8
4.	केरल	18	14.40	0	0	0	0	0	0
5.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	17.29	13.83	49.08	39.26
6.	मणिपुर	16.33	13.06	0	0	0	0	0	0
7.	मेघालय	20	16.00	0	0	0	0	50.00	40.00
8.	मिजोरम	0	0	20	16.00	50	40.00	62.7	50.16
9.	नागालैंड	205.1	175.10	0	0	268.44	214.75	0	0
10.	ओडिशा	0	0	0	0	20	16.00	0	0
11.	पंजाब	0	0	15.5	12.40	15.93	12.74	0	0
12.	सिक्किम	146.76	117.41	181.27	145.02	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	86.45	61.95	0	0	0	0	0	0
14.	त्रिपुरा	163.22	130.57	164.9	131.92	0	0	0	0
15.	उत्तराखंड	0	0	0	0	17	13.60	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	40.51	32.41	0	0	0	0
17.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	70	56.00	0	0
18.	पुदुचेरी	50	40.00	15.17	12.13	0	0	0	0
	कुल	1365.71	1022.95	700.89	560.71	873.27	698.98	232.78	186.22

विवरण-II

पूर्ण ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार विवरण

(31.10.12 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (लाख रु. में)	उपयोग की गई राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या	पूर्ण ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	593.10	335.79	11	4

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	316.26	161.62	6	3
3.	असम	200.91	126.44	4	1
4.	बिहार	60.00	16	1	0
5.	छत्तीसगढ़	369.0	294.83	7	1
6.	गुजरात	271.55	196	5	3
7.	हरियाणा	60	55.98	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	170	150	3	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1570.13	1454.05	29	20
10.	झारखंड	107.81	29.38	2	0
11.	कर्नाटक	2989	283.70	5	5
12.	केरल	338.64	135.24	6	0
13.	मध्य प्रदेश	411.80	360.79	7	5
14.	महाराष्ट्र	143.83	130.34	3	1
15.	मणिपुर	129.90	95.73	4	0
16.	मेघालय	127.59	99.57	3	0
17.	मिजोरम	0	0	2	0
18.	नागालैंड	1010.10	803.15	16	11
19.	ओडिशा	495.10	168.13	8	1
20.	पंजाब	216.83	160.20	5	2
21.	राजस्थान	184.91	117.56	3	1
22.	सिक्किम	606.60	414.76	11	3
23.	तमिलनाडु	565.67	156.36	10	8
24.	त्रिपुरा	530.67	494.16	10	2

1	2	3	4	5	6
25.	उत्तर प्रदेश	197.42	90.28	4	1
26.	उत्तराखंड	603.82	595.69	11	9
27.	पश्चिम बंगाल	347.88	492.29	6	3
28.	दिल्ली	46.08	0	2	0
29.	पुदुचेरी	52.13	0	1	0
	कुल	12595.75	7418.04	186	87

[अनुवाद]

सेवा कर के संग्रह में लिकेज

1346. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर संग्रह में सेवा कर महानिदेशालय (डीजीएसटी) द्वारा कोई लिकेज पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर की वसूली तथा उक्त कर पर शास्ति एवं ब्याज की वसूली करने के लिए डीजीएसटी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक-उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बैंकों में विदेशी अंशधारिता

1347. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में विदेशी अंशधारिता को सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कितना प्रतिशत कम किया गया है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) घरेलू बैंकिंग निकायों की स्थापना पर ऐसी कमी का संभावित प्रभाव क्या है; और1

(घ) इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) जी नहीं, महोदय। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में विदेशी निवेश कम करने के संबंध में, विगत में, कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी मसौदा-दिशा-निर्देश में आरबीआई ने यह शामिल किया है कि निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एफडीआई, एनआरआई और एफआईआई से प्राप्त कुल अनिवासी शेयरधारिता, बैंक को लाइसेंस प्रदान किए जाने की तिथि से पहले 5 वर्षों में, 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी अनिवासी शेयरधारक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, बैंक की चूकता पूंजी का 5 प्रतिशत अथवा उससे अधिक को धारित करने की इजाजत नहीं होगी। बैंक को लाइसेंस प्रदान किए जाने के 5 वर्ष के उपरांत, विदेशी शेयरधारिता विद्यमान नीति के अनुरूप होगी। वर्तमान में, निजी क्षेत्र के बैंकों में चूकता पूंजी का अधिकतम 74 प्रतिशत विदेशी शेयरधारिता के लिए अनुमत है।

[अनुवाद]

रिक्त पद

1348. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं संगठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

दुलारी

1349. श्री विष्णु पद राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 'दुलारी' नामक पारदर्शी एवं व्यापक स्कीम प्रारंभ एवं लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कीम की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दुलारी योजना शुरू नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानसिक रोग संबंधी संकल्प

1350. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हाल में संकल्प प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संकल्प की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में मानसिक रोगों से ग्रस्त रोगियों को उक्त संकल्प से किस तरह से लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-संचारी रोग में मानसिक बीमारी को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ग) भारत ने 65वीं विश्व स्वास्थ्य एसेंबली में 'मानसिक विकारों का व्यापक भार और देशीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों की विस्तृत, समन्वित आवश्यकता' पर एक संकल्प अग्रेषित करने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया था। 65वीं विश्व स्वास्थ्य एसेंबली ने 21-26 मई, 2012 के दौरान आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त संकल्प को अंगीकृत किया। स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह प्रयोजित संकल्प को 65वीं विश्व स्वास्थ्य एसेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस संकल्प की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

इस संकल्प में सदस्य देशों से ऐसी विस्तृत नीतियों और कार्यनीतियों तैयार करने एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने की मांग की गई है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, मानसिक विकारों का निवारण करने और रोग का जल्द पता लगाने, परिचर्या, सहायता, उपचार और मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की रिकवरी को बढ़ावा देती हों। इसमें महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन से उल्लेखनीय सदस्य राष्ट्रों के परामर्श एवं विचार से संवेदनशीलताओं और जोखिमों की समीक्षा पर आधारित परिणामों वाली एक विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना को बढ़ावा देने और विकास करने का पुनः अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत में मानसिक विकारों को गैर-संचारी रोगों के एक भाग के रूप में जाना जाता है। मानसिक विकारों के व्यापक भार को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य व्यवसायियों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत

निम्नलिखित संघटकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है:–

(i) जनशक्ति विकास योजना .

(ii) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना (योजना-क)

(iii) मानसिक स्वास्थ्य में जनशक्ति विकास की योजना (योजना-ख)

(iv) विद्यालयों एवं कॉलेजों में जीवन कौशल शिक्षा एवं परामर्श, आत्महत्या निवारण सेवाओं आदि के संघटकों के साथ जिला मानसिक स्वासयि कार्यक्रम।

(v) सरकारी मेडिकल कॉलेज के मन:चिकित्सीय विंगों का उन्नयन।

(vi) सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण।

विवरण

मानसिक विकारों *का वैश्विक भार तथा देश स्तर पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के व्यापक, समन्वित जबाव की आवश्यकता*

65वीं विश्व स्वास्थ्य एसेंम्बली ने

मानसिक विकारों का वैश्विक भार संबंधी रिपोर्ट तथा देश स्तर पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के व्यापक, समन्वित जबाव की आवश्यकता पर विचार करने के बाद;

संकल्प डब्ल्यूएचए 55.10 का स्मरण करते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों के भीतर तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग में जनसंख्या की खुशहाली के अभिन्न घटक के यप में मानसिक स्वास्थ्य में निवेशों को बढ़ाने का आग्रह किया गया था;

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 65/95 का स्मरण करते हुए, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को सभी समाजों के लिए अधिक महत्व की समस्याओं के रूप में मान्यता दी गई है तथा रोगभार और जीवन की गुणवत्ता के ह्रास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, तथा आर्थिक तथा सामाजिक लागत बहुत अधिक है और मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में जिसका स्वागत किया गया है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य किया गया है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान के अभाव को उजागर किया तथा कार्यनीतियों और कार्यक्रमों जिनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी कम करने वाली नीतियों के डिजाइन में मानसिक विकारों से ग्रसित लोगों तक पहुंचना शामिल है;

गैर संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक (न्यूयोर्क, 19 व 20 सितम्बर, 2011) जिसमें इस बात को मान्यता दी गई थी कि अल्जाइमर रोग समेत मानिसक तथा तांत्रिका विकार मृत्यु का महत्वपूर्ण कारक है तथा इससे गैर संचारी रोगों के भार में सहयोग मिलता है, प्रभावी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य परिचर्या उपायों की सुगम पहुंच के प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है;

इस बात को मान्यता देते हुए कि विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र नवाचार में यथा उल्लिखित मानसिक विकारों से निशक्तताओं का जन्म होता है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि विकलांग व्यक्तियों के बीच परस्पर अन्तक्रिया और दृष्टिकोण तथा परिवेश संबंधी बाधाओं की टकराहट के परिणामस्वरूप से विकलांगता आती है जो समानता के आधार पर समाज में उनकी सम्पूर्ण और प्रभावकारी भागेदारी बाधक होती है, तथा विकलांगता पर विश्व रिपोर्ट, 2011 में उन सोपानों का उल्लेख है जो विकलांग व्यक्तियों (मानसिक विकलांगता सहित) की भागेदारी और समावेशन में सुधार करने के लिए अपेक्षित है;

साथ ही यह मान्यता देते हुए कि मानसिक विकारों का दायरा बहुत व्यापक होता है जिसमें तंत्रिका तथा सबस्टेन्स-यूज विकार शामिल हैं जिनसे मानसिक विकलांगता पैदा होती है और स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रों से समन्वित प्रक्रिया की अपेक्षा होती है;

मानसिक विकारों से विश्व स्तर पर करोडों लोग पीड़ित हैं और 2004 में रोग के वैश्विक भार में मानसिक विकारों का हिस्सा 13 प्रतिशत था, इसे विकलांगता ग्रस्त जीवन को अपरिपक्व मौत के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि रोग भार की गणना के केवल विकलांगता घटक, मानसिक विकार निम्न तथा मध्य वर्गीय आय वाले देशों में विकलांगता के साथ व्यतीत जीवन क्रमशः 25.3 तथा 33.5 प्रतिशत बैठता है;

इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की गई कि मानव द्वारा निर्मित आपातकालीन स्थितियां मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं तथा

मनोवैज्ञानिक कलंक के लिए संभावित जोखिम होता है और गंभीर, पहले से मौजूद, मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों की औपचारिक एवं अनौपचारिक परिचर्या बाधित होती है;

इसके अलावा इस बात को भी मान्यता दी गई कि अनेक मानसिक विकारों का निवारण किया जा सकता है और स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन किया जा सकता है;

इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की गई कि मानसिक विकारों को प्राय कलंक की संज्ञा दी जाती है इसलिए मानसिक विकारों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरणों को संबद्ध समूहों के साथ कार्य करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए;

यह भी उल्लेख किया गया कि बच्चों तथा किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम के लिए प्रभावशीलता तथा किफायती हस्तक्षेप के संबंध में बहुत से सबूत मौजूद हैं;

यह भी उल्लेख किया गया कि मानसिक विकारों का संबंध प्राय:गैर-संचारी रोगों और एचआईवी/एड्स सहित अन्य प्राथमिकता वाले कुई मुद्दों, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य और हिंसा तथा चोट से होता है और मानसिक विकार प्राय: मेडिकल तथा सामाजिक कारक यथा गरीबी शोषण तथा अल्कोहल का हानिकारक उपयोग और महिलाओं तथा बच्चों के मामले में घरेलू हिंसा और शोषणा के साथ मौजूद रहते हैं;

इस बात को स्वीकार किया गया कि कुछ लोग ऐसी स्थितियों में जीवनयापन करते हैं जहां वे मानसिक रोगों और उनसे होने वाले दुष्परिणामों को झेलते हैं;

यह भी स्वीकार किया गया है कि मानसिक विकलांगता समेत मानसिक विकारों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुआयामी और दूरगामी होता है;

मानसिक स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने मानसिक स्वास्थ्य अंतराल कार्यक्रम के माध्यम से पहले से किए कार्यों को ध्यान में रखते हुए:

1. सदस्य देशों से आग्रह किया जाता है कि:

(1) अपने विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार व्यापक नीतियों और रणनीतियां तैयार की जायें जिनमें मानसिक विकारों की रोकथाम, मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान, परिचर्या, सहायता, उपचार और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा मिल सके;

(2) नीतियां और रणनीतियां तैयार करते समय मानवाधिकारों की आवश्यकता का संवर्द्धन करना, कलंक से निपटने, सेवा प्रयोक्ताओं, परिवारों तथा समुदायों को को सशक्त बनाने, गरीबी तथा घरों की कमी का समाधान करना, प्रमुख रूपांतरणीय जोखिमों का सामना करना तथा समुचित जन चेतना जागरण, आय सृजन के लिए अवसर पेदा करना, आवास और शिक्षा का प्रावधान करना, स्वास्थ्यपरिचर्या सेवाएं और समुदाय आधारित उपायों का प्रावधान करना जिनमें संस्थाओं के अलावा परिचर्या शामिल हैं;

(3) समुचित निगरानी, फ्रेमवर्क विकसित करना जिसमें मानसिक विकारों संबंधी रूझानों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य के जोखिम कारक और सामाजिक निर्धारक तत्व शामिल हैं;

(4) स्वास्थ्य तथा विकास से संबंधित कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन, मानसिक विकारों की रोकथाम और स्वास्थ्य और विकास से संबंधित कार्यक्रमों में परिचर्या, सहायता और उपचार के प्रावधान सहित मानसिक स्वास्थ्य को समुचित प्राथमिकता देना तथा इस बारे में उपयुक्त संशोधनों का आबंटन करना;

(5) व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने में सचिवालय के साथ सहयोग करना;

2. महानिदेशक से अनुरोध है कि:

(1) सदस्य राष्ट्रों के परामर्श और विचारार्थ कमजोरियों और जोखिमों के आकलन के आधार पर परिमेय परिणामों वाली व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की जाए जिनमें उपचार मुहैया

कराने, स्वास्थ्य लाभ को सुगम बनाने एवं मानसिक विकारों की रोकथाम तथा मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करना ताकि वे समुदाय में भरपूर तथा उत्पादक जीवन यापन कर सकें;

(2) व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना में निम्नलिखित के समाधान के लिए प्रावधानों को शामिल करना;

(क) मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने के आधार पर कमोरियों और जोखिमों का मूल्यांकन;

(ख) मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों को कलंक से बचाने की आवश्यकता सहिम मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्द्धन और सम्मान करना;

(ग) शस्ति, उत्तम और व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच जो मानसिक स्वांस्थ्य को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सभी स्तरों के साथ एकीकृत कर सके;

(घ) मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए सक्षम, संवेदनशी, पर्याप्त मानव संसाधनों का विकास;

(ङ) नीति के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के संवद्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम के लिए प्रयासों में वृद्धि;

(च) स्वास्थ्य परिचर्या समेत शैक्षिक तथा सामाजिक सेवाओं, स्कूलिंग, आवास, सुरक्षित रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों में भागीदारी;

(छ) सिविल सोसायटी संगठनों, मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, परिवारों और परिचारकों को अपनी राय व्यक्त करने तथा निर्णय प्रक्रियाओं में योगदान देने में उनकी भागीदारी;

(ज) मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियों का डिजाइन और प्रावधान जिनसे समुदाय से प्रतिरोधक बनने में सहायता मिलेगी और लोगों को मानव निर्मित आपातकालीन स्थितियों से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी;

(झ) मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्तियों की पारिवारिक तथा सामुदायिक जीवन तथा नागरिक कार्यों में भागीदारी;

(ञ) मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना के कार्यान्वयन में सदस्य देशों में शिक्षा रोजगार तथा अन्य संबंद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के तंत्रों का विकास;

(ट) पहले से किए गए कार्य को आगे बढ़ाना तथा कार्य में दोहराव को रोकना;

(3) मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने में सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय विकास साझेदारी तथा तकनीकी एजेंसी साझेदारी के साथ सहयोग करना;

(4) शैक्षिक आधार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों और तकनीकी एजेंसियों के साथ कार्य करना जिनके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में नीति निर्माण में सहयोग दिया जा सके;

(5) कार्यकारी निकाय के माध्यम से 132वें सत्र में 65वीं विश्व स्वास्थ्य एसेंबली के विचारार्थ व्यापक मानसिक कार्य योजना प्रस्तुत करना।

9वीं प्लेनरी बैठक, 25 मई, 2012
ए65/वीआर/9

'अर्नवाइल यू लर्न' योजना

1351. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों को पर्यटन स्वयंसेवकों के

रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 'अर्न वाइल यू लर्न' स्कीम प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्राधिकृत संस्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्कीम के अंतर्गत क्या प्रगति हुई?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) जी हां। पर्यटन मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को 'छात्र स्वयंसेवकों' के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उन्हें उचित पर्यटन यात्रा दक्षता और जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से "अर्नवाइल यू लर्न" नामक एक योजना की शुरूआत की है।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(i) स्नातक या स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे कॉलेज जाने वाले ऐसे छात्र, जो 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

(ii) अभ्यर्थियों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रया के माध्यम से किया जाता है।

(iii) प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 21 कार्य दिवस है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय/कार्यन्वयन संस्थानों द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

(ग) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) को अपने ग्वालियर, दिल्ली और भुवनेश्वर केन्द्रों तथा हैदराबाद शहर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भी दिल्ली में अपने कैम्पस में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) अभी तक इस योजना के अंतर्गत 3806 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणें दिया जा चुका है।

एनडीपीएस अधिनियम

1352. श्री पी. कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत और रसायनों को लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उव्यापारियों एवं विनिर्माताओं के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरों में पंजीयन कराना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस एक्ट) अधिनियम, 1985 में स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अलावा अन्य पूर्ववर्ती रसायन भी आते हैं जिनको इस अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थ" कहा जाता है जिनका प्रयोग कतिपय स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। इस समय एन.डी.पी.एस एक्ट, 1985 के अंतर्गत केवल पांच पूर्ववर्ती रसायनों को 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित किया गया है जबकि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार प्रतिरोधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन, 1988, जिसका कि भारत भी एक सदस्य है, की सूची में ऐसे 23 रसायन आते हैं। तदनुसार ऐसे पूर्ववर्ती रसायनों को शामिल करने वाले विनियमों की इस समय समीक्षा की जा रही है जिससे कि ऐसे ही और अधिक रसायनों को शामिल करने के लिए इसका क्षेत्र विस्तार किया जा सकने की संभावना का पता लगाये जा सके ताकि इन रसायनों पर विभिन्न परिमाण में नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

(ग) और (घ) इस समय व्यापारियों और विनिर्माताओं को स्वापक नियंत्रण ब्यूरों में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। फिर भी, पूर्ववर्ती रसायनों से संबंधित विनियमों की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ इन रसायनों पर विभिन्न परिमाण में नियंत्रण करने का विचार किया जा रहा है जिसमें इन नियंत्रित पदार्थों की सीमित संख्या में उत्पादन और व्यापार के लिए स्वापक नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाइसेंस दिया जाना भी शामिल है। प्रस्तावित संशोधन को इसलिए तलाशा जा रहा है कि उपयोगर्त्ता के हितों और अवैध प्रयोग को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

बीओआरएल से गैस का रिसाव

1353. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीना स्थित भारत ओमान रिफाइनरी लि. (बीओआरएल) के पास के गांवों में इससे हानिकारक गैसों के रिसाव के कारण लोगों के बीमार पड़ने की घटनाएं सामने आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसरकार को जन प्रतिनिधियों से इस संबंध में जांच हेतु अनुरोध मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत पेट्रोलिनयम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) ने सूचित किया है कि मई, 2012 के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीसीबी) ने भारत ओमन रिफाइनरी लि. (बीओआरएल) का निरीक्षण किया था और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिविल अस्पताल, बीना से यह पुष्टि हुई और यह रिपोर्ट मिली कि रिफाइनरी के आस-पास देखी गई बीमारी रिफाइनरी प्रचालनों के कारण नहीं हो सकती।

(ग) से (ङ) बीना रिफाइनरी के प्रचालन से आस-पास के पर्यावरण पर कुप्रभावों के संबंध में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का मसला बीपीसीएल के साथ उठाया गया था। बीपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि बीओआरएल रिफाइनरी में सभी संसाधन इकाइयां विश्व प्रसिद्ध लाइसेंसदाताओं की जानकारी पर आधारित हैं और निर्धारित मानदंडों के भीतर उत्सर्जन को सीमित करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। रिफाइनरी से होने वाले उत्सर्जनों की रिफाइनरी में स्थापित चार परिवेशी एयर मानिटरिंग स्टेशनों के जरिए लगातार निगरानी की जाती है और वायु गुणवत्ता की जानकारी सार्वजनिक सूचना के लिए रिफाइनरी द्वार पर दर्शायी जाती है। देखे गए उत्सर्जन और वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर हैं। उसी की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, रिफाइनरी ने वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने की सुविधा से युक्त एक मोबाइल वैन खरीदी है। आस-पास के गांवों में वायु की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और कोई भी अपसामान्यता नहीं देखी गई है।

बीपीसीएल ने यह भी रिपोर्ट दी है कि परिवेशी वायु की गुणवत्ता और स्टैक गैस उत्सर्जनों का विश्लेषण पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओई एंड एफ) द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसी द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है और उत्सर्जनों के निर्धारित सीमाओं के भीतर होने की रिपोर्ट मिली है।

राजसहायता के नकद अंतरण संबंधी पायलट परियोजना

1354. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार खाना पकाने वाली गैस, पीडीएस वस्तुओं आदि के लिए लाभार्थियों को नकदी अंतरण से राजसहायता को प्रतिस्थापित करने के लिए पायलट परियोजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके संभावित लाभ क्या हैं; और

(ग) इसे लागू करने में कितना समय लगने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने मिट्टी के तेल, घरेलू एलपीजी और उर्वरकों के लिए अधिकाधिक दक्षता, किफायत और बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को चरणबद्ध रूप में नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सरकार ने अलवर, राजस्थान में और मैसूर, कर्नाटक में क्रमशः मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी के लिए नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं।

[हिन्दी]

एनबीएफसी के विरुद्ध शिकायतें

1355. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से स्वर्ण ऋण के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई कार्य समूह/समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि स्वर्ण संपार्श्विक के प्रति उधार देने में प्रमुखता से संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा सार्वजनिक निधियां व्यापक रूप से उधार लेने से उत्पन्न सर्वांगी सरोकारों, उजागर हुए "संकेंद्रित जोखिम" के साथ ही ऐसे एनबीएफसी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों कि वे अपने लिए निर्धारित उचित प्रलेखीकरण प्रक्रिया और उचित व्यवहार संहिता का पालन नहीं कर रही हैं, को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण के बदले उधार देने की प्रथाओं और उससे उत्पन्न चिंताओं का अध्ययन करने के लिए एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है। आंतरिक कार्य दल के विचारार्थ विषयों मे सपार्श्विक के प्रति उधार देने में शामिलत एनबीएफसी की मौजूदा प्रथाओं की जांच करना; स्वर्ण ऋण से संबंधित मौजूदा विनियामकीय मानदंडों की समीक्षा करना और, यदि आवश्यक हो, तो किसी आशोधन की सिफारिश करना; और यह आकलन करना कि स्वर्ण ऋण देने में क्या एउनबीएफसी उचित व्यवहार संहिता सहित अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं, आदि शामिल है।

कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

होम्योपैथी का विकास/प्रोत्साहन

1356. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में होम्योपैथी उपचार एवंदवाओं को बढ़ावा देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आरंभ की गई होम्योपैथी उपचार एवं दवा संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप हासिल उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आवंटित एवं व्ययित राशि कितनी हैं;

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान होम्योपैथिक उपचार एवं दवाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए तथा कोई विशेष स्कीम बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) 11वीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान, सरकार ने होम्यापैथिक उपचार और दवाओं का संवर्धन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :

- होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को आयुष विभाग की केंद्रीय प्रायोजित और केंद्र क्षेत्रक स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।
- कैबिनेट ने 71.81 करोड़ रुपये की लागत से शिलांग, मेघालय में उत्तर-पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया हैं।
- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता में स्नातक-पूर्व (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में क्रमशः 50 सीटों से 93 सीटों तक; और 18 सीटों से 36 सीटों तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा तीन और विषयों में स्नातकोत्तर विशेषज्ञता शामिल की गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होम्योपैथिक एकांशों की स्थापना की गई है।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की जागरूकता, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा आरोग्य मेलों के माध्यम से बढ़ाई जाती है।

(ख) होम्योपैथी में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क. केन्द्रीय होम्योपैथी एवं अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच)

(i) सीसीआरएच ने राइनाईटिस, तीव्र ओटाईटिस मीडिया, जीर्ण साइनोसाइटिस, अतिसार, मूत्राश्मरी, विटिलिगो आदि जैसे रोगों पर 23 नैदानिक अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं। परिणाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं।

(ii) 34 औषधों के सत्यापन अध्ययन पूरे किए गए हैं। 52 औषधों के नैदानिक सत्यापित आंकड़े, जिनमें स्वदेशी मूल के 24 औषधें शामिल हैं, प्रकाशित किए गए हैं।

(iii) 23 औषधों पर औषध प्रमाणन पूरे किए गए, जिनमें से चार नए औषध हैं तथा 14 औषधों के आंकड़े प्रकाशित किए गए।

(iv) 40 औषधों के भेषजसंहिता मानकों को तैयार किया गया है, ताकि इन्हें भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता में शामिल किया जा सके। उत्कृष्टता के संस्थानों के साथ 12 मौलिक अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं और 11 अनुसंधान लेखों को प्रकाशित किया गया है।

ख. सीसीआरएच के सहयोगात्मक अनुसंधान

उत्कृष्टता के संस्थानों के साथ सहयोग के अंतर्गत अध्ययनों से जापानी मस्तिष्क ज्वर (स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन), कैंसर (बोस इंस्टिट्यूट), गुर्दे में पथरी (मद्रास विश्वविद्यालय) तथा मधुमेह (मद्रास विश्वविद्यालय) की नैदानिक रोग दशाओं में इन-विट्रो और पशु मॉडल में होम्योपैथिक औषधि की जैविक सक्रियता का साक्ष्य पाया गया है और संबंधित निष्कर्ष, भारतीय होम्योपैथी अनुसंधान पत्रिका (आईजेआरएच) और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं

ग. बहिर्वर्ती अनुसंधान

बहिर्वर्ती अनुसंधान में संचालित अध्ययनों से स्वप्रतिरक्षी थाइरॉडिटिस, अतिसार, शिक्षण संबंधी अक्षमता, कुष्ठ, डिम्बग्रंथि पुटी, गर्भाशय रेशेदार, खुजली आदि जैसे रोगों में होम्योपैथिक औषधों की प्रभावकारिता के पक्ष में साक्ष्य आधारित सहायता मिलजने संबंधी परिणाम सामने आए हैं। पशु मॉडल में होम्योपैथिक औषधों के ऑक्सीकारक रोधी प्रभाव, कैंसर रोधी क्षमता, तंत्रिका-सुरक्षात्मक प्रभावों और हृदय तंत्रिकाविकृति पर प्रभावों की जांच के लिए किए गए अध्ययनों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

(ग) आवंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 12वीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान, होम्योपैथिक विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम आदि स्थापित करने की योजना बनाई है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी 12वीं योजना को अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

आयुष विभाग में होम्योपैथी के अंतर्गत 11वीं योजना (2007-2012) आवंटन और व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		ब. अनु.	सं. अनु.	वा. व्यय	ब. अनु.	सं. अनु.	वा. व्यय	ब. अनु.	सं. अनु.	वा. व्यय	ब. अनु.	सं. अनु.	वा. व्यय	ब. अनु.	सं. अनु.	वा. व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सीसी आरएच	11.55	11.55	11.41	13.43	20.75	20.75	30.87	30.87	29.85	30.87	33.17	33.92	32.00	32.20	32.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	एनआई एच	19.00	19.00	16.98	17.00	18.74	18.74	20.00	20.00	20.00	20.00	32.00	32.00	22.00	22.00	21.37
3	एचपीएल	1.50	0.89	0.73	0.50	1.16	1.06	1.07	0.94	0.90	1.07	0.93	0.91	0.94	0.91	0.77
4	सीसी एच	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.15	0.09	0.29	0.14
	कुल	32.10	31.49	29.17	30.98	40.72	40.62	52.03	51.90	50.84	52.03	66.19	66.98	55.03	55.40	54.48

नोट :

सीसीआरएच = केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्

एनआईएच = राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान

एचपीएल = होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला

सीसीएच = केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

ब. अनु. = बजट अनुमान

सं. अनु. = संशोधित अनुमान

वा. व्यय = वास्तविक व्यय

राजस्थान के लिए उत्पाद शुल्क में छूट

1357. **श्री हरीश चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को बाड़मेर में प्रस्तावित तेल शोधन के लिए 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) फरवरी, 2011 में राजस्थान सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें उसने बाड़मेर की प्रस्तावित रिफाइनरी पर पहले जांच वर्ष तक के लिए उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की मांग की थी। सरकार ने इस अनुरोध की जांच-परख की है और पाया है कि यह छूट देना संभव नहीं है।

बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

1358. **श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बीमा क्षेत्र में वर्तमान में कार्य कर रही बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीमा धन के रूप में उक्त कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ग) इन विदेशी बीमा कंपनियों का देश के बीमा क्षेत्र पर किस प्रकार और किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि कोई भी विदेशी कंपनी वर्तमान में भारत में कार्य नहीं कर रही है। तथापि, विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा उद्योग में अधिकतम 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारों के रूप में प्रवेश की अनुमति है और वर्तमान में भारत में 38 निजी बीमा कंपनियां अपने संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ कार्य कर रही हैं।

[अनुवाद]

बाल विवाह

1359. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल की रोकथाम के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा उक्त परामर्श के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) मुद्दे के समाधान के लिए जिन मुद्दों पर प्रतिभागियों की आम सहमति बनी उनका ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। बाल विवाह निवारण पर एक राष्ट्रीय परामर्श मंत्रालय द्वारा 25 मई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों विभागों से प्रतिनिधियों और जिला प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों ने भाग लिया और बाल विवाह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कियां विचार-विमर्श मुख्य रूप रसे कानूनी और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा अन्य संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन पहलुओं पर केंद्रित था। बाल विवाह को रोकने के निमित्त राज्य सरकारों ओर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) विचार-विमर्श में यह सहमति हुई कि मानचित्रण प्रक्रिया के माध्यम से अभिचिन्हांकित होने वाले विशेषकर सभावित क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के उपाय सामाजिक सोच का समाधान करने के लिए सुझाए गए। बाल विवाह पर केन्द्र और राज्य सरकार की उपयुक्त स्कीमों और कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के लिए समन्वित अन्तर-विभागीय कार्रवाई के महत्व पर विभिन्न केन्द्रीय विभागों और मंत्रालयों के बीच संकेन्द्रण पर भी जोर दिया गया। कानूनी पहलू के संबंध में क्रियान्वयन ढांचा और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की मशीनरी को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

[हिन्दी]

स्वर्ण आयात

1360. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में स्वर्ण के आयात में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण के मूल्यों में गिरावट के कारण स्वर्ण के आयात में वृद्धि दर्ज हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा आयातित स्वर्ण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) डीजीसीआई एवं एस के अनुसार, विगत चार वर्षों (2008-09 से 2011-12) में स्वर्ण आयातों (अमरीकी डॉलर के संदर्भ में) में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, इन आयातों में अप्रैल-सितंबर में 66.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-सितंबर 2012 में 30.3 प्रतिशत की गिरावट हुई।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और स्वर्ण आयातों की प्रवृत्ति नीचे सारणी में दी गई है।

सारणी : स्वर्ण आयात और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य

वर्ष	स्वर्ण आयात (बिलियन अमरीकी डॉलर)	औसतन स्वर्ण मूल्य (प्रति ट्राय आउंस अमरीकी डॉलर में)
1	2	3
2007-08	16.7	775.2
2008-09	20.7	877.1
2009-10	28.6	1024.1
2010-11	40.5	1305.5

1	2	3
2011-12	56.2	1651.3
अप्रैल-सितंबर 2011-12	29.0	1606.4
अप्रैल-सितंबर 2012-13	20.2	1642.4

(ग) यह नोट किया जाए कि हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। स्वर्ण कीमतों के ऐसे रुख स्वर्ण निवेशकों की सकारात्मक संभावनाओं को निर्मित करने में महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए इन्होंने भारत में स्वर्ण आयात बढ़ाने में आंशिक तौर पर योगदान किया होगा। तथापि, 2012-13 (अप्रैल-सितंबर) में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि के बावजूद स्वर्ण आयातों में उल्लेखनीय कमी आई हैं। स्वर्ण आयातों में यह गिरावट सरकार द्वारा जनवरी 2012 और मार्च, 2012 में स्वर्ण आयातों पर सीमा शुल्क बढ़ाने के कारण हो सकती है।

(घ) मौजूदा वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सरकारी और सरकारी क्षेत्र द्वारा आयातित सोने का मूल्य 18,026 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र द्वारा आयातित सोने का मूल्य 92,501 करोड़ रुपये हैं।

जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधियों का विपथन

1361. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुआ है कि जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत निधियों का आबंटन जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में हो तथा इसका समुचित उपयोग हो न कि इसके विपथित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है।;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ङ) योजना आयोग ने जून, 2010 में एक कार्यबल स्थापित किया है, जिसने विभिन्न पक्षों से सुझावों/अनुरोधों पर विचार करने के बाद उपयोजना के तहत विविध अनुपात में निधियां आबंटित करने के लिए 28 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को चिह्नित करने की सिफारिश की है। योजना आयोग ने देश में गरीबी विरोधी परियोजनाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निधियों के इष्टतम उपयेाग हेतु 2005 में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु पहले ही दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों का मूल उद्देश्य कम-से-कम उनकी आबादी के अनुपात में, वास्तविक एवं वित्तीय दोनों रूपों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना में सामान्य क्षेत्रों से परिव्यय और लाभ के प्रवाह को चेनेलाइज करना है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि ऐसी निधियां गैर-विपथनकारी तथा गैर-व्यपगतकारी होनी चाहिएं। यह मंत्रालय तथा योजना आयोग टीएसी के अक्षरश: कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से लगातार कह रहा है।

(च) उपर्युक्त भाग (क) से (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हानिकारक खाद्य तत्व

1362. **श्री विजय बहादुर सिंह :**
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि प्रसिद्ध टॉफिया, जो बच्चों में लोकप्रिय हैं और जिनका उत्पादन देश में होता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टॉफी ब्रांडों और कंपनियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें देश में बच्चों के लिए उत्पादित किया और बेचा जाता है;

(ग) इन टॉफियों में पाए गए हानिकारक खाद्य तत्वों के ब्रांड-वार नाम क्या हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) इनके उत्पादकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) से (च) सरकार को ऐसे मामलों की सूचना नहीं मिलती हैं। खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 में कन्फेक्शनरीस के लिए मानकों का प्रावधान निर्धारित किया गया है। राज्य/संघ शासित राज्य द्वारा नियमित रूप से खाद्य नमूने लिए जाते हैं और जो नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत् बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे उन मामलों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

1363. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती प्रिया दत्त :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रयोजन को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उक्त प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राधिकरण द्वारा देश में खाद्य सुरक्षा और मानकों, एक समान लाइसेंसिंग आदि को विनियमित करने के लिए किस हद तक उपलब्धि हासिल की गई है;

(घ) क्या एफएसएसएआई ने भारतीय रेल द्वारा दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए कोई निरीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी किए गए निरीक्षण का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो कि इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली एवं विनियमों को वर्ष 2011 में अधिसूचित किया जा चुका है। इसी के साथ-साथ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित नियम एवं आदेश (खाद्य अपमिश्रण के निवारण सहित) और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विनियम, 1992 को 5.8.2011 से रद्द कर दिया गया है। 8 वैज्ञानिक पैनल पर एक वैज्ञानिक समिति स्थापित की गई हैं। अभी तक 8 केन्द्रीय परामर्श समिति बैठकें और 11 खाद्य प्राधिकरण बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापारों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 को खाद्य प्राधिकरण (केन्द्रीय लाइसेंसिंग) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (राज्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। खाद्य व्यापार संचालकों का पंजीकरण करना और उन्हें लाइसेंस जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मान्यताप्राप्त अधिकारी भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

1364. श्री पूर्णमासी राम :
डा. संजय जायसवाल :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वित्त पोषित कम से कम सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और अन्य कंपनियों से विद्युत आपूर्ति करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीणों को उनके घरों में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए; और

(ग) निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) जेएनएनएसएम की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे-सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, मैसर्स पीईसी लिमिटेड के माध्यम से ऑफ-ग्रिड एसपीवी विद्युत संयंत्रों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा सौर लालटेनों तथा घरेलू रोशनियों के लिए राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों के माध्यम से प्रणाली की लागत के 30% की सब्सिडी दी जाती है जो 81 रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित है। मंत्रालय द्वारा सौर लालटेनों तथा घरेलू रोशनियों के लिए नाबार्ड और अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रणाली की लागत के 40% की सब्सिडी भी दी जा रही है जो 108 रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित है।

(ग) मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में प्रणालियों की संस्थापना की निगरानी करने के लिए परामर्शदाताओं एवं अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों को नियुक्त किया जाता रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित स्थल दौरे किए जाते हैं। मंजूर की गई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने हेतु बैठकों का आयोजन किया जाता है।

सौर विद्युत उत्पादन

1365. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के बहु-लाभकारी सौर विद्युत उत्पादक परियोजना को संज्ञान में लिया है जिसमें सूखे क्षेत्रों में जल ले जाने वाली नर्मदा नदी की नहर के ऊपर सौर पैनलों को लगाया गया है जिससे स्वच्छ ऊर्जा सृजित होती है तथा भारी मात्रा में जल वाष्पीकृत होने से बचता है तथा सौर विद्युत परियोजना के लिए अथवा आवश्यक भारी मात्रा में भूमि की बचत भी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में स्थापित होने वाली सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए ऐसे ही तरीके अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। सरकार ने नहर के ऊपर संस्थापित 1 मेगावाट क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र पर संज्ञान लिया है जिसे इस वर्ष फरवरी महीने में गुजरात के मेहसाणा जिले में नहर के 750 मीटर ऊपर के क्षेत्र में संस्थापित किया गया है।

(ख) सरकार द्वारा सौर विद्युत संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और विकासकर्ता नहरों के ऊपर संयंत्र लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) देश में सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थाना जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में पूर्णतः निजी निवेश से की जा रही है और न कि सरकार द्वारा।

(घ) यह विकासकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे संबंधित राज्य नीति के अंतर्गत अनुमति प्राप्त विभिन्न स्थलों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन स्वयं करें। इसमें एक ओर जहां भूमि की बचत होती है वहीं नहरों पर बनाए जाने वाले ढांचों के कारण लागत में अतिरिक्त वृद्धि होती है।

[हिन्दी]

तेल पीएसयू के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

1366. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनी-वार तेल का विपणन करने वाली विभिन्न तेल कंपनियों (ओएमसी) के कुछ अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक करने तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएमसी के ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) ऐसे अवैध व्यवहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ओएमसीज द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 30 अधिकारियों को बरखास्त किया गया है, 301 अधिकारियों पर अन्य शास्तियां (सावधान करने/चेतावनी देने/अभियोजन के लिए मंजूरी सहित) लगाई गई हैं और 67 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। ओएमसीज ने गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए विभिन्न ई-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हुए खुदरा बिक्री केंद्रों, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का निरीक्षण करने, निविदा फाइलों आदि की संवीक्षा, नीतियों की आवधिक समीक्षा और ओएमसीज के कार्य में सुधार करने के लिए प्रणालियां शुरू करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

तेल पीएसयूज में अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के ब्यौरे

तालिका-I

ओएमसी का नाम : इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.

वर्ष	अपने कर्तव्यों के पालन में दोषी और गैर-कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों की संख्या	ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई विशिष्ट अनुशासनिक कार्रवाई ऐसे मामलों की संख्या जिनमें			
		बरखास्त	दिए गए अन्य दंड	निलंबित अधिकारी	जांच चल रही है
2009	92	6	37	1	48
2010	56	9	43	1	03
2011	68	5	35	0	18
2012	48	0	25	2	21
योग	264	20	140	4	90

•सावधान करने/चेतावनी देने सहित।

तालिका-II

ओएमसी का नाम : भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

वर्ष	अपने कर्तव्यों के पालन में दोषी और गैर-कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों की संख्या	ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई विशिष्ट अनुशासनिक कार्रवाई ऐसे मामलों की संख्या जिनमें			
		बरखास्त	दिए गए अन्य दंड	निलंबित अधिकारी	जांच चल रही है
1	2	3	4	5	6
2009	01	0	0	0	01

1	2	3	4	5	6
2010	20	0	5**	0	15
2011	03	0	15**	1	01
2012	01	0	0	0	01
योग	25	0	6	1	18

**अभियोजन के लिए मंजूरी

तालिका-III

ओएमसी का नाम : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

वर्ष	अपने कर्तव्यों के पालन में दोषी और गैर-कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों की संख्या	ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई विशिष्ट अनुशासनिक कार्रवाई ऐसे मामलों की संख्या जिनमें			
		बरखास्त	दिए गए अन्य दंड	निलंबित अधिकारी	जांच चल रही है
2009	42	1	33	15	34
2010	47	2	39	17	36
2011	51	2	45	14	49
2012*	41	5	38	16	43
योग	181	10	155	62	162

*निलंबित अधिकारियों के मामले में निलंबन को बाद में रद्द कर दिया गया था और अधिकांश मामलों में दंड दिया गया था।

**कुछ जांचें एक वर्ष के बाद भी जारी हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राजसहायता

1367. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं हेतु मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को प्रदान की गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम, जिसे 31 मार्च, 2012 तक के लिए अनुमोदित किया गया था, के अंतर्गत उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों तथा विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार

को व्यवहार्य न पाए जाने के कारण उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से रोशनी/आधारिक विद्युत हेतु सुविधाओं का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य द्वारा पहचान की गई कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश के प्रस्ताव भी शामिल थे। ऐसे प्रस्तावों को सभी तरह से पूर्ण तथा आरवीई कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप पाए जाने पर ही मंजूरी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 623 दूरस्थ गांवों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पूर्व निर्धारित अतिधकत राशि के अध्यधीन प्रणालियों के लागत के 90 प्रतिशत की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह कार्यक्रम 31 मार्च, 2012 तक के लिए अनुमोदित किया गया था।

विवरण

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.53
2.	असम	2062.30
3.	छत्तीसगढ़	510.83
4.	दिल्ली	24.96
5.	गोवा	9.74
6.	गुजरात	35.30
7.	हरियाणा	12.86
8.	जम्मू और कश्मीर	4263.58
9.	झारखंड	1972.08
10.	कर्नाटक	9.82
11.	मध्य प्रदेश	2194.96
12.	महाराष्ट्र	501.257
13.	मेघालय	117.86
14.	नागालैंड	76.047
15.	ओडिशा	4654.70
16.	राजस्थान	1291.74
17.	सिक्किम	8.04
18.	तमिलनाडु	66.76
19.	त्रिपुरा	1033.49
20.	उत्तराखंड	2524.85
21.	उत्तर प्रदेश	1969.19
22.	पश्चिम बंगाल	2785.24

[अनुवाद]

म्यूचुअल फंडों में पीएसयू की अतिरिक्त राशि का निवेश

1368. श्री विभू प्रसाद तराई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर उनकी अतिरिक्त राशि को सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड के बदले निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड में निवेश पर प्रतिबंध उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सूझावों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन बिन्दुओं को शामिल किया गया है; और

(घ) निजी उद्यमों में निवेशित सार्वजनिक धन की रक्षा हेतु तंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/11/47/2006-एफआईएन दिनांक 31 अगस्त, 2007 के अनुसार, सरकार ने अन्य बातों के अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न तथा मिनी रत्न उद्यमों को उपलब्ध अधिशेष निधियों के 30 प्रतिशत तक का निवेश सेबी विनियमित सरकारी क्षेत्रक म्युचुअल फंडों में करने की अनुमति दी है। जनवरी 2009 में, सरकार ने स्थिति की समीक्षा की तथा स्कीम का आगामी आदेशों तक जारी रखने का निर्णय लिया।

भारतोय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा सरकार को एक सुझाव दिया गया है कि सरकार दिनांक 31 अगस्त, 2007 को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करे जिसके तहत सरकारी क्षेत्र के नवरत्न तथा मिनीरत्न उद्यमों को सेबी विनियमित सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों में निवेश करने तथा ऐसे सीपीएसई द्वारा अधिशेष निधियों का निवेश सभी म्युचुअल फंडों में करने तथा मात्र सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों में ही नहीं, करने की अनुमति दी गई है।

वर्तमान में 31 अगस्त, 2007 के अनुदेश प्रवृत्त हैं।

(घ) ऊपर उत्तर (क, ख तथा ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य नहीं है।

जल जनित बीमारियां

1369. श्री वरुण गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल जनित बीमारियों के अधिक फैलने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए और इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) सरकार द्वारा देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके परिणामतः क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(घ) देश में जल जनित बीमारियों को रोकने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी और आवंटित की गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जल जनित बीमारियों की व्याप्तता क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है। देश में पाए जाने वाली प्रमुख जलजनित बीमारियों गंभीर आंत्रशोथ रोग, आंत्र ज्वर (टाइफाइड), वायरल हेपेटाइटिस तथा हैजा (कोलरा) हैं। वर्ष 2009-11 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक इन बीमारियों के कारण दर्ज मामलों और मौतों की संख्या के राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान जलजनित बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए एक प्रमुख कार्यनीति है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल जैसे हैंडपंप, पाइपों द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संबल प्रदान करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत 10,500 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। राज्यों के एनआरडीडब्ल्यूपी की आबंटित निधियों की 67 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और रखवाली के लिए भारत सरकार राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी को 3 प्रतिशत निधि मुहैया कराती है जिसमें जिले/उप जिले में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा उन्नयन से संबंधित कार्यकलाप, प्रयोगशालाओं को रसायन और उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान करना, प्रयोगशालाओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति को काम पर रखना, ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्ट कीट्स/रिफिल्स प्रदान करना आदि शामिल हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी सहयोग घटक के तहत, जिसके लिए 5 प्रतिशत निधियां आबंटित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ पेयजल

स्रोतों को दूषण रहित रखने पेयजल के सुरक्षित भंडारण एवं पहचान को सुनिश्चित करने तथा पेयजल की निगरानी एवं सुरक्षित स्वच्छता एवं हाइजेन बनाए रखने के बारे में जलजनित रोगों के निवारण हेतु राज्य पीढ़ी जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-2012 के दौरान सूचित एक्यूट डाइरियल रोगों के कारण हुए मामलों और मौतों के राज्य-वार ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	2009		2010		2011		2012 (अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2322963	111	2291375	214	2235614	107	1171870	49
2.	अरुणाचल प्रदेश	26909	7	19104	3	32228	11	एनआर	एनआर
3.	असम	190070	0	75681	0	96816	16	11213	0
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	130276	0	369399	2
5.	छत्तीसगढ़	125069	11	51480	2	64575	5	39533	1
6.	गोवा	20103	0	16417	5	15146	2	9756	1
7.	गुजरात	337608	3	357922	3	367450	0	291471	5
8.	हरियाणा	240017	33	215717	43	224223	21	114300	10
9.	हिमाचल प्रदेश	334699	24	284548	28	310227	51	224800	36
10.	जम्मू और कश्मीर	518678	5	494138	5	544711	0	427923	13
11.	झारखंड	64817	5	58767	0	98258	1	28053	4
12.	कर्नाटक	787179	81	583103	62	591989	49	277901	23
13.	केरल	371714	4	373945	2	260938	0	250169	6
14.	मध्य प्रदेश	565568	134	305438	107	290705	92	255818	90
15.	महाराष्ट्र	640056	39	813445	12	507046	4	222335	1
16.	मणिपुर	20614	9	13869	12	17605	39	18444	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	174769	24	181411	16	148801	20	141692	18
18.	मिज़ोरम	21841	17	16148	12	16192	11	13652	5
19.	नागालैंड	33970	0	36535	0	30458	1	15654	0
20.	ओडिशा	663651	91	681659	104	632493	143	436052	90
21.	पंजाब	190473	51	204936	39	190022	15	135715	9
22.	राजस्थान	244836	27	223106	11	227571	7	303929	6
23.	सिक्किम	46629	6	55223	2	44094	2	37640	0
24.	तमिलनाडु	517896	18	455668	49	210074	24	141228	20
25.	त्रिपुरा	147400	33	119945	88	109777	83	51784	15
26.	उत्तराखंड	111240	70	100065	42	79643	26	65253	18
27.	उत्तर प्रदेश	453863	159	431893	164	554770	185	413222	128
28.	पश्चिम बंगाल	2443284	725	1970448	398	1854651	288	859489	123
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30416	0	28028	8	19679	0	22553	2
30.	चंडीगढ़	10468	7	एनआर	एनआर	42615	0	10523	0
31.	दादरा और नगर हवेली	94537	0	69265	1	81322	1	60562	0
32.	दमन और दीव	6849	0	8169	0	12638	0	10448	0
33.	दिल्ली	145171	107	115478	89	102983	62	66714	49
34.	लक्षद्वीप	4590	1	6742	0	4693	0	3997	0
35.	पुदुचेरी	76543	16	82659	5	80766	3	56631	15
	संपूर्ण	11984490	1818	10742327	1526	10231049	1269	6559723	774

स्रोत: सीबीएचआई, डीटाई, स्वा. सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल

एनआर: सूचित नहीं।

विवरण-II

वर्ष 2009-12 के दौरान सूचित आंत्र ज्वर के कारण हुए मामलों और मौतों का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009		2010		2011		2012 (अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	136585	8	170763	5	180297	6	101749	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	3739	23	5715	10	7885	9	एनआर	एनआर
3.	असम	4422	0	4140	0	4541	5	464	0
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	14787	0	90919	2
5.	छत्तीसगढ़	53291	5	38532	0	42115	1	44350	0
6.	गोवा	623	0	431	0	285	0	164	0
7.	गुजरात	7156	1	9778	0	14371	0	12248	0
8.	हरियाणा	21183	31	22361	2	25469	1	16743	1
9.	हिमाचल प्रदेश	20252	4	24417	3	28074	2	23477	1
10.	जम्मू और कश्मीर	93953	0	90847	1	82347	0	55348	0
11.	झारखंड	34172	10	35872	0	27009	3	9980	3
12.	कर्नाटक	50434	11	34296	6	38727	2	27480	1
13.	केरल	4331	2	4621	1	3322	0	3444	1
14.	मध्य प्रदेश	57883	39	33792	25	32490	20	34142	26
15.	महाराष्ट्र	79162	12	94363	0	50095	1	24733	1
16.	मणिपुर	5247	3	3859	0	5498	7	8767	1
17.	मेघालय	10066	0	8169	1	9235	2	3844	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिज़ोरम	1163	4	1115	0	2270	1	1776	1
19.	नागालैंड	15569	0	19014	0	14962	2	7403	0
20.	ओडिशा	50341	33	45692	29	59903	104	41438	15
21.	पंजाब	22444	1	28248	6	36263	9	28708	1
22.	राजस्थान	11469	0	10575	0	7902	0	10940	2
23.	सिक्किम	218	0	689	0	551	0	208	0
24.	तमिलनाडु	143948	1	112879	51	50185	0	21004	0
25.	त्रिपुरा	2025	1	2068	5	3553	0	1973	3
26.	उत्तराखंड	23009	49	16489	2	13760	1	15658	4
27.	उत्तर प्रदेश	65096	72	71037	158	117537	80	69525	50
28.	पश्चिम बंगाल	133095	78	146428	74	127180	34	53244	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2608	0	1266	1	1343	1	909	1
30.	चंडीगढ़	498	0	एनआर	एनआर	3190	0	955	0
31.	दादरा और नागर हवेली	2653	0	2221	0	2269	0	2029	0
32.	दमन और दीव	920	0	1652	0	964	0	890	0
33.	दिल्ली	40646	47	32542	60	42976	55	25079	34
34.	लक्षद्वीप	4	0	13	0	14	0	5	0
35.	पुदुचेरी	1126	1	11001	0	11077	0	1676	0
	संपूर्ण	1099331	436	1084885	440	1062446	346	741272	189

स्रोतः सीबीएचआई, डीटीई, स्वा. सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल

एनआरः सूचित नहीं।

विवरण-III

2009-2012 के दौरान सूचित हेपेटाइटिस के कारण हुए मामलों और मौतों का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011		2012 (अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	9457	53	9949	60	11050	61	3752	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	2	219	6	636	4	एनआर	एनआर
3.	असम	7770	0	312	0	2557	25	0	0
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	202	0	2180	1
5.	छत्तीसगढ़	1835	13	287	4	139	1	1030	0
6.	गोवा	96	0	71	0	118	0	53	0
7.	गुजरात	3068	99	3190	0	4328	0	1738	0
8.	हरियाणा	2011	4	1583	4	2.557	2	2027	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2979	5	2566	13	1248	10	755	14
10.	जम्मू और कश्मीर	6190	0	3990	0	5129	2	4367	0
11.	झारखंड	340	4	358	0	384	2	381	0
12.	कर्नाटक	11029	19	8872	16	6049	8	5457	8
13.	केरल	7810	13	5353	6	5336	7	5786	16
14.	मध्य प्रदेश	7381	17	5168	15	3851	12	4083	2
15.	महाराष्ट्र	7488	30	5446	36	5994	30	4110	14
16.	मणिपुर	1764	0	320	0	229	0	128	0
17.	मेघालय	205	2	438	1	87	3	152	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिज़ोरम	476	7	571	12	812	14	806	12
19.	नागालैंड	542	0	119	0	64	0	259	0
20.	ओडिशा	5610	82	3328	62	3272	89	3607	51
21.	पंजाब	5750	7	6546	21	5041	12	2388	0
22.	राजस्थान	981	2	1356	1	967	0	1051	1
23.	सिक्किम	364	3	1180	2	484	0	380	2
24.	तमिलनाडु	3978	1	5732	3	5940	0	6165	0
25.	त्रिपुरा	987	3	717	8	404	0	154	1
26.	उत्ताराखंड	20132	17	6645	12	3143	19	3238	6
27.	उत्तर प्रदेश	1988	19	2203	9	7749	28	4237	9
28.	पश्चिम बंगाल	4525	121	4779	68	5480	105	1272	41
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	243	2	255	6	208	5	95	5
30.	चंडीगढ़	390	2	एनआर	एनआर	1309	0	433	0
31.	दादरा और नगर हवेली	277	0	314	2	269	0	146	0
32.	दमन और दीव	62	0	103	0	484	0	120	0
33.	दिल्ली	7657	40	6510	61	8347	68	3516	42
34.	लक्षद्वीप	30	0	20	0	15	1	10	0
35.	पुदुचेरी	517	33	650	2	520	12	383	11
	कुल योग	124085	600	89150	430	94402	520	64259	273

स्रोत: सीबीएचआई, डीटीई, स्वा. सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल

एनआर: सूचित नहीं।

विवरण-IV

वर्ष 2009-2012 के दौरान सूचित हैजा के कारण हुए मामलों और मौतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011		2012 (अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	308	4	178	0	227	0	82	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	0	0	एनआर	एनआर
3.	असम	21	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	एनआर	एनआर	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	3	0	12	0	1	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	309	0	132	1	79	0	57	0
8.	हरियाणा	17	1	105	0	1	0	6	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	5	0	0	0	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	2976	3	0	0	0	0
11.	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	143	0	301	3	166	0	84	0
13.	केरल	62	2	2	0	19	1	0	0
14.	मध्य प्रदेश	7	4	3	0	0	0	3	0
15.	महाराष्ट्र	183	1	384	1	210	2	211	0
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	0	0	व	व	0	0
17.	मेघालय	0	0	एनआर	एनआर	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	2	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	19	0	43	1	9	0	0	0
22.	राजस्थान	1	0	37	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	818	0	156	0	580	0	348	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	1	एनआर	एनआर	एनआर	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	20	0	9	0	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	486	0	570	0	652	0	61	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	35	0	एनआर	एनआर	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	8	0	29	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1066	एनआर	77	0	380	7	219	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	11	0
	संपूर्ण	3482	12	5004	9	2341	10	1115	1

स्रोत: सीबीएचआई, डीटीई, स्वा. सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल

एनआर: सूचित नहीं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

1370. **श्री अनंत कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतयेक वर्श के दौरान सरकार द्वारा परिवार स्वास्थ्य के संबंध में राज्य-वार कितने सर्वेक्षण किए गए;

(ख) इन सर्वेक्षणों का वर्ष-वार और राज्य-वार निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत से राज्य इन कुछ सर्वेक्षणों के अंतर्गत नहीं आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार स्वास्थ्य पर कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) का प्रथम चरण वर्ष 2010-11 के दौरान नौ राज्यों नामतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण हुआ।

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण से प्राप्त मुख्य सूचकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के निर्णय के अनुसार, उपर्युक्त नौ राजें के लिए वार्षिक जिला स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने के उद्देश्य से खराब स्वास्थ्य सूचकों वाले इन राज्यों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।

विवरण

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुख्य सूचक - 2010-11

राज्य	परिवार नियोजन का वर्तमान उपयोग (%) (कोई भी आधुनिक विधि)	संस्थागत प्रसव *(%)	पूर्ण प्रतिरक्षण* (%)	जन्म के समय लिंग अनुपात*	लिंग अनुपात (0-4 वर्ष)	पुरानी बिमारी के लक्षण वाले व्यक्ति (प्रति 100,000 जनसंख्या)	पुरानी बिमारी के लक्षण वाले व्यक्ति जिन्होंने चिकित्सा परिचर्या प्राप्त की (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	35.7	57.7	59.0	925	956	11261	90.7
बिहार	33.9	47.7	64.5	919	931	10435	82.8
छत्तीसगढ़	49.5	34.9	74.1	951	978	4083	82.0
झारखंड	38.0	37.6	63.7	923	937	5290	78.1
मध्य प्रदेश	57.0	76.1	54.9	904	911	5646	76.7

1	2	3	4	5	6	7	8
ओडिशा	44.0	71.3	55.0	905	933	7339	91.0
राजस्थान	58.8	70.2	70.8	878	870	2521	85.4
उत्तर प्रदेश	31.8	45.6	45.3	904	913	8380	90.8
उत्तराखंड	55.4	50.5	75.4	866	877	9656	88.4

*वर्ष 2007-2009 के दौरान जन्मों पर आधारित।

बैंकों से लिया गया ऋण

1371. **श्री गुरुदास दासगुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित किसी अंग्रेजी मीडिया घराने ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से 5000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो मीडिया घराने द्वारा विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा इन ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम/उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बैंकों के मध्य पचलित प्रथाओं और रीतियों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरुप, बैंक के किसी उधारकर्ता के वितरण से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जाती है।

(ग) बैंक ऋणों और बकायों की वसूली के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा संचालित नीतियों और नियामकीय दिशा-निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं।

कैदियों में एचआईवी/एड्स

1372. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कतिपय अध्ययनों की ओर गया है जिसमें भारत में कैदियों में ज्यादा एचआईवी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या तथ्य हैं;

(ग) देश में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त कैदियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कैदियों में एचआईवी के बढ़ते मामलों की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त कैदियों की अनुमानित संख्या पर कोई डाटा सृजित नहीं करता है। तथापि, इंडियन जे मेड रेज 132, दिसम्बर, 2010, पीपी 696-700 में एक अखबार ने कैदियों में एचआईवी व्याप्तता पर प्रकाश डाला। इस अखबार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया कि:

"एचआईवी व्याप्तता के हाल ही के डाटा की पहचान नहीं की गई; मौजूदा डाटा 1990 के दशक की मध्य और बाद की अवधि से संबंधि था। कैदियों में एचआईवी व्याप्तता के एक राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि 1.7 प्रतिशत पुरूष और 9.5 प्रतिशत महिलाएं एचआईवी पाजिटिव थी। अन्य अध्ययनों में, वैयक्तिक कैदियों में एचआईवी की व्याप्तता का दायरा 0.5 से 6.9 प्रतिशत के बीच था। आर्थर रोड, मुम्बई

में छह माह की अवधि में मरने वाले 27 कैदियों में से 18 एचआईवी पाजिटिव थे। भारतीय जेलों में एचआईवी संचरण के संबंध में कोई सूचना नहीं पाई गई है।"

(i) कार्यक्रम के तहत कैदियों के लिए एचआईवी परामर्श और जांच सेवाएं निकटतम सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्र में माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु कारावासों में आईसीटीसी स्थापित करने (एकल या सुविधा एकीकृत आईसीटीसी) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। कारावासों में आईसीटीसी की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) के माध्यम से कैदियों और जेल में रह रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद हैं। अप्रैल 2011 से सितम्बर, 2012 के दौरान कुल 6,450 कैदी और जेल में रह रहे लोग प्रशिक्षित किए गए थे।

(iii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कारावासों में कोई लक्षित कार्यकलाप नहीं हैं। तिहाड जेल (दिल्ली), सज्जावा केन्द्रीय कारावास (मणिपुर) और आईजाल केन्द्रीय कारावास (मिजोरम) में कारावास प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से 3 यूएनओडीसी परियोजनाएं कार्यकलाप क्रियान्वित कर रहीं हैं।

विवरण

सीएमआईएस 2012-13

क्र.सं.	राज्य	जिला	रिपोर्टिंग यूनिट नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	जेल - सेंट्रल जेल
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जेल - सेंट्रल जेल
3.	आंध्र प्रदेश	नेल्लूर	जेल - सेंट्रल जेल
4.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	जेल - सेंट्रल जेल
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जेल - सेंट्रल जेल
6.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	जेल - सेंट्रल जेल
7.	छत्तीसगढ़	बस्तर	आईसीटीसी जेल मुख्य न्यायाधीश जगदलपुर
8.	छत्तीसगढ़	बस्तर	आईसीटीसी जेल डीजे कोरिया
9.	छत्तीसगढ़	दंतेवाडा	आईसीटीसी जेल दांतेवाडा
10.	छत्तीसगढ़	धमतरी	आईसीटीसी जेल डीजे धमतरी
11.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	आईसीटीसी जेल सीजे दुर्ग
12.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	आईसीटीसी जेल डीजे बेमतारा

1	2	3	4
13.	छत्तीसगढ़	जांजगीर-चंपा	जेल डीजे जांजगीर - चाम्पा
14.	छत्तीसगढ़	कांकेर	आईसीटीसी जेल कांकेर
15.	छत्तीसगढ़	कोरबा	आईसीटीसी जेल डीजे कोरबा
16.	छत्तीसगढ़	कोरिया	आईसीटीसी जेल कोरिया
17.	छत्तीसगढ़	महासमुंद	आईसीटीसी जेल डीजे महासुमन्द
18.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल बालोदुआ बाजार (भाटापाड़ा)
19.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल केन्द्रीय जेल बिलासपुर
20.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल केन्द्रीय जेल रायपुर
21.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल सीजे सरगुजा
22.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल डीएच रायगढ़
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल डीजे जशपुर
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल डीजे रामानुजगंज
25.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल डीजे सूरजपुर
26.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल गारियाबंद
27.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आईसीटीसी जेल एसजे डोंगरगढ़
28.	दिल्ली	पश्चिम	केन्द्रीय जेल तिहाड़
29.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	आईसीटीसी खुली हवा जेल बिलासपुर
30.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	आईसीटीसी उप जेल मंडी (हिमाचल प्रदेश)
31.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	एम.सी जेल कांडा
32.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	नाहन जेल
33.	झारखंड	हजारीबाग	आईसीटीसी, केन्द्रीय जेल अस्पताल
34.	झारखंड	रांची	आईसीटीसी बीएमसी जेल और अस्पताल
35.	कर्नाटक	बंगलूर	जीएच-सेंट्रल जेल के अस्पताल

1	2	3	4
36.	केरल	कन्नूर	सेंट्रल जेल, कन्नूर
37.	केरल	तिरुअनंतपुरम	आईसीटीसी, केन्द्रीय जेल
38.	केरल	थ्रिसुर	सेंट्रल जेल, वाइयूर
39.	केरल	एर्नाकुलम	उप जेल एरनाकुलम
40.	केरल	कोल्लम	उप जेल, कोटाराकाकरा
41.	केरल	कोझिकोड	जिला जेल, कोझीकोड
42.	महाराष्ट्र	मुंबई	आर्थर रोड जेल (पुरुष)
43.	महाराष्ट्र	मुंबई	बायकुल्ला जेल (महिला)
44.	मिजोरम	आइजायल	केन्द्रीय जेल
45.	राजस्थान	अलवर	जेल अस्पताल, अलवर
46.	राजस्थान	जयपुर	सेंट्रल जेल अस्पताल
47.	तमिलनाडु	चेन्नई	फुजाल परीसियोन-2
48.	तमिलनाडु	चेन्नइ	फुजाल जेल-1
49.	तमिलनाडु	थिरुवल्लूर	जेल - तिरुवल्लुर
50.	तमिलनाडु	थिरुवल्लूर	जेल-II
51.	उत्तर प्रदेश	बरेली	केन्द्रीय कारागार (सेंट्रल जेल)
52.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सेंट्रल जेल अस्पताल वाराणसी (वीसीटीसी)
53.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	अलीपुर और प्रेसीडेंसी जेल

[हिन्दी]

ग्राम सभा को कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग

1373. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्राम सभा की नियमित बैठकें किए जाने और उनकी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग किए जाने के दिशा-निर्देश जारी करने से पंचायती राज प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या प्रगति हुई है एवं राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन-अनुपाल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ग्राम सभा बैठकों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का परामर्श दिया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम-से-कम चार बैठकें हों जिनकी सूचनाएं, व्यापक रूप से प्रचारित कर, अग्रिम रूप से दी गई हो। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों को यह परामर्श भी दिया है कि वन उत्पाद, भूमि अधिग्रहण, खनन एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित संवेदनशील, विवादग्रस्त तथा विवादास्पद मामले, जो समुदाय की परंपराओं तथा जीवन-यापन के तौर-तरीकों को प्रभावित करे तथा जिन पर पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति तथा निर्णय लेने में पारदर्शिता अत्यावश्यक हो, सभी ग्राम सभा बैठकों तथा उनकी कार्यवाहियों एवं उपस्थित सदस्यों की संपूर्ण विडियो एवं ओडियोग्राफिक रिकार्ड तैयार किया जाए। मंत्रालय ने राज्य सरकार को ऐसे रिकार्ड की एक प्रति पंचायती कार्यालय और जिला पंचायत सचिव के कार्यालय दोनों में रखने तथा ग्राम पंचायतों को ऐसे रिकार्ड बनाने तथा उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए जिला समाहर्ता/जिला पार्षदों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी करने हेतु परामर्श दिया है। मंत्रालय वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या अथवा बैठकों की कार्यवाहियों की विडियोग्राफी आधारित आंकड़े नहीं रख रहा है।

[अनुवाद]

एटीएफ की लागत

1374. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ), पेट्रोल, डीजल और केरोसीन पर बिना कर और शुल्कों के अधिरोपण के रिफाइनरी पर इनकी अंतिम लागत कितनी है;

(ख) रिफाइनरी के गेट स्तर पर ब्रेकअप अर्थात् कच्ची सामग्री की लागत, उत्पादन लागत और अर्थ विविध लागत आदि सहित इन उत्पादों की लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कच्चे तेल से उत्पादित विविध अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कुल लागत की लगभग 90% लागत कच्चे तेल की होती है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए किया जाता है। इन इकाइयों में से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद श्रेणियों का उत्पादन करती है जिसके लिए गहन प्रसंस्करण और मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसके परिणामत: कुल लागत को अलग-अलग शोधित उत्पादों में बिलकुल शुद्धता के साथ विभाजित करने में कठिनाई होती है। इसलिए अलग-अलग उत्पाद लागत पृथक रूप से अभिज्ञात नहीं की जाती है।

विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) और पेट्रोल (दोनों नियंत्रणमुक्त उत्पाद हैं), डीजल और पीडीएस मिट्टी तेल के वर्तमान रिइनरी द्वार मूल्य नीचे दिए गए हैं:—

पेट्रोलियम उत्पाद का नाम	रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी)
एटीएफ	43450.65 रुपए/किलो लीटर*
पेट्रोल	39.65 रुपए/लीटर**
डीजल	43.84 रुपए/लीटर (बीएस-IV डीजल के लिए)**
पीडीएस मिट्टी तेल	43.56 रुपए/लीटर*

*आरजीपी दिनांक 1.11.2012 से लागू

**आरजीपी दिनांक 16.11.2012 से लागू

(ग) कच्चे तेल से उत्पादित अन्य प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों में शामिल हैं:—

i. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)

ii. नाफ्था

iii. हल्का डीजल तेल (एलडीओ)

iv. भट्ठी तेल (एफओ)/कम सल्फर वाला भारी स्टॉक (एलएसएचएस)

v. बिटुमिन (अस्फाल्ट)

vi. पेट्रोलियम कोक (पेट कोक)

vii. ल्यूब्स

viii. अन्य (सोल्वेंट, वैक्स और सल्फर आदि जैसे उत्पाद

सरकारी खरीद औषधियों की बिक्री

1375. श्री निशिकांत दुबे :
डॉ संजीव गणेश नाईक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) हेतु सरकार द्वारा खरीदी गई औषधियों को देय के विभिन्न भागों में बाजारों में सस्ते दरों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्श के दौरान कितने अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास अस्पतालों में रोगियों को दी गई दवाइयों के वितरण की मॉनीटरी करने तथा इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी अस्पतालों में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित के अनुरूप विगत तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार में चोरी की गई सीजीएचएस औषधियों की बिक्री के मामलों में जांच करने के लिए कुछ सीजीएचएस अधिकारियों को हिरासत में लिया है।

2009 - श्री रेवती प्रसाद शर्मा, फर्मासिस्ट/स्टोरकीपर तथा श्री मिथुर त्यागी, कम्प्यूटर ऑपरेटर,

2020 - शून्य

2011 - विभिन्न सीजीएचएस औषधालयों के पांच अधिकारी सर्वश्री अत्तर सिंह मस्तवाल, फार्मासिस्ट/स्टोरकीपर, रविन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट, कृष्ण कुमार फार्मासिस्ट, सुनील कुमार, फार्मासिस्ट तथा वच्चा सिंह ड्रैसर। श्री मिथुर त्यागी की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। श्री रेवती प्रसाद शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी कर ली गयी है तथा जुर्माना लगाया गया है। शेष पांच अधिकारियों की नियमानुसार विभागीय जांच को विभागीय जांच की जानी है।

अप्रैल, 2012 में सीजीएचएस औषधालय, कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद से कुछ सीजीएचएस अधिकारियों द्वारा औषधियों की बर्बादी से संबंधित ऐसा एक मामला भी प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ के पश्चात, मुजरिम पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त निवारक उपाए किए गए हैं। विस्तृत जांच चल रही हैं।

साउथ एवेन्यू औषधालय में साउथ एवेन्यू औषधालय में औषधियों की बर्बादी का अन्य मामला 2012 के मध्य में दर्ज हुआ था। प्रारंभिक पूछताछ के पश्चात उपयुक्त निर्वाय उपाए किए गए और संबंधित अधिकारियों को जुलाई, 2012 में निलंबित कर दिया है।

(ङ) और (च) अस्पतालों के संबंध में, अस्पतालों द्वारा खरीदी गई औषधियों का जांच समिति द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है जिसके बाद प्रविष्टियों को स्टाक लेजर में लिखा जाता है। औषधियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद ही विभाग की संबंधित इकाइयों को जारी की जानी हैं। स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है। सभी औषधियों/आईवी फ्लूड पर ''होस्पिटल सप्लाई नॉट फोर सेल'' नामक चिन्ह लगाया जाता है। ओपीडी रोगी को औषधियां केवल अस्पताल के डॉक्टर के लिखने पर ही दी जाएगी।

जहां तक सीजीएचएस का संबंध है, सीजीएचएस औषधालयों से दवाओं की बर्बादी को रोकने के लिए, विस्तृत निर्देशों को दिनांक 10 अगस्त, 2010 के परिपत्र के तहत सभी सीएमओ को जारी किया गया है।

हाल ही में, सीजीएचएस औषधियों की बर्बादी को रोकने के लिए एसएमएस अलर्ट प्रणाली भी शुरू की गयी है। लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को जारी किए गए सीजीएचएस कार्ड धारकों को जैसे ही औषधालय से दवा दी जाएंगी, वैसे ही इस प्रणाली के तहत इलैक्ट्रानिक रूप से संदेश जारी हो जाते हैं। यह अन्य लोगों द्वारा सीजीएचएस कार्डों के दुरूपयोग को रोकने का निवारक उपाय है।

[हिन्दी]

नर्स और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों की कार्यकारी स्थिति

1376. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :**
श्री बैजयंत पांडा :
श्री के पी धनपालन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत पंजीकृत नर्सों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नर्सों और अर्द्धचिकित्सा कर्मचारियों के खराब कार्यकारी और सेवा शर्तों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का नर्सों और अर्द्धचिकित्सा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके कार्यकारी स्थितियों को विनियमित करने के लिए विधान लाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नर्सों, मिडवाइफों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिए सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 1. देश में 31.12.2011 तक पंजीकृत नर्सों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। देश में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (ङ) नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा शर्तों के बारे में विभिन्न वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों/रिपोर्टों का समुचित स्तर पर समाधान किया जाता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार और विनियम से संबंधित मामले उस राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है जहां यह प्राइवेट अस्पताल स्थित है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत नर्सों समेत सेवा शर्तों में सुधार के लिए एक व्यापक कानून को अधिनियमित करने बाबत उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को 7 जुलाई, 2010 और 24 फरवरी, 2012 को पत्र लिखे गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय नर्सिंग परिषद ने पहल करते हुए सभी राज्य सरकारों को 23 सितम्बर, 2011 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यदि बांड भरवाने/छात्र के मूल प्रमाण पत्र जबरन अपने पास रखने की अनैतिक प्रथा ध्यान में आती है तो दोषी संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(च) प्रसव पूर्व परिचर्या और जन्म के समय कुशल देख-रेख एएनएम/स्टाफ नर्सों और दायियों के ज्ञान/कौशल में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, प्रसुति के दौरान और बच्चे के जन्म के समय परिचर्या के मानक तकनीकी प्रोटोकोल भी तैयार करके राज्य सरकारों को भेजे गए हैं। एएनएम/स्टाफ नर्सों तथा दायियों को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत राज्य द्वारा तीन सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

विवरण

भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	31 दिसम्बर, 2012 तक देश में पंजीकृत नर्सों तथा एएनएम की कुल संख्या		
		एएनएम	पंजीकृत नर्स/पंजीकृत दाईयां	एलएचवी
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	121159	168947	2480

1	2	3	4	5
2	असम	22495	16371	170
3	बिहार*	7501	8883	511
4	छत्तीसगढ़	3190	4608	1352
5	दिल्ली	3122	39791	एनए
6	गुजरात*	36874	89460	एनए
7	हरियाणा*	15837	20015	694
8	हिमाचल प्रदेश	10798	9939	499
9	झारखंड*	3405	1998	137
10	कर्नाटक	51109	187053	6840
11	केरल	28979	136341	8144
12	मध्य प्रदेश	31528	100361	1605
13	महाराष्ट्र*	33158	93032	566
14	मेघालय	867	2365	112
15	मणिपुर	1034	2452	एनए
16	मिजोरम	1774	2350	एनए
17	ओडिशा*	59225	72461	238
18	पंजाब*	18152	45801	2584
19	राजस्थान*	24175	45762	850
20	तमिलनाडु	54635	202949	11112
21	त्रिपुरा*	1036	1266	148
22	उत्तर प्रदेश	30767	25748	2763
23	उत्तराखंड*	1111	387	11
24	पश्चिम बंगाल*	56782	50409	12363
	योग	618713	1328749	53179

*गत वर्ष 31-12-2010 तक।

[अनुवाद]

लघु खनिजों का परिभाषा

1377. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खान और खनिज (विकास और विनियमन) आधानयम, 1957 में 'लघु खनिजों' की परिभाषा से साधारण मिट्टी को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में गौण खनिजों की परिभाषा से साधारण मिट्टी को हटाने का सरकार का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

यू.आई.डी. कार्ड के माध्यम से मिट्टी का तेल और रसोई गैस जारी करना

1378. **श्री जोसेफ टोप्पा :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) से मिलने वाले मिट्टी के तेल एवं राजसहायता प्राप्त एल.पी. जी. सिलेंडर को यू.आई.डी कार्ड के माध्यम से जारी करने का निर्णय लिया है और पी.डी.एस. से मिलने वाले मिट्टी के तेल के वितरण हेतु कोई परिदान आपूर्ति योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अतार्किक राजसहायता उपभोग और मिलावट की समस्या का किस हद तक समाधान होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार जिन राज्यों में यह योजना नहीं चला रही वहां पर मिट्टी के तेल के डीलरों को परिदत्त आपूर्ति योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की उम्मीद है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार ने आधार का प्रयोग करते हुए आशयित लाभार्थियों को पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी और उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायताओं के सीधे अंतरण के लिए एक समाधान की सिफारिश करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में फरवरी, 2011 में एक कार्य बल का गठन किया था।

अध्यक्ष, यूआईडीएआई ने पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी और उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायताओं के सीधे अंतरण पर कार्य बल की अंतरिम रिपोट्र दिनांक 05 जुलाई, 2011 को माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत की है। कार्य बल की अंतरिम रिपोर्ट में चरणबद्ध ढंग से पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी और उर्वरक पर नगद राजसहायता के अंतरण के क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है।

दिसंबर, 2011 में अलवर जिला (राजस्थान) की कोटकासीम तहसील में पहले से ही पीडीएस मिट्टी तेल पर नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए एक प्रायोगिक योजना की पहले ही शुरूआत कर दी गई है।

इस योजना में पीडीएस मिट्टी तेल पीडीएस लाभार्थियों सहित आपूर्ति के सभी स्थलों पर पूर्ण बाजार मूल्यों पर मिलता है। राजसहायता, जो बाजार मूल्य और राजसहायता प्राप्त दर के बीच अंतर होता है, उसे राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) वर्तमान में आधार युक्त एलपीजी सुपुर्दगी और नगर राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए मैसूर में भी एक प्रायोगिक योजना चला रही हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य मिट्टी तेल और एलपीजी वितरण में रिसावों को रोकना और राजसहायता के परिणामी व्यय को घटना है।

(ग) "डिलिवर्ड सप्लाई स्कीम" बिहार, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों में आंशिक तौर पर कार्यरत है। योजना के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

(घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को चिकित्सा उपचार

1379. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री गजानन ध बाबर :

श्री मधु गौड यास्खी :

श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को बिना विलंब के सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और प्रसव के अधीन महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान कराना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा सभी पणधारियों से परामर्श करने के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने सरकार के उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बाल मृत्यु दर

1380. **श्री सुशील कुमार सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के 2011 के वैश्विक बाल मृत्यु दर संबंधी आकलन के अनुसार भारत में पांच वर्ष से नीचे की बाल मृत्यु दर सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा रिपोर्ट में इसके क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं। "कमिटिंग टू चाइल्ड सर्वाइवलए प्रोमिस रिन्यूड" नामक यूनिसेफ प्रगति रिपोर्ट 2012 के अनुकार, भारत 5 वर्ष की आयु से कम की मृत्यु दर रेक में अवरोही क्रम में 49 रैंक है।

रिपोर्ट के अनुसार, 5 वर्ष की आयु से से कम वाली लगभग दो-तिहाई (64 प्रतिशत) मौते सक्रांमक रोगों और स्थितियों जैसे निमोनिया, डाइरिया, मलेरिया, मेनिंगीटीसु टेट्नस, एच.आई.वी और मिसल्स के कारण होते थे। पांच वर्ष की आयु में होने वाली मौतों में से करीब 40 प्रतिशत मौते प्रवस अवधि और उससे संबंधित जटिलताओं के दौरान होती है। विश्व स्तर पर, पांच वर्ष की आयु से कम में 1/3 से अधिक मौते कुपोषण के कारण होती हैं। विभिन्न विश्व स्तरीय क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष की आयु से कम वाली मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में नवजात शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप क्रियान्वित किए जाते हैं:

(1) जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना: कुशल जन्म परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु को कम करने का उपाय है। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसवों को चुनने के लिए गर्भवर्ती महिलाओं को प्रोत्साहन देती है और नगद सहायता प्रदान करती है। जननी शुशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवर्ती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन सहित पूर्ण रूप से

निशुल्क एवं शून्य व्यय की प्रसव सुविधा का पात्र बनाता है और उन्हें आने जाने का निशुल्क यातायाता, खाना, औषधियों एवं निदान प्रदान करता है। इसी प्रकार की पात्रताएं बीमार नवजात शिशु के लिए भी निर्धारित की गई है।

(2) सुविधा केन्द्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या को सुदृढ़ करना: सभी नवजात शिशुओं परिचर्या प्रदान करने के लिए ऐसे सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में नवजात शिशुओं परिचर्या कोर्नरों (एनबीसीसी) को स्थापित किया गया है जहां प्रसव होते हैं, बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए जिला अस्पतालों में नवजात शिशुओं परिचर्या एककों (एसएनसीयू) और प्रथम रेफरल एककों में नवजात शिशु स्थिरीकरण एककों (एनबीएसयू) की स्थापना की जा रही है। आज की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 374 एसएनसीयू, 1638 एनएनबीएसयू और 11432 एनबीसीसी कार्य कर रहे हैं।

(3) गृह आधारित नवजात शिशुओं परिचर्या (एचबीएनसी): सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं परिचर्या कार्यकलापों को उन्नत करने और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाने और उनके रेफरल के लिए आशा के माध्यम से गृह आधारित नवजात शिशुओं परिचर्या को हाल ही में आरंभ किया गया है। संस्थागत प्रसवों के मामलों में आशा द्वारा किए जाने वाले घर के दौरों की सारणी में कम से कम 6 दौरे, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वां दिन और घर पर हुए प्रसवों के मामलों में जन्म के 24 घंटे के भीतर एक अतिरिक्त दौरा शामिल है। अलग से दौरे उन शिशुओं के लिए किए जाते हैं जो समय पूर्व जन्में हैं, जन्म के समय कम वजन के हैं या बीमार हैं।

(4) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण: बच्चों की आम बीमारियों के जल्द निदान और रोग प्रबंधन और जन्म के समय नवजात शिशु की परिचर्या के लिए चिकित्सकों, नर्सों और सहायक नर्सधात्रियों की कुशलताओं का निर्माण और उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में एकीकृत नवजात शिशु और बाल रोग प्रबंधन और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। 457 जिलों में एकीकृत नवजात शिशु और बाल रोग प्रबंधन में कुल 5.3 लाख स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को प्रशिक्षत किया गया है और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 68309 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षत किया गया है।

(5) कुपोषण का प्रबंधन: कुपोषण, जो कि बाल मृत्यु का एक मुख्य कारण है, की कमी पर बल दिया जा रहा है। गहन तीव्र कुपोषण (एसएएम) के प्रबंधन के लिए 564 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एनिमिया की रोकथाम के लिए बच्चों को लौह एवं फोलिक अम्ल भी प्रदान किया जाता है। हाल ही में किशोर जनसंख्या के लिए भी साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल का प्रस्ताव भी आरंभ किया गया है। चूंकि स्तनपान शिशु मृत्यु दर को कम करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पहले 6 महीने तक विशेष स्तननान और छोटे बच्चों के समुचित पोषण कार्यकलापों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(6) माताओं को पोषण परामर्श प्रदान करने और बाल परिचर्या कार्यकलापों को उन्नत करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस भी आयोजित किए जा रहे हैं।

(7) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम: व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को 7 रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार वैक्सीनों एवं सुईयों, कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति और संचालनात्मक लागतों के प्रावधान के द्वारा वैक्सीन कार्यक्रमों को सहायता देती है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रति वर्ष वैक्सीन से निवारण किए जा सकने वाले 7 रोगों के विरुद्ध 2.7 करोड़ शिशुओं को रोग प्रतिरक्षण करने का लक्ष्य रखता है। 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज वाले 21 राज्यों ने अपने रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरे की दूसरी खुराक को भी शामिल कर लिया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन को केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में आरंभ कर दिया गया है और उसे और 6 राज्यों में बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 को "नेमी रोग प्रतिरक्षण सुग्राहीकरण वर्ष" घोषित किया गया है। भारत ने इस बार पूरे वर्ष पोलियो

मुक्त रहने के द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धता हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो महामारी के देशों की सूची में से भारत का नाम हटा दिया है।

(8) माता एवं बाल ट्रेकिंग प्रणाली: सभी गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं की ट्रेकिंग को सक्षम बनाने के लिए नाम आधारित माता एवं बाल ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि उन्हें सम्पूर्ण सेवा प्रदानगी सुनिश्चित की जा सके, जो कि वेब आधारित है। लाभार्थियों को उन तिथियों के बारे में याद दिलाने के लिए जब सेवाएं दी जाएगी, एसएमएस अलर्ट भेजने और साप्ताहिक आधार पर सहायक नर्सधात्रियों हेतु लंबित तिथियों के साथ सेवाओं की लाभार्थी वार सूची जारी करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर संघ तालिका 2011

उप सहारा अफ्रीका

देश और क्षेत्र	यू5एम आर	यू5एम आर रैंक
1	2	3
सिएरा लियोन	185	1
सोमालिया	180	2
माली	176	3
चाड	169	4
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	168	5
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	164	6
गिनी-बिसाऊ	161	7
अंगोला	158	8
बुर्कीना फासो	146	9
बुरुंडी	139	10
कैमरुन	127	11
गिन्नी	126	12
नाइजर	125	13
नाईजीरिया	124	14
दक्षिण सूडान	121	15
इक्वेटोरियल गिनी	118	16
आईवरी कोस्ट	115	17
मॉरिटानिया	112	18
टोगो	110	19
बेनिन	106	20
स्वीजरलैंड	104	21
मोजाम्बिक	103	22
गाम्बिया	101	23
कांगो	99	25
युगांडा	90	26
साओ टोम और प्रिंसिपे	89	28
लेसोयो	86	29
मलाती	83	31
जाम्बिया	83	31
कोमारोस	79	33
घाना	78	34
साइबेरिया	78	34

1	2	3
इथियोपिया	77	36
केन्या	73	38
इरिट्रिया	68	41
तंजानिया संयुक्त गणराज्य	68	41
जिम्बाब्वे	67	43
गैबॉन	66	44
सेनेगल	65	45
मेडागास्कर	62	47
रवांडा	54	51
दक्षिण अफ्रीका	47	58
नामीबिया	42	63
बोत्सवाना	26	80
केप वर्डे	21	91
मॉरीशस	15	115
सेशेल्स	14	122
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका		
जिबूती	90	26
सूडान	86	29
यमन में	77	36
इराक में	38	67
मोरक्को	33	69
अल्जीरिया	30	74
ईरान (इस्लामी गणराज्य)	25	83

1	2	3
अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्र	22	87
मिस्र	21	91
जॉर्डन	21	91
लीबिया	16	107
ट्यूनीशिया	16	107
सीरियाई अरब गणराज्य	15	115
कुवैत	11	133
बहरीन	10	135
लेबनान	9	141
ओमान	9	141
सऊदी अरब	9	141
कतर	8	145
संयुक्त अरब अमीरात	7	151
इसराइल	4	169
एशिया और प्रशांत		
अफगानिस्तान	101	23
पाकिस्तान	72	39
म्यांमार	62	47
भारत	61	49
पापुआ न्यू गिनी	58	50
भूटान में	54	51
तिमोर-लेस्ते	54	51
नेपाल	48	57

1	2	3
किरिबाती	47	58
बांग्लादेश	46	60
कंबोडिया	43	62
लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	42	63
माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)	42	63
नाउरु	40	66
कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक	33	69
इंडोनेशिया	32	71
मंगोलिया	31	72
तुवालु	30	74
मार्शल द्वीप	26	80
फिलीपींस	25	83
सोलोमन द्वीप	22	87
वियतनाम	22	87
नियू	21	91
पलाऊ	19	100
समोआ	19	100
फिजी	16	107
चीन	15	115
टोंगा	15	115
वानुअतु	13	125
श्रीलंका	12	128
थाइलैंड	12	128
मालदीव	11	133
कुक आइलैंड्स	10	135
ब्रुनेई दारुसलाम	7	151
मलेशिया	7	151
न्यूजीलैंड	6	157
ऑस्ट्रेलिया	5	165
कोरिया गणराज्य	5	165
जापान	3	184
सिंगापुर	3	184

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे। डॉ. फारूख अब्दुल्ला।

नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 75/15/12]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग कर्मचारी भर्ती नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 74(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7508/15/12]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2012 जो 26 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुआ था, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7509/15/12]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाईपलाइन टैरिफ का अवधारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. पीएस/एसईसीवाई/एम(सी)/2012 में प्रकाशित हुए था, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7510/15/12]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : मैं, श्री एस.एस. पलानीमनिकम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:–

(एक) इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बांदा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7511/15/12]

(दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7512/15/12]

(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पपुम-पारे

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7513/15/12]

(चार) अर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7514/15/12]

(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7515/15/12]

(छह) बैतरनी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7516/15/12]

(सात) बलिया इटावाग ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7517/15/12]

(आठ) बंगिया ग्रामीण ग्रामीण बैंक, बेरहामपुर मुर्शिदाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7518/15/12]

(नौ) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7519/15/12]

(दस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7520/15/12]

(ग्यारह) कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7521/15/12]

(बारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7522/15/12]

(तेरह) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7523/15/12]

(चौदह) चिकमगंलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7524/15/12]

(पंद्रह) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7525/15/12]

(सोलह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7526/15/12]

(सत्रह) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7527/15/12]

(अठारह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7528/15/12]

(उन्नीस) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7529/15/12]

(बीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7530/15/12]

(इक्कीस) जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7531/15/12]

(बाईस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7532/15/12]

(तेईस) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7533/15/12]

(चौबीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7534/15/12]

(पच्चीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7535/15/12]

(छब्बीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7536/15/12]

(सत्ताईस) लंग्पी देहांती ग्रामीण बैंक, दिफू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7537/15/12]

(अट्ठाईस) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7538/15/12]

(उनतीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7539/15/12]

(तीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7540/15/12]

(इकतीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7541/15/12]

(बत्तीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7542/15/12]

(तैंतीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7543/15/12]

(चौंतीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7544/15/12]

(पैंतीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7545/15/12]

(छत्तीस) एमजीबी ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7546/15/12]

(सैंतीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7547/15/12]

(अड़तीस) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7548/15/12]

(उनतालीस) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7549/15/12]

(चालीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7550/15/12]

(इकतालीस) पांड्यन ग्राम बैंक, विरूधुनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7551/15/12]

(बयालीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7552/15/12]

(तैंतालीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7553/15/12]

(चवालीस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7554/15/12]

(पैंतालीस) पुडुवई भतियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7555/15/12]

(छियालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7556/15/12]

(सैंतालीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7557/15/12]

(अड़तालीस) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7558/15/12]

(उनचास) रुशीकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7559/15/12]

(पचास) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7560/15/12]

(इक्यावन) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7561/15/12]

(बावन) सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7562/15/12]

(तिरपन) सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7563/15/12]

(चौवन) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7564/15/12]

(पचपन) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7565/15/12]

(छप्पन) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7566/15/12]

(सतावन) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7567/15/12]

(अठावन) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7568/15/12]

(उनसठ) उत्कल ग्राम्य बैंक, ओलंगीर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7569/15/12]

(साठ) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7570/15/12]

(इकसठ) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7571/15/12]

(बासठ) बनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7572/15/12]

(तिरसठ) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7573/15/12]

(चौंसठ) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7574/15/12]

(पैंसठ) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7575/15/12]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7576/15/12]

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7577/15/12]

(ग) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7578/15/12]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 742(अ) जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए ड्यूटी ड्राबैक की सभी उद्योग दरें अधिसूचित की गई हैं था एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2186(अ) जो 17 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित मुवक्किल कार्यक्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आयातकों तथा प्रति प्रवेश बिल 1 लाख रुपए या उससे अधिक के सीमा-शुल्क का संदाय करने वाले आयातकों जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमा-शुल्क का संदाय करेंगे, को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 723(अ) जो 26 सितंबर, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) को कार्य समनुदेशित करने में मुख्य आयुक्त को छूट प्रदान कर आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य

के अंतर-क्षेत्र पुन: आबंटन के मुद्दे का निपटान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 684(अ) जो 13 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1669(अ) जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी.शु. (एन.टी) का शुद्धिपत्र दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 2012(अ) जो 31 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 2040(अ) जो 6 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 75/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 2176(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 2262(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 80/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 2342(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 2360(अ) जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 84/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 2395(अ) जो 9 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 84/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 2433(अ) जो 10 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 93/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 2499(अ) जो 15 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 2518(अ) जो 18 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 91/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 639(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 675(अ) जो 10 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 686(अ) जो 13 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 687(अ) जो 13 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना संख्या 94/1996-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 696(अ) जो 17 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 698(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 737(अ) जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 774(अ) जो 18 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 96/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7579/15/12]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 650(अ) जो 24 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीनी ताईपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नोनिल फिनॉल' के आयात पर 21 अगस्त, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(दो) सा.का.नि. 657(अ) जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेट्रोनिडाजोले' के आयात पर और 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है।

(तीन) सा.का.नि. 685(अ) जो 13 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन

जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डकटाईल आईरन पाइपों' के आयात पर 12 सितंबर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है।

(चार) सा.का.नि. 704(अ) जो 19 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासीटामोल' के आयात पर 2 सितंबर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया है।

(पांच) सा.का.नि. 710(अ) जो 21 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के प्राथमिक निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणतंत्र, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 6 एम.एम. या उससे अधिक की मोटाई के फाईबर बोर्डों को छोड़कर रेसीन या अन्य ऑर्गेनिक सब्सटांसेस बाउंडेड वुड या 6 एम.एम. मोटाई से कम लिगनेअस फाईबर बोर्ड, इंसुलेशन बोर्ड, लेमिनेटेड फाइबर बोर्ड और ऐसे बोर्ड जिन्हें न तो रेसीन या अन्य ऑर्गेनिक पदार्थों से जोड़ा नहीं गया है, का भारत में आयात किए जाने पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है।

(छह) सा.का.नि. 715(अ) जो 25 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्री-सेंसीटाईज्ड पॉजिटिव ऑफसेट एल्युमिनियम प्लेट्स/पीएस प्लेट्स' के आयात पर 23 सितंबर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(सात) सा.का.नि. 716(अ) जो 25 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फॉसफोरिक अम्ल, तकनीकी या खाद्य श्रेणी' के आयात पर 12 सितंबर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(आठ) सा.का.नि. 741(अ) जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ, कारिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित रेजर ब्लेड स्टील को छोड़कर सभी फेरिटिक और मार्टेनसिटिक ग्रेडों सहित 600 एम.एम. से कम चौड़ाई वाले 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है।

(नौ) सा.का.नि. 753(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक नॉन-रेडियल वायस टायर, ट्यूब और ट्यूब सहित और बिना ट्यूब के फ्लैप और/अथवा रबर का फ्लैप जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध बसों और लॉरीज/ट्रकों में प्रयुक्त न्यूनतम 16 इंच से अधिक रिम डायमीटर कोड वाले हों, पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है।

(दस) सा.का.नि. 754(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय यूरोपीय यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मेलामाईन के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 749(अ) जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में कार्बन ब्लैक के आयात पर 5 अक्तूबर, 2012 से 4 अक्तूबर, 2013 (जिसमें दोनों तारीख शामिल हैं) तक, प्रतिपाटन शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से और 5 अक्तूबर, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 (जिसमें दोनों तारीख शामिल हैं) तक, प्रतिपाटन शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से अंतिम सुरक्षात्मक शुल्क अधिरोपित करना है।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2012, जो 28 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1979(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2012, जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2005(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 12 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2164(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 2187(अ) जो 17 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 17 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2188(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2261(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) पूंजी अभिलाख लेखा पहला संशोधन स्कीम, 2012 जो 25 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2553(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7581/15/12]

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 674(अ) जो 10 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 688(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 697(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 760(अ) जो 11 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 773(अ) जो 18 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7582/15/12]

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7583/15/12]

(10) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम वर्ग तीन और वर्ग चार कर्मचारी (प्रोन्नति) (संशोधन) नियम, 2012 जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7584/15/12]

(11) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 199 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग/2/58/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7585/15/12]

(12) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7586/15/12]

(13) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के 42वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7587/15/12]

(14) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा-48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्तूबर, 2012 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7588/15/12]

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में 15वीं लोक सभा की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

15वीं लोक सभा की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन 3 मई, 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 हेतु पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई विवरण ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को अगस्त, 2012 में भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा मेरे द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुबंध में दिया गया है। मैं इस अनुबंध की विषयवस्तु को पढ़ने में सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7589/15/09

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा बुलेटिन- भाग दो दिनांक 01 सितंबर, 204 के निर्देशों के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) का ग्यारहवें प्रतिवेदन 27.04.2012 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी की गयी कार्यवाही विवरण 27.07.2012 को प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 24 सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने, बजट का पूर्ण उपयोग करने, राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना, एन.ई.एल.पी में अंतर्गत डिस्कवरियों से वाणिज्यिम उत्पादन, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोतों की विकास कोयलें को तरल में परिवर्तित करना मिलावट को दूर करना खुदरा बिक्री केन्द्रों का ऑटोमेशन इत्यादि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों ने कार्यान्वयन की

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7591/15/09

स्थिति का ब्यौरा मेरे विवरण में अनुबंध में दिया गया है। इस विवरण को सभापटल पर रख दिया गया है। इस अनुबंध की संपूर्ण विषय-वस्तु को पढ़ कर मैं सभा का बहुमूल्य समय नहीं लूंगी। इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 1^ 04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

42वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में डेंगू और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदया, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की और दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में डेंगू और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): देश के विभिन्न भागों में डेंगू और चिकुनगुनिया का प्रकोप एक बड़ी जन-स्वास्थ्य चुनौती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (नेशनल वेक्टर बॉर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के आवश्यक सहयोग और दिशानिर्देश में राज्य सरकारें इन रोगों से प्रभाव पूर्ण तरीके से निपट रही हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पहले से ही जानकारी है, डेंगू तेजी से फैलने की संभावना वाला एक वायरल रोग है जो एडीज मच्छरों के काटने से होता है। एडीज एजिप्टी प्राथमिक रोगवाहक है। एडीज अल्बोपिक्टॉस गौण रोगवाहक है। हाल के वर्षों में, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न मानवनिर्मित और पर्यावरणीय कारकों के कारण वैसी जगहों का विस्तार हुआ है, जहां एडीज मच्छर पैदा होते हैं जिससे डेंगू संक्रमण के मामलों की संख्या और इसकी वजह से होने वाली मौतों की संख्या देखकर लगाया जा सकता है। वर्ष 2012 में, 15 नवम्बर तक डेंगू के कुल 35,066 मामलों और 216 मौतों की सूचना है। हालांकि, डेंगू मरीजों की मृत्युदर कम है और यह 0.6% ही बनी हुई है।

चिकुनगुनिया एक कमजोर कर देनेवाली बीमारी है। यह भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है। डेंगू से चिकुनगुनिया जानलेवा बीमारी नहीं है। डेंगू और चिकुनगुनिया के फैलने के कारण एक ही है। चिकुनगुनिया के मरीजों की कुल संख्या घटी है। वर्ष 2012 में, 15 नवम्बर तक चिकुनगुनिया के संभावित मरीजों की संख्या 14227 है।

आज की तिथि के अनुसार, डेंगू और चिकुनगुनिया की रोगथाम हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। डेंगू और चिकुनगुनिया का इलाज मुख्यत: लक्षण आधारित है। डेंगू के गम्भीर मामलों में रक्त/प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।

मंत्रालय ने देश में डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण हेतु जनवरी, 2007 में एक दीर्घावधि कार्ययोजना तैयार की थी और इसे कार्यान्वियन हेतु सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। इसके बाद, मई 2011 में सचिवों की समिति द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई तथा डेंगू और चिकुनगुनिया हेतु एक मध्यावधि योजना स्वीकृत की गई और उसे कार्यान्वियन हेतु राज्यों को परिचालित किया गया मध्यावधि योजना की रणनीति मे अन्य बातों के साथ-साथ कीट-विज्ञान संबंध निगरानी, रोगवाहक नियंत्रण, मामला प्रबंधन, प्रयोग-शाला निदान और नैदानिक प्रबंधन शामिल है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को तकनीकी, वित्तीय और नैदानिक सहायता मुहैया

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

कराती है। नैदानिक सहायता में शामिल है: सेन्टिनल सर्विलस हॉस्पीटलों में प्रयोग शाला सहायता, शीर्ष रेफरल अस्पतालों के साथ सम्पर्क, 'एलिसा' आधारित एंटीबॉडी डेंगू किट (आई.जी.एम) निःशुल्क मुहैया कराना और एंटीजन (एन.एस.आई) टेस्ट किट हेतु वित्तीय सहायता देना। एन.वी.बी.डी.सी.पी. के माध्यम से राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और इससे, जुड़े अधिकारियों के फील्ड दौरों के माध्यम से तथा उच्च स्तरों पर समीक्षा के माध्यम से देश में बीमारी की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 26 मार्च, 2012 को, केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने रोगवाहन जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु समय पर कार्रवाई करने तथा नियंत्रण बनाए रखने की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैंने स्वयं 31 मई, 2012 को माननीय मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रोगवाहक जनित रोगों का फैलना कम करने तथा फैलने से पहले इनकी प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण की जरूरत पर बल दिया गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 8 अक्टूबर, 2012 को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ट अधिकारियों तथा दिल्ली के मेयरों और मुनिसिपल कमिश्नरों के साथ तथा 12 अक्टूबर, 2012 को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठकों के दौरान, इस बात पर बल दिया गया कि राज्यों और स्थानीय निकायों को उन स्रोतों को कम करने जहां मच्छर पनपते हैं, लार्वानाशक का प्रयोग करके मच्छरों को पैदा होने से रोकने और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपायों हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर जिसमें डेंगू और चिकुनगुनिया हेतु किए गए आबंटन शामिल है, कुल 1946 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई।

केन्द्र सरकार डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराना जारी रखेगी। हमे आशा है और विश्वास है कि राज्य सरकारें विभिन्न निवारणत्मक और नियंत्रण उपायों को जारी रखेंगी ताकि डेंगू कके मामलों की संख्या और इससे होने वाली जीवन हानि कम हो सके। मैं इस अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक से भी अपील करता हूं कि वे कूलरों, टायरों, बर्तनों, नारियल के खेत, जल रखने के सामानों और इसी प्रकार के अन्य जलसंग्राहक वस्तुओं में जमा जल में मच्छरों का पनपना रोक कर डेंगू और चिकुनगुनिया के विरूद्ध लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सरकार का सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कॉलिंग अटेन्शन पर बोलने की अनुमति दी।

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम इसको हेल्थ चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। दूसरा, अभी मंत्री जी भी जिक्र कर रहे थे कि हम एक लांग टर्म एक्शन प्लान बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि डेंगू और मलेरिया के बारे में इस सदन के 42 सदस्यों ने प्रश्न लगाए। इससे भी आपको लगता होगा कि इसके लिए माननीय सदस्य कितने गंभीर हैं। कई एमपीज को डेंगू का मच्छर डंक मार चुका है। ...*(व्यवधान)* रमन डेका जी बैठे हैं, आगरा के एमपी रामशंकर जी बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं। ...*(व्यवधान)* कई लोगों को चिकनगुनिया हुआ और वे अभी तक ठीक नहीं हुए। ...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 23 नवम्बर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 356, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से संबंधित था, उस पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया, अभी जो स्टेटमेंट दी और मीडिया में जो संख्या आ रही है, उनमें बहुत फर्क है। मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि डेंगू और चिकनगुनिया कहां-कहां फैला है और कितने लोग मरे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 नवम्बर, 2012 तक 35,066 मामले सामने आए हैं और 216 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया में कई दिनों से आ रहा है कि सिर्फ दिल्ली में डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या एक हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक हजार और 216 के आंकड़े में बहुत अंतर है, दो-चार का फर्क हो तब भी समझ में आता है। मंत्री जी, आप इतना फर्क क्यों रखते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

डेंगू एडिस एलबोपिकटस नाम के एक मच्छर की प्रजाति से फैलता है। यह प्रजाति भी दो तरह की हो गई है - एक एडिस एजिपटाई और दूसरा एडिस एलबोपिकटस नाम का मच्छर हो गया। इन दोनों में यह फर्क है कि एक घर के अंदर काटता है और

दूसरा घूमते हुए लोगों को भी काट सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इनके नेशनल अभियान के टेक्नीकल स्टाफ हमें बताते हैं। इसलिए जब एक नामी फिल्म निर्माता को डेंगू काट गया तो बहुत हल्ला मचा, लेकिन एमपीज को काट गया तो ज्यादा ध्यान हीं नहीं दिया गया। फिल्म निर्माता की डैथ डेंगू के मच्छर काटने से हुई, आपने तब भी ध्यान दिया, तो यह अच्छी बात है।

आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करके इस हाउस का भी ध्यान आकर्षित किया। यह बहुत गंभीर समस्या है। यह मच्छर पेड़-पौधों, टायर, डैजर्ट कूलर आदि के साफ पानी में रहता है। ...*(व्यवधान)* यह सफाई पसन्द मच्छर है। अगर यह चिकनगुनिया में कन्वर्ट हो गया तो व्यक्ति छ: महीने तक हिल ही नहीं सकता। यह इतनी खतरनाक बीमारी है और यह कह रहे हैं कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई सरकार मच्छर ही नहीं मार सकती तो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात है। भ्रष्टाचार तो आजकल बड़ा मच्छर हो गया है। ...*(व्यवधान)* 16 डिग्री तापमान होने पर एडिस प्रजाति के मेल मच्छर प्रजनन नहीं कर पाते, इस कारण फीमेल मच्छर से अंडे नहीं होते। अत: सरकार के मंत्री सिर्फ 16 डिग्री तापमान का इंतजार कर रहे हैं। इनकी मच्छर मारने की कार्यवाही कहीं नहीं दिखती। आप दिल्ली नगर निगम से पूछिए। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां भी डेंगू के मरीज बहुत हो गए हैं। बिहार में हो गए, सब जगह हो गए हैं।

मंत्री जी अपनी स्टेटमेंट में जिक्र कर रहे थे कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1946 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1946 करोड़ में से डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज के लिए कितने पैसे दिये गये? हो सकता है कि अधिकारियों की तनख्वाह भी उसमें सम्मिलित हो, हो सकता है जो वे टीए, डीए लेते हैं, वह भी उसमें सम्मिलित हो। 1946 करोड़ रुपये की राशि बहुत मिनिमम है। मंत्री जी, दिल्ली में ही डेंगू से हजार लोग मर गये हैं और आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इनका एंटी लार्वा प्रोग्राम और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चैकर्स, जो दवा डालने के लिए होता है, उनकी प्रोग्रैस भी ठीक नहीं है। मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं। मंत्री जी, शायद आपको जानकारी होगी कि अभी एक सेमिनार हुआ था। जब आपके लोगों ने कहा कि इसे कंट्रोल करो तो सेमिनार में कंट्रोल करने वाले लोगों ने कहा कि हमारे पास टेक्नीकल स्टॉफ नहीं है। अभी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल के लिए एक सेमिनार हुआ था। मंत्री जी, हो सकता है कि आप उसमें गये होंगे। उस सेमिनार में टेक्नीकल स्टॉफ और जो इसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि हम चिकनगुनिया और डेंगू को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कैसे इसके साथ जी सकते हैं, इसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि हम डेंगू और चिकनगुनिया के लिए एक लॉंग टर्म पालिसी ला रहे हैं और आपके विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में यह प्रस्ताव पास होता है कि हम डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जी कैसे सकते हैं क्योंकि वह घर में भी काटता है और बाहर घूमते हुए भी काटता है। मच्छर दो तरह के हो गये हैं। मेरा यह कहना है कि जब आपका इस तरह का टेक्नीकल सेमिनार था, तो वहां लॉंग टर्म एक्शन प्लान, हेल्थ चेलेंज की बात आपने क्यों नहीं की? अगर सेमिनार में इस तरह की बात हुई है, तो आपने इस बारे में क्या किया, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके यहां नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीस को कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें टेक्नीकल स्टॉफ की बहुत कमी हो गयी है। पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं। बहुत लोग रिटायर हो गये हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए कोई स्टॉफ नहीं है। जब यह बीमारी बीकानेर की वॉल सिटी की चारदीवारी में ज्यादा फैली तो मैंने उनके डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी कि आप एक टीम भेजिये। टीम भेजने के लिए इनके पास स्टॉफ नहीं है। इसलिए जयपुर में जो इसे देखते हैं, उनको कहते हैं कि आप जाइये और जयपुर वाले फिर किसी और टीम को कह देते हैं। यहां से कोई टीम नहीं जाती और किसी तरह का छिड़काव वगैरह नहीं हो पाता है। वे लोगों को जाकर समझाते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह तो फैलेगा ही। जब इस तरह की बातें आती हैं, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें आपका टेक्नीकल स्टॉफ भी करता है। मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो लॉंग टर्म एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत क्या आप टेक्नीकल स्टॉफ की नियुक्ति करेंगे? यह मेरा पहला सुझाव भी है और प्रश्न भी है। ...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): आप ज्यादा मत बोलिये, नहीं तो डेंगू का मच्छर काट जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डेंगू मच्छर मुझे काटेगा, यह तो पता नहीं, लेकिन संजय जी, अभी किसी नए नेता को आपके किसी नेता ने उसे पूछा कि क्या आप मच्छर हैं? पत्रकारों ने कहा कि आप मच्छर हैं, तो उसने जवाब में कहा कि मैं डेंगू का मच्छर हूं। यह आपकी जानकारी में होना चाहिए।...*(व्यवधान)* वह डेंगू का मच्छर शायद आपको ही काटने वाला है। ...*(व्यवधान)* इनको डेंगू वाला मच्छर काट सकता है। ...*(व्यवधान)* आप टाइम बाउंड मेनर में टेक्नीकल स्टॉफ की नियुक्ति करें। एक उच्चस्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जो सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग से निरंतर रिपोर्ट प्राप्त करे। नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मच्छरों की रोकथाम में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी मैं इसका कहीं बोर्ड नहीं देखता हूं। आप पेपर में ऐड दे सकते हो। पेपर में सरकार की उपलब्धियों के बड़े-बड़े ऐड आते हैं जिनमें तरह-तरह की फोटो लगी रहती हैं। जो फोटो एलीजिबल नहीं होती, वह भी लगी रहती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को कंट्रोल करने के लिए आप नागरिकों को जागरूक करने के लिए किसी तरह का ऐड नहीं दे रहे। आप सिर्फ 1946 करोड़ रुपये से पूरे देश में डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। इसलिए आप जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कीजिए कि कहां-कहां ये मच्छर फैल सकते हैं, किस तरह से फैलते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनको यह मत समझाइए कि हम चिकनगुनिया और डेंगू के साथ कैसे रह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। गांवों में चौपालों, नुक्कड़ नाटकों और दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक कीजिए। प्रभावित इलाकों में केन्द्र सरकार द्वारा वेक्टर-बोर्न डिजीज की एक्सपर्ट टीम का दौरा होना चाहिए। अगर आपके पास यह टीम रेगुलर नहीं है, तो आप इसे हायर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, कांट्रैक्ट पर ले सकते हैं, लेकिन आप टीम भेजिए। इसमें अगर आपको एफडीआई चाहिए, तो ले लीजिए। आल रिटेल सेक्टर में एफडीआई मत लाइए, लेकिन अगर इसमें एफडीआई चाहिए, तो ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं कहना चाहता हूं कि आप गांव की चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, दूरदर्शन पर, रेडियो के माध्यम से आप इसकी प्रॉपर प्रचार-प्रसार कीजिए, एड दीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी आदतें कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे यह मच्छर आपको ज्यादा काटे नहीं। डेंगू और चिकनगुनिया उन्मूलन अभियान देश भर में वर्ष-पर्यन्त चलना चाहिए। जब बरसात होती है और जब लगता है कि मलेरिया फैल रहा है, साथ में डेंगू भी आ सकता है, चिकनगुनिया इसका एक बाय-प्रोडक्ट है, तो आप इसको उससे जोड़ देते हैं कि मौसमी बीमारी है और आप मौसम ठीक होने का इंतजार करते हैं। आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 16 डिग्री टेंपरेचर होगा, तो यह ऑटोमैटिक मर जाएगा। लेकिन जब यह मच्छर डंक मार देता है, उस व्यक्ति की तकलीफ जानिए। यहां रमन डेका साहब बैठे हैं, वह मुझे सुबह ही कह रहे थे कि मुझे जब डेंगू ने खाया, तो मैं एक साल में ठीक हुआ। जब मलेरिया वाला मच्छर काटता है, तो व्यक्ति तीन-चार दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन डेंगू वाला मच्छर कई तरह की तकलीफ पैदा करता है। अगर एक साल में कोई एमपी ठीक होता है, तो सामान्य आदमी, आम आदमी जिसकी आप बात करते हो, अगर उसको डेंगू हो जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए इसे साधारण रूप में मत लीजिए, यह सदन भी आज इस पर इसीलिए चर्चा कर रहा है। डेंगू का अब तक कोई टीका नहीं बनाया गया है, इसके लिए लोग कई वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अतः डेंगू के टीके के लिए मजबूती से अध्ययन और शोध करना होगा। इस अध्ययन और शोध में आप एफडीआई ला सकते हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप रिटेल में एफडीआई मत लाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद : एफडीआई वाले भी इसमें कुछ नहीं कर पाए हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : फिर रिटेल में क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप भी मान रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* जैसे आपके टेक्नीकल सेमिनार में चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके सब स्पष्टीकरण प्रश्न आ चुके हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, यह विषय बहुत गंभीर है। सदन में आपने इसकी अनुमति दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी इसको हल्के में न लें क्योंकि इस मच्छर के एक बार काटने के बाद यह छः-आठ महीने तक बहुत परेशान करता है, इससे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कई तरह की दूसरी बीमारियां फैलनी लग जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री जी को कहता हूं कि इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपको इसमें एफडीआई भी लानी पड़े, तो इसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर में एफडीआई मत लाइए।

महोदया, आपने मुझे बोलले के लिए अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया : इस क्रम में अगले वक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार जी हैं, लेकिन डा. काकोली घोष दस्तिदार जी का निवेदन आया है कि उन्हें पहले बुलवा दें, मैंने निर्णय लिया है। वे कलकत्ता जाना चाहती हैं, वहां पर अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूं। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं भी देती हूं।

अब आप बोलिए।

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे श्री शैलेन्द्र कुमार जी से पहले बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं और आपने इस अति गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया है।

[अनुवाद]

यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग के एक कनिष्ठ मंत्री ने दो-तीन दिन पहले राज्य सभा के पटल पर रिकार्ड रखे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि नवम्बर माह तक देश में डेंगू के लगभग 35,000 मामले सामने आए हैं और 216 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। डेंगू के लिए कोई टीका नहीं है। यदि हम इस सम्माननीय सभा में यह प्रश्न पूछें कि इस देश को कौन चला रहा है, *[हिन्दी]* गलतफहमी में मत रहिये, यह देश हम नहीं चला रहे हैं, यह देश *[अनुवाद]* एडिस एर्जिप्टी अथवा एंडिस एल्बोपिक्टस *[हिन्दी]* और कहीं-कहीं एनोफीलिज भी चल रहा है। और इस बार *[अनुवाद]* 216 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। इस वर्ष 216 लोगों की मृत्यु हुई है और यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों में हुई है। 2010 में यह संख्या 110 थीं, 2011 में 169 थी और इस वर्ष केवल नवम्बर तक 216 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुझे उन परिवारों से वास्तव में सहानुभूति है क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह सब इस सरकार द्वारा की गई उपेक्षा का परिणाम है।

इसके साथ-साथ, मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देना चाहूंगी जहां पर माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय प्रभारी हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे कम मामले देखने में आए हैं कोलकाता में 80 मामले सामने आए और पश्चिम बंगाल में केवल 9 लोगों की मृत्यु हुई है क्योंकि सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। यह बात सरकार के रिकार्ड में है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में केवल वही शामिल किया जाएगा, जो वह कह रही हैं।

...*(व्यवधान)**

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार : वहां 9 लोगों की मृत्यु हुई। केवल 80 मामले प्रकाश में आए है। सरकार ने निःसंदेह एक आरएचएम से धनराशि स्वीकृत करने हेतु तत्काल कदम उठाए हैं और रोग के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इसकी रोकथाम के लिए कोलकाता नगर निगम को 16 लाख रुपए, सिलीगुड़ी, हावड़ा, आसनसोल को 3-3 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस रोग को रोकने का एकमात्र तरीका है मच्छरों को फैलने से रोका जाए। मच्छरों को बड़ी संख्या में पनपने से रोकने के लिए लार्वानाशी (लार्वीसाइड) का प्रयोग किया जाए।

सबसे मुख्य बात यह हे कि इस आपदा की पूरी जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है। अन्य मंत्रालयों को भी इसके लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रीााव से कुछ स्थानों पर असमय अपर्याप्त बारिश होती है। कल दिल्ली में छिटपुट बारिश हुई थी। पिछले दो महीनों में हमने विभिन्न राज्यों में छिटपुट बारिश देखी है। यह लार्वा को बहा ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इससे पानी जमा हो जाता है जिसमें लार्वा पनपते हैं। और, यहां पर पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सामने आती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. काकोली घोष दस्तिदार]

दूसरी ओर, शहरी विकास मंत्रालय भी इस कार्य में शामिल है। देश भर में उत्कृष्ट नाले और सीवेज प्रणाली विकसित करने के लिए जेएनएनयूआरएम का गठन किया गया ताकि न केवल शहरी स्लमों में रहने वाले लोगों अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को भी समुचित जल-निकास (ड्रेनेज) की सुविधा मिल सके। उस धन का समचित उपयोग नहीं किया गया और यहां पर मंत्रालय का भी उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि इस असमन्वित शहरीकरण के परिणामस्वरूप बड़े-बड़े नालों में पानी अवरुद्ध हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बारासात में ऐ बड़ा नाला है, जिसमें बारासात शहर का सीवेज गिरता है और जो शहरीकरण के कारण अवरुद्ध हो गया है और मलिन बस्ती में रहने वाले नाले के पास रह रहे हैं। इसका सीवेज विद्याधारी नदी में गिरता है लेकिन इसमें कूड़ा कचरा फंसा हुआ है। इसलिए इसके पानी में लेार्वा को पनपने का अवसर मिल रहा है। इसमें शहरी विकास मंत्रालय को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय को एक अलग कार्य-बल बनाना चाहिए और पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय को इसमें शामिल करना चाहिए। लार्वानाशी प्रभावी हो, इसके लिए समुचित जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा वे हमारे देश की सहायता कर सकेंगे। वे ऐसे प्रत्येक देश की सहायता करेंगे जो उनसे ऐसा करने का कहेगा। वे यहां पर तकनीकी दल भेजेंगे, जो हमारा इस संबंध में मार्गदर्शन करेंगे कि लार्वानाशी अधिक प्रभावी तरीके से कैसे काम कर सकता है।

विगत में, करीब 50 वर्ष पहले एक प्रकार की मछली गप्पी मछली को इन नालों में छोड़ दिया जाता था जो लार्वा को खा जाती थी। आजकल ऐसी कोई परियोजना नहीं चलायी जा रही है।

इस क्षेत्र की रोकथाम लार्वानाशी के प्रयोग जागरूकता पेदा करने और कार्यबल गठित करने में निहित है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया गया है जहां विभिन्न अन्य मंत्रालय सहयोग और समन्वय करते हैं ताकि आम लोगों को, जो इस रोग से अवगत नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी दी जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा विज्ञान की जानकारी नहीं होती। इसलिए उनको इस संबंध में बताए जाने की जरूरत है कि मच्छर कब काटते है और यह कि यह खास मच्छर दिन में काटता है। इसका दंश खतरनाक है। यह प्रात:काल और सायंकाल में काटता है। इसलिए लोगों को इस तथ्य से अवगत कराए जाने की जरूरत है कि वे दिन के इस खास समय में सावधान रहें ताकि उस समय उन्हें मच्छर न काटने पाएं। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

यह वायरस अपना जीनोटाइप बार-बार बदलता रहता है। चार सीरोटाइप हैं और इन चार सीटोटाइप में कतिपय जीनोटाइप हैं। वे जीनोटाइप बदल ले रहे हैं और उपचार को बेअसर कर रहे हैं। इसलिए कीटविज्ञानियों द्वारा कुछ अनुसंधान किए जाने की जरूरत है तथा सरकार को भी इस बात का ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि इसे महामारी बनने से रोका जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैं श्री अर्जुन मेघवाल, डॉ. काकोली घोष, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री नामा नागेश्वर राव जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोकमहत्व के प्रश्न पर नोटिस दिया है। इस चर्चा से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं।

आज हम डेंगू और चिकुनगुनिया पर बहस कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने इससे पहले 193 के तहत भी कालिंग अटेंशन में चर्चा की थी। इनफ्लाइटिस, दिमागी बुखार और मलेरिया, अगर ये बीमारियां गांव में डिडक्ट न हुईं, डाक्टर ने डाइग्नोज न की तो कहा जाएगा कि वायरल फीवर है। महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, वे बहुत गलत हैं। हजारों की संख्या में लोग मरते हैं। एक प्रदेश की बात करें तो हजारों की मौत होती है, लेकिन अगर देश स्तर पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से प्रति वर्ष करोड़ों लोग मरते हैं। जहां तक बात डेंगू की है, मंत्री जी ने सदन में जो रिपोर्ट पढ़ी है, इन्होंने कहा है कि वायरल है और मच्छर के काटने से होता है। यह बात सही है, लेकिन अफसोस की बात है कि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण हम प्लेटलेट्स मरीज को चढ़ाते हैं, तब मरीज बचता है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने कौन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कौन से अस्पताल में इन प्लेटलेट्स और ट्रांसफ्यूजन की उपलब्धता आपने उपलब्ध कराई है।

ज्यादातर गरीब इलाकों में प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की सुविधा नहीं है इसके अभाव के कारण मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में लोग मरते हैं। अभी हमारे मित्र मेघवाल जी ने कहा और यह बात भी सत्य है कि अगर यश चौपड़ा जी की मृत्यु डेंगू से न हुई होती, तो इसे कोई संज्ञान में न लेता। अभी एफडीआई की बात कही और हंसी में वह बात चली गई, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं और देखते हैं कि कई लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। उन्हें देखने जाते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें बुखार आया और वे मर गए। यही कारण है कि डेंगू और चिकुनगुनिया की बीमारी है, खास कर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल इलाके हैं, चाहे नेपाल हो, बंगलादेश हो या झारखंड, बिहार हो और पूर्वांचल में खास कर इलाहाबाद में कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ आदि तमाम ऐसे इलाके हैं, जहां बड़े पैमाने पर रोगी पाए गए हैं और ज्यादा लोग ग्रसित हुए हैं। अभी मंत्री जी ने तमाम राज्यों की जिम्मेदारी की बात कही है और यह भी कहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि इसकी रोकथाम करें। आपको संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जब तक संयुक्त रूप से जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगी, तब तक इन रोगों की रोकथाम हम नहीं कर सकते हैं। खासकर जो जागरूकता की बात है, विज्ञापन आप दे देते हैं। विज्ञापन से यह रोग रूकने वाला नहीं है। आज गांव में लोग ये भी नहीं जानते कि डेंगू क्या होता है, चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया में आप कहते हैं कि दो से पांच दिन तक जोड़ों में दर्द रहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हफ्तों-हफ्तों तक मरीज बीमार रहता है और आदमी विकलांग तक हो जाता है। यहां रिपोर्ट में आपने बताया है कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं होती।

मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी से आदमी मरता भी है और विकलांग भी हो जाता है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है और वह तड़प-तड़पकर मरता है। यह स्थिति है। चूंकि आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा है।

दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि यह बीमारी कहां से उत्पन्न हो रही है? हमने आज तक इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की है। हमें इस बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने टीके के बारे में कहा है कि इस बीमारी के लिए कोई टीका भी नहीं है और न ही अभी तक किसी औषधि का निर्माण हो पाया है। हम इससे कैसे बच पाएंगे क्योंकि आपने जो रिपोर्ट में बताया है कि न तो इसके लिए कोई टीका है और न कोई औषधि है, तो फिर हम कैसे इस रोग की रोकथाम कर पाएंगे? इसलिए अगर आपका जवाब इस प्रकार का आता है तो इस देश का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हजारों करोड़ों लोग मर रहे हैं और उस पर सरकार कह रही है कि इसके लिए कोई टीका और औषधि उपलब्ध नहीं है। हम साधारण तौर पर डाक्टर को दिखाने जाते हैं, डाक्टर डायग्नोज करता है और बुखार की दवा देता है। मरीज के जोड़ों में दर्द .होता है तो डाक्टर दर्द की दवा दे देता है लेकिन आप पर्टिकुलर इसके लिए किसी टीका और औषधि का निर्माण अभी तक नहीं कर पाए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

जहां तक जो आंकड़े बताये गये हैं, जैसे आपने बताया कि 1946 करोड़ हमने विक्टर और जनरोग नियंत्रण के लिए बजट में प्रावधान किया है। लेकिन आज सवाल इस बात का है और जो सदन में मांग की गई है कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए आपने कितने बजट का प्रावधान किया है? जो आपने 1946 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया है, इसमें से आप डेंगू, चिकनगुनिया, इनसेफलाइटिस, दिमागी बुखार और मलेरिया के लिए अलग प्रावधान करें। आप कहते हैं कि मलेरिया का पूरी तरह से पूरे देश में उन्मूलन हो गया है। लेकिन आज मलेरिया भी बड़े जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। मलेरिया का उन्मूलन आपने किया है, लेकिन मलेरिया से लोग फिर से बड़ी संख्या में ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए इसका बजट ही आप अलग से करें और जहां तक सरकारी आंकड़ों का संबंध है कि डेंगू से 35066 और चिकनगुनिया से 14227 लोग मरे हैं। ये आंकड़े बिल्कुल सरकारी और असत्य हैं। आप अगर हकीकत जानना चाहते हैं और आप खुद गोरखपुर गये हैं।

मुझे याद है, वहां पर आपका दौरा हुआ था। वहां पर आपने देखा होगा कि वहां खासकर जब बाढ़ आती है और बाढ़ जब समाप्त होती है और थोड़ा थोड़ा पानी जब इकट्ठा होता है, तब मेरे ख्याल से ये बीमारियां फैलती हैं। यहां आर.पी.एन. सिंह जी बैठे हुए हैं, पूर्वांचल से ये चुनकर आते हैं और सम्मानित मंत्री जी भी हैं। आप जानते हैं कि कितने लोग इस बीमारी से मरते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आकर्षित किया है। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। मान लीजिए कि विदेशों से भी यदि आपको सहायता लेनी पड़े तो वहां से भी आप सहायता लीजिए। इसके लिए टीका और औषधि भी हैं लेकिन हम अभी तक निजात नहीं कर पाए हैं। आपने आंकड़ों में यह बताया कि हम सब कीट विज्ञानी, निगरानी, विक्टर नियंत्रण, रोग प्रबंधन, प्रयोगशाला निदान और प्रबंधन आदि तमाम व्यवस्था आपने बताई है लेकिन कोई भी इसमें कारगर नहीं हो पा रही है। हमारे तमाम वैज्ञानी और डॉक्टर्स भी इसमें फेल हो गये हैं। इसलिए अगर विदेश से भी आपको सहायता लेनी पड़े तो आप नि:संकोच लीजिए और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करके इस रोग से देश को निजात दिलवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सम्मानित सदस्यों ने इस संबंध में अपने प्रश्न पूछे हैं, उन पर विस्तार से आपका जवाब आना चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह ध्यानाकर्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमारे अनेक साथिा हमारे देश में इन दिनों दो महत्वपूर्ण वायरल रोगों डेंगू और चिकुनगुनिया के व्यापक प्रसार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठा चुके हैं।

महोदया, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रोग के प्रसार के अनेक कारण हैं और यह रोग मुख्यत: मानवजनित और पयावरण संबंधी कारणों से फैलता है। मेरी समझ से यह सही-सही निर्धारित किया गया है। जहां तक डेंगू के मामलों का प्रश्न है, दिए गए आकड़े के अनुसार वर्त्तमान वर्ष में आज की तिथि तक 35,066 मरीजों में डेंगू संक्रमण पाया गया और डेंगू की वजह से 216 मौतें हुई। यह कोइ सांत्वनाप की बात नहीं है क्योंकि मृत्यु दर काफी अधिक है। कई मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है। प्राथमिक रूप से यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सा बुखार डेंगू है, अनेक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसकी वजह से अनेक मामलों में मरीजों की कम संख्या ही दर्ज हो जाती है। यद्यपि डेंगू ग्रस्त मरीजों के रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में डेंगू पीड़ित लोगों की मृत्यु दर कम है, हमें अपनी वर्तमान सिथति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में, मेरी सहयोगी डा. काकोली घोष दस्तिदार ने दावा किया कि इस वर्ष में कोलकाता अथवा पश्चिम बंगाल में कोई मौत नहीं हुई। परंतु पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार, इस वष्र के सितंबर महीने में डेंगू से कुल 2033 लोग प्रभावित हुए और इनमें से सात लोगों की मौत हुई। इसलिए ऐसा नहीं हे क कोइ मौत नहीं हुई है। यह वास्तविकता नहीं है। यद्यपि बहुत से मामलों की रिपोर्टिंग नहीं हुई, डेंगू व्यापक पैमाने पर फैला है। जमीनी स्तर पर समुचित जांच सुविधाएं नहीं होने के कारण समय पर डेंगू के मामलों की पहचान नहीं हो पायी है। मैं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक 'दि स्टेट्समैन' को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने 11 सितंबर, 2012 को डेंगू के संबंध में खबर प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है:

> "कि डेंगू के फैलने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के दौरे पर भेजे गए एक दल द्वारा दी गई अधिकारिक रिपोर्ट में राज्य, विशेष रूप से कोलकाता में इस घातक रोग के पुन: फैलने के लिये ऐतिहासिक कारणों और अद्यतन उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण गलत जांच रिपोर्टों को दोषी ठहराया है।"

यह उनका निष्कर्ष था। अत:, यहां पर समुचित समन्वय और जांच सविधाओं की कमी है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्पष्टीकरण पूछें। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

डा. रामचन्द डोम : महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इससे संबंधित पक्षों में समन्वय की कमी होना एक गंभीर समस्या है। वहां पर जांच सुविधाओं और प्रबंधन सुविधाओं की भी कमी थी। सभी तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी न देना भी एक प्रमुख कारण है।

इसीलिए मेरा यह ठोस सुझाव और टिप्पणी यही है कि यह राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की असफलता है। हमें इस तथ्य को सराहना चाहिए कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है। तथ्यात्मक स्थिति यही है। इसमें जो भी खामियां हों, सरकार को उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ समन्वय से इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और मध्यवर्ती अवधि अर्थात महामारी के पुन: फैलने से पूर्व समुचित

तैयारी किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी का अनुपालन नहीं किया जाता। अतः, इस बिन्दु पर विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक उपचार का संबंध है, वैज्ञानिक तौर पर हम यह जानते हैं कि रोगयों का उपचार करने हेतु कोई एंटाबायोटिक्स नहीं हैं। यहां पर हम असहाय हैं। इसका कोई समर्थ उपचार नहीं है। लेकिन प्रभावित रोगियों में अधिकांश बच्चे और शिशु हैं तथा घातक मामलों जैसे डेंगू और 'हैमरेजिक फीवर' जो कि अत्यंत इमरजेंसी वाले मामले है, के लिए कोई उपचार मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछें और अपनी बात समाप्त करें।

डा. रामचन्द डोम : मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर लूंगा। हमारे पास समर्पित और गहन उपचार सुविधाएं होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रभावित बच्चों और शिशुओं के उपचार ओर देखभाल के लिए गहन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था की है। कम से कम जिला स्तर तक यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यह आवश्यक है। प्रभावित लोगों को रक्त-आधान विशेष रूप से 'प्लेटलेट' देने की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अगली बात कारपोरेट अस्पतालों के संबंध में है। ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में लोग असहाय हैं। उनके पास समुचित जानकारी नहीं है। ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में कारपोरेट अस्पताल लोगों का शोषण कर रहे हैं। गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। यहां उपचार का कोइ मानक तरीका नहीं है। अतः, देश-भर में डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य वायरल बीमारियों का उपचार करने के लिए एक मानक तरीका होना चाहिए। इस मानक तरीके की जानकारी जिला स्तर तक दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब अपनी बात समापत करें।

डॉ. रामचन्द डोम : महोदया, एक महत्वपूर्ण बात और है। हम यह जानते हैं कि यद्यपि में रोग वेक्टर जनित हैं तथापि संक्रमित खून के अंतरण के दौरान यदि रक्त मलेरिया परजीवी से संक्रमित हो तो इससे मलेरिया फैल सकता है। इसी प्रकार से, इस तरह के संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादों के अंतरण से विषाणु फैलते है। अतः, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिएं इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, डेंगू का इश्यू जितना सीरियस है, रिपोर्ट को देखने के बाद मंत्री जी इस इश्यू को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बीमारी कोई एक-दो दिन पुरानी नहीं है, इस बीमारी को लगभग दस साल पहले आइडेंटिफाई किया गया था। आइडेंटिफाई करने के बाद अभी रीसेंटली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 परसेंट पापुलेशन में इसके आने का स्कोप है और एशियन कंट्रीज में इंडिया बहुत ज्यादा अफैक्टिड कंट्री है। लेकिन इतने सीरियस इश्यू को मिनिस्टर उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसकी फिगर्स के अनुसार जिस तरह से मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेन्ट दिया है, रीसेन्टली राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मिनिस्टर ने बताया कि 2009 में 15535 डेंगू केसिज को आइडेंटिफाई किया गया था और अभी 15 नवम्बर, 2012 तक 35000 केसिज को आइडेंटिफाई किया गया है। फिगर्स के अनुसार तीन सालों के अंदर यह सौ प्रतिशत से ज्यादा है। मगर 35000 की जो फिगर है, यह टोटल गलत है। हमारे कुलीग ने इस बारे में अभी सब कुछ बताया है। हम विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट को फोकस करना चाहते हैं। खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हमारी कांस्टीटुएंसी में एक अशवारापेट असैम्बली कांस्टीटुएंसी है, उसमें एक चंद्रगोंडा मंडल है, वहां के एक विलेज में छः आदमियों की डैथ हुई है। उस समय उन्हें देखने के लिए मैं वहां गया था। जब मैं वहां गया तो सुबह से लेकर शाम तक गांववालों ने मुझे आने नहीं दिया। वहां हमने खड़े-खड़े डॉक्टर्स को बुलाया, खड़े-खड़े ही एनजीओ की वैन्स को बुलाया और रोड्स के ऊपर और स्कूल में पलंग डालकर लोगों का ट्रीटमेंट करना पड़ा। यह सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। रीसेन्टली हिन्दू पेपर ने हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोट किया है। एक इंडिपेन्डेन्ट आर्गेनाइजेशन ने उसमें सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार सेंट्रल मलेरिया लेबोरेट्री ने सर्वे करने के बाद बताया कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट में इसकी हाइयेस्ट फिगर है।

अभी रीसेंटली जिस तरह से क्वेशचन का आंसर दिया है, उसमें डिस्ट्रिक्वाइज और स्टेटवाइज भी दिया है। मिनिस्टर ने डिस्ट्रिक्टवाइज और स्टेटवाइज विवरण दिया था, उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ने यह लिखा है कि 216 लोगों की डेथ हुई है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर को यह बोलना चाहते हैं कि आप एक टीम

[श्री नामा नागेश्वर राव]

को लगा दीजिए, उसमें हमको भी मेंबर एपाइंट कीजिए। आपने जो कंट्री का फिगर 216 बतायी है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में इससे ज्यादा है तो हमको मैम्बर बना कर आप एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट ले लीजिए। हम एक-एक गांव में जाएंगे। गलत रिपोर्ट की वजह से आप लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यह समस्या है। आप लोगों के इतना सीरियसली नहीं लेने की वजह से ही पूरे देश में लाखों की डेथ हो रही है।

पब्लिक हैल्थ सेंटर्स में कोई दवाई नहीं है। आपने बताया कि पब्लिक हैल्थ सेंटर्स में किट्स फ्रीली सप्लाई हो रही है। यह सब पूरी तरह से गलत है। पब्लिक हैल्थ सेंटर्स में कोई भी चीज नहीं रहती है। डेंगू को आइडेंटिफाई करने में मिनिमम 5-6 दिन का टाइम लगता है। जब आदमी को फीवर आता है, तो फीवर आने के बाद, उसको डेंगू आइडेंटीफाई करने के लिए काफी लेबोरेट्री टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन वह फैसिलिटी किसी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। बहुत से गांवों में कुछ भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है।

मैडम, इस तरह से जो गलत रिपोर्ट दी गई है, अभी भी हम आनरेबल मिनिस्टर को यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी गलत रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के अंदर दें, मगर उधर कंट्री वाइड डेंगू की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, उसकी रिस्पांसब्लिटी आपकी सरकार की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नामा नागेश्वर राव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपने अपनी बात रख दी है।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : इस कॉलिंग अटेंशन के बाद आप इसको सीरियसली लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नामा नागेश्वर राव जी, आपने बहुत बोल लिया है, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री नामा नागेश्वर राव : इसको इमिडिएटली सॉल्व करने के लिए आप कंक्रीट साल्यूशन क्या दे रहे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी स्पीच में क्लियरली यह बता दें? यह बहुत सीरियस डिसीज है। उसकी वजह से छोटे बच्चे मर रहे हैं। गरीब लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। फार्मर्स एक एकड़-दो एकड़ की अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। आपके पास करेक्ट फिगर नहीं होने के वजह से ऑनरेबल मिनिस्टर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पहले करेक्ट फिगर्स मंगवाइए। यह एक तरह से मिसलीड हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको कैसे बोलने देंगे? आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीया अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं, माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, हिंदी में बोलिए तो अच्छा रहेगा, पूरा देश सुनेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : बहुत सारे आंकड़े अंग्रेजी में हैं, इसलिए मैं मिक्स भाषा में बोलता हूं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा की शुरूआत की है। डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री नामा नागेश्वर राव जी का भी बहुत धन्यवाद करता

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। जो माननीय सदस्य बोल नहीं सके, उनका भी मैं बहुत आदर करता हूं। ...*(व्यवधान)* ये अब मरीज हैं, मैं तब मरीज हुआ था, जब सन् 2003 में आप यहां थे। मैं डेंगू से छह महीने बीमार रहा था। मैं बड़े आदर के साथ माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसमें कौन सत्ता में है, कौन नहीं है, हर चीज को हम पार्टी लाइन पर नहीं खींचते हैं। आज देश में शायद पहली दफा होगा कि हिंदुस्तान की शायद ही कोई पॉलिटिकल पॉर्टी है, जो राज्यों में सरकार नहीं चला नहीं रही है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जितनी भी यहां सदन में बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, सबकी कहीं न कहीं सरकार है। आखिर हम दोष किसको देते हैं, हम अपने-आपको दोष देते हैं। सभी को यह भी जानकारी है कि स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है। मैं यूपीए गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी पिछले आठ साल से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जिस तरह की सहाययता राज्य सरकारों को, यह स्टेट सब्जेक्ट था, कोई जरूरी नहीं था, यह सेंटर सब्जेक्ट नहीं है, रेलवे की तरह या फाइनेंस की तरह या फॉरेन अफेयर्स की तरह कि उसी को करना है, इतनी बड़ी राशि 90 हजार करोड़ रुपए अभी आठ सालों में दे दिया और अभी मुझे आशा है कि अगले पांच साल प्लान में तीन गुना राशि और बढ़ेगी। यह भी राज्य सरकारों की सहायता हम यहां से कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) **:** मंत्री जी, आप बता दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसलिए है?

श्री गुलाम नबी आजाद : आप बैठिए, मैं बताऊंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए है कि स्टेट में भी स्वास्थ्य मंत्रालय है। अगर आप यह कहेंगे कि कोई भी स्टेट वाला स्वास्थ्य मंत्रालय बंद करने के लिए तैयार है तो मैं उसे चलाने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)* हमारा काम है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वास्थ्य के मामले में टेक्निकल सपोर्ट देना। वह टेक्निकल सपोर्ट हैंड्रेड परसेंट दे रहे हैं। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि इसमें मेरी कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है, इनकी हो सकती है या उनकी भी हो सकती है, आप इसे पार्टी लाइंस पर मत लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि इस पर आप पार्टी लाइन से अलग सोचिए। कोई कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वर्ष 2003 में पहला आदमी था, जिसको डेंगू हो गया। अब मैं क्या यह कहूंगा कि बीजेपी की सरकार उसे पकड़कर लायी? मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाता हूं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इस तरह से वह कैसे जवाब देंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ऑनरेबल मिनिस्टर, आप चेयर को एड्रेस करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके लिए दो चीजें हैं और यह कहना भी गलत होगा कि यह सिर्फ हिंदुस्तान में है। मैं बहुत खुश होता कि अगर हमारे साथियों ने थोड़ा और रिसर्च किया होता, जोकि आज इंटरनेट के जरिए करना बहुत आसान है। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, यह दुनिया की प्रॉब्लम है। अभी के हिसाब से पचास मिलियन यानी पांच करोड़ डेंगू इन्फेक्शन केसेज सालाना पूरी दुनिया में होते हैं। इसके अलावा साउथ-ईस्ट एशियन देशों में, जो 12 देश हैं, 1.8 बिलियन, हमारा आबादी है 120 करोड़, सिर्फ साउथ-ईस्ट एशियन ममालिक में 180 करोड़ पॉपुलेशन पर डेंगू का रिस्क है। साउथ-वेस्ट रीजन में तकरीबन 75 परसेंट ग्लोबल डिसीज का हिस्सा है। इसके साथ-साथ ही मैं अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बताऊंगा, तो उनमें भी बहुत ज्यादा है, मैं उनके आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल साउथ-ईस्ट एशिया की बात नहीं करता हूं। पैन अमेरिकन स्वास्थ्य संगठन ने कहा, जैसे हमारी इधर वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन है, ऐसे ही अमेरिका के तकरीबन तीस देश इसमें हैं। पैन अमेरिकन स्वास्थ्य संगठन ने कहा है -

[अनुवाद]

"अमेरिका में डेंगू बुखार फैल रहा है और प्रत्येक तीन से पांच वर्ष में इसका प्रकोप हो जाता है। 2001 से 2007 के बीच पांच वर्षों में अमरीका के 30 से अधिक देशों ने कुल 43,32,731 डेंगू के मामले अधिसूचित किए थे ओर 1299 मौतें होने की सूचना दी थी।"

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जो पान-अमेरिकंस देश हैं, उनमें तीस देश हैं, उनमें भी लाखों केसेज चल रहे हैं और लोग मर रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप इंडिया की बात कीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप भी तो एफडीआई की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आप कह रहे थे, वहां से लाये हैं, वहां से यही लाने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। आपने हर एक शब्द के बाद एफडीआई का जिक्र किया।

01.00 बजे

...*(व्यवधान)* मैं यह भी बताना चाहता हूं कि तकरीबन सभी एम.पीज ने इस बात पर बल दिया कि हिन्दुस्तान बैठा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, बाकी देशों में सब कुछ हो रहा है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश ने इसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया, तो एफ.डी.आई. कहां से लाएंगे? जब उन्होंने ही नहीं बनाया है तो यहां आपको क्या बताकर देंगे? लेकिन यह खुशी की बात है कि एक फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनी स्नोफी पास्चर द्वारा फिलीपिन्स, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैण्ड में इसका फेज-3 का ट्रायल चल रहा है। इसके साथ-साथ लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, कोलम्बिया और ब्राजील में भी इसका ट्रायल चल रहा है। हमारे देश में भी इसका ट्रायल बंगलौर, लुधियाना, कोलकाता, पुणे और दिल्ली में चल रहा है। इस वक्त दुनिया के सभी रीजन्स में इसका ट्रायल चल रहा है और यदि तीसरे और फास्ट क्लीनिकल ट्रायल में यह पास होगा तो वह दिन दूर नहीं है कि वह वैक्सीन हमें उपलब्ध हो जाएगी। यह भी याद रखें कि आज दुनिया में जो भी वैक्सीन या दवाई बनती है, वह सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहती है बल्कि पूरी दुनिया में वह दवाई और वक्सीन पहुंच जाती है। आज हमारे देश की कंपनियों ने जो दवाइयां बनाई हैं, दुनिया के 211 देशों में हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाइयां एक्सपोर्ट होकर जाती हैं। हमारे देश के बने हुए वैक्सीन इस वक्त 150 देशों में जाते हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिये कि हमने कोई दवाई नहीं बनाई तो वह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दवाई के मामले में, कैप्सूल के मामले में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई दवाई बनती है तो वह एकदम पूरी दुनिया में उपलब्ध होती है। जहां हमारा देश डेंगू और चिकनगुनिया से जूझ रहा है, वहीं पूरी दुनिया भी उससे जूझ रही है, उसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है और इसलिए मैंने कहा कि इसमें किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का कोई सवाल नहीं है। इसमें पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, ऐसा हम सबको बोलते हैं।

कई माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई एडवरटाइजमेंट नहीं निकलता। माननीय सदस्यों की इत्तला के लिए मैं एक मिनट और इस पर आगे बोलना चाहूंगा ताकि उससे उनको मालूम हो और दोबारा किसी दूसरे प्रश्न में वे इसका उल्लेख न करें, हालांकि शायद वह इससे संबंधित न हो। हमारे मंत्रालय द्वारा जो एडवरटाइजमेंट हम पहले पेपरों को देते थे, वह किसी ने एक मिनट भी देखा या नहीं देखा और फेंक दिया, उसके बारे में आप किसी को पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपको क्या जानकारी उपलब्ध है। अब पहली बार हमारी मिनिस्ट्री ने तकरीबन 160 करोड़ रुपये, जो एडवरटाइजमेंट के लिए थे, उसे अखबारों में देने के बजाय इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को हमने 60 चैनल्स के लिए दिया है, जिनमें 30 चैनल्स दूरदर्शन के और 30 रेडियो के रीजनल चैनल्स हैं। इनमें तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दूरदर्शन के 30 रीजनल चैनल्स हैं और इतने ही रेडियो के रीजनल चैनल्स हैं। इनमें हमने आधे घंटे का प्राइम टाइम खरीदा है। अभी छः महीने इसको चलते हुए हो गए हैं। हमने पूरे देश में, हर स्टेट में तकरीबन 5500 डाक्टर्स एम्पैनल किए हैं, उनकी लिस्ट बनाई है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने वहीं के 50 डॉक्टर्स लिए - कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट है, कोई वैक्टर बॉर्न डिजीजेज को देखता है, कोई ऑर्थोपिडीशयन है, कोई गाइनिकोलॉजिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। अभी तक छः महीनों में हमारे 8000 से ज्यादा प्रोग्राम हुए हैं।

मैं अगर इस सदन में किसी एम.पी. से पूछूंगा कि किसी ने देखा है तो क्या उसका जवाब होगा। कितनी रुचि है हमें अपने आप में ही। ...*(व्यवधान)* सुनिए, अभी हम खुलकर बात कर रहे हैं। हम लोग क्रिटीसाइज तो करते हैं। छः महीने से यह प्रोग्राम चल रहा है। अब यदि कोई कहेगा कि तेलुगु समझ नहीं आती है, तमिल समझ नहीं आती है। अगर नहीं समझ आती है तो यह मेरा कुसूर नहीं है। आपकी भाषा में उस स्टेट का डॉक्टर, हिन्दी वाला हिन्दी में, तमिलनाडु में तमिल में, केरल में मलयालम में बोलता है और असम में असमिया में बोलता है। अब हम खुद भी नहीं देखेंगे तो क्या प्रचार करेंगे? शायद चार-पांच हजार से ज्यादा डॉक्टर अभी तक टेलीविजन और रेडियो पर पेश हुए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ वैक्टर बोर्न डिसीज जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया हैं, इन्हीं पर चार सौ से ज्यादा प्रोग्राम अभी तक हो चुके हैं। मेरा इस सदन से निवेदन होगा कि हम अपने

निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, मैं अपने आप से भी पूछता हूं और आप से भी पूछता हूं कि हम कितनी अवेयरनेस मीटिंग्स में, फंक्शन्स में या अपने वर्कर्स को देते हैं। बड़ा सिम्पल सा बचाव है कि अपने लॉन में, अपने आस-पास में पानी जमा मत होने दो। यदि किसी टायर में, बोतल में या गमले में पानी जमा हो गया है तो उसको साफ करो। हम अपने घर में कितना करते हैं, अपने आस-पास कितना करते हैं और अपनी सभाओं में, चाहे कांग्रेस वाले हों या बीजेपी वाले हों या रीजनल पार्टीज वाले हों, हम अगर अपने आप से पूछें ...*(व्यवधान)* माफ कीजिए, हमें स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। अपनी सभाओं में पोलिटिशियन से ज्यादा इनर्फोमेशन जनता में कौन पहुंचा सकता है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि जितने हमारे देश के अलग-अलग पार्टीज के पोलिटिशियन्स हैं, कोई टेलीविजन या कोई रेडियो से ज्यादा कोई समाज में जाग्रति पैदा कर सकते हैं। जब इलेक्शन एनाउन्स होता है तो हम 15 दिन में पूरे हिन्दुस्तान को हिला देते हैं। जिसने वोट नहीं देना होता है उसको भी इतना कनविन्स करते हैं कि वह वोट देने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रचार नहीं करते हैं।

मेरा यही निवेदन है कि अगर आप कहोगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरे चीफ मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स को पत्र लिखने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे ख्याल में आज तक सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स को किसी हेल्थ मिनिस्टर ने चिट्ठियां लिखी होंगी तो वह मैंने लिखी होंगी। हम से ज्यादा रिव्यू मीटिंग भी किसी ने नहीं ली होंगी। लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि, यह ऐसा मसला है, जिसमें हम सभी को, सदन को, एम.पीज. को और देश को खड़ा होना चाहिए।

हमारे कुछ साथियों ने यहां आंकड़े दिए और हमारे वेस्ट बंगाल की एम.पी. ने यह बताया कि वेस्ट बंगाल में कोई केस नहीं है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सही नहीं है कि वेस्ट बंगाल में कोई के नहीं है। वेस्ट बंगाल में इस साल करीब छः हजार केस हुए और तीन मृत्यु भी हुई हैं, इसलिए कोई भी स्टेट इससे मुक्त नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैं वहां गया था और मैंने वहां केस मंत्रियों और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ मीटिंग ली। तमिलनाडु में 60, महाराष्ट्र में 59, कर्नाटक में 21, केरल में 13, वेस्ट बंगाल में 9, पंजाब में 15, ओडिशा में 6, मध्य प्रदेश में 6 और दिल्ली में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। ...*(व्यवधान)* बाकी राज्यों में दो-तीन-चार या इससे कम है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये जो आंकड़े हैं, ये गलत हैं। हमने तमाम राज्य सरकारों को टैस्ट के लिए लैबोरट्रीज में करीब दो हजार टैस्ट किट दी हैं कि उन लैब्स में यह टैस्ट होंगे।

फिर मैं यह कहूंगा कि भारत सरकार वहां नहीं बैठी है, वहां राज्य सरकार है। जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य सरकारें अलग-अलग राजनीतिक दलों की हैं। राज्य सरकारें वहां से टैस्ट करके लेबोरेटरी टैस्ट केस भेजती हैं कि इतने आंकड़े हैं, जिन्हें डेंगू हुआ है और इतने आदमी मर गए हैं। देश के राज्यों में जो विभिन्न अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, हम इन आंकड़ों को जमा करने के लिए उन्हीं सरकारों पर निर्भर करते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम हर गांव में, हर डिस्पेंसरी या अस्पताल में कोई आदमी बिठाएं और वह गलत आंकड़ें हमें दे। राज्य सरकारों से जो कंफर्म आंकड़े आते हैं, उन्हीं आंकड़ों पर चाहे पार्लियामेंट में मैं जवाब दूं या मेरा कोई दूसरा कुलीग दे, हम उन आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। जब अपोजिशन वाले सत्ता में होते हैं, आप भी उसी पर निर्भर रहते हैं। लोकतंत्र में हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता है और विशेष रूप से जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है।

आप सभी ने जो चिंता प्रकट की है, उसका मैं पूरा आदर करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि अभी जो इस्नोफीलिया का थर्ड मेडिकल ट्रायल चल रहा है, वह आ जाए तो जिस तरह से आज हम देश भर में बहुत सारी वैक्सीन देते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु कम हुई हैं, उसी तरह इससे होने वाली मृत्यु भी कम हो जाएं। उसके साथ-साथ हम टेलीविजन और रेडियो के जरिए लोगों को समझाने के लिए जो अभियान है, उसे जारी रखेंगे। मेरा सभी से यह निवेदन होगा कि हम अपनी सभाओं में न सिर्फ इससे, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं हेल्थ के हर सब्जेक्ट पर हिन्दी या अंग्रेजी में तकरीबन हर बीमारी के लिए तीन-तीन, चार-चार पन्नों में तैयार कराकर दूंगा। बाकी लोग अपनी-अपनी भाषाओं में अनुवाद करें। आप उसे अपनी कांस्टीट्यूंसी में अपनी सभाओं में जनता को हर बीमारी के लिए बताइए कि इसके लिए क्या प्रिवेंशन है, क्या कंट्रोल है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करायी जाती हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7591/15/12]

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2:20 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया : सभा अब मद संख्या 9 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पर चर्चा करेगी।

श्री प्रबोध पांडा अपनी बात जारी रखें।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना भाषण पूरा करने हेतु पुकारने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैंने कल कुछ मुद्दों का जिक्र किया था। मैं कुछ और मुद्दे उठाना चाहता हूं।

विधेयक में 'किसी भी प्रकार के इन्स्ट्रूमेंट जो कि मूल परिभाषा में शामिल हैं लेकिन सिर्फ मूल परिभाषा तक ही सीमित नहीं है' वाक्यांश का प्रयोग करके संपत्ति की परिभाषा में विस्तार किया गया है। अतः, ऐसी शंका जतायी जा रही है कि आने वाले दिनों में और मदों को शामिल किया जाएगा। कुछ राज्य सरकारों द्वारा अनी दंड संहिता के माध्यम से आदिवासी लोगों के पारम्परिक इन्स्ट्रूमेंट यथा धनुष ओर बाण तक को भी शामिल कर लिया जाएगा। इस संशोधन में घातक हथियारों को भी शामिल किया गया है। अतः, लोगों पर अत्याचार की दृष्टि से, इस प्रकार की चीजें अत्यधिक हानिकारक होंगी। मैं मात्र विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 39 के प्रयोग का हवाला दे रहा हूं। इसका बहुत बुरी तरह से दुरूपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग विभिन्न जन आन्दोलनों तथा जन नीतियों पर अपना विरोध प्रकट करने वालों को डराने धमकाने क लिए किया जाता है। विरोध करने वालों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है और यह हमारी स्वतंत्रता का उपहास है। यदि किसी राज्य में, किसी सार्वजनिक बैठक में कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री से यह पूछ ले कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है, तो उसे माओवादी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध कार्टून बनाने पर कलाकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार की घटनाएं पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में घटित हो रही हैं।

छत्तीसगढ़ में विद्यमान स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय बेहतर जानते होंगे। सारकेगुडा में क्या हुआ? बिजापुर जिले में क्या हुआ? इस विषय पर मैंने माननीय गृह मंत्री से भेंट की थी। स्थानीय लोगों को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। आदिवासी और निर्धन लोगों को 'बीज पुंगम' नामक बीज त्यौहार मनाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके एकत्र होने पर गोली चला दी गयी। अतः, सभी प्रकार के दुरूपयोग और शोषण जारी हैं...*(व्यवधान)*

अतः, मेरा मानना है कि इस विधेयक को आज ही पारित करने पर जोर न डालना ही बेहतर रहेगा। इसको स्थगित करना उचित होगा क्योंकि इस विषय पर और अधिक संवीक्षा और चर्चा करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, कानून और व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है। अतः, सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जा चाहिए। अन्यथा पोटा और टाडा की भांति यह भी एक निष्ठुर कानून बन जाएगा।

अतः, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को इसी सत्र में ही पारित करने के लिए दबाव न डालें। कृपया कुछ और समय ले लीजिए और इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न दिखाएं। इस बारे में राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों से विचार-विमर्श किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक धनशोधन और उग्रवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध निपटने की दिशा में फाइनांसियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किये गये वादों को पूरा करने के लिए लाया गया है।

यह विधेयक व्यक्ति, संपत्ति, आतंकवादी गतिविधियां जिनमें भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा व आर्थिक स्थायित्व को क्षति शामिल हैं, की परिभाषा में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। अब मेरा पहला बिन्दु यह है कि यदि इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक सुरक्षा तथा उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा के उत्पाद, तस्करी और परिचालन के कारण इसकी मौद्रिक स्थिरता को हुई क्षति की चुनौती का सामना करना है, तो इसके लिए कई कानून ओर संशोधन मौजूद हैं। और यदि आवश्यकता हुई तो अलग से भी कोई कानून बनाया जा सकता है। परंतु ऐसा किए बिना इसे यूएपीए में शामिल करने से इसके दुरूपयोग की पूरी संभावना बढ़ जाती है।

अब तक यूएपीए के संबंध में हमारा अनुभव क्या रहा है? यूएपीए में संशोधन 2004 और 2008 में किया गया था। 2008 के संशोधन में पोटा के कुछ कठोर प्रावधानों को पुन: वापिस लिया गया। परिणामस्वरूप, शिकार कौन बने? मुस्लिम युवा कठोर प्रावधानों के कारण सर्वाधिक शिकार हुए। यूएपीए के कठोर प्रावधानों का उपयोग न्याय की सामानय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया जाता है जबकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोई समयबद्ध प्रविधि नहीं है। कुछ मामलों में इन युवकों को मुकदमों के चलते दस से चौदह वर्षों तक कैद में रखा गया और अंतत: न्यायालयों द्वारा उन्हें निर्दोष पाए जाने के बाद रिहा किया गया। दिल्ली अध्यापक संघ सहित कइ विश्वसनीय नागरिक समूहों और संगठनों ने इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे एकत्र किए हैं और उन्होंने यह बात उजागर की है न्यायालयों के निर्णय स्वयं पुरजोर ढंग से यह दर्शाते है कि जांच एजेंसियां मुस्लिम युवाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण रवेया रखती है और कई मामलों में निर्दोष युवाओं के विरुद्ध साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और नकली साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले भी सिद्ध हुए थे। उनमें से कईयों को तो अट्ठारह या उननीस वर्ष का हो ही मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया था, उनपर दर्जनों मामले लाद दिए गए और दस वर्षों से भी अधिक समय तक उन्हें जेलों में बंद रखा गया और उनमें से हर मामले में न्यायालय द्वारा ऐसे युवाओं को निर्दोष ठहराया गयां ऐसा देश के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, आंध प्रदेश और अन्य भागों में भी हुआ है। यदि आप चाहें तो मैं सूची दे सकता हूं। उनको कोई नहीं दिया गया और न ही उनका पुर्नवास किया गया। उन जांच अधिकारियों को कोई सजा नहीं दी गई जिन्होंने साक्ष्यों को गलत ढंग से पेश किया या ऐसे नकली साक्ष्य गढ़े जिसके कारण उन मुस्लिम युवाओं को वर्षों तक जेल में पड़े रहने को बाध्य होना पड़ा। सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों और जांच एजेंसियों की कोई जवाबदेही तय नहीं की।

अधिनियम में 2008 का संशोधन पारित करते समय हमारे दल सीपीआई(एम) ने 'टाडा' और 'पोटा' के समान उपबंध करने के परिणामों के संबंध में चेतावनी दी थी। उस समय व्यक्त आशंका की प्रमाणिकता अब अनुभव की जा रही है।

इस पृष्ठभूमि में सरकार यूएपीए में पहले ही से किए गए कठोर उपबंधों की समीक्षा या उन पर पुनर्विचार किए बिना एक और संशोधन करने जा रही है। इसलिए यूएपीए की तुरंत समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करना समय की मांग है। ऐसा किए बिना यदि सरकार संशोधन प्रस्तुत करती है तो इस प्रकार से किए गए संशोधन से ये और अधिक कठोर बन जाएगा और इसका पुन:दुरूपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

अब मौजूदा विधेयक के संबंध में पहली आपत्ति यही है कि व्यक्ति की परिभाषा के संबंध में है जिसमें "कोई व्यक्ति, अविभाजित हिन्दु परिवार, कोई कंपनी, कोई फर्म व्यक्तियों का संघ, अथवा किसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कोई एजेंसी या शाखा शामिल हैं।

यह एक गंभीर बात है। व्यक्ति का आशय केवल व्यक्ति से और यह शब्दावली आपराधिक विधि में इसके सामान्य उपयोग तक सीमित होनी चाहिए। स्थायी समिति ने भी इसी आशय की सिफारिश की है। साथ ही साथ, व्यक्ति की परिभाषा के दायरे में व्यक्तियों के संघ या निकाय को लाने से जांच अधिकारी का प्रभाव और बढ़ जाएगा और वह व्यक्ति का उत्पीड़न भी कर सकता है। इस उपबंध से अधिनियम के दुरूपयोग की गुंजाइश बढ़ जाएगी क्योंकि इससे निकाय या संगठन के उस व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है या उसका उत्पीड़न किया जा सकता है जो उस निकाय या संगठन के किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा चलायी गई आतंकी गतिविधियों से अनभिज्ञ है। जहां धन जुटाने की बात कही जाए वहां इसकी संभावनाएं अधिक होती हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि आतंकी गतिविधियों को सहायता या समर्थन देने अथवा इस आशय से जुटायी जाने वाली धनराशि इस उपबंध के अन्तर्गत आएगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह किस प्रकार सिद्ध हो पाएगा कि यह धनराशि आतंकी गतिविधियों के उपयोग के आशय से एकत्र की गई है? क्या इस उपबंध के दुरूपयोग की गुंजाइश

[शेख सैदुल हक]

नहीं है। इस उपबंध से मानवाधिकार आयोग जैसे सांविधिक निकाय भी अपंग हो जाएंगे जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाने जाते है। यूएपीए माओवादियों द्वारा चलायी जा रही माओवादी गतिविधियों तथा पूर्वोत्तर राज्यों जहां आतंकियों की निजी सेना है और जो विकास परियोजनाओं की एजेंसियों को डरा-धमकाकर वित्तीय संसाधन जुटाते है, आतंकी समूहों की समस्या का समाधान करने में असफल रहा है परंतु 2008 में 26/11 को हुए मुंबई हमले के बाद यूएपीए का उपयोग देश के एक समूह विशेष को लक्ष्य बनाने के लिए किया गया था। क्या इसने न्याय दर्शाया है? जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है किसी अभियुक्त की मृत्यु के कारण जब किसी मामले में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता तो भौतिक साक्ष्य के आधार पर चल या अचल संपत्ति को जब्त करना कहां तक सही या उचित है?

इसलिए मेरा विशेष सुझाव यह है कि विधेयक को पारित कराने में जल्दबाजी दिखाए बिना बेहतर होगा कि इस विधेयक को आस्थिगित कर दिया जाए और इस विधेयक के संबंध में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के कठोर उपबंधों की समीक्षा होनी चाहिए तथा उन पर पुनर्विचार होना चाहिए उसके बा ही विधेयक पर विचार किया जा सकता है। अतः मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे आगे की चर्चा के लिए विधेयक को यहीं छोड़ दें इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (संशोधन) विधेयक, 2011, मूल विधेयक 1967 में लाया गया। देश की सम्प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो गैरकानूनी कार्य हो रहे थे, उस पर रोकथाम के लिए इसे लाया गया। वर्ष 2004 में इसमें आतंकवादी गतिविधियों को जोड़ा गया और वर्ष 2008 में आतंकवादी गतिविधियों में फंड की व्यवस्था को भी इसमें जोड़ा गया।

मैं इसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहता हूं। आपने इस संशोधन विधेयक में दंड का यह प्रावधान किया है कि देश या देश से बाहर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विधिसम्मत या गैर-विधिसम्मत रूप से अगर कोई व्यक्ति धन की व्यवस्था करता है, जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। एक - स्टैंडिंग कमेटी ने सात साल के दंड के प्रावधान के लिए रिकमैंड किया था, लेकिन आपने उसे पांच साल कर दिया है। दूसरा, आपके पास जो एजेंसी, मैकेनिज्म है, वह इतनी काम्प्लीकेटेड है कि कोई धन, साधन, संसाधन, जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया जा सकता है, आप उसका कैसे पता लगाएंगे, उस बारे में बिल में आपने कुछ नहीं कहा है।

गृह मंत्री जी, आप शुरूआत में जो संशोधन विधेयक लाए, उसमें आपने व्यक्ति को परिभाषित किया है। आप व्यक्ति, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब, कोई कम्पनी, फर्म को इस बिल के अंतर्गत लाए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दु समाज के संयुक्त परिवार में रहने वाला कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो पूरे परिवार के लोग सजा के भागीदार होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर गहराई से विचार किया। लॉ डिपार्टमेंट और होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी इस पर कई बार अपनी बातें रखीं। स्टैंडिंग कमेटी के मैम्बर्स देश के जाने-माने लोग हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने इसे रिफ्यूज कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा -

[अनुवाद]

> "समिति विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2011 में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत 'हिन्दू अविभाजित परिवार' को समाविष्ट करने की बात से सहमत नहीं है। समिति महसूस करती है कि व्यक्ति का आशय केवल एक व्यक्ति से होना चाहिए और शब्दावली का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से सामान्यतः आपराधिक विधि में होता है। हालांकि, चूंकि गृह सचिव ने परिभाषा को परिवर्तित करने की सहमत जताई है, अतः समिति सुझाव देती है कि कोइ ऐसा मार्ग खोजा जाए, जिससे कि यूएपीए अधिनियम की परिधि के अंतर्गत 'हिन्दू अविभाजित परिवार को शामिल न किया जाए।"

[हिन्दी]

शुरू में आपके होम डिपार्टमेंट और सैक्रेटरी ने इसमें शामिल करने की बात कही, लेकिन बाद में जब सहमति बन गयी कि संयुक्त परिवार को इसमें शामिल नहीं करेंगे, फिर क्या जरूरत

थी कि आप यह जो संशोधन विधयेक लाए हैं, उसमें संयुक्त परिवार को शामिल कर दिया? पीसी चाको साहब भी बोल रहे थे कि यह एकदम गैरवाजिब है। नियम के प्रतिकूल और सामाजिक ढांचे के प्रतिकूल आप इस संशोधन विधेयक को लाए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्थायी समिति की जो रिपोर्ट है और जो समाज की सच्चाई है कि संयुक्त परिवार में यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस करता है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, तो पूरा परिवार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। हम लोगों के इलाके में परिवार का जो मुखिया होता है, उसे मालूम भी नहीं होता है और अगर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी में लग जाता है, तो पूरे परिवार को इसके लिए पनिश करना, कहीं से भी वाजिब प्रतीत नहीं होता है। आपने धारा 22क, ख, ग का इसमें अंत:स्थापन किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

इस देश में बहुत से कानून बने, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन की व्यवस्था आपने ठीक से नहीं की। अगर किसी सोसाइटी, कंपनी, न्यास के द्वारा फण्ड की व्यवस्था की जाती है, अनलॉफुल एक्टिविटी की जाती है, तो उसे आप जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि उसका कोई निदेशक, पदाधिकारी या कंसर्न्ड व्यक्ति उसमें इनवाल्व्ड होता है। लेकिन आपने इसमें लिखा है कि अगर वह साबित कर देता है कि इसमें मेरा इनवाल्वमेंट नहीं है, तो उसे आप बरी भी कर देंगे। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में सी.एम.डी. या चेयरमैन होता है, अगर सीएमडी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर देता है, चेयरमैन को नहीं मालूम होता है, तो पूरी कंपनी दोषी है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति कंपनी में नीचे के किसी आदमी से अनलॉफुल एक्टिविटी करा देता है, तो कंपनी बच जाती है, क्योंकि उसके कंसर्न्ड पदाधिकारी की उसमें इनवाल्वमेंट नहीं है। हम आपसे चाहेंगे कि आप इस पर भी अपना स्पष्ट मन्तव्य दें। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आतंकवादी गतिविधि में शामिल संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की अवधि दो साल से पांच साल कर दी जाए, लेकिन पांच साल बाद क्या होगा? क्या जो संगठन आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, उसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता है, हमेशा के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? उस पर लम्बी अवधि तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता है? लम्बी अवधि तक प्रतिबंध लगने से उसकी एक्टिविटी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपने जब यह कानून बनाया, तो देश भर में विभिन्न इलाकों में इस तरह के संगठन चलते हैं और राज्यों की जिस तरह से राय और पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसमें केवल कर्नाटक एवं दमन-दीव की बात आई है।

महोदय, हमारे इलाके से जुड़ी हुई एक बात है। आपने आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत जाली नोट के कारोबार को भी शामिल किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे एक मानसिक दबाव बनेगा। हमारा इलाका नेपाल से सटा हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर हथियार और नकली नोटों का कारोबार होता है और सबसे दुखद बात यह है कि बॉर्डर इलाके में आपकी जो एस.एस.बी. है, जो आपका सुरक्षा प्रहरी है, इसके सहयोग से यह एक्टिविटी चलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके मंत्रालय के अधीन जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी की एजेंसी है, जो ठीक से काम नहीं कर रही है, उस पर भी कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कीजिए अन्यथा कानून आप अच्छे-अच्छे बना लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, उसका कोई रास्ता आप नहीं निकाल पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अर्जुन राय : इन्हीं बातों के साथ इस संशोधन बिल का अंशत: समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के संबंध में हो रही इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज यहां खड़ा हुआ हूं। इस अधिनियम को व्यक्तियों और संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों की प्रभावी ढंग से रोकथाम का प्रावधान करने हेतु कतिपय विशिष्ट कारणों से साठ के दशक के अंतिम वर्षों में अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 2004 में इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार का विस्तार करके इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया। अब इसमें आतंकवाद का वित्तपोषण शामिल किया जा रहा है। वर्ष

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

2004 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम को संशोधित किया गया जिसमें आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन की उगाही करने, आतंकवाद के प्रयोजनार्थ धन रखने किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता लेने, आतंकवादी संगठन को सहायता देने और आतंकवादी संगठन हेतु धन जुटाने के कार्य को अपराध घोषित किया गया।

इसके अलावा, वर्ष 2008 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम को पुन: संशोधित किया गया। इसके द्वारा आतंकवाद का वित्तपोषण करने संबंधी अपराधों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने हेतु "निधियों" के प्रावधानों का दायरा बढ़ाया गया। इस विधान को इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ दि सप्रेशन ऑफ फाइनांसिंग ऑफ टेरोरिज्म की शर्तों के अनुरूप बनाने हेतु सम्पत्ति की परिभाषा का विस्तार किया गया। यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउन्सिल रिजोल्युशन 1267 और 1373 को प्रभावी करने तथा निधियों को फ्रीज करने, जब्त करने और कुर्क करने हेतु इसमें एक नई धारा 51(क) अंत:स्थापित की गई। ये सभी शक्तियां आज पुलिस बल को सौंपी गई हैं।

मेरा प्रश्न यह हे कि क्या इसका कार्यान्वियन हमारे देश में किसी भी तरीके से किया गया है? क्या ये शक्तियां दिए जाने से उन लोगों के मन में भय पेदा करने में कोई सफलता मिली है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है? क्या इससे उनके परिवार के सदस्यों को राजी किया जा सका है कि वे उन पर ऐसी विघटनकारी गतिविधियों में शामिल न होने के लिए दबाव डाल सकें? उत्तर नकारात्मक है। यदि सरकार का मानना कुछ और है तो माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि इससे देश में आतंकवादी गतिविधियां कम करने में किस प्रकार से सहायता मिली है और कानून के इस उपबंध से किन लोगों को सजा मिल रही है।

यह सभा इस बात से अवगत है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनांसियल एक्शन टास्क फोर्स) की मंजूरी के समय भारत द्वारा किए गए वादे के आधार पर विभिन्न विधायी और कानूनी रूप से बाध्यकारी अन्य उपाय किए जा रहे हैं। परंतु प्रश्न यह है कि कया यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को रोकने और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में प्रभावी रहा है?

एफ.ए.टी.एफ एक अंतर-शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके 36 सदस्य हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एशियाई सदस्य देश भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग है। मैं विशिष्ट रूप से छह नामों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मात्र ये ही एशियाई देश हैं जो एफ.ए.टी.एफ के सदस्य हैं। परंतु क्या ये देश आतंकवादी गतिविधियों के विकास-स्थल अथवा मूल केन्द्र हैं? जी हां, मुझे यह जानकारी है कि एफ. ए.टी.एफ द्वारा जारी की गई प्राथमिक नीतियां मनी लांडरिंग संबंधी 40 सिफारिशों तथा आतंकवादियों के वित्तपोषण संबंधी नौ विशेष सिफारिशें हैं।

मूल अधिनियम की धारा 15 में संशोधन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक सुरक्षा विषय को शामिल करके 'आतंकवादी कार्य' की परिभाषित परिधि में अन्य विषयों को शामिल करना तथा नकली भारतीय मुद्रा की रोकथाम करके हमारे देश मौद्रिक स्थायित्व का रक्षा करना है। कया कानून पहले पर्याप्त नहीं था कि इसे 'आतंकवादी कार्य' को इसके अंतर्गत लाना पड़ा है? ऐसा करने से नकली नोटों के परिचालन का मामला वित्त मंत्रालय से हटकर गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देता हूं और आप इससे बेहतर समझ पाएंगे। एक नकारा डाक्टर रोगी को राहत देने के लिए दवा की खुराब बढ़ाते चला जाता है और अंतत: रोगी मर जाता है। मेरी आशंका यह है कि हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सशक्तीकरण के बजाय कानून का लागू किये जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बैंक लॉकरों का प्रयोग नकली नोट रखने के लिए किया गया। यह खबर व्यापक स्तर पर फैली थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त थी।

श्री भर्तृहरि महताब : वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट दी थी। क्या सरकार ने उस खबर पर कोई कार्रवाई की है? क्या सरकार ने उस खबर पर कोई कार्रवाई की है? अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया परंतु क्या कार्रवाई की गई है?...*(व्यवधान)* यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष थी। वित्त संबंधी सीायी समिति ओभी भी इस संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण का इंतजार कर रही है। इस अधिनियम की धारा 17 के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने से किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी विशेष द्वारा उचित या अनुचित स्रोत से निधियां जुटाया जाना आतंकवादी कार्य के अंतर्गत आता है। आतंकवाद की

प्राप्तियों को जब्त किया जाना भी आतंकवाद के वित्तपोषण के निमित्त वाली निधियों की परिभाषा का हिस्सा बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे दो-तीन मिनट का समय चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हमें समय की कमी है।

श्री भर्तृहरि महताब : यहीं कारण था कि कल मैंने इस बात पर जोर दिया था कि यह एक ऐसा अधिनियम है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक मिनट का समय लें।

श्री भर्तृहरि महताब : जी नहीं, महोदय, मैं एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूंगा? बोलने के लिए अनेक सदस्य बाकी हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे दो-तीन मिनट की जरूरत है। बस सिर्फ इतनी विनती है। मेरी समझ से इस व्यवधान से मुझे अपनी बात समाप्त करने में और देरी होगी।

जैसा कि मैं कह रहा था, आतंकवाद की प्राप्तियों का जब्त किया जाना भी आतंकवाद के वित्तपोषण के निमित्त वाली निधियों की परिभाषा का हिस्सा बनता है। मैं आशा करता हूं कि अब शेयर बाजार, रीयल स्टेट और अनेक अन्य प्रलोभनकारी व्यवसाय में लगाये जा रहे काले धन को भी लक्ष्य किया जाएगा और उसे जब्त किया जाएगा। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि स्थायी समिति ने परिभाषा पर भी ध्यान दिया है, माननीय मंत्री महोदय द्वारा, सरकार द्वारा 'व्यक्ति' शब्द पर इस आशय के एक संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति विशेष से है। मेरी समझ से जो गलत धारणा फैल रही है, संभवत: उसे सही किए जाने की जरूरत है। मैंने जो कुछ समझा वह यह है कि व्यक्ति का अभिप्राय व्यक्ति विशेष होता है न कि हिन्दू अविभाजित परिवार से...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं अधिनियम के संबंध में बोल रहा हूं। यदि मुझे इसी प्रकार से बाधित किया जाना है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी सात सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : यह ऐसा अधिनियम है जो नागरिकों की निजी स्वतंत्रता को आद्यात पहुंचाता है। इस वजह से हमें इस पर चर्चा करने हेतु और अधिक समय की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन से अपनाने से क्या केन्द्र सरकार उन व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है जो एल.टी.टी.ई से सहानुभूति रखते हैं और उनके लिए धन एकत्रित करते हैं तथा इस संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध का सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : आज मुझे स्मरण हो रहा है कि मैंने कुछ वर्ष पहले संसद के केन्द्रीयकक्ष संयुक्त सत्र में पोटा पर हो रही चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : उस समय, मैंने उल्लेख किया था, जैसा कि 'आटेल ऑफ टू सिटीज' में कहा गया है कि यह सबसे अच्छा समय है और यह सबसे बुरा समय है। असाधारण परिस्थितियों से निपटने हेतु असाधारण निर्णय लेने की जरूरत होती है। मैंने इस विशेष शक्ति के संभावित दुरूपयोग के बारे में अपनी दआशंका जाहिर की थी। आज जब मैं यू.ए.पी.ए के संशोधन के संबंध में विचार करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी बात दोहराता हूं कि राज्य एक तंत्र के रूप में उत्तरदायित्व निर्धारित करने में विफल रहा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : तब यहां खड़े रहने से क्या फायदा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत समय ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यह तरीका नहीं है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे?

श्री भर्तृहरि महताब : मैंने आपसे तीन मिनट देने के लिए कहा था और आपने उसमें से दो मिनट ले लिये। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिएं यदि अपेक्षाकृत छोटे दलों को इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा तो हम लोगों का नाम देने और हमारा इस चर्चा में भाग लेने का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ दो या तीन प्रमुख ही चर्चा में भाग लेंगे। हम लोग यही सूत्र बना लें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, कृपया हमलोगों के समय में कटौती न करें।

श्री भर्तृहरि महताब : जब कल मैंने यह मुद्दा उठाया तो मुझे माननीय गृह मंत्री, जो इस सदन के नेता हैं, ने आश्वासन दिया कि पूरा अवसर दिया जाएगा। उनकी बात रिकार्ड पर है।

आज जब में यू.ए.पी.ए में संशोधन के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं अपना पक्ष पुन दोहराता हूं कि एक तंत्र के रूप में राज्य भले ही सरकार का राजनीतिक गठन जैसा भी हो, दोषी पुलिस और खुफिया अधिकारियो की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं तथा असाधारण परिस्थितियों से निपटने हेतु बनाए गए प्रत्येक 'विशेष कानून' का दुरूपयोग किया गया है। इस सड़ान्ध की शुरूआत राजनीतिक प्रतिशोध हेतु ऐसे कानूनों का उपयोग किए जाने से होती है तथा इससे पुलिस को मनमानी करने का मौका मिलता है। उस बल का एक अनुभवी अधिकारी होने के नाते, मैं आशा करता हूं कि हमारे वर्तमान गृह मंत्री इस समस्या का समझेंगे।

इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रभावी पुलिस सुधार किया जाना समय की मांग है।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : आपका धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा।

मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011 पर चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा इस सम्माननीय सभा के समक्ष लाए गए संशोधनों का स्वागत करता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सरकार का इरादा इस संशोधन के माध्यम से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक को विधिविरुद्ध वित्तीय कार्यकलाप, धन-शोधन, आतंकवाद का वित्तपोषण ओर जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन रोकने तथा ऐसे कृत्यों को आतंकवादी कार्यकलाप घोषित करने में और अधिक प्रभावी बनाने का है।

मूल अधिनियम की धारा 6 में संशोधन के माध्यम से यह विधेयक उस दो वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष करता है जिस अवधि के लिए आतंकवाद का वित्तपोषण सहित आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है।

इस संशोधन के माध्यम से आतंकवाद संबंधी अधिनियम की परिभाषा का क्षेत्रविस्तार किया गया है। इसके द्वारा उन गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है जिससे हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो तथा जो उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोट बनाने, उनकी तस्करी व परिचालन के माध्यम से इसकी मुद्रा की सिरता को क्षति पहुंचाए। ये सभी स्वागतयोग्य कदम हैं।

इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी प्रावधान है जो किसी आतंकवादी गतिविधि हेतु निधि जुटाने के कार्य में भाग ले या उसे अंजाम दें अथवा उसे निर्देशित करें भले ही, निधि जुटाने का स्रोत वैध हो अथवा अवैध। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम इस विधेयक के अंदर आरोपी बनाए जाने वाले व्यक्ति की परिभाषा में विस्तार करते हुए उसमें हिन्दू अविभाजित परिवार फर्म एक संगठन या व्यक्तियों का निकाय शामिल किया गया है।

मेरी राय में, इस प्रावधान से इस कानून के दुरूपयोग की संभावना बढ़ेगी क्योंकि इससे अपने महोदक्ष की आतंकवादी गतिविधियों के प्रति पूर्ण अनभिज्ञ व्यक्ति भी परेशानी में पड़ेगा। स्थायी समिति ने भी इस विधेयक की धारा 2 के अंतर्गत किए गए इस प्रावधान पर आपत्तियां उठायी थी। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस पर ध्यान दें तथा जहां तक इसमें हिन्दू आविभाजित परिवार को शामिल किए जाने का संबंध है, इस प्रावधान पर पुनर्विचार करे।

मैं यह बात सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि देश के अल्पसंख्यक समुदायों में बड़े पैमाने पर यह आशंका फैली हुई है कि अल्पसंख्यक समुदायों के निरही लोगों को निशाना बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों, पुलिस आदि द्वारा उक्त संशोधन का दुरूपयोग किया जाएगा। वे इसका निरसन चाहते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के निरही युवा लोगों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इसका दुरूपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोषी पुलिस और खुफिया अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में संघ तथा राज्य दोनों ही सरकारें असफल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए न्यायपालिका का और अधिक शक्तियां प्रदान करना है। इस संशोधन से हमारे देश को आतंरिक और बाहरी शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय और आर्थिक आतंकवाद से निपटने में सहायता मिलेगी। यह संशोधन न्यायपालिका को अपराध में संलिप्त जाली भारतीय मुद्रा और आतंकी गतिविधि से हुए नुकसान के मूल्य के समकक्ष संपत्ति जब्त या कुर्क करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश आतंकी गतिविधियों से संतप्त है। यहां पर ऐसे अलगाववादी और माओवादी समूह हैं जिन्होंने अपनी सेना बना रखी है। वे धन की उगाही करते हैं और लोगों का भ्यादोहन करते हैं। देश धन शोधन, आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण और तस्करी हो रही है। यहां यह विधेयक इन सभी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया है।

इस विधेयक के बारे में बात करते हुए मुझे अतीत की याद आ रही है जब पोटा और टाडा जैसे कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हुआ था। आम आदमी को सताने और उसका उत्पीड़न करने के लिए उन पुरातन कानूनों का उपयोग किया गया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए तथा इसे पारित कराने से पहले इसके साकारात्मक और नाकारात्मक दोनों पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए ताकि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो।

- मैं सरकार को इस कानून में न्याय और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना के बारे में भी सावधान करना चाहूंगा। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए इस कानून को लागू करते समय केन्द्र सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए।

दूसरा गंभीर समस्या यह है कि यूआईडी अथवा एनपीआर के लिए देशभर से एकत्र किए जा रहे व्यक्तिगत आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के सर्वर पर फीड किए जा रहे हैं। नागरिकों के बैंक खातों के ब्यौरे यूआईडी से जोड़े जाएंगे और वे सब निगरानी के दायरे में आ जाएगें। इस प्रकार से सरकार के लिए अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के खाते बंद करना संभव हो जाएगा। इससे शरीफ लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार उनके मौलिक अधिकार दांव पर होंगे और उनकी निजता का उल्लंघन किया जाएगा। इसकी जांच की जानी चाहिए।

चूंकि समय का अभाव है, मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता। मैं अध्यक्षपीठ के निर्णय का आदर करता हूं और इसलिए छोटे दल का सदस्य होने के नाते मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : उपाध्यक्ष महोदय, एडमंड बर्क ने सही कहा है: ''कानूनों द्वारा दमित लोगों को कानून से नहीं बल्कि शक्ति से आशाएं होती है। यदि कानून उनके शत्रु होते हैं, तो वे भी कानून के शत्रु बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति हमेशा ही खतरनाक होंगें जिनके पास खोने को तो कुछ नही है, परंतु आशाएं ही आशाएं हों।''

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि वर्तमान यूएपीए टाडा और पोटा से भी बदत्तर है। पोटा और टाडा में जो रक्षोपाय थे, वे भी इसमें नदारद हैं। पोटा और टाडा में एस. पी की अनुमति के बिना कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता था जिसका यूएपीए में अभाव है। पोटा और टाडा में यह कहा गया है कि एस.पी की अनुमति के बिना आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता। यूएपीए में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। यूएपीए तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की शक्तियों को बढ़ाता है। यूएपीए धारा 43(ङ) के अंतर्गत अभियुक्त को सीधे सीधे दोषी मानता है। यूएपीए बंद कमरे में सुनवाई की

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

अनुमति देता है और धारा 44 के अंतर्गत साक्षी पहचान विधारित रखता है। धारा 46 साक्ष्य के रूप में उपयोग होने वाली बातचीत को बीच में रोकने की अनुमति देता है। यूएपीए के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति है। यहां अपराधिक दंड संहिता की धारा 268 लागू होती है।

यह विधेयक यह बताता है कि एफएटीएम संबंधी अपनी प्रतिबद्धता के कारण हम यह संशोधन कर रहे हैं। संयुक्त, राष्ट्र के नागरिक और राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 9 और 14 का क्या हुआ? क्या यह मौजूदा यूएपीए आईसीसीपीआर जिसके हस्ताक्षरकर्त्ता हम भी हैं, का उल्लंघन नहीं है? 'आतंकवाद' की परिभाषा का क्या हुआ? क्या 'आतंकवाद' की परिभाषा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने संबंधी यूएन स्पेशल संपर्क अधिकारी की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं करती है। क्या प्रस्तावित यूएपीए डी.के. बसु मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा विहित सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है? क्या यूएपीए पोटा और टाडा से भी आगे नहीं बढ़ गया है?

इस विधेयक में यह कहा गया है कि हम यह संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एफएटीएफ से ऐसा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का क्या हुआ? आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प संख्या 1333, 1363, 1373, 1390, 1455, 1526, 1566, 1617, 1735 और 2008 के संकल्प संख्या 1822 को स्वीकार किया है।

अपराह्न 3.00 बजे

आप इन संकल्पों की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने 26 मार्च, 2004 को पारित सुरक्षा परिषद् के संकल्प संख्या 1535 की पूरी तरह से अनदेखी की है, जिसके तहत राज्यों को यह अनुस्मरण कराया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आतंकवाद को रोकने हेतु किए गए कोई भी उपाय अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उनके दायित्वों के अनुकूल होने चाहिए और ये उपाय अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर, मानवाधिकार कानून के अनुसार होने चाहिए।

आप आर्थिक कार्यकलापों की बात कर रहे हैं। महोदय, आप मेरी इस बात को ध्यान में रख लें कि प्रस्तावित संशोधन से मुस्लिम युवा हमारे देश में खाड़ी देशों से जो वैध विप्रेषण करते हैं, वह नियंत्रित हो जाएगा। महोदय, आप मेरी इस बात को ध्यान में रख लें कि ऐसा होगा।

दूसरी बात यह कि, आप यहां पर इस संशोधन की बात कर रहे हैं कि प्रतिबंध को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1967 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर क्या कहा था? 1967 में श्री जार्ज फर्नांडिस ने यहां पर क्या कहा था? उन्होंने दो वर्षों का भी विरोध किया था। लेकिन अब, आप इसे पांच वर्ष तक बढ़ा रहे हैं। आप एक प्रतिबंधित संगठन को दोषसिद्ध कैसे करेंगे? इसका परिणाम यह है, कि वहां पर कोई दोषसिद्ध नहीं हुआ है। यह फिर से एक पश्चगामी कदम है। मंत्री महोदय मुझसे इस बात पर सहमत नहीं होंगे। जब एक माननीय सदस्य यहां से कुछ कह रहे थे तो राज्य मंत्री ने कहा कि, "नहीं, नहीं, यह पोटा और टाडा की तरह नहीं है।"

महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैं 2008 की एफआईआर संख्या 23, दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ; 2007 की एफआरआर संख्या 48; 2006 की एफआरआर संख्या 89; 2006 की एफआरआर संख्या 59; 2006 की एफआरआर संख्या 96 को उद्धृत कर रहा हूं। ये सभी मामले यूएपीए के तहत दर्ज किए गए थे। ये लड़के कई वर्षों से इसलिए जेल में बंद थे क्योंकि वे कश्मीरी थे या मुस्लिभ थे। न्यायालय ने उन्हें आरोप-मुक्त कर दिया और आपको अभी भी यह लगता है कि आप उनके खिलाफ यूएपीए का प्रयोग करेंगे। यूएपीए का प्रयोग केवल मुसलमानों के विरुद्ध किया जाता है. यूएपीए का प्रयोग दलितों के विरुद्ध किया जाता है; यूएपीए का प्रयोग जनजातीय लोगों के विरुद्ध किया जाता है। और उन्हें माओवादी घोषित कर दिया जाता है। हमें ऐसा कठोर कानून नहीं चाहिए। यह अधिनियम समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

यह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार है। यह सरकार. ..पी.वी नरसिम्हा राव की नहीं है। यह एन.डी.ए की सरकार नहीं है। हमने इस सरकार के लिए क्यों वोट किया है? क्या हमने ऐसा विधान लाने के लिए वोट किया है?...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस शब्द को कार्यवाही से हटा दिया जाए और आप किसी का नाम मत लीजिए।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी : ठीक है, महोदय। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं।

पिछले पांच वर्षों में यूएपीए के अंतर्गत बिहार के समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा आदि से 15 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के हमारे सदस्य यहां पर बैठे हैं और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वे मुझे बता सकते हैं। बंगलौर से 8 लड़कों, नांदेड़, महाराष्ट्र से चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैं इनमें से एक लड़के के घर गया हूं। एटीएस ने उसके घर से क्या बरामद किया? एक किताब, जिसमें दुआएं लिखी थीं। श्री गुलाम नबी आज़ाद आपको इस बारे विस्तार से बताएंगे।

[हिन्दी]

मसनून दुआओं की किताब क्या टैररिज्म के लिए इस्तेमाल होगी? यह हमारे मुसलमानों और इस्लाम की तौहीन है कि इस तरह से इस किताब को इस्तेमाल किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, यह अन्य महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को फंसाने के लिए यह एक नया षडयंत्र है। आप यह प्रश्न पूछें कि, "मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग क्यों किया जा रहा है? जनजातीय लोगों को मुख्यधारा से अलग क्यों किया जा रहा है?" केवल इन अधिनियमों के कारण ऐसा हो रहा है। ये कठोर अधिनियम समाप्त कर दिए जाने चाहिए।

आप एफएटीएफ को लें। हमने यातना निवारण अधिनियम पारित किया है। क्या यह संयुक्त राष्ट्र के यातना निवारण कानून के अनुरूप है? यह उससे कमतर ही है।

आप विप्रेषण की बात कर रहे हैं। मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूं जिसमें एक जाने-माने पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। उसके सौतेलो पुत्र ने विदेश से धन भेजा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इसका उपयोग किया था।

अंत में, मैं यह मांग करूंगा कि इस कानून को पूर्णत: निरासित कर दिया जाना चाहिए। डा. मनमोहन सिंह की सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें यह बताया जाना चाहिए कि कितने मुस्लिम युवाओं, दलितों और जनजातीय लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूं। सरकार पर्याप्त दृढ़ता और सख्ती से कार्य क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ गृह मंत्रालय के अधीन है। आप गलती करने वाले अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं कर देते? आप उनके वेतन और पेंशन से धनराशि काटकर इन लड़कों को क्यों नहीं देते? आप उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं। कश्मीर के भोले-भाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं। 1996 में बम धमाका हुआ था। इस मामले के 14 वर्षों बाद लड़के तो बाहर आ गए लेकिन मामला लंबित है। गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे जामिया मिलिया अध्यापक संघ की रिपोर्ट को पढ़ें। अन्याय को रोका जाना चाहिए। भारत में मुस्लिम समुदाय में भारी असंतोष है।

मैं यह बात सरकार के ध्यान में यह बात ला रहा हूं। प्रस्तावित संशोधन और यूएपीए से अधिनियम से ही दलित और मुस्लिम दु:खी और क्रोधित हैं।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है और पूरे सदन ने सदन की भावनाओं को सुना है। यह माननीय गृह मंत्री के लिए एक अनुस्मारक भर है क्योंकि मैं उस राज्य से हूं जो इसका जो सर्वाधिक युक्तभोगी है। ये सभी अधिनियम अंतत: मेरे जम्मू व कश्मीर जैसे राज्य पर उपयुक्तत: लागू होते हैं। यह सिर्फ इस बात का अनुस्मारक है कि क्या छह दशक से अधिक समय के बाद भी ये कानून हमें सुरक्षित कर पाएं हैं। उत्तर है: 'नहीं'।

मैं माननीय गृह मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी हम देश के किसी भाग में अलगाव देखते हैं तो क्या करते हैं। जब कभी भी किसी राज्य अथवा राज्य के किसी भाग में परिस्थिति उबाल पर होती है या हिंसा में परिणत हो जाती हे तो हम वहां अपना सर्वाधिक ध्यान देते हैं। हमने जम्मू व कश्मीर में ऐसे अलगाव की स्थिति देखी है, पूर्वोत्तर में देखी है। ऐसा होना लाजिमी है। हमारे देश जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा अलगाव लाजिमी है। परंतु क्या इन कानूनों से ये समस्याएं सुलझेंगी? उत्तर नकारात्मक है। हम क्या करते हैं जब कश्मीर उबलने लगता है।

[डॉ. मिर्जा महबूब बेग]

हम समितियां गठित करते है, वार्ताकार नियुक्त करते है और फिर इन चीजों के बारे में भूल जाते हैं। और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती है तो हम इसे भूल जाते हैं, मानो हमने संपूर्ण मुद्दे को सुलझा लिया हो।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन रिपोर्टों का क्या होता है; उन समितियों की सिुारिशों का क्या होता है जिसे स्वयं हमारे माननीय प्रधान मंत्री गठित करते हैं। सिर्फ इस कारण से कि परिस्थितियां कश्मीर में सामान्य हो गई हैं, पूर्वोत्तर में सामान्य हो गई है, पंजाब में सामान्य हो गई हैं, हम इन चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि - कानून महत्वपूर्ण हो सकता है- हमें अपने लोगों और विदेशियों में अंतर करना पड़ेगा। इन कठोर कानूनों का प्रयोग विदेशियों पर किया जाना चाहिए न कि अपने लोगों पर। हमारे लोगों को तकलीफ़ें हो सकती हैं, शिकायतें हो सकती हैं। परंतु हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि हमें अपने ही लोगों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग करना पड़ता है।

हम सिर ऊंचा करके कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जो कि वास्तव में है। परंतु एक लोकतांत्रिक देश का अंग होते हुए भी यदि हम ऐसे कानूनों से शासित होते है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

कानून बिल्कुल सही है। परंतु मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी समस्याओं के मूल में जाएं, उनका समाधान करे और तुरंत उनका सामना करें ताकि हमारे पास ये समस्याएं हो ही नहीं इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं जाने की जरूरत है। एक लोकतांत्रिक देश का यह दृष्टिकोण होना चाहिए। सभी मुद्दों का समाधान करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। यद्यपि ये समस्याएं ठंडी पड़ी हैं फिर भी वे बारंबार हमारे सामने आ रही हैं।

माननीय गृह मंत्री से मेरा हार्दिक और विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया यह न भूलें कि हमारे देश के विभिन्न भागों में समस्याएं है; आप उनका समाधान करें और आशा है कि एक समय आएगा जब हमें अपने स्थानों को शासित करने के लिए ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अपराह्न 3.09 बजे

[श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, मैं आपको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम को और प्रभावी बनाना तथा निम्नलिखित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप जैसे गैर (1) कानूनी वित्तीय गतिविधियां; (2) धनशोधन; (3) आतंकवाद का वित्तपोषण और (4) जाली मुद्रा संबंधी गतिविधियों को रोकना है।

[हिन्दी]

चेयरमैन साहब, अभी जो कुछ मेंबर्स ने एक्सप्रैस किया है, उसी तरह से हम भी लास्ट टाइम कश्मीर में ऑल पार्टी लीडर्स को ले गए थे। उस टाइम हम भी वहां गए थे। हम जिन कानूनों को बहुत इफेक्टिवली स्ट्रांग करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको इनोसेंट लोगों के ऊपर ज्यादा लागू कर रहे हैं। *[अनुवाद]* इन कानूनों के साथ यह मुख्य समस्या है। *[हिन्दी]* अभी लॉस्ट टाइम हम लोग जब कश्मीर में गए थे, तब पता चला कि इनोसेंट पीपुल काफी अफेक्ट हुए हैं। अभी भी हाऊस में बहुत से मैम्बर्स ने यह बात उठाई है। उसके साथ-साथ अगर इन एक्टिविटीज में कोई पॉलिटिकल लोग शामिल हैं तो उन लोगों को इलैक्शन से डिबार करना चाहिए। उनको इलेक्शन फाइट करने के लिए भी चांस नहीं देना चाहिए। बहुत से इनोसेंट और गरीब लोगों के ऊपर यह इंप्लिमेंट हो रहा है। इसलिए इसको फरदर स्टडी करना चाहिए। *[अनुवाद]* आपने ठीक ही कहा है कि इससे मुस्लिम और अ.जा./अ.ज.जा. प्रभावित होते हैं। *[हिन्दी]* हमारा खम्माम जिला नक्सली अफेक्टिड डिस्ट्रिक्ट है। उसमें इनोसेंट एसटी लोग बहुत अफेक्ट हुए हैं। हमारे पास भी बहुत इश्यूज आए थे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये सब फरदर डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसको डिफर कर के फरदर डिस्कस करना चाहिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): **महोदय,** आपने मुझे इस मुद्दे के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो बोलूंगा साफ-साफ

बोलूंगा, दिल और दिमाग से सच हो बोलूंगा, इसलिए आप लोग भी जरा ध्यान देकर सुनिये।

इस हिन्दुस्तान देश में जो गैर-कानूनी काम होता है, उसे रोकने के लिए जिस कानून की जरूरत है, मैं उसमें मदद करता हूं, लेकिन गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए जो कानून आज तक हिन्दुस्तान की जमीन पर बनाये गये, मेरे दोस्त ओवेसी साहब ने जो बात बताई, उनमें से कुछ-कुछ बातें बहुत सही हैं। माइनोरिटीज के ऊपर, शैड्यूल कॉस्ट्स के ऊपर, ट्राइबल्स के लोगों के ऊपर बहुत अन्याय किया गया है और अभी तक हो रहा है, इसलिए मेरी मांग है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को बंद करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा, उसके जरिये हिन्दुस्तान की किसी एक निर्दोष माइनोरिटी, शैड्यूल कॉस्ट्स, और शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्मी-सितम न हो। *[अनुवाद]* यह मेरी राय है। यहां पर मैं बोडोलैंड क्षेत्र में उत्पन्न हो रही एक गंभीर स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। *[हिन्दी]* जुलाई की 20 तारीख से बोड़ोलैंड अंचल में जो दुर्भाग्यजनक एथ्निक क्लैश हुआ था, उसका बहाना लेकर आज हमारे बोड़ोलैंड अंचल में बोड़ो ट्राइबल्स के ऊपर विभिन्न प्रकार की जुल्मबाजी चल रही है। 17 नवम्बर को क्या हुआ, बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के एक मेम्बर हैं, जिनका नाम मनोज कुमार ब्रहमा है, उनके घर जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से पहले दो ए.के. 47 राइफल्स कहीं से ले जाकर उनके घर के किसी एक बिस्तर के अंदर घुसा दीं और कहा कि मनोज कुमार ब्रहमा के बिस्तर के अंदर से दो ए.के. 47 राइफल्स मिली हैं। 18 नवम्बर को कोकराझार जिले के डिप्टी कमिश्नर महोदय ने एक शांति मीटिंग बुलायी। हम भी उसमें शामिल थे। 17 तारीख को मैं खुद मनोज कुमार ब्रहमा के घर गया और मैंने उनके परिवार के सदस्यों से पूछा कि असल में क्या-क्या हुआ? उन्होंने साफ-साफ बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। *[अनुवाद]* तत्पश्चात्, मैंने पुलिस और डीसी को बताया कि वे कार्रवाई करने में असफल रहे हैं। *[हिन्दी]* जिन-जिन के पास इल्लीगल आर्म्स हैं, उनको पकड़ने में क्या बाधा आ रही है? *[अनुवाद]* सरकार अथवा जिला प्रशासन की अवैध हथियारों और गोला-बारुद जब्त करने से किसने रोका है? *[हिन्दी]* लेकिन जिसके पास असलियत में अवैध अस्त्र-शस्त्र है, उनको पकड़ो, उनके घर से निकालो, लेकिन निरीह और निर्दोष लोगों के ऊपर जो जुल्म चल रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए कानून लाना है तो ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए ताकि माइनोरिटी, शैड्यूल कॉस्ट, शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों के ऊपर जुल्मबाजी नहीं हो सके। जो आर्म्स फोर्सेज special powers एक्ट है, जो आज भी उत्तर-पूर्वांचल में खासकर मणिपुर में चल रहा है, उसे अतिशीघ्र वापस लेना चाहिए। उसके ऊपर स्टडी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनायी गयी थी। उस कमेटी ने भी रिकमंडेशन दी, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई, किसी को कुछ पता नहीं है। गृह मंत्री जी आप जो संशोधन लाये हैं, उसमें कुछ नया प्रावधान संलग्न करने का प्रयास करें। जो लोग देश के बाहर से आते हैं और हमारे देश के मूल निवासियों पर आक्रमण करते हैं, उनकी जमीन-जायदाद छीन लेते हैं, उनके घर और मकान जला देते हैं, लूट करते हैं, उन लोगों के लिए आप किस ढंग का कानून लाएंगे? *[अनुवाद]* मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे तत्वों और इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को इस कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। *[हिन्दी]* अगर नहीं लाएंगे तो आप इसको कैसे रोकेंगे? ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन एलीमेंट्स को भी इस विधेयक की परिधि में लाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

भारत-विरोधी विदेशी ताकतों के कहने पर देश में तैयार किन्हीं चरमपन्थी, आतंकवादी संगठनों अविा प्रतिबंधित संगठनों को भी इस अधिनियम की परिधि में लाया जाना चाहिए। सभी अवैध प्रवासियों जिन्होंने देशज भारतीय-मूल के जनजातीय लोगों पर आक्रमण किया था और जो भारतीय मूल के लजोगों के आर्थिक संसाधनों सहित उनकी जमीनों और प्रादेशिक क्षेत्रों का अतिक्रमण करते थे, को भी इस कानून के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): सभापति जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हम कल से डिसकस कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, पहले भी हम टैररिज्म और क्रिमिनल्स के बारे में विधेयकों पर इस हाउस में चर्चा करते रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

कि पोटा और टाडा आए। टाडा 1987 में आया था और पोटा 2002 में आया था, लेकिन यह बिल और कानून इस देश में ज्यादा देर नहीं चला। सरकार ने इन कानूनों को निरस्त किया। हम सब संसद के लोगों ने उस पर विचार रखा और जो गलत ड्रैकोनियन लॉज हैं, उस तरह के लॉज को हमने बंद करने का प्रयास किया। केवल इतना ही नहीं, स्टेटमेंट और विशेषकर कनफैशन का स्टेटमेंट, जो पुलिस के सामने लेने का था और वही कनफर्म करते थे, वह भी बंद हो गया।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : 180 दिन में तो पुलिस मारकर निकलवा देती है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : सभापति जी, माननीय सदस्य बड़े नामचीन एडवोकेट हैं। *[अनुवाद]* मैं यह मानाता हूं कि वे अधिक जानते हैं। *[हिन्दी]* ...*(व्यवधान)* सभापति जी, वक्त कम है और मैंने शुरूआत में ही कल बता दिया था कि किसके लिए हम यह कानून ला रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि हम जो कानून ला रहे हैं, इसकी एक्जिस्टिंग जो लीगल रिजीम है, उसमें ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम इसे ला रहे हैं और जो डैफिशिएन्सी है, वह आईडैन्टिफाई करके नए प्रोविजन ला रहे हैं, उसे क्लैरिटी दे रहे हैं। इसमें विशेष रूप से पुलिस को भी उस तरह का ज्यादा अधिकार नहीं होगा, लेकिन जहां मजिस्ट्रेट को पावर होती है, उसको भी सामंजस्य के तरीके से काम चलाना होगा।

इस बिल को विशेषतः इंट्रोड्यूस करने के तीन-चार कारण थे। *[अनुवाद]* पहला कारण है चुनौतीपूर्ण नया वातावरण जो कि यूएपीए के अंतर्गत उच्चस्तरीय की जालसाजी के अपराधीकरण से संबंधित है। *[हिन्दी]* जो आपने भी कहा है। *[अनुवाद]* कंपनियों, सोसाइटियों और न्यासों द्वारा किए गए अपराधों भी हम बिल की एम्बिट में लाए हैं। अन्य कारण है आतंकवाद के हित में गैर कानूनी कार्यों से संबद्धता की अवधि को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा और सहयोग प्रणाली का अपराधिकरण करना। *[हिन्दी]* यह विशेषता हम इसके अंदर लाए हैं। मैं कल से सुन रहा था। यह बिल जब 2011 में इंट्रोड्यूस किया तो यह पार्लियामेंट्री स्टैन्डिंग कमेटी के सामने गया। उस पर काफी चर्चा हो गयी। उसमें 14 क्लाजिज थे, जिसमें से दस क्लाजिज पार्लियामेंटरी कमेटी ने बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिए। जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे, मैं सभी का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए नहीं लूंगा, उन्होंने हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली के बारे में कहा था, उसको हमने एक्सैप्ट किया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सैक्शन में हिन्दू अनडिवाइड फैमिली कहने से नुकसान होता है, खासकर क्योंकि प्रोविजन दूसरे खण्ड में है जिसमें इन्डीविजुअल और जूरिडिकल रूप को शामिल कर सकते हैं। इस तरह का प्रावधान हमने इसमें किया है।

सभापति महोदय, कल मैंने यहां बताया था और मैं यह बताना चाहता था कि इंटरपोल में मैंने किस तरह का भाषण दिया और काउंटरफीटिंग के बारे में किस तरह का प्रावधान दूसरे देश और नजदीकी देश कर रहे हैं, यह सब कुछ मैंने बताया था, लेकिन वक्त कम है और यह इस कानून को पास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक : इस विधेयक को पारित करने की इतनी जल्दी क्यों है?...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हमें इस पर और अधिक चर्चा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : हमने स्थायी समिति में इस पर चर्चा की है। हमने इस पर चर्चा की है और यह काफी लंबे समय से जनता के समा है। अतः, अब इसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। हमें इसे यथासंभव पारित करना ही पड़ेगा। कल धन-शोधन विधेयक पारित किया गया था। यदि आप कुछ बातों पर ध्यान दें तो यह कमोबेश एकसमान हैं पर इन्हें इस कानून विशेष के अंतर्गत लाया जाना है।

[हिन्दी]

सभापति जी, समय का अभाव है और इसमें एमेंडमेंट्स भी पास करने हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके दिल में जो शंका है कि इस कानून का उपयोग किसी विशिष्ट जाति और समाज के लिए किया जाएगा, ऐसा आपके दिल में कभी नहीं आना चाहिए। भारत का कानून सभी के लिए एक-सा है, केवल मुसलमानों के लिए विशिष्ट कानून बनाने का यहां कोई तरीका नहीं है। कानून सभी के लिए है, हिन्दू, मुसलमान, चाहे जाट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमान् ओवेसी, आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। अब, आप कृपया शांतिपूर्वक माननीय मंत्रीजी का उत्तर सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैं एश्योर करना चाहता हूं कि पोटा के समय यहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उस समय, मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था, वर्ष 2003 में मैंने खुद देखा है कि हमें जहां भी दुरुस्त करना था, वहां दुरुस्त किया है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों से काउन्टरफीट करेंसी भेजी जा रही है और वह हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने का काम कर रहे हैं, उसे भी हमें देखना होगा। केवल घुसपैठ को ही हम न देखें, इसे तो हमें देखना ही होगा। आज 10 सदस्यों ने भाषण दिया और कल भी कुछ माननीय सदस्यों ने भाषण दिया था। हमारे दो-तीन साथी हैं, जिनके दिल में जो मिस-अंडरस्टैंडिंग है, वह चली जाएगी। लेकिन पूरा हाउस इस कानून को एप्रीशिएट कर रहा था, उसका मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, कई चीजें मुझे बतानी थीं, लेकिन वक्त की कमी है और साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू हो जाएगा और मुझे इस बिल को एमेंडमेंट के साथ पास करवाना है। मैं इतना ही आश्वासन आपको देना चाहता हूं कि इस कानून का सरकार गलत तरीके से उपयोग नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, इसको देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सदन से निवेदन है कि इस बिल को पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, कृपया मुझे इस समय अपनी बात कहने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, प्रश्न यह है...

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. डोम, आप क्या पूछना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि गैर-सरकारी सदस्यों वाले दिन की समाप्ति के समय आज इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव न डालें... *(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : नहीं, हमने प्रत्येक बात पर चर्चा कर ली है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, इस बात पर विचार-विमर्श नहीं किया जाना है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

धारा 2 में संशोधन निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से पंक्ति 11, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(1) खंड (ङक) को खंड (ङख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: अक्षरांकित खंड (ङख) के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङक)"आर्थिक सुरक्षा" के अंतर्गत वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्थायित्व, उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा भी है;';

(ii) इस प्रकार पुन: अक्षरांकित खंड (ङख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(ङग) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(i) कोई व्यष्टि '1"।

(3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, "(ii) के स्थान पर, (ii) प्रतिस्थापित किया जाए।

(4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3, "(iv) के स्थान पर, (iii) प्रतिस्थापित किया जाए।

(5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4, "(v) कोई व्यक्ति-संगम" के स्थान पर, (iv) कोई संगठन या कोई व्यक्ति संगम" प्रतिस्थापित किया जाए।

(6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6, "(vi) के स्थान पर, "(v)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 8, "(vii) के स्थान पर, "(vi)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 11, "(ii) के स्थान पर, "(iii)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25, "(iii) के स्थान पर, "(iv)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(10)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 15 में संशोधन

खंड 4

निम्नलिखित संशोधन किए गए–

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से पंक्ति 9, का लोप किया जाए। (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 10, "(v) के स्थान पर, "(v)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11, "इस धारा" के स्थान, "इस उपधारा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 15, "कूट त करेंसी" के स्थान पर, "कूटकृत भारतीय करेंसी" प्रतिस्थापित किया जाए।

(15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22, "उपधारा (1) के अधीन" का लोक किया जाए।

(15)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 6 धारा 17 में संशोधन पर नई धारा का प्रतिस्थापन

निम्नलिखित संशोधन किए गए–

पृष्ठ 3, पंक्ति 30, "निधियां जुटाता है" के पश्चात्, "या निधियां उपलब्ध कराता है" अंत:स्थापित किया जाए।
(16)

पृष्ठ 4, पंक्ति 1, "के अंतर्गत" के पश्चात्, "उच्च क्वालिटी की" अंत:स्थापित किया जाए।
(17)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[अनुवाद]

खंड 7 नई धाराओं 22क, 22ख और 22ग का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 और 20, "सब सम्यक तत्परता" के स्थान पर "समुचित सावधानी" प्रतिस्थापित किया जाए।
(18)

पृष्ठ 5, पंक्ति 2, "सब सम्यक तत्परता" के स्थान पर "समुचित सावधानी" प्रतिस्थापित किया जाए।
(19)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 11 धारा 33 में संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 15, "कोई व्यक्ति" के पश्चात् "उच्च क्वालिटी की" अंत: स्थापित किया जाए।
(20)

पृष्ठ 6, पंक्ति 16, "अंतर्वलित" के स्थान पर "ऐसी उच्च क्वालिटी की" प्रतिस्थापित किया जाए।
(21)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 धारा 40 में संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, "(ख)" के पश्चात् "उच्च क्वालिटी की" अंत: स्थापित किया जाए।
(22)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 अनुसूची में संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 7, पंक्ति 31, "[धारा 15(1) (घ) देखिए] के स्थान

पर "[धारा 15(1) के स्पष्टीकरण का खंड (खं) देखिए]" प्रतिस्थापित किया जाए।

(23)

"पृष्ठ 7, पंक्ति 32, "कूटकृत करेंसी" के स्थान पर "कूटकृत भारतीय करेंसी" प्रतिस्थापित किया जाए।

(24)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 लघु शीर्षक और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "2011" के स्थान पर "2012" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बासठवें" के स्थान पर, "तिरसठवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए कार्य योजना तैयार किया जाना

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार करेंगे। मद संख्या 11, श्री अर्जुन राम मेघवाल, अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जब पिछली बार बोल

रहा था, तब यह बता रहा था कि डा. राम मनोहर लोहिया जी ने 3 अप्रैल, 1964 को इसी हाउस में जो कहा था, उसका मैं जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा था कि जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है, यह तर्क देना कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रह रहे हैं, वे किसी कारण से भारत में आ रहे हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें हैं। उनका मेटर सोल्व नहीं करेंगे, यह कह करके कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, यह कहना ठीक नहीं है। श्री राम मनोहर लोहिया जैसे चिन्तक ने यह सोच-समझ कर कहा था कि जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। जब उसका वहां जीने का अधिकार सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान को सुरक्षित रखना चाहिए था। जब उसका वहां जीने का अधिकार सुरक्षित नहीं है तो यहां उसकी चर्चा होनी चाहिए। वे लोग जो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफें दूर करने का इस सदन को भी अधिकार है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान की 18 करोड़ की पापुलेशन है, ऐसा मोटा-मोटा माना जाता है। जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में तीन करोड़ की आबादी थी। कुछ लोग 3.41 करोड़ भी कहते हैं, आना-जाना लगा रहा था, लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान के तहत तीन करोड़ की आबादी थी। ...(व्यवधान) मैं वैस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिनमें पांच पर्सेंट हिंदू थे, नॉन मुस्लिम जिनको बोलते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान की पॉपुलेशन आठ करोड़ है, जिसमें दो पर्सेंट हिंदू वहां रहे हैं। वहां बीस हजार पाकिस्तानी सिखों की स्थिति भी खराब है, मीडिया में बार-बार यह बात आ रही है। 1,500 यहूदी भी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। यह नोट करने वाली बात है कि वर्ष 1947 के बाद 1,500 यहूदी भी पाकिस्तान छोड़कर विभिन्न देशों में जा चुके हैं और 20 हजार पाकिस्तानी सिखों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ईसाई कहते हैं कि हम कहां जाएं?

जो हिंदू पाकिस्तान से यहां आ रहे हैं, वे अधिकांशतः धार्मिक वीजा पर आते हैं, लेकिन जो अब तक आए हैं, मैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूंगा। पाकिस्तान के विभाजन के समय उस एरिया से जो हिंदू यहां आए, वे शरणार्थी कहलाए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें शरणार्थी मत कहो, पुरूषार्थी कहो। उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया कि हम शरणार्थी नहीं, पुरूषार्थी हैं। मुझे इस हाउस में कहते हुए फक्र है कि वर्ष 1947 में जो लोग आए, उन्होंने अपने पुरूषार्थ के माध्यम से इसे देश में बड़ा नाम कमाया, चाहे सिंध से आए हुए लोग हों, चाहे और कोई लोग आए हों, लेकिन उन्होंने इस देश में बड़ा नाम कमाया। वर्ष 1965 का जब युद्ध हुआ तो उस समय दस हजार के करीब हिंदू फिर पाकिस्तान से आए और वर्ष 1971 का युद्ध हुआ तो उस समय लगभग 90 हजार लोग भारत आए। वर्ष 1990 से 2012 तक लगभग बीस हजार लोग फिर भारत आए। वहां पहले फेंसिंग नहीं थी, अब फेंसिंग है, तो भी लोग वहां से आ रहे हैं। अब सीमा पर फेंसिंग के बाद भी लोग आते हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान में उनकी लाइफ को थ्रेट है, उनके साथ अत्याचार और अनाचार होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। वहां बंधुआ मजदूरों की तरह वे जीवन जीने को मजबूर हैं, इसलिए वे यहां आते हैं।

मैं राजस्थान से आता हूं। पिछले महीनों में यह विषय मीडिया में भी बहुत चर्चा में आया। उसका कारण 171 हिंदू परिवार, जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तानी नागरिक हैं, वे भारत आए। उन्होंने आकर प्रेस को बयान दिया कि हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि वहां से जितने भी लोग आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर एस.सी. और एस.टी. के लोग हैं। वे थार एक्सप्रेस से आते हैं। जोधपुर में उसका ट्रांजिट स्टेशन है। उनके पुराने रिश्तेदार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में रहते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू रिकार्ड बोलता है कि हमारी जो जमीन है, वह हमारे दादा जी के नाम थी। मैं किसी काम से मजदूरी करने पाकिस्तान चला गया था। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.38 बजे

पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के दुखद निधन के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : सभापति महोदय, मुझे एक दुखद सूचना की घोषणा करनी है।

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

पूर्व प्रधान मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल के दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को म.प. 3.31 बजे मेदांता अस्पताल गुड़गांव में दुखद निधन की सूचना इस सम्मानीय सभा को देते हुए मुझे गहरा दुख हो रहा है।

सभापति महोदय : क्या सभा स्थगित कर दी जाए?

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं समझता हूं सभा स्थगित कर दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 3 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 दिसंबर 2012/ 12 अग्रहायण, 1934 (शक) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के. सुगुमार श्री हमदुल्लाह सईद	101
2.	श्री के.पी. धनपालन डॉ. संजीव गणेश नाईक	102
3.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्री कामेश्वर बैठा	103
4.	श्री आर.के. सिंह पटेल श्री आनंद प्रकाश परांजपे	104
5.	श्री अनंत कुमार श्री निशिकांत दुबे	105
6.	डॉ. पी. वेणुगोपाल श्री दानवे रावसाहेब पाटील	106
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री ए. गणेशमूर्ति	107
8.	श्री महेश्वर हजारी श्रीमती ऊषा वर्मा	108
9.	श्री हरीश चौधरी राजकुमारी रत्ना सिंह	109
10.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	110
11.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री बिभू प्रसाद तराई	111
12.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा श्री यशवंत लागुरी	112
13.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	113
14.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी श्री ताराचन्द भगोरा	114
15.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	115
16.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री यशवीर सिंह	116
17.	श्री पूर्णमासी राम	117
18.	श्री श्री जगदानंद सिंह	118
19.	श्री रतन सिंह	119
20.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू श्री सी.आर. पाटिल	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	115, 1328
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1203, 1230, 1351
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1237, 1260, 1271, 1315, 1317
4.	श्री आधि शंकर	1193, 1341
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1237, 1260, 1315, 1317, 1379
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1182, 1276
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1188, 1360
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	1309, 1313

1	2	3
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1241
10.	श्री अनंत कुमार	1370
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1232, 1270, 1278
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	1157
13.	श्री गजानन ध. बाबर	1237, 1260, 1315, 1317, 1379
14.	श्री रमेश बैस	1165
15.	श्री कामेश्वर बैठा	1190
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1300
17.	डॉ. बलीराम	1256, 1311
18.	श्री पुलीन बिहारी बासके	1314
19.	श्री सुदर्शन भगत	1175
20.	श्री ताराचन्द भगोरा	1294, 1346
21.	श्री संजय भाई	1307, 1309
22.	श्री समीर भुजबल	1210
23.	श्री पी.के. बिजू	1213
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1200
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	1226
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1215, 1309, 1356
27.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	1288
28.	श्री सी. शिवासामी	1283, 1294, 1316, 1321, 1322
29.	श्री हरीश चौधरी	1357
30.	श्री जयंत चौधरी	1349, 1315
31.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	1316, 1362
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1220, 1358
33.	श्री संजय सिंह चौहान	1263
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1275, 1305, 1324
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1285
36.	श्री भूदेव चौधरी	1284
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1308, 1311
38.	श्री भक्त चरण दास	1304
39.	श्री खगेन दास	1223
40.	श्री राम सुन्दर दास	1154
41.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1371
42.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1169
43.	श्री के.डी. देशमुख	1304
44.	श्रीमती रमा देवी	1214, 1239, 1254
45.	श्री के.पी. धनपालन	1332, 1376
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1171, 1174, 1333
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1242, 1312
48.	श्री निशिकांत दुबे	1314, 1375
49.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1261
50.	श्रीमती प्रिया दत्त	1363
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1194, 1316, 1319, 1365
52.	श्री एकनाथ महादेव गायगवाड	1307, 1308, 1309, 1310

1	2	3
53.	श्रीमती मेनका गांधी	1179, 1309
54.	श्री वरुण गांधी	1369
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1308, 1310
56.	श्री एल. राजगोपाल	1185, 1311
57.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1372
58.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1299
59.	शेख. सैदुल हक	1297, 1314
60.	श्री महेश्वर हजारी	1161, 1323
61.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	1232, 1377
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1208, 1363, 1376
63.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1239, 1366
64.	श्री बलीराम जाधव	1186, 1262
65.	डा. मन्दा जगन्नाथ	1298
66.	डॉ. संजय जायसवाल	1290, 1311, 1364
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1229, 1309
68.	श्री बद्रीराम जाखड़	1166
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1201
70.	श्री हरिभाऊ जावले	1184
71.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1221, 1316, 1321
72.	श्री प्रहलाद जोशी	1159, 1202, 1327
73.	श्री सुरेश कलमाडी	1236, 1311
74.	श्री पी. करुणाकरन	1253, 1315
75.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1154, 1195, 1241, 1342
76.	श्री राम सिंह कस्वां	1311, 1189
77.	श्री नलिन कुमार कटील	1277
78.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1272
79.	श्री मधु कोड़ा	1170
80.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1216
81.	श्री विश्व मोहन कुमार	1291
82.	श्री अजय कुमार	1247, 1255
83.	श्री पी. कुमार	1206, 1352
84.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1178, 1235, 1315
85.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1240, 1310
86.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1180, 1272
87.	श्री नरहरि महतो	1192, 1243, 1243, 1340
88.	श्री भर्तृहरि महताब	1317, 1319
89.	श्री प्रदीप माझी	1225, 1238, 1279, 1316, 1359
90.	श्री मंगनी लाल मंडल	1305
91.	श्री जोस के. मणि	1171
92.	श्री दत्ता मेघे	1257, 1318
93.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1304, 1316, 1321
94.	श्री महाबल मिश्रा	1276
95.	श्री सोमेन मित्रा	1197
96.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1218, 1313, 1356
97.	श्री विलास मुत्तेमवार	1258, 1315

1	2	3
98.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1236, 1245, 1375
99.	श्री नम्मा नागेश्वर राव	1267, 1322
100.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1176, 1242
101.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1167
102.	श्री संजय निरुपम	1289
103.	कुमारी मौसम नूर	1198, 1318, 1344
104.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1168, 1316, 1330
105.	श्री पी.आर. नटराजन	1155, 1270, 1309, 1334
106.	श्री वैजयंत पांडा	1227, 1235, 1376
107.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1164, 1373
108.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1251
109.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1309
110.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1307, 1308, 1309, 1310
111.	श्री कमलेश पासवान	1315
112.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1302, 1319
113.	श्री बाल कुमार पटेल	1314
114.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1225, 1238, 1279, 1316, 1359
115.	श्री हरिन पाठक	1266, 1321
116.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1316, 1321
117.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1261, 1262
118.	श्री सी.आर. पाटिल	1163
119.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1235, 1313
120.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1307, 1308, 1309, 1310
121.	श्रीमती कमला देवी पटले	1152, 1344, 1345
122.	श्री नित्यानंद प्रधान	1295, 1314
123.	श्री प्रेमदास	1236
124.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1252, 1265
125.	श्री एम.के. राघवन	1275
126.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1219, 1234
127.	श्री अब्दुल रहमान	1187, 1304, 1339
128.	श्री प्रेम दास राय	1247
129.	श्री रामाशंकर राजभर	1245, 1292
130.	श्री सी. राजेन्द्रन	1190, 1217, 1310
131.	श्री पूर्णमासी राम	1364
132.	श्री रामकिशुन	1180, 1272
133.	श्री कादिर राणा	1310
134.	श्री निलेश नारायण राणे	1202, 1348
135.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1181
136.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1287
137.	श्री रामसिंह राठवा	1156, 1302
138.	डॉ. रत्ना डे	1269
139.	श्री अशोक कुमार रावत	1361, 1172
140.	श्री विष्णु पद राय	1153, 1349
141.	श्री रुद्रमाधव राव	1280
142.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1175, 1350

1	2	3
143.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1232, 1268
144.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1252, 1259
145.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1192, 1243, 1320, 1340
146.	प्रो. सौगत राय	1315
147.	श्री एस. अलागिरी	1254, 1309, 1363
148.	श्री एस. सेम्मलई	1230, 1257
149.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1196, 1257, 1305, 1343
150.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1165, 1309, 1338
151.	श्री तूफानी सरोज	1301
152.	श्री तथागत सत्पथी	1191
153.	श्री हमदुल्लाह सईद	1235, 1331
154.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1204
155.	श्री जगदीश शर्मा	1315
156.	श्री नीरज शेखर	1244, 1315
157.	री सुरेश कुमार शेटकर	1303, 1316
158.	श्री राजू शेट्टी	1273
159.	श्री एंटो एंटोनी	1264, 1316
160.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1162, 1257, 1274, 1326, 1378
161.	डॉ. भोला सिंह	1228, 1312
162.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1160, 1319, 1353
163.	श्री दुष्यंत सिंह	1286, 1319
164.	श्री गणेश सिंह	1246

1	2	3
165.	श्री इज्यराज सिंह	1177
166.	श्री महाबली सिंह	1183, 1235, 1310
167.	श्री मुरारी लाल सिंह	1251, 1277
168.	श्री राधा मोहन सिंह	1248, 1275
169.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1374
170.	श्री रतन सिंह	1335
171.	श्री रवनीत सिंह	1205, 1235
172.	श्री सुशील कुमार सिंह	1235, 1380
173.	श्री उदय सिंह	1158, 1309, 1314, 1316
174.	श्री यशवीर सिंह	1244, 1315
175.	चौधरी लाल सिंह	1282
176.	श्री धनंजय सिंह	1281, 1319
177.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1221, 1232, 1278, 1321
178.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1309, 1363, 1366
179.	श्री उदय प्रताप सिंह	1222, 1304, 1314, 1367
180.	श्री विजय बहादुर सिंह	1212, 1316, 1362
181.	डॉ. संजय सिंह	1229, 1309, 1317
182.	श्री रायय्या सिरिसिल्ला	1235, 1267, 1280, 1329
183.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1224, 1319
184.	श्री के. सुधाकरण	1231
185.	श्री ई.जी. सुगावनम	1209, 1236, 1354

1	2	3
196.	श्री के. सुगुमार	1256, 1336
187.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1236, 1245, 1316
188.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1300, 1303, 1311, 1325
189.	श्री मानिक टैगोर	1230, 1313
190.	श्री श्रीमती अन्नू टंडन	1207
191.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1368
192.	श्री जगदीश ठाकोर	1173, 1306
193.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1211, 1247, 1342, 1355
194.	श्री आर. थामराईसेलवन	1267, 1322
195.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1274
196.	श्री पी.टी. थॉमस	1293
197.	श्री मनोहर तिरकी	1192, 1320, 1340
198.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1199, 1347
199.	श्री जोसेफ टोप्पो	1233, 1378
200.	श्री शिवकुमार टोप्पो	1277

1	2	3
201.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1161, 1242, 1323
202.	श्री हर्ष वर्धन	1161, 1242, 1306, 1323
203.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1317
204.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1270, 1337
205.	श्री सज्जन वर्मा	1304
206.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1161, 1323
207.	श्री वीरेन्द्र	1248, 1304
208.	श्री पी. विश्वनाथन	1296
209.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1260, 1271, 1315, 1317, 1379
210.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1270, 1316
211.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1294
212.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1250
213.	श्री मधु गौड यास्खी	1260, 1279, 1315, 1316, 1379
214.	योगी आदित्यनाथ	1242, 1318

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	102, 108, 111
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	101, 107, 112, 113, 115, 119, 120
खान	:	118
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	105
पंचायती राज	:	109
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	104, 114, 117
पर्यटन	:	110
जनजातीय कार्य	:	103
महिला और बाल विकास	:	106, 116

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	1151, 1153, 1155, 1156, 1158, 1159, 1162, 1164, 1166, 1167, 1168, 1172, 1173, 1180, 1182, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202, 1206, 1211, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1238, 1239, 1240, 1244, 1254, 1256, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1270, 1271, 1272, 1273, 1283, 1284, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1301, 1303, 1305, 1306, 1317, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1333, 1334, 1338, 1339, 1346, 1347, 1348, 1352, 1354, 1355, 1357, 1358, 1360, 1368, 1371
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1154, 1163, 1165, 1183, 1187, 1190, 1192, 1203, 1207, 1209, 1210, 1212, 1229, 1230, 1332,1234, 1236, 1241, 1245, 1247, 1252, 1253, 1265, 1266, 1267, 1277, 1280, 1292, 1297, 1302, 1304, 1309, 1312, 1314, 1315. 1316, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1326, 1336, 1342, 1349, 1350, 1356, 1362, 1363, 1369, 1370, 1372, 1375, 1376, 1379, 1380
खान	:	1251, 1257, 1258, 1269, 1281, 1335, 1377

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	1160, 1169, 1175, 1198, 1208, 1235, 1246, 1249, 1275, 1290, 1300, 1313, 1330, 1364, 1365, 1367
पंचायती राज	:	1157, 1242, 1373
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1171, 1174, 1178, 1193, 1215, 1217, 1231, 1250, 1263, 1276, 1278, 1307, 1310, 1320, 1332, 1343, 1353, 1366, 1374, 1378
पर्यटन	:	1161, 1191, 1194, 1197, 1218, 1237, 1268, 1345, 1351
जनजातीय कार्य	:	1152, 1176, 1204, 1216, 1226, 1233, 1288, 1331, 1341, 1361
महिला और बाल विकास	:	1170, 1177, 1179, 1181, 1205, 1213, 1214, 1222, 1243, 1248, 1255, 1274, 1279, 1282, 1286, 1299, 1308, 1311, 1337, 1340, 1344, 1359

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 48/29/6/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।